

**संस्कृत-साहित्य-शास्त्र  
में  
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय का उद्भव और विकास**

(THE ORIGIN AND DEVELOPMENT  
OF THE VAKROKTI-SCHOOL IN SANSKRIT POETICS)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० की उपाधि के लिए प्रस्तुत  
शोध - प्रबन्ध

लेखक  
राधेश्याम मिश्र, एम० ए०

निर्देशक  
डा० आद्याप्रसाद मिश्र

संस्कृत - विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
१९६६

## प्राक्कथन

बी. ए. परीक्षा उत्तीर्ण करने के अनन्तर अपनी अभिरुचि एवं शुभाकांक्षी मित्रों की राय से संस्कृत विषय से एम. ए. करने का निश्चय किया। एम. ए. प्रथम वर्ष में साहित्यशास्त्र-बम्बयी ग्रन्थ 'साहित्यदर्पण' के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके प्रथम परिच्छेद का अध्ययन करते समय आचार्य मम्पट, कुन्तक एवं आनन्दवर्द्धन के अभिमतों की विश्वनाथकृत आलोचनाओं का प्रत्याख्यान करते समय गुरुमुख से यह विदित हुआ कि 'कुन्तक के विषय में विश्वनाथ द्वारा की गई आलोचना नितान्त भ्रमपूर्ण है, लगता है कि उन्होंने विना 'वक्रोक्तिजोवित' को देखे ही आलोचना कर दी है।' तभी से हृदय में 'काव्यप्रकाश' 'ध्वन्यालोक' और 'वक्रोक्तिजोवित' के अध्ययन की उत्कण्ठा जागरित हुई। सौभाग्य से सम्पूर्ण 'काव्यप्रकाश' और 'लोचन' सहित 'ध्वन्यालोक' प्रथम उद्योत को तो गुरुमुख से पढ़ने का सुअवसर एम. ए. द्वितीय वर्ष में प्राप्त हो गया, किन्तु 'वक्रोक्तिजोवित' के अध्ययन का सौभाग्य एम. ए. तक नहीं प्राप्त हो सका। एम. ए. उत्तीर्ण करने के अनन्तर शोधकार्य की इच्छा हुई। अपने विभिन्न गुरुजनों से इस विषय में पक्षमर्श किया। श्रद्धेय गुरूर डा० लाल रामायदुपाल सिंह जी ने शोधकार्य के लिए अनेक विषयों का सुभव दिया, किन्तु साहित्य-शास्त्र के विषय में मेरी अधिक अभिरुचि को देखकर उन्होंने 'संस्कृत-साहित्यशास्त्र में वक्रोक्ति-सम्प्रदाय का उद्भव और विकास' विषय पर शोध-कार्य करने का निर्देश दिया। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे 'वक्रोक्तिजोवित' के ही अध्ययन के लिए प्रेरणा दी। इतना तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों की लेखनशैली में 'वक्रोक्तिजोवित' अपना सानी नहीं रखता। यह संस्कृत-साहित्य का दुर्भाग्य है कि वह ग्रन्थ आज तक सम्पूर्ण रूप में समुचित ढंग से मुद्रित नहीं हो सका। मुझे अध्ययन के लिए इसके दो संस्करण प्राप्त हुए— एक तो डा० सुशीलकुमार डे द्वारा सम्पादित 'वक्रोक्तिजोवित' का तृतीय संस्करण, जिसमें उन्होंने प्रथम दो उन्मेषों को तथा तृतीय उन्मेष के कुछ प्रारम्भिक अंश को ही सम्पादित कर आगे की पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण अवशिष्ट तृतीय एवं चतुर्थ उन्मेषों का केवल सारांश (Resume) ही सम्पादित किया है। और दूसरा डा० नगेन्द्र द्वारा सम्पादित आचार्य विश्वेश्वरकृत हिन्दी-व्याख्यासहित 'वक्रोक्तिजोवित'। द्वितीय ग्रन्थ में आचार्य जी की 'विवेकाश्रित सम्पादन-पद्धति' के



उसे समझना डा० डे द्वारा सम्पादित मूलग्रन्थ की अपेक्षा भी कठिन सिद्ध हुआ। उसके विभिन्न स्थलों के सम्पादन एवं हिन्दी-व्याख्या को देखकर गुरुजी ने आदेश दिया कि मैं डा० डे द्वारा सम्पादित मूलग्रन्थ ही पढ़ूँ और साथ ही उसका हिन्दी-रूपान्तर भी करता जाऊँ। गुरुजी के आदेश का मैंने पूर्णतः पालन किया और लगभग छः महीने में उस ग्रन्थ का हिन्दी-रूपान्तर मैंने कर लिया। क्लिष्ट स्थलों का रूपान्तर करने में गुरुजी से पर्याप्त साहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष-भर बाद उसके प्रकाशन का कार्यभार 'चौखम्बा संस्कृत सीरीज़' ने ग्रहण कर मुझे अनुगृहीत किया। आज तक उस ग्रन्थ का लगभग तीन चौथाई भाग मुद्रित हो चुका है। आशा है अत्यन्त अल्पकाल में ही वह कृति सहृदय-सुधी-समाज के समक्ष आ जायगी।

'वक्रोक्तिजीवित' का अध्ययन करने पर कुन्तक के परवर्ती आचार्यों एवं आधुनिक समालोचकों द्वारा कुन्तक, उनके ग्रन्थ एवं उनके सिद्धान्त की उपेक्षा को देखकर अन्तरात्मा अत्यन्त व्याकुल हो उठी। कितना बड़ी अन्याय इन आचार्यों एवं विद्वानों ने कुन्तक के साथ किया है ? क्या इसका एकमात्र कारण कुन्तक को बाबापन्थी सम्प्रदाय न मिलने के अतिरिक्त कुछ और था ? किसी ने वक्रोक्ति को साधारण अलंकारमात्र कह कर उनके सिद्धान्त की उपेक्षा की तो किसी ने ध्वनिवादियों में अपना जबर्दस्ती नाम लिखाने के लिए कुन्तक को ध्वनिविरोधी अभिधावादी या लक्षणावादी कह कर उनका तिरस्कार किया। इन सब का एकमात्र कारण उन सहृदय महानुभावों की भ्रान्ति अथवा दलबन्दी के सिवां और कुछ नहीं प्रतीत होता। इन विद्वानों की भ्रान्तियों को दूर करने के लिए ही मेरा यह स्वल्प एवं कठिन प्रयास है। यह शोध-ग्रन्थ इसी आशा से प्रस्तुत किया गया है कि कम से कम आधुनिक सहृदयसमालोचक जो कि लकीर के फकीर बन कर आचार्य कुन्तक उनके ग्रन्थ एवं उनके सिद्धान्त की पिटे-पिटाये ढंग पर, विना गम्भीरतापूर्वक विचार किए, उपेक्षा कर जाते हैं, वैसा न करें। हमें यह पूर्ण आशा है कि यदि सहृदयसमालोचक निष्पक्ष, साथ ही किसी पूर्वाग्रह से गृहीत न होकर कुन्तक के ग्रन्थ पर विचार करेंगे तो निश्चय ही उन्हें हमारे कथन की सत्यता पर विश्वास हो जायगा।

जहाँ तक मेरे शोधकार्य काल की परिस्थितियों का सम्बन्ध है, उन पर भी संक्षेप में प्रकाश डालना अनुचित न होगा। मैंने उपर्युक्त विषय पर नियमित रूप से शोधकार्य सितम्बर 1962 ई० को पूजे गुरुवर डा० लालरमायदुपाल सिंह जी के सम्प्रदर्शन में

प्रारम्भ किया। प्रारम्भ के लगभग डेढ़ वर्ष तक मुझे कोई भी छात्र-वृत्ति आदि न मिल सकी, फलतः आर्थिक कठिनाइयों समुपस्थित रही और इसी लिए इलाहाबाद नगर के ही पुस्तकालयों के आतिथिक न तो मैं कहीं किसी वाह्य पुस्तकालय का साहाय्य प्राप्त कर सका और न कहीं बाहर पाण्डुलिपियों का अध्ययन करने ही जा सका। अतः मेरा अध्ययन प्रयागस्थ पुस्तकालयों की पुस्तकों पर तथा पूज्य डा० सिंह से प्राप्त पुस्तकों पर ही आधारित है। अपने शोधप्रबन्ध में जहाँ कहीं भी पाण्डुलिपि की अत्यन्त भ्रष्टता के कारण कुन्तक के मन्तव्यों का सम्यक् विवेचन नहीं कर पाया उन स्थलों का ध्यान आने पर कलेजे में एक हूकन्सी उठती है— पर क्या करूँ ? लाचारी है। खैर, शोधकार्यकाल के द्वितीय वर्ष की समाप्ति के लगभग मुझे 115 रुपये मासिक की 'राष्ट्रीय-ऋण-छात्रवृत्ति' प्राप्त हुई। उधर चौखम्बा ने भी 'वक्रोत्ति-जीवित' के प्रकाशन का भार ग्रहण कर 300) अग्रिम धनराशि के रूप में प्रदान किया। किन्तु कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ आईं कि शोधकार्य से विमुख होकर 'चौखम्बा' से अनुबन्ध कर 'भामिनीविलास' का हिन्दी-रूपान्तर और उसकी व्याख्या का कार्य प्रारम्भ करना पड़ी। पाँच महीने बाद उसे 'चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज़' को प्रकाशनार्थ देकर प्रकाशक महोदय से 400) अग्रिम धनराशि के रूप में प्राप्त किया। उसी समय तृतीय वर्ष के लिए 'राष्ट्रीय-ऋण-छात्रवृत्ति' की पुनः प्राप्ति की सूचना मिली। आशा का दीपक जो कि बिल्कुल बुझने ही वाला था, उसे कुछ स्नेह प्राप्त होता दिखाई पड़ने लगा। फलतः मैंने पुनः नये उत्साह से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। इसी समय कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण विभागाध्यक्ष पूज्य पी० सरस्वतीप्रसाद जी चतुर्वेदी ने मुझे परम-श्रद्धेय गुरुस्व डा० आद्याप्रसाद जी मिश्र के नवीन-पथप्रदर्शन में कार्य करने का आदेश दिया। यह सम्पूर्ण प्रबन्ध उन्हीं के पथप्रदर्शन में सम्पन्न हुआ है। पूज्य गुरुदेव जी की जो कृपा मुझ पर रही उसे शब्दों द्वारा व्यक्त कर सकना असम्भव है। उन्होने अपने बहुमूल्य समय स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कार्यों की कोई परवाह न कर-मेरे शोधप्रबन्ध को सुनने और संदिग्ध विषयों पर वादविवाद करने का प्रायः दो से चार घण्टे तक का इकट्ठा समय प्रदान कर जो अनुग्रह दिखाना है क्या उससे कभी किसी भी जन्म में मैं उन्नत हो सकता हूँ ? यहाँ तक कि नवरात्र के समय में भी, जब कि मैं लगातार व्रत, पूजन एवं पाठादि में व्यस्त रहा करते थे, निरन्तर मुझे डेढ़ दो घण्टे का

(ई)

समय अपना शोधप्रबन्ध सुनाने के लिए देते रहे , साथ ही विषम परिस्थितियों में उनका डटकर मुकाबला करने की शक्ति भी प्रदान करते रहे। उनके इस परमोपकार के हम जन्मजन्मान्तर तक ऋणी रहेगे। यह मेरा समग्र प्रबन्ध उन्हीं के अनुग्रह का फलस्वरूप है। किन्तु भावी की प्रबलतावश, जहाँ मैंने परीक्षा-हेतु प्रबन्ध को मकरसंक्रान्ति के अवसर पर 14 जनवरी 1966 ई० को प्रस्तुत करने का निश्चय किया था, वह न कर सका, क्योंकि जब मेरा समग्र शोध-प्रबन्ध सम्पूर्ण हो रहा था, केवल अन्तिम अध्याय लिखना शेष था कि 1, दिसम्बर 1965 ई० को मुझे मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कांकेर में संस्कृत-प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति का पत्र प्राप्त हुआ। आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुझे वहाँ जाना पड़ा, जिसके कारण इस प्रबन्ध को प्रस्तुत करने में 5 महीने की और भी बाधा आ गयी। भगवत्कृपा एवं गुरुजनों की अनुकम्पा से आज इसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।

इस शोधप्रबन्ध को प्रस्तुत करने में जिन विद्वानों के ग्रन्थों से अथवा लेखों से मुझे साहाय्य प्राप्त हुआ है, उन सब के प्रति मैं हृदय से परम आभारी हूँ। साथ ही जिन मान्य विद्वानों को मैंने विभिन्न स्थलों पर समालोचना प्रस्तुत की है, आशा है कि वे सहृदय विद्वान् मेरी इस घृष्टता के लिए यह सोच कर क्षमा कर देंगे कि किसी भी विषय पर वह नये दृष्टिकोण से सोचने का मेरा प्रयास है। हो सकता है कि मेरा दृष्टिकोण कहीं भ्रमपूर्ण हो, उसके विषय में सहृदय समालोचकों से निवेदन है कि उस ओर निर्देश कर मुझे अनुगृहीत करेंगे। इसके अतिरिक्त अपने उन कष्ट मित्रों के प्रति भी विना आभार प्रकट किए नहीं रह सकता जिन्होंने कि समय-समय पर मुझे प्रोत्साहित किया है और यथाशक्ति साहाय्य प्रदान किया है। उनमें प्रमुख हैं श्री आनन्दमाधवशरन जी दिववेदी, श्री द्वारिकाप्रसाद जी मिश्र और श्री बद्रीप्रसाद पाण्डेय। मैं श्री रामलखन जी दिववेदी के प्रति भी हृदय से अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने कि नए 'टाइपराइटर' पर, अपने धन और समय की चिन्ता न कर, मेरे इस सम्पूर्ण प्रबन्ध को टाइप करने का कष्ट उठाया है।

अस्तु, इस शोध-प्रबन्ध से यदि संस्कृतसाहित्य एवं संस्कृतसाहित्यसेवी विद्वानों को कुछ भी लाभ हो सका तो मैं अपना प्रयास सफल समझूँगा।

402, मालवीयनगर,  
इलाहाबाद  
21.6.1966 ई०

Rameshwar Mishra  
(राधेश्याम मिश्र)

विषय-सूची

प्रथम अध्याय :

पृ०सं०

<u>कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्य और वक्रोक्ति-सिद्धान्त</u>	(1 - 58)
(क) अवतरणिका	1
(ख) नाट्यशास्त्र एवं वक्रोक्ति	3
(ग) <u>भामह तथा वक्रोक्ति-सिद्धान्त</u>	4
(1) भामहाभिमत काव्य, अलंकार एवं वक्रोक्तिस्वरूप	5
(2) काव्यस्वरूप	6
(3) अलंकार का स्वरूप	7
(4) अलंकार और वक्रोक्ति	9
(5) वक्रोक्ति का स्वरूप एवं अतिशयोक्ति	10
(6) वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति	12
(ग) <u>आचार्य दण्डी और वक्रोक्तिसिद्धान्त</u>	17
(1) दण्डी द्वारा अभिमत अलंकार का स्वरूप	17
(2) अलंकार, वक्रोक्ति एवं स्वभावोक्ति	19
(घ) <u>आचार्य उद्भट एवं वक्रोक्ति-सिद्धान्त</u>	26
(1) अलंकारस्वरूप	26
(2) वक्रोक्ति, अलंकार और स्वभावोक्ति	27
(ङ०) <u>आचार्य वामन एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त</u>	31
(1) अलंकार स्वरूप	32
(2) वक्रोक्ति+एक अर्थालंकारविशेष	34
(3) उक्तिवैचित्र्य रूप माधुर्य गुण	36
(4) रीति तथा वक्रोक्ति	37
(5) वामन और स्वभावोक्ति	38
(च) <u>आचार्य रूढट एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त</u>	39
(1) अलंकार स्वरूप	39
(२) अलंकारों का वर्गीकरण और उसमें वक्रोक्ति का स्थान	42

(ख)

(3) रुद्रट तथा स्वभावोक्ति	45
(छ) <u>कवि मनोरथ और वक्रोक्ति</u>	47
(ज) <u>आनन्दवर्द्धन एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त</u>	48
(1) अलंकार का स्वरूप	48
(2) अलंकार-सामान्य के रूप में वक्रोक्ति	49
(3) अतिशयोक्ति तथा वक्रोक्ति	50
(4) वक्रोक्ति:-अलंकार-विशेष	52
(5) आनन्दवर्द्धन और स्वभावोक्ति	53
(झ) <u>राजशेखर तथा वक्रोक्ति-सिद्धान्त</u>	54
<u>निष्कर्ष</u>	57

द्वितीय अध्याय :

कुन्तक का काल, तथा उनके अनुसार वक्रोक्ति

एवं काव्य का स्वरूप- (59-107)

(क) कुन्तक का काल	59
(1) कुन्तक के काल की पूर्व-सीमा	59
(2) राजशेखर का काल	61
(3) कुन्तक के काल की उत्तर-सीमा	62
(4) कुन्तक तथा अभिनवगुप्त	63
(5) आचार्य अभिनव तथा कुन्तक का काल-निर्धारण-	67
(ख) काव्यलक्षण तथा वक्रोक्ति का स्वरूप	69
(ग) काव्यप्रयोजन	85
(घ) काव्यहेतु	96

तृतीय अध्याय :

कुन्तक के अनुसार वक्रता के भेद (108 -153)

(1) वर्णविन्यास-वक्रता	109
(2) पदपूर्वादर्घ्य वक्रता	112
(क) रूढिवैचित्र्यवक्रता	113
(ख) पर्याय-वक्रता	115
(ग) उपचार-वक्रता	118
(घ) विशेषण-वक्रता	119
(ङ०) संवृतिवक्रता	120
(च) पदमध्यान्तभूतप्रत्ययवक्रता	122
(छ) वृत्तवैचित्र्यवक्रता	123
(ज) भाववक्रता	123
(झ) लिंगवैचित्र्यवक्रता	124
(ञ) क्रियावैचित्र्यवक्रता	126
(3) <u>पदपरादर्घ्य अथवा प्रत्यय-वक्रता</u>	128
(क) कालवैचित्र्यवक्रता	128
(ख) कारकवक्रता	129
(ग) सङ्ख्यावक्रता	130
(घ) पुरुषवक्रता	131
(ङ०) उपग्रह-वक्रता	132
(च) प्रत्ययविहित प्रत्ययवक्रता	132
(छ) उपसर्गनिपातजन्यवक्रता	133
(4) <u>वाक्यवक्रता</u>	134
(1) वस्तुवक्रता	135
(2) वाक्यवक्रता	137
(5) <u>(3) प्रकरण-वक्रता</u>	140
(6) <u>प्रबन्ध-वक्रता</u>	146
<u>निष्कर्ष</u>	152

चतुर्थ अध्याय :कुन्तक का मार्ग-गुण-विवेचन

(154-206)

- |   |     |
|---|-----|
| (1) मार्गविभाजन का आधार                       | 154 |
| (2) रीतियों का (उत्तममाधममध्यमत्व) तारतम्य    | 163 |
| (3) मार्गों का स्वरूप                         | 165 |
| (4) सुकुमार-मार्ग                             | 169 |
| (5) विचित्र-मार्ग                             | 170 |
| (6) मध्यम-मार्ग                               | 172 |
| (7) मार्गों के गुण                            | 172 |
| (8) सुकुमार-मार्ग के गुण                      | 180 |
| (क) माधुर्य-गुण                               | 180 |
| (ख) प्रसादगुण                                 | 182 |
| (ग) लावण्यगुण                                 | 184 |
| (घ) आभिजात्यगुण                               | 185 |
| (ड9) <u>विचित्र-मार्ग के गुण</u>              | 186 |
| (क) माधुर्य                                   | 186 |
| (ख) प्रसाद                                    | 186 |
| (ग) लावण्य                                    | 188 |
| (घ) आभिजात्य                                  | 189 |
| (10) मध्यम-मार्ग के गुण                       | 189 |
| (11) तीनों ही मार्गों के साधारण गुण           | 190 |
| (क) औचित्य-गुण                                | 190 |
| (ख) सौभाग्यगुण                                | 192 |
| (12) कुन्तक के विवेचन की समीक्षा तथा निष्कर्ष | 193 |

पंचम अध्याय :वक्रोक्ति तथा उपमा आदि अलंकार

(207-274)

(1) वक्रोक्ति तथा अलंकार	207
(2) स्वभावोक्ति अलंकार	208
(3) रसवदलंकार	216
(4) कुन्तक द्वारा स्वीकृत रसवदलंकार का स्वरूप	224
(5) प्रेयोऽलंकार	225
(6) ऊर्जस्वि अलंकार	227
(7) उदात्त अलंकार	228
(8) समाहित	230
(9) आशीः	232
(10) विशेषोक्ति	233
(11) हेतु, सूक्ष्म और लेश	234
(12) द्रौपक अलंकार	237
(13) कुन्तकाभिमत द्रौपक का स्वरूप	240
(14) सहोक्ति अलंकार	241
(15) कुन्तकाभिमत सहोक्ति का स्वरूप	244
(16) यथासङ्ग	246
(17) उपमा-रूपक	247
(18) उपमालंकार	248
(19) प्रतिवस्तूपमा	250
(20) उपमेयोपमा	251
(21) तुल्ययोगिता	251
(22) अनन्वय	252
(23) निदर्शना	253
(24) परिवृत्ति	253
(25) श्लेष	254
(26) विरोध	255
(27) समासोक्ति	256
(28) रूपकालंकार	258



(च)

(29) अप्रस्तुतप्रशंसा	259
(30) पर्यायोक्त अलंकार	261
(31) व्याजस्तुति अलंकार	261
(32) उत्प्रेक्षा अलंकार	262
(33) अतिशयोक्ति	263
(34) व्यतिरेक अलंकार	264
(35) दृष्टान्त अलंकार	265
(36) अर्थान्तरन्यास	265
(37) आक्षेपालंकार	266
(38) विभावना	266
(39) ससन्देह	267
(40) अपह्नुतिअलंकार	269
(41) संसृष्टि तथा सँकर अलंकार	269
(42) <u>निष्कर्ष</u>	272

षष्ठ अध्याय :

<u>वक्रोक्ति तथा अन्य सिद्धान्त</u>	(275-354)
(1) <u>वक्रोक्ति तथा रससिद्धान्त</u>	276
(क) वर्णविन्यास वक्रता और रस	281
(ख) पद वक्रता और रस	281
(ग) वस्तुवक्रता और रस	282
(घ) वाक्यवक्रता और रस	283
(ङ) प्रकरण वक्रता और रस	283
(च) प्रबन्धवक्रता और रस	285
(2) <u>वक्रोक्ति और अलंकारसिद्धान्त</u>	288
(3) <u>वक्रोक्ति एवं रीतिसिद्धान्त</u>	295

(4) <u>वक्रोक्ति तथा औचित्य-सिद्धान्त</u>	301
(क) वर्णविन्यासवक्रता और औचित्य ✓	309
(ख) पदपूर्वार्धवक्रता और औचित्य	309
(ग) पदपरार्धवक्रता और औचित्य	309
(घ) वाक्यवक्रता और औचित्य	310
(ङ) प्रकरणवक्रता तथा औचित्य	310
(च) प्रबन्धवक्रता तथा औचित्य	310
(5) <u>वक्रोक्ति एवं ध्वनिसिद्धान्त</u>	313 ✓
(क) कुन्तक को ध्वनिविरोधी अभिधावादी अथवा ध्वनिवादी कहने वाले आचार्यों एवं विद्वानों के अभिमतों तथा युक्तियों का निराकरण —	314
(ख) कुन्तक को वक्रताओं एवं आनन्द की ध्वनियों को एक रूप कहने वाले आचार्यों एवं विद्वानों के अभिमत का निराकरण —	329
(1) वर्णविन्यास वक्रता और वर्णध्वनि ✓	335
(2) पदपूर्वार्धवक्रता और ध्वनिसाम्य ✓	335
(3) पदपरार्धवक्रता और ध्वनि ✓	338
(4) वस्तुवक्रता और वस्तुध्वनि ✓	339
(5) वाक्यवक्रता और अलंकारध्वनि ✓	340
(6) प्रबन्धवक्रता और प्रबन्धध्वनि ✓	340
(ग) कुन्तक के वक्रोक्तिसिद्धान्त की व्यापकता ✓	343
(घ) कुन्तक के वक्रोक्तिसिद्धान्त के निरस्कार के कारण तथा निष्कर्ष —	351

सप्तम अध्यायः

कुन्तक के परवर्ती आचार्य और वक्रोक्तिसिद्धान्त (355 - 392)

(1) आचार्य अभिनवगुप्त एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त	355
(क) लक्षण तथा वक्रोक्ति	356

(2) आचार्य भोज तथा वक्रोक्तिसिद्धान्त	362
(3) आचार्य महिमभट्ट एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त	366
(4) आचार्य ममाट्ट एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त	369
(5) आचार्य स्यक एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त	371
(6) साहित्यमीमांसा और वक्रोक्तिसिद्धान्त	374
(7) आचार्य हेमचन्द्र और वक्रोक्तिसिद्धान्त	379
(8) आचार्य नरेन्द्रप्रभसूरी और वक्रोक्तिसिद्धान्त	381
(9) जयरथ एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त	385
(10) विश्वनाथ एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त	386
(11) आप्ययदोक्षित और वक्रोक्तिसिद्धान्त	387
(12) पण्डितराज और वक्रोक्तिसिद्धान्त	388
(13) वक्रोक्तिसिद्धान्त तथा अन्य आचार्य एवं कवि	389
(14) उपसंहार	392
(15) परिशिष्ट:- प्रस्तुत प्रबन्ध में उद्धृत ग्रन्थों की अनुक्रमणिका - [394-399].	
(क) संस्कृत - ग्रन्थ	394
(ख) हिन्दी - पुस्तकें	398
(ग) English - Books	399

प्रथम अध्याय

कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्य और वक्रोक्ति-सिद्धान्त

## अवतरणिका

संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में काव्यस्वरूप की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले अनेक सिद्धान्त प्रचलित हैं — रससिद्धान्त, अलंकारसिद्धान्त, रीतिसिद्धान्त, वक्रोक्तिसिद्धान्त तथा औचित्य-सिद्धान्त आदि । इन्हीं सिद्धान्तों का पृथक् पृथक् प्राधान्येन विवेचन करने वाले आचार्यों को, एक सिद्धान्त-विशेष से सम्बन्धित कर, विशिष्ट सम्प्रदाय का अनुयायी कह दिया गया है । अतः काव्य के ये विभिन्न सिद्धान्त ही विभिन्न सम्प्रदाय कहलाने लगे। ग्रन्थ-कारों की परिपाटी है कि प्रायः अपने लक्षणग्रन्थों का निर्माण लक्ष्यग्रन्थों को ध्यान में रख कर करते हैं और यही कारण है कि एक ही लक्ष्य ग्रन्थ की विविध लक्षणग्रन्थों में की गई विविध व्याख्याएँ प्राप्त होती हैं। साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में भी यही सत्य निहित है । अनेकों आचार्यों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से लक्ष्य ग्रन्थों का अवलोकन कर विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। अतः इन सभी सिद्धान्तों के मूल प्रेरणास्रोतों का प्राचीन लक्ष्यग्रन्थों में होना सुनिश्चित है। वैसे जहाँ तक वक्रोक्ति-सिद्धान्त का प्रश्न है, रामायण आदि में कुन्तक की वक्रताओं का तो बाहुल्य है ही; किन्तु उनमें कुन्तक की वक्रताओं को न देखकर पहले वक्रोक्ति के सामान्य स्वरूप को देखना ही समीचीन है । वक्रोक्ति का सामान्य अर्थ है टेंटा कथन । अर्थात् किसी बात को सीधे ढंग से न कह कर धुन्ना फिन्ना कर कहना ही वक्रोक्ति है। परन्तु इसका आशय यह नहीं कि धूर्तों के कथन भी काव्य में वक्रोक्ति कहलाने लगेगे। काव्य में वे ही कथन वक्र स्वीकार किये जायेंगे जो मनोहारी होंगे। साथ ही कवि के कौशल को व्यक्त करने वाले होंगे। वैसे रामायण आदि में विविध अलंकारों की छटाएँ प्रस्तुत की गयी हैं तथापि साम्राज्य वहाँ ऋजूक्ति का ही है । किन्तु कहीं कहीं वक्र कथन भी देखे जा सकते हैं । उदाहरणार्थ बालि की हत्या के अनन्तर, राज्य प्राप्त कर, सुग्रीव जब राम को दिए गए वचन को भूल जाते हैं तो लक्ष्मण क्रुद्ध होकर उनसे कहते हैं —

' न स संकुचितः पन्था येन वाली हतो गतः ।

समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ '

यही लक्ष्मण सीधे यह न कह कर, कि प्रतिज्ञा-भंग होने पर तुम्हें भी मार डालूंगा, वक्र ढंग से कहते हैं कि अभी वह रास्ता संकीर्ण नहीं हो गया । जिनमें कि मारा गया वाला गया है । इसी प्रकार वक्रोक्ति की रमणीय छटा लक्ष्मण के शूर्पणखा के साथ उस वार्तालाप में देखी जा सकती है जिसमें कि वे परिहास-पूर्वक सीता की निन्दा और शूर्पणखा की प्रशंसा करते हैं । शूर्पणखा को राज के पास भेजते हुए वे सीता के विषय में कहते हैं—

'रना विरूपामसती कराला निर्णतोदरीम् ।  
भार्या वृद्धा परित्यज्य त्वागेष्वेषमजिध्यति ।।  
को हि रूपशिर्षं श्रेष्ठं सन्त्यज्य वरवर्णिनि ।  
मानुषीषु वरारोहे कुर्याद् भार्यं विचक्षणः ।।'

यह वक्रोक्ति-परम्परा कोई नवीन नहीं है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस ओर संकेत प्राप्त होता है । कौटिल्य ने जिसे 'स्तुतिनिन्दा, या 'प्रतिलोमस्तव' कहा है उसमें स्पष्ट ही वक्रोक्ति का प्रतिपादन है । किसी काने को सुन्दर आँखों वाला कहना अथवा अपना अहित या अनुचित कार्य करने वाले की प्रशंसा करना वक्रोक्ति नहीं तो और क्या है ? कौटिल्य का दण्डविधान है —

'शोभनाक्षिमन्तः इति काणखञ्जादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादश पणो<sup>2</sup> दण्डः ।'

इसी तरह राजा किसी के ऊपर अप्रसन्न है इस बात का पता उसे राजा के 'प्रतिलोमस्तव' से लगा लेना चाहिए<sup>3</sup> । यहाँ तक कि 'अलंकार-संग्रह' में तो 'वक्रोक्ति' अलंकारविशेष का यही लक्षण दिया गया है —

'कोपात् प्रियवदुक्तिर्या वक्रोक्तिः कथ्यते यथा।'<sup>4</sup>

कवि अमरुक और बाणभट्ट आदि ने अपने काव्यों में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग भी लगभग इसी अर्थ में किया है । भास के रूपकों में भी वक्रोक्ति के सुन्दर उदाहरण उपलब्ध होते हैं । 'अविमारक' में विदूषक जब चेटो से कहता है—

'अतिथि रामा-क्षणं नाम णट्टसत्थं । तस्मिं पंच सुतो जा असम्पुष्णे संवच्छरे मर ।

पठिदा' तो चेटो वक्र ढंग से कहती है 'जाणामि जाणामि अय्यस्य कुलोइदो ईदिसो मेधाविभावो<sup>5</sup>  
इसी प्रकार अविमारक विद्याधर से सीधे यह न पूछ कर कि आप का जन्म किस कुल में

1- रामायण, अरण्य-का० 18/11-12

2- अर्थशास्त्र, 3/18/4

3- द्रष्टव्य, वही 5/5/45

4- अलंकारसंग्रह, पृ० 57

5- अविमारक, पृ० 16

हुआ है, वक्र ढंग से पूछता है— 'भोः कतर कुलान्वयो भवता अलंक्रियतेः ?' इस प्रकार यद्यपि प्राचीन काव्यों और नाटकों में वक्रोक्ति के उदाहरण तो प्राप्त होते हैं किन्तु वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाणभट्ट की कादम्बरी में ही प्राप्त होता है । उसका प्रतिपादन म. म. काणे आदि ने कर रखा है <sup>2</sup> । अतः यहाँ पेशपेषण करना उचित नहीं । नाट्यशास्त्र एवं वक्रोक्ति— जहाँ तक साहित्य-शास्त्रीय ग्रन्थों में वक्रोक्ति के विवेचन का सम्बन्ध है इसका सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भामह के 'काव्यालंकार' में ही प्राप्त होता है । उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर भामह से प्राचीन ग्रन्थ भरत का 'नाट्य-शास्त्र' है । 'नाट्यशास्त्र' में भरत ने मुख्यतः नाट्यस्वरूप का विवेचन किया है । वाचिकाभिनय के प्रसंग में उन्होंने ने काव्य के लक्षणों, गुणों, दोषों एवं अलंकारों की चर्चा की है । किन्तु वक्रोक्ति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया । आचार्य अभिनव गुप्त ने भरत के लक्षणों का ऐकरूप्य वक्रोक्ति के साथ स्थापित किया है, किन्तु वह सर्वथा उन्ही की उद्भावना है, अतः उसका विवेचन अभिनव का वक्रोक्तिसिद्धान्त से सम्बन्ध बताते हुए किया जायगा । यद्यपि भरत के नाट्यशास्त्र में जो दिवाविष घर्मियों की कल्पना की गई है उनमें से नाट्यधर्मी में वक्रोक्ति का स्वरूप अवश्य देखा जा सकता है । क्यों कि नाट्यधर्मी और वक्रोक्ति दोनों में ही लोकोत्तीर्णता निहित है । लोकधर्मी लोक वार्ता छियोपेत होता है जब कि नाट्यधर्मी अतिवाक्य छियोपेत होता है । यह अतिवाक्य छियोपेतता ही वक्रोक्ति है । इसी प्रकार अद्भुत रस के विभाव के रूप में जब वे अतिशयार्थयुक्त वाक्य को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें भी वक्रोक्ति का सद्भाव स्वीकार किया जा सकता है । वे कहते हैं —

“यत्त्वतिशयार्थयुक्तं वाक्यं शिल्पं च कर्मरूपं वा ।

तत्सर्वमद्भुतरसे विभावरूपं हि विज्ञेयम् ॥”<sup>4</sup>

ऐसे ही प्रयोगों के अतिरिक्त भरत द्वारा कोई भी वक्रोक्ति का स्पष्ट समुल्लेख नहीं किया गया । आचार्य भामह से ही उसका कुछ सुसम्बद्ध विवेचन प्राप्त होता है अतः अब वही से वक्रोक्ति-सिद्धान्त का विवेचन प्रस्तुत किया जायगा ।

1- अविमारक, पृ० 63

2- द्रष्टव्य, M. S. P, P. 384

3- द्रष्टव्य ना. शा. 13/71-73

4- वही, 6/95

(क) भामह तथा वक्रोक्ति-सिद्धान्त :

अधिकतम विद्वानों का अभिमत है कि आचार्य भरत के अनन्तर, उपलब्ध साह्य के आधार पर, काव्यशास्त्र का विवेचन करने वाले प्राचीनतम आचार्य भामह ही हैं। इसीलिए भारतरत्न महामहोपाध्याय डा० पाण्डुरंग वामन काणे ने भी, जो कि भामह से प्राचीनतर दण्डी को स्वीकार करते हैं, अपने ग्रन्थ 'हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पौष्टिक्स' के द्वितीय संस्करण में ही क्रमानुसार विवेचन करते समय भामह को प्रथम स्थान दिया है। भामह का कीर्ति-स्तम्भ उनका एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ 'काव्यालंकार' है। अधिकतर विद्वानों ने उन्हें 'अलंकार-सम्प्रदाय' के प्रवर्तक आचार्य के रूप में स्मरण किया है। परन्तु यदि 'वक्रोक्ति-सम्प्रदाय' को 'अलंकार-सम्प्रदाय' से भिन्न स्वीकार किया जाता है तो भामह को 'वक्रोक्ति-सम्प्रदाय' का प्रवर्तक आचार्य कहना अनुचित न होगा। वैसे तो वक्रोक्ति के बीज हमें भामह से प्राचीनतर काव्यों एवं शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं, लेकिन 'वक्रोक्ति' को काव्य के एक सिद्धान्त-रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय भामह को ही है। उन्होंने ही सबसे पहले साधिकार यह कहने का दावा किया है कि -

• सैवा सर्वैव वक्रोक्तिरनयाऽर्था विभाव्यते ।

यत्नोऽस्या कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ।

जिसका विरोध करने का दुस्ताइस आगे आने वाला कोई भी आचार्य न कर सका। यह बात दूसरी है कि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धान्तों में इसे खपाने की कोशिश की है। निदर्शनार्थ हम सर्वप्रसिद्ध 'ध्वनि-सिद्धान्त' के कुछ आचार्यों द्वारा किए गए उक्त पंक्तियों के विवेचन को प्रस्तुत करते हैं। ध्वनिकार आनन्द वर्धन भामह की इस वक्रोक्ति की व्यंग्य रूप से समस्त अलंकारों में स्थिति स्वीकार करते हैं -

• यतः प्रथमन्तावदतिशयोक्तिगर्भता सर्वलंकारेषु शक्यक्रिया, कृतैव च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छविं पुञ्जाति । कथं ह्यतिशययोगिता स्वविशयोचित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नोत्कर्षमावहेत् । भामहेनाप्यतिशयोक्तिलक्षणे यदुक्तम् 'सैवा सर्वैव इत्यादि । तत्रातिशयोक्तिर्यमलंकारमपि तिष्ठति कविप्रतिभाशालस्य चारु रवातिशययोगो

1- "Out of deference to the opinions of a majority of scholars I dealt with Bhamaha's work before that of Sandhu." - M.S.P., p. 78



-ऽन्यस्य त्वलंकारमात्रतैवेति सर्वालंकारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनाभेदोपचारात् तैव सर्वालंकाररूपेत्य-  
यमेवार्थोऽतगन्तव्यः ।'

आचार्य अभिनवगुप्त इगी स्थल पर लोचन में भामह की उक्त कर्किका की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:-

'याऽतिशयोक्तिर्लक्षिता तैव सर्वा वक्रोक्तिरालंकारप्रकारः सर्वः - 'वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः 'इति वचनात् । शब्दस्य ईह वक्रताऽभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णरूपेणावस्थानमित्ययमेवावाचालंकारभावः, लोकोत्तरतैव चातिशयः, तेनातिशयोक्तिः सर्वालंकारसामान्यम् । तथाहि अनयाऽतिशयोक्त्या, अर्थः सकलजनोपभोगपुराणीकृतोऽपि विचित्रतया भाट्टयते तथा प्रमदोद्यानादिभिः विभावता नीयते विशेषेण च भाट्टयते रसमयी छियते। ×××ततश्चोप-  
पन्नमतिशयोक्तेर्व्यङ्ग्यत्वमिति ।'<sup>2</sup>

आचार्य मम्मट भी वक्रोक्ति अथवा अतिशयोक्ति को समस्त अलंकारों की प्राणभूता स्वीकार करते हैं । 'वीवशेष' अलंकार के तीन प्रकारों का विवेचन कर चुकने के अनन्तर वे कहते हैं- 'सर्वत्रैवविधविषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते। तां विना प्रायेणालंकारत्वायोगात्। अतएवोक्तम्' तेषा सर्वैव वक्रोक्तिः 'इत्यादि।'<sup>3</sup>

आचार्य भामह द्वारा लगाये गए इस वृक्ष का पूर्ण विकसित रूप हमें आचार्य कुन्तक के ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवित' में उपलब्ध होता है। आचार्य कुन्तक ने भामह के वक्रोक्ति-सिद्धान्त को एक सुचिन्तित, विकसित एवं परिष्कृतस्वरूप प्रदान किया। भामह एवं कुन्तक के वक्रोक्तिसिद्धान्त में हमें जो भेद परिलक्षित होता है वह कुन्तक के सम्यक् चिन्तन का ही फलस्वरूप है।

भामहाभिमत काव्य, अलंकार एवं वक्रोक्ति का स्वरूप :-

आचार्य भामह ने अपने ग्रन्थ में कहीं भी साफ-साफ शब्दों में अलंकार या वक्रोक्ति का लक्षण प्रस्तुत नहीं किया । किन्तु उनके विवेचन से हमारे सामने जो अलंकार अथवा वक्रोक्ति का स्वरूप उपस्थित होता है उसे समझने से पूर्व हमें भामहाभिमत काव्य-स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है।

1- ध्वन्या०, पृ० 465-468

2- लोचन, पृ० 467-469

3- काव्यप्रकाश, पृ० 572

### काव्यस्वरूपः

'कवि का कर्म काव्य है' इस काव्य के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के विषय में किसी भी आचार्य को विप्रतिपत्ति नहीं है। भामह को भी नहीं। परन्तु ध्यान देने की बात तो यह है कि भामह के लिए न तो सभी कवि कवि हैं और न सभी काव्य काव्य हैं। उनकी दृष्टि में कवियों के दो स्वरूप हैं—एक कुकवि का और दूसरा सत्कवि का। भामह यदि काव्य किसी कवि के कर्म को मानने को तैयार है तो वह कर्म इसी सत्कवि का है। वे अकवि होना कुकवि होने से बेहतर समझते हैं —

'नाकवित्वमघर्माय व्याघये दण्डनायवा १  
कुकवित्वं पुनः साक्षान्भृतिमाहुर्मनीषिणः २ । ११ '

उनकी दृष्टि में कोरा 'वाग्वैदग्ध्य' बेकार है यदि उसमें 'सत्कवित्व' नहीं है—  
'रहिता सत्कवित्वेन कीदृशी वाग्वैदग्घता ३ ।।

1- (क) आचार्य भट्ट तौत का कथन है—

'प्रज्ञा नवनवोत्लेखशालिनी प्रतिभा मता ।  
तदनुप्राणनाजीवद्वर्णनानिपुणः कविः ।।  
तस्य कर्म स्मृतं काव्यम् ———।।

वामन के काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के प्रथमाध्याय के प्रथम सूत्र में 'काव्यं ग्राह्य-मूलकारात्' की व्याख्या करते हुए श्री गोपेन्द्र त्रिपुर हर ने इसे भामह के नाम से उद्धृत किया है— 'मा(भा)महोपि— प्रज्ञानवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। तदनुप्राणनाजीवद्वर्णनानिपुणः कविः । तस्य कर्म स्मृतं काव्यम्—' इति (पृ० ४) पर उनका यह कथन प्रामादिक ही प्रतीत होता है।

(ख) कुन्तक का कथन है— 'कवेः कर्म काव्यम्' । (पृ० ३)

(ग) महिमभट्ट का कथन है— 'कविव्यापारो हि विभावादिसंयोजनात्मा रसाभिव्यक्त्य-  
व्यभिचारी काव्यमुच्यते।' (व्यक्ति० पृ० ९५)

(घ) महिमभट्ट के उक्त कथन की व्याख्या करते हुए रुच्यक 'हृदयदर्पणकार' के मत को प्रस्तुत करते हैं— 'हृदयदर्पणे च— तत्कर्ता च कविः प्रोक्तो भेदोऽपि हि तदस्ति यद्' इति काव्यमूलकवित्वं प्रतिपादितम्।'

(ङ) आचार्य मम्मट का अभिमत है— 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण कविकर्म काव्यम्।'

(काव्य० पृ० १०)

(च) हेमचन्द्र का कथन है— 'लोकोत्तरं कविकर्म काव्यम्

(काव्यानु० पृ० ३)

[शेख अगले पृष्ठ पर]

वे उन्हीं कवियों की कीर्ति को कभी भी न विनष्ट होने वाली समझते हैं जिन्होंने सत्काव्य (या सन्निबन्ध)की रचना की है—

'उपेयुषामपि दिवं सन्निबन्धविधायिनाम् ।

आस्त एव निरातङ्कं कान्तं काव्यमयं वपुः ॥'

इसी सन्निबन्ध में ही पुरुषार्थ चतुष्टय तथा कलाओं में विचक्षणता तथा यश और आनन्द की प्राप्ति होती है—

'धर्मार्थकामपोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च ।

प्रीतिं करोति कीर्तिञ्च साधुकाव्यनिबन्धनम् ॥'

मोक्ष-प्राप्ति के भी उपाय रूप में प्रस्तुत करने का पर्वप्रथम श्रेय भामह को ही है । अतः भामह के अनुसार काव्य सत्काव्य ही होगा ।

अलंकार का स्वरूप:-

अलंकार का स्वरूपविवेचन करते समय भामह काव्य की उपमा कामिनी के कान्त मुख से देते हैं । वे कहते हैं—

'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम् ॥'

यही अवश्य यह है कि भामह केवल 'भाति वनितामुखम्' नहीं कहते हैं, उनके पहले उन्होंने 'वि' उपसर्ग का प्रयोग किया है अर्थात् 'विशेषेण भाति' विशेष प्रकार से शोभित होता है । अभिप्राय यह कि जब तक विशेष प्रकार की शोभा काव्य में नहीं है तब तक वह सत्काव्य नहीं। इस प्रकार अलंकार काव्य का स्वरूपाधायक तत्त्व है। बिना अलंकार के काव्य की स्थिति असम्भव है। इस बात को कुन्तक ने बड़े साफ सुथरे ढंग से इस प्रकार कहा है—

शेष- 2-भामह काव्या0, 1/12

3- वही, 1/4

1-भामह काव्या0, 1/6

2- वही, 1/2 'साहित्यदर्पणकार' ने इस कारिका के पाठ 'साधुकाव्यनिबन्धनम्' के स्थान पर 'साधुकाव्यनिषेवणम्' पाठ उद्धृत किया है। उनके पाठ के अनुसार चतुर्वर्ग आदि में वैचक्षण्य इत्यादि सद्वृत्त के लिए भी होंगे, जब कि 'काव्यालंकार' के पाठ के अनुसार वे केवल कवि के लिए ही हैं ।

3- भामह काव्या0, 1/13

'तत्त्वं सारलकारस्य काव्यता ।  
इस पर वृत्ति में कहते हैं -

'अयमत्र परमार्थः- सारलकारस्यालंकारसहितस्य सकलस्य निरस्तावयवस्य सतः समुदायस्य काव्यता कविकर्मत्वम् । तेनालंकृतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः, न पुनः काव्यस्यालंकारयोग इति ।'  
अर्थात् काव्य और अलंकार पृथक् नहीं है, काव्य में अलंकार जोड़े नहीं जाते। क्योंकि अलंकारों से पृथक् काव्य की सत्ता ही नहीं सम्भव है। काव्य सैत्रा अलंकृत ही होती है।

इसी लिए भामह का अलंकार कटककुण्डल स्थानीय नहीं है । और यही कारण है कि भामह की दृष्टि में अलंकार ही एक तत्त्व है जिसमें गुण, रीति, रस, ध्वनि, औचित्य आदि सभी अन्य आलंकारिकों द्वारा अभिमत तत्त्व अन्तर्भूत हैं। अलंकार से भिन्न उक्त तत्त्वों की कोई सत्ता नहीं। अतः यह कहना कि भामह ने रस आदि को महत्त्व प्रदान ही नहीं किया, वे रस त्रितीय है एक भ्रान्त धारणा होगी । इस विषय पर डा० देशपाण्डे ने पर्याप्त प्रकाश डाल रखा है, अतः पिष्टपेषण की आवश्यकता नहीं। उनका निष्कर्ष इस प्रकार है-

'भामह रस के विरोधी तो है ही नहीं, बल्कि उपलब्ध आलंकारिकों में भरत के प्रथम उत्तराधिकारी है।<sup>3</sup> उनके अलंकार का स्वरूप ही कुछ इस प्रकार का है कि उसमें रस भी अलंकार कोटि में आ जाता है।<sup>4</sup>

भामह ने शब्द तथा अर्थ के साहित्य को काव्य स्वीकार किया है, अतः उन्होंने न तो केवल सुबन्त तथा तिङन्त की व्युत्पत्ति रूप सौशब्द को ही अलंकार स्वीकार किया है और न केवल रूपकादि (अर्थालंकारों) को ही प्राधान्य दिया है। उनकी दृष्टि में दोनों के लो समान है, इसी लिए प्राचीन आचार्यों के साथ असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने अपना मत इस रूप में उपन्यस्त किया है-

'रूपकादिरलंकारस्तस्यान्यैर्बहुधोदितः ।

न कान्तमपि निर्मूर्धं विभाति वनिता मुखम् ॥

1- व. जी., 1/6

2- वही, पृ० 7

3- इष्टव्य भा. सा. शा., पृ० 66-75

4- इसी लिए ख्यक ने कहा है- 'इह हि तावद् भामहोद्भटप्रभृतयश्चिरन्तनालंकारकाराः

प्रतीयमानमर्थं वाच्योक्तस्कारकतयाऽलंकारपक्षनिक्षिप्तं मन्यन्ते।'

रूपकादिमलंकारं बाह्यमाचक्षते परे ।

सुपां तिङ्गञ्च व्युत्पत्तिं वाचां वाच्यलंकारात् ।।

तदेतदाहुः सौशब्दं नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी ।

शब्दाभिधेयालंकारभेदादिष्टं द्वयन्तु नः ।।<sup>1</sup>

इन अलंकारों के द्वारा अर्थ के तत्त्वज्ञ महाकवियों की वाणी अलंकृत होकर उसी प्रकार विशेष रूप से सुशोभित होती है जैसे विदग्धमण्डनी वाली रमणी—

अनेन वागर्थविदामलंकृता

विभाति नारीव विदग्धमण्डना।।<sup>2</sup>

अलंकार और वक्रोक्ति

वस्तुतः यह अलंकार है क्या ? यह अलंकार वक्रोक्ति ही है। भामह का सुस्पष्ट कथन है —

'वक्राभिधेयं शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः ।'<sup>3</sup>

अर्थात् कविवाणी अर्थात् काव्य का अलंकार शब्द और अर्थ का वक्र कथन ही है। आगे भी कहा है—

'वाचां वक्रार्थशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते ।'<sup>4</sup>

वक्रोक्ति के विना अलंकार का अलंकारत्व ही सम्भव नहीं, अतः भामह कह उठते हैं—

'सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्यां कविनां कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ।।'<sup>5</sup>

यही भी ध्यान देने की बात यह है कि भामह केवल 'भाव्यते' न कह कर यही भी 'वि' उपसर्ग का पूर्व प्रयोग करते हैं । जब तक अलंकार के द्वारा अर्थ विशेष रूप से भावित न हो जाय वह अलंकारकैसा ? और यह विभावन केवल वक्रोक्ति के द्वारा सम्भव है अन्यथा नहीं। विना वक्रोक्ति के अलंकार तत्त्वहीन होगा, निस्सार होगा ।

अलंकार कहलाने का अधिकारी ही नहीं होगा । यही कारण है कि भामह पदपदार्थ के <sup>कारण</sup> वक्र सम्यक् प्रयोग का विधान उन्हीं कवियों के लिए करते हैं जिनकी उक्ति, जिनकी वाणी <sup>वक्र</sup> है—

1-भामह काव्या 0, 1/13, 14, 15

2- वही, 3/58

3- वही, 2/36

4- वही, 5/66

5- भामह, काव्या 2/85 इस कारिका के ध्वनिक्लृप्ता आदि द्वारा किए गए अर्थ को हम पीछे उद्धृत कर चुके हैं।

'वक्रवाची कवीना ये प्रयोग प्रति साधवः ।

प्रयोक्तु ये न युक्ताश्च तद्विवेकोऽयमुच्यते ॥'<sup>1</sup>

वे वक्र वाची वाले कवि को ही सत्कवि कहते हैं, उन्हो ने उन्ही सत्कवियों के मतो को देखकर अपने ग्रन्थ की रचना प्रस्तुत की -

'अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्यस्वाधिया च काव्यलक्षणम्'<sup>2</sup>

भामह के इसी आधार को ग्रहण कर कुन्तक ने ज़ोरदार शब्दों में केवल वक्रोक्ति की ही अलंकारता का प्रतिपादन किया है -

'उभावेतावलंकार्यो तयोः पुनरलंकारः ।

वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यमगीमणितिरुच्यते ॥'<sup>3</sup>

वक्रोक्ति का स्वरूप एवं अतिशयोक्ति

उक्त विवेचन से यह तो सुस्पष्ट है कि भामह के अनुसार केवल वक्रोक्ति ही अलंकार है। उसके बिना किसी भी अलंकार का अलंकारत्व सम्भव नहीं। परन्तु जिस ढंग से भामह ने अनेकों स्थलों पर वक्रोक्ति का प्रयोग किया है उससे यही प्रतीत होता है कि वक्रोक्ति का स्वरूप उस समय पूर्ण रूप से सभी को विदित था, अन्यथा उसके स्वरूप के विषय में भामह का मौन रहना अयम्भव था। भामह ने अवश्य ही अतिशयोक्ति अलंकार के प्रसंग में - 'सैषा सर्वैव वक्रोक्तिः' कह कर अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति को स्वरूप में प्रतिष्ठित किया है परन्तु अतिशयोक्ति अलंकार (2/81) का वर्णन करने के पूर्व ही वे -

'वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामैलंकृतिः' (2/36)

कह चुके थे। अतः अतिशयोक्ति अलंकार विशेष को ही वक्रोक्ति मान बैठना उचित नहीं। जैसे कण्वप्रकाश में उद्धृत 'सैषा सर्वैव' 'आदि की व्याख्या करते हुए संप्रदायप्रकाशिकीकार ने मान लिया है- 'सैषा-अमेदाध्यवसायरूपा वक्रोक्तिः' इत्यादि।<sup>4</sup> 'अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण भामह ने दिया है -

'निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्।

मन्यन्तेऽतिशयोक्तिं तामलंकारतया यथा ॥'<sup>5</sup>

1-भामह काव्या०, 6/23

2- वही, 6/64

3- व०जी०, 1/10

4- स. प्र. पृ० 405

5- भामह काव्या०, 2/81

अर्थात् जहाँ कवि किसी निमित्तवश लोकातिक्रान्तगोचरवर्णन को प्रस्तुत करता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार अतिशयोक्ति के लक्षण के अनन्तर दो उदाहरण प्रस्तुत कर मामह ने कहा -

'इत्थेवमादिसदिता गुणातिशययोगतः ।

सर्वैवातिशयोक्तिस्तु तर्कयन्ता यथागमम् । १'

यही लक्षण में जो कवि ने 'निमित्ततः' शब्द का प्रयोग किया है वह विशेष रूप से अवधेय है। इसी निमित्तवश विभिन्न आचार्यों ने अतिशयोक्ति के अनेक भेद वर्णित किये हैं। इयक ने अतिशयोक्ति के पाँच प्रकार इस तरह निरूपित किए हैं- १-भेदेऽभेदः । 2-अभेदे भेदः । 3- सम्बन्धेऽसम्बन्धः । 4- असम्बन्धे सम्बन्धः । 5- कार्यकारणपूर्वापर्यायविध्वंसश्च ।<sup>2</sup> अतः यदि इसी अतिशयोक्ति अलंकार-विशेष की समस्त अलंकारी में स्थिति मान ली जायगी तो स्वभावोक्ति की अलंकारता का खण्डन करते समय जिस संसृष्टि व संकर की कठिनाई कुन्तक ने स्वभावोक्ति के विषय में उठाई है वही कठिनाई यहाँ भी उपस्थित हो जायगी ।<sup>3</sup> अर्थात् यदि सर्वत्र अतिशयोक्ति और अन्य अलंकारों का भेद स्पष्ट होगा तो संसृष्टि मानना पड़ेगा, कोई भी स्वतंत्र अलंकार ही ही नहीं सकेगा । यदि भेद अस्पष्ट होगा तो संकर स्वीकार करना होगा । अतः स्पष्ट है कि मामह इस 'अतिशयोक्ति' अलंकारविशेष को सब समस्त अलंकारों में सामान्य नहीं मानते । और इसी लिए उन्होंने अलंकार-विशेष का प्रतिपादन 'अतिशयोक्ति' नाम से किया है, किन्तु सर्वालंकारसामान्य का प्रतिपादन 'वक्रोक्ति' नाम से किया है । यह पहले ही बताया जा चुका है कि जहाँ कहीं भी अलंकार<sup>सामान्य</sup> को प्रस्तुत किया गया है वहाँ 'वक्रोक्ति' के ही नाम से, 'अतिशयोक्ति' नाम से नहीं। यही 'वक्रोक्ति' का अतिशयोक्ति के प्रसंग में किया गया निर्वृत्त केवल इसी बात को पुष्ट करता है कि 'अतिशयोक्ति' में 'वक्रता' का चरमोत्कर्ष विद्यमान रहता है, इससे अधिक और कुछ नहीं । यह तो प्रायः सभी को मान्य है कि काव्य लोकोत्तीर्ण होता है, काव्य का रस लौकिक रस से भिन्न होता है, काव्य के अलंकार लौकिक अलंकारों से भिन्न होते हैं, इस प्रकार काव्य की समस्त सामग्री ही लोक की सामग्री से भिन्न होती है ।

३- मामह, काव्याः, 2। 84.

2- अलं स. ५-५३, इसी तरह कुबलमानन्द में अतिशयोक्ति के आठ भेद परिपादित किए गए हैं - 1- रूपकातिशयोक्ति, 2- सापेक्षनातिशयोक्ति, 3- भेदनातिशयोक्ति, 4- सम्बन्धातिशयोक्ति 5- असम्बन्धातिशयोक्ति, 6- अक्रमातिशयोक्ति 7- अपत्ततिशयोक्ति 8- तथा अत्यन्तातिशयोक्ति । (का. 36-43)

3- देखें वक्रोक्ति जीवित काविका 1/14, 15 तथा वृत्ति.

इसी लोकोत्तीर्णता का नाम वक्रता है । लोकोत्तीर्णता को प्रतिपादित करना ही वक्रोक्ति है । आचार्य अभिनव ने ठीक ही व्याख्या की है—

‘शब्दस्य हि वक्रताऽभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णन रूपेणवस्थानमित्यञ्जमेवासाक-  
लंकारस्यालंकारभावः । लोकोत्तरतैवधातिशयः तेनातिशयोक्तिः सर्वालंकारसामान्यम् ।’

वस्तुतः वक्रता और अतिशय पर्यायवाची अवश्य माने गए हैं पर इतने से ही वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारविशेष को एक समझ बैठना भ्रान्ति है । यदि वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को एक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है तो वही अतिशयोक्ति अलंकारविशेष नहीं है। इस विषय में ‘काव्यप्रकाश’में उद्धृत कारिका ‘सेवा सर्वैव’ आदि की वामन ऋषीकर की व्याख्या अत्यन्त सुस्पष्ट है —

‘अतिशयोक्तिरिति । अतिशयेन वैचित्र्यविशेषप्रतिपत्तये लोकसीमातिक्रमेणोक्तिः  
कथनमित्यर्थः । न तु पूर्वोक्तातिशयोक्त्यलंकारोऽत्र विवक्षितः , तस्यात्रासम्भवात्’<sup>2</sup>

आचार्य भामह इसी वक्रोक्ति का प्रतिपादन न करने के कारण हेतु, सूक्ष्म तथा लेश की अलंकारता को अस्वीकृत कर देते हैं —

‘हेतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽथ नालंकारतया मतः ।

समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः ॥’<sup>3</sup>

वक्रोक्ति से रहित कहीं काव्य होता है ? वह तो केवल ‘वार्ता’ होती है वार्ता ।  
साधारण बात चीत । —

‘मतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्तिवासाय पक्षिणः ।

इत्येवमादि हि काव्येऽवात्तमिनी प्रचक्षते ॥’<sup>4</sup>

### वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति

इस प्रकार यह तो निश्चित हो गया कि भामह के अनुसार वक्रोक्ति ही अलंकार है। अब प्रश्न यह उठता है कि भामह यदि वक्रोक्ति को ही अलंकार मानते हैं, तो स्वभावोक्ति उनकी दृष्टि में अलंकार है या नहीं ? यदि अलंकार है तो कैसे ? वस्तुतः विद्वानो

1- लोचन, पृ० 467

2- बालबोधिनी, पृ० 743-44

3- भामह, काव्यसा०, 2/86

4- वही, 2/87



में इस विषय में बड़ा मत-भेद है । कुछ लोगों का कहना है कि भामह स्वभावोक्ति अलंकार नहीं मानते तथा कुछ लोग इसके विपरीत कहते हैं कि भामह स्वभावोक्ति अलंकार मानते हैं । डा० राघवन के अनुसार भामह स्वभावोक्ति अलंकार मानते हैं जब कि इसके विरुद्ध डा० सुशीलकुमार डे<sup>2</sup> तथा डा० संकरन आदि इस बात के समर्थक हैं कि भामह स्वभावोक्ति अलंकार नहीं मानते । भामह स्वभावोक्ति को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं -

'स्वभावोक्तिरलंकारः इति केचित् प्रचक्षते ।

अर्थस्य तदवस्थत्वं स्वभावोऽभिहितो यथा ॥

आक्रोशन्नाह्वयन्नन्यानावाक् मण्डले स्तन् ।

गा वारयति दण्डेन डिम्भः सस्यावतारणीः ॥'<sup>3</sup>

डा० राघवन का कहना है कि यही चूंकि भामह ने स्वभावोक्ति का लक्षण तथा उदाहरण दिया है, साथ ही जिन अलंकारों को उन्हें नहीं स्वीकार करना था उन्हें 'नालंकारतया मतः' आदि साफ शब्दों में कह कर निषेध किया है, अतः केवल 'केचित् प्रचक्षते' के आधार पर स्वभावोक्ति के प्रति उनके अस्वास्थ्य को स्वीकार करना उचित नहीं । इस तरह से उन्होंने ने अनेक अलंकारों का निरूपण किया है<sup>4</sup> ।

हम डा० राघवन के इस अभिमत से सहमत नहीं । यह बात तो भामह के अलंकारविवेचन से साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने ने विभिन्न अलंकारों द्वारा स्वीकृत अलंकार समूहों का पृथक्-पृथक् उल्लेख कर उनका निरूपण किया है, परन्तु जैसा अस्वास्थ्य उनका स्वभावोक्ति एवं आशीः की अलंकारता को स्वीकार करने में व्यक्त होता है वैसे किसी अन्य के विषय में नहीं । आशीः के निरूपण की भी शब्दावली इसी प्रकार है -

'आशीरीपि च केषींचदलंकारतया मता ।

सौहृदस्याविरोधोक्तौ प्रयोगोऽस्याश्च तदयथा ॥'<sup>5</sup>

1- देखें Some Concepts (pp. 102-103)

उत्तका निष्कर्ष है - "For Bhāmaha Vakrokti is Alankāra and Svabhāva vakti also which has got its own degree of Vakrata marking it off from mere Vārta is comprised in Vakrokti." P. 103.

2. "Such Svabhāvokti or natural mode of speech to which sandhi is so partial is not acceptable to Bhāmaha who refuses to acknowledge Svabhāvokti as a poetic figure at all."

3- भामह काव्या० 2/93-94

— Introduction to V. S. (p. XX)

4- Some Concepts (pp. 100-101)

5- भामह काव्या० 3/55

इसके बाद दो उदाहरण दिए हैं। इन दो अलंकारों के अतिरिक्त किसी भी अलंकार के विवेचन में भामह ने 'केशित्' अथवा 'केशाजित्' का प्रयोग नहीं किया। जहाँ कहीं भी अन्य अलंकारों का निरूपण किया है वह 'प्राहुः', 'उदिता', 'आहुः', 'विदुः', 'कथ्यते', 'ब्रुवते', 'वदति', 'उक्ता', 'निजगुः' आदि के द्वारा ही किया गया है। एक स्थान पर उन्होंने ने और भी 'केशित्' का प्रयोग किया है पर बड़े आदर के साथ-उपमा की त्रिप्रकारताके विषय में वे कहते हैं —

'यदुक्तं त्रिप्रकारत्वं तस्याः केशिन्महात्मभिः ।

निन्दा प्रशंसाचिख्यासामेदादत्राभिधीयते ॥'

सामान्य गुणनिर्देशात् त्रयमप्युदितन्ननु ।

मालोपमादिः सर्वाऽपि न ज्यायान् विस्तरो मुषा ॥'

कितनी विनम्रता के साथ उनके मतों का निराकरण यहाँ पर किया है मया है ? क्या यह बात 'स्वभावोक्ति' और 'आशीः' के अलंकारत्व के विषय में भी कही जा सकती है?

वस्तुतः स्वभावोक्ति का वक्रोक्ति से कोई विरोध नहीं है। काव्यों के समस्त प्रकारों का निरूपण कर चुकने के अनन्तर भामह कहते हैं —

'युक्तं वक्रस्वभावोक्त्या सर्वमेवैतदिष्यते।'<sup>2</sup>

इस पंक्ति का अर्थ विद्वानों ने कई तरह से लगाया है। कुछ लोग इससे यह आशय निकालते हैं कि काव्य के समस्त प्रकारों को वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति दोनों से युक्त होना चाहिए। ऐसा अर्थ तो पूर्णतया तथ्य से परे है। डा० राघवन ने इसका अर्थ 'वक्रस्वरूप'-उक्त्या' माना है<sup>3</sup>। परन्तु यह अर्थ लेना भी समीचीन नहीं प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ पर स्वभाव की वक्र उक्ति से तात्पर्य है। 'स्वभावस्योक्तिः स्वभावोक्तिः। वक्रा चासौ स्वभावोक्तिश्च वक्रस्वभावोक्तिः। तथा वक्र स्वभावोक्त्या। अन्यथा केवल 'वक्रोक्ति से युक्त' मान लेने पर —

1- भामह काव्या०, 2/37-38

2- वही, 1/30

3- डा० राघवन 'Some Concepts of Alankāraśāstra (p-102) पर कहते हैं — 'Mr. Tātācharya has, it seems, committed an excess while trying to prove that Bhāmaha accepted Svabhāvokti. He says that when Bhāmaha said 'युक्तं वक्रस्वभावोक्त्या सर्वमेवैतदिष्यते' (1/39), he meant like Dandin to divide poetic expression into two realms Vakrokti and Svabhāvokti, and Tātācharya puts a forced interpretation of वक्रस्वभावोक्त्या which does not mean वक्रोक्त्या and स्वभावोक्ति but means only वक्रस्वरूप-उक्त्या, the word Svabhāva here meaning 'of the nature of.'"

'एष वन्द्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः ।

मृगतृष्णाम्भसि स्नातः शशशृंगधनुर्धरः ॥' जैसे श्लोक को भी काव्य मानना पड़ेगा । क्यों कि वक्रता अर्थात् लोकोत्तीर्णता तो इसमें भी विद्यमान है । अतः जहाँ वस्तुस्वभाव का वक्र ढंग से प्रतिपादन होगा वही काव्यत्व होगा । इसी लिए कुन्तक ने कहा है—'तेन स(स्वभावः) एव यश्च कस्यचित् पदार्थस्य प्रख्योपाख्यावतारनिबन्धनपूर्व, तेन वर्जितमसत्कल्पं वस्तु शशविषाणप्रायं शब्दज्ञानागोचरता प्रतिपद्यते ।' और सम्भवतः भामह की इसी कारिका से ही कुन्तक को स्वभावोक्ति को अलंकार्य और बक्रोक्ति को अलंकार कहने की प्रेरणा मिली होगी । जैसा कि डा० राधवन ने भामह द्वारा स्वभावोक्ति अलंकार की स्वीकृति सिद्ध करते हुए यह बतलाया है कि वह 'गतोऽस्तमर्कः' आदि 'वार्ता' की अपेक्षा रमणीय होने के कारण अलंकार है। उसी आधार पर यह सिद्धान्त मली भीति प्रतिपादित किया जा सकता है कि यद्यपि वह स्वभाव-वर्णन अर्थात् स्वभावोक्ति अलंकार-रूप में भामह को स्वीकार नहीं है, वे उसे अलंकार्य ही मानते हैं । परन्तु यदि उसे उस स्वभाव की रमणीयता के कारण उपचारतः अलंकार कह दिया जाय तो कोई विशेष आपत्ति नहीं है । इसी लिये 'केचित् प्रचक्षते' कह कर अपना स्वयं का अस्वारस्य ही उन्होंने ने प्रकट किया है, स्वारस्य नहीं । जैसे कि कुन्तक भी कहते हैं —

'यदि वा प्रस्तुतोचित्यमाहात्म्यान्मुद्ध्यतया भावस्वभावः सातिशयत्वेन वर्ण्यमानः स्वमहिम्ना भूषणान्तरासिद्धिषुः स्वयमेव शोभातिशयसाहित्वादलंकार्योऽप्यलंकरणमित्यभिधीयते तदयमास्माकीन एव पक्षः । तदतिस्मितवृत्तेरलंकारान्तरस्य तिरस्कारतात्पर्येणाभिधानान्नात्र विवदामहे।'<sup>2</sup>

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भामह स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं स्वीकार करते । हाँ, यदि अन्य लोगो ने वहाँ वस्तुस्वभाव की परम रमणीयता के कारण उसे अलंकार्य होते हुए भी दूसरे की अलंकारता को सहन न कर सकने के कारण अलंकार कह रखा है तो उन्हें विशेष आपत्ति नहीं। इसी लिए उसका उदाहरण भी दे दिया है । क्यों कि वहाँ स्वभाव की वक्रता या वैचित्र्य तो विद्यमान ही है ।

1- व० जी०, पृ० 24

2- वही, पृ० 139

डा० राघवन ने जो यह बात कही है कि स्वभावोक्ति को अलंकारता का खण्डन करते समय कुन्तक ने जो 'विरन्तन' आचार्यों का पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया है उसमें भामह भी संगृहीत है, उसका कोई समुचित आधार नहीं दिखाई पड़ता ।

इस प्रकार —

(1) भामह की दृष्टि में केवल सत्कवि ही, जो कि वक्रोक्ति के प्रयोग में निपुण होता है, एकमात्र कवि कहलाने का अधिकारी है और उसी का कर्ममूल सत्काव्य काव्य है ।

(2) शब्द और अर्थ के साहित्य में ही काव्य होता है । शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का समान महत्त्व है । शब्द और अर्थ का एकमात्र अलंकार वक्रोक्ति है । विना वक्रोक्ति के अलंकारता की ही सिद्धि न होगी ।

(3) कवि को सदैव वक्रोक्ति के प्रति प्रयत्नशील रहना चाहिए ।

(4) काव्यता अलंकार-युक्त होने पर ही सम्भव है । निरलंकार काव्य <sup>नहीं</sup> हो सकता ।

(5) वक्रोक्ति और 'अतिशयोक्ति अलंकार-विशेष' भिन्न-भिन्न हैं अतिशयोक्ति अलंकार-विशेष ही वक्रोक्ति नहीं है । हाँ, उसमें वक्रोक्ति का अन्य अलंकारों की अपेक्षा अधिक्य अवश्य है ।

(6) वक्रोक्ति स्वभाव की ही होनी चाहिए । निःस्वभाव वक्रोक्ति अलंकार कोटि में नहीं आ सकती ।

(7) वक्रोक्ति का स्वभावोक्ति से विरोध नहीं क्योंकि वक्रोक्ति अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार्य ।

(8) अलंकार, गुण, रस आदि सभी वक्रोक्ति में ही अन्तर्भूत हैं । इसी लिए शृंगारादि को उन्होंने रसवदलंकार के रूप में ही माना है । कुन्तक और भामह में यही तो अन्तर है कि कुन्तक स्वभाव के साथ ही साथ रस को भी अलंकार्य कोटि में रखते हैं जब कि भामह उसे भी अलंकार कोटि में ही रखते हैं ।

1 - "The 'ancients', cirañtanās who figure in Kuntaka's pūrvapakṣa as accepting Svabhārokti include Bhāmaha."

- Some Concepts (p. 101)

(ख) आचार्य दण्डी और वक्रोक्ति-सिद्धान्त

आचार्य भामह के अनन्तर काव्यशास्त्र के आचार्य दण्डी हमारे सामने आते हैं । काव्यशास्त्र-सम्बन्धी इनका एकमात्र ग्रन्थ 'काव्यादर्श' है । इन दोनों आचार्यों के पौर्वापर्य के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परन्तु अधिक विद्वान् दण्डी को भामह का उत्तरकालीन ही मानते हैं । अतः यहाँ पर भी भामह के अनन्तर ही दण्डी के वक्रोक्ति-सिद्धान्त से सम्बन्ध के विषय में विचार प्रस्तुत किया जा रहा है ।

दण्डी द्वारा अभिमत अलंकार का स्वरूप

दण्डी ने अलंकार का लक्षण भामह की अपेक्षा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है -  
'काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते ।'<sup>1</sup>

अर्थात् काव्य में सौन्दर्य की सृष्टि करने वाले काव्य के धर्मों को अलंकार कहते हैं । दण्डी के भी अलंकार का स्वरूप बहुत ही विस्तृत है । इसी में गुण, रस आदि सभी अन्य तत्त्व अन्तर्भूत हैं । गुणों के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से अलंकार शब्द का प्रयोग किया है -

'काश्चिन्भार्गीविभागार्थमुक्ताः प्रागप्यलंक्रियाः ।

साधारणमलंकारजातमन्यन्निरूप्यते ॥'<sup>2</sup>

वैदर्भ और गौडीय मार्गों के विभागार्थ इन्होंने प्रथम परिच्छेद में श्लेष, प्रसाद आदि दस गुणों का निरूपण किया था । वे दोनों मार्गों में असाधारण रूप में विद्यमान थे । अतः विभाजकत्व के रूप में पहले वर्णित किए गए । श्लेष आगे वर्णित किए जाने वाले उपमा, स्वभावोक्ति आदि उभय-साधारण अलंकार हैं । इसी तरह 'रसवद्रसपेशलम्' कह कर रसों को भी रसवदलंकार के अन्तर्गत ग्रहण कर लिया है । वस्तुतः दण्डी ने अलंकार शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है । उसका एक व्यापक अर्थ है शोभाकरत्व जिसमें रस, गुण आदि सभी अन्तर्भूत हैं । और दूसरा है संकीर्ण अर्थ जो अनुप्रासादि शब्दालंकारों तथा स्वभावोक्ति, उपमा आदि अर्थालंकारों के लिए है । गुणों और अलंकारों का भेद दण्डी के इस कथन में साफ स्पष्ट है-

'इत्यनुवर्तित एवार्थो नालंकारोऽपि तादृशः ।

सुकुमारतयैवैतदारोहति सती मनः ॥'<sup>3</sup>

1- काव्यादर्श, 2/1

2- वही, 2/3

3- वही, 1/71

स्पष्ट है-

'इत्यमूर्जितस्वराद्यौ जालकारोऽपि तादृशः ।

सुकुमारस्वैवेतदालोऽपि सती मनः ॥<sup>1</sup>

यही स्पष्ट ही अलंकार शब्द उपमादि के लिए प्रयुक्त हुआ है, गुणों के लिए भी नहीं, क्योंकि सुकुमारता गुण के कारण ही तो यही सहृदयमनोहारित्व है । इसी प्रकार रस की उपमादि अलंकारों एवं प्रसादादि गुणों से भिन्नता इस कथन में देखी जा सकती है -

'अलंकृतमसंक्षिप्तं रसभावान्तरम् ।<sup>2</sup>

महाकाव्य को अलंकृत, पल्लवित वृत्तान्त वाला एवं रसों तथा भावादिकों से अभिव्याप्त होना चाहिए। निश्चय ही यहाँ उपमादि अलंकारों एवं प्रसादादिगुणों से ही अलंकृत होने का आशय है । साथ ही इसी आशय का प्रतिपादन इस उक्ति में भी है -

'कामं सर्वोऽप्यलंकारो रसमर्थं निश्चिन्तु ।

तथाऽप्यग्राम्यतेवेन भारं वहति भूयसा ॥'<sup>3</sup>

व्यापक अर्थ में अलंकार का प्रयोग अवोलिखित पंक्तियों में स्पष्ट देखा जा सकता है-

(1) 'काश्चिन्मार्गविभागार्थमुक्ताः प्रागप्यलंक्रियाः ।

साधारणमलंकारजातमन्यन्निरूप्यते ॥'<sup>4</sup>

(2) 'अनुकम्पाद्यतिशयो यदि कश्चिद् विवक्ष्यते ।

न दोषः पुनरुक्तोऽपि प्रत्युतेयमलंक्रिया ॥'<sup>5</sup>

1- काव्यदर्शक, 4/711

2- वही, 1/18

3- वही, 1/62

4- वही, 2/3. इस कारिका में प्रयुक्त 'काश्चिदलंक्रियाः' का अर्थ प्रायः विद्वानों ने श्लेष प्रसाद आदि 10 गुणों से लगाया है। वही समीचीन प्रतीत होता है-

(क) टीकाकार रत्नश्रीज्ञान का कथन है- 'काश्चिदलंक्रियाः केचिदलंकाराः श्लेष-प्रसादादयः, न सर्वाः, प्रागपि प्रथमे परिच्छेदेऽपि उक्ताः । × × श्लेषादिषु हि कथितेषु तत् स्वभावो वैदर्भमार्गः प्रतीयते। तद्विपर्ययस्वभावश्च गौडीय इति श्लेषाद्यलंकारवचनात् मार्गविभागो जायते ।' (काव्यलक्षण-पृ० 68)

(ख) आचार्य अभिनव-गुप्त के कथन से भी यही स्पष्ट होता है-

'दण्डिनाऽपि 'काव्यशोभाकरान् घर्मानलंकारान् प्रचक्षते 'इति श्रुता गुणमध्य एव तत्र प्रसादादिदीनभिदघता च मुञ्चालंकारविभागोऽप्यसम्भवीति सूचितम्भवति।' (अभि. भा. पृ० 295)

परन्तु काव्यादर्श के टीकाकार प्रेमचन्द्र तर्कवागीश ने यहाँ 'अलंक्रियाः' से अनुप्रास, यमक आदि का ग्रहण किया है। उनका कहना है- 'काश्चिदलंक्रियाः श्रुत्यनुप्रासश्चैकवृत्त्यनुप्रासयमक-

(श्लेष)

अलंकार, वक्रोक्ति एवं स्वभावोक्ति

अब विचार यह करना है कि दण्डी के अनुसार अलंकार, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में परस्पर क्या सम्बन्ध है। अलंकारों की गणना के प्रारम्भ में ही दण्डी 'स्वभावाख्यान' अर्थात् स्वभावोक्ति या जाति को आदि अलंकार के रूप में प्रतिपादित करते हैं —

'स्वभावाख्यानमुपमा रूपकं दीपकावृत्ती ।

× × × ×  
इति वाचामलंकारा दर्शिता पूर्वसूत्रिभिः ॥'

स्वभावोक्ति का लक्षण दण्डी ने दिया है —

'नानावर्ण्य पदार्थानां रूपं साक्षात् विवृण्वती ।

स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सति कृतिर्यथा ॥'

अर्थात् पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं वाले स्वरूप का जहाँ साक्षात् वर्णन किया जाता है वहाँ स्वभावोक्ति अथवा जाति नाम का प्रथम अलंकार होता है। पदार्थों की जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य चार उपाधियाँ होने से यह स्वभावोक्ति भी चार प्रकार की होती है।

— 'जाति स्वभावोक्ति, क्रियास्वभावोक्ति, गुणस्वभावोक्ति और द्रव्यस्वभावोक्ति' ।<sup>3</sup>

मामह का विवेचन करते समय दिखाया जा चुका है कि मामह स्वभावोक्ति को अलंकार मानने के दृष्ट में नहीं है परन्तु यदि वे उसकी अलंकारता यथाकथंचित् स्वीकार कर सकते हैं तोकेवल उपचारतः ही। दण्डी के विषय में लोगों का कहना है कि वे स्वभावोक्ति के पक्षपाती हैं। इसी लिए उन्होंने स्वभावोक्ति को वक्रोक्ति से पृथक् और प्रथम अलंकार माना।

शेषः— -रूपालंकाराः । उक्ता इति । 'यथा कयाचिच्छ्रुत्या यत्समानमनुभूयत' इत्यादिना श्रुत्यनु-  
प्रास उक्तः तथा 'वर्णावृत्तिरनुप्रास' इत्यादिना छेकवृत्त्यनुप्रासावुक्तो । आवृत्तिर्न वर्ण-  
संघातमोचरी यमकं विदुरित्यनेन यमकं च । अतो वैफल्यान्नेते पुनर्निरूपयिष्यन्त इति ।  
भावः । अन्यदेतेभ्योभिन्नम् । साधारणं गोडवैदर्भयोः समानं स्वभावाख्यानादीनां द्वयोरपि  
मार्गयोर्निवेशनीयत्वात् । श्रुत्यनुप्रासादपस्त्वसाधारणा एव गुणनिरूपणप्रकरणे ज्ञातव्याः ।  
तृतीय-परिच्छेदे यमकस्य पुनर्निरूपणन्तु प्रमेदप्रदर्शनार्थमेवेति बोध्यम् । इति  
किन्तु अहं व्याख्या समीचीन नहीं प्रतीत होती । (काव्यादर्श टीका, पृ० 100)  
5- काव्यादर्श, 3/137.

1- काव्यादर्श, 2/457

2- वही, 2/8

3- विस्तार के लिए देखें- काव्यादर्श, 2/9-13

यहाँ अवश्य यह है कि दण्डी किसी भी वक्रोक्ति अलंकार-विशेष का उल्लेख नहीं करते हैं। केवल एक ही स्थल पर उन्होने वक्रोक्ति का नामोल्लेख किया है। वह इस प्रकार है—

‘श्लेषः सर्वासु पुञ्जाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्।

भिन्नं द्विवचा स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्।।’

श्री जीवानन्दविद्यासागर ने ‘वक्रोक्तिषु’ का अर्थ ‘वचनभङ्गिरूपासु अलंकारेषु’ दिया है।<sup>2</sup> उनकी यह व्याख्या निश्चय ही यहाँ अस्पष्ट है। क्यों कि वचनभङ्गिरूप अलंकारों में स्वभावोक्ति भी आ जायगी। फिर उनकी स्वयं की व्याख्या के अनुसार तो सर्वथा वह इस के क्षेत्र के बाहर नहीं उन्होने ‘स्वभावोक्ति’ के उच्च उद्भूत लक्षण की व्याख्या करते हुए कह रखा है— ‘तथा च पदार्थानां नानावस्थस्वरूपस्य वैचित्र्येण वर्णनं स्वभावोक्तिरिति निष्कर्षः। एकरूपाया अवस्थायाः कीर्तने नायमलंकारः वैचित्र्याभावात्। वैचित्र्यस्यैवालंकारत्वादिदिसूच्यते। यथा - ‘अम्भोवमुदितं दृष्ट्वा मुदा नृत्यति बर्हिण’ इत्यत्र वस्तुस्वरूपनिरूपणेऽपि वैचित्र्या भावान्नालंकारता।’<sup>3</sup> स्पष्ट ही जीवानन्द जी का यह विवेचन दण्डी से परवर्ती आचार्यों के विवेचन से प्रभावित होने के कारण दण्डी के अभिप्राय को व्यक्त करने में असमर्थ है। वैसे वैङ्गमय का अर्थ तो बड़ा व्यापक है उसकी परिधि में शास्त्र और काव्य दोनों ही अन्तर्भूत हैं। जैसे कि राजशेखर ने कहा है— ‘इह हि वाङ्मयमुभयथा शास्त्रं कव्यम्’<sup>4</sup>। और ऐसा व्यापक अर्थ कर लेने पर शास्त्र में स्वभावोक्ति और काव्य में वक्रोक्ति की सत्ता स्वीकार कर लेने में तो किसी प्रकार का सन्देह उठेगा ही नहीं। और न भामह से दण्डी का कोई वैमत्य ही सिद्ध होगा। परन्तु ऐसा व्यापक अर्थ करने में दण्डी की यह उक्ति कुछ कठिनाई उपस्थित करती है कि—

‘शास्त्रेष्वस्यैव साम्राज्यं काव्येष्वप्येतदीक्षितम्’<sup>5</sup>।

शास्त्र में तो स्वभावोक्ति का ही साम्राज्य होता है परन्तु दण्डी को यह काव्य में भी अभीष्ट है। अतः वैङ्गमय का अर्थ यहाँ व्यापक नहीं बल्कि केवल काव्य ही है। इस दृष्टि से स्वभावोक्ति के अतिरिक्त उपमा से लेकर सौकीर्णादिपर्यन्त जितने भी अन्य अलंकार हैं सभी को वक्रोक्ति के अन्तर्गत माना जायगा। और ऐसी दशा में ही दण्डी की— ‘श्लेषः सर्वासु

1- काव्यादर्श, 2/3/3

2- काव्यादर्श-व्याख्या, जीवानन्द पृ० 211

3- वही, पृ० 69

4- का. मी., पृ० 11

5- काव्यादर्श, 2/13



पुणाति प्रायो वक्रोक्तिषु प्रियम्<sup>1</sup> उक्ति भी संगत होगी। क्यों कि उपमा,<sup>2</sup> रूपक,<sup>3</sup> दीपक,<sup>4</sup> आक्षेप,<sup>5</sup> अर्चान्तरन्यास,<sup>6</sup> व्यतिरेक<sup>7</sup> तथा व्याजस्तुति<sup>8</sup> आदि में श्लेष की अनुप्राहकता का सुस्पष्ट उल्लेख है। वे कहते हैं —

\*उपमारूपकाक्षेपव्यतिरेकादिगोचराः ।

प्रागेव दर्शिताः श्लेषा दर्शयन्ते केचनापरे<sup>8</sup> ॥\*

इस प्रकार भामह और दण्डी के वक्रोक्ति-स्वरूप में पर्य्यर्पित साम्य है । भामह भी उपमादि अलंकारों को वक्रोक्ति-रूप ही मानते हैं दण्डी भी । भामह ने रसवदादि के रूप में रसों की भी वक्रोक्ति में अन्तर्भूत किया है, दण्डी ने भी वैसा ही स्वीकार किया । अन्तर केवल इतना ही है कि दण्डी स्वभावोक्ति को अलंकार मानते हैं पर वक्रोक्ति से सर्वथा भिन्न, जब कि भामह यदि यथाकथंचित् स्वभावोक्ति का अलंकारत्व<sup>प्रान्त</sup> भी है तो वक्रोक्ति के कारण ही । परन्तु दण्डी और भामह का प्रबल विरोध उस समय सामने आता है जब भामह —

\*हेतुश्च सूक्ष्मलेशोऽथ नालंकारतया मतः ।

समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः ॥\*<sup>9</sup> कह कर हेतुवादि की अलंकारता का निषेध करते हैं और दण्डी —

\*हेतुश्च सूक्ष्मलेशो च वाचामुत्तमभूषणम्।\*<sup>10</sup> कह कर उनकी अलंकारता का प्रबल समर्थन करते हैं । ऐसा यही स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है कि भामह तथा

- 1- \*शिशिरीशुप्रतिस्पर्धि श्रीमत् सुरभिर्गन्धि च।  
अम्भोजमिव ते कत्रमिति श्लेषोपमा स्मृता ॥\* (काव्यादर्श, 2/28)
- 2- \*राजहंसोपभोगार्हं प्रमरप्रार्थसौरभम् ।  
सखि कत्राम्बुजमिदं तवेति श्लेषरूपकम् ॥\* (वही, 2/87)
- 3- \*अत्रघर्मैरभिन्नानामग्राणी दन्तिनान्तया ।  
प्रमणेनैव सम्बन्ध इति श्लेषार्थदीपकम् ॥\* (वही, 2/114)
- 4- \*इति मुख्येन्दुराक्षिप्तो मुणान् गोणेन्दुवर्तिर्तनः ।  
तत्समान् दर्शयित् वेह श्लेषाक्षेपस्तथाविधः ॥ (वही, 2/160)
- 5- अर्चान्तरन्यास के दण्डी ने आठ भेद बताए हैं जिनमें एक 'श्लेषाविद्घ' भी है—  
\*विश्वव्यापी विशेषस्यः श्लेषाविद्घो विरोधवान्।  
अयुक्तकारी युक्तात्मा युक्तायुक्तो विपर्ययः ॥ (वही, 2/170)
- 6- \*स (व्यतिरेक) एवश्लेषरूपत्वात् सश्लेष इति गृह्यताम्। (वही, 2/186)
- 7- इति श्लेषानुविद्धानामन्येषाञ्चोपलक्ष्यताम्।  
व्याजस्तुतिप्रकाराणामपर्यन्तस्तु विस्तरः ॥\* (वही, 2/347)
- 8- वही, 2/313
- 9- भामह काव्या02/86
- 10- काव्यादर्श, 2/235

दण्डी के पूर्व कुछ आचार्यों ने हेतुवादि अलंकार मान रखा था, जिसका भामह ने तो विरोध किया पर दण्डी ने समर्थन किया। भामह ने —

‘गतोऽस्तमर्कः भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः ।

इत्येवमादि किं काव्यं ?वार्तामेना प्रचक्षते।।?’कह कर ‘गतोऽस्तमर्कः’ आदि को काव्य न मानकर वार्ता कहा। पर दण्डी ने ‘इतीदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेदने।’ कह कर उसमें ज्ञापक-हेतु-अलंकार सिद्ध कर उसकी काव्यता स्वीकार की। भामह के पूर्ववर्ती आचार्यों ने हेतु आदि के क्या उदाहरण दे रखे थे इतना तो स्पष्ट नहीं, पर निश्चित रूपसे भामह की दृष्टि में वे वक्रोक्तिशून्य रहे होंगे। ‘गतोऽस्तमर्कः’ आदि पद्य हेतु के उदाहरण-रूप में ही किसी पूर्वार्च्य ने उद्धृत किया होगा। जिसमें केवल समुदाय का कथन अर्थात् एक वाक्यार्थमात्र प्रस्तुत किया जाता है, उस वाक्यार्थ को प्रस्तुत करने में कोई उक्तिवैचित्र्य

1- भामह काव्या०, 2/87

2- काव्यादर्श, 2/244

3- भट्टिकाव्य की टीका जयमंगला में भामह की ‘गतोऽस्तमर्कः’ आदि कारिका की दूसरी पंक्ति का पाठ-‘इत्येवमादिकं काव्यं वार्तामेना प्रचक्षते।’ देकर इसमें ‘वार्ता’ नामक अलंकार बताया है। अतः यही वार्ता और स्वभावोक्ति का अन्तर स्पष्ट कर उस कथन की यथार्थता का विवेचन कर देना आवश्यक है। डा० काणे (एच. एस. पी., पृ० 108) तथा डा० डे (एस. पी. वाल्यू. II, पृ० 28) यह स्वीकार करते हैं कि भामह उक्त कारिका में वार्ता नामक अलंकार की चर्चा करते हैं। डा० राघवन (एस. सी. ए. एस. पृ० 99) इसके विपरीत अपना मत व्यक्त करते हैं। वे वार्ता से आशय ‘more news’ स्वीकार करते हैं। डा० राघवन की ही बात समीचीन प्रतीत होती है। वस्तुतः जयमंगला में जैसा पाठ उद्धृत है वह काव्यालंकार के किसी भी संस्करण में उपलब्ध नहीं होता। दूसरी बात भामह हेतु, सूक्ष्म और लेश की अलंकारता का खण्डन करते हुए तुरन्त इसे कहते हैं कि यह क्या काव्य है? इसे तो वार्ता कहते हैं। वार्ता प्रस्तुतः किसी भामह एवं दण्डी से पूर्ववर्ती आचार्य ने इसे हेतु के उदाहरणरूप में प्रस्तुत किया था। अतः उसी का खण्डन यही भामह ने किया है। उन्होने केवल हेतु का ही एक उदाहरण देकर उसे ‘वार्ता’ साधारण बातचीत कह कर उसकी काव्यता का निराकरण कर दिया। इससे यह भी अभिव्यक्त कर दिया कि जैसे यह हेतु का उदाहरण काव्य नहीं है वैसे ही सूक्ष्म और लेश के भी उदाहरण काव्य नहीं है। और यदि भामह तथा दण्डी के पूर्व कोई भी वार्ता नामक अलंकार स्वीकृत होता तो दण्डी इसे कदापि हेतु के ही उदाहरणरूप में उद्धृत कर इसके समर्थन में - ‘इतीदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेदने’ न कहते बल्कि अलग से वार्ता नामक

नहीं। समुदायार्थ से शून्य होने पर दण्डी ने भी उसे अपार्थ-बोध से युक्त बताया है —  
 'समुदायार्थशून्यं यत्तदपार्थमितीभ्यते'<sup>1</sup>। इसी लिए भामह ने हेतु के उदाहरण 'गतोऽस्तमर्कः'  
 आदि को वार्ता कहा, अलंकारहीन होने से काव्य नहीं कहा। क्यों कि वार्ता भी तो  
 अपार्थ नहीं होनी चाहिए। वास्तव में दण्डी स्वभाववर्णन को अलंकार-रूप में, काव्य के  
 शोभाघायक तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित तो करना चाहते हैं पर वक्रोक्ति का उन पर इतना  
 अधिक प्रभाव है कि उसकी प्रतिष्ठा करने में उनके अनेक कथन परस्पर विरोधी दिखाई  
 पड़ते हैं। एक ओर अतिशयोक्ति-अलंकार के विषय में वे कहते हैं कि वह सभी अलंकारों  
 में श्रेष्ठ है, समस्त अन्य अलंकारों का अद्वितीय परायण है, आश्रय है, यह अतिशयोक्ति  
 लोकसीमानुवर्तिनी<sup>2</sup> होती है। दूसरी ओर कान्ति-गुण का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं —

'लोकातीत इवात्यर्थमध्यारोप्य विवक्षितः ।

योऽर्थस्तेनातितुष्यन्ति विदग्धा नेतरे जनाः ॥'<sup>3</sup> तथा

'इदमत् युक्तिरित्युमेतद्गोडोपलालितम् ।

प्रश्नान् प्राक्प्रणीतन्तु सारमन्यस्यवर्त्मनः ॥'<sup>4</sup>

यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि काव्यान्वयानुभूति रसिकों, सहृदयों, काव्यमर्मज्ञों अथवा  
 विदग्धों को ही होती है, काव्य सर्वसाधारण के लिए नहीं होता। जैसा कि ध्वनिम्बर  
 आनन्दवर्धन ने कहा है कि जौहरी ही रत्नों के तत्त्व को जानने वाले तथा सहृदय ही

**शेष —** अलंकार का प्रतिपादन कर उसके उदाहरण-रूप में इसे उद्धृत करते। इसी लिए

दण्डी जहाँ कान्त-गुण का क्षेत्र बताते हुए कहते हैं कि - 'तच्च वार्ताभिधानेषु  
 वर्णनास्वपि दृश्यते' वहाँ भी वार्ता<sup>का आशय लौकिक उपचारवचन यो 'mere news' ही है वार्ता</sup> अलंकार नहीं। दण्डी के इस कथन की बड़ी  
 ही स्पष्ट व्याख्या करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है कि —

तत्रोपचारवचनं वार्ता - यथा

एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम् ।

ब्रूत येनात्रवः कार्यमनास्ते बाह्यवस्तुषु ॥ (कु. सी. 6/63)

(काव्यानुशासन, पृ० 200) (काव्यमाला)

अतः केवल जयमंगला के कथनानुसार भामह और दण्डी की इन उक्तियों में वार्ता  
 नामक अलंकार की उद्भावना करना व्यर्थ ही प्रतीत होता है।

1- काव्यादर्श' 3/128.

2- विवक्षा या विशेषस्य लोकसीमातिवर्तिनी ।

अस्सावतिशयोक्तिः स्यादलंकारोत्तमा यथा ॥' (2/214)<sup>काव्यादर्श</sup>

अलंकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम् ।

वागीशमहिताभुक्तिमिमतिशयाह्वयाम् ॥' (2/220)<sup>काव्यादर्श</sup>

3- वही, 1/89

4- वही' 1/92

काव्यो के रसज्ञ होते हैं इसमें किसी की विप्रतिपत्ति नहीं है—'वैकटिका एव हि रत्नतत्त्व-  
विदः, सहृदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः ?' इस बात की सम्मति  
स्वयं दण्डी भी देते हैं —

'न्यूनमप्यत्र यैः कैश्चिदङ्गैः काव्यं न दुष्यति ।

यद्युपात्तेषु सम्पत्तिराराधयति तद्विदः ॥'<sup>2</sup>

तथा — 'तदस्ततन्त्रैरनिशं सरस्वती श्रमादुपास्या खलुकीर्त्तिमीप्सुभिः ।

कृशे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमाः विदग्धगोष्ठीषु विहर्तुमीशते ॥'<sup>3</sup>

इस प्रकार यह स्वीकार करते हुए भी कि काव्य विदग्धों के लिए होता है उन्हें साधारण  
जनो के स्तर पर उतर आना पड़ता है जब वे स्वभावोक्ति या कान्तगुण की बात करते  
हैं । स्वभावोक्ति के विषय में जब वे कहते हैं —

'शास्त्रेष्वस्यैव साम्राज्यं काव्येष्वप्येतद्विषयतम् ।' ऐसा लगता है मानो काव्य में इसकी  
अभीष्टता बताते हुए डर रहे हैं<sup>4</sup> । इसी तरह जब कान्त का लक्षण करते हैं —

'कान्तं सर्वजगत्कान्तं लौकिकार्थानतिक्रमात् ।' तो यह सोच कर कि विदग्धजन कहीं  
उपहास न कर बैठे तुरन्त कह देते हैं —

'तच्च वात्तीभिधानेषु वर्णनास्वापि दृश्यते ।'<sup>7</sup>

इस प्रकार दण्डी तथा भामह का विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि  
जिस युग में इन दोनों आचार्यों का आविर्भाव हुआ उस समय काव्य क्षेत्र में वक्रोक्ति का  
बोलबाला था । भामह तो पूर्णतया वक्रोक्ति के ही समर्थक रहे । दण्डी ने उससे केवल  
विदग्ध जनो के ही तोष आदि की बात कही और स्वभावोक्ति को भी अलंकार-कोटि में  
प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया । इसी लिए जब वे अतिशयोक्ति की समस्त अलंकारों में

1- धन्या०, पृ० 519

2- काव्यदर्श 1/20

3- काव्यदर्श, 1/105

4- वही, 2/13

5- इसी लिए सम्भवतः डा० राघवन को इसकी संगति लगानेके लिए यही इसे शिथिल  
प्रयोग कहना पड़ा— "Gandhin uses the word 'svabhāvokti' or 'jati'  
loosely when he says—

'शास्त्रेष्वस्यैव साम्राज्यम्' - he refers here to 'Vārtā' only."

6- काव्यदर्श 1/85

- Some Concepts - (p. 96)

7- वही, 1/85

अद्वितीय आश्रयता की बात कह कर वाङ्मय को स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति दो भागों में विभाजित करते हैं तो स्वतः वदतोव्याघात दोष भूलक पड़ता है। उन्होने यदि इतने जोरदार शब्दों में कि —

'कोऽलंकारोऽनया विना' नहीं कहा फिर भी उन्हें इतना तो कहना ही पड़ा कि—

'अलंकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम् ?

वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाद्भवयाम् ।।'

जिस अतिशयोक्ति को दण्डी ने यहाँ अन्य अलंकारों का अद्वितीय परायण बताया है वह निश्चय ही भामह की वक्रोक्ति से अभिन्न है। और इस दृष्टि से जब डा० रायचन ड० डे का खण्डन करते हुए यह कहते हैं कि स्वभावोक्ति को <sup>दण्डी ने</sup> प्रथम अलंकार इस लिए कहा कि उसमें वक्रता अत्यल्प मात्रा में या सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है, तो इनका कुन्तक के कथन से भेद कैसे रहा ? अथवा जैसा कि पहले भामह का स्वभावोक्ति के विषय में अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि भामह पहले तो स्वभावोक्ति को अलंकार मानते नहीं और यदि अथाकथञ्चित् उसका अलंकारत्व स्वीकार करते भी हैं तो वक्रता के ही कारण उपचार से, 'उसमें कोई भेद नहीं रह जाता' <sup>2</sup>। क्योंकि वक्रोक्तिवादी आचार्यों को तो यही अभिप्रेत है कि अलंकार विना वक्रोक्ति के असम्भव है, अतः यदि स्वभावोक्ति को भी, वक्रता के कारण ही सही, अलंकार कहने मात्र का आग्रह, है तो कोई हर्ज़ नहीं।

1- काव्यादर्श, 2/26 2/220

2- "Nor is the attribute 'आद्या अलंकारिताः' applied by Dandin to Svabhāvokti a sign of his partiality for it. The attribute only means that in the field of poetic expression where Vakrokti rises gradually Svabhāvokti stands first or at the bottom involving least Vakratā, it is the starting point, the ground for Vakrokti to come into further play."

— Some Concepts — (P. 102)

## आचार्य उद्भट एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त

आचार्य उद्भट के विषय में विभिन्न संस्कृत-ग्रन्थों में किए गए उल्लेख से यह पता चलता है कि उन्होंने 'काव्यालंकारसारसंग्रह' के अतिरिक्त भामह के 'काव्यालंकार' पर 'भामह-विवरण' नामक व्याख्या भी लिखी थी। उद्भट का यह ग्रन्थ आज अनुपलब्ध है, अन्यथा निश्चित रूप से उनके वक्रोक्ति-विषयक अभिमत का निरूपण किया जा सकता था। भामह ने तो वक्रोक्ति का अनेकशः उल्लेख किया ही, वण्डी ने भी उसे एकही स्थान पर सही, उसका प्रयोग किया, जिससे कि उनका मन्तव्य स्पष्ट रहा। परन्तु बड़े ही आश्चर्य की बात तो यह है कि भामह के ही ग्रन्थ पर भाष्य लिखने वाले उद्भट विद्वान् उद्भट ने अपने ग्रन्थ 'काव्यालंकारसारसंग्रह' में कहीं भी वक्रोक्ति की चर्चा नहीं की। अलंकार का स्वरूप क्या है ? यह भी उन्होंने कहीं नहीं बताया। केवल छः वर्गों में प्रत्येक के प्रारम्भ में कुछ अलंकारों के समूहों का उल्लेख कर तदनन्तर उनके लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। प्रथम वर्ग में आठ, द्वितीय में छः, तृतीय में तीन, चतुर्थ में सात, पंचम में ग्यारह और षष्ठ में छः, इस प्रकार 41 अलंकारों का विवेचन है। 'का०सा०सी०' में उद्भट ने प्रायशः भामह द्वारा स्वीकृत अलंकारों का ही विवेचन किया है, यहाँ तक कि क्रमसाम्य भी बहुत है। परन्तु परिवर्तन इस प्रकार है— भामह द्वारा उल्लिखित 1- यमक 2- उपमारूपक 3- उत्प्रेक्षा-वयव तथा 4- आशीः— चार अलंकारों का उद्भट उल्लेख नहीं करते। इसके अतिरिक्त वे भामह द्वारा अनुल्लिखित 1- पुनरुक्तवदाभास 2- छेकानुप्रास 3- लाटानुप्रास 4- सङ्कर 5- काव्य-दृष्टान्त तथा 6- काव्यलिङ्ग—अन्य छः अलंकारों का अधिक उल्लेख करते हैं।

### अलंकारस्वरूप

उद्भट के अलंकार का स्वरूप क्या था ? यह तो 'का. सा. सी.' में सुस्पष्ट ढंग से उल्लिखित नहीं है। परन्तु उनके विषय में अन्यत्र उपलब्ध उल्लेखों से उनके द्वारा अभिमत जो अलंकार-स्वरूप सामने आता है वह कुछ इस प्रकार का है। वण्डी और भामह की भाँति उद्भट ने भी अलंकार को काव्य के शोभाघायक तत्त्व<sup>के</sup> रूप में स्वीकार किया था। उनके अलंकार का स्वरूप भी बहुत ही व्यापक था। जिसमें रस, गुण आदि अन्य तत्त्व अन्तर्भूत थे। रस की अलंकारता तो उद्भट के रसालंकार के स्वरूप से सुस्पष्ट ही है। वे कहते हैं —

'रसवद्दर्शितस्य षट्शृंगारादिरसोदयम् ।  
स्वशब्दस्यापि रसविभावाभिनयास्यदम् ।।'

रही गुणों की बात, वह मुख्यक के अधोलिखित कथन से अत्यन्त स्पष्ट है -

'उद्भटादिभिस्तु गुणालंकाराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितम् ।

विषयमात्रेण भेदप्रतिपादनात्। सङ्घटना धर्मत्वेन चेष्टः ॥'

अर्थात् उद्भट आदि की दृष्टि में गुणा और अलंकार समान ही थे । इतना ही नहीं उनमें भेद करना उनकी दृष्टि में गड्डलिकाप्रवाह या भेड़चाल थी । मम्मट ने उनका मत उद्धृत किया है -

'समवायकृत्या शौर्यादयः संयोगकृत्या तु हारादय इत्यस्तुगुणालंकाराणां भेदः, ओजः-  
प्रभृतीनामनुप्रासोमादीनञ्चोभयेषामपि समवायकृत्या स्थितिरिति गड्डलिकाप्रवाहेनैवैषां भेदः'

अर्थात् यदि हम मनुष्यों के शौर्यादि गुणों और हारादि अलंकारों में भेद करें तो वह ठीक है क्यों कि शौर्यादि गुण आत्मा में समवाय-सम्बन्ध से तथा हारादि अलंकार संयोग-सम्बन्ध से विद्यमान रहते हैं । परन्तु काव्य में गुणों और अलंकारों का भेद करना एक अन्यायपूर्ण ही है क्यों कि यही ओजस् इत्यादि गुण तथा अनुप्रासादि अलंकार उभय ही समवाय-सम्बन्ध से विद्यमान रहते हैं ।

अतः अलंकार के व्यापक स्वरूप के दृष्टिकोण से उद्भट भी भामह व दण्डी के साथ हैं । इनके भी अलंकार की परिधि में रस, गुण आदि अन्य तत्त्व अन्तर्भूत हैं ।

### वक्रोक्ति, अलंकार और स्वभावोक्ति

अब प्रश्न सामने आता है कि वक्रोक्ति, अलंकार और स्वभावोक्ति का कैसा सम्बन्ध भट्टोद्भट ने प्रतिपादित किया था ? भामह ने तो सुस्पष्ट ही स्वभावोक्ति की अलंकारता स्वीकार करने में अपनी असहमति दिखायी । दण्डी ने सबल शब्दों में उसे स्वीकार किया । परन्तु उद्भट जिस ढंग से स्वभावोक्ति को प्रस्तुत करते हैं उससे यही प्रतीति होती है कि स्वभावोक्ति की अलंकारता उन्हें भी स्वीकार है । उन्होंने व्यापार में प्रवृत्त बाल-मृगादिकों के, उनकी जाति के अनुरूप, अभिनिवेश-विशेषों के उपनिबन्धन को स्वभावोक्ति कहा है । उनका लक्षण है -

'क्रियायां सम्प्रवृत्तस्य हेवाकानां निबन्धनम् ।

कस्यचिद् मृगादिभ्योः स्वभावोक्तिरुदाहृता ॥' 3

1- अलं. स. पृ० 9

2- का. प्र., पृ० ३४९

3- का. सा. सं. पृ० 49

निश्चय ही उद्भट ने 'स्वभावोक्ति' का क्षेत्र भामह व दण्डी की अपेक्षा संकुचित किया है। क्यों कि जहाँ दण्डी ने 'पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं वाले रूप' के साक्षात् वर्णन को 'तथा भामह ने' पदार्थों की तदवस्थता के वर्णन को 'स्वभावोक्ति' कह कर इसके क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत बताया था वहाँ उद्भट ने केवल 'व्यापार में प्रवृत्त बाल-मृगादिकों के समुचित अभिनिवेश-विशेषों के वर्णन को स्वभावोक्ति कहा है। उद्भट के टीकाकार राजानक तिलक ने इसी कारण इसकी अलंकारता ही स्वीकार की। उनका कहना है —

'व्यापारप्रवृत्तस्य बालमृगादेः समुचितहेवाकनिबन्धनं स्वभावोक्तिः न तु स्वभावमात्र-  
कथनम् ।'

जब कि दूसरे टीकाकार प्रतीहारन्दुराज ने पदार्थों के असाधारण स्वरूप के ध्वनित होने के कारण अलंकारता मानी — 'तस्याश्चालंकारत्वमसाधारणपदार्थस्वरूपध्वननात्'।

अब रही वक्रोक्ति की बात, उसका इन्होंने कहीं नाम लिया ही नहीं, और न दण्डी की भाँति अतिशयोक्ति कोही समस्त अन्य अलंकारों के अतिवृत्त परायण-रूप में प्रतिष्ठित किया, अतः दण्डी में जो वदतोव्याघात दोष आ गया था उससे तो ये बचे रहे। परन्तु पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत तथा भामह द्वारा अस्वीकृत हेतु, सूक्ष्म, श्लेष तथा आशीः अलंकार का वर्णन किस कारण इन्होंने नहीं किया, कुछ स्पष्ट नहीं। साथ ही भामह के क्रमानुसार ही अलंकारों का वर्णन करते हुए इन्होंने यमक, उपमा-रूपक और उत्प्रेक्षावयव का तिरस्कार किस आधार पर किया जब कि भामह ने इन्हें स्वीकार किया था। और जब कि उद्भट छेकानुप्रास व लाटानुप्रास को अनुप्रास से पृथक् अलंकार-रूप में वर्णित करते हैं तथा भामह द्वारा उपमा के भेद-रूप में वर्णित प्रतिवस्तुपमा को स्वतंत्र अलंकार के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। अतः यह तर्क तो दिया ही नहीं जा सकता कि उत्प्रेक्षावयव को इन्होंने उत्प्रेक्षा में तथा उपमारूपक को रूपक अथवा उपमा में अन्तर्भूत कर लिया होगा। साथ ही यमक जैसे अलंकार का जिसका कि वर्णन आचार्य भरत से लेकर प्रायः बाद के सभी आचार्यों ने किया है उद्भट ने नाम ही नहीं लिया। इन सभी शंकाओं का उत्तर सप्त शायद 'भामह-विवरण' के उपलब्ध होने पर दिया जा सकता। सम्भव है कि भामहालंकार की व्याख्या करते हुए उद्भट ने हेत्वादि की

1- तिलक, पृ० 31

2- लघुवृत्ति, पृ० 49



अलंकारता का खण्डन भामह के अनुसार ही किया हो । उसमें किसी भी प्रकार की विप्रतिपत्ति न दिखाई हो । साथ ही भामह द्वारा परिगणित जिन अलंकारों का इन्होंने उल्लेख नहीं किया उनकी अलंकारता का वही खण्डन कर चुके हो । अतः पुनः पिष्टपेषण उचित न समझा होगा ।

अब रही वक्रोक्ति की बात, वह तो उद्भट के प्रकृत ग्रन्थ में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं है। हाँ, इनके टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज ने केवल दो स्थलों पर 'वक्रमणिति' का प्रयोग किया है। इतना तो सुनिश्चित ही है कि प्रतीहारेन्दुराज के सामने उद्भट का 'भामह-विवरण' विद्यमान था । अतः इनकी वक्रोक्ति-विषयक धारणा से वे अवश्य ही परिचित रहे होंगे । यही जो कुछ भी उद्भट के विषय में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है वह इसी बात को स्वीकार कर कि निश्चय ही प्रतीहारेन्दुराज ने उद्भट के 'भामहविवरण' का सम्यक् अध्ययन कर उनके अलंकारों की व्याख्या उनके मन्तव्यों के अनुसार ही प्रकृत ग्रन्थ में प्रस्तुत की होगी । जिन उद्घरणों के बल पर उद्भट की वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति-विषयक धारणा की कल्पना प्रस्तुत की जा रही है उसमें निश्चित रूप से इन्दुराज द्वारा उद्भावित उद्भट-विरोधी कोई सिद्धान्त नहीं प्रतीत होता । वस्तुतः उद्भट ने भी किसी अलंकार का अलंकारत्व वक्रोक्ति के कारण ही स्वीकार किया था । सङ्कोक्ति की अलंकारता का प्रतिपादन करते हुए इन्दुराज ने दिखाया है कि जिस समय 'सह' आदि शब्दों के द्वारा भिन्न आश्रयगत क्रियाओं की तुल्यकालता द्योतित होती है उस समय दो स्थितियाँ सम्भव होती हैं । पहली स्थिति तो वह होती है जहाँ जिन क्रियाओं की तुल्यकालता होती है वे समान रूप से अपने-अपने आश्रयों में विश्रान्त होती हैं, जैसे 'देवदत्त और यज्ञदत्त साथ भोजन करते हैं। 'देवदत्त यज्ञदत्तौ सह भुञ्जते' इस वाक्य में । और दूसरी स्थिति वह होती है जहाँ क्रिया एक ही आश्रय में विश्रान्त हो जाती है किन्तु 'सह' इत्यादि अर्थों की पर्यालोचना करने से अन्य आश्रय का भी क्रिया से सम्बन्ध द्योतित होता है, जैसे 'देवदत्त यज्ञदत्त के साथ भोजन कर रहा है। 'देवदत्तौ यज्ञदत्तेन सह भुङ्क्ते' । इस वाक्य में इन्दुराज ने इसी दूसरी स्थिति की अलंकारता स्वीकार की है क्योंकि इसमें वक्रोक्ति का सद्भाव होता है -

'तत्रैह द्वितीया गतिराश्रीयते शाब्देन रूपेणैकत्र क्रियासम्बन्धस्य प्रतीतस्यापरत्रार्थेन रूपेणोन्नीयमानत्वेन वक्रमणितेः सद्भावात्। सर्वविधस्य यत्रैव शोभातिशयविधायित्वं तत्रैव सहाक्तेरलंकारता न सर्वत्रैति द्रष्टव्यम् ।'<sup>1</sup>

इन्दुराज का यह कथन भामह के 'सैषा सर्वैव वक्रोक्तिः' इत्यादि कथन के विषय में उद्भट की प्रायेण सहमति को ही व्यक्त करता है। <sup>अलंकार का अलंकारत्व वक्रोक्ति के सरभाव में ही है,</sup> अन्यथा नहीं। वक्रोक्ति के द्वारा ही शोभातिशयविधायित्व (अथवा भामह के शब्दों में अर्थ का विभावन) सम्भव है।

इसी तरह आक्षेप की अलंकारता भी इन्दुराज ने साफ शब्दों में वक्रोक्ति के कारण ही मानी है। आक्षेपालंकार वहाँ होता है जहाँ वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करने की इच्छा से अभीष्ट का प्रतिषेध सा किया जाता है। वस्तुतः अभीष्ट का निषेध नहीं किया जाता बल्कि निषेध 'सा' किया जाता है उसी निषेध के द्वारा और ~~भी~~ भी विशिष्ट रूप से उस अभीष्ट का प्रतिपादन कर दिया जाता है। यही तो वक्रता है और इसी से आक्षेप का अलंकारत्व है। इन्दुराज का कथन है —

'इह काचिद् वक्रमणितिस्तथाविधा सम्भवति यस्यां विधित्सन्तोऽर्थो निषेधव्याजेन सीकृत्यते न तु निषिध्यते।' <sup>2</sup>

अतः निष्कर्ष सामने आता है कि उद्भट ने भी भामह की ही भाँति वक्रोक्ति को समस्त अलंकारों का प्राण स्वीकार किया होगा। विना वक्रोक्ति के अलंकारत्व उनकी दृष्टि में भी असम्भव रहा होगा।

परन्तु एक प्रश्न सामने अनायास ही उठ खड़ा होता है, वह यह कि उद्भट ने स्वभावोक्ति की अलंकारता फिर कैसे स्वीकार की? यदि 'भामह-विवरण' उपलब्ध होता तो शायद इसका उत्तर अधिक सन्तोषजनक रूप में दिया जा सकता। परन्तु उसके अभाव में, उद्भट के स्वभावोक्ति के लक्षण और टीकाकारों के विवेचन को ध्यान में रखते हुए यही उत्तर दिया जा सकता है कि उद्भट ने स्वभावोक्ति की अलंकारता भी वक्रोक्ति के कारण ही मानी थी। जहाँ दण्डी, भामह आदि पूर्ववर्ती आचार्य यथातथा स्वभाववर्णन को अलंकार मान बैठे थे वहाँ उद्भट ने उसके विशाल क्षेत्र को

1- लघुवृत्ति, पृ० 73

2- वही, पृ० 31

3- इस अध्याय में जहाँ कहीं भी भामह के स्वभावोक्ति अलंकार के स्वरूप की चर्चा की गई है उसका आशय यह कदापि नहीं है कि भामह को स्वभावोक्ति अलंकार मान्य था। वस्तुतः भामह ने अपने पूर्वाचार्यों के स्वभावोक्ति के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। पर उन पूर्वाचार्यों का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण यही उन्हीं पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत स्वभावोक्ति को 'भामह की स्वभावोक्ति' कहा है। उसका आशय केवल इतना है कि स्वभावोक्ति का जो स्वरूप भामह के समय तक प्रतिपादित किया गया था वह स्वरूप, और इससे अधिक कुछ नहीं।

इयत्ता से अवच्छिन्न कर केवत् क्रिया मे सम्प्रवृत्त बाल मृगादिको के (वैचित्र्यजनक) अभिनिवेशविशेषो के वर्णन-रूप मे स्वभावोक्ति अलंकार माना । और इसी कारण राजानक तिलक को यह कहने का मौका मिला कि —

'व्यापारप्रवृत्तस्य बालमृगा<sup>देः</sup> समुचितहेवाकनिबन्धनं स्वभावोक्तिर्नतु स्वभावमात्रकथनम् ।'

तिलक का 'समुचित' पद से आशय वैचित्र्यजनक से ही है। क्यों कि यदि अनुचित का वर्णन किया जायगा तो वह वैचित्र्य जनक होने के कारण सहृदयो को आह्लादित करने में समर्थ नहीं हो सकेगा । प्रतीहारेन्दुराज ने भी स्वभावोक्ति की अलंकारता पदार्थ के असाधारण स्वरूप के छनित होने के कारण स्वीकार की जो कि वक्रोक्ति के द्वारा ही सम्भव है क्योंकि साधारण स्वरूप का कथन तो सामान्य अथवा साधारण उक्ति के द्वारा सम्भव हो सकता है, लेकिन असाधारण स्वरूप का छनन तो असाधारण उक्ति ही कर सकती है और वह असाधारण उक्ति जो वस्तु को असाधारण स्वरूप को छनित करने में समर्थ होगी निश्चय ही वक्रोक्ति होगी । आचार्य का 'छननात्' पद का प्रयोग इसकी प्रबल पुष्टि करता है। सामान्य उक्ति के लिए 'कथनात्' इत्यादि का प्रयोग किया होता । उनका कथन है -

'तस्याश्चालंकारत् वमसाधारणपदार्थस्वरूपछननात्<sup>2</sup>'

अतः कहा जा सकता है कि 'स्वभावोक्ति' की अलंकारता को स्वीकार करते हुए भी उद्भट मामड के ही अधिक निकट है। वण्डी के नहीं । वण्डी स्वभावोक्ति को वक्रोक्ति से सर्वथा पृथक् स्वीकार करते हैं जब कि उद्भट स्वभावोक्ति का अन्तर्भाव भी वक्रोक्ति में ही कर लेते हैं । स्वभावोक्ति की अलंकारता वक्रता के कारण ही है ।

### (1) आचार्य वामन एवं वक्रोक्ति-सिद्धान्त

आचार्य उद्भट एवं वामन को प्रायः विद्वानो ने समसामयिक स्वीकार किया है। वामन का अलंकारशास्त्रसम्बन्धी एक मात्र ग्रन्थ 'काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' है। अपने ही सूत्रों पर स्वयं वामन की वृत्ति है, जिसमें उदाहरण विभिन्न ग्रन्थों से संगृहीत है।

1- तिलक, पृ० ३।

2- लघुवृत्ति, पृ० 49

अभी तक - मने यह देखा कि भामह, दण्डी एवं उद्भट ने अलंकारशब्द का एक व्यापक अर्थ में ही प्रयोग किया था। यद्यपि भामह और उद्भट ने दण्डी की भाँति 'काव्यशोभाकारान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते' जैसा सुस्पष्ट उल्लेख नहीं किया फिर भी उनके विवेचन का यही सारांश है, यह स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार स्पष्ट रूप में अलंकार शब्द का प्रयोग इन आचार्यों ने काव्यसौन्दर्य के साधनरूप में ही किया है। परन्तु वामन ऐसे प्रथम आलंकारिक हैं जिनो ने अलंकार शब्द का दो भिन्न अर्थों में स्पष्ट प्रयोग किया। वामन के अलंकार शब्द का एक तो अत्यन्त व्यापक अर्थ है जो कि समग्र 'काव्यसौन्दर्य' का वाचक है, वह साध्य रूप है। और उसका दूसरा अर्थ, जिसे कि पहले अर्थ की अपेक्षा संकीर्ण कहा जा सकता है वह, है काव्यसौन्दर्य के साधनभूत उपमा आदि अलंकार। वस्तुतः वामन का यह संकीर्ण अलंकार-स्वरूप भामह, दण्डी आदि के व्यापक अलंकार-स्वरूप को ही प्रस्तुत करता है। यद्यपि भामह तथा दण्डी में भी कुछ स्थलों पर वामन के अत्यन्त व्यापक अलंकारस्वरूप की ओर संकेत प्राप्त होता है पर वह वामन जैसा सुस्पष्ट नहीं है। उदाहरणार्थ भामह जब 'वाचां वद्वार्यशब्दोक्तिरलंकारायकल्पते' या कि 'कोऽलंकारोऽनया बिना' कहते हैं तो वहाँ 'अलंकार' शब्द से उक्त साध्य रूप अलंकार का संकेत ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार दण्डी के 'न दोषः पुनस्ततोऽपि प्रत्युतेयमलंक्रिया' आदि कथन में अलंक्रिय शब्द से भी उसी साध्य रूप की ओर संकेत स्वीकार किया जा सकता है। अस्तु, वामन का कथन है —

'सौन्दर्यमलंकारः । अलंकृतिरलंकारः । करणव्युत्पत्त्या पुनरलंकारशब्दोऽयमुपमादिषु वर्तते । वामन के अनुसार काव्य की ग्राह्यता अलंकार से ही है। 'काव्यं ग्राह्यमलंकारात्' निश्चय ही ऐसा कहने में वामन, भामह और कुन्तक के साथ है। वस्तुतः वामन की दृष्टि में यदि काव्य शब्द का प्रयोग केवल शब्द और अर्थ के लिए किया जाता है तो उपचारतः ही। मुख्यतः तो गुणों एवं अलंकारों से संस्कृत ही शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। वामन का यह कथन निश्चय ही कुन्तक के इस कथन से पूर्ण साम्य प्रस्तुत करता है—<sup>4</sup>

'तत्त्वं सारलंकारस्य काव्यता ।।'

वामन का संकीर्ण अर्थ में प्रयुक्त होने वाला अलंकार शब्द ठीक वही अर्थ रखता जो कि भामह का 'वक्रोक्ति' शब्द तथा दण्डी का 'अलंकार' शब्द, क्योंकि जिस प्रकार से भामह के वक्रोक्ति एवं दण्डी के अलंकार में गुण, रस तथा उपमादि अलंकार अन्तर्भूत हैं वैसे ही वामन के इस संकीर्ण अर्थ में प्रयुक्त अलंकार शब्द में हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह व्यापक साध्य रूप अलंकार दोषों के परित्याग तथा गुणों एवं अलंकारों के ग्रहण करने से

1- का. सू. वृ. 1/1/2 तथा वृत्त

2- वही, 1/1/1

3- 'काव्य शब्दोऽसौ गुणालंकारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते ।

भक्त्या तु शब्दार्थमोत्रवचनोऽत्र गृह्यते ।' का०सू० 1/1/1 पर वृत्ति

4- व. जी. 1/6

कवियों द्वारा सम्पादनीय होता है - 'स दोषगुणालंकारहानादानाभ्याम् । स खल्व-  
लंकारो दोषहानात् गुणालंकारादानाच्च सम्पादयः कवेः ।' इससे स्पष्ट हो जाता है कि वामन  
के संकीर्ण अलंकार में ही श्लेष आदि गुण तथा उपमा आदि अलंकार सभी अन्तर्भूत  
हैं। कोई यह कह सकता है कि यही वामन ने गुणों और अलंकारों की चर्चा तो की  
पर रसों का कोई उल्लेख ही नहीं किया अतः रस निश्चय ही अलंकार-कोटि से बाहर  
हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं। दण्डी, भामह तथा उद्भट ने रसों को रसवदलंकार  
में अन्तर्भूत किया था। परन्तु वामन ने कोई रसवत् नाम का अलंकार तो माना नहीं  
अतः उन्होने रसों का अन्तर्भाव 'कान्ति' नामक अर्थ-गुण में किया है। उनका कहना  
है —

'दीप्तरसत्वं कान्तिः । दीप्ताः रसाः शृंगारादयो यस्य स दीप्तरसः, तस्य भावो  
दीप्तरसत्वं कान्तिः ।'<sup>2</sup>

वस्तुतः भामह तथा उद्भट ने रसों, गुणों एवं अलंकारों को समान प्राधान्य दिया  
था। उनकी दृष्टि में जो महत्व रसों एवं गुणों का था वही महत्व अलंकारों का भी था।  
यही कारण है कि कुन्तक को उनके इस मन्तव्य की आलोचना करनी पड़ी<sup>3</sup>। दण्डी  
ने अन्य अलंकारों की अपेक्षा गुणों का कुछ वैशिष्ट्य तो प्रतिपादित किया साथ ही  
माधुर्य गुण के साथ रसों का सम्बन्ध जोड़ कर रसों का भी अलंकारों की अपेक्षा वैशिष्ट्य  
दिखाया, परन्तु रसों अथवा गुणों को वह प्राधान्य न दे सके जो कि वामन ने दिया।  
वामन की दृष्टि में गुण काव्यशोभा के उत्पन्न करने वाले धर्म होने के कारण नित्य  
होते हैं। जबकि उपमादिक उस काव्यशोभा के अतिशय के हेतु होने के कारण अनित्य  
होते हैं। काव्यशोभा यमक, उपमा आदि अलंकारों का अभाव होने पर भी गुणों का  
ही सद्भाव होने से विद्यमान रहती है, परन्तु यदि गुणों का अभाव रहा तो लाख  
यमकादि के विद्यमान रहने पर भी काव्यशोभा नहीं आ सकती। यही गुणों का  
अलंकारों से व्यतिरेक है<sup>4</sup>। उन्होने गुणों एवं अलंकारों का भेद दिखाते हुए जिन दो  
श्लोकों को उद्धृत किया है वे इस प्रकार हैं —

1- का. सू. वृ. 1/1/3 तथा वृत्ति

2- वही, 3/2/15 तथा वृत्ति

3- देखें व. जी. रसवदलंकार का विवेचन

4- देखें का. सू. वृ. 3/1/1-3 तथा वृत्ति

'युवतैरिव स्समङ्गः । काव्यं स्वदत्ते शुद्धगुणं तदप्यतीव ।

विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलंकारविकल्पकल्पनाभिः ।

यदि भवति वचश्च्युतं गुणेश्चो वपुरिव यौवनवन्ध्यमङ्गनायाः ।

अपि जनदयितानि दुर्मगत्वं निश्चितमलंकारानि संश्रयन्ते ॥'

साथ ही 'कान्तिगुण'के अन्तर्गत 'रसो'का अन्तर्भाव करते हुए उन्हें यमक उपमा आदि अलंकारों की कोटि से बहुत ऊँचे स्थापित किया है। इतना होते हुए भी वामन अलङ्कार और अलङ्कार का अपेक्षातः बुद्धि से विवेचन करते में सफल नहीं हो सके।  
वक्रोक्ति एक अर्थालंकार-विशेष

अभी तक हमने यह देखा कि भामह व दण्डी ने वक्रोक्ति का प्रयोग अलंकारसामान्य के लिए ही किया था। उद्भट की भी वही मान्यता रही। परन्तु वामन ने इस मन्तव्य के विषय में क्रान्ति पैदा कर दी। भामह आदि द्वारा स्वीकृत वक्रोक्ति के अर्थ में तो उन्होने अलंकार शब्द का प्रयोग किया, वही तक तो ठीक था। परन्तु वक्रोक्ति को इन्होने एक दम संकीर्ण कर दिया एक अर्थालंकार-विशेष के रूप में प्रतिपादित कर। इनका लक्षण है -

'सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः'<sup>2</sup>

लक्षणा के बहुत से निमित्त बताये गये हैं जैसे अभिषेय के साथ सामीप्य, सास्त्र्य (अथवा सादृश्य)समवाय तथा वैपरीत्य सम्बन्ध अथवा क्रियायोग आदि -

'अभिषेयेन सामीप्यात् सास्त्र्यात्समवायतः ।

वैपरीत्यात् क्रियायोगाल्लक्षणा वैचया मतम् ॥'<sup>3</sup>

यही वामन ने वक्रोक्ति अलंकार वही माना जहाँ केवल सादृश्यके कारण लक्षणा प्रवृत्त होती है। उन्होने इसका उदाहरण दिया -

'उन्मिलील कमलं सरसीनां कैवन्व निमिलील मुहूर्त्तीत्।'

यही 'उन्मिलन' और 'निमिलन' नेत्र के चर्म है वे कमल और कैव में कैसे सम्भव हो सकते हैं? अतः मुख्यार्थ-बाध होता है और सादृश्य-सम्बन्ध से लक्षणा के द्वारा 'खिलने' और 'संकुचित' होने का अर्थ लक्षित होता है। अतः यही वक्रोक्ति है। अब समस्या सामने आती है कि वामन ने ऐसा क्यों किया? वस्तुतः वामन के पूर्व अथवा उनके

1- का.सू.वृ. 3/1/2 पर वृत्ति

2- वही, 4/3/8

3- उद्घृत लोचन पृ० 28

समय तक अभिधा, लक्षणा व गौणी वृत्तियाँ ही प्रसिद्ध थीं । अभिधा के द्वारा बोधित होने वाला अर्थ अभिधेयार्थ अथवा वाच्यार्थ, लक्षणा के द्वारा बोधित होने वाला अर्थ लाक्षणिक अर्थ या लक्ष्यार्थ और गौणी वृत्ति के द्वारा बोधित होने वाला अर्थ गौणार्थ कहा जाता है या । उनमें वाच्यार्थ की अलंकारता तो सर्वमान्य थी ही जैसा कि आनन्दवर्धन के इस कथन से भी स्पष्ट होता है कि —

‘ तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकाररूपमादिभिः <sup>1</sup> ।’

परन्तु गौण अर्थ तथा लाक्षणिक अर्थ की अलंकारता किसी ने साफ शब्दों में प्रतिपादित नहीं की थी। वामन ने इन दोनों अर्थों की भी अलंकारता निर्धारित किया । गौण अर्थ की अलंकारता रूपकादि के रूप में निर्धारित की —

‘ उपमानेनोपमेयस्य गुणसाम्यात्तत्त्वारीपो रूपकम् <sup>2</sup> ।’

अब शेष बचा लाक्षणिक अर्थ, उसे उठाकर वक्रोक्ति अलंकार के रूप में स्थिर कर दिया । वक्रोक्ति अलंकार की अवतरणिका के रूप में वामन का स्पष्ट कथन है —

यथा च गौणस्यार्थस्यालंकारत्वं तथा लाक्षणिकस्यापीति दर्शयितुमाह—‘सादृश्यात्लक्षणा वक्रोक्तिः’ <sup>3</sup> ।

वामन के इस कथन को गोपेन्द्र त्रिपुरहर ने अपनी कामधेनु टीका में और भी स्पष्ट कर दिया है। उनका कथन है —

‘~~वक्रोक्तिः~~ <sup>मथ</sup> मुख चन्द्रादौ गुणयोगादागतस्य गौणार्थस्य रूपकाद्यलंकारता, तथा लक्षणातः प्रतिपन्नस्य लाक्षणिकार्थस्य वक्रोक्त्यलंकारता भवतीति लक्षणार्थः’ <sup>4</sup> ।

इस प्रकार जिसे वामन ने वक्रोक्ति कहा है उसे दण्डी ने समाधि गुण के रूप में प्रति -  
ष्ठित किया था । दण्डी के अनुसार जहाँ अन्य के धर्म का उससे भिन्न में सम्यक् आधान किया जाता है वहाँ समाधि गुण होता है । जैसे ‘कुमुदानि निमीलन्ति कमलान्धुन्मिषन्ति च’ में निमीलन और उन्मेष रूप नेत्रों के धर्मों का कुमुद और कमल में आधान किया गया है ।

1- छन्द्या. 1/3

2- का.सू. वृ. 4/3/6

3- वही, 4/3/8 के पूर्व वृत्तित

4- कामधेनु, पृ० 133

'अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना ।

सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा ॥'

वस्तुतः वामन का यह प्रस्थान आगे के किसी भी आचार्य को मान्य नहीं हो सका ।  
हां, भोज के 'शृंगारप्रकाश' तथा शारदातनय के 'भावप्रकाशन' में —

'अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते ।

सैवाविदग्धवक्रोक्तिजीवितं वृत्तिरिष्यते ॥ 'यह श्लोक उद्धृत मिलता है। परन्तु वही लक्षणा का आशय केवल सादृश्यनिबन्धना ही लक्षणा से नहीं है<sup>2</sup> । इतना तो स्पष्ट है ही कि वामन ने वक्रोक्ति अलंकार की कल्पना लाक्षणिक अर्थ की अलंकारता सिद्ध करने के लिए ही किया है । पर उन्हो ने केवल सादृश्यनिबन्धना लक्षणा का ही ग्रहण क्यों किया, वैपरीत्यादि निमित्तों से होने वाली लक्षणा को क्यों छोड़ दिया—यह कुछ स्पष्ट नहीं<sup>3</sup> । सम्भव है कि उपमा के प्रफुल्ल-रूप में वक्रोक्ति अलंकार का भी निरूपण होने के कारण उन्हो ने केवल सादृश्य सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा का ग्रहण किया हो क्यों कि उपमा सादृश्य में ही होती है ।

#### उक्तिवैचित्र्य-रूप माधुर्य-गुण

इस प्रकार वामन ने वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार-विशेष के रूप में प्रतिष्ठित कर उसे नवीन स्वरूप का प्रदान कर क्रान्ति तो पैदा की ही, सादृशी माधुर्य अर्थ-गुण का स्वरूप का कुछ ऐसा प्रतिपादित किया जो कम क्रान्तिकारी नहीं है । प्रायः उक्ति - वैचित्र्य और वक्रोक्ति का एक ही अर्थ रहा है। उक्ति का वैचित्र्य साधारण उक्ति से भिन्न होने पर ही सम्भव है और साधारण से भिन्न उक्ति ही वक्रोक्ति है। वस्तुतः किसी काव्य का<sup>का</sup> काव्यत्व उक्तिवैचित्र्य के कारण ही होता है । साधारण से भिन्न उक्ति ही काव्य हुआ करती है जैसा कि राजशेखर ने<sup>4</sup> कहा है — 'उक्ति-विशेषः काव्यम्' (उक्ति-विसेसोक्तव्यो) । परन्तु वामन ने इस समस्त उक्तिवैचित्र्य को केवल माधुर्य-रूप अर्थ-गुण में निहित कर दिया —

1- काव्यादर्श, 1/93

2- विस्तार के लिए देखें डा० राघवन का *Bhoja's Sringara-prakasa* - (p. 136-38)

3- सादृश्य से भिन्न निमित्तों से होने वाली लक्षणा को वे वक्रोक्ति नहीं स्वीकार करते । उनका स्पष्ट कथन है— 'असादृश्यनिबन्धना तु लक्षणा न वक्रोक्तिः' (वृत्ति 4/3/8)

4- कर्पूरमंजरी 1/6



'उत्तित्वैचित्र्यं माधुर्यम्। उक्तेर्वैचित्र्यं यत्तन्माधुर्यमिति ।'

माधुर्य के इस लक्षण से वामन का क्या अभिप्राय है ? स्पष्ट नहीं । क्या उनकी दृष्टि में अन्य गुणों एवं अलंकारों में उत्तित्व का वैचित्र्य है ही नहीं ? अथवा कि उनका उत्तित्ववैचित्र्य कोई विशेष प्रकार का है ? कुछ स्पष्ट नहीं । यद्यपि इन्होंने वैचित्र्य का जो अन्यत्र प्रयोग किया है उससे यह प्रतीति नहीं होती कि इन्होंने कोई <sup>विशिष्ट</sup> वैचित्र्य अभिप्रेत है । निदर्शनार्थ यमकालंकार के विषय में ये कहते हैं -

'असङ्ख्यवर्णविन्यासचलनं श्रुत्वा मता ।

अनेन खलु भङ्गेन यमकानां विचित्रता <sup>2</sup> ॥' <sup>3</sup> शब्दवैचित्र्यगणैश्चिमुपमेव प्रपञ्चिता इति प्रथम टी उभयत्र

तथा समस्त अलंकारों के विवेचन के अनन्तर कहते हैं - 'शब्दवैचित्र्य का अर्थ असाधारणत्व अथवा वक्रत्व ही है । वैचित्र्य का यही अभिप्राय उदारता गुण के लक्षण में भी है । उनका कथन है -

'विकटकञ्च बन्धस्य कथयन्ति ह्युदारताम् ।

वैचित्र्यं न प्रषद्यन्ते यया शून्याः पदकृमाः <sup>4</sup> □'

वस्तुतः इनका यह माधुर्य वक्रता की परिधि से बाहर नहीं ।

### रीति तथा वक्रोक्ति

अब वामन की रीतियों और वक्रोक्ति के सम्बन्ध में के विषय में विचार करेंगे । वामन ने रीतियों को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया । ये रीतियाँ गुणात्मक पदरचना रूप होती हैं। वामन के सूत्र है - 'रीतिरात्मा काव्यस्य ।', 'विशिष्टा पदरचना रीतिः ।' तथा, 'विशेषो गुणात्मा।' निश्चित ही वामन की रीतियाँ विना वक्रता के असम्भव हैं । पदरचना को विशिष्ट बताकर ही वे साधारण से असाधारण की ओर बढ़ते हैं । इसप्रकार रीतियों का मूलतत्त्व ही विशिष्टता अथवा वक्रता है। वामन ने विशेष को गुणात्मा कहा है। गुण भी वक्रोक्ति से भिन्न नहीं क्योंकि वामन के स्वकीय अर्थ वाले अलंकार के द्वारा गुण भी उसी में संयुक्त है और ऊपर सिद्ध किया जा चुका है कि वामन का उक्त अलंकार भामह आदि द्वारा स्वीकृत वक्रोक्ति रूप ही है ।

1- का. सू. वृ. 3/2/10 तथा वृत्ति

2- वही, पृ० 46

3- वही, पृ० 68

4- वही, पृ० 35

5- वही, 1/2/6-8

इसके अतिरिक्त लोचन में अभिनव-गुप्त के विवेचन से तो यह भी स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि केवल रीतियों अथवा गुणों के लिए भी सम्भवतः वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग होता रहा है । आनन्दवर्द्धन द्वारा उद्धृत मनोरथ के —

'यस्मिन्नास्ति न वस्तु किंचन मनःप्रह्लादि सालंकृति

व्युत्पन्ने रचितञ्चनेव वचनेर्वक्रोक्तिशून्यञ्च यत् ।'<sup>1</sup> इत्यादिश्लोक में आये 'वक्रोक्ति-शून्य' शब्द की व्याख्या करते हुए अभिनव ने स्पष्ट कहा है कि वक्रोक्ति का अर्थ उत्कृष्ट संघटना (अथवा वामन के शब्दों में विशिष्ट पदरचना) है, तथा उससे शून्य कहने का आशय है शब्दगुणों एवं अर्थगुणों से शून्य<sup>2</sup> । वामन भी विशेष को गुणात्मा ही कहते हैं । इतना ही नहीं उन्होंने ने वक्रोक्ति का अलंकार-सामान्य अर्थ लेने वालों का खण्डन भी किया है कि — 'वक्रोक्ति शून्य शब्देन सामान्य लक्षणाभावेन सर्वालंकाराभाव उक्त इति केचित् । तैः पुनस्तत्त्वं न परिहृतमेवेत्यलम्'<sup>3</sup>

### वामन और स्वभावोक्ति

वामन ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में वक्रोक्ति को सर्वालंकारसामान्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया । परन्तु उनके विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि वक्रता अथवा अतिशय को वे समस्त अलंकारों का बीज स्वीकार करते हैं । वामन ने उपमा से भिन्न समस्त अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच कहा है वह सभी अलंकारों की मूलमूला है —

(1) 'सम्प्रत्यर्थालंकाराणां प्रस्तावः, तन्मूलञ्चोपमेति सैवविचार्यते'<sup>4</sup>

(2) तथा 'सम्प्रत्युपमाप्रपंचो विचार्यते, कः पुनरसावित्याह — प्रतिवस्तुप्रभृतिरूपमा-<sup>5</sup> प्रपंचः ।'

(3) तथा अर्थालंकारों का विवेचन समाप्त करते हुए कहते हैं —

'रमिर्निदर्शनैः स्वीयैः परकीयैश्च पुष्कलैः ।

शब्दवैचित्र्यगर्भयमुपमेव प्रपंचिता ।।'<sup>6</sup>

1- छान्या, पृ० 26-27

2- 'वक्रोक्तिरुत्कृष्टा संघटना। तच्छून्यमिति शब्दार्थगुणानाम् ।' लोचन, पृ० 27

3- वही, पृ० 27

4- का. सू. वृ., पृ० 48

5- वही, पृ० 56

6- वही, पृ० 68

और उपमा में अतिशय वामन को अभीष्ट है । वे स्पष्ट ही कहते हैं — 'उपमाया - मतिशयस्येष्टत्वात्।' जब ~~स्वभाव~~ समस्त अलंकारी की मूलभूता उपमा में ही अतिशय अभीष्ट है तो समस्त अलंकारी में अतिशय (अथवा वक्रता) की सत्ता स्वतः अर्थापत्ति के बल पर सिद्ध हो जाती है । यह बात यही अवश्य है कि वामन ने भी हेतु, सूक्ष्म, तेश<sup>तथा</sup> आशीः ~~स्वभाव~~ की अलंकारता नहीं स्वीकार की। अलंकारी के विवेचन में वामन बहुत कुछ भामह के साथ है । दण्डी और उद्भट ने तो साफ शब्दों में स्वभावोक्ति अलंकार स्वीकार किया ही था । भामह ने भी उसका उल्लेख किया यह भले ही था कि उसकी अलंकारता स्वीकार करने में उनका अस्वस्थ रहा । परन्तु वामन तो स्वभावोक्ति अलंकार की चर्चा तक नहीं करते । यथा कथंचित् वे स्वभावोक्ति को अर्थव्यक्ति नामक अर्थ-गुण द्वारा प्रस्तुत करते हैं - 'वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यक्तिः' <sup>2</sup> 'इससे सुस्पष्ट है कि स्वभावोक्ति को वे साधारण<sup>वामन, उपमा आदि</sup> अलंकारों की कोटि में नहीं रखते । उसे वे गुणरूप में प्रस्तुत कर रसादि की तुल्यता प्रदान करते हैं क्योंकि रस भी तो उनके अनुसार गुणों में ही अन्तर्भूत है।— 'दीप्ततरसत्वं कान्तिः' <sup>3</sup> 'अतः यह निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि वामन का विवेचन उद्भट, दण्डी तथा भामह की अपेक्षा उत्कृष्ट है । तभी तो कुन्तक भी स्वभावोक्ति को रस के साथ ही अलंकार्य-कोटि में स्थापित करते हैं, अलंकार-कोटि में नहीं ।

#### 5.) आचार्य रुद्रट एवं वक्रोक्ति-सिद्धान्त

संस्कृत-साहित्य-शास्त्र के इतिहास में रुद्रट का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस अध्याय में इनकी वक्रोक्ति-विषयक धारणा का विवेचन इनके ग्रन्थ 'काव्यालंकार' के आधार पर प्रस्तुत किया जायेगा । वैसे रुद्रभट्ट के नाम से एक 'शुद्धरतिलक' नामक ग्रन्थ भी प्राप्त होता है। रुद्रभट्ट और रुद्रट एक ही हैं अथवा भिन्न-भिन्न इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। वह विवेचन यही अप्रासंगिक होने के कारण छोड़ दिया जा रहा है ।

#### अलंकार-स्वरूप

रुद्रट ने अलंकार का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिया । परन्तु विवेचन से ऐसा स्पष्ट होता है कि वामन की ही भाँति सौन्दर्यातिशय के हेतुरूप में वे भी अलंकारी को स्वीकार

1- का.सू.वृ., पृ० 55

2- वही, 3/2/13

3- वही, 3/2/14

करते हैं। सभी शब्दालंकारों का विवेचन कर चुकने के अनन्तर जब वे बारहवें अध्यायमें रसों का विवेचन प्रारम्भ करते हैं तो वहाँ पर नमिसायु ने अपनी व्याख्या में यह शंका उठाई कि 'अलंकारों के बीच ही रसों का परिगणन क्यों नहीं कर दिया गया उन्हें अलग से क्यों प्रतिपादित किया जा रहा है?' और इस शंका का समाधान वे प्रस्तुत करते हैं कि 'शब्द और अर्थ काव्य के शरीर है। वक्रोक्ति इत्यादि शब्दालंकार तथा वास्तव इत्यादि अर्थालंकार कटक कुण्डल की तरह ही उनके कृत्रिम अलंकार हैं। जब कि रस शरीरगत सौन्दर्यादि की भाँति सहज गुण है अतः अलंकारों से भिन्न रूप में उनका विवेचन किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से नमिसायु का यह व्याख्यान वामन से मेल खाता है। वामन ने भी तो अलंकारों को सौन्दर्यातिशय का हेतु ही स्वीकार किया है। नमिसायु ने रसों को सहज गुण कहा है वामन ने भी गुणों को काव्यशोभा का उत्पादक धर्म स्वीकार किया था और उन्हीं गुणों में ही रसों का 'दीप्तरसत्वं कान्तिः' कह कर अन्तर्भाव किया था। रूद्रट के अनुसार अलंकार 'वैचित्र्य' अथवा 'रमणीयता' को प्रस्तुत करते हैं। श्लेष के विषय में उनका कहना है कि वह उपमा तथा समुच्चय अलंकारों में अत्यधिक वैचित्र्य को घाटन करता है -

'यत्तै वैचित्र्यमयं सुतरामुपमासमुच्चययोः'<sup>2</sup>

आचार्य भरत, दण्डी, उद्भट तथा वामन आदि द्वारा स्पष्ट रूप से प्रसादादि गुणों का वर्णन किए जाने पर भी रूद्रट ने अपने ग्रन्थ में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं किया। और जहाँ कहीं भी उन्होंने ने गुण शब्द का प्रयोग किया भी है वह स्पष्ट रूप से इन्हीं अलंकारों के वाचक रूप में आया है। समस्त शब्दालंकारों, अर्थालंकारों, शब्द-दोषों एवं अर्थ-दोषों का विवेचन कर चुकने के अनन्तर 11वें अध्याय की समाप्ति पर रूद्रट का कथन है कि श्रेष्ठ कवि को ऊपर बताए गए शब्दों एवं अर्थों के विभक्त स्वरूप वाले दोषों और गुणों को भली भाँति समझ कर असार का परित्याग कर सार को ग्रहण करते हुए अविनश्वर यश को प्राप्त करने के लिए काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए<sup>3</sup>। यही स्पष्ट रूप से गुणों से उनका आशय अलंकारों से ही है। नमिसायु बड़े स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि - 'शब्दस्य हि वक्रोक्त्यादयः पञ्चगुणाः। दोषास्तु वसमर्थादयः षट्। अर्थस्य पुनर्गुणा वास्तवाक्यश्चत्वारः।

1-अर्थालंकारमध्य एव रसा अपि किं नोक्ताः। उच्यते-काव्यस्य हि शब्दार्थौ शरीरम्। तस्य च वक्रोक्तिवास्तवादयः कटककुण्डलादय इव कृत्रिमा अलंकाराः। रसास्तु सौन्दर्यादय इव सहजा गुणाः, इतिभिन्नस्तत्प्रकरणारम्भः।' (न. सा. पृ० 150)

2- रूद्र. काव्या., 4/31

3- वही, 11/36

दोषास्त्वपहेतुत्वादयो नव।<sup>1</sup> इस प्रकार रुद्रट ने गुण शब्द का प्रयोग शिथिल ढंग से किया है, गुणों के शास्त्रीय अर्थ में<sup>नहीं</sup> इतनाही नहीं उन्हे ने चार रीतियों का विवेचन भी किया जिनमें तीन के नाम तौ वामन द्वारा स्वीकृत ही है, वैदर्भी, गौडीया और पांचाली इसके अतिरिक्त रुद्रट ने लाटीया नाम की चौथी रीति भी स्वीकार की। पर इनकी रीतियों का स्वरूप वामन की रीतियों के स्वरूप से सर्वथा भिन्न रहा। इनकी रीतियों के विभाजन का आधार केवल समास था। वैदर्भी रीति समास विहीन होती थी। पांचाली में दो-तीन पदों का, लाटीया में पांच सात पदों का और गौडीया में यथाशक्ति अनेकों पदों का समास विद्यमान रहता है<sup>2</sup>। नमिसाधु ने इन रीतियों को शब्दाश्रय गुण कहा है, अलंकार नहीं<sup>3</sup>। पर रुद्रट ने ऐसी कोई बात नहीं कही। इस प्रकार जिन गुणों एवं अलंकारों में कुछ वैशिष्ट्य दण्डी ने प्रतिपादित किया था तथा वामन ने उनमें अत्यन्त स्पष्ट ढंग से गुणों की नित्यता तथा अलंकारों की अनित्यता प्रतिपादित कर भेद स्थापित किया था उसका रुद्रट के विवेचन में कहीं ज़रा-सा भी उल्लेख नहीं है। माधुर्यादि गुणों की तो कोई चर्चा न रुद्रट ही करते हैं और न उनके टीकाकार नमिसाधु ही। गुण शब्द का प्रयोग अलंकारों के लिए ही शिथिल ढंग से किया गया है। हाँ, रसों का अलंकारों से भिन्न स्वतंत्र रूप से विवेचन कर रुद्रट ने सर्वप्रथम उन्हें सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया जो कि बाद के समस्त आचार्यों को स्वीकार रहा। और जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है नमिसाधु ने अलंकारों को कृत्रिम और रसों को सहज बता कर अलंकारों की अपेक्षा रसों के महनीय माहात्म्य को स्पष्ट ढंग से प्रतिपादित किया। इतना ही नहीं रसों को ही रीतियों, वृत्तियों, आदि की रचनानियामक तत्त्व मान कर रुद्रट ने रसों को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया<sup>4</sup>। विना रसों को भली-भाँति समझे हुए कोई भी कवि सर्वथा रमणीय काव्य की रचना करने में समर्थ नहीं हो सकता -

'यस्मादिमानर्नाघगम्य न सर्वरम्य काव्यं विधातुमलमत्रतदाद्वियेत्'<sup>5</sup>।

इस प्रकार रसों को काव्य में सबसे पहले स्वतंत्र एवं सर्वश्रेष्ठ तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय रुद्रट को ही है। अलंकारों के द्वारा काव्य में रमणीयता तो आयेगी ही परन्तु जब तक रसों का सुन्दर सन्निवेश नहीं होगा काव्य सर्वथा रमणीय कहलाने का

1- न. सा. पृ० 149

2- रुद्र. काव्या. 2/4 - 6

3- 'एताश्च रीतयो नालंकाराः, किन्तीर्हि शब्दाश्रया गुणा इति' - न. सा., पृ० 10

4- रुद्र. काव्या. 14/37, 15/20

5- वही, 15/21

अधिकारी नहीं होगा । इस प्रकार रुद्रट ने रसों को साधारण अलंकारों की कोटि से ऊँचे प्रतिष्ठित किया ।

### अलंकारों का वर्गीकरण और उसमें वक्रोक्ति का स्थान

प्राचीन आचार्यों की अपेक्षा रुद्रट का अलंकार-विवेचन विशेष महत्त्वपूर्ण है । रुद्रट ने प्रधानतया पाँच शब्दालंकारों एवं चार अर्थालंकारों का विवेचन किया है । शेष अर्थालंकारों को इन्हीं वास्तविकदि चार प्रधान सामान्य-भूत अर्थालंकारों का विशेषभूत स्वीकार किया है -

'अर्थस्यालंकारा वास्तवमोपम्यमतिशयः श्लेषः ।

रसामेव विशेषा अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः ॥'

पाँच शब्दालंकार हैं - वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष और चित्र<sup>2</sup> । जो वक्रोक्ति भामह तथा वण्डी द्वारा अलंकार-सामान्य के रूप में प्रयुक्त की गई थी, उस वक्रोक्ति को वामन ने एक अर्थालंकार विशेष के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहा पर वह ~~प्रतिष्ठित~~ प्रतिष्ठा बाद में उसे न मिल सकी पर रुद्रट ने जो उसे एक शब्दालंकार-विशेष के रूप में प्रतिष्ठित किया उस प्रतिष्ठा को प्रायः बाद के सभी <sup>आलंकारिकों</sup> ~~अलंकारिकों~~ ने सुरक्षित रखा ।

रुद्रट के अनुसार वक्रोक्ति शब्दालंकार दो प्रकार का होता है - एक श्लेषवक्रोक्ति रूप तथा दूसरा काकुवक्रोक्ति रूप । श्लेष-वक्रोक्ति का लक्षण है -

'वक्त्रा तदन्यथोक्ती ऽयाचष्टे चान्यथा तदुत्तरदः ।

वचनं यत् पदमङ्गु<sup>3</sup>र्ज्ञेया सा श्लेषवक्रोक्तिः ॥' अर्थात् वक्ता द्वारा उत्तर-वचन से भिन्न ढंग से कहे गये वचनों का जब उत्तर देने वाला पदों को तोड़ कर दूसरे ढंग से व्याख्यान करता है तो रसेसे स्थलों पर श्लेषवक्रोक्ति होती है । रुद्रट की यह श्लेष-वक्रोक्ति मम्मट, रुय्यक विश्वनाथ आदि बाद के प्रायः सभी आलंकारिकों द्वारा मान्य हुई । जहाँ रुद्रट ने केवल अमैग-श्लेष के आधार पर यह वक्रोक्ति स्वीकार किया था वहाँ मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अमैग-श्लेष के आधार पर भी वक्रोक्ति अलंकार माना<sup>4</sup> । काकु-वक्रोक्ति

1-रुद्र, काव्या 7/9

2- 'वक्रोक्तिरनुप्रासो यमकं श्लेषस्तथा परं चित्रम् । शब्दस्यालंकारः' वही, 2/13

3- वही, 2/14

4- देखें मम्मटादि का वक्रोक्ति-अलंकार-विवेचन ।

का लक्षण है—

'विस्पष्टं क्रियमाणादक्लिष्टा स्वरविशेषतो भवति।

अर्थान्तरप्रतीतिर्यत्रासौ काकुवक्रोक्तिः ।।' अर्थात् जहाँ अत्यन्त सूट रूप से उच्चारण किए गए स्वरविशेष के द्वारा अर्थान्तर की कल्पनारहित अक्लिष्ट प्रतीति होती है वहाँ काकु-वक्रोक्ति होती है। यद्यपि मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने सूट की इस काकु-वक्रोक्ति को भी यथातथा रूप में स्वीकार किया परन्तु कुछ आचार्यों ने इसका विरोध भी किया। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राजशेखर ने सर्वप्रथम इसका विरोध किया। उन्होंने काकु को अभिप्राय-युक्त पाठधर्म कह कर उसकी अलंकारता का निराकरण किया —

'काकुर्वक्रोक्तिर्नाम शब्दालंकारोऽयम्' इति सूटः । 'अभिप्रायवान् पाठधर्मः काकुः, स कथमलंकारी स्यात्।' इति यायावरीयः ।'

आगे चल कर हेमचन्द्र ने भी अपने 'काव्यानुशासन' में राजशेखर की ही उक्ति को उद्धृत करते हुए काकुवक्रोक्ति की अलंकारता का निराकरण किया। तथा ध्वनिकार का समर्थन सिद्ध करते हुए उसे गुणीभूतव्यंग्य काव्य का एक प्रभेद प्रतिष्ठित किया। परन्तु श्लेषवक्रोक्ति को उन्होने भी मम्मट आदि की ही भाँति ~~की~~ समीग तथा अर्भग उभयश्लेष के आधार पर स्वीकार किया<sup>3</sup>। हेमचन्द्र का ही अनुगमन वाग्भट ने भी किया। उन्होने भी केवल समीग और अर्भग श्लेष के आधार पर श्लेष-वक्रोक्ति का वर्णन किया। पर काकु-वक्रोक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया।

इस प्रकार सूट द्वारा संकीर्ण किया गया वक्रोक्ति का स्वरूप ही प्रायः बाद के आलंकारिकों को मान्य रहा। सूट के अनन्तर वक्रोक्ति का सर्वालंकार-सामान्य-वाला रूप जाता रहा वह केवल वाक्छल के रूप में शब्दालंकारमात्र रह गई। रुय्यक तथा अप्पथ्य दीक्षित आदि ने इसे अर्थालंकारविशेष के रूप में प्रतिपादित किया<sup>4</sup>। ही, रुय्यक अपने वक्रोक्ति-अलंकार-विवेचन के अनन्तर — 'वक्रोक्ति शब्दशालंकारसामान्यवचनोऽपीहलंकारविशेषे सञ्ज्ञितः' कह कर वक्रोक्ति के अलंकारसामान्य के स्वरूप की ओर इंगित अवश्य करते हैं<sup>5</sup>।

1- सूट. काव्या. 2/16

2- का. भी. पृ० 101

3- हेम. काव्यानुशासन पृ० 333

4- देखें अलं. स. पृ०-222 तथा कुवत. में वक्रोक्ति अलंकार का विवेचन

5- अलं. स. पृ०222

जो वक्रोक्ति सर्वालीकार-सामान्य के रूप में प्रतिष्ठित रही उसे अचानक रुद्र ने ऐसा सिकीर्ण स्वरूप कैसे प्रदान कर दिया ? यह एक प्रश्न अनायास ही सामने आ जाता है । इस प्रश्न के समाधान की चिन्ता न तो रुद्र ने ही व्यक्त की और न उनके टीकाकार नमिसाधु ने ही । उन्हों ने इसका विवेचन ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया है जैसे कि उन्हें वक्रोक्ति का सर्वालीकार-सामान्य वाला रूप ज्ञात ही नहीं था और बिल्कुल नवीन अलीकार की नवीन नाम के साथ उन्हों ने उद्भावना प्रस्तुत की थी । वस्तुतः भामह आदि के वक्रोक्ति-विवेचन को प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वक्रता और अतिशय लगभग एक ही अर्थ को प्रस्तुत करते हैं । इसी लिए आनन्दवर्द्धन तथा मम्मट आदि ने वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को एक कह कर वक्रोक्ति को सर्वालीकार-सामान्यता न प्रतिपादित कर अतिशयोक्ति को सर्वालीकारसामान्यता प्रस्तुत की और भामह की वक्रोक्ति के द्वारा उसी अतिशयोक्ति का अर्थ ग्रहण किया । यद्यपि अतिशयोक्ति अलीकारविशेष ही नहीं सर्व-सामान्य-रूप में स्वीकृत की गई । वही अतिशयोक्ति से तात्पर्य लोकोत्तर अथवा असाधारण उक्ति से ही है । अतः जिस प्रकार अतिशयोक्ति को सर्वालीकार-सामान्य मानते हुए भी अतिशय के सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होने के कारण अतिशयोक्ति अलीकार-विशेष भी स्वीकार किया गया, उसी प्रकार वक्रोक्ति को सर्वालीकार-सामान्य मानते हुए भी रुद्रादि द्वारा विवेचित श्लेषवक्रोक्ति आदि में वाक्छल के कारण उक्ति की वक्रता अथवा कुटिलता का आधिक्य होने के कारण वक्रोक्ति नामक अलीकारविशेष भी स्वीकार कर लिया गया । स्वयं के उक्त कथन पर टीकाकार जयरथ का सुस्पष्ट कथन है कि ' इहेति । वाक्छलात् मकत्वेनोक्तेः कौटिल्यात् । ' अर्थात् यद्यपि वक्रोक्ति का प्रयोग अलीकार-सामान्य के लिए ही होता है फिर भी इस अलीकारविशेष में इसके वाक्छलरूप होने के कारण उक्ति की कुटिलता (सर्वाधिक रूप में) विद्यमान होने से वक्रोक्ति-अलीकार-विशेष की संज्ञा दी गई । परन्तु वक्रोक्ति की संज्ञा एक अलीकार-विशेष को देते हुए भी रुद्र उसके सामान्य रूप को भी एक स्थान पर निश्चित ही प्रस्तुत करते हैं जब वे धीरा, अधीरा और मध्या नायिकाओं का विवेचन करते हैं । उनका कहना है कि जब नायक कोई अपराध कर डालता है तो अधीरा नायिका उसे कठोर वचनों से तथा मध्या नायिका अश्रुयुक्त उपात्तम्भों से कष्ट पहुँचाती है जब कि धीरा नायिका वक्रोक्ति द्वारा उसे क<sup>४२</sup>षापित करती है —

'कुप्यति तत्र सदोषैः वक्रोक्त्या प्रतिमिनटितं तं धीरा ।

परुषं वचोभिरधीरा मध्या सास्त्रेऽस्त्रालम्भैः ॥'

1- जयरथ , पृ० 222

2- रुद्र, काव्या० 12/23



निश्चय ही 'वक्रोक्ति' शब्द यही रूढ के शब्दालंकारविशेष के लिए नहीं आया बल्कि टेढ़े वैचित्र्यपूर्ण कथन के लिए ही आया है । भले ही उसे अलंकार-सामान्य का वाचक न कहा जाय ।

### रूढ तथा स्वभावोक्ति

रूढ ने अर्थालंकारों के जो चार वर्ग अथवा चार सामान्य प्रकार निरूपित किए उनमें पहला है वास्तव<sup>1</sup> । उसका लक्षण रूढ ने दिया है -

'वास्तवमिति तज्ज्ञेयं क्रियते वस्तुस्वरूपकथनं यत् ।

पुष्टार्थमविपरीतं निस्प्रममनतिशयमश्लेषम्<sup>2</sup> ॥'

अर्थात् जहाँ पर पुष्ट अर्थ वाले, वैपरीत्य से हीन, औपम्यरहित, अतिशयविहीन एवं अस्तिष्ट वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाता है वह वास्तव अलंकार होता है । रूढ ने इसके विशेष-भूत तेइस अलंकार प्रतिपादित किए<sup>3</sup> है, जिनमें से केवल छः अलंकार (यथासौख्य, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, व्यतिरेक और सहोक्ति) भामह, दण्डी, उद्भट तथा वामन सभी पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत हैं । हेतु, सूक्ष्म तथा लेख-तीन अलंकारों को केवल दण्डी ने स्वीकार किया था । इन नौ अलंकारों के अतिरिक्त पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत एक और अलंकार बचता है वह है जाति, जो भामह दण्डी तथा उद्भट के अनुसार स्वभावोक्ति का ही पर्याय है । दण्डी तो कहते<sup>ही</sup> हैं -

'स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सालंकारिण्या<sup>4</sup> ।'

इन दस अलंकारों के अतिरिक्त शेष तेरह अलंकारों की कल्पना रूढ की अपनी है । पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत दस अलंकारों में से (जिन्हें कि रूढ ने भी स्वीकार कर रखा है) आठ की अलंकारता का खण्डन कुन्तक ने किया<sup>5</sup> है । केवल व्यतिरेक की अलंकारता उन्होंने समर्थित की है<sup>6</sup> । परिकर का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता । अतः उसकी अलंकारता कुन्तक को स्वीकार थी या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता । इस प्रकार वास्तव-कोटि के प्रायः सभी अलंकार वक्रोक्तिवादी आचार्य कुन्तक की दृष्टि में अलंकारत्व से हीन हैं । वस्तुतः रूढ का

1- रूढ, काव्या, 7/9

2- रूढ, काव्या, 7/10

3- वही, 7/11-12

4- काव्यादर्श, 2/8

5- देखें व.जी. पृथक् पृथक् अलंकारों का विवेचन

6- व.जी. पृ 207-209 .

वास्तव अलंकार स्वभावोक्ति-कोटि का ही है क्यों कि इसमें औपम्य अतिशय आदि से विहीन ही वस्तुस्वरूप का कथन किया जाता है । रुद्रट के अनुसार जाति अलंकार का लक्षण है -

'संस्थानावस्थानक्रियादि यद्यस्य यादृशी भवति ।

लोके विरप्रसिद्धं तत्कथनमनन्यथा जातिः ।।'<sup>1</sup>

अर्थात् लोक में जिसका जैसा स्वाभाविक रूप, अवस्था और व्यापारादि विरप्रसिद्ध है उसी ढंग से वर्णन जाति अलंकार होता है । इस जाति के विषय में रुद्रट ने बताया है कि वह विशेष रूप से रमणीय उस समय होती है जब उसमें शिशुओं, मुग्ध युवतियों, कातरों, पक्षियों<sup>2</sup> सम्भ्रान्तों एवं हीन-पात्रों की समय एवं अवस्था के अनुरूप चेष्टाओं का वर्णन किया जाता है । नमिसाधु ने अपनी टीका में यह शंका उठाई है कि वास्तव और जाति में क्या भेद है ? उन्हों ने इसका उत्तर दिया कि जो भेद वृक्ष और घव में होता है । अर्थात् जैसे वृक्ष तो घव के अतिस्मित खदिर, आम्र आदि को भी कहा जाता है क्यों कि वृक्षत्व उनमें भी विद्यमान है लेकिन घव को आम्र या खदिर नहीं कहा जाता क्योंकि आम्र और खदिर में वृक्षत्व तो है पर घवत्व नहीं । उसी प्रकार वस्तु स्वरूप के कथन को वास्तव कहते हैं वह वास्तवत्व उसके जाति के अतिस्मित भी सहोक्ति, समुच्चय आदि प्रभेदों में भी विद्यमान है किन्तु जातित्व अन्यो में नहीं । क्यों कि जाति अनुभव को उत्पन्न करती है । अर्थात् जाति में यद्यपि दूसरे में स्थित स्वरूप क्रिया आदि का केवल वर्णन ही किया जाता है फिर भी उसका अनुभव -सा होने लगता है । जैसे किसी शिशु की चेष्टा का यथातथ वर्णन किया गया तो केवल उस वर्णन से ही शिशु के सामने विद्यमान न रहने पर भी उसकी चेष्टाओं का अनुभव होने लगता है । यही है जाति का वैशिष्ट्य<sup>3</sup> ।

इस प्रकार रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक शब्दालंकारविशेष का स्वरूप प्रदान करने के साथ ही जाति (अथवा स्वभावोक्ति) का अधिक सुन्दर एवं महत्त्वपूर्ण विवेचन भी प्रस्तुत किया ।

1- रुद्र. का. 7/30

2- 'शिशुमुग्धयुवतिकातरतिर्यक्सम्भ्रान्तहीनपात्राणाम् ।  
सा कालावस्थोचित-चेष्टासु विशेषतो रम्या ।।' - वही, 2/31

3- 'अथ वास्तवस्य जातेश्च को विशेषः, यो वृक्षस्य घवस्य च । वास्तवं हि वस्तु-  
स्वरूपकथनम् । तच्च सर्वेष्वपि तद्भेदेषु सहोक्त्यादिषु स्थितम् । जातिरनुभव-  
जनयति । यत्र परस्य स्वरूपं वर्ण्यमानमेवानुभवमिवैतीति स्थितम् ।'

## कवि मनोरथ और वक्रोक्ति

आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि के अभाववादियों के मतों का निरूपण करते हुए उनके समर्थन में एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है —

'तथा चाऽन्येन कृत एवात्र श्लोकः -

यस्मिन्नास्ति न वस्तु किंचन मनः प्रह्लादि सालकृति

व्युत्पन्ने रचितञ्च नैव वचनेर्वक्रोक्तिः शून्यञ्च यत् ।

काव्यं तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसजडो

नो विद्मोऽभिदधाति किं सुमतिना पृष्टः स्वरूपं ध्वनेः<sup>1</sup>'

यहाँ 'अन्येन' का अर्थ स्पष्ट करते हुए अभिनव गुप्त ने बताया है कि यह श्लोक आनन्दवर्धन के समसामयिक कवि मनोरथ द्वारा<sup>2</sup> बिरचित है। कल्हण के कथनानुसार भी मनोरथ कवि की वामन की समकालिकता सिद्ध होती है। उनका कथन है —

'मनोरथः शैखदत्तश्चटकः सान्ध्यास्तथा

बभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मन्त्रिणः<sup>3</sup> । १'

इतने ही उल्लेख के अतिरिक्त मनोरथ अथवा उनके सिद्धयन्त्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। यहाँ पर प्रयुक्त 'वक्रोक्ति' शब्द कुछ कठिनाई उपस्थित करता है क्योंकि वक्रोक्ति का प्रयोग या तो सर्वालंकार-सामान्य के रूप में रखा है अथवा वामनाभिमत अर्थात्लंकार-विशेष और छटाभिमत शब्दालंकार-विशेष के रूप में। यहाँ ये तीनों ही अर्थ अनुपयुक्त हो जाते हैं क्योंकि अलंकारों के विषय में वे 'सालकृति' पद का पहले ही प्रयोग कर चुके हैं अतः पुनस्त-दोष अनिवार्य हो जाता है। इस लिए या तो हमें अभिनवगुप्त द्वारा किया गया व्याख्यान मानना होगा कि 'वक्रोक्ति' से आशय उत्कृष्टसंघटना से है और उससे शून्य कहने का आशय यह है कि शब्दगुणों एवं अर्थ गुणों से शून्य' क्योंकि वामन ने विशिष्ट पदसंघटना को रीति और विशेष को गुणात्मा प्रतिपादित कर रखा है<sup>4</sup>। अथवा वक्रोक्ति से आशय टेढ़े कथन अर्थात् असाधारण कथन से है<sup>5</sup> ऐसा मानना होगा। परन्तु अलंकारसामान्य अर्थ लेना उचित नहीं। अभिनव ने स्पष्ट ही कहा है कि - 'वक्रोक्तिशून्यशब्देन सामान्य-लक्षणभावेन सर्वालंकाराभाव उक्त इति केचित् । तैः पुनरुक्तत्वं न परिहृतमेवेत्यलम्'।<sup>5</sup>

1- ध्वन्या, पृ० 26-27

2- अन्येनेति । ग्रन्थकृत समानकालभाविना मनोरथ नाम्ना कविना । लोचन, पृ० 26-27

3- राजनुराङ्गी - ४१४-६७.

4- वक्रोक्तिः उत्कृष्टा संघटना । तद्धून्यमिति शब्दार्थ गुणानाम् । लोचन, पृ० 26-27.

5- वही, पृ० 26-27

### आनन्दवर्धन एवं वक्रोक्ति-सिद्धान्त

'ध्वन्यालोक' ग्रन्थ के दो भाग हैं - एक कारिका-भाग और दूसरा वृत्ति-भाग । इन दोनों भागों को एक ही व्यक्ति ने लिखा था अथवा दो भिन्न व्यक्तियों ने इस विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । इतना तो सुनिश्चित ही है कि वृत्ति-भाग के लेखक आनन्दवर्धन ही थे क्योंकि वृत्ति-भाग की समाप्ति पर ऐसा सुस्पष्ट उल्लेख है । हमें जो कुछ भी वक्रोक्तिसिद्धान्त-विषयक उल्लेख प्राप्त होता है वह इसी वृत्ति-भाग में ही, अतः शीर्षक का नाम 'आनन्दवर्धन एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त' रखा गया है। 'ध्वन्यालोक' ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला प्रथम ग्रन्थ है। अतः इसमें प्रतिष्ठित वक्रोक्ति-विषयक विचारों का ज्ञान परमावश्यक है ।

### अलंकार का स्वरूप

अभी तक के विवेचन में यह देखा गया कि अलंकार, गुण, रस, रीति, वृत्ति आदि के परस्पर सम्बन्ध का कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं रहा । परन्तु ध्वनिकार ने इस दिशा में एक ऐसा क्रांतिकारी एवं प्रभावशाली मोड़ प्रस्तुत किया कि जिसका विरोध प्रायः किसी परवर्ती आचार्य ने नहीं किया । उन्होने काव्य की आत्मा ध्वनि कह कर रसादिध्वनि को आत्मा रूप में प्रतिष्ठित किया । और अलंकारशास्त्र के गुण, अलंकार आदि समस्त तत्त्वों का विवेचन उसी अलंकार्य आत्मभूत रसादि के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया । रस की आत्मरूपता का किसी भी परवर्ती आचार्य ने विरोध नहीं किया । आनन्दवर्धन के अनुसार अलंकार चारुता का हेतु होता है । 'अलंकारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः<sup>1</sup>' जिस प्रकार से कटक कुण्डल आदि शरीर को अलंकृत करते हुए गौणरूप से शरीरी या आत्मा के भी चारुत्व हेतु कहे जाते हैं उसी प्रकार अनुप्रास तथा उपमा आदि अलंकार काव्य के शरीरभूत शब्दों तथा अर्थों को अलंकृत करते हुए काव्य के आत्मभूत रसादि के चारुत्व हेतु होते हैं<sup>2</sup> । 'अलंकारो हि बाह्यालंकारसाम्यादङ्गनश्चारुत्वहेतुरुच्यते<sup>3</sup> ।' वाणी के विकल्प अर्थात् शब्द और अर्थ के वैचित्र्य

1- 'तद्व्याकरोत्सहृदयोल्लामहेतोरानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः' -ध्व. पृ. 0553

2- वही, पृ 197

3- 'ये तमर्थ रसादिलक्षणमङ्गिन सन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवत् । वाच्यवाचकलक्षणा - व्यङ्गानि ये पुनस्तदाश्रितास्तेऽलंकारो मन्तव्याः कटकादिवत्' - वही, पृ 0204

4- वही, पृ 223

अनन्त है और उन्हीं के प्रकार होने के कारण अलंकार भी अनन्त है - 'अनन्ता हि वाग्वि - कल्पास्तत्प्रकारा एव चालंकाराः १' परन्तु इन सभी अलंकारों की अलंकारता तभी सिद्ध होती है जब कि ये अंगी रसादि की दृष्टि से भली-भाँति सोच विचार या समीक्षा करके प्रयुक्त किए जाते हैं। 'वाध्यालंकारवर्गश्च रूपकादिर्यावानुक्तो वक्ष्यते च कैश्चित्, अलंकाराणामनन्तत्वात्, स सर्वोऽपि यदि समीक्ष्य विनिवेश्यते तदलक्ष्यक्रमव्यंग्यस्य ध्वनेरंगिनः सर्वस्यैव चरुत्व- हेतुर्निर्णयद्यते २' अलंकारों की सम्यक् विन्यास की समीक्षा का निरूपण ध्वनिकार ने इस प्रकार किया है -

- (1) अलंकारों की विवक्षा हमेशा अंगरूप में रसादिपरक होनी चाहिए, अंगरूप से कभी नहीं।
- (2) अलंकारों का अवसर पर ग्रहण और अनवसर पर परित्याग कर देना चाहिए। रसमग होते हुए भी अलंकार के अत्यन्त निर्वाह की इच्छा नहीं होनी चाहिए।
- (3) और यदि निर्वाह करना ही चाहे तो उन्हें प्रयत्न करके रसादि के अंग-रूप में ही उपनिबद्ध करे। तभी वे अलंकार रसामिव्यक्ति के हेतु होंगे। और काव्य में चरुत्व की सृष्टि करते हुए अलंकार कहलाने के अधिकारी होंगे। इस प्रकार ध्वनिकार ने पूर्वाचार्यों की अपेक्षा अलंकारों की अलंकारता का निर्णायक एक समीचीन मानदण्ड प्रस्तुत किया।

### अलंकार-सामान्य के रूप में वक्रोक्ति

आनन्दवर्द्धन ने वाणी के विकल्पों के प्रकार रूप में अलंकारों को स्वीकार किया है। 'वाग्विकल्प' पद की व्याख्या लोचनकार ने इस प्रकार प्रस्तुत की है -

'वक्तीति वाक् शब्दः। उच्यते इति वागर्थः। उच्यतेऽनयेति वागभिधा व्यापारः। तत्र शब्दार्थवैचित्र्यप्रकारोऽनन्तः। अभिधावैचित्र्यप्रकारोऽप्यसङ्ख्येयः ४' इस प्रकार वाणी या उक्ति का वैचित्र्य ही अलंकार हुआ अथवा दूसरे शब्दों में वक्रोक्तिप्रकार ही

1- ध्व. पृ० 473

2- वही, पृ० 223

3- ध्वन्या.-विवक्षा तत्परत्वेन नागित्वेन कदाचन।

काले च ग्रहणत्यागौ नातिनिर्वहणौषिता। 2/18।।

निर्व्युद्धावपि चांगत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्।

रूपकादिरलंकारवर्गस्यामत्वसाधनम्। 2/19।।

4- लोचन, पृ० 25

अलंकार हुए । और जैसा कि लोचनकार ने अपने व्याख्यान के समर्थन में भामह की 'वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलकृतिः' <sup>1</sup> इस उक्ति को उद्धृत किया है । उससे भी ४६४४ यही बात समर्थित होती है । परन्तु यह तो रहा आनन्दवर्द्धन के कथन की व्याख्या के बल पर आने वाला वक्रोक्तिविषयक अर्थ । लेकिन इतना ही नहीं स्वयं आनन्दवर्द्धन ने वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग इसी अलंकार-सामान्य के अर्थ में किया है । उनके उस कथन को उद्धृत करने के पहले यह बता देना आवश्यक है कि उन्होंने सहृदयस्लाघ्य अर्थ के दो भेद माने हैं — एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान । उनमें वाच्य-अर्थ को उन्होंने ने उपमा आदि प्रकारों के रूप में प्रसिद्ध बताया है और प्रतीयमान अथवा व्यंग्यार्थ का स्वयं विवेचन किया है <sup>2</sup> । अब कहीं पर वाच्यार्थ प्रधान होता है और कहीं व्यंग्यार्थ इसका विवेचन करते हुए आनन्दवर्द्धन ने कहा है कि —

'यदा वक्रोक्तिं विना व्यंग्यैर्धस्तात्पर्यणं प्रतीयते तदा तस्य प्राधान्यम् । यथा -रक-वादिनि देवर्षी इत्यादि । इह पुनरुक्तिर्भङ्ग्यास्तीति वाच्यस्यापि प्राधान्यम्' <sup>3</sup> । स्पष्ट ही वक्रोक्ति यहाँ अलंकारसामान्य के रूप में प्रयुक्त हुई है । वक्रोक्ति के द्वारा वाच्य-भूत सारे उपमादि अलंकार-प्रकारों का बोध कराया गया है । जहाँ वक्रोक्ति का वैभव प्रधान होगा वहाँ वाच्य की प्रधानता होगी और जहाँ वक्रोक्ति के विना व्यंग्यार्थ प्रधान रूप से प्रतीय होता रहेगा वहाँ व्यंग्यार्थ की प्रधानता होगी ।

अतिशयोक्ति तथा वक्रोक्ति  
←—————→

गुणीभूत व्यंग्यकाव्य का विवेचन करते हुए आनन्दवर्द्धन ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि रूपकादि समस्त वाच्यालंकार किसी व्यंग्य अलंकार अथवा व्यंग्य वस्तु के अंश मात्र का योग होने से शोभातिशय को कारण करते हैं <sup>4</sup> । वाच्यालंकार में अलंकारान्तर की व्यंग्य रूप में स्थिति का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने ने कहा कि 'सबसे पहले तो अतिशयोक्ति अलंकार ही समस्त अलंकारों के मूल में विद्यमान रहता है । और महाकवियों ने उसका इस ढंग

1- भामह काव्या० २/३६, उद्धृत लोचन, पृ० २५

2- योऽर्थः सहृदयस्लाघ्यः काव्यरत्नमेति व्यवस्थितः ।

वाच्यप्रतीक्ष्यमानाद्यो तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैस्त्वमादिभिः ॥' - छ. १/२-३

3- छन्या, पृ० ४८२

4- 'वाच्यालंकारवर्गोऽयं व्यंग्यांशानुगमे सति ।

प्रायेणैवपरी छाया विभ्रत्सह्ये निरीक्ष्यते ॥' छ. ३/३६

से जिस काव्य में प्रयोग किया है वही वह सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करता है । आखिर अपने विषयौचित्य के साथ प्रयुक्त अतिशययुक्तता काव्य में उत्कर्ष कैसे न लाये! 'और अपने इस कथन की पुष्टि करते हुए उन्हो ने भामह के 'सैषा सर्वैव वक्रोक्तिः' कथन को उद्धृत किया । और यह सिद्ध किया कि भामह ने चूंकि अतिशयोक्ति के लक्षण में इस उक्ति को प्रस्तुत किया है अतः अतिशयोक्ति जिस अलंकार में विद्यमान रहती है कवि - प्रतिभा के कारण उस अलंकार में सौन्दर्यातिशय आ जाता है, और जिन अलंकारों में यह अतिशयोक्ति नहीं रहती वे केवल अलंकार ही रह जाते हैं अतः समस्त अलंकारों का शरीर स्वीकार करने की योग्यता होने के कारण अमेदोपचार से भामह ने उसे सर्वालंकार रूप कह दिया है, ऐसा ही अर्थ समझना चाहिए<sup>1</sup> । स्पष्ट रूप से आनन्दवर्द्धन द्वारा अपनी उक्ति के समर्थन रूप में भामह की इस उक्ति का अर्थ किया गया अर्थ क्लृप्त कल्पना को प्रस्तुत करता है । भामह का यही वक्रोक्ति से क्या आशय है इसे भामह के विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है । यही केवल अवधेय यह है कि आनन्दवर्द्धन के इस व्याख्यान से साफ साफ झलकता है कि वक्रोक्ति के अभाव में भी अलंकारत्व सम्भव है । वक्रोक्ति के कारण अलंकार में चारुत्वातिशय आ जाता है । परन्तु वक्रोक्ति के अभाव में किसी अलंकार की अलंकारता में कोई बाधा नहीं । परन्तु आनन्द का यह व्याख्यान भामह के अभिप्राय के सर्वथा विपरीत है । वे कहते हैं 'कोऽलंकारोऽनयाविना'<sup>2</sup> अर्थात् वक्रोक्ति के बिना अलंकार हरे ही नहीं सकता । अलंकार तो केवल वक्रोक्ति ही है—'वक्रामिधेयशब्दोक्तिरेष्टा वाचामलकृतिः'<sup>3</sup> । इतना ही नहीं आनन्द का व्याख्यान भामह की उस उक्ति के सर्वथा विपरीत पड़ता है जब वे वक्रोक्ति का ही प्रतिपादन न होने से हेतु, सूक्ष्म और लेश की अलंकारता का खण्डन करते हैं —

- 1- 'यतः प्रथमं तावदतिशयोक्तिगर्भता सर्वालंकारेषु ऋ शस्यच्छ्रिया । कृतैव च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छािवं पुष्पाति । कथं ह्यतिशययोगिता स्वविषयौचित्येन क्रियन्नाणा सती काव्येनोत्कर्षमावहेत् । भामहेनाप्यतिशयोक्तिलक्षणे यदुक्तम् ।— 'सैषा सर्वैव' इत्यादि ।  
तत्रातिशयोक्तिर्यमलंकारमपितिष्ठति कविप्रतिभावज्ञात् तस्य चारुत्वातिशययोगोऽन्यस्य  
त्वलंकारमात्रतैवेति सर्वालंकारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनामेदोपचास्तु सैव सर्वालंकारूपेत्यस्य-  
 मेवार्थोवगन्तव्यः । 'ध्व. पृ० 465-468

2- काव्या० 2/85

3- वही, 2/36

'हेतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽथ नालंकारतया मतः ।  
समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः १।'

यदि वक्रोक्ति और आनन्द की अतिशयोक्ति एक ही है तो फिर यहाँ अलंकारता का खण्डन कैसे ? यहाँ चारुत्वातिशय भले ही न हो पर हेतुवादि की अलंकारता तो सुरक्षित ही रहनी चाहिए। और यही कारण है कि वक्रोक्ति को सर्वालंकारसामान्य-रूप में कह कर भामह , दण्डी तथा कुन्तक आदि ने जिस संकीर्णता को बचाया है उसे आनन्द स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित करते हैं - 'तस्याश्चालंकारान्तरसंकीर्णत्वं कदाचिद्वाध्यत्वेन, कदाचिद् व्यंग्यत्वेन। व्यंग्यत्वमपि कदाचित् प्राधान्येन कदाचिद्गुणभावेन । तत्राद्येकपक्षे वाध्यालंकार मार्गः । द्वितीये तु ध्वनावन्तर्भावः । तृतीये तु गुणीभूतव्यंग्यरूपता ।' अतः आनन्दवदर्धन के इस व्याख्यान को समीचीन स्वीकार करना भामह के अभिप्राय को कुचलना ही होगा ॥

### वक्रोक्ति अलंकार-विशेष

पूर्व विवेचन में यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि भामह आदि द्वारा स्वीकृत सर्वालंकाररूपावक्रोक्ति को वामन तथा रुद्रट ने अलंकार-विशेष योषित किया। रुद्रट के पर-वर्ती होने के कारण निश्चित ही आनन्द रुद्रट के इस वक्रोक्ति-अलंकारविशेष से परिचित थे। और इसी लिए आनन्द ने वक्रोक्ति के अलंकारसामान्य वाले स्वरूप को प्रस्तुत करने के साथ ही इस अलंकारविशेष वाले स्वरूप की ओर भी इंगित किया है। शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्य-ध्वनि और वाच्यश्लेषादि अलंकार का विषय-विभाग प्रतिपादित करते हुए आनन्दवदर्धन ने कहा है कि जहाँ पर आक्षिप्त होने पर भी अलंकार दूसरे शब्द के कारण अभिहित स्वरूप वाला हो जाता है वहाँ शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्यध्वनि का व्यवहार नहीं होता, बल्कि वहाँ पर वक्रोक्ति आदि वाच्य अलंकारों का ही व्यवहार होता है - 'स चाक्षिप्तोऽलंकारो यत्र पुनः शब्दान्तरेणाभिहितस्वरूपस्तत्र न शब्दशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यंग्यध्वनि व्यवहारः । तत्र वक्रोक्त्यादि वाध्यालंकार व्यवहार एव।' यन्त्री स्पष्ट ही वक्रोक्ति शब्द अलंकारविशेष का प्रतिपादक है। उसके साथ लगा हुआ 'आदि' पद इस आशय को भली-भाँति व्यक्त करता है। यदि

भामह, काव्या०

1- अ. 2/86

2- ध्वन्या. पृ० 468-470

3- वही, पृ० 239-240



वक्रोक्ति का प्रयोग वाच्य अलंकारसामान्य के लिए होता तो आनन्दवर्धन आदि पद का कदापि प्रयोग न करते । वही आनन्द ने जो उदाहरण दिया है वह है भी समीग और अमीग श्लेष को प्रस्तुत करने वाला। श्लोक है -

'दृष्ट्या केशव गोपरागहृतया किञ्चिन्न दृष्टं मया,  
तेनैव स्खलिताऽस्मि नाथ पतिता किन्नाम नालम्बसे ।  
एकरूवं विषमेषु खिन्नमनसा सर्वाबिलानी गति -  
गोप्यैव गदितः सलेशमवताद् गोष्ठे हरिर्विश्वरम् ।।

यद्यपि छट की श्लेषवक्रोक्ति में वक्ता और उत्तरदाता के आशय में विभिन्नता होना स्वीकार किया गया है परन्तु जैसे वही वक्ता की बातों का उत्तर देने वाला श्लेष से दूसरा अर्थ कल्पित करता है उसी प्रकार यही स्वयं कवि ने ही गोपी के कथन के दो अर्थ प्रस्तुत कर उसके भाव को स्पष्ट किया है अतः यथाकथं वित् श्लेषवक्रोक्ति मानी जा सकती है । वैसे चूंकि कुवलयानन्दकार ने इस पद्य को 'विवृतोक्ति' अलंकार के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है , अतः छन्यालोकलोचन की बाल-प्रिया व्याख्या में इस प्रकार व्याख्यान किया गया है कि 'इसी वक्रोक्ति को कुवलयानन्दकार ने 'विवृतोक्ति' अलंकार कहा है—'इमामेव वक्रोक्ति विवृतोक्तिरिति कुवलयानन्दकाराः प्राहुः ।' अतः इस श्लोक में चाहे जो अलंकार माने पर इतना तो सुस्पष्ट ही है कि आनन्दवर्धन ने इस स्थल पर वक्रोक्ति को एक अलंकारविशेष के रूप में ही प्रस्तुत किया है ।

### आनन्दवर्धन और स्वभावोक्ति

यद्यपि आनन्दवर्धन का प्रमुख विवेच्य 'ध्वनि' ही था । वाच्य अलंकारादि नहीं । उनका स्पष्ट कथन है—

'तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकाररूपमादिभिः ।  
बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैस्ततो नेह प्रतन्यते ।।'

अतः अलंकारों का जो कुछ भी विवेचन हमें प्राप्त होता है वह प्रसंगतः ही । एक स्थान पर आनन्दवर्धन कहते हैं कि —अर्थ का आनन्द केवल व्यंग्यार्थ के कारण ही नहीं होता

1- छन्या. पृ० 240

2- बालप्रिया , पृ० 239

3- छन्या. , 1/3

बल्कि वाच्य अर्थ के कारण भी होता है । चेतन तथा अचेतन पदार्थों का यह स्वभाव ही है कि अवस्था, देश, काल और स्वरूप के भेद से उनकी अनन्तता हो जाती है, और इस तरह देश कालादि के भेदों से अनन्त उन वाच्यार्थों का अनेक प्रकार के प्रसिद्ध स्वभावों का अनुसरण करने वाली स्वभावोक्ति के द्वारा भी वर्णन होने पर काव्यार्थ निरवधि हो जाता है ।—'स्वभावोद्भवैर्वाच्यानां चेतनानामचेतनानां च यदवस्थाभेदात्कालभेदात् स्वालक्षण्य-भेदाच्चानन्तता भवति, तैश्च तथा व्यवस्थितैः सदिभः प्रसिद्धानेकस्वभावानुसारणरूपया स्वभावो - क्तयापि तावदुपनिबध्यमानैर्निरवधिः काव्यार्थः सम्पद्यते ।' यही आनन्द ने स्पष्ट स्वभावोक्ति शब्द का प्रयोग किया है जिससे यह स्पष्ट है कि स्वभावोक्तिवर्णन में भी वे वैचित्र्य स्वीकार करते हैं । परन्तु यहाँ उनका आशय स्वभावोक्ति अलंकार से है अथवा केवल स्वभाव-कथन से अधिक स्पष्ट नहीं । वैसे केवल स्वभाव-कथन ही अर्थ लेना समीचीन प्रतीत होता है । परन्तु एक दूसरे स्थान पर स्पष्ट ही वे स्वभावोक्ति की अलंकारता मानते प्रतीत होते हैं । द्वितीय उद्धृत में अलंकारों के प्रयोग की समीक्षा करते हुए कि अलंकार की विवक्षा हमेशा रसादि के अंग-रूप में होनी चाहिए उसके उदाहरण रूप में वे कालिदास के, 'चला - पाड़ी दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीम्' इत्यादि पद्य को उद्धृत कर कहते हैं कि - 'अत्र हि भ्रमरस्वभावोक्तिरलंकारो रसानुगुणः ।' यहाँ स्पष्ट ही स्वभावोक्ति से उनका आशय स्वभावोक्ति अलंकार से ही है । अभिनव गुप्त ने भी यही व्याख्या प्रस्तुत की है साथ ही स्वभावोक्ति अलंकार न मानने वालों का भी उल्लेख कर उनके साथ अस्वारस्य प्रकट किया है— 'सहजसौकुमार्यत्रासकातरायाश्च रतिनिधानभूर्त विकसितारविन्दकुवलयामोदमधुरमधरं पिबतीति भ्रमरस्वभावोक्तिरलंकारोऽङ्गतामेव प्रकृतरसस्योपयोगतः । अन्ये तु भ्रमरस्वभावे उक्तिर्यस्येति भ्रमर-स्वभावोक्तिरत्ररूपकव्यतिरेक इत्याहुः ।' अतः आनन्द निश्चय ही स्वभावोक्ति की अलंकारता स्वीकार करते हैं ।

### राजशेखर तथा वक्रोक्तिसिद्धान्त

राजशेखर का अलंकारशास्त्र-सम्बन्धी एकमात्र ग्रन्थ 'काव्यमीमांसा' उपलब्ध है । काव्य-मीमांसा के प्रथम अध्याय से यह पता चलता है कि राजशेखर ने इस ग्रन्थ की रचना अठारह

1- ध्वन्या, पृ0538-539

2- अमि. शा., 1/25

3- ध्वन्या, पृ0 224

4- लोचन, पृ0224-225, इस बात को बालप्रिया में और भी स्पष्ट कर दिया गया है  
'समासोक्तिव्यतिरेकयोः सत् वेऽप्यत्रस्वभावोक्तेः पुरस्फूर्तिकृत्वात्तन्मात्रमुक्तम् ।' (पृ. 224)

अधिकरणों में की थी । दुर्भाग्य से आज हमें एक ही अधिकरण प्राप्त है । सत्रह वर कोई पता नहीं । यदि वे भी उपलब्ध होते तो निश्चय ही 'काव्यमीमांसा' संस्कृतसाहित्यशास्त्र का अद्वितीय ग्रन्थ होता । प्रथम अधिकरण में उन्होंने 'कविरहस्य' का अठारह अध्यायों में निरूपण किया है । अलंकारादि का विवेचन अन्य अनुपलब्ध अधिकरणों में किया गया होगा । राजशेखर का जो कुछ भी वक्रोक्तिविषयक मन्तव्य इस प्रथम अधिकरण में अथवा उनके रूपकों में यही प्राप्त है उसे ही यही प्रस्तुत किया जा रहा है ।

काव्य में उक्तिवैशिष्ट्य की पर्याप्त महत्ता राजशेखर ने प्रतिपादित की है 'कर्पूरमंजरी' में वे स्पष्ट ही कहते हैं कि उक्तिविशेष ही काव्य होता है —

'अर्थनिवेशस्त एव शब्दास्त एव परिणमन्तोऽपि ।

उक्तिविशेषः काव्यं भाषा या भवति सा भवतु ॥'

'काव्यमीमांसा' में उन्होंने तीन प्रकार के कवि प्रतिपादित किए हैं — शास्त्रकवि, काव्यकवि और उभयकवि । काव्यकवि की विशिष्टता उन्होंने उक्तिवैचित्र्य को ही <sup>प्रतिपादित</sup> किया है । उनका कथन है कि अपने अपने विषय में सभी कवि श्रेष्ठ होते हैं, किसी एक को हीन और दूसरे को श्रेष्ठ कहना उचित नहीं । क्योंकि यदि शास्त्रकवि काव्य में रस सम्पत्ति का विच्छेद कर देता है तो काव्य कवि भी शास्त्र में तर्क के कठिन पदार्थों को उक्तिवैचित्र्यसे शिथिल कर देता है— 'यत्काव्यकविः शास्त्रे तर्ककर्कशमप्यर्थमुक्तिवैचित्र्येण स्लाथयति' <sup>2</sup> । 'काव्य-पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसकी वाणी को वे वक्रोक्तिरूप ही मानते हैं । वे कहते हैं — 'उक्तिचण्डय ते वचः' <sup>3</sup> । कवियों के आवश्यक गुणों का निरूपण करते हुए वे कहते हैं कि कवि का कथन सर्वत्र उक्ति अथवा वक्रोक्तिगर्भित होना चाहिए 'सर्वत्रोक्ति-गर्भमभिधानम्' <sup>4</sup> 'यही उक्ति से आशय वक्रोक्ति से ही है । अन्यथा उक्ति का कोई अर्थ ही नहीं होगा । क्योंकि अभिधान तो उक्ति को कहते ही है <sup>5</sup> । इसके साथ ही अपनी पत्नी अवन्तिसुन्दरी के मत को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह स्वीकृति दी है कि विदग्ध-भणितमगि (अथवा कुन्तक के शब्दों में वक्रोक्ति) से निवेश वस्तु का स्वरूप अनियत स्वभाव वाला हो जाता है । अवन्तिसुन्दरी का कथन इस प्रकार है —

1- कर्पूरमंजरी 1/7 (प्राकृतश्लोक की संस्कृतछाया)

2- का. मी., पृ० 81

3- वही, पृ० 33

4- वही, पृ० 160

5- मधुसूदन मिश्र ने भी यही अर्थ माना है—'उक्तिगर्भ वक्रोक्तिमध्य कथनम्' का. मी. म.

'विदग्धभणितिभीगिनिवेद्यं वस्तुनो रूपं न नियतस्वभावम्' इत्यवन्तिसुन्दरी। तदाह -

वस्तुस्वभावोऽत्र कवेरतन्त्रो गुणागुणावुक्तिवशेन काव्ये ।

स्तुवन्निबन्धात्यमृतांशुमिन्दुं निन्दन्स्तु दोषाकरमाह घूर्तः<sup>1</sup> ।।'

कुन्तक ने वक्रोक्ति का स्वरूप बताते हुए कहा है वक्रोक्ति वेदग्धभीगीभणिति को ही कहते हैं —

'वक्रोक्तिरेववेदग्धभीगीभणितिरुच्यते<sup>2</sup> ।'

इतना ही नहीं 'विदग्धशालभजिका' में राजशेखर<sup>3</sup> स्पष्ट ही सुकवि-वाणीबन्ध के विभूषण-रूप में वक्रोक्ति को स्वीकार करते हैं । तृतीय अंक में जिस समय राजा नायिका को हास्तता पहना देता है तो विदूषक कहता है कि -

'उचितसमागम एष कं न रजयति यदिदानीं निस्तलमुक्ताफलमालालंकरणः सुन्दरीजनो वक्रोक्तिविभूषणश्च सुकवि-वाणीबन्धः<sup>3</sup> ।'

स्पष्ट ही वक्रोक्ति शब्द यही सर्वालंकार-सामान्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है । इस तरह इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि राजशेखर की दृष्टि में काव्य में वक्रोक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है अथवा यह भी कह सकते हैं कि बिना वक्रोक्ति के काव्यता सम्भव नहीं। वक्रोक्ति ही तो काव्य है । अब प्रश्न सामने आता है कि रुद्रट द्वारा स्वीकृत वक्रोक्ति शब्दालंकारविशेष के विषय में राजशेखर को क्या अभिमत है ? रुद्रट के वक्रोक्ति शब्दालंकार-विशेष से वे पूर्णतया परिचित तो थे ही क्यों कि इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने ने किया है। इतना ही नहीं रुद्रट की काकु-वक्रोक्ति का खण्डन भी किया जिसका कि समर्थन आगे चल कर हेमचन्द्र आदि ने भी किया है। राजशेखर का कथन है कि -

'काकुर्वक्रोक्तिर्नाम शब्दालंकारोऽयम्' इति रुद्रटः । अभिप्रायवान् पाठधर्मः काकुः, स कथमलंकारी स्यात् ।' इति यायावरीयः<sup>4</sup> । 'परन्तु श्लेष-वक्रोक्ति के विषय में राजशेखर को क्या अभिमत रहा यह कुछ ज्ञात नहीं । परन्तु जहाँ कहीं उन्होंने ने उक्तिविशेष या वक्रोक्ति का प्रयोग किया है जिनका कि उल्लेख ऊपर किया जा चुका है वे वक्रोक्ति की शब्दालंकारविशेषता के

1- का. मी., पृ० 146

2- व. जी., 1/10

3- विदग्ध. मी., पृ० 110

4- का. मी., पृ० 101

स्पष्ट ही सूचक नहीं है । हाँ, परिहासादि के अर्थ में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है । कर्पूरमंजरी में विदूषक और विचक्षणा के वार्तालाप से यह साफ स्पष्ट है । विदूषक को विचक्षणा किसी बात की सूचना देती है उस पर विदूषक और विचक्षणा का वार्तालाप इस प्रकार है —

\*विदूषक: - अयि विचक्षणे ! सर्वं सत्यमिदम् ?

विचक्षणा - सर्वं सत्यतरम् ?

विदूषक: - नाहं प्रत्येमि, यतः परिहासशीला खलु त्वम् ।

विचक्षणा - आर्य ! मेवं भण । अन्यो वक्रोक्तिकालः, अन्यः कार्यविचारकालः ।

स्पष्ट ही (स्पष्ट) यही वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग परिहासादि के अर्थ में हुआ है ।

निष्कर्ष —

इस प्रकार इस अध्याय के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आचार्य भामह से लेकर राजशेखर तक वक्रोक्ति के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन होते रहे । आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को ही एक मात्र अलंकार मानकर अथवा अलंकार-सामान्य के रूप में प्रस्तुत कर साथ ही अलंकार को काव्य का स्वरूपाधायक तत्त्व प्रतिपादित कर यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित किया कि वक्रोक्ति के बिना काव्यत्व असम्भव है । और इसी लिए वक्रोक्ति से हीन कृष्णकृष्ण कथनों को उन्होने वार्ता कहा, काव्य नहीं, क्योंकि काव्य तो वक्रोक्ति के बिना हो नहीं सकता । रस, गुण, अलंकार सभी को वक्रोक्ति में अन्तर्भूत किया । स्वभावोक्ति की अलंकारता के प्रति अस्वारस्य व्यक्त किया । दण्डी ने इस वक्रोक्ति की परिधि को थोड़ा संकुचित किया । उन्होने स्वभावोक्ति को वक्रोक्ति से पृथक् अलंकार स्वीकार किया । उद्भट ने भी स्वभावोक्ति की अलंकारता स्वीकार की पर वक्रोक्ति के कारण ही । अतः जहाँ दण्डी ने वक्रोक्ति की परिधि को थोड़ा संकुचित किया था उसने उद्भट द्वारा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त किया । भामह का ही सिद्धान्त उद्भट को मान्य रहा । इन तीन आचार्यों के बाद क्वे वक्रता अथवा अतिशय को तो वामन ने भी सर्वालंकार-सामान्य के रूप में स्वीकार किया, और स्वभावोक्ति को उपमादि अलंकारों की कोटि से हटाकर गुणों की कोटि में रसों के साथ स्थापित कर उसकी अलंकारता को अमान्य ठहराया, परन्तु जहाँ वक्रोक्ति सर्वालंकार-सामान्य के रूप में ही प्रतिष्ठित थी उसे एक अर्थालंकार-विशेष का स्वरूप प्रदान कर उसका क्षेत्र संकुचित कर दिया । वामन से भी अधिक प्रभावकारी प्रस्थान छूट का रहा उन्होने वक्रोक्ति को एक शब्दालंकारमात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया, उसका सर्वालंकार-सामान्य

रूप जाता रहा । इस शब्दालंकारविशेष के अतिरिक्त वह केवल वक्र कथन के लिए प्रयुक्त हुई, सर्वालंकार-सामान्य के लिए नहीं। स्वभावोक्ति की अलंकारता उन्होने सबल ढंग से प्रतिपादित की । वास्तव-कोटि में तेइस अलंकारों का निरूपण कर स्वभावोक्ति की अलंकारता को प्रबल समर्थन किया । आनन्दवर्द्धन ने उसके दोनों स्वरूपों को प्रस्तुत किया । उनकी दृष्टि में वक्रोक्ति समस्त वाच्य अलंकारों की सामान्यभूता भी थी और एक शब्दालंकार-विशेष भी । स्वभावोक्ति को भी उन्होने अलंकार स्वीकार किया । राजशेखर ने इस वक्रोक्ति को पुनः काव्य के परमावश्यक तत्त्व के रूप में स्वीकार किया । विना इसके काव्यका काव्यत्व नहीं । उक्तिवैचित्र्य अथवा वैदग्ध्यमगी भणिति को उन्होने प्रमुख स्थान दिया । भामह ने यदि कवि को वक्रवाणी वाला कह रखा था तो राजशेखर ने भी कवि के कथन को हमेशा उक्ति अथवा वक्रोक्ति-गर्म स्वीकार किया । सम्भव है कि राजशेखर ने वक्रोक्ति को पुनः वही प्रतिष्ठा प्राप्त कराई हो जो कि भामह के समय में थी । लगता है कि जिस समय राजशेखर कुन्तक , भोज आदि का आविर्भाव हुआ था उस समय भामह के वक्रोक्ति-सिद्धान्त का पुनर्विवेचन कर उसे प्रतिष्ठित किया जा रहा था । कुन्तक ने भामह के ही वक्रोक्ति-सिद्धान्त को एक सुचिन्तित और परिष्कृत स्वरूप प्रदान किया इसका विवेचन अगले अध्यायों में प्रस्तुत किया जायगा ।

### कुन्तक का काल

आचार्य भामह के अनन्तर वक्रोक्ति की सुदृढ़ स्थापना करने वाले आचार्य कुन्तक हैं। उन्हें वक्रोक्तिसिद्धान्त का सर्वश्रेष्ठ चिन्तक कहना अत्युक्ति न होगी। भामह के विवेचन में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उन्होंने वक्रोक्ति का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिया जो कि इसी बात का सूचक है कि उस समय भामहाभिमत वक्रोक्ति का स्वरूप साहित्य में अत्यन्त प्रसिद्ध था। परन्तु पूर्वाध्याय के सम्पूर्ण विवेचन से यह विदित होता है कि भामह के बाद राजशेखर तक वक्रोक्ति के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन हुए। यहाँ तक कि वह सर्वात्मिकसामान्य के स्वरूप का परित्याग कर एक अलंकारमात्र की कोटि तक पहुँच गई। अतः कुन्तक के लिए आवश्यक था कि वक्रोक्तिसिद्धान्त की स्थापना करते समय वे वक्रोक्ति के स्वरूप को भलीभाँति स्पष्ट करें। कुन्तक ने वैसा किया भी। इसी का विवेचन अब इन अध्यायों में किया जायगा। इसके पहले कि उनके सिद्धान्त का विवेचन करें, उनके समय का निर्णय कर लेना आवश्यक है।

आचार्य कुन्तक का एकमात्र ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवित' उपलब्ध होता है जो कि अपूर्ण एवं खण्डित है। अतः ग्रन्थकार ने ग्रन्थ की समाप्ति पर रचनाकाल इत्यादि का निर्देश किया था या नहीं यह पता नहीं चल पाता। ग्रन्थ के आरम्भ में ग्रन्थकार का अपने विषय में कोई निर्देश नहीं है। अतः कुन्तक के कालनिर्धारण में उनकी पूर्व सीमा का निश्चय उनके ग्रन्थ में उद्धृत कवियों अथवा आचार्यों के नामों एवं उनके ग्रन्थों से उद्धृत उदाहरणों के आधार पर करना होगा। तथा उत्तरसीमा का निर्धारण उनके परवर्ती ग्रन्थों में उनके विषय में किए गए उल्लेखों से करना होगा।

### कुन्तक के काल की पूर्व सीमा

(1) आचार्य कुन्तक ने अपने ग्रन्थ में 'ध्वन्यालोक' की अधोलिखित कारिका उद्धृत की है — 'ननु केशिचत् प्रतीयमानं वस्तु ललनालावण्यं साम्यं लावण्यमित्युपपादितमिति —

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुवास्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिस्ति विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥'

साथ ही 'सवदलीकार' के खण्डन के प्रसंग में उन्हो ने एक अन्य कारिका 5

'प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गन्तु रसादयः ।

काव्येतिष्मिन्नलीकारो रसादिरिति मे मतिः<sup>1</sup> ।।' को उद्धृत कर उसकी वृत्ति में उद्धृत 'क्षिप्तो हस्तावलग्नः<sup>2</sup> 'इत्यादि तथा 'किंहास्येन न मे प्रयास्यसि<sup>3</sup> आदि उदाहरणों को उद्धृत कर उनका खण्डन किया है । इसके अतिरिक्त उन्हो ने अन्य कई स्थलों पर 'ध्वन्यालोक'के वृत्तिभाग से उदाहरणादिक प्रस्तुत किए हैं । उदाहरणार्थ 'क्रियावैचित्र्यवक्रता<sup>4</sup> ' के एक उदाहरण रूप में उन्हो ने 'ध्वन्यालोक' वृत्ति के मंगलश्लोक - 'स्वेच्छाकेसरिणः<sup>4</sup> 'इत्यादि को उद्धृत किया है । इससे स्पष्ट है कि कुन्तक 'ध्वन्यालोक' के कारिकाश एवं वृत्त्यंश दोनो से पूर्णतः परिचित थे । अतः इसमें संशय ही नहीं रह जाता कि वे आनन्दवर्द्धन के परवर्ती थे ।

(2) केवल 'ध्वन्यालोक' से ही नहीं उन्हो ने रुद्र के 'काव्यालीकार' से भी 'भण' तस्मिन् रमण-मन्दिरम्<sup>5</sup> 'आदि तथा 'अनणुरण्मणि' आदि युग्मक श्लोकों को साहित्य का विवेचन करते हुए उद्धृत किया है ।

(3) वैसे तो उद्धरण उन्हो ने राजशेखरविरचित 'विख्यशालभजिका' आदि से भी दिए हैं किन्तु नामोल्लेखपूर्वक उन्हो ने 'प्रकरणान्तर्गतस्मृतप्रकरणरूप' प्रकरण-वक्रता का उदाहरण देते हुए 'बालरामायण' से उद्धरण प्रस्तुत किया है -

'यथाबालरामायणे चतुर्थेऽङ्के लंकेश्वरानुकारी नटः प्रहस्तानुकारिणा नटनानुवर्त्यमानः

कर्पूरद्वय दग्धोऽपि शक्तिमान् यो जने जने ।

नमः शृंगार-बीजाय तस्मै कुसुमधन्वने ।' 6

इतना ही नहीं राजशेखर का एक विचित्रमार्गानुयायी कवि के रूप में नाम्ना निर्देश भी किया है -

'तथैव च विचित्रवक्रत्वविजृम्भितं हर्षचरिते प्राचुर्येण भट्टबाणस्य विभाव्यते । भवभूति-राजशेखरविरचितेषु बन्धसौन्दर्यसुभगेषु मुक्तकेषु परिदृश्यते ।'<sup>7</sup>

1- ध्वन्या. 2/5 उद्धृत व. जी. पृ० 163

2- उद्धृत ध्वन्या., पृ० 145-6 तथा व. जी. पृ० 163

3- ,, वही, पृ० 193 तथा व. जी., पृ० 164

4- ध्वन्या., पृ० 4 उद्धृत व. जी. पृ० 36

5- रुद्र. काव्या. 2/22-23 ,, ,, पृ० 7.

6- बालरामायण 3/11 ,, ,, पृ० 235

7- व. जी. पृ० 71.



इस विषय में कोई संशय नहीं किया जा सकता कि इन तीनों आचार्यों में राजशेखर ही परवर्ती थे । वे स्पष्ट रूप से दोनों आचार्यों का नाम्ना निर्देश करते हैं —

(क) 'प्रतिभाव्युत्पत्तयोः प्रतिभा श्रेयसीत्यानन्दः । सा हि कवेरव्युत्पत्तिकृतं दोषमशेषमा-  
च्छादयति । तदाह—

अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संघ्नियते कविः ।

यस्त्वशक्ति-कृतस्तस्य ऋणित्येवावभासते । ।'

(ख) 'काकुर्वक्रोक्तिर्नाम शब्दालंकारोऽयमिति रुद्रटः । अभिप्रायवान् पाठधर्मः काकुः स कथमल-  
इन्कारी स्यादिति यायावरीयः ।

अतः निश्चित रूप से कुन्तक के काल की पूर्वसीमा राजशेखर के काल के बाद निर्धारित होती है ।

### राजशेखर का काल

राजशेखर ने अपने तीन गुरुओं - 'विद्येशालभञ्जिका', 'कर्पूरमंजरी' तथा 'बालभारत' में अपने गुरु को राजा महेन्द्रपाल का गुरु बताया है —

(क) 'रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः सकल कलानिलयः स यस्यशिष्यः<sup>3</sup> ।'

(ख) 'रहुउलचूडामणिणो महिन्द्रपालस्य को अ गुरुः<sup>4</sup> ।'

(ग) 'देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्यो रघुग्रामणीः<sup>5</sup> ।'

इसके अतिरिक्त राजशेखर ने अपने को बालरामायण में 'निर्मयगुरुः<sup>6</sup>' तथा कर्पूरमंजरी 'बालकई कइराजो विभरराज अस्स तह उवज्जाओ' कहकर अपने को 'निर्मयराज' का गुरु बताया है । पिशेल महोदय ने निर्मयराज और महेन्द्रपाल को एक सिद्ध किया है । इस महेन्द्रपाल का पुत्र था महीपाल जो आर्यावर्त का सम्राट् था । उसका उत्तरेख राजशेखर ने बालभारत में इस प्रकार किया है—

'तेन(महीपालदेवेन) च रघुवंशमुक्तामणिना ऽऽर्यावर्तमहाराजाधिराजेन श्रीनिर्मयनरेन्द्र-  
नन्दनेनाराधिताः सभासदः' इत्यादि ।

1- का. मी., पृ० 75-76

2- वही, पृ० 101-

3- विद्येशालभञ्जिका 46

4- कर्पूरमंजरी, 1/5

5- बालभारत, 1/11

6- बालरामायण, 1/5

7- कर्पूरमंजरी, 1/9

8- बालभारत, पृ. 2

फ्लोट महोदय ने इन महीपाल को 'अस्नीशिलालेख'के राजा महीपाल से अभिन्न सिद्ध किया है । इस शिलालेख का काल विक्रम संवत् 974 अर्थात् 917 ईसवी है । साथ ही पिशेल तथा फ्लोट महोदय ने यह भी निर्देश किया है कि राजशेखर के 'बाल-भारत'एक रूपक की रचना 'महोदय'नामक स्थान में हुई थी जिसे उन्हो ने कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज से अभिन्न सिद्ध किया है । वहीं पर राजा महेन्द्रपाल एवं उनके पुत्र महीपाल ने राज्य किया था । 'सियाडोनी'शिलालेख के अनुसार महेन्द्रपाल का काल 903 - 907 ईसवी तथा महीपाल का काल 917 ईसवी है । अतः राजशेखर का काल , यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाय कि 903 ई0 में जब कि महेन्द्रपाल कन्नौज के सम्राट् थे उस समय उनकी अवस्था चालीस वर्ष भी रही होगी' तो सरलता से 869 ई0 के बाद स्वीकार कर सकते है । अतः राजशेखर का समय निश्चित रूप से 860 तथा 930 ई0 के मध्य निर्धारित किया जा सकता है और इस प्रकार कुन्तक के काल की पूर्व सीमा 920 या 925 ई0 के बाद ही निश्चित होती है ।

### कुन्तक के काल की उत्तरसीमा

कुन्तक का नामानिर्देश महिममट्ट के 'व्यक्तिविवेक', विद्याधर की 'एकावली', नरेन्द्रप्रभसूरी के 'अलंकारमहोदधि' तथा सोमेश्वर की 'काव्यप्रकाशटीका'में किया गया है ।

(क) 'काव्यकीचनकषाश्ममानिना कुन्तकेन निजकाव्यलक्षणि ।

यस्य सर्वानिरवद्यतोदिता श्लोक एष स निर्दिशितो मया ॥'<sup>2</sup>

(ख) 'एतेन यत्र कुन्तकेन भक्तावन्तर्भावितो ध्वनिस्तदपि प्रत्याख्यातम् ॥'<sup>3</sup>

(ग) 'मायुर्यं सुकुमाराभिषमोजोविचित्राभिषं तदुभयमिश्रत्वसम्भवं मध्यमं नाम मार्गं केऽपि बुधाः कुरुतु(न्त)कादयोऽवदन्तुवन्तः । यदाहुः —

'सन्ति तत्र त्रयो मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः ।

सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः ॥'<sup>4</sup>

1-जैसा कि डा0 काणे ने अपने ग्रन्थ 'M.S.P.' में पृ0 226 एवं ७ उसी पृष्ठ पर

पादटिप्पणी सं0 1में निर्देश किया है कि -

'सोमेश्वर (folo 67a) -सुकुमारेति यत्कुन्तकः -

सन्ति तत्र त्रयो मार्गाः कवि प्रस्थानहेतवः ।

सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः ॥'

2- व्यक्तिविवेक, 2/29

3- एकावली, पृ0 51

4- अलं. महो., पृं. 201-202

निश्चय ही इन ग्रन्थकारों में प्राचीनतम महिमभट्ट है जिसको स्वीकार करने में विद्वानों को कोई आपत्ति नहीं है । और इसके भी स्वीकार करने में विद्वानों में दो मत नहीं है कि कुन्तक महिमभट्ट के पूर्ववर्ती थे ।

### कुन्तक तथा अभिनवगुप्त

कुन्तक और अभिनव गुप्त में कौन पूर्ववर्ती था और कौन परवर्ती ? इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है जब कि कुन्तक के कालनिर्धारण का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः इस समस्या को सुलझाना परमावश्यक है । ~~पहले पहले प्राचीन विद्वानों के पक्षों को प्रस्तुत करके अब अभिनव गुप्त के पक्ष को प्रस्तुत करेंगे~~ डा० मुकर्जी तथा डा० लाहिरी ने कुन्तक को अभिनवका पूर्ववर्ती स्वीकार किया है और यह माना है कि अभिनव कुन्तक के 'वक्रोक्ति जीवित' से भली भाँति परिचित थे और अच्छी तरह जानते हुए उन्होंने भरत के लक्षण की कुन्तक की वक्रोक्ति के साथ समानता सिद्ध की ।

1- डा० लाहिरी का कथन है-

The terms and expressions used by Abhinava are undoubtedly those of Kuntaka and this makes it highly probable that the 'Vakrokti-jivita' appeared earlier than the 'Abhinavabhāratī' and Abhinava quite consciously identified (Bharata's) Lakṣaṇas with Kuntaka's 'Vakrokti'."

— C. R. G. - P. 19

डा० मुकर्जी का निबन्ध ~~न~~ प्राप्त ~~हो~~ <sup>न</sup> ~~हो~~ <sup>सकने के कारण</sup> उनके तर्कों के विषय में कुछ

निश्चित नहीं कहा जा सकता । डा० काणे का कथन है - "Dr. Mookerji in B.C. Law Vol. I at p. 183 says the same thing what Dr. Lahiri said."

— M. S. P. (P. 235)

सम्भवतः डा० मुकर्जी ने यह बताया था कि लोचन में कुछ स्थलों पर कुन्तक की बात का निर्देश किया गया है, जैसा कि डा० काणे के इस कथन से स्पष्ट है -

"Dr. Mookerji is not at all right in thinking that the Locana alludes to Kuntaka (B.C. Law, Vol. I, P. 183) There is no evidence ~~enough~~ worth the name to prove this, or even to make the inference very probable."

— M. S. P. (P. 188-189)

डा०लाडिरो और डा० मुखर्जी का यह अभिमत पूर्णतः सत्य है इन बात का प्रतिपादन अभिनव के वक्रोक्ति-सिद्धान्त से सम्बन्ध का विवेचन करते हुए किया जायगा। वस्तुतः कुन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त का सरलता से प्रत्याख्यान करना असम्भव था अतः अभिनव ने उसका अन्तर्भाव भरत के लक्षणों में कर देने का प्रयास किया। अभिनव के लक्षण-विवेचन के अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसे वाते हैं जो अभिनव को कुन्तक का परवर्ती सिद्ध करती हैं उन्हीं पर विचार किया जा रहा है —

(1) आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक वृत्ति<sup>1</sup> में प्रतीयमान-रूपक के उदाहरण रूप में 'ग्राप्तश्रीरेष कस्मात्' आदि श्लोक उद्धृत किया है। कुन्तक ने इसे ही 'प्रतीयमान-व्यतिरेक' के उदाहरण-रूप में प्रस्तुत किया है किन्तु उन्हीं ने आनन्द के मत को भी बड़ी श्रद्धा के साथ इन शब्दों में व्यक्त किया है —

'तत्त्वाधारोपणात् प्रतीयमानतया रूपकमेव पूर्व<sup>2</sup> सूरिभिराम्नातम्।'

इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए अभिनव ने कहा है—

'यद्यपि चात्र व्यतिरेको भाति तथाऽपि स पूर्व<sup>3</sup>सुदेव स्वरूपात् नाद्यतनात्।'

क्या अभिनव का यह कथन कुन्तक के अभिमत को ओर इंगित नहीं करता ?

(2) समान वाचकों में ये कौनो एक के ही चास्तावैशिष्ट्य का प्रतिपादन करते हुए अभिनव ने कहा है —

'तटोतारं ताम्यति । इत्यत्र तट-शब्दस्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे अनादृत्यस्त्रोत्वमेवाश्रितं सङ्ख्यैः—'स्त्रीति नामामि मधुरम्' इति<sup>4</sup>कृत्वा।' अभिनव का यह कथन निश्चित रूप से कुन्तक के 'नामैव स्त्रीति पेशलम्' कारिका<sup>5</sup>श और उन्को वृत्ति का अनुवादमात्र है। कुन्तक ने लिंगवैचित्र्यवक्रता का निरूपण करते हुए कहा है—

सति लिंगान्तरे यत्र स्त्रीलिंगं प्रयुज्यते ।

शोभा निष्पत्तये यस्मान्नामैव स्त्रीतिपेशलम्।

इसके उदाहरण में उन्होंने, 'तटो तारं ताम्यति' आदि श्लोक उद्धृत कर उसकी व्याख्या में कहा है —

1- द्रष्टव्य ध्वन्या० पृ० 261-262

2- व. जी. पृ० 208

3- लोचन, पृ० 262

4- वही, पृ० 359

'अत्र त्रिलिंगत्वे सत्यपि' तट' शब्दस्य, मौकुषार्यात् स्त्रोलिंगमेव प्रयुक्तम् ।'

(3) इतना ही नहीं कुन्तक की वक्रताओं की ओर अभिनव-भारती में उन्नी ने स्पष्ट निर्देश भी किया है। अभिनव-भारती में नाम, आख्यात उपसर्ग आदि की विचित्रता का प्रतिपादन करते हुए विभक्तिवैधित्र्य की व्याख्या करते हुए उन्नी ने कहा है —

'विभक्तयः सुप्तिङ्० वचनानि तैः कारकशक्तयो लिङ्गाद्युपग्रहश्चोपलभ्यन्ते। यथा 'पाण्डिभि मग्नं वपुः। इति वयुष्येव यजनं कर्तृकत्वं तदायत्ती पाण्डिभश्चाधारता गदस्थानीयता द्योतयन्- नीव रुच्यति न तु पाण्डुरुभावं वागुरिति। एवं कारकान्तरेषु वाच्यम्। तद्वन्नं यथा 'पाण्डवा यस्य वाक्' 'वर्गे च पृथग् वेत्यर्था, तथा वैधित्र्येण 'तव हि रात्रस्य चाराः।' — एतदेवोपजीवयानन्द- वर्धनाचार्योक्तं 'सुप्तिङ्० वचनेत्यदि। अन्यैरपि सुबादिवक्रता।'<sup>2</sup>

यही 'अन्येः' के द्वारा स्पष्ट ही कुन्तक की ओर निर्देश किया गया है ।, वैधिली तस्य दाराः 'और 'पाण्डिभि मग्नं वपुः' आदि उदाहरणों की कुन्तक ने भी संख्या का तथा वृत्ति-वक्रता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसा न स्वीकार करने का कोई समुचित कारण भी नहीं है। क्यों कि परवर्ती ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों के उल्लेख से सुबादिवक्रताओं का विवेचन करने वाला कुन्तक के अभाव में कोई दूसरा आचार्य उल्लिखित नहीं है। वक्रत्वित्वादी के रूप में आचार्य कुन्तक ही प्रसिद्ध हैं । महिमभट्ट ने इन्हीं को वक्रताओं और आनन्द की ध्वनियों को एक रूप कहा है। साहित्यमोक्षान्तर —

'ध्वनिवर्णपदार्थेषु वाक्ये प्रकरणे तथा।

प्रबन्धेऽप्याहुराचार्याः केचिद् वक्रत्वमाहितम्।।'<sup>3</sup>

कह कर षड्विध वक्रताओं का प्रतिपादन करने वाली कुन्तक की ही कारिकाओं को उद्धृत करते हैं किसी अन्य आचार्य की नहीं जब कि 'ध्वनिवक्रता' का विवेचन कुन्तक ने नहीं किया। यदि ध्वनिवक्रता की उद्भावना स्वयं साहित्यमोक्षान्तर को न होती तो कम से कम उसके समर्थन में तो किसी अन्य आचार्य का उद्धरण देते। अतः निश्चित ही यहाँ सन्देह करने के लिए कोई स्थान नहीं है। किन्तु, जिसे सन्देह करने की बीमारी हो पकड़ ले उसका कोई इलाज भी तो नहीं है, क्यों कि सन्देह तो किसी भी विषय में आसानी से किया जा सकता है।

1- व. जी. 2/22 तथा वृत्ति

2- अभि० भा०, पृ० 227-229

3- सा० मी० पृ० 115

कुन्तक को अभिनव का पूर्ववर्ती न खोजा करने वाले विद्वान हैं - डा०<sup>1</sup>सैवरन, डा०<sup>2</sup>डे, डा०<sup>3</sup>राषवन तथा भारतरत्न प. म. दाणे<sup>4</sup> महोदय। डा०सैवरन का तर्क है कि 'अभिनव गुप्त ने जो 'अन्यैरपि सुबादिवक्रता' में 'अन्यैः' कहा है, वह कुन्तक के लिए ही कहा गया है ऐसा हल इत्यदि नहीं खोजा कर सकते क्यों कि वक्रोक्तिजोवित में हमें 'सुबादिवक्रता' शब्दों से कोई कारिका नहीं प्राप्त होती।

निश्चित ही डा०साहब का यह कथन बहुत विचार के अनन्तर कहा गया प्रतीत नहीं होता क्योंकि जैसा अगले विवेचन में स्पष्ट होगा अभिनव ने 'सुबादिवक्रता' के द्वारा किसी कारिका के आरम्भ की ओर निर्देश नहीं किया, विषय की ओर किया है। अभिनव गुप्त उक्त स्थल पर नाट्यशास्त्र की 'नामाख्यात' निपातोपसर्ग - (ना०शा० 14/4) आदि कारिका में आये हुए विभक्ति पद की व्याख्या कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से उनका विवेचन यहाँ आनन्द से प्रभावित है। इसी लिए उन्होने - 'विभक्तयः सुप्तिङ्० वचनानि' इस प्रकार व्याख्या प्रस्तुत की है। अतः इनके उदाहरणों को प्रस्तुत करने के अनन्तर उन्होने कहा -

'रतदेवोगजोऽयानन्दवर्धनाचार्येणोक्तं— सुप्तिङ्० वचनेत्यादि।'

यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनका निर्देश आनन्द की 'सुप्तिङ्० वचन-सम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः ।' (धन्या० 3/16) आदि कारिका की ओर है। परन्तु यदि उन्हें 'वक्रोक्तिजोवित' में भी 'सुबादिवक्रता' इत्यादि किसी कारिका की ओर निर्देश करना होता तो वे वहाँ भी कहते - 'अन्यैरपि सुबादिवक्रतेत्यादि।' किन्तु ऐसा न कह कर उन्होने जो केवल 'सुबादिवक्रता' कहा, उसका आशय स्पष्ट है कि वहाँ उनका संकेत किसी कारिका

1- द्रष्टव्य, *Some Aspects*. pp. 118-120.

2- द्रष्टव्य, *Introduction to V. J. (pp. XIV-XV)* यद्यपि डा० साहब स्वयं कुछ दबो जवान से कुन्तक को ऊपर उद्धृत 'नामैव खोति पेशलम्' कारिका तथा उदाहरण 'तटीतारं' और उसकी व्याख्या के सम्बन्ध में व. ज. पृ० 114 पर पाद टिप्पणी में ऊपर उद्धृत अभिनव गुप्त की 'तटी तारं ताम्यति' आदि व्याख्या को उद्धृत कर कहते हैं— "It is possible that this is a reminiscence of Kuntaka's *kārikā* and its illustration."

3- द्रष्टव्य *Some Concepts* पृ० 235 और *Sr. Pr.* 117

4- द्रष्टव्य, *J. S. P.* (p. 236)

को और नहीं बालक विवेचन-प्राप्त को और है । जिने आनन्द ने सुवादिध्वनि कहा है उने ही दूसरे ने सुवादिवद्वता कहा है। अतः डा० साहव को यह धारणा कि 'वक्रोक्ति-जोवित' को सुवादिवद्वता से आरम्भ होने वाली कोई कारिका होनी चाहिए पूर्णतया भ्रान्तिमूलक है । अतः इन आधार पर यह स्वीकार कर लेना कि अभिनव ने कुन्तक को बात का उल्लेख न कर किसी अन्य के अभिमत को ग्रन्थुत किया है-समीचीन नहीं है ।

(4) इनके अतिरिक्त स्यक ने 'अलंकारसर्वस्व' में ध्वनि के विषय में विभिन्न आचार्यों के अभिमतों का उल्लेख करते हुए पहले वक्रोक्तिजोवितकार और भट्टनायक के मतों का उल्लेख कर ध्वनिकार का मत बताया है। और उसके बाद व्यक्तिविद्वेक्षणर का मत प्रतिपादित किया है। इस विषय में कालानुक्रम का निर्देश करते हुए जयरथ ने कहा है—'ध्वनिकारान्तरभावो व्यक्तिविवेककार इति तन्वतग्निह पश्चान्निर्दिष्टम्। यद्यपि वक्रोक्ति-जोवित-हृदयदर्पणकारावपि ध्वनिकारान्तरभाविनादेव' न्यापि तौ ध्वन्ननमतानुयायिनावेवेति तन्वतं पूर्वमेवोद्दिष्टम्।'<sup>2</sup> स्यक और जयरथ द्वारा सही वक्रोक्तिजोवितकार का हृदयदर्पणकार के पूर्व उल्लेख भी इस बात का समर्थक है कि या तो कुन्तक भट्टनायक के भी पूर्ववर्ती थे अथवा उनके सम-सामयिक थे। और इसने भी कुन्तक की अभिनव से पूर्ववर्तिता ही सिद्ध होती है।<sup>3</sup>

1- अभि. भा. 191-192 दो. में दो. में 'वक्रोक्ति-जोवित' का उल्लेख है।

#### आचार्य अभिनव तथा कुन्तक का कालनिर्धारण

जैसा कि अभिनव के अपने तीन ग्रन्थों में दिए गए काल के आधार पर डा० कान्ति चन्द्र पाण्डेय ने अपने शोध-प्रबन्ध 'अभिनव गुप्त' में उनका साहित्यिक-कृतित्व-काल 990-91 ईस्वी से 1014-15 ई० तक निर्धारित कर उनका जन्मकाल 950 और

1- द्रष्टव्य, अलं० स० पृ० 9-16

2- विमर्शिनी, पृ० 215

960 ई० के बीच निर्धारित किया है, स्पष्ट रूप से उसके 25 या तीस वर्ष पूर्व भी कुन्तक का जन्मकाल मान लिया जाय तो उनका जन्म समय लगभग 925 ईसवी के आस-पास स्वीकार किया जा सकता है । साथ ही इस काल का पौर्वापर्य राजशेखर के काल से भी पूर्ण सामंजस्य रखता है । जैसा कि रचनाक्रम महामहोपाध्याय डा०मिराशी ने निर्धारित किया है उसके अनुसार 'बालरामायण' का रचनाकाल 910 ई० के आस-पास ही पड़ेगा । क्योंकि सबसे पहली रचना मिराशी जी ने 'बालरामायण' को ही स्वीकार किया है । तदनन्तर बालभारत, कर्पूरमंजरी, विद्घशालभैजिका और काव्यमीमांसा का रचनाकाल स्वीकार किया है।<sup>2</sup> जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है सियाडोनी शिलालेख के अनुसार निश्चित रूप से <sup>910 ई० तक</sup> 'महोपाल' गद्दी पर बैठ गया होगा । और इसतरह 'बालभारत' का रचनाकाल 915 ई० के आसपास मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इसके बाद यदि दो दो वर्ष के व्यवधान से भी एक एक ग्रन्थ का रचनाकाल निर्धारित किया जाय तो काव्यमीमांसा का रचनाकाल 920 ई० के आस-पास होगा । और इस ढंग से यदि कुन्तक का कृतित्वकाल उनकी 25 वर्ष की आयु की अवस्था के बाद 950 ई० के बाद से भी माना जाय तो 35, 40 वर्षों में बालरामायणादि का अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाना असम्भव नहीं । अतः कुन्तक का कृतित्वकाल दशम शताब्दी के उत्तरार्द्ध का प्रारम्भ मानना ही उचित है । जो कि अभिनव के कृतित्व-काल से भी सामंजस्य रखता है । 25 या 30 वर्षों में 'वक्रोक्तिजीवित' का सहृदयसमाज में प्रसिद्ध हो जाना असम्भव नहीं ।

1- द्रष्टव्य 'अभिनवगुप्त' पृ० 7-8.

2- I would place the works of Raja Śekhara chronologically as follows —

1. The Bālarāmāyana ..
2. The Bālabhārata,
3. The Karpūramāñjarī
4. The Viddhasālabhañjikā
- and 5. The Kāvya-mīmāṃsā.

— Studies in Indology, Vol. I, P. 55



### काव्यलक्षण तथा वक्रोक्ति का स्वरूप

आचार्य कुन्तक ने काव्य का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ स्वीकार किया है कि कवि का कर्म काव्य है—'कवेः कर्म काव्यम्'। लेकिन उनकी स्थापना है कि वही कवि का कर्म काव्य होता है जो अलंकार-युक्त होता है। अलंकार की काव्य में अलंकार्य से पृथक् सत्ता नहीं होती। यदि काव्य से अलंकार को अलग कर दिया जाय तो काव्यता ही समाप्त हो जायेगी। इसी लिए कुन्तक की दृष्टि में काव्य हमेशा सालंकार ही हुआ करता है, काव्य में अलंकार का अलग से योग नहीं होता, उनका कथन है— 'अयमत्र परमार्थः— सालंकारस्यालंकरणसहितसकलस्य निरस्तावयवस्य सतः समुदायस्य काव्यता कविकर्मत्वम्। तैनालंकृतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः, न पुनः काव्यस्यालंकारयोग इति'।<sup>2</sup> आशय यह कि कुन्तक द्वारा स्वीकृत अलंकार कटककुण्डलस्थानीय नहीं है। मनुष्य जब चाहे अपने शरीर से कटककुण्डल को उतार दे और जब चाहे उसे पुनः धारण कर ले। इससे उसके शरीर के शरीरत्व में कोई बाधा नहीं पड़ती। लेकिन काव्य में कुन्तक द्वारा स्वीकृत अलंकार स्वरूप-घायक तत्त्व है। उस अलंकार के अभाव में काव्य का काव्यत्व ही नहीं रहेगा। इसी लिए अलंकार का काव्य में योग नहीं हो सकता है। उसे अलग से कटककुण्डल की तरह जोड़ा जा सकता है।<sup>1</sup> इसी लिए हमेशा अलंकृत वाक्य ही काव्य होता है। और यह अलंकार है केवल वक्रोक्ति। अतः विना वक्रोक्ति के काव्यत्व असम्भव है। जैसा कि अभी बताया गया है अलंकार और अलंकार्य की काव्य में पृथक् स्थिति कुन्तक को अभीष्ट नहीं। फिर भी काव्य की व्युत्पत्ति के उपासभूत होने के कारण अपोद्धार बुद्ध्य से उनका अलग अलग विवेचन उन्होने किया है।<sup>3</sup> जैसे कि वाक्य के अन्तर्गत पदों का तथा पदों के अन्तर्गत प्रकृति, प्रत्यय आदि का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता फिर भी व्याकरणादि शास्त्रों में उनका अपोद्धार-बुद्ध्य से अलग अलग किया गया विवेचन उपलब्ध होता है। और इस तरह काव्य में शब्द तथा अर्थ अलंकार्य है और उन दोनों का एकमात्र अलंकार वक्रोक्ति है।<sup>4</sup> वक्रोक्ति शब्द वक्र तथा उक्ति दो पदों के योग से निष्पन्न

1- व. जी., पृ० 3

2- वही, पृ० 7

3- 'तस्मादेव विधो विवेकः (अलंकार्यालंकारयोः) काव्यव्युत्पत्त्युपायता प्रतिपद्यते'—वही, पृ० 6

4- 'उभावेतावलंकार्यो तयोः पुनरलंकृतिः।

वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभीगीभणितरुच्यते।' — व. जी. 1/10

होता है । वक्र का अर्थ है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ है कथन । इस प्रकार वक्रोक्ति का अर्थ टेढ़ा कथन या टेढ़ी बात हुआ । इस वक्रोक्ति पद का उच्चारण करने से तुरन्त हमारे ध्यान में ऋजूक्ति आ जाती है , वह इसके विपरीत स्वभाव वाली है । अतः जब हम 'टेढ़ी बात' कहते हैं तो तुरन्त ध्यान में आता है कि कोई 'सीधी बात' भी है । वस्तुतः लोकमें जब हम साधारण ढंग से बातचीत करते हैं तो वह बिल्कुल साफ़ और सीधी होती है । किसी अपरिचित व्यक्ति के मिलने पर हम उससे यही पूछते हैं कि 'आप कहीं से आ रहे हैं और आपका शुभ नाम क्या है ?' यह बिल्कुल सीधी बात है, सर्वप्रसिद्ध है । इसी तरह शास्त्रों में किसी भी बात का सीधे ढंग से प्रतिपादन उत्तम समझा जाता है क्योंकि शास्त्रगत विवेचन यदि सीधी शब्दावली में नहीं होगा तो उसका उपदेश सर्वसाधारण को ग्राह्य नहीं होगा और शास्त्र का उद्देश्य ही असफल हो जायगा । इस तरह लोकव्यवहार में तथा शास्त्र में सीधी बात अथवा ऋजूक्ति का महत्त्व होता है । लेकिन काव्य में ऋजूक्ति का कोई महत्त्व नहीं । वहाँ तो वक्रोक्ति का ही साम्राज्य होता है । वहाँ यदि किसी अपरिचित व्यक्ति से 'आप कहीं से आ रहे हैं ? और आपका शुभ नाम क्या है ?' इस ढंग से पूछा जाय तो वह कवि की अशक्ति अथवा उस वाक्य की अकाव्यता का एक द्योतक होगा । वहाँ तो पूछेंगे- 'आपने अत्यधिक उमड़ती हुई विरह-व्यथा वाले किस देश को शून्य कर दिया है ? और कौन से पुण्यशाली अक्षर आपके आपके शुभ नाम की सेवा करते हैं ?' यही स्पष्ट ही वक्रोक्ति है, यह सर्व-साधारण के वश की बात नहीं । इसे रसिक ही समझ सकता है इसका आस्वादन कर इससे आनन्द उठा सकता है, इस उक्ति के चमत्कार का अनुभव कर सकता है और काव्य-मर्मज्ञ ही इसका प्रयोग भी कर सकता है । लोक व्यवहार के कथन में अथवा ऋजूक्तिमें ऐसा कोई चमत्कार नहीं जो इस वक्रोक्ति अथवा काव्य की उक्ति में है । इसी लिए कुन्तक ने वक्रोक्ति को लोक एवं शास्त्र में प्रसिद्ध कथन से व्यतिरेकी विचित्र कथन कहा है । — 'वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा।' तथा 'वक्रो . . . योसौ शास्त्रादिप्रसिद्ध-शब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकी' एवं 'अतिक्रान्तप्रसिद्ध-व्यवहारसरणिः' इत्यादि । आचार्य दण्डी ने

1- 'कतमः प्रविजृम्भितविरहव्यथः शून्यता नीतो देशः ? कानि च पुण्यभाजि भजन्त्याभिध्याम-क्षराणि ?' - हर्षचरित १, पृ: 40, 41.

2- व. जी., पृ 22

3- वही, पृ 14

4- वही, पृ 195

भी काव्य को शास्त्र से भिन्न सरणि वाला ही माना है । यह उनके वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति-रूप से वाङ्मय के विभाजन से तथा शास्त्र में केवल स्वभावोक्ति के ही साम्राज्य की घोषणा से स्पष्ट है । इस प्रकार यह निश्चय होता है कि वक्रोक्ति लोक-व्यवहार एवं शास्त्रादि में प्रसिद्ध कथन से व्यतिरेकी कथन को कहते हैं । अभी अपरिचित व्यक्ति से मिलने पर, लोक एवं काव्य के जिन दो कथनों को ऊपर उद्धृत किया गया है, उन पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीति होती है कि लोक-व्यवहार वाले कथन में वक्ता का कोई चातुर्य नहीं है जब कि दूसरे में वक्ता के चातुर्य की साफ ही भंगिमा झलकती है । दूसरे कथन से सुस्पष्ट है कि वक्ता निश्चय ही अत्यन्त वाक्पटु है । और इसी लिए कुन्तक ने वक्रोक्ति को 'वैदग्ध्यभंगिभणिति' कह र है । विदग्ध का अर्थ होता है निपुण, सयाना, चतुर, और इसी विदग्ध शब्द से भाव अर्थ में 'थञ्' प्रत्यय कके वैदग्ध्य शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है निपुणता, सयानापन या चतुराई । भङ्गी का अर्थ है भंगिमा, विच्छित्ति, सौंदर्य । इस प्रकार चातुर्य की भंगिमा से प्रस्तुत किया गया कथन वक्रोक्ति कहलाता है । ऊपर यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि काव्य की काव्यता इसी वक्रोक्ति के कारण होती है और चूंकि काव्य कवि का कर्म होता है अतः इस वक्रोक्ति को उपनिबद्ध करने का श्रेय कवि को ही होगा । इस वक्रोक्ति से कवि की निपुणता ही व्यक्त होगी इसी लिए कुन्तक ने वैदग्ध्य का अर्थ कवि-कर्म-कौशल किया है—'वैदग्ध्यं विदग्धभावः कविकर्मकौशलं तस्य भङ्गीविच्छित्तिः, तथा भङ्गी भणितिः विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते।'<sup>3</sup> इस वैदग्ध्यभङ्गीभणिति का महत्त्व कुन्तक से पूर्व अवीन्तिसुन्दरी ने प्रतिपादित कर रखा था । इसी विचित्र उक्ति के कारण ही तो उसने वस्तुस्वभाव का आनन्द्य प्रतिपादित किया था -

' विदग्धभणितिभङ्गीनिवेद्यं वस्तुनो रूपं न नियतस्वभावम् इत्यवीन्तिसुन्दरी।'<sup>4</sup>

कुन्तक ने एक मात्र वक्रोक्ति की अलंकारता को और भी अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया है । वस्तुतः अलंकार उसी को कहते हैं जो कि शोभातिशय को उत्पन्न करता है । इस प्रकार

1- देखें काव्यादर्श, 2/363 तथा 2/13

2- 'वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गीभणितिरुच्यते' -व. जी. 1/10

3- वही, पृ० 22

4- का. मी., पृ० 146

काव्य में शब्द और अर्थ तो अलंकार होते हैं उनको कवि किसी अलग अलंकार से अलंकृत करता है। लेकिन वक्रता के वैचित्र्य से युक्त रूप में उनका कथन ही उनका प्रधान अलंकार होता है क्योंकि वही शोभातिशय को उत्पन्न करता है। 'वक्रतावैचित्र्ययोगितायाऽभिधानमेवानयोर्लंकारः, तस्यैवशोभातिशयकारित्वात्'। वस्तुतः साधारण ढंग से सीधे सादे रूप में प्रतिपादित किया गया शब्द और अर्थ का स्वरूप चमत्कारजनक नहीं होता है। लेकिन जब उसी शब्द एवं अर्थ के स्वरूप का प्रतिपादन असाधारण ढंग से वक्रतापूर्ण कथन द्वारा कर दिया जाता है उसमें एक अपूर्व छटा आ जाती है। शब्द और अर्थ का वह स्वरूप सौन्दर्यातिशय से युक्त हो जाता है। अतः शब्द और अर्थ के सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करने के कारण केवल विचित्र कथन या वक्रोक्ति ही उनका एकमात्र अलंकार सिद्ध होता है। कवि का काव्य इसी अलंकार के कारण ही स्वभावतः रसनिष्पन्न रसनिष्ठ से रमणीय हो जाता है। अलंकार तथा अलंकार का अपोद्धार-बुद्धि से पृथक् विवेचन करने वाली कारिका के पूर्व उसकी अवतरणिका के रूप में कुन्तक स्पष्ट ही कहते हैं कि -

'आयत्याच तदात्वे च रसनिष्ठ्यन्द सुन्दरम् ।

येन सम्पद्यते काव्यं तदिदानीं विचार्यते ॥'<sup>2</sup>

और इसके तुरन्त बाद वे इस कारिका को प्रस्तुत करते हैं कि -

'अलंकृतिरलंकार्यमपोद्घृत्य विवेच्यते ।

तदुपायतया तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता ॥'<sup>3</sup>

इससे स्पष्ट है काव्य को हमेशा रसनिष्ठ्यन्द से रमणीय होना चाहिए। और यह रमणीयता उसके सालंकार होने पर ही रहती है, तभी तो सालंकार ही वस्तुतः काव्य होता है और अलंकार का यही अपोद्धार-बुद्धि से पृथक् विवेचन इसलिए किया जा रहा है कि वह काव्यता का उपायभूत है विना अलंकार के काव्यता नहीं होगी, अतः सिद्ध है कि विना अलंकार के रसनिष्ठ्यन्दरमणीयता भी नहीं होगी। और चूंकि अलंकार एकमात्र वक्रोक्ति है अतः काव्य में रसनिष्ठ्यन्द से रमणीयता वक्रोक्ति के कारण ही होती है, यह सिद्ध हो जाता है।

1- व. जी., पृ० 22-23

2- वही, पृ० 6

3- वही, 1/6

इस प्रकार अलंकार और अलंकार्य की दृष्टि से काव्य के स्वरूप का कुछ स्वरूप-निरूपण तो कुन्तक ने किया। परन्तु उसके स्वरूप का भलीभाँति निरूपण करने के लिए उन्होने काव्य का लक्षण दिया - 'शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनी' ।

बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाहलादकारिणी ॥<sup>1</sup>

स्पष्ट ही कुन्तक ने भामह के काव्यलक्षण को एक सुयिन्तित एवं परिमार्जित रूप में प्रस्तुत किया है । भामह ने केवल 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्'<sup>2</sup> को ही काव्य के लक्षण रूप में प्रस्तुत किया है । और उनके शब्दार्थ-साहित्य का आशय अलंकारयुक्त शब्द एवं अर्थ के सामंजस्य से ही था । क्यों कि इस लक्षण को प्रस्तुत करने के पूर्व वे केवल शब्दालंकार-वादियों तथा केवल अर्थालंकारवादियों दोनों का खण्डन कर अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि हमें तो शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों ही अभीष्ट हैं<sup>3</sup> । साथ ही इन शब्दों और अर्थों का एक मात्र अलंकार उन्होने भी वक्रोक्ति को ही माना था -

'वाची वक्रार्थशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते'<sup>4</sup> तथा

'वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः'<sup>5</sup> । अतः इतना तो सुनिश्चित ही है कि कुन्तक पूर्णतया भामह के ही काव्यलक्षण को स्वीकार करते हैं । लेकिन इतना होने के बाद भी भामह का लक्षण सर्वथा सुबोध नहीं था साथ ही तद्विदाहलादकारित्व जैसे महत्त्व-पूर्ण तत्व का कोई विवेचन नहीं किया गया था, अतः कुन्तक को उनके लक्षण का परि-ष्कार करना आवश्यक था । कुन्तक ने अपने काव्यलक्षण में प्रयुक्त प्रत्येक पद<sup>नी</sup> बड़ी ही सुस्पष्ट एवं मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत की है । इसके पहले कि इस व्याख्या का गम्भीर विवेचन किया जाय, पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य-लक्षण पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है - भामह के अतिरिक्त वामन ने भी शब्द और अर्थ को, जो कि गुणों एवं अलंकारों से संस्कृत होते थे काव्य स्वीकार किया -

'काव्य-शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते'<sup>6</sup>

1- व. जो. , 1/17

2- काव्या० 1/16

3- काव्या०, 1/14 तथा 15 - 'शब्दाभिधेयालंकारमेदादिष्टद्वयन्तु नः' ॥

4- काव्या०, 5/66

5- वही, 2/36

6- का.सू.वृ. 1/1/1 पर वृत्ति

काव्य को ग्राह्य उन्होने भी अलंकार के कारण ही माना । और उस अलंकार की सिद्धि गूणी ग्व अलंकारों के उपादान तथा दोषों के परित्याग से स्वीकार की । रुद्रट ने भी शब्द और अर्थ के सम्मिश्रण सम्मिलित रूप को काव्य स्वीकार किया- 'ननु शब्दार्थो काव्यम्' तथा शब्द के विषय में इनका यह कथन कि 'कवि को रचना में उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए जो चारुत्व को उपस्थित करे' स्वम् अर्थ के विषय में यह कहना कि 'अर्थ का उसी प्रकार उपनिबन्धन करना चाहिए जैसा कवि-परम्परा द्वारा चिरकाल से स्वीकृत है चाहे अर्थ का वह स्वरूप वास्तविक न भी हो' इन्होंने भामह और वामन की कोटि में पहुँचा देते हैं क्योंकि इस प्रकार ये भी विशिष्ट शब्द और विशिष्ट अर्थ की काव्यता स्वीकार करते हैं । साथ ही उसी काव्य को इन्होंने इन्होंने यशःप्राप्ति का साधन भी बताया है जिसमें कि शब्दार्थों के दोषों का परित्याग और गुणों का उपादान किया गया होता है। आनन्दवर्धन ने भी शब्द और अर्थ के साहित्य को ही काव्य स्वीकार किया है- 'शब्दार्थयोः साहित्येन काव्यत्वे' । इसके विपरीत आचार्य दण्डी ने 'शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली' कह कर तथा राजशेखर ने 'गुणवदलंकृतं वाक्यमेव काव्यम्' कह कर केवल शब्दों की ही काव्यता का प्राधान्येन प्रतिपादित किया । इनके अतिरिक्त परवर्ती आचार्यों में से भोज, मम्मट, हेमचन्द्र, वाग्भट, विद्याधर, विद्यानाथ आदि ने शब्द और अर्थ दोनों के सम्मिलित रूप को काव्य स्वीकार किया जब कि पण्डितराज जगन्नाथ और विश्वनाथ आदि ने केवल शब्द की काव्यता स्वीकार किया । इनके मन्तव्यों की आलोचना आगे की जायेगी । यहाँ अवश्य केवल इतना है कि इन लोगों ने काव्यलक्षण में, दोषों का अभाव, गुणों का सद्भाव अलंकारों की सत्ता और रसादिक की स्थिति अनिवार्य रूप से स्वीकार की । भामह ने कहा है कि काव्य में एक भी सदोष पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए अन्यथा वह उसी प्रकार निन्दनीय होता है जैसे कुपुत्र के कारण पिता निन्दा का भाजन बनता है -

'सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत् ।  
विलक्षणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्द्यते ॥'

1- रुद्र, काव्या02/1

2- 'रचयेत्तमेव शब्दं रचनाया यः करोति चारुत्वम्। सत्यपि सकलयथोदितपदगुणसाम्ये-  
ऽभिधानेषु।' (वही 2/9)

3- 'सुकविपरम्परया चिरमविगीततयान्यथा निबद्धं यत्।  
वस्तु तदन्यादृशमपि बहूनीयात्तत्प्रसिद्धैव ॥' (वही, 7/8)

4- ध्वन्या0, पृ0538

5- काव्यादर्श/10

6- का0मी0, पृ08।

7- काव्या0, 1/11

दण्डी ने भी इसी बात को समर्थित किया- 'तदल्पमपि नोपेक्ष्य काव्ये दुष्टं कथञ्चन ।  
 स्यादवापुः सुन्दरमपि शिवत्रेणैकेन दुर्मगम् ।।' वामन ने स्पष्ट ही काव्य को अलंकार के  
 कारण ग्राह्य बताया और उस अलंकार की सिद्धि दोषों के परित्याग तथा गुणों एवं  
 अलंकारों के उपादान से मानी।<sup>2</sup> रुद्रट ने भी दोषों से हीन एवं गुणों अथवा अलंकारों तथा  
 रसों से युक्त काव्य को यशः प्राप्ति का साधन बताया।<sup>3</sup> आनन्दवर्धन ने भी प्रायः यही  
 स्वीकार किया । भोज ने भी दोषों से हीन रसादिक, गुणों एवं अलंकारों से युक्त काव्य को  
 ही कीर्ति और प्रीति का हेतु बताया ।<sup>4</sup> मम्मट, हेमचन्द्र, विद्यानाथ तथा वाग्भट आदि ने  
 भी निर्दोष तथा गुणों एवं अलंकारों से युक्त शब्द और अर्थ को काव्य माना । अस्तु,

कुन्तक ने जिन शब्दों एवं अर्थों के सम्मिलित रूप को काव्य स्वीकार किया है वे  
 साधारण एवं प्रसिद्ध वाचक तथा वाच्य शब्द और अर्थ नहीं हैं । काव्य में वही वाचक

1- काव्यादर्श, 1/7

2- 'काव्यं ग्राह्यमलंकारात् ' 'स दोषगुणालंकारहानादानाम्याम्' का.सू. वृ. 1/1/1 तथा 3

3- रुद्र. काव्या०, 11/36 तथा 15/21

4- स. कं. 1/2

5- 'तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि ' - काव्य० प्र०, 1/4

6- 'अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम् ' - हेम. काव्यानु०, 1/11

7- 'गुणालंकारसहितो शब्दार्थो दोषवर्जितौ - - - काव्यम् । प्र. र. म., पृ० 42

8- 'शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः सालंकारो च काव्यम् ' - काव्यानुशासन

9- व. जी. 1/8

शब्द कहलाने का अधिकारी होता है जो कि अनेक वाचको के विद्यमान रहने पर भी कविविवक्षित अर्थ का एकमात्र अद्वितीय वाचक होता है 5

'शब्दो विवक्षितार्थैकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि ।'

कवि-विवक्षित विशेष का प्रतिपादन करने में समर्थ ही शब्द शब्द होता है । क्योंकि कवि द्वारा अपने विवक्षित अर्थ के प्रतिपादक ऐसे ही वाचक का प्रयोग सहृदयों को आह्लादित करने में समर्थ होता है । निदर्शनार्थ कालिदास का 'द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयताम्' इत्यादि श्लोक लिया जा सकता है । वहाँ कवि ने शिव के वाचक 'कपालिनः' पद का प्रयोग किया है । वहाँ कविविवक्षित है शंकर के प्रति पार्वती के मन में घृणा उत्पन्न करना जिससे वे शिव से विवाह करने का हठ त्याग दें । और उस कविविवक्षित को यह 'कपालिनः' पद जो कि बीभत्स का व्यंजक है भलीभाँति प्रतिपादित कर देता है । अतः यह वाचक शब्द कहलाने का अधिकारी है । लेकिन यदि इसी जगह 'पिनाकिनः' पद का प्रयोग कर दिया जाता तो वह निश्चय ही कवि-विवक्षित अर्थ के विपरीत अर्थ का वाचक होगा । यद्यपि है वह भी शिव का वाचक, परन्तु उसमें कविविवक्षित अर्थ को प्रतिपादित करने की सामर्थ्य नहीं है अतः इस प्रसंग में वह शब्द कहलाने का अधिकारी नहीं है । इसी तरह वही वाच्य अथवा अर्थ अर्थ कहलाने योग्य होता है जो सहृदयों को अन्ति आह्लादित करने वाले अपने स्वभाव से ही सुकुमार होता है—

'अर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वप्नन्द सुन्दरः ।' कहने का आशय यह है कि पदार्थ के <sup>2</sup> अनेकों धर्म से सम्बन्ध का वर्णन करता है जिससे कि या तो उस पदार्थ के उसी धर्म से सम्बन्ध का वर्णन करता है जिससे कि या तो उस पदार्थ के परिपुष्ट होती है अथवा वह रस के परिपोष का अंग बन जाता है और ऐसे धर्म से युक्त होने पर ही वह सहृदयों को आनन्दित करने में समर्थ होता है <sup>3</sup> इस लिए काव्य में कवि द्वारा प्रयुक्त वही वाच्य अर्थ होता है जिसके द्वारा या तो पदार्थ के स्वभाव की महत्ता प्रतिपादित होती है अथवा वह रसों की सम्यक् निष्पत्ति कराने में सहायक सिद्ध होता है । लेकिन इसके विपरीत यदि उसके द्वारा न तो वस्तुस्वभाव की महत्ता ही स्पष्ट हुई और न रस ही परिपुष्ट हुआ तो वह अर्थ कहलाने का अधिकारी नहीं।

1- व. जी. 1/9

3- वही, पृ० 19 'यद्यपि पदार्थस्य 5 - - - व्यक्तिमासाद्यति ।'

2- वही, 1/9



इस प्रकार कुन्तक द्वारा स्वोक्त काव्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों एवं अर्थों का विशिष्ट स्वरूप स्वतः उनकी निर्दोषता और रसवत्ता को सिद्ध कर देता है। इसी लिए कुन्तक स्पष्ट शब्दों में कहते हैं — 'तदेव विर्यं विशिष्टमेव शब्दार्थयोर्लक्षणमुपादेयम्।  
पृथङ् न ।  
तेन नेयार्थापार्थदयो दूरोत्सारित्वात्, वस्तुतयाः ।'

इस प्रकार कुन्तक ने काव्य के शब्दों एवं अर्थों का विशिष्ट स्वरूप प्रतिपादित किया। ये दोनों सम्मिलित रूप में ही काव्य होते हैं, केवल रमणीय शब्द अथवा केवल रमणीय अर्थ ही काव्य नहीं होता क्योंकि जैसे प्रत्येक तिल में तैल निक्कलता रहता है उसी प्रकार शब्द तथा अर्थ दोनों में ही तद्विवाहलादकारित्व होता है एक में नहीं। परन्तु काव्य होने के लिए इनका सम्मिलित होना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि सम्मिलित होने पर भी तो किसी न्यूनता अथवा थोड़ा आधिक्य सम्भव हो सकता है और वैसी स्थिति में कुन्तक इन्हें काव्य मानने को तैयार नहीं है। अतः इनमें साहित्य होना चाहिए। वस्तुतः शब्द तथा अर्थ में वाच्य-वाचक सम्बन्ध होने के कारण एक प्रकार का साहित्य तो विद्यमान ही रहता है जो कि सर्वप्रसिद्ध है। 'साहित्योर्भावः साहित्यम्'। लेकिन काव्य में कुन्तक को वह साहित्य नहीं अभीष्ट है क्योंकि उस वाच्यवाचक-लक्षण शाश्वत सम्बन्धनिबन्धन को साहित्य मानने पर एक गाड़ीवान का वाक्य भी काव्य होने लगेगा। क्योंकि वैसा शाश्वतसम्बन्धरूप साहित्य तो उसमें भी विद्यमान रहता ही है। अतः जैसे शब्द और अर्थ का विशिष्ट स्वरूप उन्हें मान्य है वैसे ही वह साहित्य भी विशिष्ट रूप में ही उन्हें अभीष्ट है—'किन्तु विशिष्टमेवेह साहित्यमभिप्रेतम्।' और साहित्य का जितना प्रामाणिक विवेचन कुन्तक ने प्रस्तुत किया है वैसा किसी अन्य आचार्य ने नहीं। कुन्तक के विवेचन से पूर्व राजशेखर ने साहित्य शब्द का विवेचन अपनी 'काव्यमीमांसा' में इस प्रकार किया था— 'शब्दार्थयोर्यथावत् सहभावेन विद्या साहित्यविद्या' अर्थात् जिस विद्या में शब्द और अर्थ का यथावत् सहभाव विद्यमान रहता है उसे साहित्यविद्या कहते हैं।

1- व. जी., पृ० 22

2- 'तस्माद् द्वयोरपि प्रतितिलमिव तैलं तद्विवाहलादकारित्वं वर्तते।' अंश, पृ० 7

3- वही पृ० 26, 'किन्तु न वाच्यवाचकलक्षणशाश्वतसम्बन्धनिबन्धनं वस्तुतः साहित्यमुच्यते। इत्यादि।'

4- का. मी., पृ० 29

परन्तु यथावत् सहभाव से उनका क्या आशय था यह स्पष्ट नहीं। डा० नगेन्द्र ने 'हिन्दोवक्रोक्तिजोवित'की भूमिका (पृ० 22) पर लिखा है - 'कुन्तक के पूर्ववर्ती किसी आचार्य को यह (साहित्य विवेचन का) गौरव नहीं दिया जा सकता : उनके परवर्ती आचार्यों में भी भोज तथा राजशेखर आदि कुछ गिने चुने आचार्यों ने ही इस महत्त्वपूर्ण (साहित्य)शब्द की व्याख्या की है।' लगता है डा० साहब ने ये पंक्तियाँ विना 'वक्रोक्ति-जोवित'का सम्यक् अध्ययन किए ही लिख दी है। अन्यथा राजशेखर को कुन्तक का परवर्ती कदापि न कहते। कुन्तक ने अपने ग्रन्थ में कालिदास के बाद राजशेखर के ही 'बाल-रामायणादि'ग्रन्थों में सर्वाधिक उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। इतना ही नहीं विचित्र मार्ग के अनुयायियों में भवभूति के साथ राजशेखर का नामतः उल्लेख (हि. व. जी) पृ० 156 पर भी किया है। साथ ही राजशेखर का साहित्य विवेचन ऊपर उद्धृत एक वाक्य के अतिरिक्त और कुछ अधिक प्राप्त भी नहीं होता है। राजशेखर के अतिरिक्त कुन्तक के <sup>पूर्ववर्ती</sup> किसी भी आचार्य ने साहित्य का विवेचन नहीं किया। कुन्तक ने साहित्य का लक्षण दिया -

'साहित्यमनयोः शोभाशालिता प्रति काप्यसौ ।

अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥'

अर्थात् साहित्य उसे कहते हैं जहाँ पर सौन्दर्यश्लाघा के लिए अथवा 'सहृदयाह्लादकारिता' के लिए शब्दों तथा अर्थों में परस्पर होड़ लगी रहती है। दोनों में से एक को भी न्यूनता अथवा उत्कर्षयुक्तता नहीं होती। दोनों समान रूप से सहृदयों को आनन्दित करने में समर्थ होते हैं<sup>2</sup>। इस शब्द और अर्थ की अन्यूनानतिरिक्तता की बात कौटिल्य ने 'अर्थ-शास्त्र' में लेख के गुणों का वर्णन करते हुए 'परिपूर्णता' नामक गुण के लक्षण में कही थी- 'अर्थपदाक्षरणामन्यूनानतिरिक्तता हेतुदाहरणदृष्टान्तरथोपवर्णनाश्रान्तपदतेति परिपूर्णता'<sup>3</sup>। कुन्तक का कहना है कि जैसे सभी समान गुणों वाले दो मित्र मिल कर एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार जहाँ सभी समानगुणों से युक्त शब्द और अर्थ एक दूसरे की

1- व. जी., 1/17

2- वही, पृ० 26

3- अ. शा. 2/19/11

शोभा बढ़ाते हैं उस स्थिति को साहित्य कहते<sup>1</sup> हैं । यह : सौन्दर्यशालिता के प्रति परस्पर स्पर्धा-रूप साहित्य शब्द का दूसरे शब्द के साथ तथा अर्थ का दूसरे अर्थ के साथ हो अमोघ<sup>2</sup> है । क्यों कि जब शब्द शब्दों के साथ तथा अर्थ अर्थों के साथ स्पर्धा कर सुन्दरतम रूप में उपस्थित होगा तभी दोनों सुन्दरतम स्वरूप को उपस्थित करने में समर्थ होंगे और तभी सहृदयों को आनन्दानुभूति होगी । इस प्रकार यद्यपि दोनों का अपने सजातीयों से ही साहित्य अमोघ है फिर भी एक का साहित्यहीन होना दूसरे को भी साहित्यहीन बना देता है । अतः किसी में भी साहित्यविरह नहीं होना चाहिए- कुन्तक कहते हैं कि - 'परमार्थतः पुनरु - भयोरप्येकतरस्य साहित्यविरहोऽन्यतरस्यापि पर्यवस्यति'<sup>3</sup> । 'क्योंकि यदि अर्थ बहुत ही रमणीय है परन्तु उसका सम्यक् प्रतिपादन करने में उसका वाचक समर्थ ही नहीं तो वह भी निर्जीव सा ही हो जाता है । इसी तरह शब्द भी यदि बड़ा रमणीय रहः लेकिन वाक्य के लिए उपयुक्त उसे वाच्य न मिला तो वह भी दूसरे अर्थ का वाचक होकर उस वाक्य के लिए व्याप्ति-सा हो जाता है । अतः शब्द तथा अर्थ दोनों में ही साहित्य का होना परमावश्यक है ।

इस प्रकार जहाँ पर शब्दों तथा अर्थों में सुकुमारादि मार्गों के अनुरूप रमणीय माधुर्य आदि गुणों को एवं वक्रता के अतिशय से युक्त अलंकारों की रचना को, तथा वृत्तियों के औचित्य से मनोहर रसों के परिपोष को प्रस्तुत करने में होड़ लगी रहती है वह कोई अनिर्वचनीय एवं सहृदयों को आनन्दित करने में समर्थ स्थिति साहित्य कही जाती है<sup>4</sup> । इस प्रकार कुन्तक के साहित्य में अन्य आचार्यों द्वारा काव्यलक्षण में स्वीकृत गुणों, अलंकारों एवं रसों का सद्भाव अन्तर्भूत है ।

1- समसर्वगुणौ सन्तौ सुहृदाविव सद्गुस्तौ ।

परस्परस्य शोभायै शब्दार्थौ भवतो यथा ।।' (व. जी. 1/18श्लोक)

2- 'साहित्यावित्यत्रापि यथायुक्ति स्वजातीयापेक्षया शब्दस्य शब्दान्तरेण वाच्यस्य वाच्यान्तरेण च साहित्यं परस्परस्पर्धित्वलक्षणमेव विवक्षितम् । अन्यथा तदिवदाह्लादकारित्वहासिनः प्रसज्येत् ।' पृ० 12 (व. जी. ०)

3- वही, पृ० 14

4- मार्गानुगुण्यसमगौ माधुर्यादिगुणोदयः

अलंकारावित्यसौ वक्रतातिशयान्वितः ११

वृत्त्यौचित्यमनोहारि रसानां परिपोषणम् ।

स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्वमयोरपि ।।

सा काव्यवस्थितिस्तदिवदानन्दसन्दसुन्दरा ।

पदादिवक्त्रस्यन्द सारः साहित्यमुच्यते ।। ( व. जी. पृ० 28)

बन्ध का स्वरूप:- इस तरह जब उपर्युक्त स्वरूप वाले शब्द और अर्थ इस विशिष्ट साहित्य के साथ बन्ध में व्यवस्थित होते हैं तभी काव्य होता है। इस काव्य-लक्षण में बन्ध शब्द का प्रयोग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। बन्ध से आशय है वाक्यविन्यास से। वाक्य में उपनिबद्ध ही शब्द और अर्थ काव्य होने हैं। इसीलिए 'शब्दार्थो सहितौ' इत्यादि काव्य-लक्षण में प्रयुक्त शब्द और अर्थ शब्द के द्विवेचन का आशय शब्द जाति तथा अर्थ जाति के द्वित्व से है। अन्यथा व्यक्ति अर्थ होने पर एक पद में व्यवस्थित भी शब्द और अर्थ काव्य होने लगते हैं। कुन्तक का कथन है- 'दिवचनेनात्र वाच्यवाचकजातिदिवत्वमभिधीयते। व्यक्तिदिवत्वमभिधाने पुनरेकपदव्यवस्थितयोरपि काव्यत्व स्यादित्याह-बन्धे व्यवस्थितौ<sup>1</sup>।' बन्धकवि-व्यापार से सुशोभित होने वाले उस वाक्यविन्यास को कहते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों के सौभाग्य तथा लावण्य गुणों को परिपुष्ट करता है। अर्थात् जिसके कारण रचना सुन्दर और सहृदयी को आह्लादित करने वाली हो जाती है -

'वाच्यवाचकसौभाग्यलावण्यपरिपोषकः ।

व्यापारशाली वाक्यस्य विन्यासो बन्ध उच्यते।।- - - -

सौभाग्यं प्रतिभासरम्भफलभूतं चैतनचमत्कारित्वलक्षणम् । लावण्यं सन्निवेशसौन्दर्यम्<sup>2</sup> ।  
लेकिन बन्ध में यह सौंदर्य तभी आ सकता है जब कि वह कवि के वक्र व्यापार से सुशोभित हो। वक्रोक्ति का स्वरूप निरूपण करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वक्रोक्ति से आशय उस वैचित्र्य-युक्त कथन से है जो लोक एवं शास्त्र में प्रसिद्ध कथन से व्यतिरेकी होता है। कुन्तक ने कवि-व्यापार की इस वक्रता के मुख्यतया छः भेद प्रतिपादित किये हैं, काव्य की सबसे छोटी इकाई वर्णों से लेकर सबसे बड़ी इकाई प्रबन्ध तक इस वक्रता का साम्राज्य है। इसी लिए वर्णविन्यासवक्रता, पदपूर्वार्धवक्रता, पदपरार्धवक्रता, वाक्यवक्रता, प्रकरणवक्रता और प्रबन्धवक्रता नाम से उन्होने छः प्रधान भेद प्रतिपादित किए हैं। इन समस्त वक्रताओं का प्राण औचित्य है<sup>3</sup>। इनका विस्तृत विवेचन अगले

1- व. जी. पृ० ११

2- वही, १/२२ तथा वृत्ति

3- वही, १/१८-२१

'कवि-व्यापारवक्रत्वप्रकाराः सम्भवन्ति षट्।

प्रत्येकं बहवो भेदास्तेषां विच्छित्तितशोभिनः ।। ' इत्यादि '

अध्याय में किया जायगा । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि कवि-व्यापार की वर्ण-विन्यास आदि वक्रताओं से सुशोभित होने वाले, सौभाग्य एवं लावण्य गुणों को परि-पुष्ट करने वाले उस वाक्य विन्यास को काव्य कहते हैं जिसमें कविविवक्षित अर्थ के एकमात्रवाचक शब्दों तथा सहृदयों को आह्लादित करने वाले अपने स्वभाव से ही रमणीय अर्थों का सौन्दर्यशालिता के प्रति परस्पर-स्पर्धा-रूप साहित्य विद्यमान रहता है साथ ही वह वाक्यविन्यास काव्यतत्त्वज्ञों को आनन्दित करने में सर्वथा समर्थ होता है । 'अतः कुन्तक के अनुसार काव्यताकी सबसे बड़ी कसौटी 'तद्विदाह्लादकारित्व' है । और उस तद्विदाह्लादकारित्व को प्रस्तुत करने का श्रेय कवि के वक्र व्यापार को है । यह तद्विदाह्लादकारित्व अनिर्वचनीय है केवल अनुभवैकगम्य है । यह शब्द, अर्थ तथा अलंकार तीनों से स्वरूपतः भिन्न है, तथा इन तीनों के उत्कर्ष से अतिशायी उत्कर्षवाला है लोकोत्तर है—

'वाच्यवाचकवक्रोक्ति-त्रितयातिशयोत्तरम् ।

तद्विदाह्लादकारित्वं किमप्यामोदसुन्दरम् ।।'

शब्द की शब्दता, अर्थ की अर्थता, साहित्य के साहित्यत्व, कवि-व्यापार की वक्रता और बन्ध के बन्धत्व का निर्णायक तद्विदाह्लादकारित्व ही है । और इन सबको तद्विदाह्लादकारी रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय कविकर्मकौशल अथवा कवि-व्यापारवक्रता को है । विना कवि-व्यापार की वक्रता के तद्विदाह्लादकारित्व आ ही नहीं सकता । वक्रकवि-व्यापार ही उसका असाधारण कारण है । उस कारण की असाधारणता को सूचित करने के लिए ही कुन्तक एक स्थान पर उन दोनों में अभेद स्थापित कर देते हैं और प्रकरणवक्रता के प्रसंग में कहते हैं—'अत्र च तद्विदाह्लादकारित्वमेव वक्रत्वम्' । उनका यह कार्यकारण का अभेद-कथन इसी बात का सर्वोद्द्योतक है कि वक्रकवि-व्यापार तद्विदाह्लादकारित्व का असाधारण कारण है, विना उसके तद्विदाह्लादकारित्व सम्भव नहीं । 'इस वक्रता के विद्यमान रहने पर विना अर्थ की पर्यालोचना किए ही केवल बन्ध-सौन्दर्य की सम्पत्ति गीत के समान काव्यतत्त्वज्ञों के हृदयों को आह्लादित करती है । साथ ही अर्थ का ज्ञान हो जाने पर पदार्थ और वाक्यार्थ से भिन्न पानक रस के आस्वाद की तरह सहृदयों के अन्तःकरण में किसी अनिर्वचनीय आह्लाद की अनुभूति होती है । जब कि इस वक्रता के अभाव में कवियों के वाक्य ऐसे ही निर्जीव हो जाते हैं जैसे जीवित के विना शरीर

और स्फुरण के बिना जीवित। और जब यह वज्रता विद्यमान रहती है तो वाणी उस अनिर्दिश्योय गौभाग्य को प्राप्त करती है जिसे कि केवल उसके नर्म को समझने वाले को समझ पाने है, अन्य नहीं।

इस प्रकार कुन्तक के काव्यलक्षण के विवेचन से यह निष्कर्ष सामने जाता है कि उन्हो ने अपने लक्षण को अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति दोनों से पूर्णतया बचाने का सब ब्रह्म के लक्ष्मी रूप को प्रस्तुत करने का पर्याप्त प्रयास किया है। वह ठीक भी है क्यों कि प्रत्येक आचार्य अपने लक्षण को पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता ही है। डा० नगेन्द्र ने हिन्दी व. जी. की भूमिका में कुन्तक के इस काव्यलक्षण को असफल घोषित किया है। उनके कथन की समीक्षा आवश्यक है अतः उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। डा० साहब का कना है कि - 'कुन्तक को अपनी शब्दावली सर्वथा निर्दोष नहीं कही जा सकती। एक तो 'बन्धे व्यवस्थितौ' का पृथक् उल्लेख अपने आप में सर्वथा आवश्यक नहीं क्यों कि 'व्यवस्थितौ' 'सन्धित' शब्द के पश्चात् इसके लिए कोई विशेष अवकाश नहीं रह जाता। 'सन्धित' बन्ध में व्यवस्थित ही होगा।' निश्चय ही डा० साहब ने ध्यान नहीं दिया, अन्यथा इसका उत्तर कुन्तक स्वयं दे चुके थे। साहित्य तो एक शब्द और एक ही अर्थ में भी होता है। कुन्तक से पूर्व यह व्यवस्था जिसने कर रखी थी कि साहित्य केवल बन्ध में ही सम्भव है। केवल 'सन्धितौ' पद से लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित होता, अतः 'बन्धे व्यवस्थितौ' यह उल्लेख तो परमावश्यक था। और जब यह निश्चय हो जाता है कि बन्ध में विशेष रूप से अतिव्यक्त शब्द और अर्थ ही काव्य है तभी कुन्तक के इस कथन की भी समीचीनता सिद्ध होती है कि साहित्य का यहाँ आशय शब्द की दूसरे शब्द के साथ तथा अर्थ की दूसरे अर्थ के साथ परस्पर स्पर्धा से है<sup>3</sup>। डा० साहब की दूसरी आलोचना है कि कुन्तक के काव्यलक्षण की शब्दावली व्याख्यापेक्षी है। वे कहते हैं कि - 'वक्रकविद्यापारशाली विशेषण व्याख्या सापेक्ष(सापेक्ष्य) है।

1- व. जी. 1/37 से 40 तक अन्तरश्लोक

2- हि. व. जी. भूमिका पृ० 21।

3- व. जी. पृ० 12

कुन्तक की वक्रता स्वयं एक विशिष्ट प्रयोग है फिर कविव्यापार की व्यवस्था भी अपेक्षित है, पहले कवि का लक्षण फिर व्यापार का लक्षण करना पड़ेगा तब कविव्यापारशाली का आशय व्यक्त हो सकेगा ।' जेमी आलोचना करने से पहले पता नहीं कौन सा लक्षण डा० साहब ने पा लिया था अथवा स्वयं दे दिया था जो व्याख्यासापेक्ष नहीं था । भामह के जिस लक्षण को वे सबसे अधिक सन्तोष प्रद बताते हैं क्या उसमें सहितो पद व्याख्यासापेक्ष नहीं ? क्या शब्द और अर्थ स्वयं व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखते ? क्या वामन की रीति और आनन्द की ध्वनि व्याख्यासापेक्ष नहीं ? क्या मम्मट आदि द्वारा काव्यलक्षण में प्रयुक्त दोष, गुण, अलंकार आदि पद व्याख्यासापेक्ष नहीं ? क्या विश्वनाथ के 'वाक्य रसात्मक काव्यम्' में वाक्य और रसात्मक पद व्याख्यासापेक्ष नहीं ? क्या पण्डितराज के 'रमणीयार्थ प्रतिपादकः 'शब्दः काव्यम्' में रमणीयादि पद स्वयं व्याख्यासापेक्ष नहीं ? क्या आधुनिक शब्दावली में प्रयुक्त होने वाला 'कलात्मक' शब्द स्वयं व्याख्यापेक्षी नहीं ? और यदि ये सभी व्याख्यासापेक्ष नहीं थे तो क्या इन सभी आचार्यों को पागलपन ने आ घेरा था जो उनकी व्याख्या प्रस्तुत की । अतः निश्चित ही डा० साहब का यह आक्षेप निस्सार है । क्योंकि किसी भी वस्तु का लक्षण पहले आचार्य गण सूत्र रूप में संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और फिर उस लक्षण में प्रयुक्त शब्दों की भलीभाँति व्याख्या कर उसवस्तु के स्वरूप का सुस्पष्ट निरूपण करते हैं । केवल मम्मट के 'तददोषो शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' काव्य लक्षण को पढ़ लेने से ही मम्मटाभिमत काव्य का सही स्वरूप किसी की समझ में नहीं आ सकता जब तक कि वह मम्मट के सम्पूर्ण ग्रन्थ को भलीभाँति पढ़कर दोषो, गुणो एवं अलंकारो के उनके अभिमत स्वरूप को अच्छी तरह न समझ ले । केवल 'गन्धवती पृथ्वी' कह देने से पृथ्वी का स्वरूप कोई नहीं समझ ले । अतः यह आक्षेप कि लक्षण की शब्दावली व्याख्यापेक्षी है, तत्त्वहीन ही प्रतीत होता है । इन बातों के अलावा डा० साहब ने एक और भी आक्षेप उठाया है । आप का कहना है कि "तद्विद का आशय भी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है । काव्यमर्मज्ञ को आह्लाद देता है- यह तो कोई बात नहीं है।"

1- हि. व. जी. भूमिका, पृ० 21।

2- वही, पृ० 21।

पता नहीं डा० साहब के इस कथन का क्या आशय <sup>का</sup> ? उनका यह कथन स्वयं व्याख्या-सापेक्ष है । यदि काव्य द्वारा काव्यमर्मज्ञ के आह्लादित होने पर 'कोई बात' ही नहीं है तो पता नहीं काव्य के मर्म को न समझने वाले किनके आह्लादित होने पर 'कोई बात' होगी। क्या काव्य के काव्यत्व का निर्णय काव्यतत्त्व से अनभिज्ञ के आह्लादित होने पर डा० साहब को मान्य है अथवा और कुछ-कुछ स्पष्ट नहीं । हाँ, डा० साहब का ध्यान यदि 'बन्दर क्या जाने अदरख का स्वाद' अथवा 'मैस के आगे बीन बाजे मैस खड़ी पगुराय' इत्यादि हिन्दी को लोकोक्तियों की ओर भी गया होता तो शायद ऐसा न कहते । शायद किसी गँवार अनपढ़ देहाती के सामने डा० साहब यदि शेक्सपीयर के रूपको को प्रस्तुत करे तो वह अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ से अधिक आनन्द प्राप्त कर सकेगा । और उस समय यह 'कोई बात' हो सकेगी । दण्डी, आनन्दवर्द्धन, कुन्तक, अभिनव आदि आचार्य सचमुच काव्य के रहस्य को नहीं समझ सके थे तभी तो बैचारो ने काव्यानन्दानुभूति की बात रसिकों सहृदयों एवं काव्यमर्मज्ञों के लिए की। दण्डी ने यह व्यर्थ ही तो काव्यता की कसौटी प्रतिपादित की कि-

'न्यूनमप्यत्र यैः कैश्चिदङ्गैः काव्यं न दुष्यति ।

यद्युपात्तेषु सम्पत्तिराराधयति तद्विददः ॥'

आनन्द ने नाटक ही 'सहृदयमनःप्रीतये' ध्वनि का स्वरूप-निरूपण किया, उन्हें तो 'शाकटिक-मनःप्रीतये' अथवा 'काव्यतत्त्वानभिज्ञमनःप्रीतये' ध्वनिस्वरूप का निरूपण करना था, तभी तो 'कोई बात' होगी। खैर, यह तो रही डा० साहब की बात इसे वे ही जाने । हमें तो सहृदय-शिरोमणि आनन्दवर्द्धनाचार्य की ही बात मान्य है कि - 'वैकटिका एव हि रत्नतत्त्वविदः, सहृदया एव हि काव्यानी रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः<sup>2</sup>।' अतः काव्य का परीक्षण और उससे आनन्दोपलब्धि काव्यमर्मज्ञ सहृदय ही कर सकता है । अन्य नहीं । किसी को यह शंका हो सकती है कि कुन्तक यदि 'शब्दार्थो सहितो बन्धे व्यवस्थितौ काव्यम्' इतना ही काव्य का लक्षण देते तो भी काम चल सकता था क्यों कि शब्द, अर्थ, साहित्य, एवं बन्ध के स्वरूप विवेचन से ही षड्विधव्यापार और तद्विदाह्लादकारित्व का माहात्म्य एवं स्वरूप प्रकट हो जाता है । पर ऐसी शंका समीचीन नहीं होगी क्यों कि कवि का षड्विधव्यापार ही तो इन सब में प्रधान है और उसी के कारण ये सभी अपने सही स्वरूप को

1- काव्यादर्श, 1/20

2- ध्वन्या०, पृ० 519



प्राप्त करते हैं, यह भलीभाँति स्पष्ट किया जा चुका है । यहाँ तक कि साहित्य के विवेचन में कुन्तक स्पष्ट ही कह उठते हैं कि साहित्य के प्राधान्य में भी परमार्थतः प्राधान्य कविप्रतिभा की प्रौढिका ही होता है - 'यद्यपि द्वयोरप्येतयोस्तत्प्राधान्ये-  
नैववाक्योपनिबन्धः, तथापि कविप्रतिभाप्रौढिरेव प्राधान्येनावतिष्ठते<sup>1</sup> ।' बन्ध के लक्षण में कहते हैं कि व्यापार से सुशोभित होने वाला वाक्यविन्यास ही बन्ध कहलाता है ।  
'व्यापारशाली वाक्यस्य विन्यासो बन्ध उच्यते'<sup>2</sup> अतः वक्रकविद्वयव्यापार का काव्यलक्षण में उपादान परमावश्यक था । साथ ही इन सब के परखने की कसौटी है तद्विदाह्लाद-  
कारित्व<sup>3</sup> उसका माहात्म्य शब्दादिक प्रत्येक के स्वरूप विवेचन में अत्यन्त स्पष्ट ही रहा है, अतः सर्वाधिक प्राधान्य के कारण उसका भी काव्यलक्षण में उपादान अनिवार्य था । इस लिए इन दोनों पदों के प्रयोग को अधिक और अनावश्यक कहना समीचीन नहीं प्रतीत होता ।  
तभी तो मम्मट ने भी काव्य का लक्षण 'तददोषो' इत्यादि देते हुए भी काव्य को लोको-  
त्तर वर्णना में निपुण कवि का कर्म कहा है- 'शब्दार्थयोगुणभावेन रसगभूतव्यापारप्रवणतया  
विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरवर्णना निपुणकविकर्म'<sup>3</sup> इत्यादि ।

### काव्यप्रयोजन

प्रसिद्ध है कि विना प्रयोजन के मन्दबुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता- 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते' । श्लोक-वार्तिक में स्पष्ट रूप से प्रति-  
पादित किया गया है कि सभी शास्त्रों का अथवा किसी भी कर्म का जब तक प्रयोजन नहीं  
बताया<sup>4</sup> तब तक उसे कोई भी ग्रहण नहीं करता । इसी लिए प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्भ में  
ग्रन्थकार उसके अनुबन्ध चतुष्टय अर्थात् अभिधान, अभिधेय प्रयोजन और सम्बन्ध का निरूपण  
करते हैं । जहाँ तक अलंकारशास्त्र के ग्रन्थों का प्रश्न है अधिकतर ग्रन्थकारों ने अपने  
शास्त्रीय ग्रन्थ का प्रयोजन न बताकर काव्य के ही प्रयोजनों का निरूपण किया है और उसे  
ही उस ग्रन्थ का भी प्रयोजन मान लिया है । विश्वनाथ ने अपने ग्रन्थ साहित्यदर्पण के  
प्रारम्भ में अपने ग्रन्थ के प्रयोजन का निरूपण करते हुए इस बात का अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख  
किया है—

1- व. जी. पृ० 13

2- वही, पृ० 1/22

3- का. प्र., पृ० 6

4- 'सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वाऽपि कस्यचित् ।

यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ॥' (श्लो०वा० 1/12)

'अस्य ग्रन्थस्य काव्यागतया काव्यफलैरेव फलवत्त्वमिति काव्यफलान्याह—'<sup>1</sup>

इसी प्रकार मम्मट के काव्यप्रयोजनौ की व्याख्या के पूर्व प्रदीपकर ने भी कहा है—

'इहाभिधेयं ग्रन्थरूपमंगिनः काव्यस्य फलेन सफलमिति प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यर्थं प्रतिपादयितुमाह—  
काव्यं यशमे इत्यादि'<sup>2</sup> किन्तु आचार्य कुन्तक ने अपने ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवित'<sup>3</sup> का प्रयोजन अलग बताया और काव्य का प्रयोजन अलग । जहाँ तक उनके ग्रन्थ के प्रयोजन की बात है वह है—'लोकोत्तर आह्लाद को उत्पन्न करने वाले वैचित्र्य की सिद्धि' । यहाँ वैचित्र्य से आशय वक्रोक्ति से ही है अतः वक्रोक्ति की सिद्धि उनके ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवित' का प्रयोजन है । जो कि काव्य का अलंकारग्रन्थ है । लेकिन अलंकार का लाख प्रयोजन हो तो भी क्या होता है? जब तक कि उसके अलंकार्य का प्रयोजन न बताया जाय, वह बेकार ही होता है । इसी लिए कुन्तक ने काव्य के प्रयोजनो का भी अलग से निरूपण किया है । इसके पूर्व कि कुन्तक द्वारा प्रतिपादित काव्यप्रयोजनो का विवेचन किया जाय उनसे पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा मान्य काव्य-प्रयोजनो पर एक दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है । आचार्य भरत ने नाट्य अथवा काव्य के प्रयोजन रूप में, धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धिवृद्धि और लोकोपदेश की प्राप्ति स्वीकार की है । उनका कथन है—

'धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम् ।

लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति ॥'<sup>4</sup>

तदनन्तर भामह ने सत्काव्य के प्रयोजनरूप में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में, तथा कलाओं के विषय में निपुणता, यश और आनन्द को प्रस्तुत किया<sup>5</sup> । वस्तुतः काव्य का सम्बन्ध दो व्यक्तियों से होता है— एक कवि से तथा दूसरा श्रोता, सहृदय अथवा सामाजिक से । अतः काव्य का प्रयोजन प्रायः दोनों को दृष्टि में रख कर कवि का स्थापित किया गया है । यदि काव्य से कोई प्रयोजन न होगा तो वह काव्य रचना में ही प्रवृत्त नहीं होगा और यदि श्रोता या सहृदय का कोई प्रयोजन नहीं होगा तो वह

1- सा. द., पृ० 7

2- का. प्र. प्र., पृ० 5

3- 'लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये।

काव्यस्यायमलंकारः कोऽप्यपूर्वा विधीयते ॥' व. जी. 1/42

4- ना. शा. 1/115 यद्यपि वे ना. शा. 1/108 से लेकर 1/115 तक तमाम प्रयोजनो की व्याख्या करते हैं पर वे सभी इसी में अन्तर्भूत हैं अतः इसी कारिका को उद्धृत किया गया है। विस्तार के लिए ग्रन्थ देखें।

5- 'धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च । भामह  
प्रीतिं करोति कीर्तिन्य साधुकाव्यनिबन्धनम् ॥—, काव्या० 1/2

उसे सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा ही क्यों? भरत के विवेचन ने तो धर्म, यश और आयु को कवि के लिए तथा हित, बुद्धिविवर्धन और लोकोपदेश को सहृदय के लिए प्रयोजन रूप में स्वीकार किया जा सकता है। धर्म को केवल कवि के लिए इसी लिए कहा गया है क्यों कि उसके काव्य से दूसरों का हित, बुद्धि विवर्धन और लोकोपदेश की सिद्धि होने से परोपकार के द्वारा धर्मप्राप्ति होगी ही। जैसा कि रुद्रट ने कहा ही है—

'अन्योपकारकरणं धर्माय महोयसे च भवतीति ।

अधिगतपरमार्थनामविवादो वादिनामत्र ॥'

किन्तु भामह द्वारा प्रयुक्त 'साधुकाव्यनिबन्धनम्' पद से उनके द्वारा गिनाये गये सारे प्रयोजन केवल कवि के लिए ही होते हैं ऐसा अभिव्यक्त होता है। और इस प्रकार से काव्य में मुख्य जो सहृदय है उसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। सम्भवतः इसी कमी को दृष्टि में रखते हुए अभिनव गुप्त तथा विश्वनाथ ने 'साधुकाव्यनिबन्धनम्' के स्थान पर 'साधुकाव्यनिष्केषणम्' पाठ उद्धृत किया है। साथ ही अभिनव गुप्त ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कवि के लिए कीर्ति तथा श्रोताओं के लिए धर्मादिक और कलाओं के लिए विषय में नेपुण्य एवं प्रीति प्रयोजनभूत है। और कवि के लिए भी अभिनव कहते हैं कि कीर्ति के द्वारा प्रीति ही सम्पादनीय होती है क्यों कि कीर्ति को स्वर्ग के फल वाली कहा गया है और स्वर्ग प्राप्ति से आनन्दोपलब्धि ही होती है 'तत्र कवेस्तावत् कीर्त्यापि प्रीतिरेव सम्पादया। यदाह-कीर्तिं स्वर्गाकृतलामाहुः 'इत्यादि' ।' इस प्रकार भामह ने भरत के काव्यप्रयोजनों में एक अत्यावश्यक प्रयोजन 'प्रीति' अथवा आनन्दोपलब्धि को जोड़ा। भामह के अनन्तर आचार्य दण्डी सामने आते हैं। दण्डी ने स्पष्ट रूप से काव्य-प्रयोजन का निरूपण<sup>नहीं</sup> किया। लेकिन उन्हें भी कीर्ति और प्रीति ही कवि के लिए काव्य-प्रयोजन-रूप में मान्य थे, ऐसा उनके ग्रन्थ की समाप्ति पर उल्लिखित श्लोक से स्पष्ट होता है। उनका कथन है कि 'व्युत्पन्नबुद्धिधरमुना विधिदर्शितेन मार्गेण दोषगुणयोर्विशवत्तिर्तनीभिः । वाग्भिः कृताभिसरणो मदिरेक्षणभिर्धन्यो युवेवरमते लभते चलीर्तिम् ।'

1- रुद्रटकाव्या०, 1/7

2- लोचन, पृ० 40

3- सा. द. पृ० 10

4- लोचन, पृ० 40

5- काव्यादर्श, 3/187

यहाँ 'युवेव रमते' से आनन्द का ग्रहण किया जा सकता है, कीर्ति का तो स्पष्ट उल्लेख है ही। आचार्य वामन भी दण्डी की ही भाँति काव्य के प्रयोजन-रूप में केवल कीर्ति और प्रीति को ही स्वीकार करते हैं - 'काव्यं यद् दृष्ट्वा<sup>1</sup> अर्थम्, प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात्।' उनमें प्रीति दृष्टप्रयोजन है और कीर्ति अदृष्ट प्रयोजन है। वामन के प्रयोजन भी केवल कवि की ही दृष्टि से हैं। यह बात वामन द्वारा उद्धृत इस श्लोक से और भी पुष्ट हो जाती है—

'तस्मात्कीर्तिमुपादातुमकीर्तिञ्च व्यपोहितुम् ।

काव्यालंकारशास्त्रार्थः प्रसादयः कविपुंगवैः ।।' वामन के अनन्तर काव्यप्रयोजन का विस्तृत विवेचन रुद्रट के 'काव्यालंकार' में मिलता है। उन्होंने ने काव्यप्रयोजन का विवेचन कवि तथा श्रोता दोनों की दृष्टि से किया है। कवि काव्य में दूसरे राजादिकों के यश को अमर करता है, अतः परोपकार करता है और इस परोपकार से उसे धर्म की सिद्धि होती है। साथ ही देवादिकों की तथा राजाओं<sup>2</sup> सुन्दर स्तुति करके अर्थ, अनर्थों की शान्ति, अतुल्य सुख अथवा जो कुछ भी उसे अभीष्ट होता है प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस प्रकार इस काव्यरचना से पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। तथा कवि कल्पान्तस्थायि यश को प्राप्त करता है। इस प्रकार रुद्रट के अनुसार कवि के लिए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ-चतुष्टय की सिद्धि और अमर यश की प्राप्ति काव्यरचना के प्रयोजन हैं<sup>3</sup>। डॉ० नगेन्द्र ने 'हिन्दी-वक्रोक्ति-जीवित' की भूमिका में लिखा है कि 'कवि के लिए रुद्रट ने यश को काव्य का मुख्य फल माना है और श्रोता के लिए चतुर्वर्ग-फलास्वाद को<sup>4</sup>।' परन्तु यह कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योंकि रुद्रट का स्पष्ट कथन है कि अविक्ल रूप से पुरुषार्थ-सिद्धि को भलीभाँति सम्पादित करने की इच्छा करने वाले निपुण कवियों के द्वारा जिन्होंने ने कि समस्त ज्ञातव्य वस्तुओं को जान रखा है निर्मल काव्य की रचना करनी चाहिए—

'तदिति पुरुषार्थसिद्धिं साधुविधास्यद्भिरविकला कुशलैः ।

अधिगतसकलज्ञैः कर्तव्यं काव्यममलमलम् ।।' <sup>5</sup>

1- का. सू. वृ. 1/1/5

2- वही, सूत्र 1/1/5 की व्याख्या

3- सू. काव्या० 1/4-12 तथा 1/2।

4- हि. व. जी. भू., पृ० 29

5- सू. काव्या०, 1/12

इस प्रकार रुद्रट ने प्रथम अध्याय में केवल ऋषियों की दृष्टि से काव्य-प्रयोजन प्रतिपादित किया है। और आगे चलकर बारहवें अध्याय के प्रारम्भ में श्रोता अथवा सहृदय की दृष्टि से काव्यप्रयोजन बतलाया है और वह प्रयोजन चतुर्वर्ग के विषय में मनोरम ढंग से शीघ्र ज्ञानकी उपलब्धि बताया है। नमिसाधु का स्पष्ट कथन है — 'ननुकाव्यकरणे कवेः पूर्वमेव फलमुक्त्वा, श्रोतृषान्तु किम्फलमित्याह —

'ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुर्वर्गः।'

तद्यु मृदु च निःश्रेयस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः ॥'

इसप्रकार रुद्रट ने भामह के सभी प्रयोजनों को तो प्रतिपादित किया किन्तु मुख्य प्रयोजन प्रीति को भुला बैठे। रुद्रट के अनन्तर आनन्दवर्धन ने केवल 'सहृदयमनः — प्रीति' को ही प्रधान प्रयोजन रूप में प्रतिष्ठित किया<sup>2</sup>। क्यों कि काव्य के आत्मभूत तद्व ध्वनि का निरूपण ही जब वे 'सहृदयमनः प्रीति' स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आनन्द ने एकमात्र सहृदयमनः प्रीति को ही प्रयोजन रूप में स्वीकार कर उसे समस्त प्रयोजनों का मौलिभूत प्रतिपादित किया। यद्यपि परवर्ती कुन्तक, मम्मट, हेमचन्द्र आदि आचार्यों की भांति उन्होने उसे वाच्यतया सकल प्रयोजन मौलिभूत नहीं कहा लेकिन उन्हें अभिमत यही था कि यह उनके विवेचन से स्पष्ट हो ध्वनित हो जाता है। ठीक घी तो है। उन्हींके शब्दों में सहृदयजन अभिमततर वस्तु का प्रकाशन व्यंग्यत्वेन करते हैं। 'प्रसिद्धिश्चेयकस्तयेव विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यंग्यत्वेन प्रकाशते न साक्षाच्छब्दप्राच्यत्वेन'<sup>3</sup> आनन्दवर्धन के अनन्तर राजशेखर का समय आता है। राजशेखर ने वैसे काव्यप्रयोजनों की स्थापना सुस्पष्ट ढंग से तो नहीं कि फिर भी उनके विवेचन से लगता है कि उन्हें काव्य प्रयोजन के रूप में धर्म और अर्थ विषयक ज्ञान तथा हितोपदेश तो सहृदय के लिए मान्य था, क्यों कि वे साहित्य विद्या को विद्या इसलिए कहते हैं कि उससे धर्म और अर्थ का ज्ञान होता है— 'आभिर्धर्मार्थौ यद् विद्यात् तद् विद्यानां विद्यात्वम्'<sup>4</sup>।

1-रुद्र0काव्या0, पृ0 149

2- ध्व0, 1/1

3- वही, पृ0 533

4- का0मी0, पृ024—यहाँ किसी को भी यह सन्देह हो सकता है कि कहीं साहित्यविद्या से आशय साहित्यशास्त्र (Science of Poetics) से तो नहीं है। परन्तु ऐसा सोचना युक्तियुक्त नहीं। यहाँ साहित्यविद्या से आशय है कि 'साहित्यमेव विद्या साहित्यविद्या' अर्थात् जिस प्रकार से आन्वीक्षिकी, त्रयी, वातर्ता और दण्डनीति चार विद्यायै विद्या के प्रस्थान (Branches of Knowledge) हैं वैसे ही साहित्य अर्थात् काव्य भी पाँचवीं विद्या

अन्यथा साहित्य विद्या विख्या हो न होती । साथ ही काव्य भी एक विद्यास्थान है यह सिद्ध करते हुए वे कारण बताते हैं कि वह भी गद्य पद्य मय होता, कवि का धर्म होता है साथ ही हितोपदेशक होता है । अतः जिन कारणों से शास्त्र विद्यास्थान है वैसे ही काव्य भी विद्यास्थान है ।— 'गद्यपद्यमयत्वात् कविधर्मत्वात् हितोपदेशकत्वाच्च ।' ये प्रयोजन तो सहृदय की दृष्टि से रहे । कवि की दृष्टि से उन्होंने भी यश को प्रयोजन रूप में स्वीकार किया है । अर्थाहरण क्लेश का विवेचन करते हुए वे कहते हैं कि 'यश का न मिलना = अच्छा है लेकिन अपयश को प्राप्त ठीक नहीं ।—'वरमप्राप्ति र्यशसो न पुनर्दुर्यशः<sup>2</sup> । इससे स्पष्ट है कि कवि के लिए काव्यरचना का प्रयोजन यश ही है ।

आचार्य कुन्तक ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में काव्य के प्रयोजनों का विवेचन केवल श्रोता अथवा सहृदय की ही दृष्टि से किया है । उन्होने काव्य के प्रधानतया तीन प्रयोजन स्वीकार किए हैं —

'काव्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-रूप पुरुषार्थ-चतुष्टय के सम्पादन का उपाय होता है । कुन्तक का कथन है—

'धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमो-दितः ।

काव्यबन्धोऽभिजातानी हृदयाह्लादकारकः ।।'<sup>3</sup>

यद्यपि धर्मादिक की सिद्धि के उपायों का वर्णन पुस्तकार्थी का उपदेश करने वाले अन्य शास्त्रों में भी होता है उनके प्रतिपादन का क्रम बहुत ही कठोर होता है । शास्त्र सुनने में कटु बोलने में कठिन और समझने में भी कठिन ही होते हैं । अतः सुकुमार-बुद्धि राजपुत्रादिक अथवा सहृदयगण उसका अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त ही नहीं होते । जब कि इसके विपरीत काव्य मुदु शैली में वर्णित होता है । सुनने से हृदय आह्लादित हो उठता है । जी बास्-बार उसे पढ़ने व सुनने को कहता है अतः उस काव्य के माध्यम से कविजन उन राजपुत्रादिकों को धर्मादि का उपदेश देकर उन्हें सन्मार्ग पर लाते हैं उनके

(शेष) — (Branch of knowledge) है और ऐसा ही अर्थ मानने पर राजशेखर की उमर उद्धृत उक्ति भी उचित प्रतीत होगी। क्यों कि साहित्य द्वारा धर्म और अर्थ के विषय में ज्ञान होता है, अतः उसका भी विद्यात्व निर्विवाद सिद्ध हो जाता है।

1- का. मी., पृ० 22

2- वही, पृ० 193

3- व. जी. 1/3

अविवेक को नष्ट कर पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्त करते हैं । मानवजीवन का परमलक्ष्य पुरुषार्थ-सिद्धि को ही स्वीकार किया है । काव्य द्वारा इसे सरलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है । अतः यह काव्य का पहला प्रयोजन हुआ । कुन्तक ने कहा है कि—

'कटुकोषधवच्छास्त्रमविद्याव्याधिनाशनम् ।

आह्लाद्यामृतवत्काव्यमविवेकगदापहम् ।।' इस प्रयोजन के विषय में स्पष्ट है कि कुन्तक ने कोई नवीन उद्भावना नहीं प्रस्तुत की इसका प्रतिपादन भरत, भामह, रुद्रट आदि पहले भी कर चुके थे । हाँ, कुन्तक ने शास्त्रादिक के साथ इसकी तुलना कर इसकी अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की है । इसका प्रभाव आगे चलकर महिममट्ट आदि पर भी पड़ा और काव्य के प्रयोजन के रूप में विधिनिषेधविषयक व्युत्पत्ति को प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने ने प्रायः कुन्तक की ही शब्दावली का प्रयोग किया है । यह प्रयोजन तो काव्य का इस लिए बताया गया है कि इससे शास्त्र की अपेक्षा काव्य की उपादेयता कम नहीं है यह बात सिद्ध हो जाती है ।

2- इस पुरुषार्थ-रूप मुख्य प्रयोजन के अतिरिक्त कुन्तक ने काव्य का दूसरा प्रयोजन नवीन औचित्यपूर्ण व्यवहार का ज्ञान बताया है । यह प्रयोजन लोक-व्यवहार को निभाने के लिए परमावश्यक है । लोक में सुन्दर व्यवहार कैसे करना चाहिए, व्यवहार का औचित्य और अनौचित्य क्या है इसका सम्यक् ज्ञान सत्काव्य से ही होता है । इसी लिए कुन्तक ने कहा है —

'व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्यं व्यवहारीभिः ।

सत्काव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्स्यते ।।' <sup>3</sup>

काव्यों में मुख्यतः महापुरुषों या बड़े बड़े राजाओं इत्यादि के चरित्र का वर्णन किया जाता है । उसके साथ उनके मन्त्रियों, भृत्यों और प्रजादिकों के वर्णन को अंग-रूप में प्रस्तुत किया जाता है । अतः उसके अध्ययन से यह ज्ञान ही होता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए । प्राणी का प्राणी के साथ व्यवहार ही तो महत्त्वपूर्ण होता है । फिर काव्यानुशीलन से जिसे उचित व्यवहार का ज्ञान ही गया है उसके विषय में कहना

1- व. जी. 1/स्तोक 7

2- व्य. वि., पृ० 96

3- व. जी. 1/4

ही क्या । उचित-व्यवहार-विषयक प्रयोजन का यह निरूपण कुन्तक का अपना ही कहना अधिक समीचीन होगा । वैसे भरत ने 'लोकोपदेशजनन' तथा 'लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम्' कह कर , तथा राजशेखर ने 'हितोपदेशक' कह कर भले ही इसकी ओर इंगित किया हो पर यह स्पष्ट नहीं था । कुन्तक के इस विवेचन का सुस्पष्ट प्रभाव मम्मट पर पड़ा और उन्होने 'व्यवहारविदे' कह कर कुन्तक के इसी अभिमत को समर्थन दिया ।

3- इन दो प्रयोजनों के अतिरिक्त कुन्तक ने समस्त प्रयोजनों का मौलिभूत प्रयोजन काव्य-मर्मज्ञों के अन्तश्चमत्कार को स्वीकार किया । काव्यामृत रस के द्वारा निष्पन्न होने वाला यह सहृदयोंका चेतश्चमत्कार चतुर्वर्ग के फलास्वाद को भी तिरस्कृत कर देने वाला होता है-

'चतुर्वर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम् ।

काव्यामृततरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते ॥'

कुन्तक ने ऊपर प्रतिपादित किया था कि काव्य चतुर्वर्ग की सिद्धि के उपाय का प्रतिपादन करता है । अतः काव्य से चतुर्वर्ग की फलप्राप्ति होती है और शास्त्रों की अपेक्षा सरस ढंग से होती है । लेकिन वह फल चूंकि कालान्तर में होने वाला है अतः उसके आनन्द की भी अनुभूति कालान्तर में ही होती है । लेकिन काव्यामृत के आस्वादन से सहृदय में एक अल्प-वर्चनीय आह्लाद की अनुभूति काव्य के अध्ययन काल में ही होती है जो कि उस चतुर्वर्ग-फलास्वाद को भी तिरस्कृत कर देती है । इस प्रकार काव्य का यह प्रयोजन समस्त प्रयोजनों से श्रेष्ठ है । क्योंकि शास्त्रादि के द्वारा प्रतिपाद्य प्रकृत प्रयोजन के रूप में जिस चतुर्वर्ग फलास्वाद को स्वीकार किया गया है वह भी इस काव्यामृतास्वादजन्य चेतश्चमत्कार के आगे तुच्छ है । यद्यपि प्रीति अथवा आनन्द को प्रयोजन रूप में भामह , दण्डी, वामन आदि ने प्रतिपादित किया पर वह प्राधान्य नहीं दे सके जो कि कुन्तक ने दिया । भरत, राजशेखर आदि ने जिस पुरुषार्थचतुष्टय की सिद्धि को ही प्रधानप्रयोजन-रूप में प्रतिपादित किया था उसे कुन्तक ने सहृदय अन्तश्चमत्कार से निम्न कोटि में स्थिर कर सहृदयोंका आह्लाद की काव्य में सर्वोपरि महत्ता प्रतिपादित करने की । और इन्हीं कुन्तक के ही प्रभाव से मम्मट तथा हेमचन्द्र आदि परवर्ती आचार्यों ने उस आनन्द को समस्तप्रयोजनों का मौलिभूत स्वीकार किया । मम्मट कहते हैं —

1- का०प्र० 1/2

2- व.जी. 1/5



'सकलप्रयोजनमौलिभूत समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूत विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्' इत्यादि।

इस प्रकार डा० कृष्णामूर्ति ने जो मम्मट को ही सहृदयाह्लाद को काव्य के प्रयोजनों में सर्वोपरि स्थान देने की बात प्रतिपादित की है, वह सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध हो जाती है।

हेमचन्द्र ने काव्य-प्रयोजन के रूप में आनन्द, यश और कान्तातुल्य उपदेश को माना है-  
'काव्यमानन्दाय यशसे कान्तातुल्योपदेशाय च।' इनमें से आनन्द को उन्होंने भी समस्त प्रयोजनों का उपनिषद्भूत स्वीकार किया है तथा सहृदय और कवि दोनों के लिए उसे बताया है- 'सद्यो रसास्वादजन्मा निरस्त वेद्यान्तरा ब्रह्मस्वादसदृशी प्रीतिरानन्दः । इदं सर्वप्रयोजनोपनिषद्भूतं कवि-सहृदययोः काव्यप्रयोजनम्।' इस प्रकार कुन्तक ने इन तीन प्रयोजनों का विवेचन मुख्यतया सहृदयों की दृष्टि से किया है जो कि कारिकाओं में प्रयुक्त 'अभिजातानाम्' 'व्यवहारिभिः' तथा 'तदिवदाम्' पदों से सुस्पष्ट है। लेकिन जैसा कि हेमचन्द्र ने निर्देश किया है तीसरे प्रयोजन 'अन्तश्चमत्कार' को कवि की दृष्टि से भी स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि कवि तो काव्यमर्मज्ञ होता है ही। अब रही कवि की दृष्टि से काव्य-प्रयोजन की बात उसको कुन्तक ने स्पष्ट रूप से यहाँ प्रतिपादित तो किया नहीं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की दृष्टि से वे भी यश को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन स्वीकार करते हैं। वक्रोक्तिजीवित के चतुर्थ उन्मेष की छबीसवीं कारिका की वृत्ति में उद्धृत अन्तरश्लोक से यह बात स्पष्ट है। यह बात प्रतिपादित करते हुए कि महाकवियों के नवीन उपायों से सिद्ध नीति-मार्ग का उपदेश देने वाले समस्त प्रबन्धों में वक्रता हुआ ही करती है। वे कहते हैं -

'वक्रतोत्लेखवेकत्य - - - - - लोक्ष्यते ।

प्रबन्धेषु कवीन्द्राणां कीर्तिकन्देषु किं पुनः।<sup>5</sup> ककारिका की द्वितीय पंक्ति से यह यह सुस्पष्ट है कि कवियों की दृष्टि से काव्य का मुख्य प्रयोजन कीर्ति अथवा यश ही उन्हें

1- का. प्र. 1/2 पर वृत्ति

2-

3- हेम. काव्या. 1/3

4- वही, पृ० 3

5- डा० डे द्वारा सम्पादित व. जी. में यह श्लोक पृ० 245 पर इसी रूप में उल्लिखित है।

साथ ही इसके किसी पाठ का कोई भी उल्लेख टिप्पणी में भी उन्होंने नहीं किया।

अतः यहाँ क्या पाठ था वह स्पष्ट नहीं। आचार्य विश्वेश्वर ने अपने संस्करण में इस स्थान

भी मान्य है । कुन्तक के अनन्तर भोज ने केवल कवि की ही दृष्टि से वामनाभित कीर्ति और प्रीति को काव्य-प्रयोजन-रूप में स्थापित किया । चतुर्वर्ग प्राप्ति का कोई उल्लेख नहीं। महिमभट्ट ने शास्त्री की भाँति विधि निषेध विषयक व्युत्पत्ति को प्रयोजन बताया जिससे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति की ओर ही संकेत प्रतीत होता है<sup>2</sup> । और वह उनका विवेचन भी कुन्तक के शास्त्र और काव्य के अविवेक विनाश के भेद के विवेचन को कुन्तक के शास्त्र और काव्य के अविवेकविनाश के से प्रभावित है । अभिनव भी आनन्द वर्धन के कथन का विवेचन करते हुए भामहादि की कारिकाओं को भी उद्धृत कर आनन्द को सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन के रूप में प्रतिपादित करते हैं<sup>3</sup> । लेकिन व्यवहार ज्ञान का वे कोई उल्लेख नहीं करते । मम्मट ने कुन्तक के समस्त प्रयोजनों को स्वीकार करते हुए कुछ अन्य प्रयोजन भी बताये। उनका कहना है—'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।सद्यःपर निर्वृत्तये कान्ता-सम्मिततयोपदेशयुजे।'<sup>4</sup> वस्तुतः मम्मट ने अपने समस्त पूर्वाचार्यों द्वारा उल्लिखित काव्य-प्रयोजनों को एकत्र करने का प्रयास किया है 'अर्थकृते' और 'शिवेतरक्षतये' रुद्रट द्वारा स्वीकृत काव्य प्रयोजन है। हेमचन्द्र ने इन दोनों प्रयोजनों का खण्डन किया है। उनका कथन है कि घन अनेकान्तिक होता है तथा अनर्घ निवारण प्रकारान्तर से भी सम्भव है, यज्ञ, जप, दान, पुण्य आदि द्वारा । यहाँ तक तो हेमचन्द्र की बात समीचीन प्रतीत होती है, किन्तु

शेष— पर 'वक्रतोत्लेखवैकल्यं न सामान्येऽवलोक्यते' यह पाठ दिया है। वैसे इस पाठ से अर्थ तो जमता हुआ अवश्य प्रतीत होता है, कि जब सामान्य प्रबन्धों में वक्रता का अभाव नहीं रहता तो फिर महाकवियों की कीर्ति के मूलभूत प्रबन्धों में क्या कहना । लेकिन जब तक कोई प्रमाण नहीं मिल जाता ऐसा पाठ समीचीन नहीं प्रतीत होता।

1- 'निर्दोषं गुणवत् काव्यमलंकारैरलंकृतम् ।

रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिञ्च विन्दति ।।'स०क० 1/2

2- 'सामान्येनोभयमपि च तच्छास्त्रवद् विधिनिषेधविषयव्युत्पत्तिफलम्।' व्य. वि. पृ० 95

3- लोचन, पृ० 40, 41— 'चतुर्वर्गव्युत्पत्तैरेपि चानन्द एव पार्थन्तिकं मुख्यं फलम्।'

4- का. प्र. 1/2

उन्होंने व्यवहार-ज्ञान को भी जो प्रयोजन मानने से इनकार किया है वह ठीक नहीं प्रतीत होता। उनका कहना है कि व्यवहार-कौशल शास्त्रों द्वारा भी हो सकता है<sup>1</sup>। यदि उनके इस तर्क को माना जाय तो फिर जिस विधि निषेध रूप उपदेश को श्रीमान् जी ने स्वयं प्रयोजन-रूप में स्वीकार कर रखा है उसे भी हटाना पड़ेगा। यदि यह कहे कि काव्य का उपदेश सरस होता है, कान्ता तुल्य होता है, तो वही बात यहाँ भी लागू होगी। शास्त्र द्वारा व्यवहार का ज्ञान होगा लेकिन शास्त्र की नीरसता एवं कठोरता के कारण जब उस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगी तो वह व्यवहारनिरूपण जिस काम का। अतः व्यवहार-ज्ञान को भी काव्य के प्रयोजन-रूप में मानना ही समझ्यमान प्रतीत होता है। यद्यपि आगे चलकर अधिकतर आचार्यों ने इसे प्रयोजन-रूप में वर्णित नहीं किया। 'साहित्यमीमांसा' में केवल सहृदय के लिए अत्यन्त सुख को ही प्रयोजनरूप में सूत्रित किया गया है<sup>2</sup>। अलंकार महोदधि में केवल त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) को, अमन्द आनन्द, यश और कान्तातुल्यतयोपदेश को प्रयोजनरूप में प्रतिपादित किया गया है। मोक्ष को हटा दिया गया है<sup>3</sup>। विश्वनाथ ने चतुर्वर्ग की ही सुखपूर्वक प्राप्ति को प्रयोजन-रूप में प्रतिपादित किया<sup>4</sup>। पण्डितराज ने भी कीर्ति, आनन्द, गुरु, राजा एवं देवता के प्रसाद आदि को काव्य के प्रयोजन-रूप में स्वीकार किया है। चतुर्वर्ग का उन्होंने स्पष्टतः नामोल्लेख तो नहीं किया। परन्तु उनके 'आदि' में यह भी अन्तर्भूत हो सकता है। लगता है उन्हें पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत सारे के सारे प्रयोजन मान्य है। तभी तो वे अलग से उनका कोई स्वतंत्रविवेचन नहीं करते। काव्यलक्षण करने के पूर्व इतना उल्लेख कर देते हैं कि जिस काव्य के कीर्ति आदि प्रयोजन बताये गए हैं उसका निरूपण करने जा रहे हैं —

'तत्र कीर्तिपरमाह्लादगुरुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्यकाव्यस्य।' इत्यादि<sup>5</sup>।

1- 'यनमनैकान्तिकं व्यवहारकौशलं शास्त्रेभ्योऽप्यनर्थनिवारणं प्रकारान्तरेणपीति न काव्यप्रयोजन-तयाऽस्माभिरुक्तम्।' — हेम० काव्या०, पृ० 5

2- सा० भी०, पृ० 1

3- अलं० महो०, 1/5

4- सा० द०, 1/2

5- रसगंगाधर, पृ० 5

### काव्यहेतु

संस्कृत-साहित्याचार्यों ने जिस प्रकार काव्य के लक्षण तथा प्रयोजन का सविस्तर विवेचन किया है वैसे ही काव्य के हेतुओं का भी विवेचन किया है। आचार्य कुन्तक इसके अपवाद नहीं है। परन्तु जिस प्रकार उन्होंने काव्यलक्षण एवं काव्यप्रयोजन का अलग से विवेचन किया है वैसे ही काव्यहेतुओं का स्वतंत्र विवेचन नहीं किया है। उनका काव्य-हेतु-विवेचन मार्ग-विवेचन में अन्तर्भूत है। उन्होंने मार्गों को ही कविप्रस्थान का हेतु कहा है—

'सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः ।'

वैये प्रायः सभी आचार्यों ने शक्ति अथवा प्रतिभा, व्युत्पत्ति अथवा निपुणता, एवं अभ्यास को काव्यहेतुओं के रूप में स्वीकार किया है यदि मत भेद रहा है तो वहकेवल इनके आपेक्षिक महत्त्व को प्रस्तुत करने में। इसके पहले कि कुन्तक द्वारा विवेचित काव्य हेतुओं का निरूपण करे उनके पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृत काव्यहेतुओं के विवेचन पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। वैसे प्रतिभा एवं प्रतिभान शब्द का प्रयोग तो भामह, दण्डी तथा वामन ने भी कर रखा था किन्तु व्युत्पत्ति और अभ्यास के लिए उन्होंने भिन्न संज्ञायें दी थीं अथवा भिन्न शब्दों द्वारा उन्हें व्यक्त किया था परन्तु शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ग्रामाणिकता (Standardization) प्रदान करने का श्रेय रुद्रट को ही दिया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले 'त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः' कहा है<sup>2</sup>। परवर्ती आचार्यों ने इन्हीं संज्ञाओं को यथातम रूप में स्वीकार कर लिया। हाँ, व्युत्पत्ति के लिए मम्मट आदि ने निपुणता शब्द का भी प्रयोग किया है। आचार्य भामह ने काव्य का प्रधान हेतु प्रतिभा को स्वीकार किया है। विना प्रतिभा के काव्यरचना ही ही नहीं सकती। यदि प्रतिभा नहीं है तो गुरु के उपदेश से भी काव्यरचना नहीं हो सकती—

'गुरूपदेशादध्येतुं शास्त्रं जडधियोऽप्यलम्।

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः<sup>3</sup> ।'

इस प्रकार उन्होंने ने यद्यपि काव्य का प्रमुख हेतु प्रतिभा को ही स्वीकार किया किन्तु व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी वे आवश्यक मानते हैं<sup>4</sup>। उनका कहना है कि कवि को चाहिए कि वह

1- व. जी. 1/24

2- रुद्र. काव्या०, 1/14

3- मम्मट काव्या०, 1/5

4- वही, 1/9 तथा 10

व्याकरण, छन्द, लोश, अर्थशास्त्र, इतिहास, लोकव्यवहार, तर्कशास्त्र तथा कलाओं का सम्यक् मनन करके शब्द और अर्थ का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर काव्यतत्त्वज्ञों की उपासना कर एवं अन्य कवियों की रचनाओं को देखकर काव्यरचना में प्रवृत्त हो । स्पष्ट ही इस उक्ति में व्युत्पत्ति और अभ्यास का निर्देश किया गया है । परन्तु भामह की दृष्टि में सापेक्षिक महत्त्व प्रतिभा का ही है । प्रतिभा का क्या स्वरूप उन्हें मान्य था इसका वे कोई निर्देश नहीं करते । आचार्य दण्डी ने सहज प्रतिभा, नानाविध व्युत्पत्ति (श्रुत) और प्रगाढ़ अभियोग (अभ्यास) तीनों को काव्य का हेतु स्वीकार किया है—

'नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुत्तुच बहु निर्मलम् ।

अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥'

लेकिन दण्डी ने प्रतिभा के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास के बल पर ही काव्यरचना की सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं<sup>2</sup> । लेकिन उस व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के बल पर सम्पन्न होने वाली रचना को हम आजकी भाषा में 'कामचलाऊ' कह सकते हैं । क्यों कि कवित्व तो विना प्रतिभा के सम्भव ही नहीं है । इस बात को दण्डी साफ शब्दों में कहते हैं —

'कृशैकवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमाः विदग्धगोष्ठीषु विहर्तुमोशते।'<sup>3</sup>

स्पष्ट है कि कवित्व प्रतिभा में ही निहित है । उसके अभाव में कवि व्युत्पत्ति और अभ्यास के बल पर केवल सहृदयगोष्ठियों में विहार करने लायक बन जाता है, परन्तु स्थायी एवं अमर काव्य की रचना के हेतुभूत वास्तविक कवित्व का तो उसमें अभाव ही रहता है । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि दण्डी में भी प्रतिभा ही काव्य की प्रधान कारणभूता है । आचार्य दण्डी ने प्रतिभा को 'पूर्ववासनागुणानुबन्धि' कहा है । 'न विद्यते यद्यपि पूर्ववासनागुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भूतम्।' इससे स्पष्ट है कि वे प्रतिभा को प्राक्तन जन्म का संस्कार रूप ही मानते हैं । वह सहज है एवं ईश्वरीय देन कही जा सकती है । इसी लिए उन्होंने नैसर्गिक प्रतिभा कहा है । अर्थात् प्रतिभा स्वाभाविक हुआ करती है । स्वभावानुसारिणी होती है । आचार्य दण्डी के अनन्तर वामन ने भी व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा को ही काव्य के कारणरूप में स्वीकार किया । पर उनका विवेचन सबसे पृथक् रहा ।

1- काव्यादर्श- 1/103

2- वही, 1/104 तथा 105

3- वही, 1/105

4- काव्यादर्श, 1/104

उन्होंने काव्यहेतुओं को काव्यांग नाम से अभिहित किया। काव्यांग उन्होंने ने तीन स्वीकार किये—लोक, विद्या और प्रकीर्ण<sup>1</sup>। 'लोको विद्या प्रकीर्णश्च काव्यांगानि।' उनके लोक और विद्या में अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत व्युत्पत्तित का, तथा प्रकीर्ण में प्रतिभा और अभ्यास का अन्तर्भाव है। लोक में उन्होंने लोकवृत्त का ग्रहण किया है, विद्या में व्याकरण, छन्दशास्त्र, कलाशास्त्र, कामशास्त्र, दण्डनीति और इतिहासादि का ग्रहण किया है<sup>2</sup>। स्पष्ट ही ये दोनों व्युत्पत्तित को ही प्रस्तुत प्रस्तुत करते हैं। प्रकीर्ण के अन्तर्गत उन्होंने ने लक्ष्यज्ञता अर्थात् काव्यों के परिचय, अभियोग अर्थात् काव्यरचना के लिए उद्यम, वृद्धसेवा, अवेक्षण तथा प्रतिभा और अवधान का ग्रहण किया है<sup>3</sup>। स्पष्ट ही लक्ष्यज्ञता, अभियोग, वृद्धसेवा अवेक्षण एवं अवधान अभ्यासरूप है। प्रतिभा प्रतिभा है ही। प्रतिभा को उन्होंने ने जन्मान्तरागत संस्कार-विशेष कहा है और उसे कवित्व का बीज माना है। बिना उसके काव्य निश्चल ही नहीं होता और यदि निश्चल भी हो गया तो उपहासास्पद हो जाता है।—'कवित्व-बीजं प्रतिभानम्। कवित्वस्य बीजं कवित्वबीजं, जन्मान्तरागतसंस्कारविशेषः कश्चित्, यस्माद्विना - काव्यं न निष्पद्यते, निश्चलं वाऽवहायायतनं स्यात्<sup>4</sup>।' इस प्रकार यद्यपि कवित्व का बीज वामन भी प्रतिभा को ही मानते हैं परन्तु उससे पहले लोक एवं विद्या रूप व्युत्पत्तित का विस्तृत विवेचन कर माघ ही प्रतिभा को अभ्यास के माघ प्रकीर्ण के अंग रूप में प्रस्तुत कर उचित प्रतिष्ठा नहीं देते। यद्यपि परवर्ती आचार्य मम्मटकविवेचनपूर्णतया वामन पर ही आधारित है परन्तु उन्होंने ने शक्ति का प्रथम एवं स्वतंत्र रूप में ग्रहण कर तदनन्तर निपुणता के अन्तर्गत लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षण को प्रस्तुत कर फिर काव्यज्ञ की शिक्षा से अभ्यास का वर्णन कर प्रतिभा को समुचित स्थान प्राप्त कराया है<sup>5</sup>। यहाँ तक कि वामन और मम्मट की शब्दावली भी पर्याप्त मेल रखती है। लगता है मम्मट का विवेचन वामन के विवेचन का ही परिष्कृत एवं संक्षिप्त रूप है<sup>6</sup> निदर्शनार्थ शक्ति का लक्षण यहाँ प्रस्तुत है—'शक्तिः कवित्व-बीजरूपैः संस्कारविशेषः, यो बिना काव्यं न प्रसरेत्, प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्<sup>6</sup>।'

1- का०सू०, वृ०, 1/3/1

2- वही, 1/3/2 तथा 3

3- वही, 1/3/11

4- वही, 1/3/16 तथा वृत्तित

5- 'शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्। काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवम्।' का०प्र० 1/3

6- वही, 1/3 पर वृत्तित ।

इस प्रकार यदुर्थापि वामन भी भामह तथा दण्डी को भाँति प्रतिभा को कवित्व का बीज मानने है पर उनके विवेचन से लगता है कि व्युत्पत्ति को वे अधिक प्राधान्य देते हैं। क्यों कि उन्हीं का पूर्वप्रथम एवं विस्तृत विवेचन है। आचार्य रुद्रट ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को हेतु रूप में स्वीकार किया है।<sup>1</sup> उन्होंने ने शक्ति उसे माना जिसके विद्यमान रहने पर कविके सुसमाहित चित्त में अर्थ का अनेकधा स्फुरण होता है और जिसके कारण शीघ्र ही अर्थ को प्रतिपादित करने में समर्थ पदों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात् जिसके कारण अनेक प्रकार के हृदयगमशब्दों एवं अर्थों का ज्ञान होता है वह ~~सकृष्ट~~ शक्ति हुई।<sup>2</sup> इसी का दूसरा नाम प्रतिभा है। रुद्रट ने प्रतिभा दो प्रकार की मानी- एक है सहजा जो कि संस्काररूप है पुरुष के साथ ही जन्म लेती है और दूसरी है उत्पाद्या, जिसे व्युत्पत्ति आदि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इनमें रुद्रट ने सहजा को ही प्रशस्यतर स्वीकार किया है।<sup>3</sup> व्युत्पत्ति से उनका आशय वही है जो कि वामन आदि का रहा है, छन्द, व्याकरण, कला, लोक, पद, पदार्थ इत्यादि का ज्ञान और उससे उत्पन्न उचित-अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। वैसे संसार में कोई भी ऐसा शब्द अथवा अर्थ नहीं है जो कि काव्य का अंग न हो और जिसका ज्ञान कवि के लिए आवश्यक न हो।<sup>4</sup> तथा किसी सज्जन एवं श्रेष्ठ कवि के समीप में रात-दिन काव्यरचना का अभ्यास ही अभ्यास है। इन तीनों के कारण ही कवि उस काव्य की रचना करने में समर्थ होता है जिससे उसका यश विरस्थायी होता है।<sup>5</sup> इस प्रकार रुद्रट ने प्राचीन आचार्यों द्वारा स्वीकृत प्रतिभा को एक नया स्वरूप प्रदान किया जहाँ दण्डी तथा वामन आदि ने उसे केवल सहज संस्कार एवं कवित्व का बीज मान रखा था। वहाँ रुद्रट ने उसे उत्पाद्य भी कह कर उसके द्विविध रूप का प्रतिपादन किया। और इस तरह यदि किसी के पास सहज प्रतिभा नहीं भी हो तो वह व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के बल पर भी प्रतिभा को उत्पन्न कर सकता है और काव्य रचना कर सकता है। इस प्रकार ये दण्डी के ही मत के समर्थक प्रतीत होते हैं, इनकी उत्पाद्या प्रतिभा केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास ही तो है।

1- 'त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः' रुद्र. का. 1/14

2- वही 1/15

3- वही, 1/16-17

4- वही, 1/18-19

5- वही, 1/20-21

फिर सहजा को प्रशस्यतर बताकर उसने निम्नश्लोचि में उत्पाद्या को स्थित कर व्युत्पत्ति और अभ्यास के बल पर की गई रचना को निम्नश्लोचि का सिद्ध करना नहीं तो और क्या है ? आचार्य आनन्दवर्धन ने काव्यहेतुओं का कोई स्वतंत्र विवेचन नहीं किया वस्तुतः उनके ग्रन्थ का उद्देश्य ही प्राधान्येन ध्वनि की सीम्न स्थापना करना था । परन्तु उनके विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति को वे काव्य का हेतु मानते हैं । उनके ग्रन्थ में अभ्यास की कोई स्पष्ट चर्चा सामने नहीं आती। लेकिन उससे यह आशय निकाल लेना कि अभ्यास उन्हें काव्यहेतु रूप में मान्य न रहा होगा समीचीन नहीं प्रतीत होता। वस्तुतः काव्य करने के पूर्व अभ्यास तो कविजन करते ही है । आपेक्षिक दृष्टि से महत्त्व प्रतिभा और व्युत्पत्ति का ही होता है। अतः प्रसंगतः इन्हीं दोनों का विवेचन आनन्द ने किया है। उनकी दृष्टि में कवित्व के लिए प्रतिभा परमावश्यक है विना प्रतिभा के कोई सुकवि नहीं हो सकता। यह बताते हुए कि 'रसो के उनके द्वारा निरूपित विरोध एवं अविरोध के विषय को अच्छी तरह जान कर सुकवि काव्यरचना में मोहित नहीं होता' वे सुकवि का पर्याय देते हैं प्रतिभातिशययुक्त । 'सुकविः काव्यविषये प्रतिभातिशययुक्तः काव्यं कुर्वन् क्वचिन्मुह्यति।' इसी तरह अलंकारों के विषय में वे कहते हैं कि जो प्रतिभावान्कवि होता है उसके पास अलंकार स्वयं ही अहम्पूर्विका से अपने सहज स्वाभाविक रूप से ही उपस्थित हो जाते हैं - 'अलंकारान्तराणि हि निरूप्यमाणदुर्घटनान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिभानवतः कवेरहम्पूर्विकया परा-<sup>2</sup>पतन्ति।' इसी तरह यह प्रतिपादित करते हुए कि यदि कवि में प्रतिभा-गुण विद्यमान है तो काव्यार्थ का कभी भी विराम नहीं हो सकता वे कहते हैं - 'यदि स्यात् प्रतिभागुणः, तस्मिंस्त्वसति न किंचिदेव कवेर्वस्त्वस्ति।' <sup>3</sup> इस प्रकार इन उद्धरणों से यह बात सुस्पष्ट ही है कि आनन्दवर्धन की दृष्टि में भी कवि का कवित्व प्रतिभा के कारण ही है । यदि कवि के पास प्रतिभा नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं है । जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है उस अर्थतत्त्व को प्रवाहित करती हुई महाकवियों की वाणी उनके स्फुरित होते हुए लाकोत्तर प्रतिभावैशिष्ट्य को ही अभिव्यक्त करती है । जिसके कारण इस विचित्र-

1- ध्वन्या०, 3/31 पर वृत्ति ।

2- वही, पृ० 229, 222

3- वही, पृ० 537



कवि-परंपरावाहो संसार में कल्पिदाय इत्यादि दो तीन भस्त्रा अथवा पार पांच महाकवि गिने जाते हैं<sup>1</sup>। लेकिन यह बात नहीं है कि वे व्युत्पत्ति को महत्व नहीं देते। शक्ति के साथ व्युत्पत्ति भी कवि के लिए आवश्यक है। वह सोने के साथ सुहागे का काम करती है। लेकिन कवित्व की मूल भूता प्रतिभा ही है। अगर अव्युत्पत्तिकृत दोष है तो वह शक्ति से तिरस्कृत कर दिया जाना है शक्ति उसे दबा देती है, लेकिन जो अशक्तिकृत दोष होना है वह शीघ्र प्रतिभासित हो उठता है<sup>2</sup>। आनन्दवर्द्धन का कहना है। इस प्रकार प्रशस्यतर प्रतिभा ही है। कवि का कवित्व उन्मी में निहित है। परन्तु प्रतिभा का क्या स्वरूप उन्हें मान्य था यह स्पष्ट नहीं। अभिनव ने व्याख्या करते हुए प्रतिभा का लक्षण दिया—'प्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा'<sup>3</sup> अर्थात् अपूर्ववस्तु की रचना करने में समर्थ प्रज्ञा अर्थात् बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। राजशेखर ने अनागत पदार्थ का बोध कराने वाली बुद्धि को प्रज्ञा कहा है—'अनागतस्य प्रज्ञात्री प्रज्ञेति'<sup>4</sup>। आचार्य राजशेखर का काव्य हेतु विवेचन पूर्वचार्यों की अपेक्षा विलक्षण है। वे अपना मत उद्घृत करने के पहले अपने पूर्ववर्तीश्यामदेव तथा मंगल नामक आचार्यों के मतों का उल्लेख करते हैं। श्यामदेव के अनुसार चित्त की एकाग्रता रूप समाधि ही काव्य का प्रमुख कारण है क्योंकि समाहित चित्त ही अर्थों का ज्ञान कर सकता है। इसके विपरीत मंगल का मत है कि निरन्तर अभ्यास ही काव्य का मुख्य कारण है क्योंकि वह सर्वत्र निरतिशय एवं सर्वगामी कौशल को प्रस्तुत करता है<sup>5</sup>। राजशेखर इन दोनों मतों से सहमत नहीं वे समाधि को आभ्यन्तर तथा अभ्यास को बाह्य प्रयत्न मानते हैं। इन दोनों के द्वारा कवि की शक्ति उद्दामित होती है। और केवल वही कविशक्ति ही काव्य का हेतु है—'सा केवल काव्ये हेतुः' इति यायावरीयः<sup>6</sup>। लेकिन राजशेखर की यह शक्ति प्रतिभा और व्युत्पत्ति से भिन्न है। शक्ति ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति को जन्म देती है। उनके अनुसार जो शब्द एवं अर्थ समूह को तथा अलंकारसिद्धान्त एवं कथन प्रकार आदि को हृदय में प्रतिभासित

1- वही, 1/6 तथा वृत्ति। अभिनव का कथन है—'अभिव्यक्तेन स्फुरता प्रतिभाविशेषेण निमित्तेन महाकवित्वगणनेति यावत्।' - लोचन, पृ093

2-आनन्दवर्द्धन का कहना है— 'अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संब्रियते कविः।

यस्तु वशक्तिकृतस्तस्य स इटित्यवभासते।।' - ध्वन्या0पृ03।6

3-लोचन, पृ092

4- का. मी., पृ053-54

5- वही, पृ055, 56

6- वही, पृ0 57

करती है वह प्रतिभा<sup>1</sup> है। जिसके पास प्रतिभा नहीं होती उसके लिए दिखाई पड़ते हुए भी समस्त पदार्थ परोक्षभूत होते हैं लेकिन जिसके पास प्रतिभा होती है उसके न देखने पर भी सारे पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं। वह प्रतिभा दो प्रकार की होती है- एक कारयित्री जो कि कवि का उपकार करती है और दूसरी होती है भावयित्री जो कि समालोचक का उपकार करती है। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा पुनः सहजा, आहार्या और औपदेशिकी भेद से तीन प्रकार की होती है। सहजा प्रतिभा वह होती है जो जन्मान्तर के संस्कार की अपेक्षा रखती है। वह इस जन्म के थोड़े से ही संस्कार से उत्पन्न हो जाती है। आहार्या प्रतिभा इसी जन्म के संस्कार से पैदा होती है, उसके लिए अधिक संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। और औपदेशिकी प्रतिभा मन्त्र तन्त्र इत्यादि उपदेशों से पैदा होती है। उसका उपदेश काल भी यही जन्म होता है और संस्कारकाल भी। राजशेखर तीनों प्रकार की प्रतिभा का होना श्रेयस्कर मानते हैं<sup>2</sup>। वे 'अधिकस्याधिकम्फलम्' सिद्धान्त के समर्थक हैं। उनका दृष्टिकोण सर्वत्र समन्वयवादी ही प्रतीत होता है। उचित और अनुचित के विवेक को वे व्युत्पत्ति कहते हैं - 'उचितानुचितविवेको व्युत्पत्तिः' इति यायावरीयः<sup>3</sup>। उन्होंने अन्य आचार्यों के नाम से बहुज्ञता को व्युत्पत्ति बता कर उसे मानने में अपना अस्वारस्य प्रकट किया है<sup>4</sup>। लेकिन यहाँ राजशेखर का मत समीचीन नहीं प्रतीत होता है, जब तक कि कवि के अन्दर बहुज्ञता नहीं होगी वह उचित और अनुचित का विवेक करेगा ही कैसे? इस लिए व्युत्पत्ति के विषय में रुद्रट का ही कथन समीचीन है जो कि बहुज्ञता और उसके द्वारा उचितानुचितविवेक, दोनों का समन्वय प्रस्तुत करते हैं<sup>5</sup>। आनन्दवर्द्धन ने प्रतिभा को व्युत्पत्ति से श्रेयसी बताया था तथा मंगल ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा से श्रेयसी बताया था। राजशेखर ने दोनों का समन्वय किया और बताया कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों मिलकर ही श्रेयस्कर होती है। - 'प्रतिभाव्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रेयस्यौ इति यायावरीयः'।<sup>6</sup> और कवि उन्हो ने उसी को कहा जो कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों से युक्त होता है - 'प्रतिभाव्युत्पत्तिर्माश्च कविः

1- 'या शब्दग्राममर्थसार्थमलंकारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्यदपि तथा विधमधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा' - का. मो. पृ0 57

2- वही, पृ0 60-62

3- वही, पृ0 75

4- 'बहुज्ञता व्युत्पत्तिः' इत्याचार्याः। वही, पृ0 74

5- रुद्रटका0, 1/18

6- का. मो., पृ0 75-78

कवित्वयुच्यते।' इस प्रकार राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को समान महत्त्व दिया । दोनों को सम्मिलित रूप में काव्य का हेतु स्वीकार किया । साथ ही शक्ति को प्रतिभा से भिन्न स्वीकार किया । पर शक्ति का क्या स्वरूप था यह स्पष्ट नहीं । वह निश्चय ही अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत कवित्वबीज-रूप संस्कार-विशेष से भिन्न नहीं है । क्यों कि वही राजशेखर को प्रतिभा और व्युत्पत्ति की जन्मादात्री है<sup>2</sup> और यही कारण है कि राजशेखर केवल उसी शक्ति को ही काव्य का एकमात्र हेतु प्रतिपादित करते हैं । राजानक कुन्तक ने कवि स्वभाव को ही काव्य के प्रमुख हेतु रूप में उपन्यस्त किया है । जिस कवि का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुरूप उसका काव्य होता है । इस बात को तो राजशेखर भी स्वीकार करते हैं कि जिस स्वभाव का कवि होता है उसी के अनुरूप उसका काव्य होता है, जैसा चित्रकार होता है वैसे ही उसका चित्र भी होता है ।—'स यत्स्वभावः कविस्तदनुरूपं काव्यम् । यादृशाकारश्चित्रकरस्तादृशाकारमस्यचित्रमिति प्रायोवादः<sup>3</sup> ।' वस्तुतः राजानक कुन्तक कश्मीरनिवासी थे । कश्मीर शैवाद्वैत दर्शन को मानने वाले थे । उनका काव्यविषयकचिन्तन उस शैवाद्वैत से ही प्रभावित है । और इस दृष्टि से कुन्तक का काव्यहेतु-विवेचन भी अत्यन्त प्रामाणिक एवं तर्कसंगत प्रतीत होता है । शैवाद्वैत की मान्यता है कि शक्ति और शक्तिमान् में अभेद होता है । अग्नि और उसकी शक्ति दाहकत्व दोनों अभिन्न हैं । शक्ति शिव का स्वभाव ही है । इसीलिए शिव से अभिन्न है । शिवदृष्टि का स्पष्ट कथन है कि —

'न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिर्व्यतिरेकिणी ।

शिवः शक्तस्तथा भावानिच्छया कर्तुमीहते ।

शक्तिशक्तिमतोर्भेदः शैवे जातु न वर्ण्यते<sup>4</sup> ।।'

आचार्य कुन्तक इसी दार्शनिक भित्ति पर काव्यहेतुओं का निरूपण करते हैं । जैसा कि कवि का स्वभाव होता है वैसी ही उसकी सहज शक्ति उत्पन्न होती है क्यों कि शक्ति और शक्तिमान् में अभेद होता है । और जैसी कवि की शक्ति होती है वह उसी के अनुरूप व्युत्पत्ति प्राप्त करता है । और इस तरह जैसी उसकी शक्ति एवं व्युत्पत्ति होती है उन्हीं दोनों

1- का. मी. पृ० 80

2- 'शक्तिकर्तृके हि प्रतिभाव्युत्पत्तिकर्मणी'

शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पद्यते'—वही, पृ० 57

3- वही, पृ० 160

4- शि. दृ. पृ० 2/2-3

के अनुरूप वह काव्य रचना का अभ्यास करता है । यदि कवि सुकुमार-स्वभाव का होगा तो उसी के अनुरूप उसकी सुकुमार शक्ति भी होगी । उस सुकुमार शक्ति के द्वारा वह सौकुमार्य से रमणीय व्युत्पत्ति प्राप्त करेगा। और इस प्रकार वह उस सुकुमार शक्ति एवं सौकुमार्य रमणीय व्युत्पत्ति के द्वारा तदनुरूप सुकुमार-मार्ग से ही काव्यरचना का अभ्यास करेगा । इसी तरह विचित्र स्वभाव वाले कवि की विचित्र शक्ति होगी। उससे वह विचित्र व्युत्पत्ति प्राप्त करेगा और उन दोनों से विचित्र मार्ग से काव्य रचना का अभ्यास करेगा। और इसी तरह मध्यम स्वभाव वाले कवि की मध्यम प्रकार की शक्ति, उसके द्वारा मध्यम प्रकार की व्युत्पत्ति और उन दोनों के द्वारा मध्यममार्ग से काव्यरचना का अभ्यास होगा।<sup>2</sup> इस प्रकार यद्यपि कुन्तक की दृष्टि में भी काव्य के कारणभूत शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही है। तथापि प्राधान्य शक्ति अथवा स्वभाव का है। वस्तुतः शक्ति और स्वभाव दोनों तो अभिन्न ही है। इस बात पर कोई ऐसी विप्रतिपत्ति कर सकता है कि शक्ति के आन्तरिक होने से उसका स्वाभाविकत्व मानना तो ठीक है लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास तो आहार्य है। वे कैसे स्वाभाविक हो सकते हैं। आचार्य कुन्तक ने इसका इस प्रकार समाधान किया है। वे कहते हैं कि काव्य रचना की चर्चा तो दूर रही दूसरे विषयों में भी प्रायः यही देखा जाता है कि किसी भी अनादिवासना के अभ्यास से अधिवासित चित्त वाले व्यक्ति के व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके स्वभावानुसारी ही होते हैं । वस्तुतः उन दोनों की सफलता ही स्वभाव के अभिव्यंजन से होती है । स्वभाव उन दोनों का उपकार्य होता है और वे दोनों उसके उपकारक। स्वभाव उन्हें जन्म देता है और वे दोनों स्वभावको परिपुष्ट करते हैं । चेतनों की बात तो दूर रही अचेतन पदार्थों का स्वभाव भी अपने स्वभाव से संवाद रखने वाले अन्य पदार्थ के सन्निधान से अभिव्यक्त हो उठता है । जैसे चन्द्रकान्त मणियों को जब उनके स्वभाव के अनुरूप चन्द्रमा की किरणों का स्पर्श प्राप्त होता है तो वे सहज ही जल को प्रवाहित करने लगती हैं।<sup>3</sup> अतः यह सिद्ध होता है कि स्वभाव के अनुरूप व्युत्पत्ति और अभ्यास भी होते हैं। इस कवि शक्ति का ही दूसरा नाम कविप्रतिभा है। सुकुमारमार्ग का स्वरूपनिरूपण करते समय यह बताते हुए कि उसमें जो कुछ भी वैचित्र्य होता है वह सब

1- सुकुमार स्वभावस्य कवेस्तथाविधैव सहजा शक्तिः समुद्भवति शक्तिशक्तिमतोरभेदात्। तथा च तथाविधसौकुमार्यरमणीया व्युत्पत्तिमावध्नाति। ताभ्यां च सुकुमारवर्त्मनाभ्यासतत्परः क्रियते।  
व. जी. पृ० 46

2- वही, पृ० 46

3- वही, पृ० 47

केवल प्रतिभाजन्य होता है वे प्रतिभा और शक्ति को पर्याय रूप में प्रस्तुत करते हैं—'प्रति-  
भोद्भवं कविशक्तिसमुत्पत्तमेव, न पुनराहार्यं यथाकथंचित् प्रयत्नेन निष्पाद्यम्' ह्यो तरह  
विचित्रमार्ग का निरूपण करते समय भी यह बताते हुए कि उसमें प्रतिभा के प्रथम विलास  
के समय ही शब्द और अर्थ के अन्तर्गत कोई अपूर्व वक्रता स्फुरित होने लगती है वे प्रतिभा  
का पर्याय कविशक्ति ही देते हैं—'प्रतिभाप्रथमोद्भेदसंग्ये प्रतिभायाः कविशक्तेः, अचरमोत्लेखावसरे।'<sup>2</sup>  
इसी तरह उन्हो ने अनेको स्थलो पर प्रतिभा और शक्ति को पर्याय रूप में प्रस्तुत किया है ।  
इस प्रतिभा का लक्षण उन्हो ने दिया है—'प्राक्तनाद्यतनसंस्कारप्रौढा प्रतिभा काचिदेव कविशक्तिः'<sup>3</sup>

1- आचार्य कुन्तक द्वारा प्रस्तुत की गयी कारिका है—

'यत् किंचनाऽपि वैचित्र्यं तत्सर्वं प्रतिभोद्भवम् ।

सौकुमार्यपरिस्पन्दस्यैदि यत्र विराजते ॥' इस कारिका का डा० नगेन्द्र ने  
(हि. व. जी. भू., पृ० 51) विचित्र अर्थ प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि—'इस श्लोकका  
अर्थ है— सुकुमार मार्ग वह है जहाँ प्रतिभा से उद्भूत जितना भी वैचित्र्य है वह सब  
सुकुमार स्वभाव से प्रवाहित होता हुआ शोभित रहता है। एक विद्वान ने इस श्लोक के  
प्रथम चरण को पृथक् कर उसकी किंचित् भिन्न व्याख्या की है: 'जो कुछ भी वैचित्र्य है वह  
सभी प्रतिभा से उद्भूत है, यह व्याख्या यद्यपि हमारे अभिप्राय की पृष्टि के लिए अधिक  
अनुकूल पड़ती है तथा पि प्रसंगानुमोदित न होने से यथावत् मान्य नहीं है।' वस्तुतः डा०  
साहब का ही अर्थ असमीचीन है । और जिस अज्ञातनामा विद्वान् के अर्थ को उन्होने अमान्य  
ठहराया है वही समीचीन है। साथ ही कुन्तक के अभिप्राय को व्यक्त करने में वही अर्थ  
समीचीन भी है। सम्भवतः डा० साहब ने स्वयं कुन्तक की इस कारिका की वृत्ति पर ध्यान  
नहीं दिया है अन्यथा ऐसा अर्थ कदापि न करते और एक विद्वान् के सही अर्थ की यो ही  
आलोचना न कर बैठते । कुन्तक की स्पष्ट व्याख्या है कि 'वह सुकुमार मार्ग कैसा ही ता है—  
जिसमें जो कुछ भी वैचित्र्य अर्थात् वक्रोक्तियुक्तता होती है वह सब अलंकारादिक प्रतिभोद्भूत  
अर्थात् कविशक्ति के द्वारा समुत्पत्त होता है न कि आहार्य अर्थात् यथाकथंचित् प्रयत्न के  
द्वारा निष्पाद्य होता है—'स च कीदृशः -यत्र यस्मिन् किंचनापि कियन्मात्रमपि वैचित्र्यं  
विचित्रमवो वक्रोक्तियुक्तम्। तत्सर्वमलंकारादिप्रतिभोद्भवं कविशक्तिसमुत्पत्तमेव न पुनराहार्यं  
यथाकथंचित् प्रयत्नेन निष्पाद्यम्।' (व. जी. पृ० 48)

2- वही, पृ० 58

3- वही, पृ० 49 .

अर्थात् पूर्वजन्म और इस जन्म के संस्कारों के परिणाम से प्रौढ़ कोई अपूर्व कविशक्ति प्रतिभा कहलाती है। शब्द अर्थ अलंकार सभी कुछ तो इसी प्रतिभा से प्रसारित होते हैं। यदि कवि प्रतिभा दरिद्र है तो वह यदि काव्य में रमणीय शब्द की सृष्टि करेगा तो अर्थ किसी काम का न होगा यदि अर्थ रमणीय रहा तो शब्द निस्तेज होगा कभी भी वह शब्दार्थ साहित्य को प्रस्तुत नहीं कर पायेगा और उसकी रचना से काव्यमर्मत्र आह्लाद की अनुभूति न कर सकेंगे। इसी लिए साहित्य आदि के प्राधान्य में भी प्राधान्य कवि प्रतिभा का ही होता है—'तथाऽपि कविप्रतिभाप्रौढिरेव प्राधान्येनावतिष्ठते।' कवि व्यापार की वक्रता प्रतिभा के ही कारण सम्भव है। कविके प्रतिभा विलास के आगे व्युत्पत्ति विलास तिरस्कृत हो जाता है—'पदार्थ परकार्यमहिमैव कविशक्तिसमुन्मीलितः तथाविधो यत्र विजृम्भते येन विविधमपि व्युत्पत्तिविलसितं काव्यान्तरगतं तिरस्कारास्पदं सम्पद्यते।' वाक्य की वक्रता कविप्रतिभा के आनन्द के कारण ही अनन्त प्रकार की होती है—'यस्मात् कविप्रतिभान्त्यान्वितत्वं न सम्भवति।' इस प्रकार कवि प्रतिभा अथवा कविशक्ति ही काव्यरचना का प्रधान कारण है। वही व्युत्पत्ति और अभ्यास की जन्मदात्री है। शक्ति स्वाभाविक होती है। दण्डी ने भी प्रतिभा को नैसर्गिक कहकर उसकी स्वाभाविकता को ही स्वीकार किया था। कुन्तक ने प्रतिभा को सहज और पूर्वजन्म तथा इस जन्म के संस्कार परिपाक से प्रौढ मानकर एक विस्तृत दृष्टि कोण प्रस्तुत किया है। जैसे यह सम्पूर्ण जगत् केवल शक्ति का परिस्पन्द है वैसे ही यह काव्य सृष्टि भी कविशक्ति का ही परिस्पन्द है। इस प्रकार कुन्तक का यह विवेचन दार्शनिक भित्ति पर पूर्णतया आधारित होने के कारण अन्य आचार्यों के विवेचन की अपेक्षा युक्ततम एवं तर्कसंगत है। आचार्य दण्डी ने 'पूर्ववासनागुणानुबन्धि' कह कर तथा वामन ने 'जन्मान्तरागत-संस्कार-विशेष' कहकर जहाँ इस प्रतिभा को केवल जन्मान्तर का ही संस्काररूप मान रखा था, कुन्तक ने इसे 'प्राक्तन एवं अद्यतन संस्कार के परिपाक से प्रौढ' बता कर और भी अधिक प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया। प्राक्तन संस्कार विना अद्यतन संस्कार के प्रस्फुटित कैसे होगा? और यही कारण है कि आगे चल कर मम्मट ने इसे केवल संस्कारविशेष ही कहा। राजशेखर की सहजाप्रतिभा को भी ऐहिक संस्कार की कुछ आवश्यकता पडती ही है। साथ ही कुन्तक ने रुद्रट तथा राजशेखर इत्यादि की भाँति प्रतिभा को केवल शब्द, अर्थ, अलंकार, कथन प्रकार आदि को ही प्रतिभासित करने वाली कह कर उसे किसी इयत्ता

1- व. जी, पृ० 13

2- वही, पृ० 50

3- वही, पृ० 41

वे अवांछित करना उचित नहीं समझा । इस विषय में वे वामन आदि के ही साथ हैं। प्रतिभा कवित्व की ही बीजभूता है। जब कवित्व ही प्रतिभा के बिना असम्भव है तो यह तो सुस्पष्ट है कि काव्य की जितनी भी सामग्री है, काव्य के जितने भी तत्त्व हैं सभी प्रतिभा द्वारा ही सम्भव हैं । उसके अभाव में उनको कोई सम्भावना ही नहीं। इसी लिए पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा किया गया प्रतिभा का यह लक्षण कि 'काव्य रचना के अनुकूल शब्द और अर्थ की उपस्थिति ही प्रतिभा है, अधिक समीचीन नहीं प्रतीत होता। पण्डितराज ने भी केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है परन्तु वे उसे जन्मान्तरागत संस्कार मानने को तैयार नहीं हैं। उनकी प्रतिभा ऐहिक ही है कही तो उसका हेतु देवता, महापुरुष के प्रसाद आदि से उत्पन्न अदृष्ट है जिसे राजशेखर के अनुसार औपाधिकी कहा जा सकता है और कही उस प्रतिभा के कारण विलक्षण व्युत्पत्ति और अभ्यास होते हैं । इस प्रकार जहाँ कुन्तक ने व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभाजन्य स्वीकार किया था । पण्डितराज ने ठीक उसके विपरीत प्रतिभा को व्युत्पत्ति और अभ्यासजन्य स्वीकार किया । कुन्तक की व्याख्या से यह स्पष्ट ही चुका है कि पण्डितराज का मत यहाँ समीचीन नहीं है । हेमचन्द्र ने भी केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना। व्युत्पत्ति और अभ्यास को उसका उपकारक माना<sup>3</sup> । जैसा कि कुन्तक ने भी माना है । लेकिन हेमचन्द्र भी प्रतिभा के दो भेद करते हैं—एक सहजा और दूसरी औपाधिकी । आगे चल कर नरेन्द्र प्रभसूरी ने भी प्रतिभा को ही काव्य का कारण स्वीकार किया व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके उपकारक होते हैं । वे कहते हैं — 'प्रतिभैव काव्यकामधेनुर्व्युत्पत्त्यभ्यासौ तु तामेवोपस्कृतस्तद्वारेणैव काव्योपकारिणौ ।'<sup>4</sup> यह प्रतिभा काव्य की मूलभूता आत्मा की कोई ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति है जो सम्पूर्ण जगत् के चित्त को चमत्कृत करने में समर्थ होती है।<sup>5</sup> विना प्रतिभा के काव्य उन्मीलित ही नहीं हो सकता और यदि यथा कथंचित् उन्मीलित भी हो गया तो उपहासास्पद हो जाता है।

'न खलु प्रतिभामन्तरेण काव्यमुन्मीलति। कथंचिदुन्मीलति चेत् तत्सर्वस्यापि हास्यपात्रतां गच्छेदिति'<sup>6</sup>

1- 'तस्य च कारणं केवला कविगता प्रतिभा, सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः' - र. ग. पृ० 13

2- 'तस्याश्च हेतुः क्वचिद्देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम्। क्वचिद् विलक्षणव्युत्पत्तिकारण-  
कारणभ्यासौ। - वही, पृ० 13

3- 'प्रतिभास्य हेतुः' (काव्यानुशासन, हेम० 1/4) व्युत्पत्त्यभ्यासौ तु प्रतिभाया एव संस्कारकौ। वृत्ति

4- अलं० महो०, पृ० 7

5- 'जगच्चेतश्चमत्कारि कविकर्मनिबन्धनम्।

काचिदप्यसात् मनः शक्तिः प्रतिभेत्यभिधीयते।।' - वही, 1/7

6- वही, पृ० 7

## द्वितीय अध्याय

### कुत्तक के अनुसार वक्रता के भेद



पिछले अध्याय में यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि आचार्य कुन्तक के अनुसार किसी काव्य का काव्यत्व वक्रोक्ति अथवा कविव्यापारवक्रता के कारण ही सम्भव होता है। उन्होने स्पष्ट रूप से निरूपित किया है कि अलंकार युक्त<sup>की</sup> ही काव्यता होती है और यह अलंकार एक मात्र वक्रोक्ति ही है<sup>1</sup>। सहृदयाह्लादकारो रूप में लोकोत्तर ढंग से किसी वस्तु का प्रतिपादन करना ही वक्रोक्ति अथवा कविव्यापारवक्रता है। यह वक्रता समग्र काव्य में विद्यमान रहती है। इसी लिए इसके भेद प्रभेदों का विवेचन करते हुए कुन्तक ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से काव्य को लघुतम इकाई वर्ण से लेकर महत्तम स्वरूप प्रबन्ध तक इसका विवेचन किया है। कविव्यापारवक्रता के कुन्तक ने प्रधानतया छः भेद स्वीकार किये हैं<sup>2</sup>। काव्य को सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उन वर्णों के लोकोत्तर विन्यास से काव्य में अपूर्व तद्विदाह्लादकारित्व की सृष्टि होती है, अतः कवि व्यापार की प्रथमवक्रता वर्णों के विन्यासमें होती है। अतः वक्रता का पहला प्रकार वर्णविन्यासवक्रता है। वर्णों के अनन्तर उनके समूह रूप पद सामने आते हैं। लेकिन पदों के दो भाग होने हैं—एक प्रकृति और दूसरा प्रत्यय। इसीलिए कुन्तक ने पदवक्रता के पदपूर्वादर्धवक्रता तथा पदपरादर्धवक्रता रूप दो भिन्न वक्रता प्रकार निरूपित किए हैं। ये दोनों प्रकृतिवक्रता तथा प्रत्ययवक्रता के नामान्तर समझे जा सकते हैं। पदों के अनन्तर उनके समुदायभूत वाक्य का स्वरूप सामने आता है। अतः चतुर्थ वक्रता वाक्यवक्रता स्वीकार की गई। तदनन्तर वाक्यों के समूह भूत प्रकरण की पांचवी वक्रता मानी। और चरमवक्रता प्रकरणों के समुदायभूत प्रबन्ध की स्वीकार की गई। इस प्रकार कुन्तक द्वारा किया गया वक्रताभेदविवेचन वैज्ञानिक ढंग से विस्तारक्रम पर आधारित है। उन्होने प्रधानतया ये ही छः भेद प्रतिपादित किए। वैसे इनके अनेक भेदोपभेद सम्भव हैं। और उनका यथासम्भव कुन्तक ने निर्देश भी किया है। अब इन वक्रताओं के प्रत्येक भेद का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

1- 'तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता'— व. जी. 1/6.

तथा

'तयोः पुनरलंकारः वक्रोक्तिरेव' वही, 1/10.

2- द्रष्टव्य व. जी. 1/18-21.

(1) वर्णविन्यासवक्रता

अकारादि स्वर एवं व्यंजनादि व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं । जहाँ कविजन वर्णों के विन्यास को प्रसिद्ध ग्रन्थान से व्यतिरेकी वैचित्र्य द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उस वर्ण-विन्यास द्वारा शब्द-सौंदर्य अतिशययुक्त हो सहृदयों को आह्लादित करने में अत्यन्त समर्थ हो जाता है वही वर्णविन्यासवक्रता होती है । इस वक्रता के अन्तर्गत ही कुन्तक ने प्राचीन आचार्यों द्वारा स्वीकृत अनुप्रास तथा यमकादि शब्दालंकारों एवं उपनागरिका आदि वृत्तियों का ग्रहण कर लिया है । उनका स्वयं का स्पष्ट कथन है कि —

'एतदेव वर्णविन्यासवक्रत्वं चिरन्तेनध्वनुप्रास इति प्रसिद्धम्।'<sup>1</sup>

तथा 'यमकं नाम कोऽप्यस्याः ग्रन्थः परिदृश्यते।'<sup>2</sup>

एवम् 'वर्णछाया अनुसारेण गुणमार्गानुवर्तिनी ।

वृत्तिवैचित्र्ययुक्तेति सैव प्रोक्ता चिरन्तनैः'<sup>3</sup> ।

वर्णों की यह वक्रता वर्णों की विविध आवृत्तियों पर आधारित है । आचार्य कुन्तक ने वर्णों की संख्या एवं उनके स्वरूप के आधार पर इस वक्रता का द्विविध विभाजन किया है । वर्णों की संख्या के आधार पर उन्होने इसके तीन भेद प्रतिपादित किए—

(1) जहाँ थोड़े-थोड़े व्यवधान से एक ही वर्ण बार-बार उपनिबद्ध किया जाता है ।

वह प्रथम प्रकार है ।

(2) जहाँ दो वर्णों की थोड़े-थोड़े व्यवधान से बार-बार आवृत्ति की जाती है । वह

दूसरा प्रकार होता है ।

(3) जहाँ बहुत से वर्ण थोड़े-थोड़े व्यवधान से बार-बार उपनिबद्ध किए जाते हैं,

वही तीसरा प्रकार होता है<sup>4</sup> । निश्चय ही इस विभाजन का आधार वैयाकरणों

द्वारा स्वीकृत एकवचन द्विवचन और बहुवचन रूप संख्या-भेद ही है ।

वर्णों के स्वरूप के आधार पर भी कुन्तक ने इस वक्रता के तीन भेद प्रतिपादित किए—

(1) जहाँ पर क से लेकर म पर्यन्त स्पर्श वर्ण अपने वर्ग के अन्तिम अकारादि वर्णों से

संयुक्त हो कर थोड़े-थोड़े व्यवधान से पुनः पुनः आवृत्त होते हैं । वही इस

वक्रता का पहला प्रकार होता है । .

1- व. जी. पृ० 30

2- वही, 2/6

3- वही, 2/5

4- वही, 2/1 तथा वृत्ति

(2) जहाँ पर द्विवत्त्वविशिष्ट अथवा द्विवधा उच्चरित त, ल तथा न इत्यादि वर्णों की अल्प व्यवधान से पुनः पुनः आवृत्ति होती है। वहाँ दूसरा प्रकार होता है।

(3) जहाँ पर अवशिष्ट अन्य व्यंजन रेफादिक से संयुक्त रूप में अल्प व्यवधान से पुनः पुनः आवृत्त होते हैं। वहाँ तीसरा प्रकार होता है।

इस प्रकार वक्रता का यह द्वितीय त्रिविध विभाजन वर्णों के स्वरूप पर आधारित है। यहाँ कुन्तक ने समस्त व्यंजनों को तीन श्रेणियों में बाँट दिया है। आचार्य रुद्रट<sup>2</sup> ने इसी वर्णस्वरूप के आधार पर मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता और भद्रा-पाँच वृत्तियाँ तथा उद्भट<sup>3</sup> ने केवल परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या—तीन ही वृत्तियाँ स्वीकार की थीं। और यही कारण है कि कुन्तक ने उन वृत्तियों का भी अन्तर्भाव इसी वक्रता में किया। आचार्य आनन्दवर्द्धन<sup>4</sup> ने भी वर्णों के स्वरूप के आधार पर वर्णों का विभाजन रस-व्यंजकता की दृष्टि से किया है। मम्मट<sup>5</sup> विश्वनाथ<sup>6</sup> आदि ने भी वर्णों का ऐसा विभाजन माधुर्यादि गुणों की व्यंजकता की दृष्टि से किया है। वर्णविन्यासवक्रता के इस द्विविध विभाजन में कुन्तक ने वर्णों की पुनः पुनः आवृत्ति थोड़े व्यवधान से प्रतिपादित की थी। लेकिन कहीं-कहीं पर यदि एक, दो अथवा बहुत से वर्णों की विना व्यवधान के ही अनियत स्थान पर आवृत्ति होती है तो वहाँ भी यह सहृदयता<sup>7</sup> कारिणी होते हुए वर्णविन्यासवक्रता को प्रस्तुत करती है। यह भी कुन्तक स्वीकार करते हैं। वर्णों की इस आवृत्ति में सम्भवतः उन्हें स्वरों का सादृश्य भी मान्य है। जैसा कि उनके उदाहरणों से स्पष्ट है। साथ ही उनके इस कथन से कि 'यदि इस प्रकार अव्यवधान से वर्णों की आवृत्ति होने पर स्वरों का परस्पर असादृश्य रहा तो अन्य ही वक्रता उद्भासित होती है'<sup>8</sup> यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। अन्यथा जब वे कहते हैं कि कहीं कहीं व्यवधान से भी इन विशिष्ट वर्णों की आवृत्ति होने पर यह वक्रता होती है—'अपि शब्दात् क्वचिद् व्यवधानेऽपि'<sup>9</sup> तो वह कथन अनावश्यक ही सिद्ध हो जाता है क्योंकि वक्रता के प्रथम विभाजन से इसका फिर कोई भेद ही नहीं रहेगा<sup>क्यों</sup> कि वह वक्रता भी तो एक, दो अथवा अनेक वर्णों की अल्प व्यवधान से पुनः पुनः आवृत्ति होने पर ही होती है। और यदि स्वरो का समय भी उन्हें यहाँ

1- व. जी. 2/2 तथा वृत्ति

2- रुद्र. काव्या. 2/19-31

3- का. सा. सं. 1/4-6

4- ध्व. 3/3-4

5- का. प्र. 8/9-10

6- सा. द. 8/3, 5-6

7- व. जी. 2/3 तथा वृत्ति

8- वही, पृ. 83.

9- वही, पृ. 82

स्वरो का साम्य भी उन्हें यहाँ न मान्य होता तो वे इसे यमकाभास भी न कहते । उनका कहना है कि ऐसे स्थलों पर यमक नहीं बल्कि यमकाभास होता है । यहाँ पर यमक का व्यवहार इसी कारण नहीं हो सकता कि इसका स्थान नियत नहीं होता जब कि यमक में पाद, पादादि , गदमध्य, पादान्त इत्यादि स्थान नियत हुआ करते हैं । यह तो विभाजक तत्त्व तभी होगा जब स्वर तथा व्यंजन दोनों को ही सदृशरूप में अनियत स्थान पर आवृत्ति होगी । साथ ही जब कुन्तक स्वरों के असादृश्य में भी वक्रता मानते हैं तो वही भी यमकाभास ही होगा क्योंकि यमक में स्वर और व्यंजन दोनों का ही सादृश्य अनिवार्य होता है जब कि यहाँ स्वरों के असादृश्य से ही चमत्कार स्वीकार किया गया है । 'सा स्वराणामसारूप्यात् परां पुष्णाति वक्रताम् । लेकिन ही, कुन्तक ने नियत स्थान पर आवृत्त होने वाले उस यमक को भी इस वक्रता का एक अन्य प्रकार घोषित किया है । उस यमक की अलंकारता उन्हें तभी मान्य है जब कि वह प्रसाद गुण से युक्त एवं श्रुतिरमणीय होता है<sup>3</sup> । और यही कारण है कि इसके उदाहरण रूप में उन्होने 'शिशुपालवध' चतुर्थ सर्ग के तथा 'रघुवंश' वसन्तवर्णन के कुछ ही यमकों को स्वीकार किया है— 'उदाहरणान्यत्र शिशुपालवधे चतुर्थे सर्गे समर्पकाणि कानिचिदेव यमकानि, रघुवंशे वा वसन्तवर्णने।'<sup>4</sup>

इस प्रकार वर्णविन्यासवक्रता के कतिपय भेदों का निरूपण कर तथा प्राचीन आचार्यों द्वारा स्वीकृत अनुप्रास यमकादि शब्दालंकारों एवं उपनागरिका आदि वृत्तियों का उसमें अन्तर्भाव कर कुन्तक उस वक्रता की यथार्थता का प्रतिपादन करते हुए उसके कुछ नियामक तत्त्वों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं । इस वक्रता का सबसे प्रधान नियामक तत्त्व औचित्य है । वर्णों की आवृत्ति में अथवा उनके प्रयोग में जरा-सी भी औचित्य की हानि हुई नहीं कि वह वर्णविन्यास वक्रता की कोटि से च्युत हो जाता है । इसी लिए कुन्तक जब वर्णों की श्रेणियों को विभाजित करते हैं अथवा जे वर्णों के स्वरूप के आधार पर वक्रता के भेदों का निरूपण करते हैं तो बताते हैं कि उन वर्णों को प्रस्तुत वर्ण्यमान पदार्थ के औचित्य से सुशोभित होने वाला होना चाहिए<sup>5</sup> । न कि केवल व्यसन के कारण ही उपनिबद्ध होकर प्रस्तुत

1- व. जी. पृ० 83

2- वही, पृ० 2/3

3- वही, 2/6-7

4- वही, पृ० 87

5- वही, 2/2

के औचित्य को स्तान करने वाला होना चाहिए । आशय यह है कि यदि रौद्रादि परुष यदि मृद्वारादि कोमल रसों का प्रस्ताव है तो वहाँ कोमल वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। और इन औचित्य की सुरक्षा तभी हो सकती है जब कि वक्रता अत्यन्त आसक्तिपूर्वक विरचित नहीं होगी । विना प्रयत्न के सहज प्रतिभाजन्य होगी । यदि आमन्त्रित या मोह के कारण प्रयत्नपूर्वक उनकी रचना की जायगी तो निश्चित ही वर्ण्यमान के औचित्य की हानि होगी और ऐसी दशा में शब्द और अर्थ का परस्पर स्पर्धा रूप जो साहित्य है, वह सम्पन्न न हो सकेगा और वह रचना काव्य कहलाने की अधिकारिणी नहीं होगी। साथ ही वर्णविन्यास अत्यधिक कठोर श्रुतिकटु वर्णों से भी संवर्लित नहीं होना चाहिए उसमें श्रुतिपेशल वर्णों को <sup>प्रयोग होना चाहिए तथा जिन वर्णों की</sup> ~~एकबार~~ आवृत्ति की जा चुकी है उनका परित्याग कर नवीन वर्णों की आवृत्ति की जानी चाहिए । तभी सहृदयों को आनन्दोपलब्धि होगी और तभी वर्णविन्यासवक्रता ~~वक्रता कहलाने~~ की अधिकारिणी होगी । लेकिन कुन्तक के इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि यदि शृंगाररस का प्रकरण चल रहा है और उसमें पहले कुछ कोमल वर्णों की आवृत्ति की गई है तो उनका परित्याग कर कठोर वर्णों की आवृत्ति कर दी जाय, क्योंकि ऐसा करने पर रस के प्रतिकूल वर्णों का प्रयोग करने से रसभंग हो जायगा। अतः शृंगार रस के प्रकरण में उसी रस के व्यञ्जक कोमल वर्णों की ही हेर फेर से आवृत्ति करनी चाहिए जिससे सहृदयजन उद्विग्न न हो और रस की भी सम्यक् निष्पत्ति हो। ऐसा ही नियम अन्य रसों एवं प्रकरणों में भी अभीष्ट है । गुणों एवं मार्गों के अनुसरण से इस वक्रता के अनेकों भेद सम्भव हो सकते हैं । उनको किसी संख्या द्वारा नियत कर सकना सम्भव नहीं ।

## (2) पदपूर्वादर्धवक्रता

इस प्रकार वर्णों की वक्रता का विवेचन करने के अनन्तर वर्णों के समुदाय रूप पदों की वक्रता का विवेचन अवसरप्राप्त है । व्याकरण को समस्तविद्याओं का मूल स्वीकार किया गया है । पदों का ज्ञान व्याकरणशास्त्र से ही होता है फिर साहित्यशास्त्रियों की दृष्टि में तो व्याकरण का महत्त्व अक्षुण्ण रहा है । सहृदयशिरोमणि आनन्दवर्धन का कथन है कि-

1- 'नातिनिर्बन्धविहिता नाप्यपेशलभूषिता ।'

पूर्वावृत्तपरित्याग नूतनावर्तनोज्ज्वला ।'

- व. जी., 2/4

'प्रथमे हि विद्वांगो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम् ।'

आनन्दवर्धन की पदध्वनियों का विवेचन जैसे व्याकरणमूलक है वैसे ही कुन्तक का पदवक्रता-विवेचन भी व्याकरणमूलक ही है । आचार्य पाणिनि का सूत्र है - 'सुप्तिङन्तमपठम्'<sup>2</sup> 'अर्थात् सुबन्त एवं तिङन्त की पद संज्ञा होती है । जबतक किसी प्रतिपादक से सुप् प्रत्यय तथा किसी भी धातु से तिङ् प्रत्यय नहीं लग जाते तब तक वह प्रयोग के योग्य नहीं होता । क्यों कि प्रयोग के योग्य पद ही हुआ करता है । कुन्तक ने पदवक्रता का विवेचन जो पदपूर्वार्द्ध और पदपरार्द्ध के रूप में किया उसका आधार यही है । पदपूर्वार्द्ध को ही प्रकृति तथा पदपरार्द्ध को ही प्रत्यय भी कहते हैं । कभी-कभी कवि काव्य में प्रकृति के विचित्र प्रयोग से अपूर्व सौन्दर्य की सृष्टि कर देना है और कभी प्रत्यय के विचित्र प्रयोग से । अतः इन दोनों का ही स्वतंत्र विवेचन आवश्यक होने के कारण कुन्तक ने पदवक्रता को पदपूर्वार्द्धवक्रता तथा पदपरार्द्धवक्रता दो भागों में विभक्त कर दिया है। कुन्तक ने इस वक्रता के प्रधानतया अधोलिखित प्रकार प्रतिपादित किए हैं—

(क) रूढिवैचित्र्यवक्रता :-

सामान्यतया रूढि शब्द का अर्थ प्रसिद्धि लिया जाता है । 'त्रिवेणिका' में आशाधर भट्ट ने बताया है शब्द की तीन वृत्तियाँ होती हैं - शक्ति भक्ति और व्यक्ति । जो सैकेतग्रह का कारण होती है उस वृत्ति को शक्ति कहते हैं । यह शक्ति तीन प्रकार की होती है - योग, रूढि और योगरूढि । जिसके सैकेत में प्रसिद्धि का प्राधान्य होता है उसे रूढि कहते हैं - 'सैकेतप्रसिद्धि प्राधान्या रूढिः'<sup>3</sup> । 'वृत्तिवार्तिक' में भी अभिधा के एक भेद-रूप में रूढि को स्वीकार किया गया है और बताया गया है कि समुदाय की खण्डशक्ति या सामूहिक शक्ति से ही एक अर्थ का प्रतिपादन करने वाली अभिधा रूढि है । - 'खण्डशक्तिमात्रैणैकार्थप्रतिपादकत्वं रूढिः'<sup>4</sup> । यही अभिमत साहित्यकौमुदी<sup>5</sup>, साहित्यसार तथा काव्यदर्पण आदि में भी व्यक्त किया गया है । आचार्य कुन्तक भी शब्द को किसी नियत अर्थ का बोध करानेवाली वृत्ति को रूढि स्वीकार करते हैं । वह कभी नियतसामान्य की बोधक होता है और कभी

1- छ., पृ० 132-133.

2- अष्टाध्यायी, 1.1.14

3- त्रिवेणिका, पृ० 4, 5

4- वृत्ति, पृ० 1

5- सा. कौ., पृ० 11

6- सा. सा., 2/8

7- का. द., पृ० 44

नियताविशेष की। वह शब्द का धर्म रूप है। लेकिन चूंकि धर्म और धर्मी में अभेदोपचार दिग्बाई ण्डना है अतः यहाँ रूढि से आशय रूढिप्रधान शब्द से है। अर्थात् रूढिवक्त्रता से आशय उस शब्द की वक्त्रता से है जिसमें रूढि प्रधान होती है। इस प्रकार जहाँ रूढिप्रधान शब्द के द्वारा वाच्य पदार्थ के किन्हीं लोकोत्तर तिरस्कार अथवा प्रशंसनीय उत्कर्ष को प्रतिपादित करने की इच्छा से कवि रूढि शब्द द्वारा किसी ऐसे धर्म को प्रतीति कराता है जिसकी कि रूढि शब्द द्वारा सम्भावना भी नहीं की जा सकती थी वहाँ पर अर्थात् उस पदार्थ में विद्यमान धर्म के अत्यधिक उत्कर्ष की जहाँ प्रतीति कराता है वहाँ पर रूढिवैचित्र्यवक्त्रता होती है। कुन्तक ने इस बात को अत्यधिक स्पष्ट कर दिया है कि 'प्रतीति कराता है' इस क्रियाका अभिप्राय यही है कि ऐसे स्थलों पर शब्द का व्यापार वाचक रूप में नहीं होता बल्कि अन्य वस्तु की तरह केवल व्यंजक रूप में होता है और यहाँ वे ध्वनिकार द्वारा समर्थित व्यंग्यव्यंजक भाव के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हैं<sup>3</sup>। कुन्तक ने वक्त्रता की दृष्टि से इस वक्त्रता के दो भेद निरूपित किए हैं<sup>4</sup>। ~~कुन्तक ने वक्त्रता को~~ पहला भेद तो वह होता है जहाँ कवि रूढिवाच्य पदार्थ की ही स्वयं वक्त्रता के रूप में अपने उत्कर्ष अथवा अपकर्ष का प्रतिपादन करने के लिए उपनिबद्ध करता है—जैसे, 'रामोऽस्मि सर्वं महे'<sup>5</sup> में वक्त्रता स्वयं राम है। कवि उनके स्वयं को लोकोत्तर तिरस्कार का प्रतिपादन करना चाहता है और इसी लिए उसने स्वयं राम में 'रामोऽस्मि' कहलाया है। इसमें 'राम' द्वारा जिस असाधारण कूरता की दाशरथि राम में सम्भावना भी नहीं की जा सकती थी उसकी प्रतीति होनी है। राम की उस कूरता के विषय में क्या कहा जाय जोकि उन्हें ऐसे वर्षाकाल के विविध उद्दोषनविभावों के विभव को सत्न करने में समर्थ बनाए हुए है और जो कि जनकनन्दिनी जानकीकी दुःसह विरहव्यथा के कारण विषम समय में भी निर्लज्ज की तरह उन्हें अपने प्राणों की रक्षा करने में समर्थ बनाये हुए है। इस प्रकार रूढिवक्त्रता का यह पहला प्रकार हुआ जहाँ कि वक्त्रता स्वयं रूढिद्वारा वाच्य पदार्थ ही हुआ करता है। इसका दूसरा प्रकार वही होना है जहाँ वक्त्रता स्वयं रूढि वाच्य अर्थ नहीं होता बल्कि उसमें भिन्न कोई वक्त्रता होता है जैसे—'स्याच्चेदेष न रावणः' इत्यादि में।<sup>6</sup>

1-व.जी. पृ० 88

2- वही, 2/8-9

3- वही, पृ० 89

4- वही, पृ० 89

5- महानाटक, 5/7

6- बाल. रामा. 1/36

यहाँ कवि ने रावण के किसी ऐसे अनिर्वचनीय दोष की प्रतीति कराई है जिसके आगे उसके अनेक गुण निरोहित हो जाते हैं और वह वर के अयोग्य सिद्ध होता है । परन्तु यहाँ वक्ता स्वयं रावण नहीं बल्कि सदानन्द है । अतः यह दूसरा प्रकार रहा । कुन्तक और आनन्द-वर्द्धन के विवेचन में यही अन्तर है कि कुन्तक ऐसे स्थलों पर धर्म की प्रतीयमानता स्वीकार करते हैं जब कि आनन्द धर्मविशिष्ट धर्मों की प्रतीयमानता स्वीकार करते हैं । इसी 'रामोऽस्मि सर्वं सहे' पर जिसे कि उन्होंने 'अर्थान्तर-संक्रमितवाच्यध्वनि' के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है, उनका व्याख्यान है कि 'यहाँ पर रामशब्द के द्वारा व्यंग्यधर्मान्तर ने परिणत संज्ञी की प्रतीति होती है केवल संज्ञी दाशरथि राम की नहीं । कुन्तक ने प्रतीयमान धर्म के बाहुल्य के कारण इस वक्रता की विविध-प्रकारता का निर्देश किया है<sup>2</sup>। इस वक्रता का परम रहस्य यही होता है कि इसके कारण शब्द में सामान्यनिष्ठता का परित्याग कर कवि-विवक्षित-विशेष को प्रतिपादित करने की सामर्थ्य आ जाती है ।

### (ख) पर्यायवक्रता

पर्याय शब्द का प्रयोग प्रायः समानार्थवाचक शब्दों के लिए किया जाता है । 'अमरकोश' के अनुसार पर्याय का अर्थ क्रम होता है<sup>3</sup> । 'न्यायकोश' में उद्धृत किया गया है कि प्रवृत्ति निमित्त के संपान होने पर विभिन्न आनुपूर्वी का होना पर्याय कहलाता है । जैसे घड़ा रूप अर्थ घट, करीर तथा कलश इत्यादि शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त है लेकिन इनमें प्रयुक्त वर्णों की आनुपूर्वी भिन्न भिन्न है अतः ये सभी पर्याय हुए । 'पर्यायः समानप्रवृत्ति-निमित्त-कत्वे सति विभिन्नानुपूर्वीकत्वम्' यथा घटः, करीरः, कलशः इति पर्यायः<sup>4</sup> ।

'शब्दकल्पद्रुमकोश' में विजयरक्षित के अनुसार उद्धृत किया गया है कि 'क्रम से एक अर्थ के वाचक शब्द पर्याय कहे जाते हैं<sup>5</sup> । कुन्तक को भी यही अभीष्ट है । उनका कहना है कि पर्याय-प्रधान शब्द को पर्याय कहा जाता है । पर्याय से आशय क्रम से ही है । कुन्तक का कहना है कि शब्द की पर्यायप्रधानता यही होती है कि कभी तो वह विवक्षित वस्तु के

1- 'इत्यत्र रामशब्दः । अनेन हि व्यंग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञीप्रत्याख्यते, न संज्ञिमात्रम् ।

—घ. पृ० 169

2- तथा च रूढिवैचित्र्यवक्रता प्रतीयमान-धर्मबाहुल्याद् बहुप्रकाराभिद्यते । , व जी. पृ० 91

3- 'पर्यायोऽवसरे क्रमे' 3/3/146

4- न्यायकोश, पृ० 452

5- 'क्रमेणैकार्थवाचकाः शब्दाः पर्यायाः' इति विजयरक्षितः । श. क. पृ० 73



वाचकरूप में प्रवृत्त होता है और कभी उसके भिन्न दूसरा वाचक प्रवृत्त होता है ।  
 जैसे पिनाकी और कपाली दोनों पद पर्याय है । दोनों का ही अर्थ शंकर है । इनमें पिनाकी  
 पद से तो लोकोत्तर पिनाक घनुष को धारण करने वाले भगवान शंकर का उत्कर्ष व्यंजित  
 होता है । जब कि 'कपाली' पद से उनकी हेयता व्यंजित होती है क्योंकि कपाली पद  
 बीभत्स रस के आलम्बन विभाव के वाचक रूप में घृणा का व्यंजक है ।<sup>1</sup> जिसने नरमुण्ड  
 धारण कर रखा है ऐसा घृणास्पद शंकर यह अर्थ कपाली पद से व्यंजित होता है । अतः  
 जब हमें भगवान शंकर की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करना अभीष्ट होगा उस समय हमारी  
 विवक्षित वस्तु का वाचक 'पिनाकी' पद ही होगा 'कपाली' नहीं । लेकिन जब शंकर की  
 हीनता, चाहे वह आघाततः ही क्यों न हो, प्रतिपादित करनी होगी तो उस समय विवक्षित  
 अर्थ का वाचक कपाली पद ही होगा पिनाकी नहीं । अतः जहाँ कवि असाधारण ढंग से  
 पर्यायों का प्रयोग कर उनके द्वारा चमत्कारकी सृष्टि करता है वहाँ पर्यायवक्रता होती है ।  
 जिन पर्यायों के प्रयोग<sup>2</sup> न्य वैचित्र्य ये यह वक्रता प्रस्तुत होती है उन पर्यायों का स्वरूप  
 कुन्तक के अनुसार इस प्रकार है —

(1) जो पर्याय अभिधेय वस्तु का अत्यधिक अन्तरंग होता है अर्थात् जिस प्रकार से  
 विवक्षित वस्तु को वह व्यक्त करने में समर्थ होता उस विशिष्ट प्रकार से दूसरा पर्याय नहीं ।  
 अतः वैसे पर्याय के प्रयोग से यह वक्रता प्रस्तुत होती है<sup>2</sup> । उदाहरणार्थ 'किरातार्जुनीयम्'<sup>3</sup>  
 में जब किरातवेषधारी शिव तथा अर्जुन दोनों के साथ ही बाण छोड़ने पर वाराह विदूष  
 हो जाता है और अर्जुन अगना बाण निकालने लगते हैं तभी शिव का दूत अर्जुन से उस  
 बाण को अपने सेनापति का बाण बताकर वापस दे देने को कहता है । पर अर्जुन उसे  
 झूठा कहते हैं । दोनों में संवाद होता है इसी प्रसंग में आये हुए 'नाभियोक्तुमनृत्तं'<sup>3</sup>  
 त्वमिष्यसे' इत्यादि श्लोक में आया हुआ 'वज्रिणः' पद इस पर्याय वक्रता को प्रस्तुत करता  
 है । इस स्थल पर इन्द्र के वाचक अमंख्य पर्यायों में से कोई भी पर्याय कविविवक्षित अर्थ  
 को उस रूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ था जैसा कि यह पद । इससे उस दूत के सेनापति  
 के बाणों की लोकोत्तरता प्रतीत होती है क्योंकि उसके पास रहने वाले बाण सतत वज्रधारी

- 
- 1- 'पर्यायप्रधानः शब्दः पर्यायोऽभिधेयते । तस्य चैतदेव पर्यायप्रधान्यं यत् स कदाचिद् विवक्षिते  
 वस्तुनि वाचकतया प्रवर्तते कदाचिद् वाचकान्तरमिति ।' व. जी. पृ० 92.  
 2- 'अभिधेयान्तरतमः' 2/10 ~~वाचकान्तरमिति~~  
 3- किरात, 11/58

इन्द्र के भी पराक्रम की निधियाँ हैं। अतः वह एक तपस्वी के वाण के लिए झूठ बोले यह कदापि सम्भव नहीं।

(2) <sup>दूसरा</sup> वह पर्याय-वक्रता को प्रस्तुत करने में समर्थ होता है जो कि सहज लोकप्रिय में रमणीय भी अपने वाच्य पदार्थ के उत्कर्ष को असाधारण ढंग से परिपुष्ट करता हुआ सहृदय-हृदयों को आह्लादित करने में समर्थ होता है।

(3) तीसरा वह पर्याय-वक्रता को सृष्टि करता है जो श्लिष्टता आदि के सौंदर्य से युक्त हो स्वयं अथवा अपने विशेषणभूत अन्य पद के द्वारा वाच्यार्थ को अलंकृत करने में समर्थ होता है<sup>2</sup>। कुन्तक ने स्पष्ट रूप से इन तीसरे पर्याय की वक्रता का निरूपण करते हुए निर्देश किया है कि ध्वनि-कार के अनुसार यही वक्रता शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्य पदध्वनि अथवा वाक्य ध्वनि का विषय<sup>3</sup> है और उदाहरणस्वरूप में 'ध्वन्यालोक' के ही उदाहरणों को प्रस्तुत किया है।

(4) इस वक्रता को प्रस्तुत करने वाला चतुर्थ पर्याय वह होता है जो अपनी सहज सौन्दर्य-सम्पदा से ही सहृदयों को अत्यधिक आह्लादित करने में समर्थ होता है<sup>4</sup>। आशय यह कि उसी अर्थ को यद्यपि प्रकारान्तर से भी प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन जो चमत्कार इस सहज सुन्दर पर्याय में आ जाता है वह अन्य से नहीं। जैसे 'कृष्णकुटिलकेशी' के स्थान पर 'यमुनाकल्लोलवज्रालका' पर्याय का प्रयोग सहृदयों को अत्यन्त आह्लाद प्रदान करता है।

(5) पाँचवें प्रकार का वह पर्याय इस वक्रता को प्रस्तुत करता है जिसके प्रयोग द्वारा कवि वर्ण्यमानपदार्थ की किसी ऐसे अर्थ की पात्रता को व्यक्त करता है जिसको कि उसमें सम्भावना भी नहीं की जा सकती<sup>5</sup>। जैसे 'रघुवंश' के दिलीप-सिंह-संवाद के अवसर पर सिंह द्वारा 'अलं महोपाल तव श्रमेण' इत्यादि श्लोक में राजा के लिए प्रयुक्त 'महोपाल' पर्याय पद। जो राजा सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करने में समर्थ है वही प्रयत्नपूर्वक परिपालनीय गुरु की गाय की रक्षा करने में असफल होगा ऐसी सम्भावना भी नहीं की जा सकती लेकिन

1- 'तस्यातिशयपोषकः' 2/10 (व० जी०)

2- रम्यच्छायान्तरस्पर्शात् तदलंकृतुमीश्वरः। स्वयं विशेषणेनापि 2/10-11 (वही)

3- एष एव च शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्यस्य पदध्वनेर्विषयः।

बहुषु चैवविधेषु सत्सु वाक्यध्वनेर्वा। व. जी पृ० 95

4- 'स्वच्छायोत्कर्षपेशलः' 1- 2/11 (वही)

5- असम्भाव्यार्थपात्रत्वगर्भं यश्चाभिधीयते। -2/11 (वही)

यही पर राजा को उन्ही अवसर्था को प्रकट करने के अभिप्राय से प्रयुक्त किया गया, 'महीपाल' पद चमत्कार को प्रस्तुत करना है ।

(6) इस वक्रता को प्रस्तुत करने वाला छठी पर्याय-प्रकार वह होता है जो या तो रूपकादि अलंकारों से उपसंस्कृत हो अत्यन्त मनोहारी होता है अथवा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों को स्वयं ही उपसंस्कृत करने के कारण रमणीय होता है ।

इस प्रकार जहाँ उक्त विशेषणों से विशिष्ट पर्यायों के प्रयोग से वैचित्र्य की सृष्टि होती है वही पर्यायवक्रता होती है ।

### (ग) उपचारवक्रता

वात्स्यायन का कथन है कि 'सहचरणादि निमित्त से वैसा न होने पर भी वैसा कथन करना उपचार है—'सहचरणादिनिमित्तैनातद्भावेऽपि तद्वदभिधानमुपचारः<sup>2</sup> ।' इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि दो भिन्न वस्तुओं में एक्य का प्रतिपादन करना अथवा भेद प्रतीति का स्थगन कर देना उपचार है । यद्यपि गौतम का सूत्र है कि —'सहचरण-स्थानतादर्थ्यवृत्तमानधारणसामोप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो ब्राह्मण-मन्त्र-कट-राज-सक्तु-चन्दन-गंगा शाटकान्नपुरुषेष्वतद्भावेऽपि तदुपचारः<sup>3</sup> ।' इसके अनुसार सहचरण, स्थान, तादर्थ्य इत्यादि अनेक निमित्तों से अतद् में तद् का उपचार होता है । किन्तु साहित्यशास्त्र में अधिकतर सादृश्यातिशय के कारण ही अत्यन्त भिन्न वस्तुओं में भेद ज्ञान के विराम को उपचार कहा गया है । विश्वनाथ का कथन है—

'उपचारो हि नामात्यन्तं विशकलितयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम्<sup>4</sup> ।'

प्रदीपकार के अनुसार सादृश्यसम्बन्ध से प्रवृत्ति को उपचार कहते हैं अथवा सादृश्यातिशय की महिमा से भिन्न वस्तुओं की भेद प्रतीति के विराम को उपचार कहते हैं<sup>5</sup> । कुन्तक के अनुसार जिसमें<sup>उपचार</sup> प्रधान रहता है उसे उपचारवक्रता कहते हैं । एक स्थान पर उन्होंने ने स्वयं कहा है कि सादृश्यादि सम्बन्ध का आश्रयण कर के अन्य धर्म का अध्यारोप उपचार कहलाता है—'उपचारः सादृश्यादिसम्बन्ध समाश्रित्य धर्मान्तराध्यरोपः<sup>6</sup> ।' मुख्यरूप से कुन्तक ने उपचार-

1- अलंकारोपसंस्कारमनोहारिनिबन्धनः -2/12 तथा वृत्ति (व. जी.)

2- न्या. दर्शन भा. पृ० 45 (3) न्या. द. 2/2/61

4- सा. द., पृ० 37

5- 'उपचारश्चसादृश्यसम्बन्धेन प्रवृत्तिः । सादृश्यातिशयमहिम्ना भिन्नयोर्भेदप्रतीतिस्थगनं वा ।' का. प्र. प्र. पृ० 43

6- व. जी., पृ० 119

वक्रता के दो भेद किए हैं। उपचारवक्रता का प्रथम प्रकार वह होता है जहाँ पर किसी अतिशययुक्त व्यापार को प्रतिपादित करने की इच्छा से थोड़ी सी भी समानता के विद्यमान रहने पर अन्य वस्तु के साधारण धर्म का अत्यधिक दूर वाले अन्य पदार्थ पर आरोप किया जाता है। अत्यधिक दूरी से आशय देश अथवा काल की दूरी से नहीं है बल्कि स्वभाव की भिन्नता से है। जैसे चेतन और अचेतन, मूर्त और अमूर्त, घन और द्रव पदार्थों में विरुद्ध स्वभाव के कारण दूरी है। इस प्रकार जहाँ अचेतन पर चेतन के धर्म का अमूर्त पर मूर्त के धर्म का अथवा घन पदार्थ में द्रव पदार्थ के धर्म का आरोप किया जाता है वही यहवक्रता होती है<sup>2</sup>। जैसे 'गगनञ्चमल्लपेय' आदि में मल्लता रूप चेतन धर्म का अचेतन मेघ पर आरोप किया गया है। यह वक्रता पदार्थों में अत्यधिक दूरी अर्थात् विरुद्ध स्वभाव के विद्यमान रहने पर ही सम्भव है। यदि ऐसी दूरी नहीं होगी तो यह वक्रता भी नहीं होगी। जैसे 'गोर्वाहीकः' आदि में यह वक्रता नहीं स्वीकार की जायगी।

दूसरे प्रकार की उपचारवक्रता रूपक और अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकारों का मूल है। विना उपचार-वक्रता के उनमें सरसता आ ही नहीं सकती है अतः वह इन अलंकारों की जीवितभूता है<sup>3</sup>। पहली वक्रता से इस वक्रता का भेद केवल यही है कि पहली वक्रता में स्वभाव की भिन्नता के कारण थोड़े से भी साम्य का आश्रयण कर अतिशायिता को प्रतिपादित करने के लिए एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ के धर्ममान का अध्यारोप किया जाता है जब कि दूसरी वक्रता में केवल धर्म का ही आरोप नहीं होता बल्कि अभेदोपचार के कारण तत्त्व का ही अध्यारोप कर दिया जाता है। जैसे 'मुखकमलम्' इत्यादि रूपक के स्थलों में मुख पर कमल के सामान्य धर्म का आरोप न कर कमल का ही आरोप कर दिया जाता है।

#### (घ) विशेषणवक्रता

'विशिष्यतेऽनेनेति विशेषणम्'। जिसके द्वारा किसी पदार्थ की विशिष्टता बताई जाय अथवा पदार्थों के भेदक धर्म को विशेषण कहते हैं। विशेषण दो प्रकार के होते हैं—क्रियाविशेषण—जो क्रिया की विशिष्टता का प्रतिपादन करते हैं और कारकविशेषण—जो कारक का वैशिष्ट्य बताते हैं। इस प्रकार

1- व जी., 2/13

2- द्रष्टव्य, वही पृ० 100.

3- वही, 2/14 तथा वृत्ति

जहाँ कहीं कवि क्रिया अथवा चारक के ऐसे विशेषणों का प्रयोग इस ढंग से करता है कि उनके प्रभाव से काव्य में एक अपूर्व सौंदर्य आ जाता है वहाँ विशेषणवक्रता होती है। इन विशेषणों के द्वारा काव्य में उत्कर्ष तभी आता है जब कि उनके माहात्म्य से रसों अलंकारों अथवा पदार्थों के स्वभाव का लोकोत्तर ढंग से सौन्दर्य अभिव्यक्त होता है। यह विशेषणवक्रता वर्णनीयपदार्थों के औचित्य के अनुरूप होने के कारण समस्त श्रेष्ठ काव्यों को प्राणभूता दिखाने पड़ती है क्योंकि इसीके द्वारा रस अपने परिपोष को पराग्राह्य को पहुँचाया जाता है। क्रियाविशेषण वक्रता का एक उदाहरण प्रस्तुत है—

'सस्मारवारणपतिर्विनिमोलिताक्षम्<sup>1</sup>  
स्वेच्छाविहारवनवासमहोत्सवानाम्।'<sup>2</sup>

यहाँ कवि ने जो 'विनिमोलिताक्षम्' क्रियाविशेषण का प्रयोग किया है उससे गजराज का स्वाभाविक सौंदर्य अत्यधिक परिपुष्ट होकर चमत्कारी हो गया है। अतः निश्चित रूप से क्रियाविशेषण की वक्रता यहाँ विद्यमान है। कुन्तक का स्पष्ट निर्देश है कि कवि को वैसे ही विशेषण का प्रयोग करना चाहिए जिसके प्रभाव से रस, स्वभाव एवं अलंकार लोकोत्तर सौंदर्य से सम्पन्न हो जाय।<sup>3</sup>

### (ड) संवृत्तवक्रता

संवृत्त का अर्थ है संवरण, छिपाना। किसी वस्तु को छिपाना भी एक कला है। जहाँ इसी संवरण अथवा छिपाने से वैचित्र्य की पूर्ति होती है वहाँ संवृत्तवक्रता होती है। जो वक्रता संवरण के कारण होती है अथवा जिसमें संवरण प्रधान रहता है उसे संवृत्त-वक्रता कहते हैं। किसी वैचित्र्य का प्रतिपादन<sup>4</sup> के लिए कविजन किन्हीं अपूर्ववाचक-भूत सर्वनामादिकों के द्वारा वस्तु का संवरण करते हैं। कुन्तक ने इसके अनेक प्रकार बताये हैं। वे इस प्रकार हैं --

1- व. जी. 2/15

2- उद्धृत व. जी. पृ० 104

3- 'स्वमहिम्ना विधीयन्ते येन लोकोत्तरश्रियः ।

रसस्वभावालंकारास्तद् विधेयं विशेषणम् ॥' व. जी. पृ० 105

4- व. जी. 2/16

(1) कविजन कभी-कभी किसी ऐसी अतिशययुक्त वस्तु का, जिसका छि वर्णन साक्षात् ढंग से भी किया जा सकता है उसका साक्षात् कथन न कर किसी सामान्यवाची सर्वनामादि के द्वारा यह सोचकर संवरण कर देते हैं कि कहीं साक्षात् कथन कर देने पर उसका सौंदर्य सीमित न हो जाय । वे उसके सौंदर्य को अनीम ही रखना चाहते हैं ।

(2) कभी-कभी किसी ऐसी अतिशययुक्त वस्तु का जो कि अपने स्वभावप्रकर्ष की पराकाष्ठा को पहुँची हुई होती है कविजन उसकी अनिर्वचनीयता को प्रतिपादित करने के लिए सर्वनामादि के द्वारा संवरण कर देते हैं । इन दोनों ही प्रकारों में वस्तु का तो सर्वनामादि के द्वारा संवरण कर दिया जाता है लेकिन उसके कार्य का कथन करने वाले, एवं उसके अतिशय का प्रतिपादन करने वाले अन्य वाक्य के द्वारा उसकी प्रतीति करा दी जाती है।<sup>2</sup>

(3) इसका तीसरा प्रकार वह होता है जहाँ कविजन अत्यन्त सुकुमारवस्तु को बिना उसके कार्य का कथन किए ही केवल संवरणमात्र से ही अपूर्व सौमन्य सौन्दर्य की पराकाष्ठा को पहुँचा देते हैं।<sup>3</sup>

(4) चौथा प्रकार वह होता है जहाँ पर किसी वस्तु को स्वानुभववैकगम्यता एवं अनिर्वचनीयता का प्रकाशन करने के लिए उस वस्तु का संवरण कर दिया जाता है। जैसे- 'तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ध्वनन्ति' में 'किमपि' पद के द्वारा नायक की प्रियतमा के वचनों की स्वानुभववैकगम्यता एवं अनिर्वचनीयता प्रकाशित होती है।<sup>4</sup>

(5) पाँचवाँ प्रकार वह होता है जहाँ किसी वस्तु की परानुभववैकगम्यता एवं वक्ता की अनिर्वचनीयता प्रकाशित करनेके लिए उस वस्तु का सर्वनामादि के द्वारा संवरण कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ जब भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की उस समय कामदेव को क्या अनुभव हुआ उसे वक्ता की वाणी द्वारा प्रकट करने की असमर्थता को प्रकाशित करने के लिए कवि ने कह दिया—

'मन्मथः किमपि तेन निदधौ।' यहाँ किमपि पद के द्वारा वस्तु का संवरण कर देने से चमत्कार आ गया है।<sup>5</sup>

1- द्रष्टव्य व. जी. पृ० 105-106

2- द्रष्टव्य व. जी. पृ० 106

3- ,, वही पृ० 107

4- '' वही पृ० 107

5- ,, वही पृ० 107-108

(6) छठवाँ प्रकार वह होता है जहाँ स्वभावतः अथवा कवि की विवक्षा से किसी अत्यन्त दोष युक्त वस्तु की महापातक के समान अकथनीयता को प्रकाशित करने के लिए उस वस्तु का संवरण कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ - जिस समय वटु वेषधूरो शिव पार्वती के समक्ष शिव की निन्दा करते हैं उस समय पार्वती का यह कथन कि - 'निवार्यतामालि किमप्ययं वटुः पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः' इस वक्रता को प्रस्तुत करता है। यहाँ 'किमपि' द्वारा संवरण को गई वस्तु की महापातक के सदृश अकथनीयता व्यक्त होती है।<sup>2</sup>

इस प्रकार कुन्तक ने संवृतिवक्रता के ये दो छः मुख्य प्रकार निरूपित किए हैं। निश्चय ही कुन्तक का यह संवृतिवक्रता विवेचन अत्यन्त मनोवैज्ञानिक है। कवि अथवा सहृदय का जोशल मानव मनको गहराइयों तक पहुँचने में है। कुन्तक ने जिन परिस्थितियों में संवरणप्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है वह निश्चय ही उनकी मानवमन के सूक्ष्म निरीक्षण की विलक्षण क्षमता का परिचायक है एवं कुन्तक के विवेचन की मनोवैज्ञानिकता का परमप्रमाण है।

### (च) पदमध्यान्तर्भूतप्रत्ययवक्रता

इस प्रकार कुन्तक ने अभी तक प्रातिपदिकरूपेण प्रकृति की वक्रताओं का यथासम्भव विवेचन किया। लेकिन संस्कृतव्याकरण में कृदादि (शतृ शानच् आदि) तथा मुमादि आगम रूप कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो कि सुबादि विभक्तियों के पूर्व ही प्रयुक्त होते हैं। अतः कुन्तक ने उन प्रत्ययों का विवेचन पदपूर्वार्धवक्रता के ही अन्तर्गत किया है और उन्हें पदमध्यवर्ति प्रत्ययवक्रता नाम से अभिहित किया है। इस वक्रता के उन्होंने ने मुख्यतः दो प्रकार निरूपित किए हैं। पहला प्रकार वह है जहाँ पद के मध्य में आने वाले कुछ कृत् आदि प्रत्यय अपने उत्कर्ष से वर्ण्यमान पदार्थ के औचित्य की शोभा को प्रस्फुरित करते हुए अपूर्व वक्रता को प्रस्तुत करते हैं<sup>3</sup> - जैसे-

'स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेत्तद्वलाका घनाः' में 'वेत्तत्' पद में प्रयुक्त शतृ प्रत्यय इस वक्रता को प्रस्तुत करता है। शतृ प्रत्यय वर्तमानकाल का वाचक होता है। अतः यहाँ पर वर्ण्यमान पदार्थ के औचित्य की तात्कालिक स्वभाव की रमणीयता से युक्त किसी ऐसी विच्छिन्नता की प्रतीति होती है जो कि अतीत और अनागत के सौन्दर्य से सर्वथा रहित केवल तात्कालिक ही है।

1- कु.सं. 5/85

2- द्रष्ट. व. जी. पृ० 108

3- व. जी. 2/17

इसका दूसरा प्रकार वह होता है जहाँ पर मुमादि आगमों के विलास के मुन्दर प्रत्यय रचना अथवा वाक्यविन्यास में किसी अपूर्व क्ति को उत्पन्न कर देने है। उदाहरणार्थ-

'वाचालम्भा न खलु सुभगम्भन्यभावः करोति' इत्यादि में 'सुभगम्भन्यभावः' पद में प्रयुक्त मुमागम सन्निवेश सौन्दर्य को प्रस्तुत करने हुए षट्कृता को प्रस्तुत करता है।

### (छ) वृत्तिवैचित्र्यवक्रता

वैयाकरणों ने पाँच प्रकार की वृत्तियाँ स्वीकार की हैं—कृत, समान, तदिघत, एकशेष और सन्नन्त। कुन्तक के अनुसार जहाँ पर अव्ययीभाव प्रमुख समास, तदिघत तथा सुब्धातु वृत्तियों को अपने सजातीयों की अपेक्षा सौकुमार्य का उत्कर्ष विद्यमान होने के कारण औचित्यानुसारी सौन्दर्य समुल्लसित होता है वहाँ वृत्तिवैचित्र्यवक्रता होती है। उदाहरणार्थ—

'अहो यत्ते शोभामधिमधु लतानान्नवरसः।' में अधिमधु शब्द में 'मधो' इति अधिमधु' इस विग्रह में 'अव्ययं विभक्ति—' इत्यादि के द्वारा किया गया अव्ययीभाव समास इस वक्रता को प्रस्तुत करता है। क्योंकि वह 'वसन्त-काल में 'इस प्रकार समय प्रतिपादन करते हुए भी विषयसप्तमी की प्रतीति कराता है। साथ ही 'नवरसः' शब्द की छाया में नतारूपी नायिकाओं के वसन्त रूपी नायक के विषय में अभिनव अनुराग की शोभा की प्रतीति कराते हुए अपूर्व वैचित्र्य को उन्मीलित करता है।

### (ज) भाववक्रता

भाव का अर्थ है घात्वर्थ अथवा क्रिया। क्रिया साध्यरूप हुआ करती है। किसी व्यापार की निष्पत्ति कराना उसका प्रयोजन होता है। वाक्यपदीय का कथन है कि—

'यावत्सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते।

आश्रित क्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते।।' लेकिन कभी कभी कविजन भाव की उस साध्यता का तिरस्कार कर उसे सिद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं क्योंकि किसी भी पदार्थ को साध्य रूप में प्रस्तुत करने पर उसकी पूर्ण निष्पन्नता सिद्ध नहीं होती लेकिन जब उसी को सिद्ध रूप में वर्णित कर दिया जाता है तो उसकी पूर्ण निष्पन्नता सिद्ध हो जाती है

1- व. जी. 2/18

2- मे. दू., 91

3- कृतद्वितसमासैकशेषसमासन्तधातुरूपाः पञ्च वृत्तयः।—ल. सि. को. प्र. 252.

4- व. जी. 2/19

5- वाक्यपदीय उद्धृत-यायसोश, पृ० 220



जितने वर्ण्यमान उद्गार्य का अभीष्ट परिपोष हो जाता है और वाक्य में अपूर्व चमत्कार आ जाता है । अतः जहाँ इस प्रकार की भाव की प्रसिद्धि साधना का परित्याग कर उसे सिद्ध रूप में वर्णित कर वैचित्र्य को सृष्टि की जाती है वहाँ भाववैचित्र्यवक्रता होती है<sup>1</sup> ।  
उदाहरणार्थ कवि मदनव्यथा से पीड़ित किसी नायिका का वर्णन करते हुए कहता है —

'केयूरायितमंगदैः परिणतं पाण्डिमि गण्डतिवशा'<sup>2</sup>

यहाँ पर 'परिणत ~~कर~~ होना' और 'केयूर की तरह आचरण करना' क्रियाएँ हैं जो कि साध्य रूप में न कही जा कर 'क्त' प्रत्यय द्वारा सिद्ध रूप में कही गई है । इसने मदनव्यथा का अत्यधिक प्राबल्य अभिव्यक्त होता है अर्थात् अंगद केयूर की तरह आचरण कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है वे तो कभी से केयूर बन चुके हैं उसके कगोल कभी से पीले पड़ चुके हैं अतः यहाँ भाव का सिद्ध रूप में वर्णन करने से अपूर्व चमत्कार आ गया है । अतः भाववैचित्र्य वक्रता है ।

### (अ) लिङ्गवैचित्र्यवक्रता

वैयाकरणों के अनुसार शब्द की साधुता के प्रयोजक धर्म को लिङ्ग कहते हैं । और वह धर्म प्राकृतगुणगत अवस्था रूप होता है । पुंस्त्व नपुंसकत्व आदि उसके विशेष होते हैं । कहने का आशय यह कि सभी के त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य होने के कारण शब्द भी त्रिगुणात्मक प्रकृति के कार्य हुए, और इसी लिए गुणगत विशेष के कारण शब्दों में भी लिङ्ग-विशेष की कल्पना की गई है । गुणों का यह वैशिष्ट्य इस प्रकार स्वीकार किया गया है विकृत सत्त्वादिक यदि तुल्य रूप से विद्यमान रहते हैं तो नपुंसकत्व होता है, और जब सत्त्व का आधिक्य होता है तो पुंस्त्व होता है और जब रजोगुण का आधिक्य होता है तो स्त्रीत्व होता है । इस प्रकार लिंग यद्यपि शब्द का धर्म होता है जैसा कहा भी जाता है कि यह शब्द पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है यह नपुंसक-लिंग है इत्यादि । फिर भी अमेदोपचार से उसे अर्थ के विशेषण-रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है<sup>3</sup> । उसके तीन प्रकार हैं —

1- व. जो. 2/20

2- उद्धृत वही, पृ० 112

3- द्रष्टव्य न्यायकोश, पृ० 650

'वैयाकरणास्तु-शब्दसाधुता प्रयोजको धर्मः (लिंगम्) स च प्राकृतगुणगतावस्थात्मको धर्मः तद्विशेषस्त्वनपुंसकत्वादिः इत्याहुः । तथा द्रष्टव्यं, वैयाकरभूषणसार, पृ० 224 (श्री पीडित वासुदेव शर्मात्रिपाठी द्वारा सम्पादित-श्री संवत् 1942 मार्ग शु. 10—

'सत्त्वजस्तमोगुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम्, आधिक्यं पुंस्त्वम्, अपचयः स्त्रीत्वम् तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तच्छब्दवाच्यञ्च । तमेव विरुद्धधर्ममादाय तदादिशब्दाः भिद्यन्ते ।'

स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नर्पुनकलिंग । शब्दशक्तिप्रकाशिका का कथन है—

'स्त्रीलिंगमणि पुल्लिंगं स्त्रीबलिंगमिति त्रिधा ।

शब्दसंस्कारमिदयर्थं भाषया नाम भिद्यते ॥'

जहाँ कहीं कविजन इन लिंगों के विचित्र प्रयोग से काव्य में अपूर्व चमत्कार को सृष्टि कर देते हैं वहाँ लिङ्गवैचित्र्यवक्रता होती है । कुन्तक ने मुख्य रूप से इसके तीन प्रकार निरूपित किए हैं —

(1) सामानाधिकरण्य प्रायः समान लिङ्गों का ही होता है । किन्तु जहाँ कहीं पर काव्य में भिन्न लिंगों के सामानाधिकरण्य से कोई अपूर्व शोभा समुत्प्लसित होती है वहाँ प्रथम प्रकार की लिङ्गवैचित्र्यवक्रता होती है । उदाहरणार्थ —

'इत्थञ्जडे जगति को नु बृहत्प्रमाणकर्णः

क्री ननु भवेद् ध्वनितस्य पात्रम् ॥' में प्रयुक्त 'पात्रम्' पद के नर्पुसक

लिंग और 'कर्णः' क्री 'के पुल्लिंग के सामानाधिकरण्य से इस वाक्य में एक अपूर्व वैचित्र्य आ गया है ।

(2) कुन्तक का कहना है कि स्त्री नाम ही सुकुमार एवं हृदयहारी होता है— 'नामैव स्त्रीति पेशलम्' । आचार्य अभिनव ने भी कुन्तक की इस उक्ति को समर्थन दिया है 'स्त्रीति नामापि मधुरम्' । इसका प्रमुख कारण यही है कि स्त्रीलिंग के प्रयोग से काव्य में नायिका व्यवहार की प्रतीति होने से रसादि की योजना के योग्य दूसरे ही विच्छिन्न आ जाती है । अतः जहाँ कहीं पर कविजन दूसरे लिंगों के सम्भव होने पर भी उनकी उपेक्षा करके सौकुमार्य के कारण केवल स्त्री लिंग के प्रयोग से ही अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करते हैं, वहाँ दूसरे प्रकार की लिङ्गवैचित्र्यवक्रता होती है<sup>3</sup> । उदाहरणार्थ 'तट' शब्द 'तटः, तटो, तटम्' तीनों ही लिङ्गों में प्रयुक्त हो सकता है लेकिन— 'यथेयं ग्रीष्मव्यतिकरवती' इत्यादि श्लोक में कवि ने 'तटी तारं ताम्यत्यतिशशियशाः' कह कर स्त्रीलिंग का प्रयोग इसी लिए किया है कि उससे भावी नायक के व्यवहार की प्रतीति होती है जिससे रचना में अपूर्व रमणीयता आ गई है ।

(3) लिङ्गवैचित्र्यवक्रता का तीसरा प्रकार वह होता है जहाँ पर कवि वर्ण्यमान पदार्थ के औचित्य के अनुसार किसी विशिष्ट लिंग की ही योजना करके काव्य में अपूर्व चमत्कार ला देता है<sup>5</sup> । उदाहरणार्थ कालिदास का यह श्लोक लिया जा सकता है —

1-व.जी. 2/21

3- वही, 2/22

2- उद्धृत वही, पृ० 35

4- उद्धृत वही, पृ० 114

5- व.जी. 2/23

'त्वं रक्षया भोरुः स्योताऽपनोता, तस्मात्स्योताः कृपया लता मे ।

अदर्शयन् वक्तुमशक्नुवन्त्यः शारवाभिरावर्जितगल्लवाभिः । । ।'

पुष्पक विमान से सीता के साथ लंका से लौटते हुए राम को यह उक्ति है । यहाँ पर कवि ने वृक्षादिकों के द्वारा मार्गप्रदर्शन की बात न कह कर लताओं के द्वारा ही मार्गप्रदर्शन कराया है और वही उचित भी है । कहीं भोरु सीता और कहीं क्रूर राक्षस रावण ? इन्को सोचकर साथ ही सीता के अन्वेषण में व्याकुल राम को दशा को देखकर इन लताओं का ही कृपा करना उचित है क्योंकि स्त्रियाँ स्वभाव से ही आर्द्रहृदय हुआ करती हैं ।

### क्रियावैचित्र्यवृद्धता :

इस प्रकार कुन्तक ने सुबन्त पद के प्रातिपदिक रूप पूर्वार्द्ध की वृद्धताओं का यथासंभव विवेचन किया अब शेष बचता है सुबन्त तथा तिङन्त पदों का घातुरूपपूर्वार्द्ध । उसकी वृद्धता क्रिया के वैचित्र्य पर ही निर्भर होती है । अतः क्रियावैचित्र्य के जितने प्रकार हो सकते हैं उतने ही इस घातुवृद्धता के प्रकार होंगे । कुन्तक ने क्रियावैचित्र्य के पाँच प्रकार निरूपित किए हैं । इन पाँचों प्रकारों को विचित्रता तमो स्वीकार की जायगी जब कि वे वर्ण्यमान पदार्थ के औचित्य से रपणीय होंगे<sup>2</sup> । वे प्रकार हैं —

#### (1) कर्ता की अत्यधिक अन्तरंगता :

क्रियावैचित्र्य को प्रस्तुत करने वाली पहले प्रकार की क्रिया वह होती है जो कि कर्ता की अत्यधिक अन्तरंग होती है<sup>3</sup> उदाहरणार्थ —

'किं शोभिताऽहमनयेति पिनाकपाणेः

पृष्ठस्य पातु परिचुम्बनमुत्तरं वः ।'<sup>4</sup> श्लोक देखा जा सकता है ।

रतिक्रीडा के समय एकान्त में मुक्कुराती हुई पार्वती जी ने भगवान शंकर के मस्तक से चन्द्रलेखा को खींचकर अपने मस्तक पर लगाकर उनसे पूछा कि क्या इससे मैं अच्छी लग रही हूँ । इस पर शंकर भगवान ने कुछ शब्दों से उत्तर देने के बजाय उन्हें चूम लिया । अब यहाँ उत्तर रूप कर्ता की जितनी अन्तरंग चुम्बन रूप क्रिया है उतनी अन्य क्रिया नहीं हो सकती । क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा पार्वती की लोकोत्तरशोभा का प्रतिपादन चुम्बन से भिन्न किसी अन्य क्रिया द्वारा सम्भव ही नहीं था ।

1- रघु. वंश 13/24

2- प्रस्तुतौचित्यशास्त्रः - व. जी. 2/25

3- कर्तुर्त्यन्तरंगत्वम् - वही, 2/28

4- कु. सं. 3/33

(2) अन्य कर्ताओं ने विचित्रता — दूसरे प्रकार को वह क्रिया इस वक्रता को प्रस्तुत करती है जिसके कारण उसका कर्ता अपने यज्ञातीय अन्य कर्ताओं से विचित्र प्रतीत होने लगता है। आशय यह कि जिस क्रिया का सम्पादन अन्य कर्ता नहीं कर सकते थे उसी क्रिया को सम्पादित करने के कारण कर्ता अन्य यज्ञातीयों से विचित्र हो जाता है। और चूंकि कर्ता का यह वैचित्र्य के कारण है अतः इसे भी क्रियावैचित्र्यवक्रता ही स्वीकार किया जायगा। उदाहरणार्थ आनन्दवर्षण का—

'स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः ।

त्रायन्ता वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छेदो नखः ।' श्लोक लिया जा सकता है । यहाँ यद्यपि कर्ता नखों के अन्य यज्ञातीय भी छेदन क्रिया में निगुण है लेकिन 'दुस्त्रियों की पीडा' के छेदन में नहीं। अतः विष्णु के इन नखों का अन्य नखों से वैचित्र्य स्पष्ट समुल्लसित होता है जो कि 'प्रपन्नार्तिच्छेदन' रूप क्रिया के वैचित्र्य के कारण ही है।

(3) अपने विशेषण की विचित्रता— जहाँ क्रिया का वैचित्र्य उसके विशेषण के कारण समुल्लसित होता है वहाँ तीसरे प्रकार की क्रियावैचित्र्यवक्रता होती है। उदाहरणार्थ —

अग्राहि मण्डनविधिर्विपरीतभूषा

विन्यासहासितसखीजनमंगनाभिः । श्लोक का ग्रहण किया जा सकता है ।

आशय यह कि कामिनियों के चन्द्रोदय हो जाने पर अपने प्रियतमों से मिलने की उतावली में विपरीत आभूषण धारण कर लिये जिससे सखियों को हँसी आ गई। अब यहाँ पर 'मण्डन विधिग्रहणरूपक्रिया से उसके विशेषण 'विपरीतभूषाविन्यासहासितसखीजनम्' के कारण की वैचित्र्य आ गया है, जो सहृदयाह्लादकारी है।

(4) उपचार के कारण मनोज्ञता:

उपचार का अर्थ है सादृश्यादि सम्बन्ध का आश्रयण कर अन्य धर्म का आरोप। आशय यह कि जहाँ कहीं किसी क्रिया में उपचार के कारण अर्थात् सादृश्यादि सम्बन्ध के बल पर धर्मान्तर का आरोप होने से रमणीयता आ जाती है वहाँ भी क्रियावैचित्र्यवक्रता होती है।

1- 'कर्त्रन्तरविचित्रता,—व. जी. 2/24

2- ध्वन्या० पृ० 4

3- 'स्वविशेषणवैचित्र्यम्'—व. जी. 2/24

4- उद्धृत वही, पृ० 119

5- 'उपचारमनोज्ञता'— वही 2/24

उदाहरणार्थ —

'तरन्तोवागानि स्वलदपललावप्यजलधौ' का ग्रहण क्रिया जा सकता है । अब यहाँ तैरना चेतन पदार्थ का धर्म है लेकिन सादृश्य-वश अंगों के तैरने को उत्प्रेक्षा की गई है । अतः 'तैरने'रूप क्रिया का वैचित्र्य सफट हो उपचार के कारण सदृद्यद्वाइलादकारी है ।

(5) कर्मादि को संवृति - जहाँ कहीं वर्णमान पदार्थ के औचित्य के अनुसार अतिशय की प्रतीति कराने के लिए क्रिया के कर्ता, कर्म आदि का 'किम्' इत्यादि सर्वनामों के द्वारा संवरण कर दिया जाता है वहाँ भी क्रियावैचित्र्यवक्रता होती है<sup>2</sup> जैसे-

'नेत्रान्तरे मधुरमर्पयतीव किंचित्'<sup>3</sup> इत्यादि में अर्पण रूप क्रिया के कर्म का 'किमपि' के द्वारा संवरण किया गया है जिसने अतिशयता को प्रतीति होता है ।

वस्तुतः क्रियावैचित्र्य के तीसरे, चौथे और पाँचवें प्रकार का क्रमशः विशेषण<sup>1</sup> उपचार और संवृतिवक्रताओं से कोई विशेष भेद नहीं। क्यों कि इनमें प्रधान्य उन्हीं का है । और रमणीयता भी उन्हीं के कारण है । अतः कुन्तक द्वारा इनका पृथक् किया गया उल्लेख केवल इसी बात का सूचक है कि सभी वक्रता प्रकार एक दूसरे पर आश्रित है । एक को वक्रता दूसरे को वक्रता की पोषक है ।

इस प्रकार कुन्तक ने मुख्यतया इतने ही प्रकार पदपूर्वादर्धवक्रता के निर्दिष्ट किए हैं । और अन्त में कहा है कि यह तोदिङ्मात्र प्रदर्शन ही किया गया है । इसी के आधार पर अन्य वैचित्र्य लक्ष्य ग्रन्थों में देखे जा सकते हैं ।

### (3) पदपरादर्ध अथवा प्रत्ययवक्रता

अभी तक सुबन्त तथा तिङन्त पदों के पूर्वादर्धभूत प्रातिपादिक तथा धातु की वक्रताओं का यथासम्भव विवेचन किया गया । अब पद के परादर्ध अथवा प्रत्यय की वक्रताओं का विवेचन किया जा रहा है ।

(क) कालवैचित्र्यवक्रता: अभी पद पूर्वादर्ध की क्रियावैचित्र्यवक्रता का विवेचन किया गया है अतः क्रिया के बाद अवसरप्राप्त है काल की वक्रता क्यों कि कालक्रिया का परिच्छेदक

1- उद्धृत वही, पृ० 119-120

2- 'कर्मादिसंवृतिः' वही, 2/25

3- उद्धृत वही, पृ० 121

हुआ करता है। जैसा कि वाक्यपदीय का कथन है -

'क्रियाभेदाय कालस्तु सङ्ख्या सर्वस्य भेदिका'<sup>1</sup>

वर्तमान, भूत तथा भविष्य इत्यादि जिनके कि वाचक वैयाकरणों द्वारा स्वीकृत लट् इत्यादि प्रत्यय होते हैं उन्हें काल कहते हैं। वह अतीत आदि के व्यवहार का कारण होता है<sup>2</sup>। जहाँ पर वर्ण्यमान पदार्थ के औचित्य अतिशय को उत्पन्न करने के कारण कोई भी काल अत्यधिक एवं अपूर्व रमणीयता को प्राप्त कर लेता है वहाँ कालवैचित्र्य-वक्रता<sup>3</sup> होती है। इसको उदाहरण रूप में कुन्तक ने - 'समविसमणिव्विसेसा'<sup>4</sup> आदि प्राकृत श्लोक को उद्धृत किया है जिसकी संस्कृतछाया इस प्रकार है -

'समविसमणिव्विसेसाः समन्ततो मन्दमन्दसंचाराः।

अचिराद् भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुर्लङ्घ्याः॥'

यह किसी विरही की उक्ति है। यहाँ कवि ने 'भविष्यति' में भविष्यत्काल के वाचक जिस 'लृट्' प्रत्यय का प्रयोग किया है वह एक अपूर्व रमणीयता को प्रस्तुत करता है। क्योंकि उसमें उस विरही की भावी वर्षाकाल की उत्प्रेक्षा में ही जब ऐसी दशा है तो उसके वर्तमान होने पर क्या दशा होगी? ऐसी प्रतीति होती है जिससे वक्ता की विरहवेदना की अत्यन्त असह्यता अभिव्यक्त होती है।

### (ख) कारकवक्रता

क्रिया के हेतु को कारक कहते हैं। काशिका का कथन है -

'कारकशब्दश्च निमित्तपर्यायः। कारकं हेतुरित्यर्थान्तरम्। कस्य हेतुः? क्रियायाः'<sup>5</sup>

इसी बात को भोज ने स्वीकार किया है - 'क्रियानिमित्तं कारकम्'<sup>6</sup> किसी भी क्रिया का सम्पादन विना कारक के सम्भव नहीं है। इसीलिए उसे क्रिया का हेतु स्वीकार किया गया है। और यह सम्पादन विना क्रिया के साथ साक्षात् सम्बन्ध हुए सम्भव नहीं। अतः

1- वाक्यपदीय

(2) अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः। त. सं. पृ० 8

3- औचित्यान्तरतम्येन समयो रमणीयताम्।

याति यत्र भवत्येषा कालवैचित्र्यवक्रता११ -व. जी. 2/26

4- गा. स., 7/73

5- काशिका-1/4/23

6- शृ. प्र., पृ० 42

जिसका क्रिया के साथ गङ्गान् होता है और जो क्रिया का हेतु होता है उसे कारक कहते हैं । अतः कारक छः प्रकार के पाएने गए हैं —कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण । कुन्तक के अनुसार जहाँ काव्य में कारको के परिवर्तन (विपर्यास) से लगेकोत्तर सौंदर्य समुपगमित होता है वहाँ कारकवक्रता होती है । यह कारको का परिवर्तन मुख्य कारक पर गौणता का आरोप कर गौण रूप में प्रस्तुत करने से तथा गौण कारक पर मुख्यता का आरोप कर मुख्य रूप में प्रस्तुत करने से होता है । और इस प्रकार से जो करणभूत अचेतन पदार्थ है उन पर भी स्वातंत्र्य का आरोप कर कर्त्ता रूप में प्रस्तुत करनेपर यह कारक विपर्यास असामान्य आह्लाद की सृष्टि करता है । उदाहरणार्थ—

'पाणिः सम्प्रति मे दृष्टान् विमपरं स्पष्टं धनुर्विचरति ।'

यहाँ पर मैं हाथ से (पाणिना) धनुष ग्रहण करना चाहता हूँ 'जैसा करने के बजाय वैधित्र्य की सृष्टि करने के लिए 'मेरा हाथ धनुष ग्रहण करने के लिए दौड़ रहा है 'जैसा कहा गया है । इस प्रकार यहाँ करणभूत पाणि के ऊपर जो कर्तृत्व का आरोप किया गया है वह अत्यधिक चमत्कारक हो उठा है ।

#### (ग) सङ्ख्यावक्रता

एकत्व द्वित्व बहुत्वादि के हेतु को संख्या अथवा वचन कहते हैं<sup>5</sup> । यह कारक को परिच्छेदक होती है । जहाँ कहीं पर कविजन काव्य में वैधित्र्य की सृष्टि करने के लिए संख्याओं अथवा वचनों का विचित्र विपर्यास प्रस्तुत करते हैं वहाँ सङ्ख्यावक्रता होती है । यहाँ पर संख्याविपर्यास दो प्रकार से सम्भव होता है—एक तो जहाँ पर एकवचन अथवा द्विवचन इत्यादि का प्रयोग न करके भिन्न वचनों का प्रयोग किया जाता है । जैसे —

1- 'कर्त्ता कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च ।

अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट् । उद्धृत न्या. को. पृ० 194

2- द्रष्टव्य व. जी. 2/27-28

3- द्रष्टव्य, वही पृ० 125

4- महानाटक 4/ 78

5- एकत्वादितेत्सुर्गुणविशेषः सङ्ख्या — न्यायकोश

6- व. जी. 2/29

'वयं तत्त्वान्वेषान्मथुःर इतास्त्रं खनु कृनी ।' में 'अहम्' एकवचन का प्रयोग न कर ताटस्थ की प्रतीति करने के लिए 'वयम्' बहुवचन का प्रयोग किया गया है । और दूसरा संख्याविपर्यास का प्रकार यह है जहाँ वैचित्र्य को प्रतीति करने के लिए 'वयम्' बहुवचन का प्रयोग किया गया है और दूसरा संख्या विपर्यास का प्रकार वह है जहाँ वैचित्र्य की प्रतीति करने के लिए भिन्न वचनों का सामानाधिकरण्य प्रस्तुत कर दिया जाता है<sup>2</sup> । जैसे -

'फुलेन्दोवस्काननानि नयने गणोसरोजाकराः ।' में द्विवचन और बहुवचन का सामानाधिकरण्य चमत्कार को प्रस्तुत करना है । क्योंकि इससे यह प्रतीति होती है उसके दो दो नेत्रों का ऐसा वैभवविलास है कि उससे दो कमलौका तो क्या विकसित कमलौ केशअनेक काननों का भी वैभव टक्कर नहीं ले सकता । इसी प्रकार उसके दो हाथ क्या है कमलौ के समूह है । आशय यह कि उसके दो हाथों की तुलना में दो एक कमलौ की बात तो दूर रही असंख्य कमलौ के समूह भी उनके आगे बेकार में है इत्यादि ।

#### (घ) पुरुषवक्रता

संस्कृत में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं—प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष । काव्य में जहाँ कहीं वैचित्र्य को प्रस्तुत करने के लिए पुरुषों का विपर्यास प्रस्तुत किया जाता है अर्थात् मध्यम अथवा उत्तम पुरुष का प्रयोग न करके वैचित्र्य हेतु उनमें भिन्न प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है वही पुरुषवक्रता होती है<sup>4</sup> । जैसे वटु-भेषधारी भगवान शंकर का पार्वती से यह कथन कि -

'अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तुमिहसि<sup>5</sup> ।' इस वक्रता को प्रस्तुत करता है । यहाँ 'अहं प्रष्टुमनाः' न कह कर जो 'अयं जनः प्रष्टुमनाः' कहा गया है उससे ताटस्थ की प्रतीति होती है, जिसके कारण वाक्य में अपूर्व चमत्कार आ गया है ।

1- अभि. शा. 1/24

2- व. जी. पृ० 126

3- उद्धृत वही, पृ० 126

4- वही, 2/39 तथा वृत्ति

5- कु. सं. 5/44



उपसर्गनिपातजन्यवक्रता

इस प्रकार पद पूर्वर्धि तथा पदपरार्थ को वक्रताओं का यथासम्भव दिग्दर्शन कराया गया । वस्तुतः ऐसा प्रकृति प्रत्यय का विभाजन केवल नाम और आख्यात पदों में ही सम्भव है क्योंकि वे व्युत्पन्न होते हैं । लेकिन पद के दो अन्य प्रकार भी हैं - उपसर्ग और निपात ये दोनों पद प्रकार अव्युत्पन्न होने के कारण विभागरहित होते हैं इनके अवयव नहीं होते । अतः उनकी वक्रताओं का विवेचन कुन्तक ने अलग से किया है । उनका कहना है कि जहाँ पर उपसर्ग तथा निपात पदों के द्वारा शृंगार आदि रसों का प्रकाशन वाक्य के अद्वितीय प्राण रूप में प्रतिष्ठित होता है वहाँ अन्य प्रकार की पदवक्रता होती है । उदाहरणार्थ कालिदास का अर्धलिखित श्लोक लिया जा सकता है -

'मुहुरङ्गुलिसंवृताघरोष्ठं प्रतिषेधापरविकलनाभिरामम् ।

मुखमंनविवर्ति पशुपलास्याः कथमप्युन्मिंतं न चुम्बितं तु ॥'<sup>2</sup>

यह शकुन्तला के विषय में दुष्यन्त को उम्रिन है। वे शकुन्तला से पहली बार मिले थे। प्रथम मिलन पर नायिका के मुखचन्द्र के सौन्दर्य की जो अपूर्व छटा उनके मानसपटल पर अंकित हुई उसका स्मरण कर और अवसर पाकर भी ऐसे सौंदर्यशाली मुख का चुम्बन न कर सकने का पश्चात्ताप इसमें प्रयुक्त 'तु' पद के द्वारा व्योक्त होता है । जिससे वाक्य में अपूर्व सौंदर्य आ गया है। अतः यहाँ निपातवक्रता स्पष्ट ही समुल्लसित होती है ।

चारों प्रकार के पदों की वक्रताओं का यथासम्भव विवेचन इस प्रकार कुन्तक ने नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात किया यद्यपि पद की ये वक्रताएँ वाक्य के एकदेश की ही जीवितभूत होती हैं फिर भी सम्पूर्णवाक्य के वैचित्र्य को प्रस्तुत करती हैं<sup>2</sup> । कवि व्यापार की वक्रता कर एक भी प्रकार सहृदयों को आह्लादित करने में सर्वथा समर्थ होता है । फिर भी जहाँ वक्रता के अनेक प्रकार परस्पर एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं वहाँ वे तो एकअनिर्वचनीय विचित्र कान्ति को पैदा कर देते हैं । कुन्तक का कथन है —

'परस्परस्य शोभायै बहवः पतिताः क्वचित् ।

प्रकारा जनयन्त्येतां चित्रच्छायामनोहराम् ॥'<sup>3</sup>

- 1- व जी. 2/33  
2- अभि शा. 3/78  
3- व जी. पृ० 131  
4- वही, 2/34

## (4) वाक्यवक्रता

अभी तक वर्णों की तथा उनके समूहभूत पदों की वक्रता का विवेचन किया गया। अब पदों के समुदायभूत वाक्य की वक्रता का विवेचन अवसरप्राप्त है। वाक्य का लक्षण विभिन्न आचार्यों द्वारा भिन्न भिन्न दिया है। आचार्य रुद्रट के अनुसार<sup>1</sup> परस्पर अपेक्षित व्यापार वाले तथा एक वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शब्दों का अनाकौक्ष अर्थात् आख्यात से युक्त, समुदाय वाक्य होता है<sup>1</sup>। नमिसाधु का कथन है कि विना आख्यात के शब्द समुदाय पाकक्षि हुआ करता है<sup>2</sup>। नैयायिकों ने केवल पदसमूह को वाक्य स्वीकार किया है। 'वाक्यं पदसमूहः'<sup>3</sup>। हाँ, उन्होंने उसके प्रमाण वाक्य तथा सप्रमाण वाक्य रूप से दो भेद स्वीकार किए हैं। जो वाक्य आकौक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त होता है वह प्रमाणवाक्य होता है और जो आकौक्षा आदि से रहित होता है वह अप्रमाणवाक्य<sup>4</sup>। साहित्यदर्पणकार ने नैयायिकों के केवल प्रमाणवाक्य को ही वाक्य स्वीकार किया है। राजशेखर के अनुसार विवक्षित अर्थ को गुम्फित करने वाला पदों का सन्दर्भ वाक्य होता है<sup>5</sup>। भोजराज ने एक अर्थ के प्रतिपादक पद समूह को वाक्य कहा है। साथ ही 'आख्यात साव्ययकारकविशेषण वाक्यम्' लक्षण में आख्यात ग्रहण को अनुचित बताया है<sup>7</sup>। परन्तु कुन्तक ने वाक्य को पदसमुदायभूत तो स्वीकार किया साथ ही 'आख्यात साव्ययकारकविशेषण वाक्यम्'<sup>7</sup> इस लक्षण को भी माना। और कहा कि अव्यय कारक और विशेषण से युक्त आख्यात वाक्य होता है इस प्रकार जिसका ज्ञान होता है उस श्लोकादि की वक्रता को वाक्यवक्रता कहते हैं<sup>8</sup>।

1- रुद्र. काव्या. 2/7

2- 'यस्मादाख्यातं विना शब्दसमुदायः साकौक्षो भवति -न. सा. पृ० 11।

3- त. स. पृ० 24

4- द्रष्टव्य वही, पृ० 25

5- 'वाक्यं स्याद् योग्यताकौक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः।' सा. द. 2/1

6- पदानामभिधितिसतार्थग्रन्थनाकरः सन्दर्भो. वाक्यम्, -का. मी. पृ० 76

7- 'एकार्थपरः पदसमूहो वाक्यम्'- शृ. प्र. पृ० 101 तथा द्रष्टव्य पृ० 104-105

8- देखें, व. जी., पृ० 40

वाक्यवक्रता के ही प्रसंग में कुन्तक ने पदार्थवक्रता अथवा वस्तुवक्रता का भी विवेचन किया गया है । वस्तुतः वाक्य को वक्रता से आशय वाक्यार्थ को वक्रता से है । और वाक्यार्थ का बोध बिना पदार्थ का बोध हुए सम्भव नहीं है अतः कुन्तक ने वाक्यवक्रता का विवेचन करने के पूर्व सर्वप्रथम पदार्थवक्रता अथवा वस्तुवक्रता का विवेचन प्रस्तुत किया है। अतः यहाँ भी पहले वस्तुवक्रता के ही स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है ।

### वस्तुवक्रता

कुन्तक ने वस्तुवक्रता के दो रूप प्रस्तुत किए हैं—एक सहज और दूसरा आहार्य । वर्णनीय पदार्थ का अपने सर्वातिशायी स्वभाव की मरिमा के सौन्दर्य से युक्त रूप में वर्णन पहली वस्तुवक्रता होती है जब कि वह वर्णन केवल किसी वक्रताविशिष्ट शब्द का ही विषय होता है । वक्रता विशिष्ट शब्द द्वारा किया जाने वाला यह वर्णन वाच्य रूप में ही नहीं होता बल्कि व्यंग्य रूप में भी होता है <sup>2</sup> । इस वस्तुवक्रता को प्रस्तुत करते समय कवि बहुत से उपमादि अलंकारों का उपयोग नहीं करता क्योंकि उससे पदार्थ के सौकुमार्यानिशय के म्लान हो जाने का भय रहता है । इसमें सहज सौंदर्य का ही साम्राज्य विराजमान रहता है । यहाँ जैसे वस्तुवर्णन को कुन्तक ने वस्तुवक्रता कहा है उसे ही अन्य आचार्यों ने स्वभावोक्ति अलंकार कहा है । कुन्तक स्वभावोक्ति की अलंकारता का खण्डन कर उसे अलंकार्य सिद्ध करते हैं । इस विषय का विस्तृत विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा । इस वस्तुवक्रता के अन्तर्गत किए जाने वाले वर्णनीय पदार्थों में कुन्तक ने स्त्रियों के प्रथमतर नवयौवन के आगमनादि तथा सुकुमार वसन्त आदि ऋतुओं के प्रारम्भ परिपोष और परिसमाप्ति आदि पदार्थों का नामोल्लेख किया है <sup>3</sup> । इन सबके वर्णन में कविजन अधिक रूपकादि अलंकारों की योजना नहीं करते । उसमें पदार्थों का सहज सौकुमार्य ही प्रधान एवं सहृदयाह्लादकारी होता है और इसी लिए कुन्तक ने उसका स्मरण भी वस्तुवक्रता (वस्तु का सौंदर्य) नाम से किया है ।

1- 'उदार स्वपरिस्पन्दसुन्दरत्वेन वर्णनम् ।

वस्तुनो वक्र शब्दैक गोचरत्वेन वक्रता ।।-व. जी. 3/1

2- 'वाच्यत्वेनेति नोक्तं, व्यंग्यत्वेनापि प्रतिपादनसम्भवात् ।-वही, पृ० 134

3- वही, पृ० 136

वर्णनीय पदार्थ को दूसरी वक्रता कवि के सहज एवं आहार्य कौशल से सुशोभित होने वाले तथा अभिनव उल्लेख के कारण लोकात्तोरणता को प्रस्तुत करने वाले वस्तु के निर्माण में होती है<sup>1</sup>। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि जिन पदार्थों का वर्णन करता है वे सत्ताहीन नहीं हुआ करते। उनकी सत्ता रहती है। लेकिन कवि अपने सहज तथा आहार्य कौशल से सत्तामात्र से परिस्फुरित होने वाले पदार्थों में किसी ऐसेअपूर्व अतिशय का आधान कर देता है कि उनकी वास्तविक स्थिति तिरोहित हो जाती है तथा उनके स्वभाव का कोई ऐसा माहात्म्य भूलकने लगता है जो कि तत्काल ही नवीन रूप में उल्लिखित सा प्रतीत होने लगता है। अतः वस्तु सौंदर्य को प्रस्तुत करने के कारण कुन्तक ने उसे भी वस्तुवक्रता कहा है। इस प्रकार वस्तु को वक्रता सहजा और आहार्य भेद से दो प्रकार की होती है। लेकिन जो दूसरे प्रकार की आहार्यवक्रता है वह वर्णनीय पदार्थ की सौन्दर्यरूपा होते हुए भी अलंकार से व्यतिरिक्त कुछ नहीं होती। विना अलंकारवैचित्र्य के वह वस्तुवैचित्र्य भलीभांति परिपुष्ट ही नहीं हो सकता<sup>2</sup>।

इस प्रकार कुन्तक ने प्रसंगतः वाक्यवक्रता के अन्तर्गत ही वस्तुवक्रता को प्रस्तुत किया है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तुवक्रता ही वाक्यवक्रता है जैसा कि डा० नगेन्द्र ने स्वीकार किया है। दोनों का रेख्य स्थापित करने वाले उनके कथन है —

(1) 'इस प्रकार वाक्य की वक्रता सामान्यतः पदार्थ अथवा अर्थ की वक्रता<sup>3</sup> है।'

(2) 'वाक्य अथवा वाच्य अथवा वस्तु की वक्रता सामान्यतः एक ही बात<sup>4</sup> है।'

लेकिन डा० साहब का यह रेख्य स्थापित करना समीचीन नहीं प्रतीत होता। क्योंकि वस्तुवक्रता अभिधेय की या पदार्थ अथवा वाच्य की वक्रता है। जब कि वाक्यवक्रता अभिधा, कथन अथवा उक्ति को वक्रता है। यदि डा० साहब वस्तुवक्रता के विवेचन के अनन्तर वाक्यवक्रता की अवतरणिका रूप में कहे गये कुन्तक के वाक्य पर ध्यान देते

1- अपरा सहजाहार्य कविकौशलशालिनी।

निर्मितिर्नूतनोल्लेखलोकातिक्रान्तगोचरा।। -व. जी. 3/2

2- 'तदेवआहार्या येयं सा प्रस्तुतविच्छित्तविधाऽप्यलंकारव्यतिरेकेण नान्या काचिदुपपद्यते।

(भाग 2)

-व. जी. पृ० 140

3- भा. का. भू., पृ० 267

4- वही, पृ० 267.

तो शायद ऐसा ऐक्य न स्थापित करते । कुन्तक का स्पष्ट कथन है कि शब्द की वक्रता का पहले (द्वितीय उन्मेष में) तथा अर्थ की वक्रता का यहाँ (तृतीय उन्मेष की प्रथम द्वितीय कारिकाओं में) प्रतिपादन कर अब वाक्य की वक्रता का प्रतिपादन करने जा रहे हैं 'तदेवमभिधातुमुक्ते'।<sup>1</sup> तदनन्तर वे वाक्यवक्रता को प्रस्तुत करते हैं।<sup>2</sup> और वाक्यवक्रता का विवेचन समाप्त कर वर्णनीय वस्तु के विषयविभाग के पूर्व वस्तु-वक्रता और वाक्यवक्रता के भेद को वे और भी स्पष्ट कर देते हैं कि वाक्यवक्रता अभिधा की वक्रता है जब कि वस्तुवक्रता अभिधेय की वक्रता है —

'एवमभिधानाभिधेयाभिधालक्षणस्य काव्योपयोगिनिखिलतयस्य स्वरूपमुल्लिख्य वर्णनीय-  
स्यवस्तुनो विषयविभागं विदधाति।'<sup>2</sup>

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वाक्यवक्रता और वस्तुवक्रता एक नहीं है । वाक्यवक्रता अलंकार रूप है जब कि वस्तुवक्रता अलंकार्य है । लेकिन डा० साहब ने इन दोनों में जो ऐक्य स्थापित किया उसी भ्रमवश वाक्यवक्रता के सही स्वरूपविवेचन को प्रस्तुत करने में भी वे असमर्थ रहे। तृतीय उन्मेष की तृतीय और चतुर्थ कारिका में ही कुन्तक ने वाक्यवक्रता के मुख्य स्वरूप का विवेचन किया है परन्तु डा० साहब ने भ्रमवश उसका अपने विवेचन में कहीं उल्लेख तक नहीं किया।<sup>3</sup> अस्तु, अब कुन्तकाभिमत वाक्यवक्रता का स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है —

### वाक्यवक्रता

कवि की कोई लोकोत्तर निपुणता जिसका कि प्राण कोई अनिर्वचनीय ढंग का कथन होता है, वाक्यवक्रता कहलाती है । वाक्य की यह कवि कौशल रूप वक्रता सुकुमारादि मार्गों में स्थित शब्दों, अर्थों, गुणों एवं अलंकारों के अपूर्व सौंदर्य से पृथक् ही होती है १ जिस प्रकार से चित्र में मनोहारिणी आधारभित्ति, रमणीय रेखा विन्यास सुन्दर रंग और कमनीय कान्ति से भिन्न ही समस्त उक्त पदार्थों का जीवितभूत चित्रकार का कौशल प्रधान रूप से प्रकाशित होता है, वैसे ही वाक्य में मार्गादिक से व्यतिरिक्त केवल सहृदयहृदयसंवेद्य समस्त प्रस्तुत पदार्थों की प्राणभूत कवि कौशल रूप वाक्य की

1-व. जी. पृ० 144

2- वही, पृ० 148

3- द्रष्टव्य, भा. का. भू. पृ० 267 वाक्यवक्रताविवेचन

वक्रता उद्भासित होती है । यह कवि का कौशल वस्तु स्वभाव को रमणीयता को प्रस्तुत करने में अथवा शृंगारादि रसों के स्वरूप को भलोभाति उपनिबद्ध करने में या कि विविध अलंकारवैचित्र्य की रचना करने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है विना इसके इन सब की रचना ही सम्भव नहीं। इसी लिए वह रस, स्वभाव तथा अलंकार सभी का प्राणभूत दिखाई पड़ना है। इसी तरह वर्णों एवं पदों की वक्रता का भी एकमात्र कारण कवि कौशल ही होता है। क्योंकि वस्तु-स्वभाव, अलंकार एवं वक्रता प्रकार आदि का स्वरूप तो कल्प के आरम्भ से ही एक-सा है लेकिन कवि अपने कौशल से उनको ऐसे अभिनव एवं विलक्षण ढंग से प्रस्तुत करता है कि उनका सहृदयों को आह्लादित करने में समर्थ दूसरा ही स्वरूप प्रकाशित हो उठता है । जैसा कि किसी ने कहा है -

'आसंसारं कविर्पुंगवैः प्रतिदिवसं गृहीतं नारोऽपि ।

अद्याप्यभिन्नमुद्र इव जयति वाचां परिस्पन्दः ॥ 2

इस श्लोक का वाक्यार्थ सुसंगत है कि सृष्टि के आरम्भ से ही श्रेष्ठ कवियों ने अपनी अपनी प्रतिभा के माहात्म्य से प्रतिदिन जिसके सार का ग्रहण किया है लेकिन इतने पर भी जिसकी मुद्रा आज तक बन्द ही है, अभी तक सील टूटी ही नहीं है वह वाणी का परिस्पन्द सर्वोत्कृष्टयुक्त है । लेकिन फिर भी इस वाक्यार्थ में कविकौशल का लोकोत्तर विलास स्पष्ट ही परिस्फुरित होता है । क्यों कि कवि ने ऐसा कथन प्रधान रूप से अपने अभिधान को ध्वनित करने के लिए ही प्रस्तुत किया है । अर्थात् अन्य महाकवियों ने सृष्टि के प्रारम्भ से ही प्रतिदिन इसके तत्त्व का ग्रहण किया लेकिन वस्तुतः कोई इसके तत्त्व तक पहुँच ही नहीं सके इसी लिए कोई इससे कुछ भी ग्रहण नहीं कर सका अब तो इसका परमार्थ मेरी प्रतिभा से उद्घाटित होगा, अब इसकी सील मैं तोड़ूँगा, इस प्रकार अपने लोकोत्तर व्यापार की सफलता के कारण वाणी का परिस्पन्द सर्वातिशायी है।

1- मार्गस्थं वक्रशब्दार्थगुणालंकारसम्पदः ।

अन्यद् वाक्यस्य वक्रत्वं तथाभिहितजीवितम् ॥ 1

मनोबलकोल्लेखवर्णच्छायाश्रियः पृथक् ।

चित्रस्येव मनोहारि कर्तुः किमपि कौशलम् ॥ 1 - व. जी. 3/3-4

2- उद्धृत व. जी. पृ० 145

इस प्रकार यद्यपि यह कविकौशल रस, स्वभाव, अलंकार समूह का ही प्राणभूत है फिर भी अलंकार का वैचित्र्य इसके अभाव में कथमपि सम्भव नहीं है<sup>1</sup>। आचार्य दण्डी ने भी इस कविकौशल को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया है उन्होंने ने काव्य के काल कलाविरोध आदि अनेक दोष उद्भावित किये हैं परन्तु उनका कहना है कि कविकौशल ने वे दोष अपनी दोषता का परित्याग कर गुण बन जाने हैं —

'विरोधः सकलोऽप्येष कदाचित् कविकौशलात् ।

उत्क्रम्य दोषगणनां गुणवीथीं विगाहते<sup>2</sup> ॥'

अतः अलंकारवैचित्र्य के पृथक् रूप से प्रतिभासित होने पर भी कविकौशल लक्षण वाक्य-वक्रता में ही उसका अन्तर्भाव कुन्तक ने समीचीन समझा है । इसी लिए उन्होंने यह कहा कि -

'वाक्यस्यवक्रभावोऽन्यो भिद्यते यः सद्ब्रथा ।

यत्रालंकारवर्गोऽसौ सर्वोऽप्यन्तर्भविष्यति<sup>3</sup> ॥'

अलंकारों का विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा । यह वाक्यवक्रता किसी अनि-र्वचनीय ढंग के कथन में ही होती है जो कि कविकौशल रूप होता है । यह वाक्यवक्रता औचित्य गुण से सुशोभित होने वाले एवं अपने स्वाभाविक महत्त्व को युक्त भी अपने अन्य वक्रता प्रकारों को और भी अधिक उत्तेजित करने में समर्थ होती है । सृष्टि के प्रारम्भ से भी स्थित रस, स्वभाव और अलंकार इसी कविकौशल रूप वाक्यवक्रता से सहृदयों को आह्लादित करने वाली नूतनता को प्राप्त कर लेते हैं<sup>4</sup> । कुन्तक ने इसे समग्रसाहित्य का सर्वस्वकल्प कहा है ।

1- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 146

2- कव्यादर्श - 3/179

3- व. जी. 1/20 तथा उद्धृत वही, पृ० 147

4- वक्रतायाः प्रकाराणां मौचित्यगुणशालिनाम् ।

रसदुत्तेजनायालं स्वस्पन्दमहतामपि ॥

रसस्वभावालंकारा आसंसारमपि स्थिताः ।

अनेन नवतां यान्ति तद्वदाह्लाददायिनीम् ॥'- व. जी. पृ० 148

(5) प्रकरणवक्रता

वर्णों, पदों एवं वाक्यों की वक्रता का विवेचन करने के अनन्तर वाक्यों के समूहभूत प्रकरण की वक्रताओं का विवेचन अवसर प्राप्त है। प्रकरण के आशय प्रबन्ध के एकदेश से है जो कि वाक्यों का समूहरूप होता है<sup>1</sup>। भोजराज के अनुसार प्रबन्ध का अंगभूत अर्थात् वाक्यप्रकरण होता है—

'प्रबन्धांगमवान्तरवाक्य प्रकरणम् ।'<sup>2</sup>

यह प्रकरणवक्रता सहज एवं आहार्य रमणीयता से मनोहारिणी होती है। जहाँ कवि स्वाभाविक एवं व्युत्पत्त्युपाजित सौकुमार्य से युक्त किसी प्रकरण का इस ढंग से विन्यास करता है कि उसका वैचित्र्य सहृदयों को अत्यधिक आह्लादित करने में समर्थ हो जाता है वहाँ प्रकरणवक्रता होती है।<sup>3</sup> कुन्तक ने चतुर्थ उन्मेष के प्रारम्भ में इस वक्रता के नौ प्रकार निरूपित किए हैं। पाण्डुलिपि के अधिक स्वच्छ न होने के कारण डा० डे उसे सम्पूर्ण रूप से सम्पादित नहीं कर सके, जिससे कुछ कठिनाई सामने आती है, फिर भी तृतीय उन्मेष की अपेक्षा पाठ पर्याप्त स्पष्ट होने के कारण प्रकरणवक्रता के सही स्वरूप का परिचय प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं है। वे प्रकरणवक्रता प्रकार अधोलिखित हैं —

(1) प्रकरणवक्रता के प्रथम प्रकार को प्रस्तुत करने वाली वक्रोक्तिजीवित की कारिकाएँ अधोलिखित हैं—

'यत्र निर्यन्त्रणोत्साहपरिस्पन्दोपशोभिनी ।

व्यावृत्तिर्व्यवहर्तृणां स्वाशयोत्सेखशालिनी।

अव्यामूलादनाशक्य समुत्थाने मनोरथे ।

काष्युन्मीलति निःसीमा सा प्रबन्धाशवक्रता।<sup>4</sup> इस कस्कि कारिका

ने डा० नगेन्द्र तथा तत्सम्पादित हिन्दी वक्रोक्तिजीवित के व्याख्याकार आचार्य विश्वेश्वर के समक्ष बड़ी कठिनता प्रस्तुत कर दी है। उन लोगों ने इसका जो कुछ अर्थ प्रस्तुत किया है वह समझ में आ सकने वाला नहीं। डा० साहब ने तो स्पष्ट कहा है कि —

'यह वाक्य अधिक स्वच्छ नहीं है, वृत्ति के खण्डान्वय से यह और भी उलझ जाता है।'

1- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 4।

2- शृ. प्र. पृ० 116

3- द्रष्टव्य, व. जी. 1/21

4- व. जी. ६/19-2



इत्यादि । लेकिन इस कारिका एवं वृत्ति के विवेचन से जो प्रकरण वक्रता का स्वरूप हमारी समझ में आया है वह कुछ इस प्रकार है । प्रारम्भ से ही जियके उत्थान की सम्भावना नहीं की जा सकती है ऐसे मनोरथ के विद्यमान होने पर जहाँ व्यवहर्ता नायक, अगात्य आदि के अपने अद्भुत आशय से सुशोभित होने वाला एवं अबाध उत्साह के स्फुरण से रमणीय उनका कोई अनिर्वचनीय व्यापार समुल्लसित होता है वहाँ पहले प्रकार की प्रकरणवक्रता होती है । इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने रघुवंश पंचम सर्ग में रघु और कौत्स के प्रकरण का उल्लेख किया है । रघु ने अपना समस्त कोष विश्वजित् यज्ञ में दान कर दिया था कि उसी समय वरतन्तु के शिष्य कौत्स अपनी गुरु दक्षिणा चुकाने के निमित्त चौदह कोटि मुद्राये मांगने के लिए पहुँचते हैं । रघु द्वारा मिट्टी के पात्र में किए गए अपने सत्कार को देख वे बिना कुछ मांगे ही चले जाना चाहते हैं कि रघु उनसे विवश कर उनका मनोरथ जान लेते हैं और उन्हें कुछ दिन के लिए अपने अग्निगृह में टिकाते हैं । एक याचक वह भी गुरु के लिए आये और राजा रघु के पास से चला जाये कितनी लज्जा की बात है । राजा रघु का चौदह कोटि मुद्राओं के प्रबन्ध करने का मनोरथ प्रारम्भ से अग्रिम ही दिखाई पड़ता है क्योंकि उनके पास सिवा मिट्टी के बर्तनों के और कुछ भी तो शेष नहीं था । लेकिन यही पर उनके अबाध उत्साह का उत्कर्ष सामने आता है जब वे कुबेर को एक साधारण सामन्त सा समझ कर उन पर चढ़ाई करने के लिए रात में रथ की तैयारी का आदेश देते हैं , और इनके आक्रमण के भय से कुबेर आक्रमण के पूर्व ही रात में मुद्राओं की इनके रत्न-भाण्डागार में वृष्टि करते हैं । इनके चरित्र का और भी उत्कर्ष तब सामने आता है जब ये सारा का सारा धन कौत्स को देने के लिए तत्पर हो जाते हैं । इस प्रकार यह तो रघु के चरित्र का उत्कर्ष रहा । कौत्स का चरित्र कम प्रभावशाली नहीं है । जिस समय रघु के सत्कार को देखकर उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि उनके पास कुछ भी अवशिष्ट नहीं है वे उन्हें आशीर्वाद दे चलने को प्रस्तुत होते हैं और अपना मनोरथ नहीं बताते । फिर उनके चरित्र का और भी उत्कर्ष उस समय सामने आता है जब वे रघु के प्रदान करने पर भी चौदह कोटि से अधिक मुद्राये नहीं ग्रहण करते । महाकवि कालिदास ने इस श्लोक द्वारा दोनों के महनीय चरित्र पर प्रकाश डाला है -

'जनस्य सार्केतनिवासिनस्तौ द्वावप्यभूतामभिनन्दसत्त्वौ ।  
गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहोऽर्थी नृपोऽर्थिकामादधिकप्रदश्च ॥'

(2) प्रकरण को दूसरी वस्तु कुन्तक ने उत्पाद्य लावण्य के आधार पर स्वरूप को है। कवि इतिहास में वर्णित कथा को ग्रहण कर भी उसमें कुछ ऐसे प्रकरणों को उद्भावना करता है जिसमें कि वे प्रकरण पराकाष्ठा को पहुँचे हुए शूम्भरादि रसों के पूर्ण होने के कारण सम्पूर्ण प्रबन्ध के प्राणभूत प्रतीत होते हैं। कवि का यह उत्पाद्य लावण्य दो प्रकार का होता है— पहला जो कि मूल कथा में विद्यमान ही नहीं रहता कवि नवीन रूप में उसकी उद्भावना करता है। जैसे अभिज्ञान-शाकुन्तल में प्रयुक्त दुर्वासि के शाप का प्रकरण। यह महाभारत में विद्यमान ही नहीं है। कालिदास ने औचित्य के अनुरूप इसकी स्वयं ही उद्भावना की है। कालिदास को यह उद्भावना सम्पूर्ण प्रबन्ध के प्राणरूप में परिलक्षित होती है। और इसी के कारण दुष्यन्तगत विप्रलम्भ शृंगार अत्यधिक परिपुष्ट होता है। उत्पाद्यलावण्य का दूसरा प्रकार वह होता है जहाँ कि कवि मूल कथा में विद्यमान प्रकरण को ही औचित्य हीन समझ कर सहृदयों को आह्लादित करने के लिए दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर देता है। उदाहरण रूप में कुन्तक ने उदात्तराघव के 'मारोचवध' प्रकरण को उद्धृत किया है 'वाल्मीकिरामायण' में मायामृग मारोच का अनुसरण करने वाले राम के करुण आकन्दन को सुनकर व्याकुल-हृदय सीता ने अपने प्राणों की परवाह न कर अपने पति की प्राणरक्षा के लिए लक्ष्मण को उनकी भर्त्सना कर के भेजा है। जो कि अत्यन्त अनुचित है। क्योंकि कि अनुचरभूत लक्ष्मण के विद्यमान रहने पर प्रधान राम का मायामृग का अनुसरण करना ही पहले तो ठीक नहीं। फिर जिनके चरित्र का वर्णन सर्वातिशायी रूप में किया जा रहा है उन राम के क्लृप्त प्राणों की अपने से छोटे भाई के द्वारा परिरक्षा की सम्भावना और भी अनौचित्य को प्रस्तुत करती है। अतः 'उदात्तराघव' में कवि ने उक्त प्रकरण के अनौचित्य को ध्यान में रखकर बड़ा ही कौशलपूर्ण परिवर्तन कर दिया है। मायामृग मारोच को मारने के लिए लक्ष्मण जाते हैं और उनके प्राणपरिचाण के लिए भयभीत हो सीता राम को भेज देती है। यही उचित भी है। इसमें सहृदयों को अपूर्व आनन्द को उपलब्धि होती है।

1 - द्रष्टव्य, व. जी. 4/3-4

2- द्रष्टव्य, वही, पृ0225

(3) प्रारण की नीयरी वक्रता कुन्तक ने प्रधान कार्य सम्बन्धित प्रकरणों के उपकार्यो-  
पकारण भाव की महिमा के विद्यमान होने पर खोला किया है। अर्थात् कोई कोई  
अपमान्य सपुत्रेव वालो प्रतिभा से प्रतिभापित होने वाले कवि अपने प्रबन्ध में ऐसे  
प्रकरणों की उद्भावना कर देते हैं जो कि प्रधान फल के प्रति उपकारण सिद्ध हो  
अपूर्व प्रकरण वक्रता को प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ उत्तररामचरित में चित्र-दर्शन के  
प्रयोग में निव्यजि विजयश्रीन जृम्भकास्त्रो को लक्ष्य में रखकर राम का यह कथन— कि  
'अब वे जृम्भकास्त्रो<sup>1</sup> सर्वथा तुम्हारी पन्तान को प्राप्त<sup>2</sup> होंगे' आगे चलकर पंचम अंक  
में जिस समय चक्रकेतु और उसकी सेना का लव के साथ घोर संग्राम होता है तो लव  
द्वारा जृम्भकास्त्र व्यापार के प्रयोग से प्रधान फल का उपकारण सिद्ध होता है।

(4) कुन्तक ने यतुर्थ प्रकरणवक्रता अविकल एवं अभिनव ढंग से उल्लिखित शृंगारादि  
रसों एवं रूपकादि अलंकारों से शोभायमान होने वाले एक ही वस्तु स्वरूप के पुनः पुनः  
प्रत्येक प्रकरण में कवि की प्रौढ<sup>3</sup> प्रतिभा से योजित होने पर स्वीकार की है। प्रायः प्रबन्धों  
में देखा जाता है कि कवि जन पन्द्रोदय आदि प्रकरणों को बर्ण्यमान कथा संविधान के  
अनुरूप बारबार विभिन्न प्रकरणों के रूप में उपनिबद्ध करते हैं लेकिन अपनी प्रौढ प्रतिभा  
से वे उसमें ऐसे ऐसे रसों एवं अलंकारों की योजना कर देते हैं कि वे प्रकरण पुनरुक्त  
प्रतीत न होकर अभिनव भंगिमा से एक अपूर्व वक्रता को सृष्टि कर देते हैं। इसके उदाहरण  
रूप में कुन्तक ने रघुवंश से मृगयाप्रकरण को उद्धृत किया है।

(5) पाँचवें प्रकार की प्रकरणवक्रता कुन्तक ने उन जलक्रीडा आदि प्रकरणों की स्वीकार  
की है जिनका उपनिबन्धन कविजन महाकाव्यादि के सौन्दर्य को प्रस्तुत करने के लिए  
करते हैं साथ ही जो कथा के वैचित्र्य को प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं<sup>4</sup>। आशय यह  
कि कवि जन महाकाव्यादि में जलक्रीड़ा तथा कुसुमचयन आदि का ऐसा वर्णन करते हैं  
जो प्रस्तुत संविधानक के फल के अनुरूप अथवा उनकी प्राप्ति में सहायक होता है।

1- व. जी. 4/5-6

2- सर्वशेदानी त्वत्प्रसूतिमुपस्थास्यन्ति। उ रा. च. पृ० 12

3- द्रष्टव्य व. जी. 4/7-8

4- द्रष्टव्य व. जी. 4/9 तथा वृत्ति

उदाहरण रूप में कुन्तक ने रघुवंश के जलछोडावर्णन को प्रस्तुत किया है । राजा कुश जलछोडा में व्यस्त है कि उनका दिव्य आभरण सरयू नदी में गिर जाता है जिसे कुमुद नामक नाग छिपा लेता है । परन्तु जब क्रुद्ध हो कुश उसे दण्ड देने के लिए धनुष उठाते हैं तो वह कुमुद हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित होता है और यह बताने कि उसको छोटी बहन कुमुदवती ने गेद खेलते समय इसे नोचे गिरता पाया और खेलने के लिए ले लिया । अब आप इसे ग्रहण करें और जो मेरी बहन ने अपराध किया है उसका प्रायश्चित्त करने के लिए उसे आप अपने चरणों को सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए । इस प्रकार यह नन्के जलछोडा का प्रकरण कथा के अनुरूप होने के कारण अपूर्व वैचित्र्य को उत्पन्न करता हुआ प्रकरणवक्रता को प्रस्तुत करता है ।

(6) छठवें प्रकार की प्रकरणवक्रता कुन्तक ने उस प्रकरण में स्वीकार किया है जो अंगोरस के प्रवाह की अलौकिक कसौटी सा होता है । आशय यह कि अंगोरस को जैसी निश्चित प्रबन्ध के उस प्रकरण से होती है वैसी उस प्रकरण के पहले तथा बाद के अन्य प्रकरणों से नहीं होती । उदाहरण रूप में कुन्तक ने विक्रमोर्वशीय के 'उन्मत्तङ्ग' नामक चतुर्थ अंक को प्रस्तुत किया है । उसका अंगोरस विप्रलम्भ शृंगार है । विप्रलम्भ शृंगार का जैसा परिपोष इस चतुर्थ अंक में हुआ है वैसा अन्य किसी अंक में नहीं हुआ । विक्रमोर्वशीय के अनिश्चित कुन्तक ने किरातार्जुनीय के 'बाहुयुद्ध' प्रकरण को भी इसी वक्रता के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है ५-

'यथा वा किरातार्जुनीये बाहुयुद्धप्रकरणम्'<sup>2</sup>

वहाँ अंगो वीर रम है २ उसका जैसा परिपोष उस प्रकरण में हुआ है वैसा उसके पहले अथवा बाद के प्रकरणों में नहीं । परन्तु आश्चर्य की बात है कि डा० नगेन्द्र ने अपने विवेचन में प्रकरणवक्रता के इन प्रकार को बिल्कुल भुला दिया है । साथ ही इस 'बाहुयुद्ध प्रकरण' को इसके पूर्वविवेचित जलछोडा आदि प्रकरणों की वक्रता के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है । जो सर्वथा असमीचीन है ।<sup>3</sup>

(7) सातवें प्रकार की प्रकरणवक्रता वहाँ होती है जहाँ प्रधानवस्तु की सिद्धि के लिए उसी की प्रतिरूप अन्यवस्तुकी विचित्रता अभिनव प्रकाशन की भंगिमा से समुल्लसित होती

1- द्रष्टव्य, व. जी. 4/10

2- व. जी. पृ० 233

3- देखें भा. का. भू. भाग 2, पृ० 280-81

है।<sup>1</sup> इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने मुद्राराक्षस के षष्ठ अंक के चाणक्य द्वारा नियुक्त पुरुष की आत्महत्या के प्रकरण को उद्धृत किया है। उसमें प्रधान वस्तु को सिद्धि के लिए कवि ने इस पुरुष की आत्महत्या के प्रकरण को प्रस्तुत किया है। जब उस पुरुष ने आत्महत्या के प्रयास के विषय में बातचीत करने पर अमात्यराक्षस को यह पता चलता है कि वह अपने मित्र जिष्णुदास की मृत्यु के शोक में आत्महत्या करने जा रहा है जब कि जिष्णुदास ने आग में जल कर अपनी आत्महत्या का निश्चय अपने मित्र चन्दनदास की मृत्यु की आज्ञा चुन कर किया था और चन्दनदास को मृत्यु दण्ड की आज्ञा इसलिए हुई थी कि उसने अमात्य राक्षस के स्वजनों को राज्य को सौंपने में अस्वीकार कर दिया था। और उस पुरुष से ऐसी बात जानकर राक्षस अपने को चाणक्य को समर्पित कर देता है। इस प्रकार इस पुरुष के प्रकरण से प्रधानवस्तु को सिद्धि होती है। अतः यह प्रकरणवक्रता को प्रस्तुत करता है।

(8) आठवें प्रकार की प्रकरणवक्रता कुन्तक ने गर्भक के प्रस्तुत करने में स्वीकार किया है। कवि कौशल से सुशोभित होने वाले किसी किसी नाटक में सामाजिकों को आर्नादित करने में निपुण नट लोग ही सामाजिकों की भूमिका धारण करते हैं नट रूप में अन्य नर्तकों को प्रस्तुत कर किसी अन्य रूपक रूप प्रकरण के द्वारा जो कि सम्पूर्ण रूपक का प्राणभूत होता है, किसी अपूर्व वक्रता को प्रस्तुत करते हैं।<sup>2</sup> इसके उदाहरण - रूप में कुन्तक ने बालरामायण के तथा उत्तररामचरित के गर्भकों को प्रस्तुत किया है।<sup>3</sup>

(9) नवें प्रकार की प्रकरणवक्रता कुन्तक ने मुख प्रतिमुख आदि सन्धियों के संविधान में मनोहर प्रकरणों के उस सन्निवेश में माना है जिसमें कि पूर्व प्रकरण की अपने उत्तर उत्तर प्रकरण के साथ सम्यक् संगति होती है। और जो किसी प्रकार के अनुचित मार्ग के ग्रहण से कदर्थित नहीं होता।<sup>4</sup> इसके उदाहरणरूप में कुन्तक ने 'पुष्पदूषितक-प्रकरण'

1- व.जी. 4/11

2- वही, 4/12-13

3- कुन्तक ने लिखा है, जैसा कि वक्रोक्तिजीवित में उपलब्ध होता है- 'यथा बालरामायणे चतुर्थेऽङ्के लक्ष्मणानुसन्धितः प्रहस्तानुसन्धितः नटेनानुवर्त्यमानः -

कर्पूर इव दग्धेऽपि शक्तिमान् यो जने जने ।

नमः शृंगारबीजस्य तस्मै कुसुमधन्वने । १ 'परन्तु यह श्लोक तथा गर्भक बालरामायण के तृतीय अंक में उपलब्ध होता है। उक्त श्लोक तृतीय अंक का दसवाँ श्लोक है। सम्भव है कि वक्रोक्ति-जीवितकार के समय में यह चतुर्थ अंक में ही रहा हो। अथवा पाण्डुलिपि में भूल से तृतीयेऽङ्के के स्थान पर चतुर्थेऽङ्के लिख दिया गया हो।

4- व.जी. 4/14-15

और 'कुमारसम्भव' को उद्धृत किया है। पुष्पद्वीषितक तो अप्राप्य है। कुमारसम्भव में इस वक्रता का निर्देश उन्हो ने इस प्रकार किया है। जैसे कुमारसम्भव में पार्वती के प्रथम नारुप्यावनार का वर्णन पार्वती द्वारा शिव जी को सेवा, तारुण्य के द्वारा देवी के पराभव रूपी दुस्तर सागर के पार करने के कारण भूत शिवपुत्र के सेनापतित्व का ब्रह्मा जी का उपदेश, इन्द्र के कहने से पार्वती के सौन्दर्य बल से शिव पर प्रहार करते समय शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से वसन्त के सखा कामदेव के भस्म कर दिए जाने के दुःख से विवश रति का विलाप, विवशता से व्याकुल हृदय पार्वती को तपश्चर्या पार्वती के निरर्गत यौवन से मुग्ध हृदय शंकर का निषेध करना और अडिग देख विवाह कर लेना, ये सभी प्रकरण गौर्वापर्य में गर्भव्यपित होने वाले सुन्दर विधान से मनोहर होकर सौन्दर्य की पराकाष्ठा को पहुँच जाते हैं<sup>1</sup>। और अपूर्ववक्रता को प्रस्तुत करते हैं। कुन्तक के इस कुमारसम्भव की प्रकरणवक्रता के विवेचन से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि उनके समय तक कुमारसम्भव के आठसर्ग ही समुपलब्ध थे। अथवा आठ सर्ग तक ही वे कालिदास-प्रणीत मानते थे। शेष सर्ग बाद के जोड़े हुए हैं।

#### (6) प्रबन्धवक्रता

इस प्रकार प्रकरणवक्रता का विवेचन कर कुन्तक ने कवि-व्यापार की चरमवक्रता प्रबन्धवक्रता का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। प्रबन्धवक्रता के विवेचन करते समय ही ग्रन्थ समाप्त हो जाना है और पाण्डुलिपि में लिखा मिलता है कि 'असमाप्तोऽयं ग्रन्थः'<sup>2</sup> परन्तु जैसा प्रबन्धवक्रता का विवेचन समुपलब्ध है उससे ऐसी प्रतीति होती है कि या तो ग्रन्थ समाप्त हो चुका है अथवा दो चार कारिकाएँ ही और अवशिष्ट रही होंगी। प्रबन्ध से आशय सम्पूर्ण महाकाव्य आदि तथा नाटकादि से है। प्रबन्ध प्रकरणों का समुदायरूप होता है। प्रबन्ध की वक्रता भी प्रकरण की वक्रता की भाँति सहज और आहार्य सौकुमार्य से रमणीय होती है। इसके कुन्तक द्वारा वर्णित समुपलब्धप्रकार अलिखित है —

1-द्रष्टव्य, व.जी. पृ० 237

2- व.जी. पृ० 246

(1) कविजन प्रायः किसी महाकाव्य अथवा नाटकदि का प्रणयन किसी न किसी इतिवृत्त के आधार पर करते हैं । जहाँ कवि इतिवृत्त में दूसरे प्रकार से वर्णित रस सम्पत्ति को उल्लेख कर उसी कथाशरोर में प्रारम्भ से ही वाच्य वाचक को रचना सम्पत्ति को उन्मीलित कर सहृदयों की आनन्दनिष्पत्ति के लिए दूसरे रमणीय रस के द्वारा निर्वाह करता है वहाँ पहली प्रबन्धवृत्ता होती है । इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने 'उत्तररामचरित' तथा 'वेणोसंहार' नाटको को उद्धृत किया है । उत्तररामचरित का आधार रामायण तथा वेणोसंहार का आधार महाभारत है । कुन्तक ने रामायण तथा महाभारत दोनों में अपने पूर्वाचार्यों के मत में शान्त रस का अंगीरस के रूप में उल्लेख किया है—

'रामायणमहाभारतयोश्च शान्ताङ्गित्वं पूर्वसूरिभिरेव निरूपितम्।<sup>2</sup>

ये पूर्व विद्वान् कौन थे ? कुछ निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता । जहाँ तक आचार्य आनन्दवर्धन की बात है उन्होंने ने महाभारत का अंगीरस तो शान्त को अवश्य माना है परन्तु रामायण का अंगीरस उन्होंने ने करुण ही स्वीकार किया है । सम्भव है कि कुन्तक ने 'करुणशान्ताङ्गित्वम्' पाठ दिया हो जिसका 'करुण' शब्द लेखक की गड़बड़ी से पाण्डुलिपि में छूट गया हो । आनन्दवर्धन के कथन है —

(क) 'रामायणे हि करुणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविनापूत्रितः — 'श्लोकः श्लोकत्वमागतः इत्येववादिना । निर्व्यूढश्च स रसः सोतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता।'<sup>3</sup>

(ख) 'महाभारतकेषु शास्त्ररूपं काव्यच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डवविरसावसानवैमनस्यदायिनी सम्राप्तिभुगनिबध्नता महाभुनिना वैराग्यजन तात्पर्यं प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः।'<sup>4</sup>

यदि सहृदय शिरोमणि आनन्दवर्धन के विवेचन को ही स्वीकार किया जाय तो भी कोई कठिनाई नहीं है कि जहाँ रामायण का अंगीरस करुण है वहाँ उत्तररामचरित का अंगीरस करुण न होकर करुणविग्रलम्भशृंगार है<sup>2</sup> और जहाँ महाभारत का अंगीरस शान्त है वहाँ वेणोसंहार का अंगीरस वीर है।

1- द्रष्टव्य, वही 4/16-17

2- वही, पृ० 239

3- ध्वन्या०, पृ० 529-530

4- वही, पृ० 530

(2) दूसरे प्रकार से प्रबन्धनाश्रय कुन्तः ने जहाँ खीरार ही है जहाँ औचित्य मार्ग से प्रवीण महाकवि पहले इतिहासोदाहृत सम्पूर्ण कथा को प्रारम्भ तो करते हैं लेकिन उसका पूरा निर्वाह न कर केवल कथा के उसी अंश पर प्रबन्ध को समाप्त कर देते हैं जहाँ कि सपस्त त्रिलोकी के चपत्कार को उत्पन्न करने वाले नायक के अद्वितीय यशः प्रकर्ष का उदय होता है। वे यह समझते हैं कि यदि इसके आगे कथा को बढ़ाया गया तो काव्य में नोरसता का संचार होगा जो किसी भी कवि अथवा सद्दय को अभीष्ट नहीं होता । इसके उदाहरण रूप में कुन्तः ने प्रिरानार्जुनोय महाकाव्य को उद्धृत किया है । उसमें महाकवि भारवि ने प्रारम्भ तो इस ढंग से किया जिसे लगता है कि वे दुर्योधन के निघनपर्यन्त धर्मराज युधिष्ठिर की अभ्युदयदायिनो सम्पूर्ण कथा का वर्णन करना चाहते थे । कवि द्वारा किए गए वे निर्देश अधोलिखित श्लोको से देखे जा सकते हैं—

(क) द्विषां विघाताय विघातुमिच्छतो .

रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूमतः<sup>2</sup> ।

(ख) रिपुतिपिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ

दिनकृतमिवलक्ष्मोस्त्वा<sup>3</sup> समभ्येतु भूयः ।।

तथा(ग) एते दुरार्षं समवाप्त्य वीर्यमुन्मूलितारः<sup>4</sup> कणिकेतनेन । 'इत्यादि ~~॥~~ लेकिन कवि ने सम्पूर्ण कथा को उपनिबद्ध न कर पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति तक का ही कथानक अपने काव्य में प्रस्तुत किया है, क्यों कि उतने ही कथानक में नायक अर्जुन के अद्भुत विद्वमशाली चरित्र का सर्वोत्कर्ष विद्यमान है । क्योंकि इतने में ही अर्जुन की घोर तपस्या , किरातवेशधारी शिव के साथ अद्भुत संग्राम और अर्जुन के महानोय पराक्रम से प्रसन्न हो शिव का पाशुपत अस्त्र प्रदान करना वर्णित है ।

1- द्रष्टव्य, व. जी. 4/ 18-19 .

2- किरात 1/3

3- वही, 1/46

4- वही, 3/22



(3) तीसरे प्रकार की प्रबन्धवृत्ता कुत्सक ने उस प्रबन्ध में स्वीकार की है जहाँकि आधिकारिक कथावस्तु का निरोधान कर देने वाले कार्यान्तर के विघ्न से कथा विच्छिन्न और नोरस होकर भी उन्ही कार्यान्तर के द्वारा ही मुख्य फल को निष्पत्ति करा देती है जिसमें काव्य में निर्वाच्य रस को निष्पत्ति हो जाती है। इसके उदाहरण रूप में कुत्सक ने ~~शिशुपालवध~~ शिशुपालवध महाकाव्य को उद्धृत किया है। 10 बल्देवउपाध्याय ने तो इस वृत्ता प्रकार का विवेचन किया ही नहीं। डा० नगेन्द्र ने इसका विवेचन किया है और लिखा है कि — 'शिशुपालवध महाभारत के युधिष्ठिर राजसूय प्रकरण की घटना है। इस प्रकार का प्रधान कार्य है यज्ञ की पूर्ति—किन्तु महाकवि नाथ ने शिशुपालवध की घटनाओं को अत्यन्त उत्कर्ष प्रदान कर कथा को इस कौशल के साथ उच्छिन्न कर दिया है कि यज्ञ के फल की सिद्धि वही हो जाती है।' डा० साहब का यह कथन समीचीन नहीं प्रतीत होता। कुत्सक यही महाभारत की वृत्ता का प्रदर्शन तो कर नहीं रहे हैं जिससे कि प्रधान कार्य राजसूय यज्ञ को माना जाय। यही शिशुपालवध महाकाव्य में तो प्रधान कार्य शिशुपाल का वध ही है। क्यों कि प्रबन्ध का प्रारम्भ शिशुपालवध की ही कथा को प्रस्तुत करना है। राजसूय यज्ञ की नहीं। नारद कृष्ण के पास शिशुपाल का वध करने का इन्द्र का सन्देश लेकर उपस्थित होते हैं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का नहीं है। 4 इस प्रकार प्रधान अथवा आधिकारिक कथा का फल शिशुपाल का वध ही है। लेकिन वह कथा द्वितीय सर्ग की कृष्ण, बलराम और उद्धव की मंत्रणा के बाद विच्छिन्न हो जाती है। प्रधान कथा के अन्तराय रूप में युधिष्ठिर की राजसूययज्ञकथा सामने आती है और इसी यज्ञ में सम्मिलित होने की कथा का विस्तारपूर्वक द्वितीय सर्ग से लेकर चतुर्दशसर्ग पर्यन्त वर्णन है। चतुर्दश सर्ग में कृष्ण की पूजा होती है जिससे शिशुपाल रुष्ट होता है और 15 वे सर्ग में कृष्ण, भीष्म, युधिष्ठिर आदि को खूब खरो खोटो सुनाता है। 16वे सर्ग में कृष्ण के पास शिशुपाल का दूत आता है जो यह सन्देश सुनाता है कि या तो कृष्ण शिशुपाल की आधीनता स्वीकार करे अथवा लड़ने को तैयार हो। दूत की

1- द्रष्टव्य, व. जी. 4/20-21

2- देखें, भा. सा. शा. भाग 2, पृ० 422-24

3- भा. का. भू. भाग 2, पृ० 285

4- द्रष्टव्य, शिशु. व. सर्ग 1

धान का उत्तर सात्यकि देता है । सत्रहवें अंशरहवें सर्ग में सेना को तैयारो तैयारी है । उन्नीसवें बीसवें सर्ग में युद्ध रीति है और प्रबन्ध को समाप्त शिशुपाल के वध के साथ तैयारी है । इस प्रकार प्रधान तथा फल उलको विघ्नभूत अनान्तर सान्मुख यज्ञ कर्मा के द्वारा भी सम्पन्न हो जाता है । यही वक्रता है । वस्तुतः कुन्तक ने इस वक्रता का शिशुपालवध में जैसे निरूपण किया था यह तो प्रबन्ध से पता चला नहीं इसी लिए सम्भवतः डा०साहव से इस वक्रता के विवेचन करने में भूल हो गई ।

(4) चौथे प्रकार की प्रबन्धवक्रता कुन्तक ने उस प्रबन्ध में स्वीकार की है जिसमें किसी एक फल की प्राप्ति के लिए उद्यत नायक को उसी फल के सदृश अन्य फलों की भी प्राप्ति हो जाती है और जिसके कारण वह प्रभूत यशःश्री का मात्र वनता है ।<sup>1</sup> इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने सम्भवतः 'नागानन्द' नाटक को उद्धृत किया था।<sup>2</sup> नागानन्द का नायक जीमूतवाहन मुख्यतः अपने वृद्ध पिता जीमूतकेतु की सेवा के लिए वन में प्रस्थान करता है । अतः उसे पितृसेवा रूप फल का लाभ तो होता ही है । साथ ही वही उसका सिद्धराजपुत्री मलयवती से प्रेम और विवाह भी हो जाता है । इस प्रकार उसे दूसरे फल की भी प्राप्ति हो जाती है । इतना ही नहीं नाग-शङ्खचूड की माता को रोते हुए देखकर शङ्खचूड के प्राणों की रक्षा के लिए वध्यशिला पर गरुड द्वारा स्वयं भक्षित होकर परोपकार के अपूर्व फल को भी प्राप्त करता है । इस प्रकार जीमूतवाहन चरित्र का महनीय कर्त्तव्य उत्कर्ष विभिन्न फलों की प्राप्ति से सामने आता है । जोकि प्रबन्ध में एक अपूर्व चमत्कार को प्रस्तुत करने के कारण प्रबन्धवक्रता को प्रस्तुत करता है ।

(5) पाँचवें प्रकार की प्रबन्धवक्रता कुन्तक ने प्रबन्ध की प्रतिपाद्य में नहीं बल्कि प्रबन्ध के नामकरण में ही स्वीकार की है । कवि कभी-कभी अपने प्रबन्ध का ऐसा नाम ही रख देते हैं जो प्रबन्ध के प्राणभूत प्रधान संविधान का उपलक्षण होता है ।

1- द्रष्टव्य व.जी. 4/22-23

2- वस्तुतः इस स्थल की पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण उसका सम्यक् सम्पादन डा० डे नहीं कर सके । परंतु उनके विवेचन से जैसा पता चलता है उससे यही निश्चित होता है कि कुन्तक ने इस वक्रता के उदाहरण रूप में नागानन्द को ही उद्धृत किया होगा ।

इस प्रकार के प्रबन्ध के विस्मयगरो नाम ने ही प्रबन्ध का अपूर्व चमत्कार व्यक्त हो उठता है<sup>1</sup>। उदाहरण रूप में कुन्तक ने अभिज्ञान शाकुन्तल, मुद्राराक्षस, प्रतिमानिरुद्ध, मायापुष्पक, कृत्यारावण, अनिराम तथा पुष्पद्वैतक आदि का नामोल्लेख किया है। महर्षि दुर्वासा के शापवश विस्मृत शकुन्तला को दुष्यन्त मुद्रिका<sup>रूप</sup> अभिज्ञान के द्वारा स्मरण करता है। अतः कालिदास ने प्रबन्ध का नाम, 'अभिज्ञानशाकुन्तल' रखा। यही अभिज्ञान ही सम्पूर्ण प्रबन्ध के संविधान का प्राणभूत है। इसी प्रकार अन्य काव्यों के नामकरण भी है।

(6) छठवे प्रकार की प्रबन्धवक्रता कुन्तक उन समस्त लोकोत्तर प्रतिभा सम्पन्न महाकवियों के प्रबन्धों में स्वीकार करते हैं जिनकी रचना तो एक ही आधार, एक ही इतिवृत्त अथवा एक ही कथा को लेकर की गई होती है लेकिन इतने पर भी वे परस्पर एक दूसरे से विलक्षण होने कारण अपूर्व सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं<sup>2</sup>। रामायण एवं महाभारत की ही कथा पर आश्रित अनेकों काव्यों की रचना अनेकों कवियों ने की है। मुख्यतः ये ही दो महाकाव्य संस्कृत कवियों के उपजीव्य ग्रन्थ रहे हैं। फिर भी उन सभी रचनाओं की एक दूसरे से स्पष्ट ही विचित्रता झलकती है जो कवि-व्यापार की प्रबन्ध-वक्रता को प्रस्तुत करती है। जैसे एक ही रामायणीय कथा पर आधारित रामायण्युदय, उदात्तराघव, वीरचरित, बालरामायण, कृत्यारावण, मायापुष्पक इत्यादि अनेक प्रबन्धों का निर्माण विभिन्न महाकवियों ने किया है। किन्तु अपनी अपनी प्रतिभा के बल पर-पद-पद में, वाक्य-वाक्य में, प्रकरण-प्रकरण में, ऐसा वैचित्र्य प्रस्तुत किया है जिससे रसों की अवाध निष्पत्ति और नवीन ढंग में समुत्थापित नायक का उत्कर्ष सहृदयों को अत्यधिक आह्लादित करने में सर्वथा यमर्थ सिद्ध होते हैं।

(7) इस प्रकार कुन्तक प्रबन्ध की कुछ विशिष्ट वक्रताओं का निर्देश कर अपूर्व निर्माण की निष्पत्ति से सम्पन्न समस्त महाकवियों के उन समस्त प्रबन्धों में वक्रता का निर्देश करते हैं जो नये-नये उपायों से नीति-मार्ग का उपदेश देने वाले होते हैं<sup>3</sup>। उदाहरण-

1- द्रष्टव्य, व.जी. 4/24

2- ,, ,, 4/25

3- ,, ,, 4/26

रूप में वे मुद्राराक्षस व तापसवत्सराज का उल्लेख करते हैं। मुद्राराक्षस में प्रवृत्तिबुद्धि के प्रभाव से प्रपञ्चित विविध नैति-व्यापारों को प्रगल्भता विद्यमान हो है। 'तापस-वत्सराज' में ऊपर से सहृदयों को आनन्दित करनेके लिए सत्य एवं विनोदमैत्रिक-नायक उदयन का चरित्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु उससे यह उपदेश दिया गया है कि व्यसनार्णव में डूबते हुए राजा का उद्धार अज्ञात्यों द्वारा उसमें वर्णित विविध उपायों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार रामकथा को उपनिबद्ध करने वाले नाटकादि में ऊपर से सहृदयहृदयहारो महापुरुष का चरित्र वर्णित होता है, परन्तु परमार्थतः महा-काव्य उसके द्वारा विधि निषेधात्मक धर्म का उपदेश करता है कि राम को नरह आचरण करना चाहिए, रावण को तरह नहीं। यह भी प्रबन्ध को ही प्रकृत है।

निष्कर्ष —

इस प्रकार कुन्तक द्वारा किया गया कविव्यापारवृत्ता का विवेचन समाप्त होता है। इस विवेचन में ऐसा सहज ही अनुभव किया जा सकता है कि कुन्तक ने किस तरह काव्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म चमत्कारजनक तत्त्व की ओर अपनी प्रखर मेधा से निर्देश किया है। काव्य की सूक्ष्मतम इकाई वर्ण से लेकर महत्तम स्वरूप प्रबन्ध तक के सूक्ष्मानिसूक्ष्म चमत्कार भी उनको तत्त्वग्राहिणी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाये। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे दोष भी इस विवेचन में विद्यमान हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पहला दोष तो कुन्तक के वक्रताओं के मुख्यरूप से षड्विधविभाजन में ही दृष्टिगोचर होता है। कुन्तक ने मुख्यरूप से वर्णविन्यास, पदपूर्वार्ध, पदपरार्ध, वाक्य, प्रकरण और प्रबन्ध की छः वक्रताये प्रतिपादित की हैं और उनमें से प्रत्येक के अनेक प्रकारों का निरूपण किया है। लेकिन उनका मुख्य विभाजन सर्वथा शुद्ध नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्यों कि पद चार प्रकार के स्वीकार किए गए हैं — नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इनमें नाम और आख्यात रूप पदों में ही पदपूर्वार्ध और पदपरार्ध का विभाजन सम्भव है उपसर्ग और निपात में नहीं। अतः उन दोनों पदों का अन्तर्भाव न तो पदपूर्वार्ध वक्रता में ही हो सकता है और न पदपरार्धवक्रता में त्रैभू और इसी लिए कुन्तक को उन्हें पदपूर्वार्ध और पदपरार्ध की वक्रताओं का विवेचन करने के अनन्तर उसी प्रकरण में अलग से पदवक्रता प्रस्तुत करने वाले प्रकार के रूप में वर्णित करना पड़ेगा है। यह बात तो अवश्य ही स्वीकार करनी पड़ेगी कि कुन्तक की तत्त्वदर्शिनी बुद्धि से काव्य के किसी भी अवयव का चमत्कार ओझल नहीं हो पाया। विवेचन उन्होंने ने सब का किया। लेकिन उसके साथ ही यह

भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका षड्विध-विभाजन बहुत वैज्ञानिक नहीं है। उनके मुख्य रूप से वक्रता का षड्विध-विभाजन ही करना चाहिए। वर्ण, वर्णों के समूह पद, पदों के समूह वाक्य, वाक्यों के समूह प्रश्न और प्रकरणों के समूह प्रबन्ध ही ही पांच वक्रताओं का निर्देश देने करना चाहिए था। उससे पदवक्रता में ही पदपूर्वादर्थ और पदपरादर्थ दोनों का अन्तर्भाव हो जाता। साथ ही उपसर्ग और निम्नत रूप पदों में किसी भी वक्रता प्रकार में अन्तर्भाव को ठठिनार्ई भी दूर हो जानो। जैसे उन्होंने पदार्थ अथवा वस्तु की वक्रता का वाक्यवक्रता में अन्तर्भाव किया है वह असमोचीन नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वक्रताओं के जो अनेकानेक प्रभेद प्रस्तुत किए हैं वे कहीं कहीं परस्पर संकीर्ण<sup>भी</sup> हैं। निदर्शनार्थ क्रियावैचित्र्यवक्रता के अन्तिम तीन प्रकार (स्वविशेषण वैचित्र्य, उपचारप्रनोज्ञता और कर्मादिभ्रवृत्ति) निश्चिन रूप से विशेषण, उपचार और संवृतिवक्रताओं से संकीर्ण हैं। कुन्तक के विवेचन में पारस्परिक भेद की स्पष्ट धारणा नहीं हो गती। इन दोषों के विद्यमान रहने पर भी कुन्तक के विवेचन में सूक्ष्मता मनोवैज्ञानिकता एवं<sup>उनके</sup> व्यापक दृष्टिकोण का अपलाग नहीं किया जा सकता।

## चतुर्थ अध्याय

### कुन्तक का भारगुणविवेचन

कुन्तक का मार्गगुणविवेचन

आचार्य कुन्तक ने अपने ग्रन्थ 'वद्वोदितजोवित' में काव्य के सामान्य-लक्षण को प्रस्तुत करने के अनन्तर उसके विशेष-लक्षण का विषय प्रदर्शित करने के लिए मार्गों के त्रैविध्य को प्रस्तुत किया है। मार्गों को उन्होने कवि-प्रस्थान के हेतुभूत अर्थात् काव्यरचना के कारण-भूत स्वीकार किया है। जिसे कुन्तक ने मार्ग संज्ञा दी है उसे ही प्राचीन वामनादि आचार्यों ने रीति कहा था, यद्यपि दण्डी ने भी मार्ग ही कहा था<sup>2</sup>। भोजराज ने मार्ग और रीति दोनों का व्युत्पत्तितलभ्य अर्थ लेकर समन्वय प्रस्तुत किया—

'वैदर्भादिकृतः ग्रन्थाः काव्ये मार्ग इति स्मृतः ।  
रीङ् गताविति घातोस्मा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते ॥'<sup>3</sup>

मार्गविभाजन का आधार :

कुन्तक ने अपने मार्गविभाजन का आधार कविस्वभाव को स्वीकार किया है। उन्होने अपने मत को प्रस्तुत करने के पूर्व पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत विदर्भादि देशविशेषों के समाश्रयण से किए गए वैदर्भी आदि रीतियों अथवा वैदर्भ आदि मार्गों के विभाजन का खण्डन किया है। अतः इस बात का पहले विवेचन कर लेना आवश्यक है कि वे कौन से पूर्वाचार्य हैं जिनके अभिमतों का कुन्तक ने खण्डन प्रस्तुत किया है। आचार्य भरत ने तो मार्गों अथवा रीतियों का कोई विवेचन किया ही नहीं। भामह यद्यपि मार्ग अथवा रीति का उच्चारण तो नहीं करते परन्तु वैदर्भ और गौडीय काव्य का उल्लेख अवश्य करते हैं। उन्हें ऐसा विभाजन स्वीकार नहीं है। वे ऐसा स्वीकार करने को गतानुगतिक एवं मूर्खता कहते हैं<sup>4</sup>। सम्भवतः उनसे पूर्ववर्ती किसी आचार्य ने विदर्भ आदि देशों के आधार पर काव्य को वैदर्भ और गौडीय रूप में विभाजित किया था तथा वैदर्भ को श्रेष्ठ एवं गौडीय को हेय बताया था। भामह इस बात का खण्डन कर कुछ ऐसी विशेषताओं (अथवा कुन्तकादि के शब्दों में मार्गगुणों) का निर्देश करते हैं जिनके विद्यमान रहने पर गौडीय काव्य भी ग्राह्य एवं रमणीय होता है जब कि उन विशेषताओं के अभाव में वैदर्भ काव्य भी हेय होता है। वे विशेषताये हैं —

1- द्रष्ट. का. सू. पृ. 1/2/9

2- काव्यादर्श 1/40

3- स. कं. 2/27

4- भामह काव्या. 1/32

गुणार्थना, यत्रोक्तिमुक्तता, अग्राम्यता, न्याय्यत्व और धनमुक्तता। वदुन कुछ सम्भव है कि कुन्तक को देशविशेष के आधार पर किये गए मार्गों के विभाजन एवं उनके उत्तमत्व अधमत्ववादि का खण्डन करने की प्रेरणा भामह के इन विवेचन से प्राप्त हुई हो। आचार्य दण्डी यद्यपि यह स्वीकार करते हैं कि वाणो के मार्ग प्रत्येक कवि में स्थित होने के कारण अनेक हैं जिनका कि कथन असम्भव है फिर भी देशों के आधार पर अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर वाले वैदर्भ और गौडीय मार्ग का वर्णन करते हैं<sup>2</sup>। वे स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि गौरस्त्य लोगों की काव्यपद्धति गौडीय तथा दक्षिणात्य लोगों की काव्यपद्धति वैदर्भ है। साथ ही अपना स्वरस्य भी वैदर्भ-मार्ग के प्रति अभिव्यक्त करते हैं क्योंकि श्लेष आदि दस गुणों को उन्होने वैदर्भ-मार्ग का प्राण कहा है जब कि गौडीय-मार्ग में उन गुणों का प्रायः विपर्यय प्राप्त होता है<sup>4</sup>। इस प्रकार इस बात को स्वीकार कर लेना अनुचित न होगा कि दण्डी की दृष्टि में वैदर्भ-मार्ग उत्तम तथा गौडीय-मार्ग अधम है। अतः इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुन्तक जब देशविशेष के आधार पर किए गए वैदर्भ एवं गौडीय मार्गों के विभाजन का खण्डन करते हैं तो स्पष्ट ही वे दण्डी के विचारों का खण्डन करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि किन आचार्यों ने देशविदेश के आधार पर वैदर्भी, गौडीया तथा पांचाली तीन रीतियों का विभाजन किया था जिसका कि कुन्तक खण्डन करते हैं? अधिकतर विद्वानों का विचार है कि कुन्तक यहाँ पर वामन के अभिमत का खण्डन करते हैं। डा० नगेन्द्र का कथन है -

'कुन्तक ने अपने अमोघ शैली में मार्गों के प्रादेशिक आधार का तो तिरस्कार ही किया है साथ ही अपने व्यंग्य की लपेट में वामन को भी ले लिया है।' - तथा 'उन्होंने वामन के आशय को अशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया है अथवा वामन के सिद्धान्त का सम्यक् अध्ययन नहीं किया। वामन ने स्वयं ही प्रादेशिक आधार का प्रबल शब्दों में खण्डन किया है। उनकी रीतियों का आधार गुणात्मक है। - - - अतः वामन के साथ कुन्तक ने न्याय नहीं किया और एक उड़ती हुई बात को लेकर उन पर आरोप किया है।'<sup>6</sup>

1- भामह, काव्या० 1/34-35

2- काव्यादर्श, 1/40, 101

3- वही, 1/50, 60, 80, 83

4- वही 1/42

5- भा. का. भू. भाग 2, पृ० 350

6- भा. का. भू. भाग 2, पृ० 353



'कुन्तक ने वागन पर प्रादेशिक आधार को मानना देने का दोषारोप किया है, पर वह उनका ध्य है : वागन ने स्पष्ट शब्दों में प्रादेशिक आधार का निषेध किया है ।'

वस्तुतः डा० साहब का यह अभिमत मान्य नहीं। यदि डा० साहब के ही शब्दों में कहा जाय तो उन्होंने कुन्तक के आशय को अशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया है अथवा कुन्तक के सिद्धान्त का सम्यक् अध्ययन नहीं किया। कुन्तक ने कहीं भी वामन का नामना निर्देश नहीं किया अतः डा० साहब ने इस कथन को कथमपि प्रामाणिक नहीं माना जा सकता कि उन्होंने वामन के अभिमत को आलोचना की है । वैदर्भी गौडीया और पांचाली नोन रीतियों का विवेचन करने वाले आचार्य केवल वामन ही नहीं हैं, राजशेखर ने भी केवल इन्हीं नोन रीतियों का उल्लेख किया है । साथ ही वामन के रीत्याचरण में यह स्वयं ही स्पष्ट है कि उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी रीति का विवेचन कर रखा है क्योंकि वामन केवल वैदर्भी रीति की ही समग्र गुणसम्पन्नता के कारण ग्राह्यता स्वीकार करते हैं, अन्य दो रीतियों को स्वीकृता के कारण अग्राह्य बताते हैं<sup>2</sup> । इनके पूर्ववर्ती कुछ आचार्यों ने गौडीया और पांचाली रीति का अभ्यास वैदर्भी-सन्दर्भ की सिद्धि के लिए आवश्यक बनाया था । वामन उनके अभिमत का खण्डन करते हैं और कहते हैं कि अतत्त्व के परि-  
शान्त से तत्त्व की निष्पत्ति नहीं होती । जैसे कोई जुलाहा यदि रेशमी सूत्रों के बुनने के लिए सन के सूत्रों के बुनने का अभ्यास करता है तो उसे रेशमी सूत्रों के बुनने का वैचित्र्य नहीं प्राप्त हो जाता<sup>3</sup> । यह कोई आवश्यक नहीं कि वामन द्वारा उल्लिखित आचार्यों के ग्रन्थ आज की तरह कुन्तक के समय में भी अनुपलब्ध रहे हों । यदि वामन ने रीति-विभाजन के प्रादेशिक आधार का प्रबल शब्दों में खण्डन किया है और यह स्वीकार किया है कि देशों से कोई काव्य का उपकार नहीं होता, तो कुन्तक ने भी तो उनके अभिमत को समादर किया है और कहा है कि केवल देश विशेष के आश्रयण पर नामकरण करने के

1- भा. का. भू. भाग 2, पृ० 369 - 370

2- का. सू. वृ. 1/2/14-15

3- वही, 1/2/16-18

4- 'विदर्भगौडपांचालेषु देशेषु तत्रत्यैः कविभिर्यथास्वरूपमुपलब्धत्वात्तद्देशसमाख्या ।

न पुनर्वैश्वेः किंचिदुपक्रियते काव्यानाम् ।'

→ वही, वृत्ति 1/2/10

विषय में ही हमारा विवाद नहीं है<sup>1</sup>। अतः वामन के पूर्ववर्ती किन आचार्यों ने देशों के आधार पर वैदर्भी आदि रीतियों का विभाजन किया था कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजशेखर ने भी रीतियों का विभाजन देशों के आधार पर ही किया है। उन्होने जिस काव्य-पुरुष के रूपक द्वारा काव्यतन्त्रों का विवेचन किया है उससे यह तथ्य सामने आता है। 'काव्यतोषासा' के अठारह अधिकरणों में से केवल प्रथम अधिकरण ही प्राप्त होता है। यह हम लोगों का दुर्भाग्य ही है। राजशेखर ने रीतियों का विस्तृत विवेचन तो तृतीय अधिकरण में किया होगा। जैसा कि वे कहते हैं —

'रीतयस्तु तिब्रस्तास्तु पुरस्तात्'<sup>2</sup>।

फिर भी जो तथ्य ऊपर उद्धारित किया गया है वह उनके प्रथम अधिकरण के विवेचन से ही सामने आ जाता है। वस्तुतः जब काव्य-पुरुष माता से रुष्ट होकर भाग चला तो माता सरस्वती ने उसे मनाने के लिए अथवा वश में करने के लिए साहित्यविद्या-वधू को उत्पन्न किया। वह उसे मनाने के लिए पीछे पीछे चल पड़ी। सब से पहले वे पूर्व दिशा में गए जहाँ अङ्ग, बङ्ग, सुष्म ब्रह्म, पुण्ड्र आदि जनपद हैं। वहाँ काव्यपुरुष साहित्यविद्यावधू की वेशभूषा, नृत्य, वाद्य आदि से तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। अतः जैसा लोक में देखा जाता है कि जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वह अनाप-सनाप बातें बकने लगता है और जब प्रसन्न मुद्रा में रहता है तो सरस और सुहावनी बातें करता है। क्रोध की बातों से लोगों को आनन्द नहीं मिलता। उसी तरह अप्रसन्न काव्य-पुरुष ने क्रोधावेश में जो समाग-बहुल, आनुप्रासिक और योगवृत्तिपरम्परा-गर्भ वाक्य कहे उनकी संज्ञा गौडीय<sup>3</sup> रीति दी गई, क्योंकि वचनविन्यास क्रम को ही तो राजशेखर ने रीति कहा है —

'वचनविन्यासक्रमो रीतिः'<sup>4</sup>।

इसके अनन्तर वे पाँचाल देशों को गए जहाँ पाँचाल, शूर्येन, हस्तिनापुर, काश्मीर, वाहीक, बाहलीक, बाहलवेय इत्यादि जनपद हैं। वहाँ साहित्य-विद्यावधू की वेशभूषा तथा

1- 'तदेवं निर्वचनसमाख्यामात्रकरणकारणत्वेदेशविशेषाश्रयणस्य वयं न विवादामहे ।

व.जी. पृ० 46

2- का.मी. पृ० 50

3- वही, पृ० 41-44

4- वही, पृ० 49

नृत्यवाद्य आदि से वह मन्व्य-पुरुष कुछ आर्षचित्त हुआ और उसने विचित्र समास-रहित, अल्पानुप्रासिक और उपाचारगर्भ जिस वचन-विन्यास को प्रस्तुत किया वह पांचाली रीति कहलायो। इसके अनन्तर जब दक्षिण दिशा में जहाँ पर कि कुन्तल, केरल, महाराष्ट्र तथा गाड़ग आदि जनपद हैं वहाँ समीचीन साहित्यविद्यावधू ने अपनी वेशभूषा और गीत वाद्यादि से उसे शिक्षाया तो वह उस पर बिल्कुल प्रसन्न हो गया और साहित्य-विद्यावधू के पूर्णतयावश में होकर जिस युक्तानुप्रासिक, समासरहित एवं योगवृत्तितगर्भ वचनविन्यास-क्रम को प्रस्तुत किया उसे वैदर्भी रीति की संज्ञा प्रदान की गई<sup>2</sup>।

इस प्रकार राजशेखर के इस विवेचन से अत्यन्त स्पष्ट है कि उनके द्वारा किया गया रीतियों का विभाजन पूर्णतया देशों पर आधारित है। इतना ही नहीं उनके विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उनकी दृष्टि में वैदर्भी उत्तम, गौड़ीया अथम और पांचाली मध्यम कोटि की रीति है। इस बात को ~~कुन्तक से काफी पहले ही चुने थे अतः यदि कुन्तक ने राजशेखर का ही खण्डन किया हो तो कोई असम्भाव्य नहीं।~~ सिद्ध किया जा चुका है कि राजशेखर कुन्तक से काफी पहले ही चुने थे अतः यदि कुन्तक ने राजशेखर का ही खण्डन किया हो तो कोई असम्भाव्य नहीं।

देशविशेष के आधार पर किया गया वैदर्भी आदि रीतियों के विभाजन का खण्डन करने में कुन्तक ने अघोलिखित तर्क प्रस्तुत किया है -

(1) यदि देश-भेद को रीतिभेद का कारण स्वीकार किया जायगा तो देशों के अनन्त होने के कारण रीतियाँ भी अनन्त होने लगेंगी। और ऐसी अवस्था में रीतियों का परिगणन असम्भव हो जायगा। केवल तीन ही रीतियाँ स्वीकार करना अनुचित होगा।

यद्यपि स्वयं राजशेखर ने भी इस सन्देह को अन्य आचार्यों को ओर से प्रस्तुत किया था लेकिन उसका उत्तर उन्होंने ने यही दिया कि देश तो अनन्त अवश्य है लेकिन उनके चार विभागों की ही कल्पना की गई है। सामान्यतः चन्द्रविश्व क्षेत्र एक स्वीकार किया गया है यद्यपि वह अपने अवान्तरविशेषों से तो अनन्त होता ही है<sup>3</sup>। स्पष्ट है कि राजशेखर का यह उत्तर समीचीन नहीं है। वैदर्भी रीति के कवि किसी एक क्षेत्र विशेष में ही उपलब्ध हो यह निश्चय नहीं उनकी उपलब्धि सर्वत्र विदर्भ-क्षेत्र से भिन्न-क्षेत्र

1- का. मी. पृ० 44-46

2- वही, पृ० 47-48

3- वही, पृ० 49-50

में भी सम्भव हो सकती है। आचार्य कुन्तक ने कविस्वभाव के आधार पर मार्गों का वर्गीकरण किया है। और यह सन्देह भी उन्होने स्वयं उठाया है कि यद्यपि कविस्वभाव को भी मार्गविभाजन का आधार स्वीकार करने पर कविस्वभाव के अनन्त होने के कारण मार्गों का आनन्त्य अनिवार्य है फिर भी उनको गणना के अशक्य होने के कारण सामान्यतः त्रिविध्य ही युक्तिसंगत है। डा० हरदत्त शर्मा ने निर्देश किया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ कुन्तक के विवेचन में भी वही दोष दिखा सकता है जिसे कि स्वयं कुन्तक ने भौगोलिक आधार पर किए गए रीतियों के त्रिविध विभाजन में दिखाया है। परन्तु डा० साहब का यह कथन समोचन नहीं प्रतीत होता। विदर्भ-देश की प्राप्ति पाँचाल अथवा गौडीय देश में नहीं हो सकती क्यों कि देश का क्षेत्र सीमित होता है। लेकिन सुन्दर अथवा विचित्रस्वभाव वाला कवि कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार भौगोलिक आधार पर किए गए त्रिविध विभाजन के आधार पर कवियों के सही काव्यस्वरूप का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्यों कि यदि पाँचाल देश में भी वैदर्भीरिति का काव्य प्राप्त होता है तो बाध्य होकर भौगोलिक आधार पर उसे वैदर्भीरिति का काव्य न कह कर पाँचालीरिति का काव्य कहना पड़ेगा। क्यों कि भौगोलिक आधार पर किया गया विभाजनक्षेत्र सीमित होगा। अपनी सीमा से परे उसकी कोई सत्ता नहीं होगी। और इस तरह काव्य की रीतियों का सही स्वरूपनिरूपण न हो सकेगा। जब कि स्वभाव के आधार पर किए गए विभाजन में यह दोष नहीं। स्वभाव तो प्रायः एक दूसरे के मिल जाया करते हैं और ऐसी दशा में जहाँ जिस देश में भी जिस स्वभाव का कवि होगा उसे उस मार्ग का कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि कवि-स्वभाव तथा भौगोलिक दोनों आधारों पर किए गए रीतिविभाजन में एक ही दोष दिखाना भ्रान्ति के सिवा और कुछ नहीं है।

1- 'यद्यपि कविस्वभावभेद-निबन्धनत्वादनन्तभेदभिन्नत्वमनिवार्यं तथापि परिसङ्ख्यातु - मशक्यत्वात् सामान्येन त्रैविध्यमेवोपपद्यते।' - व. जी. पृ० 47

2- "One may here observe that Kuntaka's opinion is open to the same objection which he put forth against the geographical division of Ritis into three kinds."

J. H. Q., Vol. 8, pp. 258-259.

(2) कुन्तल या दूसरा तर्क है कि काव्यरचना किसी देश का धर्म नहीं होती जिसमें यह कहा जा सके कि वैदर्भी-रोति विदर्भ देश-का धर्म है अथवा गौडीया गौड-देश का इत्यादि । जैसे मपेरो ब्रह्म के साथ विवाह दीपण के किसी देश में होना है, सर्वत्र नहीं। अतः उसे देश-धर्म कहा जा सकता है और देश के आधार पर उसकी व्यवस्था भी मान्य होगी । क्यों कि देश-धर्म केवल वृद्धों की व्यवहारपरम्परा पर आधारित होता है अतः उसका उस देश-विशेष में अनुष्ठान अशक्य नहीं । लेकिन काव्य-रचना को तो शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास-रूप कारणामयों की आवश्यकता होती है, उसका किसी देश के साथ कैसा सम्बन्ध ? यदि कोई यह कहना चाहे कि जिस प्रकार वे दक्षिणात्यों की गंगोतविषयक सुस्वरा आदि ध्वनि की रमणीयता स्वाभाविक हुआ करती है वैसे ही काव्यरचना भी स्वाभाविक होगी तो यह कहना उचित नहीं। क्यों कि ऐसा स्वीकार कर लेने पर फिर सभी को वैसी ही काव्यरचना कर लेनी चाहिए । पर ऐसा होता नहीं। यदि शक्ति को कथमपि दुर्जनतोषन्याय से स्वाभाविक मान भी लिया जाय तो व्युत्पत्ति और अभ्यास जो कि काव्यरचना के कारणभूत हैं उनकी क्या व्यवस्था होगी ? उनकी तो किसी देशविशेष में कोई नियत व्यवस्था नहीं होती, जिस व्युत्पत्ति और अभ्यास को जिस देश का धर्म स्वीकार किया जाता है, वही बहुतों में वह दिखाई नहीं पड़ता, जब कि उससे गिन्न दूसरे देश में भी देखा जाता है ।

अतः देशों के आधार पर किया गया वैदर्भी आदि रीतियों एवं वैदर्भ आदि मार्गों का विभाजन असंगत एवं अमान्य है । वात्मान ने भी तो इसे स्वीकार किया है कि देशों से काव्यों का कोई उपकार नहीं होता<sup>2</sup> ।

इस प्रकार कुन्तल देशों के आधार पर किए मार्गों एवं रीतियों के विभाजन को अनुचित सिद्ध कर मार्गों के विभाजन की व्यवस्था कवि-स्वभाव के आधार पर करने है । उनका कहना है कि जिस स्वभाव का कवि होता है उसी के अनुरूप उसकी सहज शक्ति समुत्पन्न होती है क्यों कि शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है । जैसे अग्नि शक्तिमान है दाहकत्व उसकी शक्ति । अग्नि और दाहकत्व में अभेद है । शक्ति के अनुरूप ही कवि व्युत्पत्ति प्राप्त करता है । और फिर उसी शक्ति तथा व्युत्पत्ति के द्वारा उसके अनुरूप मार्ग से काव्य रचना के अभ्यास में तत्पर होता है । सुकुमार

1- व.जी. पृ० 45-46

2- 'न पुनर्देशैः किंचिदुपक्रियते काव्यानाम्।- का.सू.वृ. 1/2/10 पर वृत्ति

स्वभाव कवि को उसके स्वभाव के अनुरूप सुकुमारशक्ति प्राप्त होती है । उसी के अनुरूप वह सौकुमार्य से रमणीय व्युत्पत्ति अर्जित करता है । और फिर उसी शक्ति और व्युत्पत्ति के द्वारा सुकुमार-मार्ग से काव्यरचना का अभ्यास करता है । इसी प्रकार जिस कवि का स्वभाव विचित्र होता है, वह भी काव्य के सदृश्याह्लादकारी होने के कारण सौकुमार्य से व्यतिरेकी वैचित्र्य से रमणीय हो जाता है । उसी के अनुरूप उस को कोई विचित्र ही शक्ति समुल्लसित होती है । उस विचित्रशक्ति के द्वारा वह उसी प्रकार के वेदमध्य से रमणीय व्युत्पत्ति अर्जित करता है । तथा उस शक्ति और व्युत्पत्ति के द्वारा वैचित्र्य की वासना से अधिवासित चित्त को विचित्र मार्ग से काव्यरचना के अभ्यास में तत्पर होता है । इसी प्रकार जिसका स्वभाव सुकुमार एवं विचित्र मार्ग के कवियों के मूलभूत स्वभाव से संवलित होता है उसी के अनुरूप उसकी शबल सान्दर्या-तिशय से सुशोभित होने वाली शक्ति समुल्लसित होती है । उस शक्ति के द्वारा वह सुकुमार एवं विचित्र दोनों स्वभावों से सुन्दर व्युत्पत्ति अर्जित कर दोनों की कान्ति के परिपोष से मनोहर मार्ग द्वारा काव्यरचना के अभ्यास में तत्पर होता है । इस प्रकार ये तीन प्रकार के कवि तीन प्रकार के सुकुमार, विचित्र और उभयात्मक रमणीय काव्यों की रचना करते हैं । यहाँ किसी को यह सन्देह हो सकता है कि शक्ति की स्वाभाविकता तो ठीक है क्यों कि वह आन्तरिक हुआ करती है, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास की स्वाभाविकता कैसे मानी जाय जब कि वे दोनों आहार्य होने हैं ? कुन्तक ने बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से इस सन्देह का निवारण किया है । उनका कहना है कि काव्य-रचना की बात तो दूर रही, अन्य विषयों में भी ऐसा देखा जाता है कि अनादि-वासना के अभ्यास से अधिवासित चित्त वाले सभी किसी के व्युत्पत्ति और अभ्यास स्वभावानुसारी ही हुआ करते हैं । स्वभाव तथा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास में परस्पर उपकार्योपकारक-भाव सम्बन्ध होता है । स्वभाव की अभिव्यंजना करने से ही व्युत्पत्ति और अभ्यास सम्पन्न होते हैं । स्वभाव उन दोनों को आरम्भ करता है और वे दोनों स्वभाव को परिपुष्ट करते हैं । इस विषय में चेतन पदार्थों की बात तो दूर रही अचेतन पदार्थों की सत्ता भी अपनी सत्ता के अनुरूप अन्य सत्ता के सन्निधान से अभिव्यक्त हो उठती है जैसे चन्द्रकान्त मणियाँ चन्द्रकिरणों के स्पर्श से

स्वाभाविक जन प्रवाहित करने लगते हैं । अतः यह सिद्ध होता है कि स्वभाव के अनुरूप ही व्युत्पत्ति और अभ्यास भी हुआ करते हैं । और इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि जिस स्वभाव का कवि होता है उसी के अनुरूप उसका काव्य भी होता है<sup>1</sup> । यद्यपि राजशेखर ने रीतियों का विभाजन देश के आधार पर अवश्य किया है लेकिन इस बात को वे भी स्वीकार करते हैं कि काव्य कविस्वभाव के अनुरूप ही होता है जैसा कवि वैसा काव्य, जैसा चित्रकार वैसा ही चित्र —

'स यत्स्वभावः कविस्तदनु रूपं काव्यम् । यादृशाकारश्चित्रं तस्माद्दृशाकारमस्य चित्रमिति प्रायो वादः ।'<sup>2</sup>

इस प्रकार कुन्तक द्वारा मार्ग-विभाजन के आधार रूप में स्वीकार किया गया कविस्वभाव को समीचीनता को कोई भी अंगोकार नहीं कर सकता । नाथ ही कविस्वभाव के आधार पर कुन्तक ने जो सुकुमार, विचित्र और मध्यम नाम रखे हैं वे ही समीचीन भी हैं । लेकिन वैदर्भी आदि नामों को सर्वथा असमीचीन भी कहना उचित नहीं । वस्तुतः जब आचार्यों ने प्रारम्भ में इनका नामकरण किया होगा उस समय उसका आधार देश ही रहा होगा । विदर्भ में प्राप्त होने वाले कवियों की रचना अधिकतर जिस रूप में रही होगी उसे प्राधान्य के कारण वैदर्भी कहा होगा । इसी तरह गौडीया और पांचाली का भी नामकरण हुआ होगा । और उस प्रारम्भिक समय की दृष्टि से उसकी समीचीनता को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता । हाँ, आगे चल कर जब विभिन्न देश के कवियों ने यथारुचि भिन्न-भिन्न मार्गों का अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया और विदर्भक्षेत्र में भी गौडीया और गौड-क्षेत्र में भी वैदर्भी-रीति के काव्यों की रचना होने लगी उस समय इस देश के आधार पर किये जाने वाले विभाजन की अनुपयुक्तता सामने आई । इसकी ओर स्पष्ट ही वामन ने निर्देश किया है और उनसे भी पहले भामह का भी निर्देश इसी ओर स्वीकार किया जा सकता है । अन्त में राज्ञानक कुन्तक ने कविस्वभाव को मार्गविभाजन का आधार स्वीकार कर तथा मार्गों को सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम की संज्ञा प्रदान कर एक समुचित व्यवस्था की । परन्तु जो परवर्ती आचार्यों ने उसे आगे चल कर स्वीकार नहीं किया, भामह के शब्दों में उसे गतानुगतिकता ही कहा जा सकता है ।

1- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 47

2- का. मी., पृ० 169

स्वाभाविक जल प्रवाहित करने लगती है । अतः यह सिद्ध होता है कि स्वभाव के अनुरूप ही व्युत्पत्ति और अभ्यास भी हुआ करते हैं । और इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि जिस स्वभाव का कवि होता है उसी के अनुरूप उसका काव्य भी होता है । यद्यपि राजशेखर ने रीतियों का विभाजन देश के आधार पर अवश्य किया है लेकिन इस बात को वे भी स्वीकार करते हैं कि काव्य कविस्वभाव के अनुरूप ही होता है जैसा कवि वैसा काव्य, जैसा चित्रकार वैसा ही चित्र —

'स यत्स्वभावः कविस्तदनु रूपं काव्यम् । यादृशाकारश्चित्रं तस्माद्दृशाकारमस्य चित्रमिति प्रायो वादः ।'<sup>2</sup>

इस प्रकार कुन्तक द्वारा मार्ग-विभाजन के आधार रूप में स्वीकार किया गए कविस्वभाव को समीचीनता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । साथ ही कविस्वभाव के आधार पर कुन्तक ने जो सुकुमार, विचित्र और मध्यम नाम रखे हैं वे ही समीचीन भी हैं । लेकिन वैदर्भी आदि नामों को सर्वथा असमीचीन भी कहना उचित नहीं। वस्तुतः जब आचार्यों ने प्रारम्भ में इनका नामकरण किया होगा उस समय उसका आधार देश ही रहा होगा। विदर्भ में प्राप्त होने वाले कवियों को रचना अधिकतर जिस रूप में रही होगी उसे प्राधान्य के कारण वैदर्भी कहा होगा । इसी तरह गौडीया और पांचाली का भी नामकरण हुआ होगा । और उस प्रारम्भिक समय की दृष्टि से उसकी समीचीनता को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता । हाँ, आगे चल कर जब विभिन्न देश के कवियों ने यथारुचि भिन्न-भिन्न मार्गों का अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया और विदर्भक्षेत्र में भी गौडीया और गौड-क्षेत्र में भी वैदर्भी-रीति के काव्यों की रचना होने लगी उस समय इस देश के आधार पर किये जाने वाले विभाजन की अनुपयुक्तता सामने आई। इसकी ओर स्पष्ट ही वामन ने निर्देश किया है और उनसे भी पहले भामह का भी निर्देश इसी ओर स्वीकार किया जा सकता है । अन्त में राजानक कुन्तक ने कविस्वभाव को मार्गविभाजन का आधार स्वीकार कर तथा मार्गों को सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम की संज्ञा प्रदान कर एक समुचित व्यवस्था की । परन्तु जो परवर्ती आचार्यों ने उसे आगे चल कर स्वीकार नहीं किया, भामह के शब्दों में उसे गतानुगतिका ही कहा जा सकता है ।

1- द्रष्टव्य, व.जी. पृ० 47

2- का. मी., पृ० 169



रीतियों का (उत्तममध्यम) तारतम्य :

आचार्य कुन्तक ने देशभेद के आधार पर रीतियों अथवा मार्गों के विभाजन का खण्डन कर रीतियों के उत्तम, मध्यम और अधम रूप विभाजन का भी खण्डन प्रस्तुत किया है। उन्हें आह्लाद की कोटियाँ मानना<sup>1</sup> अभिप्रेत नहीं है। आचार्य दण्डो की दृष्टि में वैदर्भी-मार्ग उत्तम है और गौडीय-मार्ग अधम, क्योंकि श्लेष आदि दस गुण वैदर्भी-मार्ग के प्राण हैं जब कि गौडीय-मार्ग में इनका प्रायः विपर्यय दिखाई पड़ना है। यद्यपि दण्डो ने उत्तम अथवा अधम का शब्दतः प्रयोग वैदर्भी और गौडीय मार्ग के लिए नहीं किया। तदनन्तर आचार्य वामन ने भी ऋग्वेद-गुणों से सम्बन्ध होने के कारण वैदर्भी को ही ग्राह्य बनाया। शेष दोनों गौडीया और पांचाली रीतियों को उन्होने थोड़े गुणों वाली होने के कारण<sup>2</sup> हेय कहा। लेकिन वामन के इस विवेचन से रीतियों की उत्तम, मध्यम और अधम तीन कोटियाँ सामने नहीं आती। क्योंकि यदि वैदर्भी को उत्तम कोटि में रख भी लिया जाय तो पांचाली और गौडीया दोनों एक ही अधम अथवा मध्यम कोटि में आयेगी। वामन ने इन दोनों में कोई तारतम्य का खण्डन करते समय भी कुन्तक वामन का ही खण्डन कर रहे हैं कुछ समीचीन नहीं प्रतीत होता, जैसे कि डा० नगेन्द्र आदि ने कर सखी है<sup>3</sup>। वामन तो स्वयं ज़ोरदार शब्दों में गौडीया और पांचाली रीतियों के अभ्यास का भी निषेध करते हैं और उन आचार्यों के मत का खण्डन करते हैं जो वैदर्भी की वैदर्भी-सिद्धि के लिए गौडीया और पांचाली के अभ्यास को स्वीकार करते हैं<sup>4</sup>। राजशेखर के रीतिविषयक चिन्तन को प्रस्तुत करते हुए यह सम्भावना व्यक्त की जा चुकी है कि उनको दृष्टि में वैदर्भी उत्तम, पांचाली मध्यम और गौडीया अधम रीति के रूप में सामने आती है। अतः या तो यह तारतम्य का खण्डन कुन्तक ने राजशेखर के अभिमत को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत किया होगा अथवा राजशेखर तथा वामन दोनों में भिन्न किसी अन्य आचार्य के मत का खण्डन किया होगा, जिसका कि ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है। कुन्तक ने रीतियों के तारतम्य का खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि काव्य की काव्यता तभी सम्भव है जब कि वह सूत्रियों को

1- काव्यादर्श, 1/42

2- का.सू.वृ. 1/2/14-15

3- भा.का.भू. भाग 2, पृ० 354-55

4- का.सू.वृ० 1/2/16-18

आइनादिन करने में समर्थ हो । और यह सहृदयानादररूपोत्- काव्य के द्वारा हो सम्भव है । जो रमणीयता वैदर्भी के विद्यमान रहती है वह गीवाली और गौडोया के सर्वथा असम्भव है । अतः कोई भी सहृदय वैदर्भी रीति को छोड़ अन्य रीतियों का अपाश्रयण क्यों करेगा ? अतः वैदर्भी के आगे गीवाली और गौडोया रीतियों का उपदेश करना ही व्यर्थ सिद्ध होगा । क्यों कि वे वैदर्भी की अपेक्षा मध्यम और अधम है, उनमें वैदर्भी की रमणीयता असम्भव है । यदि कोई यह कहे कि उन दोनों रीतियों का उपदेश तो उत्तम परिहार करने के लिए किया गया है तो वह भी ठीक नहीं । क्यों<sup>1</sup> ऐसा स्वयं रीतियों का विवेचन करने वाले आचार्यों ने ही स्वोक्त लिख नहीं किया । फिर काव्यरचना कोई दरिद्र का दान तो है नहीं, कि जितना ही सके उतना दे दिया जाय और उसे प्रतीना स्वीकार कर ले । यदि किसी को कवि बनना है काव्यरचना करनी है तो उत्तम-कोटि की ही रचना प्रस्तुत करे जिससे सहृदयों को आनन्दोपलब्धि हो सके । अव्यर्णज्ञ सहृदय कोई महापात्र तो है नहीं कि जैसी भी रचना मिल जाय उसी का आस्वादन करने को तैयार हो जाय और झूठे ही सिर हिला दे । इनो लिए तो भामह ने कहा था कि अकवि होना किसी अधर्म या व्याधि अथवा दण्ड के लिए नहीं होता<sup>2</sup> लेकिन कुकवि होना तो साक्षात् मृत्यु<sup>2</sup> है मृत्यु । राजशेखर ने भी यही कथन है—

'वरमकविर्न पुनः कुकविः स्यात् । कुकविता हि सोच्छ्वासं परणम् ।'<sup>3</sup>

अतः काव्य कवी होगा जो उत्तम-कोटि का होगा । अन्यथा वह काव्य होगा ही नहीं । अधम और मध्यम-कोटि के काव्य का काव्यत्व ही कुन्तक को मान्य नहीं । इस लिए रीतियों का उत्तम, मध्यम और अधम रूप में विभाजन आचार्य कुन्तक की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है । आचार्य कुन्तक का सुकुमार-मार्ग यदि रमणीय है तो विचित्र और मध्यम उससे पीछे नहीं वे भी रमणीय है । कवियों को वे ही रचनाएँ काव्य कहलाने की अधिकारिणी होती हैं, जो काव्य की समस्त-साधनसामग्रियों के चरण-प्रकर्ष से निष्पन्न होकर

1- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 46

2- नाकवित्त्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा ।

कुकवित्त्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुर्मनीषिणः ।—भामह काव्या० ।/12

3- का. मी. , पृ० 97

रमणीयता को प्रस्तुत करने है । और इन प्रकार के काव्यों में तीन प्रकार हैं—(1) सुकुमार (2) विचित्र और (3) मध्यम अथवा उभयात्मक काव्य। काव्यों की प्रवृत्ति के निर्भ्रंश होने के कारण ये ही तीन सुकुमार विचित्र और मध्यम मार्ग कहे जाते हैं। जब रमणीय काव्य के परिग्रह का प्रस्ताव होता है तो सामने तीन राशियाँ उपस्थित होती हैं — (1) सुकुमार-स्वभाव राशि, उससे व्यतिरिक्त रमणीय काव्य नहीं हो सकता (2) उससे व्यतिरिक्त रमणीयता-विशिष्ट दूसरी राशि है विचित्र । ये दोनों ही रमणीय होते हैं । अतः इन दोनों को समायोजित किया तो सम्मिलित होने वाले मध्यम मार्ग की रमणीयता को स्वतः सिद्ध हो जाती है । इस प्रकार जोड़ी भी मार्ग एक दूसरे से न्यून नहीं है । किसी भी न्यूनता की कल्पना बिल्कुल अपर्याप्त है ।

### मार्गों का स्वरूप —

आचार्य दण्डी तथा वामन ने मार्गों अथवा रीतियों का स्वरूप निरूपण गुणों के आधार पर किया था । दण्डी ने श्लेष आदि दस गुणों को वैदर्भी-मार्ग का प्राण कहा और गौडीय के लिए निर्देश किया कि उसमें प्रायः इन गुणों का विपर्यय रहता है । वामन ने वैदर्भी-रीति में श्लेष, प्रमाद आदि दसों गुणों की सत्ता स्वरूप की । पांचाली को माधुर्य और सौकुमार्य के युक्त तथा गौडीया को ओजस् और कान्ति से युक्त बताया । इस प्रकार गुणों की न्यूनता और आधिक्य ही वामन की रीतियों का स्वरूप-निरूपण करने वाले तत्व रहे । कुछ हद तक दण्डी के मार्ग-निरूपण का भी यही आधार रहा । अन्तर केवल यह था कि दण्डी के गौडीय-मार्ग में कुछ गुण तो वैदर्भी-मार्ग के तुल्य ही रहे और कुछ गुणों का विपर्यय रहा । जब कि वामन की पांचाली-रीति में ओजस् और कान्ति को छोड़ कर शेष गुण उसी रूप में रह सकते थे जैसे कि वैदर्भी में, तथा गौडीय में भी माधुर्य और सौकुमार्य को छोड़ कर शेष गुण उसी रूप में रह सकते थे । इस प्रकार दण्डी तथा वामन ने गुणों से पृथक् वैदर्भी आदि का कोई स्वरूप-निरूपण नहीं किया । भामह को तो यह मार्ग भेद मान्य ही नहीं था अतः उनका स्वरूप-निरूपण वे करते ही कैसे ? इसी लिए उन्होंने ने मार्ग अथवा रीति न कहकर उसे काव्य नाम से अभिहित किया । और एक-सत्काव्य के लिए 1-पुष्टार्थता 2-व्योक्ति-

1- द्रष्टव्य, व.जी.पृ० 47

2- काव्यादर्श, 1/42

3- का.सू.वृ० 1/2/11, 12, 13

4- भामह, काव्या० 1/31-32

युक्तता । 3- अग्राम्यता 4- न्याय्यत्व और 5- अनाकुलता गुणों को आवश्यक प्रति-  
पादित किया । आचार्य रुद्रट ने दण्डी तथा वामन के इस रीति-स्वरूपनिरूपण को  
एक नया मोड़ दिया । उनके विभिन्न रीतियों के स्वरूपनिरूपण का आधार गुण नहीं  
बल्कि समासा और अनसमासा दो प्रकार की नामवृत्तियाँ हुईं । उन्होंने रीतियों की  
संख्या में भी एक चतुर्थ लाटीया रीति जो क्लाना तर वृद्धि किया । असमासा वृत्ति  
को केवल एक ही रीति रहने-वैदर्भी । और समासा वृत्ति की तीन रीतियाँ हुईं पांचाली  
लाटीया और गौडीया । पांचाली में दो तीन पदों का समास मान्य रहा । लाटीया  
में चार या सात पदों का और गौडीया में यथाशक्ति लगभग पदों का समास मान्य  
हुआ<sup>2</sup> । लेकिन यहाँ इतना निर्देश कर देना आवश्यक है कि रुद्रट ने दण्डी आदि की  
भाँति रीतियों का नाम ऋण देशों के आधार पर नहीं किया । वे स्पष्ट कहते हैं कि  
इनका केवल नाम ही ऐसा रख दिया गया है — 'नामतोऽभिहिताः'<sup>3</sup> । नाममाद्यु की  
व्याख्या रुद्रट के इस कथन को और भी सुस्पष्ट कर देती है —

'नामत इत्यनेन नाममात्रमेतदिति कथयति । न पुनः पांचालेषु भवा इत्यादि  
व्युत्पत्तिततः । अतिप्रसंगात्'<sup>4</sup>

रुद्रट की मौलिकता उनके रीतिविवेचन में साफ झलकती है । रुद्रट से पूर्व समास के  
आधार पर गुणों का विवेचन तो भरत,<sup>5</sup> भामह,<sup>6</sup> दण्डी<sup>7</sup> तथा वामन<sup>8</sup> ने अवश्य किया था  
पर रीति का समास के आधार पर विभाजन करने वाले प्रथम आचार्य रुद्रट ही हैं ।  
साथ ही उन्होंने किसी रीति को उत्तम,<sup>9</sup> मध्यम, अधम अथवा ग्राह्य या हेय भी  
नहीं कहा । इतना ही नहीं रीतियों का रसों के साथ पहले पहल सम्बन्ध भी रुद्रट  
ने ही जोड़ा और यह बताया कि औचित्य के अनुरूप शृंगार, कस्म, भयानक, अद्भुत और  
प्रेयस् रसों में वैदर्भी अथवा पांचाली का तथा रौद्र रस में लाटीया और गौडीया का  
प्रयोग करना चाहिए<sup>9</sup> । शेष, वीर, बीभत्स, हास्य और शान्त रसों में रुद्रट ने रीतियों का

1- भामह, काव्या० 1/34-35

2- रुद्र., काव्या०, 2/3-6

3- वही 2/4

4- न. सा. पृ० 10

5- ना. शा. 16/105

6- भामह, काव्या० 2/1-2

7- काव्यादर्श, 1/80

8- का. सु. वृ०, 3/1/20 तथा वृत्ति

9- रुद्र. काव्या० 14/37 तथा 15/20

कोई भी नियमन नहीं किया। रुद्रट के अनन्तर संस्कृत-साहित्य ने इतिहास में एक अपूर्व और प्रभावोत्पादक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले आचार्य आनन्दवर्धन सामने आते हैं<sup>1</sup>। उन्होने ध्वनिसिद्धान्त को ग्याग्ना को और अनेकारशास्त्र के विभिन्न पान्य तत्त्वों का स्वादि-ध्वनि के साथ सम्बन्ध स्थापित कर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होने वामन आदि आचार्यों द्वारा स्विकृत वैदर्भी आदि रीतियों का कोई विवेचन प्रस्तुत नहीं किया। उनके विषय में उन्होने केवल यही कहा कि इन वैदर्भी, गौडीया और पांचाली रीतियों को प्रवर्तित करने वाले आचार्यों को यह काव्यतन्त्र ध्वनि, जिज्ञा कि विवेचन करने दिया है, थोड़ा ही स्फुरित हुआ था। वे इस काव्यतन्त्र का यथार्थ वर्णन कर सन्ने में असमर्थ थे अतः उन्होने रीतियों का विवेचन किया।<sup>1</sup> हाँ, उन्होने तीन प्रकार की दोषसमासा, असमासा और मध्यम समासासङ्घटना<sup>2</sup> का उल्लेख किया है जो कि माधुर्यादि-गुणों का आश्रयण पर स्वादिक को अभिव्यक्त करने हैं। यह सङ्घटना रुद्रट की रीति से सर्वथा अभिन्न है। रुद्रट ने उनका गौडीय, वैदर्भी और पांचाली (अथवा लाटोया) नाम दे रखा था। आनन्द ने उनका कोई नामकरण नहीं किया। आगे चल कर विश्वनाथ ने इस सङ्घटना और रीति के स्पष्ट अभेद का निर्देश किया है।—रीतेः सङ्घटनाविशेषत्वान्।<sup>2</sup> तथा-  
'एदसङ्घटना रीतिरङ्गासंस्थाविशेषवत्। उपकत्रो रसादीनाम्।'<sup>3</sup>

आनन्दवर्धन के अनन्तर राजशेखर ने रीतियों का वैशिष्ट्य गुणों अथवा केवल समास के आधार पर नहीं निर्धारित किया। वे कुछ और आगे बढ़े उन्होने रीतिभेद-न्त्र का <sup>अथवा औपचारिक उपयोग के आधार पर किया। उनकी गौडीया</sup> निरूपण समास, अनुप्रास तथा यौगिक रीति लम्बे-लम्बे समासों में युक्त अत्यधिक अनुप्रास से युक्त और योगवृत्ति-परम्परा से युक्त थो तो पांचाली-रीति में अल्प-समास, अल्प-

1- ध्वन्या०, 3/46 तथा वृत्ति

2- सा. द. पृ० 18

3- वही, 9/1

4- 'तथाविधाकल्पयाऽपि तथा यदवशंवदोक्तः सपासवदनुप्रासवद्योगवृत्तिपरम्परागर्भं जगाद सा गौडीया रीतिः ।

अनुप्रास और उपचार की सत्ता <sup>1</sup> थी तथा वैदर्भी में उचित अनुप्रास का प्रयोग तथा का अभाव और योगवृत्ति की सत्ता मान्य थी <sup>2</sup> । यद्यपि डॉ० राघवन, डॉ० नरेन्द्र तथा डॉ० बलदेव उपाध्याय आदि अनेक विद्वानों ने राजशेखर से इस मत को प्रस्तुत किया है परन्तु राजशेखर का योगवृत्ति-परम्परागर्भ, तथा योगवृत्ति-गर्भ से क्या आशय है ? कुछ स्पष्ट नहीं किया । 'काव्यमोक्षसा' पर जो भी संस्कृत-टीकाएं अथवा हिन्दी-रूपान्तर उपलब्ध हैं उनमें भी इन पदों को कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है । अतः राजशेखर के पन्थव्य को समझने में कठिनाई सामने आती है । हमें जो आशय स्पष्ट हो सका है वह कुछ इस प्रकार है । यद्यपि राजशेखर का निश्चित रूप से यही आशय था, यह कह सकना कठिन है । 'गौडीया' रीति को राजशेखर ने योगवृत्ति-परम्परागर्भ कहा है, योगवृत्ति से आशय यौगिक शब्द शक्ति तथा परम्परा से आशय रूढ़ि से है । कहने का अभिप्राय यह कि गौडीया रीति में यौगिक शब्दों का तथा रूढ़िशब्दों का दोनों का ही प्रयोग होता है । रूढ़ि शब्द से आशय यदृच्छाशब्दों से है । 'पांचाली' को उन्होने उपचारगर्भ कहा है । उपचार का आशय यही लक्षणा से है । इससे सिद्ध होता है कि पांचाली में योगरूढ़िशब्दों का प्रयोग होता है । क्यों कि योगरूढ़िशब्दों में ही मम्पट आदि ने रूढ़िलक्षणा स्वीकार की है । वैदर्भी को योगवृत्ति-गर्भ कहा गया है । इसका आशय यह है कि वैदर्भी में यौगिक शब्दों का प्रयोग होता है । वस्तुतः राजशेखर ने यह रीतियों का स्वरूपनिरूपण वर्णों, पदों एवं पदवृत्तियों के आधार पर किया है । गौडीया में बड़े बड़े समासों का प्रयोग होता है, अनुप्रासों का बाहुल्य रहता है तथा यौगिक के साथ ही साथ रूढ़िशब्दों का भी प्रयोग रहता है अतः वह अधिक क्लिष्ट हो जाती है । इसी लिए वह राजशेखर की दृष्टि में अधम है । पांचाली में थोड़े समास, थोड़े अनुप्रास तथा योगरूढ़ि (उपचार) शब्दों का प्रयोग होता है अतः यह गौडीया को अपेक्षा अधिक हृद्य एवं सुबोध होती है इसी लिए राजशेखर की दृष्टि में यह मध्यम है । वैदर्भी में समासों का अभाव, उचित अनुप्रासों का प्रयोग तथा यौगिक

वदी

- 1- 'तथाविधाकल्पयाऽपि तथा यदीषद्वशकृतः ईषदसमासमीषदनुप्रासमुपचारगर्भञ्च जगाद सा पांचाली रीतिः ।' — का. मी. पृ० 46
- 2- 'यदत्यर्थञ्च स तथा वशवदीकृतः स्थानानुप्रासवदसमासं योगवृत्तिगर्भं च जगाद सा वैदर्भी रीतिः ।' — वही, पृ० 48

शब्दों का प्रयोग होना है । अतः सर्वथा सुशोभ एवं हृदय गीतो है । अतः राज-  
शेखर ने इसे उत्तम कहा । 'योगिण' शब्द का अर्थ व्याकरण सम्मत होता है अतः  
राजशेखर की दृष्टि में वह सबसे उत्तम होता है । योगरूतिशब्द चूंकि पूर्णतया योग्य  
नहीं होता उसमें लक्षणा का सहारा लेना पड़ना है अतः वह योग्य की अपेक्षा क्लिष्ट  
होता है । रूढि-शब्द तो यदृच्छा-शब्द होने से कारण सर्वाधिक क्लिष्ट होता है ।  
अस्तु इसे एक प्रस्ताव ( *Suggestion* ) ही मानना उचित है । जैसे यह विषय  
अभी प्रारम्भ हो है । आगे चल कर भोजराज आदि ने राजशेखर से ही विवेचन की  
स्वीकार कर अपने कुछ अन्य पान्यताएँ भी परिभाषित की ।

आचार्य कुन्तक का मार्गस्वरूपनिरूपण इन समस्त आचार्यों से सर्वथा भिन्न और पोलि-  
नै । उन्हो ने गुणो अथवा समास या अनुप्रास आदि को मार्गों के स्वरूपनिरूपण करने  
वाले तत्त्वों के रूप में नहीं स्वीकार किया बल्कि कविकौशल , कविस्वभाव अथवा कवि  
की शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को मार्गों के भेदकतत्त्व के रूप में स्वीकार किया ।  
और इसे लिए उनके मार्गों का स्वरूपनिरूपण प्रायोगिक एवं युक्तिसंगत है ।

सुन्दर-मार्ग :

सुन्दर-मार्ग में कवि की सहज शक्ति का अद्भुत विलास विद्यमान रहता है ।  
इसमें जो कुछ भी वैचित्र्य अथवा बद्धोक्ति का प्रयत्न होता है वह सब कवि-  
प्रतिभाजन्य होता है, आचार्य नहीं होता । साथ ही सुन्दर-मार्ग को तद्विदाहलादका-  
स्तित्व रूप रणनीयता से समर्थ होता है । इसमें कवि को किसी अनिर्वचनीय एवं  
अस्मान प्रतिभा से अपने आप, बिना किसी छे प्रयत्न के, नवीन अंशु से समान  
समुल्लसित होने वाले एवं सहृदयों को आह्लादित करने में समर्थ शब्दों एवं अर्थों  
की रमणीयता विराजमान रहती है । अलंकारों का बहुत थोड़ा एवं सहृदय-हृदय की  
लुभा लेने वाला प्रयोग होता है और वह भी बिना किसी प्रयत्न के ही विरहित  
अलंकारों का जो कि केवल कवि-प्रतिभा के भावात्म्य से अपने आप उपस्थित हो  
जाते हैं । यमक से भिन्न अन्य अलंकारों के विषय में सहृदय-शिरोमणि आचार्य आनन्द-  
वर्धन ने ठीक ही तो कहा था कि—

'अलंकारान्तराणि हि निरूप्यमाणदुर्घटनान्यापि रमणमाहित धेतसः प्रतिभानवतः कवेरह-  
मूर्विकया परार्गतन्ति।'

यदि यदि वे जो-जोतर सज्ज शक्ति तद्गान यो जो न जो-तार उरने नया  
 पदार्थाभ्या रणस्थित होंगे ? इसमें परिशक्ति ने समुल्लसित होने वाले प्रार्थी  
 के स्वभाव को ही ऐसा परिष्कृत विद्यमान रहती है कि उसके आगे दूसरे काव्यों में  
 विद्यमान नाना प्रकार का व्युत्पत्ति-विलास तिरस्कृत हो जाता है । इसमें प्रिचित  
 प्राक्यो का विन्यास शृंगारादि रसों एवं रत्नादि भावों के प्रार्थी को उपभोगनेवाले सहृदयों  
 के हृदयों को आह्वानादि करने वाला होता है । इसमें विद्यमान कवि-कौशल केवल  
 अनुभवगम्य ही होता है । वह स्वनिशायी रूप में केवल सहृदय के हृदय में ही  
 परंपरु रित होता है, जैसे किसी इयत्ता को सोपा में बांध कर अभिव्यक्त नहीं किया  
 जा सकता । जैसे रमणियों के रमणोय लावण्य आदि का सर्वोत्कृष्ट निर्माण करने वाले  
 विधाना का कौशल अनिर्वचनीय होता है जैसे ही सुकुमार काव्य को रचना करने वाले  
 कवि का कौशल भी अनिर्वचनीय ही होता है । इस तरह सुकुमार-मार्ग में रस एवं  
 स्वभाव का ही साम्राज्य रहता है । अलंकारों का वैचित्र्य भी रहता है लेकिन वह यत्न-  
 साध्य न होकर सहज प्रतिभाजन्य होता है । कुन्तल ने इस मार्ग को उपमा विकसित  
 सुकुमार जाने जानने से दी है और इस मार्ग पर विवरण करने वाले कवियों को भूपरी  
 के सदृश निर्माण किया है जिसमें इस मार्ग का कुसुम के सौकुमार्य के सदृश आभिजात्य  
 तथा कवियों का पुष्पमन्द के सदृश नारसंग्रह का व्यसन द्योतित होता है ।  
 आचार्य कुन्तल ने सुकुमार मार्ग का आश्रयण करने वाले कवियों में मालावि मालिदार  
 एवं सर्वसेन आदि का उल्लेख किया है ।<sup>2</sup>

विचित्र-मार्ग :

जैसे सुकुमार-मार्ग में सज्ज सौकुमार्य का प्रमोत्कर्ष विद्यमान रहता है वैसे ही  
 विचित्र-मार्ग में वैचित्र्य की पराकाष्ठा समुल्लसित होती है । यदि सुकुमार-मार्ग में  
 रसस्वभाव और रस का साम्राज्य रहता है तो विचित्रमार्ग में अलंकार का रसाधिपत्य  
 विन्वायी पड़ता है । इसमें कविकौशल अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ होता है ।  
 यदि सुकुमार-मार्ग के अनुग्राहक है, वस्तुस्वभाव और रस तो विचित्रमार्ग का प्राण

1- व. जी. 1/25-29

2- वही, पृ० 71



नै चक्रोक्तिं न चैवैत्र्य । विचित्रमार्गं तन्वाचर को धार नै यगान हे जिस म जानने  
 जाने विदग्ध कवि नवान् चोरो नै मनोरथो के तुल्य है । इस मार्ग में प्रतिभा के  
 प्रथम विकास के समय ही शब्द तथा अर्थ के भीतर वक्रता स्फुटित-सो होने लगती  
 है । कहने का आशय यह कि कविप्रयत्न से निरपेक्ष ही शब्द तथा अर्थ का कोई  
 स्वाभाविक वैचित्र्य झलकने लगता है । इस मार्ग में कविजन किसी एक अलंकार में ही  
 यत्नुष्ट न चोकर उसके सौन्दर्य को और भी अधिक पुष्ट करने में लिए दूसरे अलंकारों  
 का उगमिन्वयन करने हैं जैसे चौदहसे पुस्तकार आदि में पदमादि पणियों को जड़ देता  
 है। इनमें अलंकारों का जो ऐसा अपूर्व साहाय्य विराजता है कि अलंकार्य उसके सौन्द-  
 र्यनिश्चय में अन्तर्निविष्ट होकर प्रकाशित होता है जैसे कि पणियों को स्त्रिणच्छटाओं से  
 डेडीप्यमान अलंकारों द्वारा आद्यदिन मणिनी का शरीर प्रकाशित होता है । विचित्र-  
 मार्ग का यही तो वैचित्र्य होता है कि इसमें लोकोत्तर-सौन्दर्यनिश्चय में युक्त अलंकारों  
 का विन्यास किसी अपूर्व वाक्यवचना को उन्मोलित करता है । इस मार्ग में जिस वस्तु  
 का नवोन रूप में उल्लेख भी नहीं किया जाता, उसे केवल उक्ति-वैचित्र्य ने ही किसी  
 अनिर्वचनीय सौन्दर्य को पराकाष्ठा में पहुँचा दिया जाता है । साथ ही इस विचित्र-  
 मार्ग में श्रेष्ठ काव्य वस्तु में वास्तविक स्वरूप को अपना लोकोत्तर प्रतिभा के बल से  
 परिवर्तित कर प्रकरण के अनुरूप यथा-सर्वि कोई दूसरा ही सहृदय-ह्लादकारी स्वरूप प्रदान  
 कर देता है । और वाच्य-वाचक-वृत्ति से भिन्न व्युत्पन्न किसी अनिर्वचनीय काव्यार्थ  
 की अभिव्यक्ति कराता है । साथ ही पदार्थों का रसनिर्गम अभिप्राय में युक्त स्वरूप किसी  
 लोकोत्तर एवं मनोहारो वैचित्र्य में उत्तेजित करता है । अधिक क्या कहा जाय;  
 वक्रोक्ति अर्थात् अलंकार का वैचित्र्य, जिसके भीतर कोई अलौकिक अतिशयोक्ति परि-  
 स्फुरित होती रहती है, इस विचित्रमार्ग का प्राणभूत दिग्दर्शक पड़ता है । कुन्तक ने  
 जो इस मार्ग की उपमा खड्ग को धार से प्रस्तुत की है उससे इस मार्ग की दुर्गमता  
 और उस पर चलने वाली की कुशलता द्योतित होती है<sup>1</sup> । इस मार्ग का अनुसरण  
 करने वालों कवियों के रूप में कुन्तक ने बाणभट्ट<sup>2</sup>, भवभूति तथा राजशेखर का नामो-  
 ल्लेख किया है ।

1- व. जी. 1/34-43

2- वही, पृ० 71

### मध्यम-मार्ग :

अभी तब यह विवेचन किया जा चुका है कि सुकुमार-मार्ग में सदाज सौकुमार्य एवं शक्तिजन्य चमत्कार प्रधान होता है तथा विचित्र-मार्ग में आहार्य कौशल एवं तन्त्रोक्तिवैचित्र्य का साप्राज्य रहना है । लेकिन मध्यम-मार्ग में, उसके उभयात्मक होने के कारण, सहज एवं आहार्य दोनों प्रकार के कविशैलसे सुशोभित होने वाली, वैचित्र्य एवं सौकुमार्य को संघोर्णना शोभा पाती है । सुकुमार तथा विचित्र दोनों ही मार्गों को सम्बन्धित इसमें समान रूप से प्रतिस्पर्धा के साथ विद्यमान रहने है किसी का न्यूनाधिकत्व नहीं होता । इन दोनों ही मार्गों के माधुर्यादि गुण, जिनका पि आगे उल्लेख किया जायगा, इस मार्ग में दोनों को ही छाया से सम्पन्न मध्यमवृत्ति का आश्रयण कर अपूर्व बन्धसौन्दर्य को प्रस्तुत करते हैं । यह मार्ग सुकुमार सुकुमार विचित्र तथा मध्यम सभी के प्रेमी सहृदयों का मनोहारि होता है । पान्थियों के वैचित्र्य से आह्लादजनक इन मार्गों के आश्रयण से कुछ कमनीय वस्तु के व्यसनी लोग ही काव्य रचना में प्रवृत्त होते हैं जैसे नागर जन अग्राम्य एवं विचित्र शेषभूषा की रचना में सगद्बतर्बुद्धि होते हैं<sup>1</sup> । इस मार्ग से काव्यरचना करने वाले कवियों में कुन्तक ने मानृगुप्त, मायुराज तथा मञ्जोर आदि का नामोल्लेख किया है<sup>2</sup> ।

इस प्रकार आचार्य कुन्तक ने कवि-स्वभाव के आधार पर कवि के सदाज एवं आहार्य कौशल की दृष्टि से सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम तीन मार्गों का निरूपण किया है ।

### मार्गों के गुण :

आचार्य कुन्तक ने जिस प्रकार से मार्गों के विवेचन में अपनी असामान्य मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है वैसे ही उनके गुणविवेचन में भी उनको मौलिकता की अमिट छाप विद्यमान है । यद्यपि गुणों का उल्लेख रामायण, महाभारत, तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि अनेकों ग्रन्थों में मिलता है लेकिन साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम गुणों का विवेचन प्रस्तुत करने वाले आचार्य भरत ही हैं । उन्होने वाचिकाभिनय के प्रसंग में काव्य के दस गुणों का वर्णन किया है । उन्होने गुणों की

1- व.जी. 1/49-52

2- वही, पृ० 71

कीई परिभाषा नहीं दी, किन्तु दोषों का विपर्यय कहा है —

'गुणा विपर्ययादेषा माधुर्यौदार्यनष्णाः'

यहाँ पर विपर्यय का अर्थ विपरीत है । दोषों के विपर्यय के कारण अर्थात् विपरीत स्वभाववाने होने के कारण माधुर्य, औदार्य आदि गुण होते हैं । आचार्य रामानुज के सूत्र 'गुणविपर्ययात्मानो दोषाः' को व्याख्या करते हुए गोपेन्द्र ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'विपर्ययात्मानो' का अर्थ है विपरीत स्वरूप वाले न कि अभाव रूप । परंतु डा० लार्डरो ने इसका 'अभाव' अर्थ करना अधिक समोचोन सज्जा है<sup>4</sup> । और विपरीत अर्थ देने में दो आपत्तियाँ प्रकट की हैं । (1) उनको पहली आपत्ति तो यह है कि 'यदि दोषों के विपरीत गुणों को खोचर किया जाता है तो फिर यह आवश्यक नहीं था कि गुणों का विवेचन किया जाता क्योंकि गुणों का स्वरूप दोषों के स्वरूप विवेचन से ही सरलता से जान लिया जा सकता है था । (2) उनकी दूसरी आपत्ति है कि विपर्यय का विपरीत अर्थ लेने पर माधुर्य और औदार्य का कथन आवश्यक नहीं जब कि अभाव अर्थ लेने पर उनका एक अभिप्राय प्रतीत होता है । लेकिन डा० साहब का यह अभिमत तथा उनकी आपत्तियाँ सर्वथा असमोचोन हैं । उनकी पहली आपत्ति तो अभाव अर्थ लेने पर भी विद्यमान ही रहती है क्योंकि किसी वस्तु का अभाव ज्ञान उसके विपरीत ज्ञान को अपेक्षा कहीं अधिक सरल होता है । अतः अभाव ही अर्थ लेने पर तो गुणों का विवेचन सर्वथा अनावश्यक प्रतीत होगा । साथ ही गुण भाव रूप है अभाव रूप नहीं । दोष और गुण के अतिरिक्त एक अन्य स्थिति भी सम्भव है जो न गुण हो न दोष हो । अतः विपर्यय का अर्थ 'विपरीत स्वभाव' ही लेना ठीक है । ऐसा करने पर यह आवश्यक नहीं रह जाता कि भरत ने द्वारा गिनाये गये श्लेष, प्रसाद आदि दसों गुण उनके अभिमत गूढ़ार्थ, अर्थान्तर आदि दसों दोषों के ठीक विपरीत ही हों। गुण काव्यशोभा के उत्कर्षाघायक तत्त्व हैं और दोष उसके अपकर्षक। श्लेषादि-काव्य में उत्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। अतः वे गुण हैं। भरत का स्पष्ट कथन है कि—

1- ना. शा. 16/95

2- का. सू. वृ० 2/1/1

3- 'विपर्ययात् मानो विपरीतस्वरूपाः न त्वभावरूपाः' इत्यर्थः ।

4-<sup>5</sup> x We should understand by the term 'viparyaya' negation, i.e. absence or 'non-existence' and not opposite" — C.R.G., fn 2, P.22.

5- वही, pp. 22-23

6- वही, p.22 (fn. 2)

'तैमीषिता भुवि विभान्ति हि काव्यवन्धाः

पद्माक्षरा विभान्ति इव राजदंसेः ।।'

इसी दूसरे आपत्ति कि 'विगरोन' अर्थ लेने पर माधुर्य और औदार्य का कथन आवश्यक नहीं, वह भी युक्तिसंगत नहीं। क्योंकि ग्रन्थकारों की प्रायः यह परिगटने-सी रही है कि गुणों के अनेकारादि का विवेचन करते समय 'माधुर्यादयो गुणाः, उष्णमादयश्चालंकाराः' कह देते हैं। इसी लिए भरत ने भी 'माधुर्यौदार्यलक्षणाः गुणाः' कह दिया। अब यदि यह आपत्ति की जाय तो श्लेष का नाम पहले है, 'श्लेषलक्षणाः गुणाः' कहने तो ठीक नहीं। क्योंकि कि ऐसे आपत्ति तब समीचीन ही सकती थी जब वे 'माधुर्यौदार्यलक्षणाः' न कह कर 'माधुर्यादयः गुणाः' कहे होते। परन्तु जो उन्होंने 'माधुर्यौदार्यलक्षणाः' कहा उसके दो ही कारण हो सकते हैं—(1) माधुर्य-गुण की सभी द्वारा स्वीकृति अथवा अनुभूति—उदाहरणार्थ रामायण में— 'माधुर्ये मेये च पथुरम्'

तथा 'अहो गोतस्य पाथुर्यं श्लोकान्त्रयं विशेषतः' इत्यादि के द्वारा तथा महाभारत में—

पाण्डवं प्रत्युवाचेर्दं स्पथन्मधुरया गिरा।'

तथा— 'उवाचवाक्यं मधुरामिधानं पनोहरं वन्द्रमुन्नी प्रसन्ना'

इत्यादि के द्वारा माधुर्य की स्वीकृति रही है। यहाँ तक कि शैलित्य ने लेखगुणों के रूप में नामतः भरतसम्मत केवल माधुर्य और औदार्य का ही उल्लेख किया है—

'अर्थक्रमः, सम्बन्धः, परिपूर्णता, माधुर्यमौदार्यं स्पष्टत्वमिति लेखसम्पत्।'

अतः प्रसिद्धि-वश भरत ने माधुर्य का और उसके साथ ही औदार्य का नामोल्लेख कर दिया।

(2) अथवा यह भी हो सकता है कि माधुर्य और औदार्य के प्रति उनकी अधिक आस्था रही हो जैसा कि उनके इन गुणों के अनेकशः नामोल्लेख से स्पष्ट है<sup>7</sup> इस

1- ना. शा. 16/121

2- रामायण, आलंकार 4/8

3- वही, आलंकार 4/17

4- महाभा०, सभा०, 8/9

5- वही, अनुशासन 32/5

6- अ. शा. 2/10/8

7- 'उदारमधुरैः शब्दैस्तत्कार्यं तु रसानुगम्।' - ना. शा. 16/120

तथा— 'शब्दानुदारमधुरान् प्रमदाभिधेयान्' इत्यादि - वही, आलंकार 4/17

प्रकार इन विवेचन का निष्कर्ष यही रहता कि भरत ने अनुगार गुणस्यत्र से शोभाघायक नत्व है जो कि दोषों के विगरीत स्वभाव वाले होने है । आचार्य भामह ने स्पष्ट रूप से गुणों का कोई विवेचन तो किया नहीं और जो कुछ ~~से~~ माधुर्यादि का विवेचन प्रस्तुत भी किया है उसमें माधुर्यादि को गुण संज्ञा नहीं दी । उन्होंने केवल शक्ति अलंकार को प्रबन्ध विषयक गुण कहा है और अलंकार-प्रकरण में ही माधुर्य आदि को चर्चा भी है । अतः स्पष्ट है कि भामह गुण का व्यवहार अलंकार को संज्ञा के तरे नहीं रखते । इस लिए गुण भी अनुगार हूँ और चूँकि अलंकार काव्य के शोभाघायक नत्व हूँ । आचार्य भरत तथा भामह दोनों ने से किन्हीं ने भी गुणों का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से शब्द, अर्थ, रीति (अथवा मार्ग या संघटना) और रस आदि के साथ स्थापित नहीं किया । आचार्य दण्डी पहले आचार्य हैं जिन्होंने गुणों का सम्बन्ध मार्गों से स्थापित किया । उन्होंने ही सर्व प्रथम यह कहा कि -

४  
'इति वेदर्ममार्गस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः ।'

इस प्रकार गुणों को वेदर्म मार्ग का प्राण कह कर उनकी ~~वैशिष्ट्य~~ वेदर्म मार्ग में नित्य सत्ता खोपार को ~~को~~ प्राण से बिना प्राणों रह ही कैसे सकता है ? ~~ने~~ दण्डी को दृष्टि में भी गुण अलंकार से अभिन्न ही थे, परंतु वे साधारण उपमा आदि अलंकारों से भिन्न असाधारण-कोटि में आने वाले थे <sup>५</sup> । वेदर्म-मार्ग में इनको सत्ता नित्य थी जब कि अलंकारों की सत्ता अनित्य थी । यद्यपि दण्डी ने भी गुणों की शब्दार्थ-गतता का स्पष्ट निर्देश नहीं किया परन्तु उनके माधुर्य-गुण के विवेचन से इस ओर इंगित अवश्य मिलता है । क्योंकि वे माधुर्य गुण को रसवद् कहते हैं और रस की रीति वाणी अर्थात् शब्द तथा वस्तु अर्थात् अर्थ दोनों में स्वीकार करते हैं, इस प्रकार माधुर्य शब्दनिष्ठ तथा अर्थनिष्ठ प्रकारों में दो प्रकार का हुआ । वे स्वयं भी अन्त में कहते हैं-

७  
'विभक्तमिति माधुर्यम् ।'

आचार्य वामन पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य में शरीर और आत्मा को दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत किया । जब कि दण्डी से पूर्व काव्यशरीर और उनके अलंकार का ही विवेचन

1- द्रष्टव्य, भामह काव्या०, 2/1-3

2- वही, 3/53

3- द्रष्टव्य, वही 3/58

4- काव्यादर्श 1/42

5- द्रष्टव्य, वही 2/1 तथा 2/3

6- वही, 1/51

7- वही, 1/68

किया जाता था<sup>1</sup>। यामननेशब्द तथा अर्थ जो काव्यशरीर और रीति ने काव्य को आता  
 रहा<sup>2</sup>। गुण-गुण-परिचय को उन्हो ने रीति कहा<sup>3</sup>। इस प्रकार रीतियों के साथ तो गुणों  
 का सम्बन्ध जोड़ा ही। उसने गण-गण-उन्को ने भरत तथा दण्डी द्वारा स्वीकृत  
 उन्को गुणों को शब्द-गुण तथा अर्थ-गुण के रूप में विभक्त कर सर्वप्रथम प्रस्तुत किया<sup>4</sup>।  
 गण को काव्य में गुणों एवं अलंकारों के सांकेतिक महत्त्व का निरूपण करने हुए उनके  
 शब्द को शोषण किया। उन्को दृष्टि ने गुण काव्य-सौन्दर्य के उत्पादक शब्द  
 और अर्थ के धर्म हैं, फलतः नित्य है। और अलंकार उन गुणों द्वारा उत्पन्न काव्य-  
 शोभा के अनिश्चय को प्रस्तुत करने वाले हैं परिणामतः वे अनित्य हैं<sup>5</sup>। आचार्य रुद्रट  
 ने भी भामह को भी गुणों एवं अलंकारों का कोई विभाग नहीं किया। सारे ग्रन्थ  
 में भी गुणों का विवेचन नहीं है उन्को ने जहाँ कहीं भी गुण शब्द का प्रयोग  
 किया है वह अलंकारों के लिए ही<sup>6</sup>। रुद्रट के अनन्तर आचार्य आनन्दवर्धन ने प्राचीन  
 आचार्यों द्वारा स्वीकृत दस गुणों की (अथवा बीस गुणों की) संख्या को केवल तीन ही  
 रखा जिनका कि उल्लेख भामह ने किया था- माधुर्य, ओजस् और प्रसाद। अभिनवगुप्त  
 का सुस्पष्ट कथन है कि-

'एवम् माधुर्योजः प्रसादा एव त्रयो गुणा उत्पन्ना भामहाभिप्रायेण।'<sup>7</sup>

आनन्द ने गुणों एवं अलंकारों का रसादिध्वनि को दृष्टि से विवेचन किया। रस को  
 काव्य को आत्मा स्वीकार किया तथा गुणों को रसाश्रयता प्रतिपादन की। जब कि  
 अलंकारों को शब्द और अर्थ, जो कि अंगरेख के अंगभूत हैं, उनके आश्रित स्वीकार किया<sup>8</sup>  
 उन्को ने पूर्वाचार्यों के विवेचन पर भी दृष्टिगत किया और इस बातका विवेचन  
 विस्तारपूर्वक किया कि गुण संघटना के आश्रित हैं अथवा संघटना गुण के आश्रित हैं  
 या कि दोनों एक हैं। उनका स्वयं का अभिमत स नोयह है कि संघटना गुणों के  
 आश्रित हैं क्यों कि वे कहते हैं -

1- तैः शरोरञ्च काव्यानामलंकाराश्च दर्शिताः 'काव्यादर्श' 1/10

2- द्रष्टव्य का. मू. वृ. 1/1/1 को वृत्ति तथा 1/2/6 तथा वृत्ति

3- वही, 1/2/7-8

4- द्रष्टव्य वही, 3/1/4 तथा 3/2/1

5- वही, 3/1/1-3

6- द्रष्टव्य, रुद्र. काव्या 011/36 तथा न. झा. की व्याख्या

7- लोचन, पृ 0213

8- ध्वन्या 02/6 तथा वृत्ति

'गुणनाशिव्य निष्ठान्तो गद्युपादीन् व्यानिति वा । रसान्'<sup>1</sup>

अपने अभिमत के अतिरिक्त उन्हो ने दो अन्य अभिमत प्रस्तुत किया है — (1) संघटना और गुण एक रूप है । सम्भवतः यह अभिमत भामह ने विवेचन को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया गया है । यो कि भामह ने माधुर्यादि का विभाजन समास के आधार पर किया है । अतः उनको दृष्टि में अल्पमासा, दीर्घमासा आदि संघटनाओं एवं माधुर्यादि गुणों में अन्तर मान्य न रहा होगा । यद्यपि उन्हो ने न तो माधुर्यादि में गुण की संज्ञा दी है न संघटना की<sup>2</sup> ।

(2) दूसरे अभिमत के अनुसार गुण संघटना से आश्रित है । यह मत आचार्य वापन का रहा है । यो कि उन्हो ने गुण-वन्तो संघटना की रीति कहा है । अतः गुण व्याप्य अथवा आश्रयो है और रीति व्याप्य अथवा आश्रय<sup>3</sup> । फलतः यह बात सिद्ध हो जाती है कि गुण संघटना से आश्रित होने है । वैसे दण्डी ने भी गुणों का आश्रयमार्ग को स्वीकार किया है । परन्तु दण्डी ने मार्गों को पदसंघटना रूप नहीं कहा । आचार्य आनन्द ने इन दोनों ही अभिमतों का खण्डन किया है । उनके अनुसार गुणों के विषय तो रस होते हैं । माधुर्य और प्रसाद का प्रकर्ष करुणविग्रहलम्भा आदि रसों में होता है तथा ओजस्य का प्रकर्ष रौद्रादि में होता है । अतः गुणों के विषय नियत है । लेकिन संघटना के विषय अनियत है । यो कि 'मन्दारकुसुमरेणुगिञ्जरितालगा' जैसी दीर्घमासा रचना शृंगार में भी मिलती है । और 'यो यः शत्रुं विभर्ति' इत्यादि असमासा रचना रौद्रादि में भी उपलब्ध होती है । अतः गुण और संघटना को स्वीकार करने पर संघटना की ही भांति गुणों की भी अनियत-विषयता होने लगेगी, जो कि अभीष्ट नहीं है । इस लिए यद्यपि प्रधानतया संघटना के भी आश्रय रसादि ही हैं तथापि गुणों एवं रसों का नियतसम्बन्ध होने के कारण गुणों को संघटना का आश्रय स्वीकार किया जा सकता है<sup>4</sup> । आनन्दवर्धन ने अनन्तर राजशेखर पामने आते हैं पर दुर्भाषवश राजशेखर को 'काव्यमोमासा' का 'गुण-विवेचन' नामक 17 वीं अधिकरण अप्राप्य है । प्रथम अधिकरण में काव्यगुरुष के रूपक को प्रस्तुत करते हुए उन्हो ने कहा है कि —

1- धन्या 0 3/6

2- भामह, काव्या 0 2/1-3

3- का. सू. वृ 0 1/2/7-8

4- द्रष्टव्य, धन्या 0 पृ 0319-322

'शब्दार्थो ते शरीरम् × अनुप्रासोपपादयश्च त्वानलं चूर्विनि × सनः प्रसन्नो  
मधुर उदार भोजस्यो शरीरि ।'

इस त्रिवेचन में रेखा लगाना है कि राजशेखर आनन्द ने जहाँ कद तक सहमत है ।  
तैत्तिरीय के केवल तीन गुण न मान कर समता और उदारता को भी सम्मिलित कर पाँच  
गुण स्वीकार करने हैं । इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से कुन्तक ने पूर्वजनों आचार्यों  
द्वारा विभिन्न गुणों के आश्रय आदि तथा उनके स्वरूप का संक्षिप्त गिरूपण किया  
गया। आचार्य कुन्तक का गुणविषयक-चिन्तन भी इन पूर्वजनों के गुणविषयक-चिन्तन  
से भिन्न एवं अपूर्व हो है । उन्होने गुणों का सम्बन्ध रस के साथ नहीं स्थापित  
किया और न शब्द अथवा अर्थ के धर्मरूप में तो उन्हें प्रतिष्ठित किया । अलंकार शब्द  
को व्याख्या करने हुए उन्होने कहा है कि अलंकार शब्द शरीर के सौन्दर्यातिशय को  
प्रस्तुत करने के कारण मुख्य रूप में कटक कुण्डल आदि के लिए प्रयुक्त होता है, और  
उसी तरह सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करने के कारण उपचार से उपमा आदि अलंकारों  
और उसके सदृश गुणों के लिए प्रयुक्त होता है<sup>2</sup>। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है  
कि गुण काव्य में सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करने हैं । उन्होने गुणों को मार्गों के  
आश्रित माना है। गुण बन्ध-सौन्दर्य के हेतु होते हैं। साथ ही मार्गों में ये समुदाय  
अर्थात् वाक्य या सम्पूर्ण बन्ध के धर्म होते हैं किसी शब्द अथवा अर्थ के धर्म नहीं  
होते । कुन्तक का अत्यन्त स्पष्ट कथन है कि -

'मार्गेषु गुणानां समुदायधर्मता । यथा न केवलं शब्दादिधर्मत्वं तथा  
तत्तत्क्षणव्याख्यानावसर एव प्रतिपादितम्<sup>3</sup> ।'

आचार्य दण्डी तथा वामन ने जिन गुणों के वैशिष्ट्य से रीतियों अथवा मार्गों का  
वैशिष्ट्य स्थापित किया उनका स्वरूप एक ही था । यद्यपि दण्डी ने गौडीय-मार्ग  
में त्रैदर्श-मार्गों के गुणों का प्रायः विपर्यय स्वीकार किया था । परन्तु जो गुण उभयनिष्ठ  
थे उनके स्वरूप में कोई विभिन्नता नहीं थी । उदाहरणार्थ अर्थ व्यक्त, उदारता और  
समाधि का दोनों ही मार्गों में समानरूप से समादर है । साथ ही अर्थनिष्ठ माधुर्य को  
प्रस्तुत करने वाली अग्राम्यता उभयत्र समान ढंग से प्राणघायक है<sup>4</sup> । वामन के ओजस्

1- का. मी. पृ० 33-34

2- 'अलंकारशब्दः शरीरस्य शोभातिशयकारित्वान्मुखात्तथा कटककुण्डलषु वर्तन्ते तत्कारित्व -  
सामान्यादुपचारदुपमादिषु, तद्वदेव च तत्सदृशेषु गुणादिषु' - व. जी. पृ० 3.

3- व. जी. पृ० 71

4- काव्यादर्श 1/67, 75, 76 तथा 100



और निम्नगुण जिन रूप में गौडोपा ने मान्य के उसी रूप में उनका वर्धनी में भी नामांतर है। माधुर्य और माधुर्य जिस रूप में जनन-वैदर्भी गौडोपा का उत्कर्ष प्रस्तुत करने के उसी रूप में वे वैदर्भी के उत्कर्षाधिकार हैं। जिन आचार्य कुन्तक ने जिन गुणों के वैशिष्ट्य से मार्गी का वैशिष्ट्य व्यक्त किया है वे तारी हो गुण प्रत्येक मार्गी में नामतः एक होने हुए भी स्वरूपतः भिन्न है। माधुर्यादि का जो स्वरूप गुण-मार्गी में साधारण्य का लक्षण है उससे भिन्न माधुर्यादि का स्वरूप विचित्र-मार्गी के वैचित्र्य को परिगृह्य करता है।

आचार्य भरत ने काव्य के (1) श्लेष (2) प्रवाद (3) सयना (4) अपाधि (5) माधुर्य (6) ओजस् (7) प्रवसौकुमार्य (8) अर्थवृत्ति (9) उदारता और (10) सपाधि दस गुणों का वर्णन किया है। जिन आचार्य दण्डी ने भी नामतः इन्हों भरत के उसी गुणों के वैदर्भी-मार्गी के प्राण-रूप में स्वीकार किया किन्तु स्वरूपतः कुछ भेद स्थापित किया। उससे बाद आचार्य वामन ने भी नामतः इन्हों दसों गुणों को स्वीकार किया किन्तु इन्हों ने उनका शब्दगुण तथा अर्थगुण के रूप में द्विविध विभाजन कर उन्हें दोस भाग दिया और इनमें लक्षणों को काफी परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया। आचार्य भामह ने इन आचार्यों द्वारा गिनार गए उक्त दस गुणों में से केवल माधुर्य, प्रवाद और ओजस्-तीनों ही का नामोल्लेख किया है, यद्यपि गुण संज्ञा नहीं दी, यह स्पष्ट किया जा चुका है। आनन्दवर्धन ने भी आगे चल कर भामहाभिमत इन्हों तीन गुणों को स्वीकार किया तथा उस की दृष्टि से उनका ऐसा विवेचन प्रस्तुत किया जो कि प्रायः सभी परवर्ती आचार्यों को मान्य हुआ। यही तब कि आगे चल कर आचार्य मम्मट तथा विश्वनाथ आदि ने वामनाभिमत दसों शब्दगुणों एवं दसों अर्थगुणों का इन्हों तीनों में अन्तर्भाव प्रस्तुत किया। परन्तु आचार्य कुन्तक ने पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत दस गुणों में से केवल माधुर्य और प्रवाद दो गुणों का नामतः उल्लेख किया है।

1- ना. शा. 16/96

2- काव्यादर्श 1/41-42

3- का. सू. वृ. 3/1/4 तथा 3/2/1

4- भामह काव्या 02/1-3

5- ध्वन्या 02/7-10

6- का. प्र. 8/72 तथा वृत्ति

7- मा. द. 8/9-16

उन्होंने चार चार विशिष्ट गुणों का तथा प्रत्येक मार्ग के आधार पर दो गुणों का उल्लेख किया है। इस प्रकार चारों चार कुल छः गुण कुन्तक ने स्वीकार किए हैं। प्रत्येक मार्ग में प्राप्त होने वाले चार विशिष्ट गुण हैं -

(1) माधुर्य (2) प्रसाद (3) लावण्य (4) आभिजात्य तथा दो आधार गुण हैं - (1) औचित्य और (2) सौभाग्य।

अब क्रमशः प्रत्येक गुण के विभिन्न मार्गों में प्राप्त होने वाले स्वरूपों का निरूपण किया जायगा। साथ ही यथावसर पूर्वार्चार्थों के गुणों के साथ तुलना भी प्रस्तुत की जायगी।

### सुकुमार-मार्ग के गुण

(1) माधुर्य-गुण :

यह सुकुमार-मार्ग का प्रधान गुण है। इसकी सुकुमार-मार्ग में उपस्थिति ऐसे पदों के विन्यास से होती है जिनमें प्रचुर समासों का अभाव रहता है। जो सुनने में रमणीय होते हैं। साथ ही जिनका अर्थ भी अत्यन्त रमणीय एवं सहृदयवाहनादकारी होता है। माधुर्य की इस श्रुति-रम्यता की आचार्य भरत ने भी प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार 'जिसके कारण अनेकों बार सुना गया अथवा बार-बार कहा गया भी वाक्य उद्वेग या वैरस्य को उत्पन्न नहीं करता उसे माधुर्य गुण कहा गया है'। साथ ही भरत का सुकुमार अर्थ से संयुक्त सौकुमार्य गुण भी कुन्तक के इस माधुर्य में अन्तर्भूत हो जाता है। आचार्य भरत का कथन है -

'सुखप्रयोज्यैर्यच्छब्दैर्युक्तं सुश्लिष्ट-सन्धिभिः ।

सुकुमारार्थसंयुक्तं साकुमार्यं तदुच्यते ॥ - ना. शा. 16/107

आचार्य भामह ने श्रव्यता के साथ ही साथ अत्यधिक समास के अभाव को भी स्वीकार किया। आचार्य दण्डी ने भामह और भरत की अपेक्षा माधुर्य को नये ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने रसवत्ता को माधुर्य कहा। तथा रस की स्थिति 'शब्द और अर्थ दोनों में मानी। अतः माधुर्य दो प्रकार का हुआ - एक शब्दनिष्ठ और दूसरा अर्थनिष्ठ'। वैदर्भ-मार्ग जिसे

1- व. जी. 1/30

2- 'बहुशो यच्छ्रुतं वाक्यमुक्तं वाऽपि पुनः पुनः ।

नोद्वेजयति यस्मादिद्य तन्माधुर्यमिति स्मृतम् ॥' - ना. शा. 16/105

3- 'श्रव्यं नातिसमस्तार्थं काव्यं मञ्जुरमिष्यते । १' - भामह, काव्या 02/3

4- काव्यादर्श, 1/51 तथा 68

कि दण्डी सर्वश्रेष्ठ खोजकर करते हैं उसमें रहने वाला शब्दानिष्ठ-माधुर्य श्रुत्यनुग्रह के द्वारा आना है क्योंकि वह रसावह होता है और अर्थनिष्ठ-माधुर्य अग्राम्यता के द्वारा आना है क्योंकि कि दो अर्थ में रस का संचार करती है।<sup>2</sup> इस प्रकार दण्डी का शब्दानिष्ठ-माधुर्य आचार्य भरत, भामह और कुन्तक के माधुर्य की श्रव्यता से ही प्रस्तुत करना है। तथा अर्थनिष्ठ-माधुर्य कुन्तक के माधुर्य की अर्थरमणीयता का ग्रन्थ-प्रदर्शक है। आचार्य वामन का माधुर्य शब्दगुण निश्चित रूप से दीर्घ सगानो के अभाव में रहना है।<sup>3</sup> 'नी, वागन घा' उक्तिवैचित्र्य'रूप माधुर्य अर्थगुण सबसे विचित्र<sup>4</sup> है। उक्तिवैचित्र्य को माधुर्यअर्थगुण के रूप में प्रस्तुत करना वामन की अगनी विशिष्ट उद्भावना है। वस्तुतः उक्तिवैचित्र्य तो प्रायः सभी गुणों तथा अलंकारों में रहता ही है। बिना उसके काव्य में हाव्यता हो न आ पायेगी। अतः उसे एक विशेष गुण के रूप में प्रतिष्ठित करना सफोचन नहीं। और यही कारण है कि आगे चल कर किमो भी आचार्य ने वामन के उक्तिवैचित्र्य-लक्षण-माधुर्य-अर्थ-गुण को मान्यता नहीं दी। आचार्य मम्मट ने वामन के इस माधुर्य अर्थ गुण को अनबोद्धत्व दोष का परिहार रूप कहा। सम्भव है कि उन्हें ऐसा कहने की प्रेरणा आचार्य कुन्तक के अधोलिखित कथन से प्राप्त हुई हो। विचित्र मार्ग का निरूपण करते हुए वे कहते हैं कि जिस वस्तु का नवीन उल्लेख नहीं भी होता वह केवल उक्तिवैचित्र्य के माध्यम से ही सौन्दर्य की पराकाष्ठा पर पहुँचा दी जाती है —

'यदप्यनूतनोत्तरेषु वस्तु यत्र नदप्यलम् ।

उक्तिवैचित्र्यमात्रेण काष्ठां कामणिं नोपते ॥'<sup>5</sup>

परन्तु सबसे बड़ा आश्चर्य तो डा० राघवन के उस कथन पर होता है जब कि कुन्तक के माधुर्य गुण में 'उक्तिवैचित्र्य'को विशिष्ट उद्भावना अपने आप बिना किसी आधार के कर बैठते हैं। माधुर्य गुण को लक्षण कारिका अथवा उसकी वृत्ति में क्यों भी कुन्तक

1- काव्यादर्श 1/52 ~~तथा-तथा~~

2- वही, 1/62 तथा 64

3- का.सू. वृ. 3/1/21 तथा वृत्ति

4- वही, 3/2/11

5- व.जी 1/38

'रसनिर्वैचित्र्य' को नहीं प्रस्तुत करते । डा० माह्व को सम्मयनः गदो के सन्निवेश वैचित्र्य ने 'रसनिर्वैचित्र्य' का ग्रहण तो गया है और उन्होने तुरन्त स्वयं वामन के माधुर्य अर्थ गुण के ऐक्यपूर्ण स्थापित कर दिया है<sup>1</sup> । आचार्य आनन्द ने तो रस की दृष्टि से माधुर्यादि का विवेचन प्रस्तुत किया है । अतः वाक्यविन्यास का वैचित्र्य उनके माधुर्य विवेचन का विषय नहीं । हाँ, आगे चल कर पम्पट आदि ने मध्यमसमासा अथवा असमासा संघटना को निश्चित ही माधुर्य रस की व्यञ्जिता स्वीकार किया है<sup>2</sup> ।

## (2) प्रसाद गुण :

सुकुमार मार्ग से प्राप्त होने वाले प्रसाद गुण को प्रस्तुत करने है असमस्त पद जिनको अभिधानता प्रसिद्ध होती है जो तत्काल अर्थ का प्रतिगदन कर देते हैं । यदि उनमें समास का प्रयोग होता भी है तो केवल गमक समासों का ही । गदो का परस्पर सम्बन्ध बिना किसी व्यवधान के ही होता है । इस प्रसाद गुण के विषय जसस्त अलंकार तथा सारे रस होने हैं । सर्वत्र इसकी उपलब्धि होती है<sup>3</sup> । प्रसाद गुण को इस 'ज्ञगिति अर्थसंपर्गिष्ठा' का निरूपण<sup>4</sup> आचार्य भरत,<sup>5</sup> भामह,<sup>6</sup> दण्डी,<sup>7</sup> वामन,<sup>8</sup> तथा आनन्द वर्धन सभी ने एक स्वर से किया है । हाँ, वामन का केवल प्रसाद अर्थ गुण ही इस कोटि के अन्तर्गत

1- "The guna called 'Madhurya' applies both the S'abda and Artha and comprises Asamastepadatra, S'ntiranyatva<sup>a pad</sup> and Uktivaicitrya" —  
Sri. Pra. - P. 350

तथा "The third becomes the Uktivaicitrya which is the Arthaguna Madhurya of Vamana." —  
Ibid. - P. 351

2- का. प्र. 8/74 तथा वृत्ति

3- व. जो. 1/31 डा० लाहिरी ने 'रस-वक्रोक्तिविषयम्' का जो अर्थ अपने प्रबन्ध में प्रस्तुत किया है वह सर्वथा असमीचीन है । उनका अर्थ है कि प्रसाद गुण में रस और वक्रोक्ति एक गहनत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं — ("where Rasa and Vakrokti are playing an important part." — C. R. G., P. 132) और यही कारण है कि पादटिप्पणी में इसके विषय में उन्हें बहुत कुछ कहना पड़ा ।

"It will appear from Kuntaka's exposition (Vakroktih Sakalalaukara samanyam) that

आता है । उनका प्रवाद शब्द गुण तो स्वतः अस्पष्ट एवं अमान्य है । उन्हो ने  
वच्य को शिथिलता को प्रवाद न्या है जब कि व शथिल्य,ओजोभिश्चित होता है ।

(शेष गिणो ष्ट म)

*the term Vakrokti as used here is only a  
symbol for poetic figures and it is idle  
to read in it its usual all-encompassing  
character for when it has been already  
enjoined that no poetry is charming with-  
out Vakrokti, there is no point in advocating its  
presence in connection with a particular genre.*  
(Ibid to 22, P.132)

वस्तुतः कुन्तक ने प्रवाद गुण में वक्रोक्ति के रहने को यहाँ कोई वकालत को ही नहीं।  
उन्हो ने यह तो कहा ही नहीं कि रस और वक्रोक्ति प्रवाद गुण में एक महत्त्वपूर्ण  
भूमिका प्रस्तुत करते हैं बल्कि उनके कहने का आशय तो यह है कि प्रवाद गुण के  
विषय सभी रस और सभी अलंकार होते हैं । अर्थात् प्रवाद गुण सर्वत्र साधारण है-  
जैसा कि आनन्दवर्धन आदि ने भी स्वीकार कर रखा है । कुन्तक की वृत्ति है -

'रसाः शृंगारादयः , वक्रोक्तिः सकलालंकारनामान्यं, विषयो गोचरो यस्य तत्तथोक्तम्।'

स्पष्ट ही डा० साहब के भ्रम का मूल बहुव्रीहि समास के <sup>स्थान</sup> सीत्त रर तत्पुरुष समास  
समझ बैठना है जो कथमपि समीचीन नहीं । वक्रोक्ति कह देने से मारे अलंकारों में  
अथवा डा० साहब के ही अनुसार समग्र काव्य में प्रवादगुण की स्थिति स्वीकृत हो  
जाती है ।

4- ना. शा. 16/99

5- भामह, काव्या० 2/3

6- काव्यादर्श, 1/45

7- का. सू. वृ. 3/2/3

8- धन्या० 2/10

क्यों कि ऐतन् शशित्य तो ओजस् का विपर्यय होने के कारण दोष होता है । इस गुण को निर्गन्त हो सिद्ध करने के लिए वामन ने काफ़ी वर्णन ही है । परन्तु उसका स्वरूप वे अधिक स्पष्ट नहीं कर सके । ओजस् और प्रसाद के मिश्रण की संभावना को सिद्ध करने हुए उन्हो ने कहा है कि—

'रु प्रेषणीयेषु सम्पन्नवः सुषुदुःखयोः ।  
यथानुभवतः सिद्धस्तथैवान्नः प्रसादयोः ॥'<sup>2</sup>

परन्तु ऐसा कहने पर भी उस गुण का कुछ गहो स्वरूप वामन स्पष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि आचार्य जेजयन्द्र ने तो इस दृष्टान्त को ही असिद्ध घोषित कर दिया है । 'सैव दृष्टान्तस्यैव नावर्तमानिद्यः । दृष्टान्तवि<sup>दा</sup>तस्य दा<sup>ष्ट</sup>ान्तिकमापे<sup>3</sup> प्रनिहन्ति—इत्यादि । अत्यधिक समासों के प्रयोग का भी निषेध भामह ने किया है । उनका कहना है कि माधुर्य और प्रसाद को चाहते हुए गेषावोजन बहुत अधिक समासयुक्त पदों का प्रयोग नहीं करते<sup>4</sup> । रही इस गुण के विषय की बात, उसके समस्त रसों तथा समस्त रचनाओं में साधारण होने की बात आनन्दवर्धन कह चुके थे —

' स च सर्वरससाधारणोगुणः सर्वरचनासाधारणश्च, व्यंग्यार्थापेक्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितो<sup>5</sup>  
मन्तव्यः ।,

### (3) लावण्य गुण :

उपर्युक्त माधुर्य और प्रसाद गुण तो प्रायः सभी आचार्यों द्वारा मान्य रहे । हाँ उनके स्वरूपों में कुछ अन्तर अवश्य रहा । परन्तु इन दो गुणों के अतिरिक्त जिन चार गुणों को कुन्तक ने प्रस्तुत किया है उन्हें अन्य किसी आचार्य ने इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया । उनमें से पहला गुण लावण्य है । वर्णों के विचित्र विन्यास की शोभा से उत्पन्न पदों के विशिष्ट संयोजन के सौंदर्य से उपलब्ध होने वाली वाक्यविन्यास की रमणीयता को लावण्य गुण कहते हैं । परन्तु वर्णों का वह विशिष्ट संयोजन अत्यन्त

1- का.सू. वृ 3/1/6-8

2- वही, पृ० 31-

3- <sup>हेम.</sup>सामह काव्यानुशासन, पृ० 277

4- भामह, काव्या० 2/1

5- छ. पृ० 213

वाग्रहपूर्वी निर्गमन नहीं होना चाहिए। इस तरह शब्द एवं अर्थ को सुकुमारता से मनोहारि वाच्यद्विजाय का वाचात्म्य लावण्य गुण कहा जाता है<sup>2</sup>। लावण्य गुण को प्रस्तुत करने वाले इन वाच्यद्विजाय के गुणों में अनिर्वचनीय एवं सहृदयसहृदयसंवेद्य माना है<sup>3</sup>। अतः इस गुण का स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट नहीं होता।

#### (4) आभिजात्य :

गुण के अनुसार आभिजात्य गुण उसे कहते हैं जिसकी कान्ति स्वभावतः श्लेषण (गोमल) होती है। जो गुण में अत्यन्त रमणीय होता है। और मन के द्वारा जिसका अर्थ-वा किया जाता है। कहने का आशय यह कि उस रचना में आभिजात्य गुण स्वीकार किया जायगा जिसके गुणों में श्रवणेन्द्रिय एवं हृदय को अर्घ्य अर्शिसुन्द का प्राप्त होना है जिसका कि केवल अनुभव ही किया जा सकता है, वाणी द्वारा उसे व्यक्त कर सना असम्भव है<sup>4</sup>। अतः का यह आभिजात्य गुण आचार्य भरत के कान्ति गुण को प्रस्तुत करता है जिसे कि उन्होने बद्धमा को तरह अन्तरिन्द्रिय मन और श्रवणेन्द्रिय को आह्लादिन करने वाला बताया है<sup>5</sup>। साथ ही वामन का सौकुमार्य शब्द गुण भी इसी में अन्तर्भूत है। उन्होने अजरठत्व को सौकुमार्य कहा है और अजरठत्व का अर्थ गोपेन्द्र ने दिया है कोमलता अर्थात् श्रवणसुखता।—'अजरठत्वं कोमलत्वं श्रुति सुखत्वमिति यावत्<sup>6</sup>।'

1- व. जी. 1/32

2- 'नदयमत्रार्थः -शब्दार्थसौकुमार्यसुभगः सन्निवेशमहिमा लावण्याद्यो गुणः कथ्यते।'

-व. जी., पृ० 54

3- 'अत्र सन्निवेशसौन्दर्यमहिमा सहृदयसंवेद्यो न व्याग्देष्टुं पार्यते।-वही', पृ० 54

4- व. जी. 1/33 तथा वृत्ति

5- 'यन्मनः श्रेयविषयमाह्लादयति हीन्दुवत्।'

लीलाद्वयार्थोपपत्ती वा ती कान्तिं कवयो विदुः।?'-ना शा. (16/112)

6- का. सू. वृ. 3/1/22 तथा उस पर गोपेन्द्र की टीका।

### विचित्रमार्ग के गुण :

अभी जिन चार गुणों का उल्लेख सुकुमार<sup>1</sup> मार्ग के गुणविवेचन में किया गया नामतः वे ही चार गुण विचित्र मार्ग से भी प्राप्त होते हैं परन्तु उनका स्वरूप सुकुमारमार्ग के गुणों के स्वरूप से विशिष्ट है। कुन्तक का स्पष्ट कथन है कि विचित्र मार्ग में सुकुमार मार्ग के गुणों में ही कोई आर्व अतिशय उत्पन्न कर दिया जाता है और यह अतिशय कवियों के आचार्य कौशल को शोभा से उपस्थित होता है।<sup>1</sup>

#### (1) माधुर्य :

विचित्र मार्ग पदों का माधुर्य वैचित्र्य का समर्पक होता है। उसमें शिथिलता का अभाव रहता है और वह समग्र बन्धसौन्दर्य का कारणभूत सिद्ध होता है।<sup>2</sup> कुन्तक का यह माधुर्य गुण आचार्य दण्डी के श्लेषगुण को प्रस्तुत करता है। क्योंकि शैथिल्य के अभाव को उन्होंने ने श्लेष कहा है।<sup>3</sup> साथ ही वामन के 'गाढबन्धत्व' रूप ओजस् शब्द गुण का भी अन्तर्भाव इसी में हो जाता है।<sup>4</sup>

#### (2) प्रसाद :

आचार्य कुन्तक ने प्रतिपादित किया है कि कवियों ने समासरहित पदविन्याय को प्रसाद गुण स्वीकार किया है। यद्यपि सपासाभाव का स्पष्ट निर्देश केवल भामह ने ही किया है। तथापि सुबोध पदों के प्रयोग की बात अभी कर ने लही है अतः समासाभाव को प्रसाद गुण के लक्षण रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हाँ, ओजस् को समासयुक्तता<sup>5</sup> भरत,<sup>6</sup> भामह,<sup>7</sup> दण्डी, तथा आनन्दवर्धन आदि सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। कुन्तक का कहना है कि विचित्रमार्ग का प्रसाद गुण कुछ कुछ ओजस् का स्पर्श करता हुआ दिखे।

1- 'एवं सुकुमारविहितानामेव गुणानां विचित्रे कश्चिदतिशयः सम्पाद्यत इति बोद्धव्यम्'-

आभिज्ञान यप्रभृतयः पूर्वमार्गोदिता गुणाः ।

अत्रातिशयमायान्ति जनिताहार्यसम्पदः । <sup>व.जी.,</sup> -~~यज्ञो.~~ पृ० 69

2- व.जी. 1/44

3- 'श्लिष्टमस्पृष्टशैथिल्यम्'-काव्यादर्श 1/43

4- 'गाढबन्धत्वमोजः - का सू. वृ० 3/1/5

5- समासवदिर्भुवीप्रित्रैश्च पदैर्यतम् ।

सानुरागरुदारैश्च तदोजः परिकीर्त्यते ।।-ना. शा. 16/105

6- केचिदोजोऽभिधितसन्तः समस्यन्ति बहून्यपि-भामह, काव्या० 2/2

7- ओजस्समासभूयस्त्वम् -काव्यादर्श 1/80

8- तत् प्रकाशनपरः शब्दो दीर्घसमासरचनालंकृतं वाक्यम् । ख. पृ० 209



पड़ता है । कहने का आशय यह कि सुकुमार मार्ग के प्रसाद गुण की ही भाँति पदों की प्रसिद्ध अभिधानता, उनका विना किसी व्यवधान के परस्पर सम्बन्ध विचित्र मार्ग के प्रसाद गुण में भी विद्यमान रहता है । अन्तर केवल यह होता है जहाँ सुकुमार मार्ग में असमस्त पदों का अनोहर विन्यास होता है वहाँ इस विचित्र मार्ग में कुछ कुछ दीर्घसमासों का भी प्रयोग होता है<sup>2</sup> । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वामन के अनिश्चित पूर्वार्थों द्वारा स्वीकृत ओजस् गुण का अन्तर्भाव कुन्तक ने अपने विचित्र मार्ग के प्रसाद गुण में किया है।<sup>1</sup> बल्देव उपाध्याय ने लिखा है कि — '(कुन्तक द्वारा स्वीकृत विचित्र मार्ग का) यही प्रसाद है जो वामन के अनुसार ओज का ही दूसरा नाम है— (गाढबन्धत्वमोजः — वामन 3 1/5)<sup>3</sup> ।' परन्तु उपाध्याय जी का यह कथन कथमपि समीचीन नहीं प्रतीत होता । वामन का 'गाढबन्धता' से आशय समासबाहुल्य से नहीं है बल्कि शैथिल्य के अभाव से है । बन्ध के शैथिल्य को प्रसाद कहते हुए इस बात का उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया है कि ओजस् गुण शैथिल्य का विपर्यय रूप है— 'नन्वयमोजो विपर्ययात्मा दोषस्तत्कथं गुण इत्याह — गुणः सम्प्लवात् । ×× न शुद्धः । शुद्धस्तु दोष एवेति<sup>4</sup> ।' इसी लिए वामन के इस ओजस् शब्द गुण का अन्तर्भाव ऊपर कुन्तक द्वारा शैथिल्याभाव रूप इन्तस में स्वीकृत प्राधुर्य में दिखलाया गया है । साथ ही डॉ० राघवन आदि ने यहाँ यह भी निर्देश किया है कि कुन्तक ओजस् और प्रसाद के सम्प्लव की बात करते हुए वामन का अनुसरण करते हैं<sup>5</sup> । परन्तु यह कथन समीचीन नहीं । क्यों कि कुन्तक ने पहले तो अलग से कोई ओजस् गुण माना ही नहीं जैसा कि वामन ने प्रसाद में भिन्न रूप में स्वीकार किया था अतः इनके प्रसाद लक्षण में वामन ने प्रसाद लक्षण की अस्पष्टता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात जिसका कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है कुन्तक प्रसाद के द्वारा केवल असमस्त पदन्यास तथा ओजस् के द्वारा समस्त पदन्यास मात्र का प्रतिपादन करते हैं । अतः जहाँ इन दोनों के सम्प्लव की बात आती है वहाँ वामन की अपेक्षा कुन्तक का मन्तव्य अत्यन्त स्पष्ट एवं युक्तिसंगत प्रतीत होता है ।

1- व. जी. 1/45

2- 'तद्व्यमत्र परमार्थः—पूर्वस्मिन् प्रसादलक्षणे सत्योजस्पर्शमात्रमिदं विधीयते- वदो पृ० 67

3- भा. सा. शा. भाग 2, पृ० 190

4- द्रष्टव्य का सू. वृ. 3/1/6 -8 तथा वृत्ति

5- "Kuntaka follows Vāmana here who speaks of Ojah prasādasamplava"— Sri Pra. P. 359.

सुकुमार मार्ग के प्रसाद की पारी विशेषतः इसमें विद्यमान रहती है अन्तर केवल इतना होता है कि वही सर्वथा असमस्त पदों का अथवा गमक-समास-युक्त पदों का प्रयोग ही अभीष्ट होता है जब कि यही गमक-समास-युक्त पदों के साथ साथ कुछ कुछ दीर्घसमासयुक्त पदों का भी प्रयोग अभीष्ट है । सर्वथा असमस्तता अनभीष्ट है ।

कुन्तक ने प्रसाद गुण का एक दूसरा भी लक्षण दिया है । उसके अनुसार जहाँ कवि एक वाक्य में उसके वाक्यार्थ के सन्निविष्ट समर्पक बहुत से वाक्यों की पदों की भाँति परस्पर अन्वित रूप में सन्निविष्ट करता है वही भी प्रसाद गुण ही होता है जिसके द्वारा कोई दूसरा ही बन्धसौन्दर्य नमुल्लसित होता है । यह कुन्तक की अपनी उद्भावना है । यद्यपि वामन ने ओजस अर्थ गुण के एक प्रकार रूप में अर्थ की 'व्यास' रूप प्रौढता स्वीकार की है जिसमें एक ही वाक्यार्थ का अनेकों वाक्यों में विस्तार होता है परन्तु उसके सौन्दर्य एवं स्वरूप से कुन्तक द्वारा स्वीकृत इस प्रसादगुण के सौन्दर्य एवं स्वरूप में पर्याप्त अन्तर है । वामन द्वारा स्वीकृत व्यास में जैसा कि मम्मट ने कहा है केवल उक्ति-वैचित्र्य है उसके द्वारा उत्पन्न किया गया बन्ध का कोई स्पृहणीय उत्कर्ष नहीं दिखाई पड़ता जब कि कुन्तक द्वारा स्वीकृत प्रसाद गुण में स्पष्ट ही कविकौशल अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ दिखाई पड़ता है और गहृदयों को अच्छी तरह आह-लादित करने में समर्थ है ।

### (3) लावण्य

कुन्तक ने सुकुमार मार्ग के लावण्य का लक्षण प्रस्तुत करते समय बताया था कि उसमें वर्णों के विन्यास एवं पदों के विशिष्ट संयोजन से उत्पन्न सहज सौन्दर्य से बन्ध की रमणीयता प्रकृष्ट हो जाती है । इस विचित्र मार्ग के लावण्य में उससे कुछ अतिरेक होता है और यह अतिरेक उन पदों के प्रयोग से आता है जो परस्पर संश्लिष्ट होते हैं जिनके अन्त में विसर्गों का लोप नहीं हुआ रहता है और जिनमें संयोग से पूर्व इस्व वर्णों का प्रयोग रहता है<sup>4</sup> । यह भी कुन्तक की अपनी ही उद्भावना है । डा० नगेन्द्र

1- व. जी. 1/46

2- द्रष्टव्य का. सू. वृ. 3/2/2 तथा वृत्ति

3- का. प्र. पृ० 396

4- व. जी. 1/47

ने लिखा है कि - 'वास्तव में यह गुण भी विचित्रमार्ग के प्रसाद गुण की ही कोटि का है। रचना का रूप दोनों में मूलतः भिन्न नहीं है।' पता नहीं डा०साहब का यहाँ 'कोटि' शब्द से क्या अभिप्राय है। परन्तु उनका यह कथन कि 'दोनों में रचना का रूप मूलतः भिन्न नहीं है - 'सर्वथा अयमीचीन है। विचित्र मार्ग के प्रसाद के दोनों ही लक्षणों में कुन्तक ने कहीं भी ऐसे पदों के प्रयोग का निरूपण नहीं किया जिनसे अन्त में विसर्ग का लोप नहीं हुआ रहता तथा जिनमें संयोग में म्पूर्व इस्व वर्णों का प्रयोग रहता है। जब कि विचित्र मार्ग के लावण्य गुण में इन्हीं तत्त्वों के कारण सुकुमार मार्ग के लावण्य गुण की ओझा अनिरेक की सृष्टि होती है। हाँ, जैसा डा०रायवन ने निर्देश किया है इसे प्राचीन वामनादि आचार्यों द्वारा स्वीकृत श्लेष और ओजस् का संयुक्त रूप यथाकथंचित् स्वीकार किया जा सकता है<sup>2</sup>।

#### (4) आभिजात्य :

सुकुमार मार्ग के आभिजात्य गुण को कुन्तक ने स्वभावतः मसृण कान्ति से युक्त बताया था किन्तु विचित्रमार्ग के आभिजात्य गुण के विषय में उनका कहना है कि वह न तो अधिक मसृण(कोमल)कान्तिवाला ही होता है और न उसमें अधिक कठोरता ही विद्यमान रहती है। इसकी कान्ति दोनों की मध्य-वर्तिनी होती है जो मनोहारिणी होती है और जिसका सम्पादन कवि के समग्र कौशल द्वारा किया जाता है। कहने का आशय यह है कि कविकौशल की प्रौढता उसमें साफ झलकती रहती है<sup>3</sup>।

#### मध्यम मार्ग के गुण :

मध्यम मार्ग का स्वरूप निरूपण करते हुए कुन्तक ने कहा है कि इस मार्ग में सुकुमार तथा विचित्र दोनों ही मार्गों के माधुर्य, प्रसाद लावण्य और आभिजात्य गुण दोनों ही मार्गों की छाया से सम्पन्न मध्यम वृत्ति का आश्रयण कर अपूर्व बन्धसौन्दर्य की प्रस्तुत करते हैं —

1- भा.का.भू. भाग 2, पृ० 365

2- द्रष्टव्य, प्र. पृ० 352-353

3- व.जी. 1/48

‘ माधुर्यादिगुणग्रामो वृत्तिपाश्रित्य मध्यगाम् ।

यत्र कापि प्रुणाति बन्धुयातिस्वितताम् ॥ ’ .

इसी लिए मध्यम मार्ग के गुणों के कोई अलगा से लक्षण नहीं प्रस्तुत किए गए। कुन्तक ने प्रत्येक गुण के केवल उदाहरण दे दिए हैं। यही गुणों की रचना में भी कवि की सहज प्रतिभा और आचार्य कौशल का मञ्जुल मामञ्जस्य विद्यमान रहता है ।

### तीनों ही मार्गों के साधारण गुण

इस प्रकार प्रत्येक मार्ग के सास्-चार विशिष्ट गुणों का विवेचन कर कुन्तक ने तीनों ही मार्गों में साधारण रूप से विद्यमान रहने वाले दो गुणों का विवेचन प्रस्तुत किया है । वे हैं—औचित्य और सौभाग्य । इनमें से औचित्य की केवल गुण रूप में स्थापना ही कुन्तक की अपनी उद्भावना है । अन्यथा औचित्य का विवेचन अथवा काव्य में उसकी महत्ता का निरूपण कुन्तक के पूर्ववर्ती अन्य आचार्यों ने भी कर सखा था। इस का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा । सौभाग्य गुण की कल्पना साहित्यशास्त्र में कुन्तक की नितान्त मौलिक उद्भावना कही जा सकती है । अब कुन्तक के अनुसार इन गुणों का स्वरूप निरूपण किया जायगा ।

#### (1) औचित्य गुण :

कुन्तक ने औचित्य गुण के दो लक्षण प्रस्तुत किए हैं । प्रथम लक्षण के अनुसार जिस उन्नितवैचित्र्य के द्वारा स्वभाव (अथवा पदार्थ) का उत्कर्ष भलीभांति सुस्पष्ट ढंग से परस्फुटित होता है तथा उचित कथन ही जिसका प्राण होता है उसे औचित्य गुण कहते हैं<sup>2</sup> । इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने अधोलिखित श्लोक उद्धृत किया है—

हे नागराज ! बहुधास्य नितम्बभागं

भोगेन गाढमभिवेष्टय मन्द्रराद्रेः ।

सोढाविषह्यवृषवाहनयोगलीली—

पर्यङ्कबन्धनविधेस्तव कोऽति भारः<sup>3</sup> ॥

1-व. जी. 1/50

2- 'आञ्जसेन स्वभावस्य महत्त्वं येन घोष्यते ।

प्रकारेण तदौचित्यमुचिताख्यानजीवितम् ॥ — वही, 1/53

3-उद्धृत व. जी. पृ० 72-73

कोई वक्ता पागरमन्थन के समय मन्दराचल को अच्छी तरह लपेटने के लिए शेषनाग से कह रहा है कि 'हे नागराज ! इस मन्दर पर्वत के नितम्ब भाग को आप मली भाँति कस कर जकड़ लीजिए । भगवान शंकर को योग लीला में पर्यकबन्धन की असह्य विधि का सहन कर लेने वाले आप के लिए (यह मन्दर) कौन बड़ा बोझ है।'

यहाँ पर कवि ने ए नागराज के जिन स्वरूप का वर्णन किया है उससे औचित्य अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ दिखायी देता है । इस प्रकार यह औचित्य कभी अलंकारों के सम्यक् परिपोष में कभी रस के और कभी स्वभाव के सम्यक् परिपोष में प्रकाशित होता है ।

दूसरे लक्षण के अनुसार — जहाँ वक्ता अथवा श्रोता के सौन्दर्यातिशयसम्पन्नस्वभाव के द्वारा अभिधेय वस्तु आच्छादित हो जाती है वहाँ भी औचित्य गुण विद्यमान रहता है । इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने महाकवि कालिदास का यह पद्य उद्धृत किया है—

'शरीरमात्रेण नरेन्द्र ! निरुन्नाभिसि तीर्थप्रतिपादितदिर्गः ।

आरण्यकोपात्तफुलप्रसूतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः ॥'

विश्वजित् यज्ञ में सर्वस्व दान कर देने वाले महाराज रघु से गुरुदक्षिणा के निमित्त याचना करने के लिए आर्य हुए वरतन्तु के शिष्य कौत्स का कथन है कि 'ऐ नरेश ! सत्पात्रों को अपनी सारी सम्पत्ति दान देकर केवल शरीर से स्थित रहते हुए आप उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि आरण्यको द्वारा उत्पन्न फलों के ग्रहण कर लेने के अनन्तर केवल डँठल रूप से बचा हुआ नरेन्द्र सुशोभित होता है ।' यहाँ पर राजा की जो नीवार के साथ उपमा प्रस्तुत की गई है वह कौत्स के अपने अनुभव विद्वध व्यवहार द्वारा प्रस्तुत की गई है अतः औचित्य का सम्यक् परिपोष रहा है । इस उपमा को प्रस्तुत करने के कारण वक्ता कौत्स का अपना ही स्वभाव सर्वातिशायी रूप में प्रस्फुटित हो उठता है जिससे कि अभिधेय वस्तु आच्छादित-सी हो जाती है । अतः औचित्य गुण का सम्यक् परिपोष यहाँ विद्यमान है ।

1- 'यत्र वक्तुः प्रमातुर्वास्वाच्यं शोभातिशायिना ।

आच्छाद्यते स्वभावेन तदप्यौचित्यमुच्यते ॥—व. जी. 1/54

## (2) सौभाग्य गुण

आचार्य कुन्तक ने जिस ढंग से सौभाग्य गुण को प्रस्तुत किया है उससे वह अनिर्वचनीय, केवल सहृदय-हृदयसंवेद्य ही सिद्ध होता है। उनका कहना है कि काव्य के जितने शब्द, अर्थ आदि उपादेय तत्त्व हैं उनके समुदाय में से जिसके निमित्त कवि को शक्ति बड़ी ही सावधानी के साथ व्यवसाय करती है उसका गुण सौभाग्य होता है। वह सौभाग्य गुण केवल कवि-शक्ति के संरम्भ-मात्र से सम्पाद्य नहीं है बल्कि काव्य के जितने भी उपादेय तत्त्व हैं उन सब की सम्पत्ति के परिस्फुरण द्वारा सम्पाद्य है। उसके द्वारा सरसहृदय लोगों के चित्त में लाकोत्तर चमत्कार की सृष्टि होती है। अधिक क्या कहा जाय वही काव्य का एकमात्र प्राण होता है<sup>1</sup>।

आचार्य कुन्तक ने तीनों ही मार्गों में इन दोनों गुणों को काव्य के प्रत्येक अवयव में व्यापक रूप से रहने वाला बताया है। क्या पद, क्या वाक्य क्या प्रबन्ध सर्वत्र इनका साम्राज्य समुत्लसित होता रहता है<sup>2</sup>। पद की बात तो दूर रही वर्णों तक इस औचित्य और सौभाग्य गुणद्वय की व्यापकता रहती है। औचित्य की हानि यदि पद के एक देश, वाक्य, वाक्य के एकदेश, प्रबन्ध अथवा उसके एकदेश किसी प्रकरण में भी हुई तो सहृदयों को आह्लादानुभूति नहीं होती। प्रबन्ध का यदि एक भी प्रकरण औचित्य से हीन हुआ तो सारा का सारा प्रबन्ध उसी प्रकार दूषित हो जाता है जैसे कि सी एक कपड़े का यदि कोई हिस्सा जल गया तो सारा कण्डी जला हुआ दूषित मान लिया जाता है<sup>3</sup>। इसी प्रकार सौभाग्य गुण भी पद वाक्य-प्रकरण तथा प्रबन्ध प्रत्येक के सम्पूर्ण अवयव में व्याप्त होकर प्रतिष्ठित रहता है। वह काव्य में अनेक रसों के आस्वाद में रमणीय एवं लोकोत्तर चमत्कार को उत्पन्न करने वाला होता है। वस्तुतः वह काव्य का प्राणभूत

1- इत्युपादेयवर्गेऽस्मिन् यदर्थं प्रतिभा कवेः ।

सम्यक् संभते तस्य गुणः सौभाग्यमुच्यते ॥'- व. जी. 1/55

xxx तच्च न प्रतिभासंरम्भमात्रसाध्यम्, किन्तु तद्विहितसमस्तसामग्रीसम्पाद्यमित्याह--

सर्वसम्पत्परिस्थन्दसम्पाद्यं सरसात्मनाम् ।

अलौकिकचमत्कारकारि काठयैकजीवितम् ॥-वही, 1/56

2- 'एतत्त्रिष्वपि मार्गेषु गुणद्वयतयमुज्ज्वलम् ।

पदवाक्यप्रबन्धानां व्यापकत्वेन वर्तते ॥'-वही, 1/57

3- 'वाक्यस्याप्येकदेशेऽप्यौचित्यविरहात् तद्विवाह्लादकारित्वहानिः । xxx प्रबन्धस्यापि क्वचित् प्रकरणैकदेशेऽप्यौचित्यविरहादेकदेशदाहदूषितदग्धपटप्रायता प्रसज्यते ।'-

-वही, पृ० 76

होता है, अनिर्वचनीय होता है सहृदय केवल उनका अनुभव कर सकते<sup>1</sup> है। इसकी केवल सहृदयगोचरता का अन्यत्र भी निर्देश कुन्तक ने कविव्यापार वक्रता को प्रस्तुत करते समय किया है। उनका कहना है कवि व्यापार वक्रता ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा सरस्वती किसी सहृदयैकगोचर अनिर्वचनीय सौभाग्य को प्राप्त हो जाती है —

'यस्मात् किमपि सौभाग्यं तद्विददाप्तेव गोचरम् ।

सरस्वती समभ्येति तदिदानीं विचार्यते<sup>2</sup> ।।'  
कुन्तक के विवेचन को समझना एवं निष्कर्ष —

इस प्रकार कुन्तक कृत मार्गों एवं गुणों का स्वरूप विवेचन समाप्त होता है। कुछ विद्वानों ने आचार्य कुन्तक द्वारा स्वीकृत सुकुमार विचित्र और मध्यममार्गों को क्रमशः आचार्य वामन आदि द्वारा स्वीकृत वैदर्भी, गौडीया और पांचाली के साथ एक रूप स्थापित किया है। पं० बल्देव उपाध्याय का कहना है कि— 'कुन्तक ने वैदर्भी रीति के लिए 'सुकुमार मार्ग' का नाम दिया है। वे गौडी रीति को 'विचित्रमार्ग' कहते हैं और पांचाली रीति का अभिधान 'मध्यममार्ग' बतलाते हैं<sup>3</sup>। डा० लाहिरी ने भी वैदर्भीरीति और सुकुमार मार्ग को तथा गौडीयरीति और विचित्र मार्ग को एक रूप कहा है<sup>4</sup>। डा० राघवन का कथन है कि सुकुमार मार्ग प्राचीन वैदर्भी की पुनरुक्ति है<sup>5</sup>। परन्तु उक्त मार्गों

1- 'सौभाग्यमपि पदवाक्यप्रकरणप्रबन्धानां प्रत्येकमनेकाकारकमनीयकारणकलापकलितरामणीय-  
कानां किमपि सहृदयसहृदयसंवेद्यं काव्यैकजीवितमलौकिकचमत्कारकारि संवलितया(ता)  
नेकरसास्वादसुन्दरं सकलावयवव्यापकत्वेन काव्यस्यगुणान्तरं परिस्फुरतीत्यलमतिप्रसंगेन।'

व. जी. पृ० 77-78

'यहां 'संवलितयानेकरसास्वादसुन्दरं' पाठ कुछ अटपटा प्रतीत होता है। डा० राघवन ने 'संवलिततया अनेकरसास्वादसुन्दरं' पाठ (Sr. Pra., P. 349) मानने का प्रस्ताव रखा है परन्तु उससे भी समीचीन पाठ 'संवलितानेकरसास्वादसुन्दरं' प्रतीत होता है। क्यों कि डा० साहब का पाठ स्वीकार करने पर अर्थ की उतनी संगति नहीं बैठती जैसी कि बाद के पाठ को स्वीकार कर लेने पर। वैसे डा० डे ने पादटिप्पणी में वक्रोक्तिजीवित की एक पाण्डुलिपि में उक्त पाठ के स्थान पर 'पानेकरसास्वादसुन्दरम्' पाठ प्राप्त होने का निर्देश किया है। वह पाठ भी अग्रसमीचीन नहीं है।

2- व. जी. पृ० 29

3- भा. सा. शा. भाग, 2, पृ० 139

4- "This (Sukumāra Marga) probably corresponds to the Vaidarbhi Riti of the Riti theorists. xxx This is the Vicitra Marga corresponding to the Gaudi Riti of Riti theorists." E. R. G.

5- "The Sukumāra Marga is a restatement of the old Vaidarbhi." P-128

के स्वरूप विवेचन के अनन्तर इन विद्वानों के कथन की समीचीनता किसी भी तरह मान्य नहीं रह जाती । निदर्शनार्थ पहले वैदर्भी और सुकुमार पर ही दृष्टिपात करें। इन दोनों के स्वरूपनिर्धारण के मौलिकआधार में ही पर्याप्त अन्तर है । सुकुमार मार्ग कवि-स्वभाव, उसकी सहज शक्ति एवं सहजनौशल पर आधारित है जब कि वैदर्भी के स्वरूप-निर्धारण का आधार प्रदेश के अतिस्वित सिवाय गुणों के और कुछ नहीं है । फिर उसमें सारे गुण विद्यमान रहते हैं फलतः उसमें कवि की शक्ति और व्युत्पत्ति अर्थात् उसके सहज और आहार्य दोनों ही कौशलों का चरमोत्कर्ष विद्यमान होना अर्थात्पत्ति से ही सिद्ध है । जब कि कुन्तक के सुकुमार मार्ग में केवल सहज कौशलजन्य चमत्कार का ही उत्कर्ष विद्यमान रहता है । जहाँ कुन्तक ने अपने सुकुमारमार्ग की उपमा विकसित कुसुमों से युक्त कानन से दी है और उस पर विचारकरने वालों का सादृश्य भ्रमर से स्थापित किया है वही वैदर्भी मार्ग (अथवा रीति) के प्रशंसक पद्मगुप्त परिसल ने उसकी उपमा तलवार की धार से दिया है—

'तत्त्वस्थशस्ते कवयः पुराणाः श्रीभर्तृमेष्ठप्रमुखा जयन्ति ।

निस्त्रिशधारासदृशेन येषां वैदर्भीमार्गेण गिरः प्रवृत्ताः ।।'

जब कि कुन्तक विचित्रमार्ग की उपमा खड्ग की धार से देते हैं । रही सहृदयाह्लाद एवं रसादि की बात, उसकी सत्ता का कथमपि निषेध कुन्तक के किसी भी मार्ग में प्राप्त नहीं है । उनके सभी मार्ग एक समान सहृदयाह्लादकारी हैं , किसी की तनिक भी किसी से न्यूनता अथवा आधिक्य अभीष्ट नहीं। फिर भी वैदर्भी और सुकुमार मार्ग में कुछ समताओं का प्राप्त हो जाना असम्भव नहीं है । परन्तु उस थोड़े से ही साम्य के आधार पर स्वरूप मान बैठना तो कथमपि उचित नहीं । गौडीया रीति और विचित्र मार्ग की तो कोई तुलना ही नहीं है । कहां एक हेय रीति गौडीया और कहां कवियों की विहरणप्रौढि का परिचायक विचित्र मार्ग ? कहां केवल दो गुणों ओजस् और कान्ति के प्राधान्य वाली गौडीया ? और कहां समग्र गुणों के विचित्रविलास से सम्पन्न विचित्रमार्ग ? इसी प्रकार पांचाली और मध्यम मार्ग की भी कोई तुलना नहीं है । अतः यह कहना कि कुन्तक ने क्रमशः वैदर्भी, गौडीया और पांचाली रीतियों को सुकुमार विचित्र और मध्यम नाम दे दिया है नितान्त भ्रममूलक है ।



उपर्युक्त मत के अतिरिक्त एक अभिनव मत प्रस्तुत करते हैं -  
 आचार्य नरेन्द्रप्रभूमूरि १ उनका कहना है कि कुन्तक ने माधुर्य गुण को सुकुमार, ओजस्  
 को विचित्रमार्ग और उन दोनों के मिश्रत्व से सम्भव होने वाले को मध्यम मार्ग कहा  
 है -

'माधुर्यं सुकुमाराख्यं मार्गं केऽप्यवदन् बुधाः ।

विचित्रगोजस्तन्मिश्रीभावज्ञं मध्यमं गुणः ॥'

इसको वृत्ति में वे कुन्तक का नाम्ना निर्देश करते हैं और वक्रोक्ति जीवित की सम्प्रति  
 इत्यादि (1/24)कारिका उद्धृत करते हैं -

'माधुर्यं सुकुमारमभिधमोजो विचित्राभिधं तदुभयमिश्रत्वसम्भवं मध्यमं नाम मार्गं केऽपि  
 बुधाः कुन्तु(न्त) कादयोऽवदन्कुतवन्तः । यदाहुः -

सम्प्रति तत्र त्रयो मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः ।

सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्कमकः ॥१'

न्ति

सूरि जी का यह कथन निश्चय ही ~~ग्रन्थ~~मूलक है । उनकी इस ~~ग्रन्थ~~ग्रन्थ भ्रान्ति का  
 कारण है वैदर्भी आदि रीतियों एवं सुकुमारादि मार्गों को एक सपक्ष बैठना । यदि अलंकार  
 महोदधि के विषय विवेचन पर दृष्टिपात किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि  
 उसका विवेचन कुन्तक के विवेचन का बहुत ऋणी है । अथवा यह भी कहा जा सकता  
 है कि सूरि ने इस ग्रन्थ में वक्रोक्ति और ध्वनि सिद्धान्त को समन्वित रूप में प्रस्तुत  
 करने का प्रयास किया है । कुन्तक के ये कितने ऋणी है इसका विस्तृत विवेचन आगे  
 किया जायगा । उक्त मत को प्रस्तुत करते समय वे ध्वनिसिद्धान्त के समर्थक मम्मट  
 आदि का अनुसरण करते हैं । आचार्य मम्मट ने वृत्त्यनुप्रास का विवेचन करते हुए यह  
 प्रतिपादित किया है कि उद्भट आदि ने माधुर्य के व्यंजकवर्णों से युक्त उपनागरिका  
 तथा ओजस् के प्रकाशकवर्णों से युक्त परुषा तथा शेष वर्णों से युक्त कोमला अथवा ग्राम्भ्या  
 वृत्तियों का निरूपण किया है <sup>3</sup> । और इन्हीं को वामन आदि आचार्यों ने वैदर्भी, गौडीया  
 और पांचाली रीतियाँ कहा है <sup>4</sup> । लेकिन यदि विचार किया जाय तो मम्मट का यह कथन  
 स्वयं समीचीन छे नहीं है । वामनकी गौडीया को यथाकथंचित ओजस् की व्यंजक कह भी

1- अलं. महो. 6/29

2- वही, पृ० 201-202

3- काव्य. प्र. 9/80 तथा वृत्ति

4- 'रतास्तिद्रो वृत्तयो वामनादीनां मते वैदर्भी-गौडी-पांचाल्याख्या रीतयो मतः ।'

सकते हैं क्योंकि उसमें ओजस् और क्रान्ति गुण को प्रधानता वामन ने स्वीकार की है । लेकिन वैदर्भी में तो सारे गुण विद्यमान रहते हैं अतः उसकी केवल माधुर्य-व्यंजकता कैसे स्वीकार की जायगी। साथ ही पांचाली को माधुर्य व्यंजकता का निषेध कैसे होगा ? जिसमें कि माधुर्यगुण ही सौकुमार्य के साथ प्रधानरहता है । वामन ने पदसंघटना की रीति अवश्य कता है लेकिन वह पदसंघटना विशिष्ट अर्थात् गुणवती स्वीकार की गयी है । फिर वामन के सारे गुण केवल वर्णों की ही विशिष्टता के प्रतिपादक नहीं हैं कि वर्णों की व्यंजकता उसमें स्वीकार की जाय । केवल समास के आधार पर रीतिविभाजन रुद्रट ने किया है लेकिन उन्होंने ने चार रीतियाँ स्वीकार की हैं । अनुप्रासादि को रीति विभाजन की परिधि में यद्यपि राजशेखर आदि ने अवश्य घसीटा है परन्तु कैसे वर्णों का अनुप्रास किस रीति में होना चाहिए इसका कोई निर्देश नहीं किया गया है । ध्वनिकार आनन्दवर्द्धन जब स्वयं संघटना की रसव्यंजकता अथवा गुणव्यंजकता का निरूपण करते हैं तो वहाँ ~~उन्होंने~~ उनकी संघटना वामन की रीतियों की समानार्थी नहीं है । उसे केवल रुद्रट की रीतियों के तुल्य स्वीकार किया जा सकता है जिसका कि गुणों से उन्होंने ने कोई भी सम्बन्ध वर्णित नहीं किया । आनन्दवर्द्धन को उस संघटना और वामनाभिमत रीतियों के स्वरूपवैशिष्ट्य का पूर्ण ध्यान था तभी तो उन्होंने उन दोनों का एक्य नहीं स्थापित किया और आगे चलकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जिस ध्वनि तत्त्व का हमने स्वरूप-निरूपण किया है वह जिन आचार्यों को अस्फुट रूप में ही स्फुरित हुआ था उन्होंने ने उस ध्वनि तत्त्व का स्पष्ट निरूपण करने में अपने को असमर्थ पाकर वैदर्भी, गौडीया और पांचाली रीतियों को प्रवर्तित कर दिया —

'अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद्यथोदितम् ।

अशक्नुवद्भिर्व्यक्तिर्त्तु रीतयः सम्प्रवर्तिताः ॥'

साथ ही जैसा कि मम्मट ने प्रतिपादित किया है कि वामन की दस गुणों की कल्पना अपार्थ है क्योंकि उनका माधुर्य, ओजस और प्रसाद तीन ही गुणों में अन्तर्भाव हो जाता है, वैसा स्वीकार कर लेने पर भी वैदर्भी रीति की केवल माधुर्यव्यंजकता तो सिद्ध नहीं हो जाती क्यों कि वहाँ आचार्य वामन द्वारा समग्र गुणों की स्थिति स्वीकार करने के

1- ध्वन्या०३/४६. उस पर आनन्द की वृत्ति है— 'एतद्ध्वनिप्रवर्तनेन निर्णयति काव्य-तत्त्वमस्फुटस्फुरितं सदशक्नुवद्भिः प्रतिपादयितुं वैदर्भी, गौडी, पांचाली चेति रीतयः प्रवर्तिताः । रीतिलक्षणविधायिना हि काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतया मनाक् स्फुरितमासीदिति लक्ष्यते तदत्र स्फुटतया सम्प्रदर्शितेनान्येन रीतिलक्षणेन न किंचित् ।'—वही, पृ०५१७

2- द्रष्टव्य, काव्य. प्र. ८/७२ तथा उसकी वृत्ति

कारण माधुर्य, ओजस् और प्रसाद—तीनों की ही अनिवार्य रूप से स्थिति होगी। अतः रीतियों का ही माधुर्यादि गुणव्यंजक संघटना के अन्तर्गत अन्तर्भाव युक्तिसंगत नहीं है तो सुकुमारादि मार्गों के अन्तर्भाव के विषय में क्या कहा जाय ? जब कि वामन ने रीतियों को विशिष्टपदसंघटना ही सही पदसंघटना तो कहा था, लेकिन कुन्तक अपने मार्गों को पदसंघटना नहीं कहते बल्कि उनके मार्ग काव्यरचना के कारणभूत अथवा काव्यों के स्वरूप ही है<sup>1</sup>। कुन्तक के गुण भी शब्द अथवा अर्थ के गुण न होकर बन्ध के गुण है। उन्हें गुणों की शब्दादिधर्मता नहीं स्वीकार है। वे उन्हें समुदाय का धर्म कहते हैं<sup>2</sup>। साहित्य-दर्पणकार ने भी जिन रीतियों को रसादि की उपकारक स्वीकार किया है उनका स्वरूप वामन आदि द्वारा स्वीकृत वैदर्भी आदि रीतियों से सर्वथा भिन्न है। उनका विभाजन केवल समास तथा गुणों के व्यंजकवर्णों के आधार पर किया गया है<sup>3</sup>। अस्तु नरेन्द्रप्रभ सूरि ने तो माधुर्यादि को ही सुकुमारादि मार्ग निरूपित किया है। ऐसा समन्वय करने में अवश्य ही उनका <sup>विवेक</sup> त्रुटित हो गया है। उनके माधुर्य का मूलायतन शृंगार है तथा ओजस् की लीला-विहारभूमि वीर रस है<sup>4</sup>। परन्तु कुन्तक ने कहीं भी अपने सुकुमारमार्ग का मूलायतन शृंगार को अथवा विचित्रमार्ग की लीलाविहारभूमि वीररस को स्वीकार नहीं किया। उनके सुकुमार मार्ग का आश्रयण करके भी कवि वीरादि समस्त रसों को प्रस्तुत कर सकता है और विचित्र मार्ग का आश्रयण करके भी शृंगारादि रसों की सर्वोत्कृष्ट रूप में निष्पत्ति करा सकता है। लगता तो कुछ ऐसा ही है कि सूरि जी साहित्यशास्त्र में अपना अपूर्व योगदान दिखाने के चक्कर में ऐसी भूल कर बैठे क्यों कि मम्मट आदि ने वामन आदि की रीतियों का अन्तर्भाव तो कर दिया था परन्तु कुन्तक के सुकुमारादि मार्गों का उल्लेख ही नहीं किया। और सुकुमारादि की स्थापना कुन्तक ने वैदर्भी आदि रीतियों का खण्डन करके प्रस्तुत किया था अतः यह आवश्यक था कि उनका भी अन्तर्भाव किया जाता। इस अपूर्व योगदान का श्रेय सम्भवतः सूरि जी ही ग्रहण करना चाहते थे। और इसी लिए उसका अन्तर्भाव करने में सूरि जी को प्राचीन आचार्यों द्वारा स्वीकृत माधुर्यादि की व्यंजक रचना से भिन्न

1- द्रष्टव्य, व्र जी. पृ० 45 तथा 47

2- ,, वही, पृ० 71

3- सा. द. 9/1-5 तथा वृत्ति

4- द्रष्टव्य, अल. महो. 6/15 तथा वृत्ति 21

'विशेषव्यंजिका' रचना की कल्पना करनी पड़ी जब कि पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत गुणादिव्यंजक रचना का स्वरूप सर्वथा इन्होंने निरूपित किया है। उनमें से उनकी माधुर्य की विशेषव्यंजिका रचना का स्वरूप कुन्तक के सुकुमार मार्ग के स्वरूप का अनुवादभूत है तथा ओजस् का व्यंजक गुम्फ विचित्रमार्ग का संक्षिप्त प्रति रूप-सा है। यही उनकी इन विशेष व्यंजिका रचनाओं के उद्धरण से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जायगी। उनकी माधुर्य की विशेषव्यंजिका रचना का स्वरूप है —

'सहजप्रतिभोन्मीलद्वाच्यवाचकचारिमा ।  
अक्लेशकल्पितस्वल्पतद्वदाह्लादभूषणा ॥  
भावस्वाभाविकौदार्यतर्जिताहार्यकौशला ।  
अमन्दरसनिष्पन्दसुधोद्गारतरंगिता ॥  
कविकर्मकमर्जमनस्ताण्डवनाट्यभूः ।  
अलक्ष्यावयवा तस्मिन् रचना काचिदीदृशी। १'

इसकी तुलना ज़रा कुन्तक के सुकुमारमार्ग का निरूपण करने वाली अधोलिखित कारिकाओं से करे —

'अस्लानप्रतिभोदिभन्ननवशब्दार्थबन्धुरः ।  
अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषणः ॥  
भावस्वभावप्राधान्यन्यकृताहार्यकौशलः ।  
रसादिपरमार्थज्ञमनःसंवादसुन्दरः ॥ २'

स्पष्ट ही सूरि जी ने अपनी रचना के स्वरूप निरूपण में कुन्तक द्वारा प्रयुक्त पदों में हेरफेर कर अपनी अपूर्वता प्रदर्शित करने का असफल प्रयास किया है। अब इनके ओजस् गुण के व्यंजक गुम्फ के स्वरूप पर ध्यान दे —

'परस्परं परिस्यूतपठद्रुडिमबन्धुरः ।  
व्युत्पन्नप्रतिभोत्पन्नवाच्यवैचित्र्यचुम्बितः ।  
उल्लसन्नवलावण्यभंगिकल्लोललालितः ।  
सूत्रबन्धवतामुच्चैरनवस्यापिवस्तुनः ॥  
वितन्वन् मनसः कामं दीप्तिर्सर्वीलतां मुदम्। ३  
निमर्गकलितौद्धत्यस्तत्र गुम्फः किलोदितः ॥

- 1- अलं. महो. 6/18-20  
2- व. जी. 1/25-26  
3- अलं. महो. 6/24-26

इसकी समानार्थी कुन्तक की पंक्तियाँ हैं —

'प्रतिभाप्रथमोद्भेदसमये यत्र वक्रता ।  
शब्दाभिधेययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते ॥'  
यदप्यनूतनोल्लेखं वस्तु यत्र तदप्यलम् ।

उन्मत्तवैचित्र्यमात्रेण काष्ठी काष्ठीनीयते<sup>2</sup> ॥' यहाँ अवश्य यह है कि सूरि जी ने अपने सम्पूर्ण ग्रन्थ में कुन्तक द्वारा प्रयुक्त वक्रता शब्द के स्थान पर वैचित्र्य शब्द का प्रयोग किया है । इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि सूरि जी का कुन्तक के मुकुमारादि मार्गी का माधुर्यादि गुणों के साथ ऐक्य रूप्य स्थापित करने का प्रयास एक दुराग्रह-मात्र है । जो कि तथ्य से कोसों दूर है । यह तो कुन्तक के मार्गी से सम्बन्धित विप्रतिपत्तियों का यथासंभव निराकरण रहा । अब गुणों के विषय में विचार किया जायगा ।

कुन्तक ने छः मार्गी-गुणों का विवेचन किया है जिनमें माधुर्य और प्रसाद को तो गुण-रूप में सभी आचार्यों ने स्वीकृत किया है । औचित्य को यद्यपि किसी ने गुण-रूप में प्रस्तुत नहीं किया फिर भी काव्य में उसकी एक परमावश्यक तत्त्व के रूप में स्थापना प्रायः सभी आचार्यों ने कर रखी है । शेष तीन गुण बचते हैं जिनका निरूपण कुन्तक ने मौलिक ढंग से किया है, और वे हैं — लावण्य, आभिजात्य तथा सौभाग्य । लावण्य और आभिजात्य के गुणत्व के विषय में स्वयं कुन्तक ने शंका उठा कर उसका समाधान किया है । वस्तुतः लावण्य और आभिजात्य तरुणियों के लोकोत्तर सौन्दर्य के धर्म-रूप में स्वीकार किए गए हैं अतः उन्हें काव्यधर्म के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है यह पूर्वज्ञो की ओर से शंका हो सकती है । इसका कुन्तक ने उत्तर दिया है कि यदि ऐसा स्वीकार किया जायगा तो जो पूर्वप्रसिद्ध माधुर्य और प्रसाद गुणों को काव्य के धर्म-रूप में प्रतिपादित किया गया है वह भी अमान्य सिद्ध होगा । क्योंकि माधुर्य गुड़ इत्यादि मधुर पदार्थों के धर्म के रूप में प्रसिद्ध है और प्रसाद स्वच्छ जल तथा स्फटिक आदि के धर्म-रूप में प्रसिद्ध है । वस्तुतः उन्हें उपचार से काव्यधर्म कहा जाता है । जिस प्रकार गुडादि मधुर द्रव्यों से आनन्द प्राप्त होता है उसी प्रकार का

1- व. जी. 1/34

2- वही 1/38

अनन्द काव्य के जिन धर्म से प्राप्त होता है उसे उपचार से माधुर्य कहा गया है। साथ ही जिस प्रकार स्वच्छ जल अथवा सफ़्टिक आदि में सफ़ुटावभासित्व होता है उसी प्रकार काव्य में उसके जिस धर्म के कारण सफ़ुटावभासित्व आता है उसे उपचार से प्रसाद गुण स्वीकार किया गया है। इसी व्याख्यान-सरणि का अनुसरण करते हुए कह सकते हैं कि जैसा चेतन चमत्कारित्व काव्य के लावण्य में विद्यमान रहता है वैसा ही चेतनचमत्कारित्व काव्य में कवि की शक्ति एवं कौशल से उल्लिखित कान्ति से कमनीय जिन बन्ध-सौन्दर्य में होता है उसे लावण्य से भिन्न और किस शब्द द्वारा प्रतिपादित ही किया जा सकता है। तथा जिस प्रकार काव्य में सहज कोमल कान्ति को आभिजात्य कहा जाता है उसी प्रकार काव्य में विद्यमान सहज कोमल कान्ति को आभिजात्य द्वारा व्यक्त किया जाना उचित है।<sup>1</sup> लगता है कि कुन्तक ने कविता की एक लोकोत्तर काव्य के रूप में कल्पना प्रस्तुत की है। क्योंकि तीसरा सौभाग्य गुण भी काव्य के लोकोत्तर सौन्दर्य को प्रतिपादित करने वाला स्वीकार किया गया है। इस कथन की पुष्टि स्वयं कुन्तक द्वारा तृतीय उन्मेष की समाप्ति पर वाक् की नायिका के साथ की गई तुलना से हो जाती है और यही कारण है कि कुन्तक ने सहृदयों द्वारा काव्य के गुण रूप में स्वीकृत लावण्य, आभिजात्य और सौभाग्य गुणों को काव्य के गुण रूप में प्रस्तुत किया है। रूपगोस्वामी के शब्दों में लावण्य का स्वरूप इस प्रकार है—

'मुक्ताफलेषु छायास्तरलत्वमिवान्तरा ।

प्रतिभाति यदंगेषु लावण्यं तदिहोच्यते।'<sup>2</sup> अर्थात् मुक्ताफलों के बीच जैसी छाया की तरलता दिखाई पड़ती है उसी प्रकार जो अंगों के बीच छाया की तरलता दिखाई पड़ती है उसे लावण्य कहते हैं। राजानक रुय्यक ने युवतियों के दस गुणों का निरूपण किया है। वे हैं—(1) रूप (2) वर्ण (3) प्रभङ्ग (4) राग (5) आभिजात्य (6) विलासिता (7) लावण्य (8) लक्षण (9) छाया और (10) सौभाग्य।<sup>3</sup> स्पष्ट रूप से कुन्तक ने इनमें से तीन गुणों का काव्यधर्म के रूप में ग्रहण किया है। रुय्यक के अनुसार युवती के इन तीनों गुणों के स्वरूप इस प्रकार है—

1- द्रष्टव्य, व.जी. पृ० 55-56

2- उज्वलनीलमणि, पृ० 223

3- 'रूपं वर्णः प्रभा राग आभिजात्यं विलासिता ।

लावण्यं लक्षणं छाया सौभाग्यं चेत्यमी गुणाः ।। सहृदयलीला, काव्यभाष्य पंचममुद्रक 1908

द्वितीय संस्करण पृ० 158

(1) लावण्य - 'तरंगिद्रवस्वभावाप्यायिनेत्रोयव्यापिस्निग्धमधुर इव पीतिमोत्कृष्टैकसार इव पूर्णेन्दुवदाह्लादको धर्मः संस्थानमुग्धिमव्यंग्यो लावण्यम्<sup>1</sup> ।' अर्थात् लहराते हुए तरलपदार्थ की प्रकृति वाले पूर्ण तृप्त प्रदान करने वाले एवं टफटकी बांध कर देखने योग्य व्यापक रूप से प्राप्त होने वाले तरल एवं मधुर तत्त्व सा और गौरिमा की परालाछा मात्र के उपादान वाला-सा पूर्णवस्त्र के समान आनन्दित करने वाला एवं गढ़न की सुघड़ता से व्यक्त होने वाला धर्मलावण्य है ।

(2) आभिजात्य - 'कुसुमधर्मा मार्दवादिर्लालनादिरूपः सार्शविशेषः पेशलताम्य आभिजात्यम्<sup>2</sup> ।' अर्थात् पेशलता की संज्ञा वाला पुष्पप्रकृतिक मृदुतादिरूप या लालनादि स्वरूप सार्श-विशेष आभिजात्य गुण होता है ।

(3) सौभाग्य - 'स्फुरत्लक्ष्युपभोगपरिमलादिगम्योऽन्तःसारोजकतया वशीकर्ता सहृदयसवेद्यधर्म-भेदश्च सौभाग्यम् । तत्राद्ये स्मरमदधुलकादयो भेदाः । अत्ये तु पणितरूपपरिभोगाधरास्वादसौरभा-दिभिर्युगपद्रसवत्त्वात् पञ्चेन्द्रियसुखलाभः<sup>3</sup> ।' अर्थात् दमकती हुई शोभा एवं उपभोगार्थ सौरभ आदि से जानने योग्य आभ्यन्तर तत्त्व तथा अनुरागजनक होने के कारण वश में कर लेने वाला सहृदयैकगम्य धर्मविशेष सौभाग्य होता है । उन दोनों में पहले के स्मर, मद, पुलक आदि भेद होते हैं और दूसरे के अन्दर कापोतरुत, रूप, सम्भोग, चुम्बन और (स्वाभाविक) अंग-परिमल आदि के द्वारा एक साथ हीरसमयतावश (क्रमशः श्रवण, नेत्र, उपस्थ, रसना और नासिका इन) पाँचों इन्द्रियों को (सुनने, देखने, छूने, चखने और सूँघने) का सुख प्राप्त होता है ।

स्पष्ट है कि राजानक रुय्यक ने जिस प्रकार लावण्य को संस्थान को मुग्धमा से व्यञ्जित होने वाला माना है उसी प्रकार कुन्तक ने भी इसे सन्निवेश सौन्दर्य कहा है— 'लावण्यं सन्निवेश सौन्दर्यम्<sup>4</sup> ।' महाकवि कालिदास ने भी लावण्य को संस्थान सौन्दर्य के रूप में ही स्वीकार किया है । पार्वती के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए उनका कथन है—

'वृत्तानुपूर्वे च न चातिदीर्घे जड्ये शुभे सृष्टवतस्तूदीये ।

शेषांगनिर्मणविधौ विधार्तुलावण्य उत्पाद्य इवास यत्नः ।'

1- वही, पृ० 158

2- वही, पृ० 158

3- वही, पृ० 158

4- व. जी. पृ० 43

5- कु. सं., 1/35

राजानक रुच्यक ने युवतियों के आभिजात्य गुण को पेशलता कहा जाने वाला यर्षीविशेष कहा है जिसमें कुसुमसदृशमृदुता और लालित्य विद्यमान रहता है<sup>1</sup>। कुन्तक का आभिजात्य गुण भी चेतःसंस्पर्श करने वाला एवं सहज-कोगलकान्तिसमान है । इस प्रकार काव्य में लावण्य और आभिजात्य गुणों की कुन्तक की कल्पना समुचित ही है । काव्य का बन्धसौन्दर्य कापिनी के अवयवसंस्थानसौन्दर्य के समान है अतः उसकी प्रतीति लावण्य के द्वारा ही करा जा सकती है क्योंकि कापिनी के अवयवसंस्थान का सौन्दर्य सहृदयों में लावण्य नाम से प्रसिद्ध है अभिनव गुप्त भी इसी का समर्थन करते हैं— 'लावण्यं हि नामावयवसंस्थानाभिव्यग्यमवयवव्यतिरिक्तं धर्मान्तरमेव<sup>1</sup> ।' इसी तरह काव्य को सहजसुकुमारता एवं चेतःसंस्पर्शत्व की प्रतीति कापिनी के सहज सौकुमार्य एवं विशिष्ट यर्षी के प्रतिपादक आभिजात्य के द्वारा ही कराना समुचित है । अब बचता है सौभाग्य गुण । निश्चित ही कापिनियों का सर्वश्रेष्ठ गुण सौभाग्य है । महाकवि कालिदास के शब्दों में कापिनियों के सौन्दर्य की सफलता सौभाग्य में ही निहित होती है । उनका स्पष्ट कथन है —

'प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता।'<sup>2</sup>

वस्तुतः सौभाग्य ही तो सौन्दर्य की पराकाष्ठा है । जैसे पति का वल्लभत्व स्त्री का सौभाग्य होता है वैसे ही सहृदय का वल्लभत्व कवित्व का सौभाग्य होता है । यद्यपि वामन दण्डी आदि आचार्यों ने सौभाग्य को गुण रूप में कहीं नहीं प्रतिपादित किया परन्तु सौन्दर्य की पराकाष्ठा को सूचित करने के लिए सौभाग्य शब्द का प्रयोग अवश्य किया है । आचार्य दण्डी उपमा के दोषों के वर्णन-प्रसंग में इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि जहाँ उपमानोपमेयगत लिंगभेद, वचनभेद, हीनता, अथवा आधिक्य काव्यतत्त्वज्ञों के उद्वेगजनक नहीं होते वहाँ उपमा दुष्ट नहीं मानी जायगी<sup>3</sup> । इसी के अनन्तर वे उपमान की हीनता पर भी उपमा की निर्दोषता का उदाहरण —

'भवानिव महीपाल देवराजो विराजते।' को प्रस्तुत कर उसके समर्थन में कहते हैं कि —

'अलमशुभतः कक्षामारोढं तेजसा नृपः ।

इत्येवमादौ सौभाग्यं न जहात्येव जातुचित्तु<sup>5</sup> ॥१॥

1- लोचन, पृ० 49-50

2- काव्यादर्श, 2/51

3- कु. सं. 5/1

4- वही, 2/53

5- वही, 2/53-54



स्पष्ट ही सौभाग्य का प्रयोग यहाँ सहृदयहृदयसंवेद्य उत्कृष्ट सौन्दर्य के लिए किया गया है । आचार्य वामन ने भी इसी अर्थ में 'सौभाग्य' पद का प्रयोग किया है । उपमा के प्रपंच रूप में समस्त अर्थालंकारों का योदाहरण विवेचन प्रस्तुत कर वे कहते हैं कि 'अन्य कवियों द्वारा विरचित एवं स्वरचित इन तमाम उदाहरणों के द्वारा हमने शब्दवैचित्र्यगर्भा उपमा का ही विस्तार किया है लेकिन जो सौभाग्यसम्मान अन्य अलंकार स्वीकृत हैं उनकी भी योजना श्रेष्ठ कवियों को कर लेना चाहिये -

'रभिर्निदर्शनैः स्वीयैः परकीयैश्च पुष्कलैः ।

शब्दवैचित्र्यगर्भयमुपमैवप्रचिता ॥

अलंकारैकदेशा ये मता सौभाग्यभागिनः ।

तेऽप्यलंकारदेशीया योजनीया कवीश्वरैः । ।'

स्पष्ट ही यहाँ भी सौभाग्य का प्रयोग सहृदयानुभवैकगम्य विशिष्टसौन्दर्य के लिए ही किया गया है । क्यों कि किस अलंकार में सौभाग्य है ? इसका निर्णय साधारण कवि नहीं कर सकता बल्कि कवीश्वर अथवा सहृदयधुरीण ही कर सकते हैं । इतना ही नहीं सहृदयशिरोमणि एवं ध्वनिप्रख्याकारमाचार्य आनन्दवर्धन भी सौभाग्य की काव्य के सर्वोत्कृष्ट तत्त्व के रूप में स्थापना करते हैं । उनका कहना है कि 'सहृदयसहृदयाह्लादक काव्य का कोई ऐसा प्रकार नहीं है जिसमें कि प्रतीयमान अर्थ के संस्पर्श से सौभाग्य नञा जाता हो—

'सर्वथा नास्त्येव सहृदयहृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रतीयमाना<sup>१</sup>संस्पर्शन<sup>२</sup>  
सौभाग्यम् ।'

अतः आचार्य कुन्तक द्वारा सौभाग्य गुण की काव्य के एकमात्र प्राण के रूप में प्रतिष्ठा उचित ही है । आनन्दवर्धन का उक्त कथन कुन्तक के इस कथन को और भी पुष्ट कर देता है कि सौभाग्य गुण कवि की तावधानशक्ति एवं काव्य की समग्र उपादेय<sup>३</sup> द्वारा सम्पादनीय होता है । इस विवेचन से ऊपर प्रस्तुत किया गया मन्तव्य और भी अधिक पुष्ट हो जाता है कि कुन्तक के मार्ग न तो वामन आदि की रीतियों के स्थानीय हैं और न उनके मार्गों के गुण ही उनकी रीतियों के गुणों के स्थानीय हैं ।

1- का. सू. वृ., पृ. 68.

2- ध्व. पृ. 474-75

3- व. जी. 1/55-56 तथा वृत्ति

कुन्तक के इन गुणों के स्वरूप विवेचन के विषय में अधिकतर विद्वानों ने यह आलोचना प्रस्तुत की है कि कुन्तक एकलता पूर्वक अपने मार्गगुणों के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सके । उनके अधिकतर गुणों के लक्षण परस्पर संकीर्ण हैं । निदर्शनार्थ डा० हरदत्त शर्मा ने सुक्षुमार मार्ग के गुणों को परस्पर संकीर्णता को प्रस्तुत करते हुए दिखाया है कि—

(1) माधुर्य और प्रसाद की असमस्तपदता एक रूप है । (2) माधुर्य का मनोहारित्व जिसे व्याख्या में कुन्तक ने श्रुतिरम्यत्व और अर्थरम्यत्व कहा है वह आभिजात्य के श्रुतिगेशलता शलित्व से अभिन्न है । (3) माधुर्य का विन्यास जिसे व्याख्या में सन्निवेशवैचित्र्य कहा गया है वह लावण्य की सन्निवेश महिमा से भिन्न नहीं है ।<sup>1</sup> डा० साहब के इस कथन में सत्य अवश्य है । लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो जिन दो गुणों में डा० साहब ने अभिन्नता अथवा स्वरूपविभाजन की स्पष्ट रेखा की अनुपलब्धि को प्रस्तुत किया है, उनका परस्पर भेद स्पष्ट हो जायगा । माधुर्य और प्रसाद में असमस्तपदता की सत्ता तो केवल कुन्तक ने ही नहीं बल्कि सभी आचार्यों ने स्वीकार की है । साहब ने तो स्पष्ट निर्देश किया है । परन्तु उनके अतिरिक्त अन्य आचार्यों की भी इसमें विमति नहीं है । क्यों कि दोष समासों के प्रयोग से प्रसाद की प्रसादता अर्थात् उनकी समर्पकता ही समाप्त हो जायगी। साथ ही लक्षण को दृष्टि से यदि देखा जाय तो अन्य आचार्यों की भाँति कुन्तक ने भी 'असमस्तपदता' का निर्देश माधुर्य की लक्षणकारिता में ही किया है प्रसाद की लक्षणकारिता में नहीं। कारिका में उपात्त प्रसाद को अन्य विशेषतायें उसे स्पष्ट ही माधुर्य से भिन्न सिद्ध कर देती हैं<sup>2</sup> इसी तरह 'श्रुतिगेशलताशलित्व' की बात केवल आभिजात्य की लक्षणकारिका में उपात्त है माधुर्य की नहीं।<sup>3</sup> माधुर्य की मनोहारिता की व्याख्या करते हुए कुन्तक ने उसमें श्रुतिरम्यता को प्रस्तुत किया है । इसदृष्टि से श्रुतिरम्यता माधुर्य में गौणा है जब कि आभिजात्य में उसी की प्राधान्य है । श्रुतिगेशलता ही आभिजात्य का प्राण है । यह गुण काव्यरचना के उस मादूर्दव को प्रस्तुत करता है जिसके श्रवणसे ही सहृदय आनन्दातिरेक से अभिभूत हो जाता है । इसे लावण्य की कोटि में रखना अधिक समीचीन होगा। लावण्य के विषय में कुन्तक ने स्पष्ट निर्देश किया है कि 'उसकी प्रतीति पद पदार्थ से अव्युत्पन्न लोगों को भी केवल श्रवणमात्र से ही हो जाती है—

1- J. H. Q., Vol. 8, 1932 'Kuntaka's Conception of Gunas.'—P. 257-266

2- द्रष्टव्य व. जी. 1/30-31

3- ,, ,, 1/31 तथा 33

'तस्य (काव्यस्य) बन्धसौन्दर्यमेवाव्युत्पन्नपदार्थानामपि श्रवणपात्रेणैव हृदयहारित्वस्यार्थया  
(लावण्यमिति) व्यगदिश्यते ।'

वस्तुतः लावण्य और आभिजात्य में हो गेगा सूक्ष्म अन्तर है कि उनके स्वरूप को एक दूसरे से पृथक् करना कठिन है । कुन्तक के शब्दों में एकत्र 'सन्निवेशसौन्दर्यमहिषा' अनिर्वचनीय एवं सहृदयसंवेद्य है तो दूसरी जगह श्रुतिगेशलता और स्वभावमसृणच्छायता<sup>2</sup> । लेकिन इतना कह देने पात्र से उनका कोई स्पष्ट स्वरूपविभाजन यापने नहीं आता । इतना तो अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसा काव्यसौन्दर्य कुन्तक लावण्य और आभिजात्य के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं उसे किसी इयत्ता की परिधि में बाँधा नहीं जा सकता । क्यों कि वैसा कर देने पर वह सौन्दर्य अपने समग्र रूप में अभिव्यक्त न हो पायेगा जो कुन्तक की अभिप्रेत नहीं । और इसी लिए आचार्य रुय्यक द्वारा कापिनियों के जिन लावण्यादि गुणों का लक्षण ऊपर प्रस्तुत किया गया है उनमें भी परस्पर भेद करना असम्भव ही है । उनका सचमुच अनुभव ही किया जा सकता है । यहाँ तक कि सौभाग्य को तो उन्होंने ने स्पष्ट ही सहृदयसंवेद्य कहा है । उदाहरणार्थ मम्मट आदि ने ओजोव्यञ्जक तथा माधुर्यव्यञ्जक वर्णों समासों एवं रचनाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है लेकिन क्या ओजोव्यञ्जक वर्ण आदि का प्रयोग शृंगाररस की रचनाओं में नहीं मिलता अथवा कि माधुर्यव्यञ्जक वर्णादिक का प्रयोग वीरसैद्धादि रसों की रचनाओं में नहीं मिलता ? अवश्य मिलता है और इसे स्वयं ध्वनिगार आनन्दवर्धन ने स्वीकार किया है<sup>3</sup> । परन्तु जैसे विषय स्थलों पर माधुर्यादि का निर्णायक सहृदयहृदय होता है, उनकी व्यञ्जक रचनाएँ, वर्ण अथवा समास<sup>4</sup> नहीं । इसीलिए कुन्तक किसी गुण की परिधि को इयत्ता से अवाच्छिन्न नहीं करते । सर्वत्र सहृदयहृदय को प्रमाणरूप में प्रस्तुत करते हैं । काव्य में लावण्य गुण होता है, वह भी वर्णविन्यासविच्छिन्न से ही प्रस्तुत होता है परन्तु किन वर्णों के विन्यास से इसका कुन्तक नियमन नहीं कर देना चाहते क्यों कि उसमें लक्षण के अव्यापित और अतिव्यापित दोषों से दूषित होने का भय है । जिसे कापिनियों के लावण्य, आभिजात्य और सौभाग्य गुणों की परख है और वस्तुतः सहृदय है वह निश्चय ही काव्य के लावण्य, आभिजात्य और सौभाग्य गुणों को परख लेगा । वाणी वस्तुतः किसी वस्तु के समग्र सौन्दर्य को प्रस्तुत कर सकने में असमर्थ होती है । कापिनियों के सौभाग्य के

1- व. जी. पृ० 56

2- द्रष्टव्य व. जी. पृ० 54-55

3- ध्र० पृ० 312

विषय में तो कुन्तक ने स्पष्ट ही कहा है कि उसे केवल वे ही नायक सप्रभ गते हैं, वह भी वर्णन नहीं कर सकते, जो कि काभिनियो का उपभोग करने की सचपुत्र योग्यता रखते हैं -

'काभिनीना किमपि सांभाग्यं तदुपभोगोचितानां नायकानामेव संवेद्यतामर्हति।'

इस प्रकार गुणों के स्वरूपनिरूपण में कुन्तक का दृष्टिकोण सर्वथा असंगीचीन नहीं कहा जा सकता फिर भी साधारण गठक अथवा आलोचना (यद्यपि कुन्तक आदि के अनुसार वह सहृदय ही नहीं होगा।) के लिए कुन्तक के गुणों को स्पष्ट रूप से सप्रभ लेना निश्चय ही बहुत कठिन है। लेकिन जिन सहृदयों को कुन्तक ने प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है उनकी सप्रभ के परे इनके गुणों का स्वरूप नहीं है। अभिनवगुप्त के शब्दों में सहृदय होते भी तो वे ही हैं—

'येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विशदीभूते मनोऋकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते  
स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः।'<sup>2</sup>

और फिर सहृदयशिरोमणि आनन्दवर्धन के अनुसार तो किसी वस्तु को अनिर्वचनीय अथवा सहृदय संवेद्य कह देना<sup>3</sup> उसका प्रतिपादन कर देना है -

'यस्मादनारब्धेयत्वं सर्वशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित् सम्भवति। अन्ततोऽनाख्येयशब्देन  
तस्याभिधानसम्भवात्।'<sup>3</sup>

1- व. जी. पृ० 56

2- लोचन, पृ० 38-39

3- ध्व. पृ० 518-19

पञ्चम अध्याय

चक्रोक्ति तथा उपमा आदि अलंकार

वक्रोक्ति तथा अलंकार

आचार्य कुन्तक ने शोभातिशय को प्रस्तुत करने वाले तत्त्व को अलंकार कहा है और इस अलंकार की परिधि में उन्होने प्रसिद्ध उपमादि अलंकारों एवं गुणादिक का ग्रहण किया है—

'अलंकार शब्दः शरीरस्य शोभातिशयकारित्वान्मुद्ध्यतया कटकादिषुर्वर्तते, तत्कारित्वसामान्या-  
दुपचारादुपमादिषु, तद्वदेव च तत्सदृशेषु गुणादिषु।'

कुन्तक के अनुसार काव्य में वस्तुतः अलंकार और अलंकार्य का विभाग सम्भव नहीं है इसका प्रतिपादन तृतीय अध्याय में किया जा चुका है। साथ ही यह भी प्रतिपादित किया गया है कि कुन्तक के अनुसार एकमात्र अलंकार वक्रोक्ति है। यद्यपि तत्त्व यही है कि काव्यता अलंकारसहित की ही है फिर भी काव्यस्वरूप का स्पष्टीकरण करने के लिए उसमें अलंकार और अलंकार्य विभाग की कल्पना प्रस्तुत की जाती है। क्यों कि ऐसा अतस्त्वभूत प्रविभाग प्रायः सभी शास्त्रों में मान्य रहा है। निदर्शनार्थ व्याकरणादि शास्त्रों में वाक्य के अन्तर्गत पदों का तथा पदों के अन्तर्गत प्रकृतिप्रत्ययादिका अपोद्धार बुद्धि से विवेचन किया जाता है जब कि उनमें वस्तुतः विभाग सम्भव नहीं। इस प्रकार काव्य में अपोद्धार बुद्धि से विवेचन करने पर शब्द और अर्थ अलंकार्य होते हैं और उनका एकमात्र अलंकार वक्रोक्ति होती है। क्यों कि शब्द और अर्थ दोनों का वक्रतावैचित्र्य से युक्त रूप में कथन ही उनका अलंकार होता है। उन दोनों में सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करने वाला यही वक्रतावैचित्र्य से युक्त कथन ही होता है। अतः उसी का अलंकारत्व समुचित है। शब्दादिक का यह वक्र कथन लोक एवं शास्त्र में प्रसिद्ध कथन से व्यतिरेकी एवं वैचित्र्यपूर्ण होता है। आचार्य कुन्तक ने वक्रता के छः भेदों में से वर्णविन्यासवक्रता और वाक्यवक्रता के अन्तर्गत समस्त शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों का ग्रहण कर लिया। यमक अनुप्रास एवं उपनागरिका आदि वृत्तियों का जिस प्रकार अन्तर्भाव वर्णविन्यासवक्रता में किया गया है उसे चतुर्थ अध्याय में स्पष्ट कर किया जा चुका है। शेष उपमा आदि अलंकारों के वाक्यवक्रता में अन्तर्भाव का स्पष्ट प्रतिपादन अधोलिखित कारिका में किया गया है —

1- व. जी., पृ० 3

2- 'तदिदमत्र तात्पर्यम् —यत् शब्दार्थौ पृथगवस्थितौ केनापि व्यतिरेकेनालंकरणेन योज्येते किन्तुवक्रतावैचित्र्ययोगितयाभिधानमेवानयोरलंकारः— तस्यै व शोभातिशयकारित्वात्।  
—वही', पृ० 33

3- वक्रो योऽसौ शास्त्रादि प्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकी — वही, पृ० 14

'वाक्यस्य वक्रभावोद्भयो भिद्यते यः सहग्रया ।  
यत्रालंकारवर्गोऽसौ सर्वोऽप्यन्तर्भविष्यति ।'

और इसकी वृत्ति में उन्हो ने सुस्पष्ट ढंग से कहा है कि इस वाक्यवक्रता में कवि प्रवाह प्रसिद्ध समस्त उपमादि अलंकार समूह अन्तर्भूत हो जायगा। उसकी अलग से स्थिति नहीं होगी। उसका व्यवहार इसी वाक्य वक्रता के प्रकार भेद रूप में होगा<sup>2</sup>। आचार्य कुन्तक ने इन समस्त अलंकारों का विवेचन 'वक्रोक्तिजोवित' के तृतीय उन्मेष में किया है। दुर्भाग्यवश उस स्थल की पाण्डुलिपि अत्यन्त भ्रष्ट रही जिसके कारा डा० सुशील कुमार डे उसका सम्यक् सम्पादन नहीं कर सके फिर भी डा० साहब ने यथाशक्ति उसका सारांश (Resume) प्रस्तुत कर कुन्तक के अलंकारविवेचन को पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रकृति विवेचन उसी उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। आचार्य कुन्तक ने पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत बहुत से अलंकारों की अलंकारता का निषेध किया है। और उनका या तो पृथक् वैचित्र्य न होने के कारण किसी अलंकार में अन्तर्भाव कर दिया है अथवा उनकी अलंकारता का खण्डन कर अलंकार्यता सिद्ध की है। यहाँ पहले उन अलंकारों का निरूपण किया जायगा जिनकी अलंकारता कुन्तक को मान्य नहीं है।

### (1) स्वभावोक्ति अलंकार

इस बात का ऊपर निरूपण किया जा चुका है कि काव्य में कुन्तक को अलंकार्य और अलंकार का वस्तुतः विभाग मान्य नहीं है फिर भी काव्यस्वरूप के परिज्ञान में उपाय भूत होने के कारण अपोद्धार बुद्धि से उनका कल्पित प्रविभाग निरूपित किया गया है। कुन्तक ने प्रथम उन्मेष में ही केवल वक्रोक्ति की ही अलंकारता का प्रतिपादन करते हुए स्वभावोक्ति को अलंकार मानने वालों का खण्डन किया है। कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्यों में भरत ने तो स्वभावोक्ति को अलंकार मानने वालों का खण्डन किया है। कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्यों ने तो स्वभावोक्ति का कोई उल्लेख ही नहीं किया। आचार्य भामह ने स्वभावोक्ति का उल्लेख तो किया परन्तु उसकी अलंकारता उन्हें मान्य नहीं थी, इसका निरूपण भामह का विवेचन करते समय द्वितीय अध्याय में किया जा चुका है। उपलब्ध साहित्य

1- व. जी. 1/20

2- 'यत्र यस्मिन्सावलंकारवर्गः कविप्रवाहप्रसिद्धप्रतीतिरूपमादिरलंकरणकलापः सर्वः सकलोऽप्यन्तर्भविष्यति अन्तर्भावं व्रजिष्यति, पृथक्त्वेन नङ्गस्थाप्यते । तत्प्रकारभेदत्वेनेव व्यपदेशमासादयिष्यतीत्यर्थः । वही, पृ० 4 ।

शास्त्र के आधार पर आचार्य दण्डी ही आद्य आचार्य है जो 'स्वभावोक्ति 'अथवा' जाति' को आद्य अलंकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं<sup>1</sup>। उद्भट ने भी स्वभावोक्ति की अलंकारता पर स्वीकार की यद्यपि दण्डी की स्वभावोक्ति से उनकी स्वभावोक्ति में पर्याप्त भेद रहा। आचार्य रुद्रट ने अर्थ के वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष चार प्रधान अलंकार माने। उन्होने जाति, अलंकार का वर्णन वास्तव अलंकार के अन्तर्गत किया। इस प्रकार जाति (अथवा स्वभावोक्ति) की अलंकारता उन्हें भी मान्य रही। वामन ने स्वभावोक्ति अथवा जाति नामक किसी भी अलंकार की चर्चा नहीं की। आचार्य आनन्दवर्धन ने भी स्वभावोक्ति की अलंकारता स्वीकार की थी। यह प्रतिपादित ही किया जा चुका है। इस प्रकार कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्यों में दण्डी, उद्भट, रुद्रट आनन्दवर्धन तथा भामह के कुछ पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जिनका कि मत भामह उद्धृत करते हैं स्वभावोक्ति को अत्यन्त रमणीय अलंकार के रूप में स्वीकार कर रखा था।

आचार्य कुन्तक स्वभावोक्ति को अलंकार मानने वालों को सुकुमारहृदय एवं विवेक क्लेश से द्वेष करने वाला कहते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपोद्धार बुद्धि से काव्य में अलंकार और अलंकार्य का विवेचन करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि जब हम स्वभावोक्ति को अलंकार कहे तो उस समय उसके द्वारा अलंकार्य क्या होगा इसका भी विवेचन करें। स्वभावोक्ति का अर्थ है कहा जाने वाला स्वभाव अथवा स्वभाव वर्णन। किसी काव्य का शरीर स्वभाव वर्णन ही होता है क्योंकि निःस्वभाव वस्तु का कथन ही नहीं किया जा सकता। जिसके द्वारा अपना कथन और ज्ञान ही उसे स्वभाव कहते हैं— 'भवतः अस्माद् अभिधानप्रत्ययौ इति भावः, स्वस्य आत्मनः भावः ~~स्व~~ स्वभावः<sup>2</sup>।' अतः निःस्वभाव वस्तु शब्द का विषय ही न रह जायगी। स्वभाव के बिना कोई वस्तु असत्कल्प शशविषाण की तरह शब्दज्ञान का विषय ही न रह पायेगी। इसलिए यदि स्वभाव कथन को ही अलंकार मान लिया जाय तो एक गाड़ीवान के वाक्य को भी अलंकारयुक्त और काव्य मानना पड़ेगा क्यों कि स्वभाव का ही कथन तो वह भी करता है परन्तु ऐसा किसी भी आचार्य को अभीष्ट नहीं। दूसरी बात, स्वभावकथन ही तो वर्ण्य शरीर होने के कारण अलंकार्य होता है उसी को यदि अलंकार मान लिया जायगा

1- 'स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या साऽलंकारित्यथा।' काव्यादर्श 2/8

2- व. जी. पृ 24





गुण का स्वरूप निरूपण करने के अनन्तर इतना स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आधुनिक आचार्य इसे ही स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं—

\*अयमेवेदानोन्तनैः स्वभावोक्त्यलंकार इति व्यपदिश्यते।\*

इससे बल्कि यही सिद्ध होता है कि स्वभावोक्ति अलंकार उन्हें भी स्वीकार रहा है। अन्य आचार्यों ने तो स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन ही किया है किन्तु आचार्य हेमचन्द्र ने कुन्तक के मत को उद्धृत कर उसका खण्डन भी किया है। हेमचन्द्र ने अपने समर्थन में महिमभट्ट के कथन को उद्धृत किया है अतः महिमभट्ट के मत को यहाँ सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा रहा है। आचार्य महिमभट्ट ने शब्द एवं अर्थ के अनौचित्य को प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से पाँच बहिरंग दोष स्वीकार किए हैं—(1) विधेयाविमर्श (2) प्रक्रमभेद (3) क्रमभेद (4) पौनरुक्त्य और (5) वाच्यावचन। उन्होंने वाच्यावचन को दोष के अन्तर्गत ही अवाच्यवचन नामक दोष का भी ग्रहण किया है—

अनेन च वाच्यावचनेन सामर्थ्यादवाच्यवचनमपि संगृहीतवेदितव्यम्। तस्यापीष्टार्थीविपर्ययात्मकत्वात्।<sup>2</sup> इसी दोष के विवेचन में वे प्रतिपादित करते हैं कि 'जो विशेषण केवल स्वरूप का अनुवादमात्र प्रस्तुत करते हैं वाला होता है और जिसके कारण अर्थ अप्रत्यक्ष-सा लगता है वह कवि-प्रतिभा से उत्पन्न न होने के कारण निःसार होता है और वह काव्य में अवाच्य अथवा अवर्णनीय होता है अतः यदि उसका वर्णन किया जाता है तो वह अवाच्यवचन दोष को प्रस्तुत करता है क्योंकि वह केवल वृत्त पूर्ण करने के लिए ही होता है कवित्व को प्रस्तुत करने के लिए नहीं।<sup>3</sup> इसी पर कोई प्रश्न करता है कि जैसे आप इस विशेषण को अवाच्य बताते हैं वैसे ही जब स्वरूप अथवा स्वभाव मात्र का कथन किया जाता है तो वह भी अवाच्य होने के कारण दोष को ही प्रस्तुत करता है अतः फिर स्वभावोक्ति की अलंकारता कैसे आचार्यों द्वारा स्वीकार की गई है? इसी प्रश्न के उत्तर रूप में महिमभट्ट स्वभावोक्ति की अलंकारता का निरूपण इस प्रकार करते हैं— 'इस संसार में वस्तु के दो रूप होते हैं एक सामान्य रूप, जिसमें

\* रसगङ्गाधर, पृ. 98

1- 'इह खलु द्विविधमनौचित्यमुक्तमर्थविधेयं शब्दविषयञ्चेति। ×××अपरं पुनर्बहिरंगं बहु प्रकारं सम्भवति। तद्यथा-विधेयाविमर्शः, प्रक्रमभेदः क्रमभेदः पौनरुक्त्यं वाच्यावचनञ्चेति।' व्यक्तित 0 पृ 149-151

2- व्यक्तित 0 पृ 376

3- यत्स्वरूपानुवादकफलं फलगुणविशेषणम्। अप्रत्यक्षायमाणार्थं स्मृतमप्रतिभोद्भवं तदवाच्यमिति ज्ञेयं वचनन्तस्य दूषणम्। तद् वृत्तपूर्णाद्यैव न कवित्वायकल्पते।  
वही, 2/111-112

4- कथं तर्हि स्वभावोक्तेरलंकारत्वमिष्यते।

न हि स्वभावमात्रोक्तौ विशेषः कश्चनानयोः।। वही, 2/113

बहुत से विकल्प विद्यमान रहते हैं । वही सामान्य रूप सभी शब्दों का विषय होता है और इसीलिए वे शब्द सामान्य अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं । लेकिन वस्तु का दूसरा विशिष्ट स्वरूप भी होता है जो कि प्रत्यक्ष का विषय होता है । वही वस्तु का विशिष्ट स्वरूप अस्तिस्त्विति प्रतिभासम्पन्न श्रेष्ठ कवियों की वाणी का विषय बनता है । क्यों कि रसों के अनुरूप शब्दों एवं अर्थों के चिन्तन में सावधान हृदय कवि की क्षण भर के लिए विशिष्ट स्वरूप के स्पर्श से उत्पन्न प्रज्ञा ही तो प्रतिभा होती है । उसे ही भगवान शंकर का तृतीय नेत्र कहा गया है जिससे कि वे तीनों कालों में विद्यमान पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं । अतः पदार्थों के विशिष्ट स्वभाव की उन्नित अलंकाररूप में स्वीकार की गई है क्योंकि कवि प्रतिभा के द्वारा उद्भावित पदार्थ वहाँ साक्षात् से दिखायी पड़ते हैं । और जो वस्तु का सामान्य स्वभाव होता है वह अलंकार का विषय ही नहीं होता अन्यथा अविस्पष्ट अर्थों को कौन अलंकृत ही कर सकता है ।' इस प्रकार आचार्य महामहिमभट्ट की दृष्टि से वस्तु का विशिष्ट स्वभाव ही वर्णनीय होता है और वही अलंकार होता है । उसका सामान्य स्वभाव तो अवाच्य होता है । उसका वर्णन दोष होता है । वस्तुतः महिमभट्ट यहाँ कुन्तक के स्वभावोक्ति की अलंकारता के खण्डन का खण्डन करने नहीं बैठे हैं । बल्कि पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत स्वभावोक्ति की अलंकारता का अपनी दृष्टि से स्पष्टीकरण कर रहे हैं । आचार्य हेमचन्द्र जी ने इनकी उक्ति का जो अर्थ प्रस्तुत कर अपने पक्ष के समर्थन में इनके कथन को उद्धृत किया है वह स्वयं समीचीन नहीं है । उन्होने जाति का लक्षण किया — 'स्वभावाख्यानं जातिः ।' और स्वभाव का अर्थ किया अर्थ की तदवस्थता-<sup>2</sup> 'अर्थस्यतादवस्थी स्वभावः ।' इस तदवस्थता का व्याख्यान उन्होने इस प्रकार किया है- 'साऽनुभवैकगोचरा अवस्था यस्य स, तस्य भावस्तादवस्थमिति । अयमर्थः - कवि प्रतिभया<sup>3</sup> निर्विकल्पकप्रत्यक्षकल्पया विषयीकृतावस्तुस्वभावा यत्रोपवर्ण्यन्ते स जातेर्विषयः ।' अर्थात्

1- उच्यते वस्तुनस्तावद् द्वैरूप्यमिह विद्यते ।

तत्रैकमत्र (अन्ये) सामान्यं सद् विकल्पैकगोचरः ॥

स एव सर्वशब्दानां विषयः परिकीर्तितः

अत एवाभिधेयन्ते सामान्यं बोधयन्त्यलम् ॥

(अतएवाभिधीयन्ते ध्यामन्ते बोधयन्त्यलम्)

विशिष्टमस्य यद्रूपं तत्प्रत्यक्षस्य गोचरः

स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभाभवाम् ॥ - यतः -

रसानुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिमितचेतसः ।

क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैवप्रतिभा कवेः ॥

की निर्विकल्पक प्रत्यक्षकला प्रतिभा के विषय-भूत वस्तुस्वभाव का जहाँ वर्णन किया जाता है वही जाति अलंकार होता है। और इसलिए जो कुन्तक ने यह कहा कि 'जिन अलंकारिकों के मत में स्वभावोक्ति अलंकार है उनके लिए अन्य अलंकार्य क्या बचता है?' वह अपने आप निरस्त हो जाता है। क्योंकि वस्तु का सामान्य स्वभाव लौकिक अर्थ अलंकार्य होता है और कवि-प्रतिभा-संरम्भविशेष का विषयभूत लोकोत्तर अर्थ अलंकार होता है। जैसा कि महिमभट्ट ने प्रतिपादित किया है। इसके बाद वे महिमभट्ट के संग्रह-श्लोकों को उद्धृत करते हैं। किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हेमचन्द्र और महिमभट्ट के अभिप्रायों में परस्पर महान् भेद है। हेमचन्द्र ने कुन्तक के अभिमत का खण्डन करने की भौक ने अधिक विवेकपूर्ण ढंग से महिमभट्ट के कथन पर विचार नहीं किया। हेमचन्द्र के अनुसार [ शेष अगले पृष्ठ पर ]

(शेष-) सा हि चक्षुर्भगवतस्तृतीयमिति गीयते ।

येन साक्षात्करोत्येषभावास्त्रैकान्यवर्तिनः ।।×××

अर्थ(अस्य) स्वभावस्योक्तिर्या अलंकारतया मता।

यतः साक्षादिवाभान्ति तत्रार्थाः (तत्त्वार्थाः) प्रतिभार्पिताः ।×××

सामान्यस्तु स्वभावो यः सोऽन्यालंकारगोचरः [सोऽनलंकारगोचरः]

स्लिष्ट (स्लिष्ट) मर्थमलंकारुमन्यथा को हि शक्नुयात् ।

वस्तुमात्रानुवादस्तु पूरणैकफलो मतः (हि यः) ।

अनन्तरोक्तयोरैव यद्वान्तर्भावमर्हति।

(अर्थदोषः स दोषैरपुष्ट इति मीयते।।)

— यत्किं तः, पृ० 390-392 तथा काव्यानुशासन पृ० 380-81

उक्त उद्धरण में जो पाठ ( ) कोष्ठक के अन्दर दिया गया है वह हेमचन्द्र

द्वारा उद्धृत है और जो [ ] कोष्ठक में दिया गया है वह डा० राघवन

(Some Concepts : P. 114 ) द्वारा निर्दिष्ट है।

2- काव्यानुशासन, 6/15 तथा वृत्ति

3- वही, विवेक 379-80

(1) एवं च -अलंकारकृता येषां स्वभावोक्तिरलंकार्यः ।

अलंकार्यतया तेषां किमन्यदवशिष्यते। इति यत्कैश्चित् प्रत्यपादि तन्निरस्तमेव।  
वस्तुना हि सामान्यस्वभावो लौकिकोऽर्थो लंकार्यः । कविप्रतिभासंरम्भविशेषविषयस्तु  
लोकोत्तरोऽर्थो(र्थो) लंकार्यमिति। तथा चाह - 'उच्यते' इत्यादि ।

—वही पृ० 380

वस्तु का विशिष्ट स्वभाव अलंकार है और सामान्य स्वभाव अलंकार्य जब कि महिम भट्ट के अनुसार विशिष्ट स्वभाव तो अलंकार अवश्य है लेकिन सामान्यस्वभाव अलंकार्य नहीं है । उनकी दृष्टि में वस्तु का सामान्य स्वभाव स्लिष्ट है, अविस्पष्ट है, अवर्णनीय है और उसका वर्णन दोष है, अतः वह अलंकार्य कैसे हो सकता है जब कि उसका काव्य में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और इसीलिए यदि वस्तुतः विचार किया जाय तो महिमभट्ट कुन्तक की ही बात का समर्थन करते दिखायी पड़ते हैं । अन्तर केवल इतना है कि कुन्तक उसे तर्क की तुला पर तौल कर अलंकार्य कहते हैं जब कि महिमभट्ट अलंकार जिसकी कि उपचारतः स्वीकृति कुन्तक भी दे देते हैं । कुन्तक का कहना है कि काव्य में अभिप्रेत अर्थ अपने सहृदयाह्लादकारी स्वभाव से रमणीय होना चाहिए। तृतीय उन्मेष में कुन्तक ने वस्तुवक्रता का वर्णन करते हुए पुनः स्वभावोक्ति की अलंकारता का निराकरण करते समय पूर्वपक्ष की ओर से स्वयं वह प्रश्न प्रस्तुत किया है जिसके कि आधार पर हेमचन्द्र जी कुन्तक का खण्डन करते हैं। यदि वे ज़रा-सा भी अपना ध्यान उस ओर आकृष्ट करते तो उन्हें अपने तर्कों का उत्तर अथवा खण्डन वहीं प्राप्त हो जाता। कुन्तक के अनुसार 'अत्यन्त रमणीय स्वभाविक धर्म से युक्त रूप में केवल वक्रताविशिष्ट शब्दों द्वारा किया गया वस्तु का वर्णन वस्तुवक्रता को प्रस्तुत करता है।' इसी के विषय में कुन्तक ने पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया कि 'अभी आपने प्रथम उन्मेष में जिस सहृदयाह्लादकारिणी स्वभावोक्ति की अलंकारता का खण्डन किया है उसे ही तो आप स्वीकार कर रहे हैं अतः आपका उसके दूषण का प्रयास व्यर्थ है क्यों कि वस्तु का सामान्यधर्म मात्र अलंकार्य होता है और अतिशययुक्त स्वभाव सौन्दर्य का परिपोषण अलंकार होता है।' इसका उत्तर कुन्तक देते हैं कि आपका ऐसा तर्क प्रस्तुत करना उचित नहीं। क्यों कि काव्य को सहृदयाह्लादकारी होना चाहिए अतः अगतिक गतिन्याय से जैसी तैसी काव्यरचना कोई महन्त्व नहीं रखती। फिर जो वस्तु उत्कृष्ट धर्म से युक्त नहीं है उसका अलंकार भी सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करने में असमर्थ होगा जैसे असमुचित भित्तिभाग पर उल्लिखित चित्र सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत नहीं कर पाता। अतः कवि को अत्यन्त रमणीय स्वाभाविक धर्म से

1- अर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वल्पन्दसुन्दरः । 'व. जी. 1/9

2- 'उदारस्वपरिस्वल्पन्दसुन्दरत्वेन वर्णनम्।  
वस्तुनो वक्रशब्देकैर्गोचरत्वेन वक्रता।। वही, 3/1

3- वही, पृ० 135

युक्त वर्णनीय वस्तु का ग्रहण करना चाहिए। और तदनु रूप उसके औचित्य के पोषक रूपकादि अलंकारों की योजना करनी चाहिए। अतः कुन्तक के अनुसार वस्तु का सामान्य से भिन्न विशिष्टस्वरूप ही वर्णनीय होता है। यही बात महिमभट्ट ने भी कही है। वस्तु के इस विशिष्ट स्वरूप को कवि कभी तो प्रस्तुतौचित्य को ध्यान में रखते हुए अत्यल्प मात्रा में रूपकादि अलंकारों से अलंकृत करते हैं और कभी जब उन्हें उस वस्तु के सहज सौन्दर्य का ही रेकराज्य प्रतिपादित करना अभीष्ट होता है तो उसके किसी भी अलंकार को प्रस्तुत नहीं करते। उस समय उस वस्तु का लोकोत्तर सौन्दर्य ही सहृदयों को आह्लादित करने में सर्वथा समर्थ होता है। जैसे कि सर्वाकार अलंकार्य विलासवती रमणी भी स्नान के समय, विरहव्रतधारण करते सभ्य अथवा सम्भोग की समाप्ति आदि पर अधिक अलंकारों को सहन नहीं कर पाती। उस समय उसका स्वाभाविक सौन्दर्य ही रसिकहृदयों को अत्यधिक आनन्दित करता है। अतः सर्वातिशायी सौन्दर्य रूप पदार्थ के स्वभाव की अलंकार्यता ही उचित है अलंकारत्व नहीं। क्योंकि अतिशयहीन धर्म से युक्त वस्तु को अगर अलंकृत कर दिया जाय तो वह पिशाचादि की भाँति अलंकृत हो कर भी सहृदयों को आनन्दित करने में असमर्थ ही रहेगी। अतः स्वभावोक्ति की अलंकार्यता ही समीचीन है। लेकिन उस अलंकार्य को ही यदि सोचकर के अलंकार कहा जाता है कि उस समय वर्णनीय पदार्थ के औचित्य के माहात्म्य से वह पदार्थ स्वभाव ही अतिशययुक्त ढंग से वर्णित होकर अपनी महिमा से अन्य अलंकारों को सहन न करके स्वयं ही सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यह हमारा ही पक्ष होगा।<sup>3</sup>

इस तरह आचार्य हेमचन्द्र की बातें का शब्डन् स्वयं कुन्तक के ही शब्दों से हो जाता है। और वस्तुतः कुन्तक का कथन ही यही समीचीन है। क्योंकि जिस समय काव्य में वस्तु के विशिष्ट स्वभाव का वर्णन किया जाता है उस समय उस वस्तु का सामान्य स्वभाव तो वर्णित होता ही नहीं जिससे कि उस सामान्य स्वभाव को अलंकार्य और विशिष्ट स्वभाव को अलंकार स्वीकार किया जा सके। और जब

1- वही, पृ० 135

2- द्रष्टव्य, वही पृ० 135-138

3- 'यदि वा प्रस्तुतौचित्यमाहात्म्यान्मुख्यतया भावः स्वभावः सातिशयत्वेन वर्ण्यमानः स्वमहिम्ना भूषणान्तरासहिष्णुः स्वयेव शोभातिशयशालित्वादलंकार्योऽप्यलंकारणमित्यभिधीयते। तदयमास्माकीदं एव पक्षः। - वही, पृ० 139

काव्यगत अलंकार के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है तो उस समय अलंकार के साथ-साथ ही अलंकार्य के स्वरूप का भी स्पष्ट निरूपण होना चाहिए। लौकिक कटक कुण्डलादिक अलंकार तो रमणियों के शरीर से अलग जोहरियों की दूकानों पर भी प्राप्त होते हैं अतः वहाँ अलंकार का अन्यत्र और अलंकार्य का अन्यत्र स्वरूप निरूपण किया जा सकता है। परन्तु काव्य की स्थिति तो इससे सर्वथा भिन्न है। वहाँ तो वस्तुतः अलंकार और अलंकार्य का विभाग ही नहीं है उन्हें तो केवल अपोद्धारबुद्धि से उनका स्वरूप निरूपण करने के लिए कल्पित ढंग से विभक्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अतः जहाँ अलंकार होगा वहाँ अलंकार्य भी निश्चित रूप से होगा। और इसीलिए यदि वस्तु के विशिष्ट स्वभाव को अलंकार मान लिया जायगा तो अलंकार्य कुछ शेष रहेगा ही नहीं। क्योंकि वहाँ वस्तु का सामान्य स्वभाव तो वर्णित होता ही नहीं वही विशिष्ट स्वभाव ही वर्णविषय अथवा काव्यशरीर होता है। अतः स्वभावोक्ति की अलंकार्यता ही समीचीन है, अलंकारत्व नहीं।

## (2) रसवदलंकार

आचार्य कुन्तक ने 'स्वभावोक्ति' की ही भाँति पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत रसवदलंकार का भी खण्डन किया है क्योंकि उन लोगों ने ही रस को अलंकार रूप में प्रतिपादित किया था। कुन्तक रस को सर्वथा अलंकार्य ही सिद्ध करते हैं और उसकी अलंकारता का निराकरण करते हैं। कुन्तक के पूर्व मुख्यतः रसवदलंकारविषयक तीन धारणाएँ उपलब्ध होती हैं जो इस प्रकार हैं -

- (1) पहली धारणा भामह, दण्डी तथा उद्भट आदि आचार्यों की है जो कि रसवर्णन को ही अलंकार मानते हैं।
- (2) दूसरी धारणा उन आचार्यों की है जो चेतन पदार्थों के वर्णन विषय रूप में रसवदलंकार और अचेतन पदार्थों के वर्णन विषय रूप में उपमादि अलंकारों की व्यवस्था करते हैं। वे कौन से आचार्य थे? कुछ स्पष्ट नहीं। केवल इनके मत का ही 'ध्वन्यालोक' तथा 'वक्रोक्तिजीविह्व' में उल्लेख प्राप्त होता है।
- (3) तीसरी धारणा स्वयं आनन्दवर्धन की है जो कि अपने से भिन्न वाक्यार्थ के प्रधान रहने पर रसादि के गौडारूप में प्रस्तुत होने पर रसवदादि अलंकार स्वीकार करते हैं।

आचार्य कुन्तक ने क्रमशः इन तीनों ही धारणाओं का बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से खण्डन किया है। उसके खण्डन में उनके प्रधानतया दो तर्क हैं -

(1) रसवदलकार में अपने (अलंकार्य) स्वरूप के अतिरिक्त किसी दूसरे की प्रतीति नहीं होती जिसे कि रसवद् अलंकार के अलंकार्य रूप में समझा जा सके।

(2) रसवदलकार कहने में शब्द और अर्थ की संगति नहीं होती। इन्हीं दो प्रधान तर्कों के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा कुन्तक ने प्राचीन आचार्यों द्वारा स्वीकृत रसवदलकार की मान्यता का निरूपण किया है। पहले तर्क को परिपुष्ट करते हुए वे कहते हैं - श्रेष्ठ कवियों के समस्त अलंकृत वाक्यों में 'यह अलंकार्य है और यह अलंकार है, ऐसा अपोद्धार बुद्धि से किया गया पृथग्भाव सभी प्रमाताओं के हृदय में परिस्फुरित होता है। लेकिन 'रसवदलकार से युक्त वाक्य में तो अत्यन्त सावधान हृदयप्रमाता के हृदय में भी अलंकार्य और अलंकार का कुछ भी पृथग्भाव स्फुरित नहीं होता।

(1) क्यों कि यदि शृंगारादि ही प्रधान रूप से वर्ण्यमान होने के कारण अलंकार्य है तो उनसे भिन्न कोई अलंकार होना चाहिए अथवा यदि रस स्वरूप के ही सहृदया-ह्लादकारी होने के कारण उसे ही अलंकार कहा जाता है तो उससे भिन्न किसी अन्य अलंकार्य की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी विवेचन प्राचीन भामह, दण्डी आदि आलंकारिकों के लक्षणों एवं उदाहरणों में नहीं प्रस्तुत किया गया। क्योंकि भामह का लक्षण है - 'रसवद् दर्शितस्पष्टशृंगारादिरसम्।'

1- अलंकारो न रसवत् परस्थाप्रतिभासनात् ।

स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दार्थासंगतेरपि ।।-व. जी. 3/1।

2- 'सर्वेषामेवालंकृतानां सत्कविवाक्यानामिदमलंकार्यमिदमलंकारणमुदत्तयपोद्धारविहितो विविक्तभावः सर्वस्य कस्यचित् प्रमातृश्वेत्सि तसि परिस्फुरति। रसवदलकारवदिति वाक्ये पुनरविहितचेतसोऽपि न किंचिदेतदेव बुध्यामहेत्यरं प्रस्तुतं किया गया अर्थ ठो इन्हीं पैरिचित्तयो के आधार पर है। उसमें कोई असंगति भी नहीं दिखायी पड़ती। वस्तुतः डा० डे के संस्करणों में 'सर्वेषामेवालंकृतानाम्' के स्थान पर 'सर्वेषामेवालंकृतीनाम्' पाठ मुद्रित है जिसमें निश्चय ही अर्थ में असंगति पड़ती है। सम्भव है कि मात्रा की गड़बड़ी मुद्रण में हो गयी है। परन्तु डा० नगेन्द्र द्वारा सम्पादित 'हिन्दी वक्रोक्तिजीवित' (पृ० 338) पर आचार्य विश्वेश्वर जी ने जो अपनी विवेकाश्रित संपादन पद्धति के आधार पर मनमाना पाठ परिवर्तन किया है वह और भी अधिक असंगत है। उन्होंने पादटिप्पणी (सं० 1) में डा० डे के पाठ को असंगत बताकर मूल में इस प्रकार परिवर्तन किया है - 'सर्वेषामेवालंकाराणां सत्कविवाक्यगतानाम्' और उसका हिन्दी रूपान्तर किया है कि - 'सत्कवियों के कवच वाक्य में आये



इस लक्षण की व्याख्याये इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है -

(क) जिसमें शृंगारादि रस स्पष्ट रूप से दिखाये गये हों वह रसवद् अलंकार होगा'-इस व्याख्या के अनुसार समास का अर्थ भूत काव्य के अतिरिक्त और दूसरा पदार्थ नहीं दिखायी पड़ता। यदि यह कहा जाय कि भामह के अनुसार काव्य ही रसवद् अलंकार है तो उचित नहीं, क्योंकि भामह ने स्वयं पहले यह कह रखा है कि काव्य के अंगभूत शब्दों एवं अर्थों के पृथक् पृथक् अलंकार उन्हें अभीष्ट है-

शब्दाभिधेयालंकारभेदादिष्टं द्वयन्तु नः ।

अतः यदि यहाँ वे काव्य को ही अलंकार कहते हैं तो उनके उपक्रम एवं उपसंहर में वैषम्य दोष उपस्थित हो जाता है ।

(ख) इसकी दूसरी व्याख्या यह भी हो सकती है कि जिसके द्वारा शृंगारादि रस स्पष्ट रूप से दिखाये गए हों वह रसवद् अलंकार होगा। 'इस व्याख्या के अनुसार यदि यह कहा जाय कि प्रतिपादन अस्वै वैचित्र्य अलंकार होगा तो वह भी ठीक नहीं क्योंकि प्रतिपाद्यमान से भिन्न ही प्रतिपादनवैचित्र्य उसकी उपशोभा का कारण होता है न कि स्वयं प्रतिपाद्य ही ।

(ग) अथवा यदि यह व्याख्या प्रस्तुत की जाय कि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित शृंगारादि रसों का प्रतिपादनवैचित्र्य ही अलंकार है तो भी समाधान उचित नहीं क्योंकि शृंगारादि के स्पष्ट दर्शन में स्वयं शृंगारादि रसों के स्वरूप की ही निष्पत्ति होगी किसी अलंकार की नहीं ।

(घ) यदि यह कहा जाय कि रसवत् काव्य का अलंकार रसवद् अलंकार होगा तो भी इस अलंकार के स्वरूप का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता ।

(ङ) यदि यह कहा जाय कि उसी अलंकार के कारण काव्य में रसक्त्व आता है तो फिर वह रसवत् (काव्य) का अलंकार न होकर रसवान अलंकार होगा जिसके कारण काव्य भी रसवत् हो जाता है ।

(शेष) हुए सब ही अलंकारों में 'यह अलंकार्य है' और यह अलंकार है' इस प्रकार पृथक् पृथक् रूप से किया हुआ (अलंकार्य अलंकार भाव) अलग अलग सभी ज्ञाताओं (विद्वानों) के मनमें प्रतीत होता है । 'निश्चय ही इस वाक्य तथा इसके हिन्दी रूपान्तर की संगति लगाना आचार्य जी श्री के ही विवेक की बात थी। अन्यथा किसी भी विद्वान को इस वाक्य की असंगति स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। अलंकार्य और अलंकार का पृथग् विवेचन अलंकार में ही सम्भव है, न कि अलंकार में ही। आचार्य जी के मन में ही केवल कटककुण्डल में ही रमणियों के शरीर की भी प्रतीति हुई होगी। अन्य को तो नहीं हो सकती।

(च) अथवा यदि कोई यह तर्क प्रस्तुत करे कि उस रसवान् अलंकार के कारण काव्य पहले रसवद् हुआ फिर उसी रसवानलंकार को ही रसवद् काव्य का अलंकार मान कर रसवदलंकार कह दिया गया जैसे कि 'इसका पुत्र अग्निष्टोमयाजी' शब्द पहले भूतार्थ भूत में किसी दूसरे के विषय में जिसने कि अग्निष्टोम यज्ञ कर रखा है निष्पक्ष भाव से प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया रहता है और तब बाद में वह भविष्यति अर्थ के साथ सम्बन्ध की योग्यता रखने से सम्बन्ध का अनुभव करता है । परन्तु रसवदलंकार के विषय में ऐसा नहीं है । क्यों कि इसके स्वरूप को प्राप्त ही रसवत् काव्य का अलंकार रस रूप में काव्य के सम्बन्धी रूप में ही होती है जब कि इसके काव्य की के सम्बन्धी होने का हेतु काव्य की रसवत्ता है जो कि इसी के कारण सम्भव होती है अतः दोनों में अन्योन्याश्रय-दोष उपस्थित हो जाता है ।

(छ) अथवा यदि व्याख्या स्वीकार की जाय कि 'जिसके पास रस विद्यमान है' वह रसवान् अलंकार होगा तो भी या तो काव्य का स्वरूप सामने आता है अथवा अलंकार का और दोनों ही दशाओं में अलंकार और अलंकार्य का विभाग सम्भव नहीं यह प्रतिपादित ही किया जा चुका है। अतः रसवद् की अलंकार्यता ही समुचित है अलंकारत्व नहीं । उदाहरणार्थ दण्डी के इस अधोलिखित उद्धरण में—

मृतेति प्रेत्य संगन्तु यया मे मरणं स्मृतम् ।

सैवावन्ती मया लघा कथमत्रैव जन्मनि ।।

मे रति परिपोष रूप वर्णनीयशरीरभूता चित्तवृत्ति से विभक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती । अतः इस उद्धरण में भी रसवद् की अलंकार्यता ही सिद्ध होती है ।

आचार्य दण्डी ने रसवदलंकार का लक्षण दिया है 'रसवद्रससंश्रयात्' । इस लक्षण की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है—

(1) रस जिसका संश्रय है वह हुआ रससंश्रय । उसके कारण रसवदलंकार होता है । इस व्याख्या के अनुसार यह बताना आवश्यक है कि रस के अतिरिक्त कौन-सा पदार्थ है जो रस को अपना संश्रय बनाता है । अगर कहा जाय कि काव्य है तो उसका खण्डन पहले ही किया जा चुका है, उसका अलंकारत्व अपने में ही किया विरोध होने से उपपन्न नहीं होता है ।

(2) दूसरी व्याख्या यह भी की जा सकती है कि जो रस का संश्रय है अथवा रस के द्वारा जिसका संश्रयण किया जाता है उसके कारण रसवदलकार होता है तो भी यह तो बताना ही पड़ेगा कि रस के अतिरिक्त वह कौन सा पदार्थ है । और ऐसी दशा में पूर्ण व्याख्या का दोष इसमें भी समुपस्थित हो जाता है। यद्यपि 'रसवद्रससंश्रयात्' ऐसा पाठ 'काव्यादर्श' के किसी भी उपलब्ध संस्करण में प्राप्त नहीं होता है । सर्वत्र 'रसवद्रसपेशलम्'<sup>2</sup> यही पाठ मिलता है। साथ ही किसी टीकाकार ने भी 'रसवद्रससंश्रयात्' इस पाठान्तर का निर्देश नहीं किया इसीलिए डा० नगेन्द्र आदि ने इसे स्पष्ट शब्दों में दण्डी का लक्षण नहीं स्वीकार किया । उन्होंने इसे किसी अज्ञाननामा आचार्य का ही कहना अधिक समीचीन समझा है।<sup>3</sup> किन्तु कुन्तक के विवेचन से स्पष्ट है कि उनके समय में दण्डी के ये दोनों ही पाठ उपलब्ध थे । कुन्तक दण्डी के इस समय प्राप्त होने वाले पाठ का भी उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि 'रसवद्रसपेशलम्' ऐसा पाठ कर देने से भी उक्त लक्षण में कोई वैशिष्ट्य नहीं उपस्थित हो जाता -

'रसपेशलमिति पाठे न किंचिदत्रातिरिच्यते।'<sup>4</sup>

इससे स्पष्ट है कि 'रसवद्रससंश्रयात्' भी दण्डी के वर्तमान समय में प्राप्त होने वाले पाठ का पाठान्तर है ।

आचार्य उद्भट ने रसवद् का लक्षण दिया है -

'रसवद् दर्शितस्पष्ट शृंगारादि रसोदयम् ।

स्वशब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम् ॥'<sup>5</sup>

निश्चित ही उत्तरार्थ की पंक्ति से इन्होंने 'भामह के ही लक्षण को विशेषित किया है। उसके अनुसार रस के आस्पद स्वशब्द 'स्थायीभाव, संचारी भाव, विभाव और अभिनय होते हैं । इन्होंने के द्वारा जहाँ शृंगारादि रसों का स्पष्ट उदय दिखाया जाता है वहाँ रसवदलकार होता है । कुन्तक ने उद्भट की इस 'स्वशब्दास्पदता' की बड़ी मीठीचुटकी ली है । उन्होंने यह प्रश्न उपस्थित किया कि उद्भट को रस की स्वशब्दास्पदता मान्य है या रसवत् की ?

1- द्रष्टव्य, व.जी.पृ० 160

2- ,, काव्यादर्श 2/275

4- व.जी.पृ० 160

3- भा० का०, भू० भाग 2, पृ. 333

5- का.सा.सं.पृ० 52 - डा० नगेन्द्र ने उद्भट की इस कारिका के उत्तरार्थ का जो अर्थ अपने ग्रन्थ 'भा०का०भू०, पृ० 333 पर दिया है वह सर्वथा असमीचीन एवं असंगत है।

अगर रस की स्वशब्दास्पदता मानते हैं तो आशय यह होगा कि शृंगारादि रसों का आस्वादन उनके आस्पदभूत शृंगारादि शब्दों से हो जाता है क्यों कि रस तो आस्वादनीय होते हैं — 'रस्यन्त इति रसाः ।' और ऐसा स्वीकार करना यही स्वीकार कर लेना होगा कि 'घृतपूर' इत्यादि खाद्यपदार्थों का नाम ले लेने मात्र से उनके आस्वाद का आनन्द मिल जायगा। जो सर्वथा असम्भव है। और यदि रसवत् की स्वशब्दास्पदता मान्य है तो वह भी युक्तिसंगत नहीं क्यों कि जब शृंगारादि के द्वारा वाच्य रस का ही वह आस्पद नहीं हो सकता तो दूसरे की तो बात ही क्या ? और रसवद् की अलंकारता का खण्डन तो किया ही जा चुका है। इस प्रकार कुन्तक ने उक्त तर्कों से पहले मुख्य तर्क का प्रतिपादन किया कि इस अलंकार में अपने स्वरूप से भिन्ना किसी अन्य का दर्शन ही नहीं होता जिसे उसके अलंकार्य रूप में रखा जाय। अतः वह स्वयं अलंकार्य है अलंकार नहीं। कुन्तक के उक्त तर्क निश्चित ही अकाट्य हैं जैसा कि उनके विवेचन से स्पष्ट किया जा चुका है। इन तर्कों के अतिरिक्त भी कुन्तक ने एक अन्य तर्क भी प्रस्तुत किया है जो पाण्डुलिपि के भ्रष्ट होने के कारण स्पष्ट नहीं है।

दूसरा प्रधान तर्क कुन्तक ने यह प्रस्तुत किया है कि रसवदलंकार मानने में शब्द और अर्थ की संगति नहीं बैठती। रसवत् शब्द जिसके पास रस है — 'रसो विद्यते यस्य' इस विग्रह में मत् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। अब उससे षष्ठी समास करने पर अथवा विशेषण समास करने पर रसवदलंकार शब्द की निष्पत्ति होती है। यदि षष्ठी समास स्वीकार किया जाय कि 'रसवतः अलंकारः' इति रसवदलंकारः 'तो प्रश्न सामने आता है कि रसवत् है कौन ? यदि काव्य को ही रसवत् मान लिया जाय तो फिर कौन-सा पदार्थ शेष बचता है जिसे अलंकार कहा जायगा ? अतः षष्ठी समास करने पर शब्दार्थसंगति नहीं बैठती। इसी तरह यदि विशेषण समास स्वीकार किया जाय कि 'रसवाश्चासावलंकारश्च रसवदलंकारः' तो विशेष 'रस' के अतिरिक्त और कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता जिसे रसवान् अलंकार कहा जा सके। अतः इस पक्ष में भी शब्द और अर्थ की संगति नहीं बैठती। अतः पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत रसवदलंकार अलंकार्य है उसका अलंकारत्व कथमपि मान्य नहीं।

1- तत्र पूर्वास्मिन् पक्षे-रस्यन्त इति रसास्ति स्वशब्दास्पदास्तेषु तिष्ठन्तः शृंगारादिषु वर्तमानाः सन्तस्तज्ज्ञैस्वाद्यन्ते। तदिदमुक्तम्भवेति-यत् स्वशब्दैरभिधीयमानाः श्रुतिपथमवतरन्तश्चेत-  
नानां चवर्णचमत्कारं कुर्वन्तीत्यनेन न्यायेन घृतपूरप्रभृतयः पदार्थाः स्वशब्दैरभिधीयमाना-  
स्तदास्वादसम्पदं सम्पादयन्तीत्येवं सर्वस्य कस्यचिदुपभोगसुखार्थिनस्तैरुदारचरितैर्यत्नेनैव  
तदभिधानमात्रादेव त्रैलोक्यराज्यसम्पत्सौख्यसमृद्धिः प्रतिपाद्यत इति नमस्तेभ्यः । —

इस प्रकार कुन्तक ने भामह , दण्डी एवं उद्भट आदि आचार्यों द्वारा स्वीकृत रसवदलंकारविषयक पहली धारणा का बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से निराकरण किया। पूर्वाचार्यों के विवेचन के दृष्टि में रखने पर कुन्तक के तर्क निश्चित ही अकाट्य है ।

अब रसवदलंकारविषयक दूसरी धारणा सामने आती है जिसके अनुसार चेतन पदार्थ के वर्णनविषय के रूप में रसवदलंकार की और अचेतन पदार्थ के वर्णनविषय रूप में उपमादि अलंकारों की व्यवस्था की गयी थी। इस धारणा का खण्डन आचार्य आनन्दवर्धन ने छन्या-लोक में भलीभाँति किया था । कुन्तक संक्षेप में उसी की ओर इंगित कर देते हैं । पिट्ट पेषण करना उचित नहीं समझते <sup>2</sup> आनन्दवर्धन ने मुख्य रूप से ये तर्क प्रस्तुत किए हैं - यदि चेतन पदार्थों के वाक्यार्थी भाव को रसादि अलंकारों का विषय माना जायगा तो उपमा आदि अलंकारों का विषय या तो प्रविरल हो जायगा या बिल्कुल समाप्त ही हो जायगा। क्यों कि कहीं भी अचेतन पदार्थों के व्यवहार का वाक्यार्थीभाव होता है वहाँ भी किसी न किसी रूप में चेतन पदार्थों के वृत्तान्त की योजना रहती ही है । अतः ऐसी दशा में उपमादि अलंकारों की प्राप्ति दुर्लभ हो जायगी । यदि यह कहा जाय कि चेतन वस्तुओं का वृत्तान्त भले ही रहे लेकिन प्रधान रूप से वाक्यार्थीभाव यदि अचेतन वस्तुओं के वृत्तान्त का ही है तो वहाँ उपमादि अलंकार ही माने जायेंगे रसादि नहीं, तब तो बड़ा अनर्थ हो जायगा, क्योंकि बड़े बड़े काव्य प्रबन्ध जो कि रस के निधानभूत हैं वह भी नीरस कहलाने लगेंगे । अतः उपमादि एवं रसादि अलंकारों की चेतन अथवा अचेतन पदार्थों के वर्णन विषय के रूप में व्यवस्था कथमपि समीचीन न है क्योंकि कोई भी ऐसा अचेतन पदार्थों का वृत्तान्त नहीं मिलेगा जहाँ कि चेतन वस्तुओं के वृत्तान्त की योजना प्राप्त न हो भले ही वह विभावरूप में ही क्यों न हो । अतः ऐसा विभाजन स्वीकार करना उचित नहीं। अन्यथा या तो बहुत बड़े सरस काव्यों की नीरसता स्वीकार करनी पड़ेगी अथवा उपमादि अलंकारों की प्रविरलविषयता या निर्विषयता <sup>3</sup>।

अब रसवदलंकार विषयक तीसरी धारणा है स्वयं आचार्य आनन्दवर्धन की । उनके अनुसार जिस काव्य में प्रधानतया वाक्यार्थीभाव किसी दूसरे का रहता है जिसके

1- द्रष्टव्य, व.जी.पृ० 157-162

2- ,, ,, पृ० 162-163

3- ,, छन्या० पृ० 198-204

कि अंग रूप में रसादि प्रयुक्त होते हैं वहाँ अंग रूप में प्रयुक्त रसादि ही रसवदादि अलंकार होते हैं। जहाँ पर रसादिक का ही वाक्यार्थीभाव रहता है वहाँ ध्वनि का क्षेत्र होता है रसवदादि अलंकारों का नहीं। वहाँ पर उस रसादि ध्वनि के उपमा आदि अलंकार होते हैं। किन्तु जहाँ प्राधान्यवश वाक्यार्थीभाव दूसरे पदार्थ का रहता है वहाँ यदि रस आदि के द्वारा चारुता की सृष्टि की जाती है तो रसादि अलंकार होते हैं<sup>1</sup>। आचार्य कुन्तक ने इनके भी अभिमत का खण्डन किया है। पाण्डुलिपि की भ्रष्टता के कारण खण्डन विधि का स्पष्ट निरूपण नहीं किया जा सकता। प्राप्त विवरण के आधार पर कुन्तक ने जो इनके लक्षण में दोष दिखाया है वह यह है कि आनन्द ने जो 'काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिः' कहा है उससे रस आदि की अलंकारता सिद्ध होती है<sup>2</sup> रसवत् की नहीं। क्योंकि रसवत् में जो 'मत्-प्रत्यय है उसका जीवितभूत कुछ भी उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। और वस्तुतः आनन्द के इस विवेचन में इस तर्क की अकाट्यता सिद्ध है। इसके अतिरिक्त कुन्तक ने आनन्दवर्धन द्वारा संकीर्ण एवं शुद्ध रसवदलंकार के रूप में उद्धृत उदाहरणों में उनके द्वारा किए गए रसवदलंकार के विवेचन का बड़े ही विस्तार के साथ खण्डन किया है किन्तु सिद्धान्त की दृष्टि से वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। अतः इस प्रसंग में वह अनुपादेय है<sup>3</sup>। आनन्दवर्धन द्वारा स्वीकृत इन रसवदादि अलंकारों को मम्मट ने भी केवल उसी रूप में स्वीकार ही नहीं किया बल्कि जहाँ आनन्द आदि प्राचीन आचार्यों ने रसवत्, प्रेयस, ऊर्जस्वि और समाहित चार ही अलंकार माने थे वहाँ मम्मट ने भावोदय, भावसन्धि, भावशबलता तीन अलंकार और भी जोड़ दिए<sup>4</sup>। आगे चल कर रुय्यक<sup>5</sup>, विश्वनाथ<sup>6</sup>, विद्यानाथ तथा अण्ण्यदोक्षित<sup>7</sup> आदि आचार्यों ने मम्मट का ही अनुसरण किया। हेमचन्द्र ने उसे अलंकार नहीं माना। उन्होंने उसे गुणीभूत व्यंग्य का भेद ही<sup>8</sup> कहा।

1- प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्रागन्तु रसादयः।

काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः।। ध्वन्या० 2/5 तथा देखे वृत्ति

2- द्रष्टव्य, वृ जी. पृ० 166

3- देखे वही, पृ० 161-165

4- द्रष्टव्य, का. प्र. पृ० 195-196

5- अलं० स० पृ० 232-239

6- सा. द. पृ० 366-368

7- प्र० स० पृ० 290-291

8- कुवलयानन्द का, 170-171

9- रसवत् प्रेयसी ऊर्जस्विभावसमाहितानि गुणीभूतव्यंग्यप्रकारा एव हेम. काव्या० पृ० 404

इस प्रकार कुन्तक ने अपने पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत रसवदलंकारविषयक तीनों ही धारणाओं का बड़े तर्कपूर्ण ढंग से खण्डन किया और जैसा कि दिखाया जा चुका है निश्चित ही तीनों मतों का खण्डन करने में दिए गए कुन्तक के तर्क अत्यन्त प्रबल एवं अकाट्य हैं ।

कुन्तक द्वारा स्वीकृत रसवदलंकार का स्वरूप :-

अब स्वयं कुन्तक द्वारा स्वीकृत रसवदलंकार का स्वरूपनिरूपण एवं विवेचन किया जायगा। कुन्तक के अनुसार रसवद् कोई उपमा आदि से भिन्न अलंकारविशेष नहीं है जैसा कि अन्य आचार्यों ने स्वीकार कर रखा है । उनके रसवदलंकार के लक्षण के अनुसार सभी रूपकादि अलंकार रसवत् हो सकते हैं । रसवत्का अर्थ है जो रस के तुल्य हो। 'रसेन तुल्यम्' इस अर्थ में 'तेन तुल्यं क्रिया चेद् वतिः' सूत्र से वति प्रत्यय होने पर रसवत् शब्द निष्पन्न होता है । रस का कार्य है काव्य में सरसता का सम्पादन करना और सहृदयोंको आह्लादित करना। अतः जो भी रूपक और उपमा आदि अलंकार काव्य को सरस बनायेंगे और सहृदयों को आह्लाद प्रदान करेंगे वे सभी रसवदलंकार कहे जायेंगे। यही कुन्तक की स्वयं की रसवदलंकारविषयक धारणा है । उनके अनुसार उपमादिक जब रसवत् हो जाते हैं तो वे स्रग्मत् समस्त अलंकारों के प्राणभूत एवं काव्यैक सर्वस्व हो उठते हैं। और उन्हें रसवदलंकार वैसे ही कहा जाता है जैसे कि ब्राह्मण के सदृश आचरण करने वाले क्षत्रिय को ब्राह्मणवत् क्षत्रिय<sup>2</sup> कहा जाता है। यद्यपि कुन्तक ने रसवदलंकार का जैसा विवेचन प्रस्तुत किया है उसके अनुसार उसमें वे दोष तो नहीं प्राप्त हो सकते जो कि पूर्वाचार्यों के रसवदलंकार के लक्षणों में विद्यमान हैं फिर भी कुन्तक के रसवदलंकार के लक्षण को सर्वथा सुस्पष्ट भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः रसवदलंकार विशेष की कल्पना ही समीचीन नहीं प्रतीत होती । कुन्तक के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि जब किसी क्षत्रिय को ब्राह्मणवत् कहा जाता है केवल 'ब्राह्मणवत्क्षत्रियः' कहा जाता है केवल 'ब्राह्मणवत्' नहीं कहा जाता। उसी तरह यदि रूपक

1- अष्टा05/1/115

2- यथा स रसवन्नाम सर्वालंकारजीवितम्।  
काव्यैकसारता याति तथेदानीं विवेच्यते।

रसेनवर्तते तुल्यं रसवत्त्वविधानतः

योऽलंकारा सै रसवत् तद्विदाह्लादनिर्मितेः ।।

— तथा वृत्ति पृ० 174-175

अथवा उपमा को रसवदलंकार स्वीकार किया जायगा तो केवल रसवदलंकार ही कहना समीचीन नहीं होगा बल्कि रसवद्रूपकालंकार अथवा रसवदुपमालंकार कहना समीचीन होगा। शब्दार्थसंगति दोष को तो यथा कथंचित् इनके लक्षण में भी दूर किया जा सकता। दूसरी बात कुन्तक के इस अलंकारनिरूपण से जो सामने आती है वह यह है कि जहाँ कुन्तक द्वारा स्वीकृत रसवदलंकार नहीं होता बल्कि अन्य अलंकार होते हैं, वही काव्य, सरस और सहृदयो को आह्लादित करने में समर्थ नहीं होता क्योंकि सरसता सम्पादन और सहृदयाह्लादन की क्षमता तो रसवदलंकारों में ही निहित होती है। इस बात का कुन्तक निषेधा भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं के शब्दों में —

'प्रमाणवन्त्वादायातः प्रवाहः केन वार्यते।'

परन्तु ऐसा कुन्तक को अभीष्ट नहीं क्योंकि फिर अन्य स्वतंत्र अलंकारों का स्वरूपनिरूपण ही व्यर्थ सिद्ध होगा। अतः, अन्ततोगत्वा रसवदलंकारविशेष की कल्पना ही असमीचीन है, यही सिद्ध होता है।

### (3) प्रेयोऽलंकार

आचार्य भामह ने प्रेयोऽलंकार का कोई लक्षण ही नहीं दिया। उन्हीं ने केवल उदाहरण ही प्रस्तुत किया है। दण्डी के अनुसार प्रियतर कथन को प्रेयोऽलंकार कहते हैं<sup>2</sup>। साथ ही दण्डी ने भामह के ही उदाहरण को उस अलंकार के उदाहरण रूप में प्रतिपादित किया है। विदुर के घर कृष्ण आये हुए हैं और उनसे विदा हो रहे हैं। उसी समय विदुर कहते हैं : कि 'हे गोविन्द! आज आपके मेरे घर पर पधारने पर जो आनन्द मुझे प्राप्त हुआ है वह आनन्द कालान्तर में पुनः आपके आने से ही प्राप्त होगा<sup>3</sup>।' यहाँ पर चूँकि विदुर की उक्ति बड़ी ही प्रियतर है अतः प्रेयोऽलंकार है। परन्तु आचार्य कुन्तक इसका खण्डन करते हैं। उनका कहना है कि यही जो प्रियतर कथन है वही तो वर्णनीय होने के कारण वस्तु का स्वभाव है अलंकार्य है, अगर उसी को

1- व. जी. पृ० 98

2- 'प्रेयः प्रियतराख्यानम्'-काव्यादर्श 2/275

3- अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते।

कालेनैषा भवेत् प्रीतिस्तवैवागमनात् पुनः ।। वही, 2/276 तथा भामह काव्या० 3/5



अलंकार मान लिया जायगा तो फिर अलंकार्य क्या होगा ? एक क्रिया का विषयभूत एक ही पदार्थ एक साथ ही मर्क-कर्म और कारण दोनों नहीं हो सकता। अतः अपने स्वरूप से अतिस्वित के प्रतिभासित न होने के कारण प्रेयस् भी रसवत् की<sup>1</sup> भाँति अलंकार्य है अलंकार नहीं। एक ही वस्तु अपने में ही क्रिया विरोध होने के कारण अलंकार और अलंकार्य दोनों हो नहीं सकती। अतः प्रेयस् की अलंकारता दण्डी और भामह के लक्षणों एवं उदाहरणों के अनुसार सिद्ध नहीं होती। आचार्य उद्भट ने दण्डी और भामह से भिन्न प्रेयस्वत् अलंकार का स्वरूप निरूपित किया है। डा० डे ने संकेत किया है कि कुन्तक ने प्रेयस्वत् को अलंकार मानने में एक और आपत्ति उठाई है जिसका कुछ भी निर्दर्श पाण्डुलिपि के भ्रष्ट होनेके कारण नहीं किया जा सकता। सम्भव है कि कुन्तक ने वहाँ पर उद्भट के अभिमत का खण्डन किया हो। वैसे उद्भट द्वारा निरूपित प्रेयस् अलंकार रसादि की ही कोटि में आता है। क्योंकि उनका लक्षण है-

'रत्यादिकानां भवानामनुभवादि सूचनेः ।

यत् काव्यं बध्यते सदिभस्तत्प्रेयस्वदुदाहृतम्??<sup>2</sup>

अतः उसकी भी अलंकारता स्वीकार्य नहीं हो सकती। इन आचार्यों के अनन्तर आनन्दवर्धन तथा उनके अनुयायियों ने देवादि विषयक रीति अथवा विशेष रूप से व्यंजित व्यभिचारी रूप भाव के गौण होने पर उसी भाव को प्रेयोऽलंकार कहा है। अतः रसवद् की भाँति ही उसकी भी अलंकारता असिद्ध हो जाती है। हेमचन्द्र के शब्दों में वह गुणीभूतव्यंग्य एवं कुन्तक के शब्दों में अलंकार्य है। इसके अतिस्वित कुन्तक ने एक पद्य -

'इन्दोर्लक्ष्म त्रिपुरजयिनः<sup>3</sup> इत्यादि को उद्धृत किया है जिसमें कि आगे चलकर स्वयं ने व्याजस्तुति अलंकार माना है।<sup>4</sup> सम्भवतः कुन्तक के कुछ पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार वहाँ व्याजस्तुति और प्रेयस् का संकर मान्य था। कुन्तक उसका खण्डन करते हैं और यह प्रतिपादित करते हैं कि यहाँ संकर नहीं, केवल व्याजस्तुति ही अलंकार है क्योंकि वहाँ जो प्रेयः कथन है वही तो अलंकार्य है, जिसे कि व्याजस्तुति अलंकृत करती है।

1- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 169

2- का. सा. सा पृ० 50

3- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 169

4- अलं० म. पृ० 143

यदि उस प्रेयःकथन को भी अलंकार मान लिया जायगा तो उन दोनों से भिन्न कोई तीसरी वस्तु तो बचती ही नहीं जिसे कि अलंकार्य कहा जा सके। अतः इससे भी यही सिद्ध होता है कि प्रेयस् अलंकार्य ही है अलंकार नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी स्थल मिलना ही असम्भव है जहाँ कि प्रेयस् को अलंकार रूप में स्वीकार किया जा सके।

#### (4) ऊर्जस्व अलंकार

इस प्रकार रसवत् और प्रेयस् की अलंकारता का निराकरण कर कुन्तक ऊर्जस्व की अलंकारता का निराकरण करते हुए भामह दण्डी एवं उद्भट के लक्षणों की एवं उदाहरण आलोचना करते हैं। भामह ने तो कोई लक्षण दिया ही नहीं दण्डी के अनुसार अत्यधिक अहंकार युक्त कथन ऊर्जस्व अलंकार होता है<sup>2</sup>। भामह और दण्डी दोनों ही आचार्यों के उदाहरणों से दण्डी के इसी लक्षण की पुष्टि होती है। कुन्तक दोनों ही आचार्यों के उद्घरणों को प्रस्तुत कर रसवदलंकार की ही भाँति उनकी भी अलंकार्यता सिद्ध करते हैं। और वह उचित भी है क्योंकि वहाँ पर वही अहंकारयुक्त कथन ही तो वर्णनीय होने के कारण वस्तुत्वभाव अथवा अलंकार्य होता है। उद्भट का लक्षण उक्त आचार्यों के लक्षणों से भिन्न है। उनके अनुसार काम, क्रोधादि के कारण अनौचित्य प्रवृत्त भावों एवं रसों का निबन्धन ऊर्जस्व अलंकार होता है<sup>3</sup>। कुन्तक खण्डन करते हुए कहते हैं कि यदि भाव अनौचित्यप्रवृत्त होगा तो रसभंग हो जायगा। जैसा कि आनन्दवर्धन ने कहा ही है कि-

अनौचित्यादुद्भूते नान्यद् रसभंगस्य कारणम्<sup>4</sup> ।

लेकिन उद्भट ने जो उदाहरण दिया है -

तथा कामोऽस्य ववृधे यथा हिमगिरेः सुताम् ।  
संग्रहीतुं प्रववृते हठेनापास्य सत्पथम् ॥<sup>5</sup>

1- व. जी. पृ० 167-169

2- ऊर्जस्वरूढहंकारम् - काव्यादर्श, 2/275

3- अनौचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोधादिकारणम् ।

भावानी रसानां च बन्ध ऊर्जस्व कथ्यते ॥ का. सा. सं. पृ० 54

4- ध्व०, पृ० 330

5 - का. सा. सं. पृ० 54

उसमें कुन्तक समुचित रस का सुन्दर परिपोष स्वीकार करते हैं । और कुमारसम्भव से पशुपतिरपि तान्यहानि' इत्यादि श्लोक उद्धृत कर उसे वस्तुस्वभाव कह कर अलंकार्य सिद्ध करते हैं । और कहते हैं कि जो दोष रसवदलंकार के स्वीकार किए गए हैं वे ही दोष इस ऊर्जस्वि अलंकार में भी विद्यमान हैं । अतः यह भी अलंकार्य ही है अलंकार नहीं। वस्तुतः पाण्डुलिपि की भ्रष्टता के कारण डा० डे कुन्तक का मूल पाठ तो सम्पादित कर ही नहीं सके साथ ही जो निर्देश भी किया है वह कुन्तक के मन्तव्य को अत्यधिक स्पष्ट नहीं कर पाता। हाँ, जैसा डा० संकरन ने अपने प्रबन्ध में व. जो से एक उद्धरण प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट होता है कि कुन्तक रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि सभी अलंकार्यता ही स्वीकार करते हैं इसीलिए आनन्दवर्धन आदि द्वारा स्वीकृत भी रसवत् प्रेयस ऊर्जस्वि आदि अलंकारों को वे अलंकार्य कोटि में ही रखते हैं और उनके अलंकारत्व का खण्डन करते हैं । वह उद्धरण है -

'तस्मादेवविधस्य चित्तवृत्तिविशेषत्वाद् रसभावतदाभसानां यथायोगमेकस्मिन्  
विवक्षावशादन्तर्भावः सम्भवतीत्यलंकार्यत्वमेव युक्तमे, न पुनरलंकार्यत्वम्।'

#### (5) उदात्तालंकार

आचार्य भामह, दण्डी तथा उद्भट तीनों ही आचार्यों द्वारा किया गया उदात्त अलंकार का विवेचन एक रूप ही है। उनके अनुसार उदात्त अलंकार दो प्रकार का होता है- पहला जिसमें नाना रत्नादिक विभूतियों से युक्त वस्तु का वर्णन होता है- और दूसरा जिसमें महात्माओं के उदात्त चरित का वर्णन रहता है । इनमें से पहले प्रकार का तो भामह स्पष्ट लक्षण निर्देशपूर्वक विवेचन करते हैं किन्तु दूसरे प्रकार का लक्षण न देकर केवल उदाहरण ही प्रस्तुत करते हैं<sup>3</sup>। आचार्य दण्डी दोनों का ही स्पष्ट लक्षण निर्देशपूर्वक विवेचन करते हैं -

'आशयस्य विभूतेर्वा यन्महत्त्वमनुत्तमम् ।  
उदात्तं नाम तं प्राहुरलंकारं मनीषिणः ॥'

1- कु. सं. 6/95

2- Some Aspects पृ० 126

3- 'नानारत्नादियुक्तं यत् तत्कलोदात्तमुच्यते।' 3/12 तथा द्रष्टव्य 3/11

4- काव्यादर्श, 2/300

उनमें से पहले प्रकार के उदात्त की अलंकारता का खण्डन करते हुए कुन्तक यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उसके अनुसार वस्तु अलंकार होती है<sup>1</sup>। कौसी वस्तु अलंकार होती है? इसके लिए उद्भट ने विशेषण दिया कि 'ऋदिघमद्' वस्तु उदात्तालंकार होती है। अब यहाँ यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट ही परिलक्षित होता है कि वही 'ऋदिघ-मद्' वस्तु वर्ण्यमान है अलंकार्य ~~ऋ~~ है अतः वह अलंकार नहीं हो सकती। क्योंकि अपने में ही क्रियाविरोध दोष उपस्थित हो जाता है। वहाँ वस्तुस्वरूप से भिन्न और कुछ भी प्रतिभासित नहीं होता जिसे उसके अलंकार्य रूप में स्वीकार किया जा सके। यदि 'ऋदिघमद्' वस्तु में बहुव्रीहि समास मानकर कोई यह व्याख्या प्रस्तुत करे कि जिसके अथवा जिसमें ऋदिघमद् वस्तु हो वह काव्य ही स्वयं अलंकार है तो उचित नहीं क्योंकि काव्य के अलंकार होते हैं काव्य ही स्वयं अलंकार नहीं होता। अथवा यदि यह व्याख्या प्रस्तुत की जाय कि जिसके अथवा जिसमें ऋदिघमद् वस्तु हो वह अलंकार उदात्त होगा तो वहाँ वर्णनीय उदात्त अलंकार से अतिरिक्त अलंकार की कल्पना करनी पड़ेगी। अतः पहले उदात्त प्रकार को अलंकार मानने में ऋ शब्दार्थसंगति रूप दोष भी उपस्थित हो जाता है<sup>2</sup>।

इसी तरह दूसरे उदात्त प्रकार को भी अलंकारता सिद्ध नहीं होती है। कुन्तक यहाँ उद्भट के ही लक्षण को उद्धृत करते हैं क्योंकि उन्हो ने दण्डी आदि से कुछ वैशिष्ट्य प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार महात्मनाम् का चरित जो कि उपलक्षणता को प्राप्त होता है इतिवृत्तता को नहीं वह उदात्त अलंकार होता है। उपलक्षणता से आशय उसके अंग रूप में अथवा गौणरूप में वर्णन से है<sup>3</sup>। कुन्तक प्रश्न करते हैं कि महानुभावों के जिस व्यवहार को आप केवल उपलक्षणवृत्ति वाला स्वीकार करते हैं उसका प्रस्तुतवाक्यार्थ से कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं है? अगर आप सम्बन्ध स्वीकार करते हैं तो वह अन्य पदार्थ की तरह ही सही वह उसमें लीन न होने के कारण अलग से प्रतिपादित होकर भी उसके अंग रूप में ही सामने आयेगा न कि अलंकार रूप में, जैसे हाथ पैर आदि को शरीर का अंग ही कहा जाता है अलंकार नहीं। और यदि सम्बन्ध नहीं स्वीकार करते हैं तो भिन्न वाक्य में रहने वाले पदार्थ की ~~जै~~ तरह उस महात्मा

1- 'उदात्तमृदिघमद्' - का. सा. सं. पृ० 57

2- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 171/172

3- चरितं च महात्मनाम् । उपलक्षणतां प्राप्तं नेतिवृत्तत्वमागतम् ।

के व्यवहार की उस प्रस्तुत-वाक्यार्थ में सत्ता ही नहीं रहेगी अतः उसके अलंकरणत्व की चर्चा ही कैसी ? इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दोनों ही प्रकार का उदात्त अलंकार अलंकार्य रूप ही होता है। अलंकार रूप<sup>1</sup> नहीं। यद्यपि कुन्तक ने उदात्त की अलंकारता का खण्डन किया अवश्य फिर भी मम्मट,<sup>2</sup> हयक,<sup>3</sup> विश्वनाथ तथा अप्पय्यदीक्षित<sup>4</sup> आदि परवर्ती आचार्यों ने उद्भटाभिमत ही द्विविध उदात्तालंकार स्वरूप को स्वीकार किया। विद्यानाथ ने केवल ऋदिग्धमद्वस्तु वर्णन को ही उदात्त माना है।<sup>5</sup> आचार्य हेमचन्द्र भी उदात्त की पृथक् अलंकारता नहीं स्वीकार करते। वे प्रथम पुरस्कार के उदात्त को अतिशयोक्ति अथवा जाति से अभिन्न मानते हैं और दूसरे प्रकार को ध्वनि अथवा गुणीभूतव्यंग्य का विषय मानते हैं।<sup>7</sup> अतः यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो प्रथम प्रकार को जाति से अभिन्न कह कर तथा दूसरे को ध्वनि का विषय बताकर वे कुन्तक के अनुसार उदात्त की अलंकार्यता का ही समर्थन करते हैं। और वस्तुतः उदात्त का जैसा स्वरूप आचार्यों ने प्रतिपादित किया है उसके अनुसार उसकी अलंकार्यता ही समीचीन प्रतीत होती है क्योंकि वह वर्णन विषय रूप ही तो होता है।

#### (6) समाहित

आचार्य भामह ने तो समाहित अलंकार का भी केवल उदाहरण ही प्रस्तुत किया है लक्षण नहीं दिया। किन्तु उनके उदाहरण और दण्डी के समाहित के उदाहरण में पर्याप्त साम्य है अतः दण्डी का ही लक्षण भामह के उदाहरण को भी समाहित अलंकारयुक्त सिद्ध कर देता है।<sup>8</sup> दण्डी के अनुसार जहाँ कहीं किसी भी कार्य को आरम्भ करने वाले को

1- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 172

2 का. प्र. 10/115

3- अलं. स. पृ० 230-231

4- सा. द. 10/94-95

5- कुवलयानन्द का० 162

6- प्र. रू. य. पृ० 466

7- काव्यानुशासन पृ० 403-404

8- द्रष्टव्य, भामह, काव्या० 3/10 तथा काव्यादर्श 2/299

देववशात् पुनः उस कार्य की सिद्धि का साधन प्राप्त हो जाता है वही समाहित अलंकार होता है। आगे चल कर मम्मट, स्थिक आदि परवर्ती आचार्यों ने इसका स्मरण समाधि अलंकार के रूप में किया है। मम्मट का लक्षण है -

समाधिः सुकरं कार्यं कारणान्तरयोगतः<sup>2</sup> ।'

किन्तु आचार्य उद्भट ने भामह एवं दण्डी द्वारा अभिमत समाहित के स्वरूप से भिन्न समाहित का स्वरूप निरूपित किया है। उनके अनुसार जहाँ पर रसो, भावो अथवा रसाभासो या भावाभासो की प्रशान्ति को उपनिबद्ध किया जाता है साथ ही अन्य रसों के अनु-<sup>3</sup>भावादि का वर्णन नहीं होता है वहाँ समाहित अलंकार होता है। निश्चित ही उद्भट का यह लक्षण आनन्द आदि ध्वनिवादी आचार्यों की भावप्रशम अथवा भावशान्ति ध्वनि को प्रस्तुत करता है। परन्तु जैसे उद्भट ने रसध्वनि को रसवदलंकार, भावध्वनि को प्रेयस्वदलंकार, रसाभास अथवा भावाभास ध्वनि को ऊर्जस्वि अलंकार कहा था उसी प्रकार भावशान्तिध्वनि को समाहित अलंकार कहा है। ध्वनिवादियों से इनका वस्तुतः अन्तर केवल यही है कि ध्वनिवादी इन अलंकारों की सत्ता उन ध्वनियों के गुणीभाव में मानते हैं जब कि उद्भट की दृष्टि में ऐसा कोई भेद नहीं है। आचार्य कुन्तक ने दण्डी तथा उद्भट दोनों के मतों का खण्डन किया है, परन्तु किस ढंग से खण्डन किया है? पाण्डुलिपि के अत्यधिक भ्रष्ट होने के कारण उसका निरूपण कर सकना अत्यन्त कठिन है। हाँ, कुन्तक ने जो यह कहा है कि-

'तथा समाहितस्यापि प्रकारं द्वयशोभिनः<sup>4</sup> ।' अर्थात् जैसे ऊर्जस्वि, उदात्त आदि की अलंकारता नहीं सिद्ध होती वैसे ही समाहित के भी दोनों ही प्रकारों की अलंकारता सिद्ध नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि में समाहित भी अलंकार्य रसवदादि अलंकारों का विवेचन किया गया है उसी दृष्टि से कोटि में ही आता है। वस्तुतः जिस दृष्टि से समाहित के विषय में भी विचार करने पर इसकी अलंकार्यता की ही सिद्धि होती है। क्योंकि भामह एवं दण्डी द्वारा स्वीकृत समाहित का स्वरूप वर्णनीय वस्तु के स्वरूप से सर्वथा अभिन्न ही है। अतः वह अलंकार्य ही होगा। इसी प्रकार उद्भटादि द्वारा स्वीकृत भी समाहित रसकोटि में आने से रसवदादि की ही भाँति अपनी अलंकार्यता को ही सिद्ध करता है। आचार्य वामन का

1- किंचिदारममाणस्य कार्यं देववशात् पुनः । काव्यरश्मि  
तत्साधनसमापित्तर्या तदाहुः समाहितम् । काव्य, 2/298

2- काव्य 010/125

3- रसभावतदाभासवृत्तेः प्रशमबन्धनम् ।

अन्यानुभावनिःशून्यरूपं यत् तत् समाहितम् । का०सा०सं०पृ० 56

4- व. जी. पृ० 173

समाहित अलंकार का लक्षण सबसे विलक्षण है। उनके अनुसार जिस वस्तु का सादृश्य ग्रहण किया जाता है उसी की सम्पत्ति समाहित अलंकार होती है। उदाहरण रूप में वे विक्रमोर्वशीय के -

'तन्वी मेघजलार्द्रपल्लवतया घौताधरेवाश्रुभिः'<sup>2</sup>

आदि श्लोक उद्धृत करते हैं और उसमें समाहित अलंकार की संगति दिखाते हुए कहते हैं कि यही लता में उर्वशी का सादृश्य ग्रहण करते हुए पुरुरवा के लिए वही लता उर्वशी बन गई।

### (7) आशीः

कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्यों में केवल दण्डी ने ही सुस्पष्ट ढंग से आशीः अलंकार का निरूपण किया है। उद्भट, वामन तो उसका उल्लेख ही नहीं करते। आचार्य भामह उसका उल्लेख भी करते हैं साथ ही उसका लक्षणानुरूप उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं परन्तु उनके विवेचन से स्पष्ट ही भलकता है कि उसकी अलंकारता स्वीकार करने में उनका स्वरस्य नहीं है उनका कहना है कि -

आशीरपि च केषाञ्चिदलंकारतया मता।

सौहृदस्याविरोधोक्तौ प्रयोगोऽस्याश्चतर्दयथा<sup>3</sup> ॥'

आचार्य दण्डी के अनुसार अभिलषित वस्तु के विषय में आशिसन अथवा प्रार्थना को आशीः अलंकार कहते हैं<sup>4</sup>। इस अलंकार की अलंकारता आगे भी चल कर मम्मट आदि प्रायः किसी भी आचार्य को मान्य नहीं हुई। लेकिन जैसे ही कि भरत ने इसे एक लक्षण विशेष के रूप में प्रयुक्त किया गया था उसी को ध्यान में रखते हुए विश्वनाथ आदि कुछ आचार्यों ने इसे केवल नाट्यालंकार के रूप में स्मरण किया है<sup>6</sup>। कुन्तक इसका कोई लक्षण अथवा उदाहरण नहीं देते। वे केवल इतना ही कहते हैं कि - यहाँ पर आशीः

1- 'यत्सादृश्यं तत्सम्पत्तितः समाहितम्।' का. सू. वृ. 4/3/29

2- विक्रमोर्वशीयम्, 4/66

3- भामह काव्या 03/55

4- 'आशीनामीभिलषिते वस्तुन्याशिसनं यथा।' काव्यादर्श 2/357

5- ना. शा. 16/28

6- सा. द. 6/199

अलंकार के लक्षणों से एवं उदाहरणों को नहीं प्रस्तुत किया जाता है। उनमें प्रधान रूप से आशंसनीय अर्थ ही वर्णनीय होने के कारण अलंकार्य होता है, अतः जो दोष प्रयोऽलंकार में दिखाए गए हैं वे यहाँ भी विद्यमान हैं। अतः आशीः अलंकार सिद्ध नहीं हो सकता। वह अलंकार्य ही है। हेमचन्द्र ने भी आशीः की अलंकारता का निराकरण करते हुए कहा है कि वह तो केवल प्रियकथन मात्र होती है। अतः उसे अलंकार मानने का अर्थ यही होता है कि 'गतोऽस्तमर्कः' आदि वार्ताओं को भी अलंकार मान लिया जाय। हाँ, यदि उसमें भाव का ज्ञापन स्वीकार किया जाता है तो भी वह अलंकार न होकर गुणी-भूत-व्यंग्य का विषय होगी।<sup>2</sup>

### (8) विशेषोक्ति

कुन्तक के पूर्ववर्ती प्रायः सभी आचार्यों ने विशेषोक्ति अलंकार स्वीकार किया है रुद्रट ने इसे विशेष अलंकार कहा है<sup>3</sup>। साथ ही परवर्ती आचार्यों ने भी इसकी अलंकारता स्वीकार की है। आचार्य भामह के अनुसार 'विशिष्टता का प्रतिपादन करने के लिए जहाँ एक गुण की हानि होने पर दूसरे गुण की विद्यमानता का वर्णन किया जाता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है<sup>4</sup>। इसके उदाहरण रूप में भामह ने अधोलिखित श्लोक उद्धृत किया है -

'स एकस्त्रीणां जयति जगन्ति कुसुमायुधः।

हरताऽपि तनुं यस्य शम्भुना न हृतं बलम्'<sup>5</sup>।।'

यहाँ पर कामदेव के शरीर की हानि तो वर्णित की गई परन्तु उसके बल की विद्यमानता प्रतिपादित की गई जिससे कि वह अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है। वस्तुतः यहाँ शरीर के नष्ट हो जाने पर बल नष्ट हो जाना चाहिए था। पर वैसा हुआ नहीं। इससे कामदेव का सर्वातिशायी पराक्रम प्रतिपादित होता है। फलतः विशेषोक्ति अलंकार है। जैसा कि डा० डे ने निर्देश किया है कुन्तक केवल भामह के इसी उदाहरण को

1- व. जी. पृ० 220

2- काव्यानुशासन, पृ० 404 तथा विवेक

3- रुद्र० काव्या० 9/5

4- एकदेशस्यविगमे या गुणान्तरसंस्थितिः।

विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्तिर्मता यथा।। भामह काव्या० 3/23

5- वही, 3/24



उद्धृत कर कहते हैं कि यहाँ समस्त लोको में प्रसिद्ध विजयी भाव से व्यतिरेकी कामदेव का स्वभाव मात्र ही वाक्यार्थ है । अतः वह अलंकार्य है<sup>1</sup> । लेकिन कुन्तक यहाँ पर विशेषोक्ति की अलंकारता का खण्डन करने में न्याय नहीं करते हैं यहाँ किसी को भी उनकी सहृदयता पर अपने आप सन्देह उत्पन्न हो सकता है । यही स्पष्ट ही कन्दर्प के स्वभाव से व्यतिरेकित उक्तिवैचित्र्य परिस्फुरित होता है । यहाँ वाक्यार्थ अथवा वर्णनीय है कि 'कामदेव अकेले ही समस्त लोको पर विजय प्राप्त कर लेता है ऐसा कामदेव का स्वभाव यही अलंकार्य है । और उसे अलंकृत करता है यह विशिष्ट कथन कि 'जिसका शरीर तो शंकर भगवान् द्वारा अपहृत कर लिया गया परन्तु इतना होने पर भी शंकर जिसकी शक्ति न छीन सके ।' इस कथन से कामदेव का स्वभाववर्णन निश्चय ही और भी सौन्दर्य सम्पन्न हो कर सहृदयों को आह्लादित करता है । अतः विशेषोक्ति की अलंकारता सर्वथा सिद्ध हो जाती है । वही अलंकार और अलंकार्य के विभाग की कोई कठिनाई नहीं । यदि ऐसा नहीं स्वीकार किया जायगा तो स्वयं कुन्तक द्वारा स्वीकृत विभावनालंकार भी अलंकार नहीं हो सकेगा । क्यों कि वहाँ भी तो लोकोत्तर स्वरूप वर्णन ही वाक्यार्थ होता है ।

### (9-11) हेतु, सूक्ष्म और लेश

कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्यों में हेतु सूक्ष्म और लेश को वाणी के उत्तम अलंकारों के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य दृष्टी हैं<sup>2</sup> ।

'हेतुश्च सूक्ष्मलेशौ च वाचामुत्तमभूषणम् ।' इनके अतिरिक्त आचार्य वामन तथा अश्वमेध ने इन अलंकारों का कोई उल्लेख ही नहीं किया । आचार्य भामह ने इनका उल्लेख प्रवक्ष्य किया परन्तु उनके अलंकारत्व का खण्डन करने के लिए । वक्रोक्ति का अभाव होने के कारण इनकी अलंकारता उपपन्न नहीं होती क्यों कि वाणी का अलंकार तो वक्रोक्ति ही है-

'हेतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽथ नालंकारतया मतः ।

समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः<sup>3</sup> ।।

1- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 220

2- काव्यादर्श, 2/235

3- भामह, काव्या० 2/86

दण्डी के अनन्तर इन तीनों ही अलंकारों को स्वीकार करने वाले आचार्य रुद्रट एवं अप्पय्यदीक्षित<sup>1</sup> हैं। वामन, उद्भट, हेमचन्द्र तथा जयदेव ने भामह का ही अनुगमन किया है। इनमें से किसी की भी अलंकारता का निरूपण इन आचार्यों ने नहीं किया। मम्मट,<sup>2</sup> स्यक,<sup>3</sup> विद्यानाथ,<sup>4</sup> विद्याधर<sup>5</sup> तथा विश्वेश्वर<sup>6</sup> आदि ने केवल सूक्ष्म अलंकार का ही निरूपण किया है। भोज<sup>7</sup> तथा विश्वनाथ<sup>8</sup> ने हेतु और सूक्ष्म दो अलंकारों का निरूपण किया है। पण्डितराज के उपलब्ध ग्रन्थ में केवल लेश<sup>9</sup> का ही वर्णन उपलब्ध होता है। हेतु अथवा सूक्ष्म की अलंकारता उन्हें मान्य थी अथवा नहीं इसके विषय में कुछ भी कह सकना कठिन है। आचार्य कुन्तक ऊपर उद्धृत किए गए भामह के कथन को उद्धृत कर वैचित्र्य का अभाव होनेके कारण उक्त तीनों ही अलंकारों की अलंकारता अस्वीकार करते हैं। जैसा कि डा० डे निर्देश करते हैं कुन्तक ने इन तीनों के एक एक उदाहरण को प्रस्तुत कर उनका खण्डन किया है। उनमें से हेतु और लेश के उदाहरण तो स्वयं आचार्य दण्डी के हैं तथा सूक्ष्म का उदाहरण तो यद्यपि दण्डी का नहीं है फिर भी दण्डी के उदाहरण से पूर्ण साम्य रखता है। इन तीनों उदाहरणों को प्रस्तुत कर कुन्तक कहते हैं कि यज्ञ<sup>10</sup> यही पर केवल वस्तु का स्वभाव ही रमणीय है। अतः ये अलंकार ही हैं अलंकार नहीं।<sup>10</sup> इससे अधिक कुन्तक द्वारा किया गया विवेचन उपलब्ध नहीं। आचार्य दण्डी ने हेतु का कोई लक्षण नहीं दिया। केवल कारक ज्ञापक हेतुओं का प्रतिपादन कर उनके उदाहरण ही प्रस्तुत किए हैं।<sup>11</sup> उसके विषय में भामह तथा कुन्तक की आलोचना बिल्कुल ठीक ही है क्योंकि केवल कर्णमात्र को प्रस्तुत करने से कोई चमत्कार नहीं उत्पन्न होता। जैसा कि हेमचन्द्र ने भी कहा है -

- 
- 1- द्रष्टव्य, रूद्र काव्या० 7/82-83, 98-102 तथा कुवलयानन्द का० 167, 151 तथा 138  
 2- का. प्र. 10/122-123  
 3- अलं. स. पृ० 217  
 4- प्र०रू ०य० पृ० 465  
 5- एकावली 8/69  
 6- अलंकारकौस्तुभ, पृ० 364  
 7- स. कं. 3/12 तथा 3/21  
 8- सा. द. 10/64 तथा 91-92  
 9- रस मं० पृ० 810  
 10- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 220-221  
 11- काव्यादर्श, 2/235

'कारणमात्रन्तु न वैचित्र्यपात्रमिति न हेतुरलंकारान्तरम्।'<sup>1</sup>

साथ ही केवल वस्तुमात्र का वर्णन होने के कारण उसे 'अलंकार्य' कौटि में ही रखना समीचीन भी है। भोजराज का 'क्रियायाः कारणं हेतुः'<sup>2</sup> लक्षण भी दण्डी के लक्षण से कोई वैशिष्ट्य नहीं स्थापित करता। रुद्रट तथा विश्वनाथ का हेतु का हेतुमान के साथ अभेद कथन रूप हेतु भी अपह्नुति से अतिरिक्त किसी चमत्कार को प्रस्तुत नहीं करता इसका निरूपण हेमचन्द्र ने पहले ही कर रखा है।<sup>4</sup> दण्डी के अनुसार ईगित अथवा आकार से लक्षित होने वाला अर्थ सूक्ष्मता के कारण सूक्ष्म अलंकार कहा जाता है।<sup>5</sup> सूक्ष्म का प्रायः इसी से मिलता जुलता हुआ लक्षण ही मम्मट, स्थक, विश्वनाथ, विद्यानाथ आदि सभी आचार्यों को मान्य रहा। परन्तु जैसा कि लक्षण से ही स्पष्ट है यही वस्तुस्वभाव की ही रमणीयता विराजमान रहती है। कवि ऐसा वस्तु वर्णन ही करता है कि उससे काव्य में एक अपूर्वचमत्कार आ जाता है। अतः निश्चित ही वह अलंकार्य कौटि में ही रखने योग्य है। रुद्रट का सूक्ष्म अलंकार का लक्षण इन आचार्यों के लक्षणों से विलक्षण है। उनके अनुसार जहाँ पर अयुक्तमान अर्थवाला शब्द अपने अर्थ से सम्बन्धित दूसरे युक्तिसंगत अर्थ की प्रतीति कराता है वहाँ सूक्ष्म अलंकार होता है।<sup>6</sup> परन्तु जैसा उन्होंने इसका उदाहरण दिया है उस पर तथा इस लक्षण पर विचार करने से यह सिद्ध हो जाता है कि इस अलंकार में कोई वैचित्र्य नहीं है जिससे कि उसे अलंकार स्वीकार किया जाय। दण्डी ने लेश के दो लक्षण प्रतिपादित किए हैं। पहले के अनुसार आकारादिक से प्रकट हो गई किसी वस्तु का बूढ़ाने से छिपा लेना लेश अलंकार होता है।<sup>7</sup> मम्मट आदि के अनुसार यही व्याजोक्ति अलंकार है। यदि इसमें वस्तुतः विचार किया जाय तो वस्तु स्वभाव की ही रमणीयता सामने आती है। अतः इस प्रकार के विषय में कुन्तक का इसे अलंकार्य कहना ही समीचीन है।

1- काव्यानुशासन, पृ० 397

2- स. क. 3/12

3- रुद्रट काव्या०, 7/82 तथा सा० रुद्र० 10/64

4- काव्यानुशासनविवेक पृ० 397

5- ईगिताकारलक्ष्योऽर्थः सौक्ष्म्यात् सूक्ष्म इति स्मृतः ' काव्यादर्श, 2/260

6- रुद्र. काव्या० 7/98

7- लेशो लेशेन निर्भिन्नवस्तरूपनिगूहनम्। काव्यादर्श 2/265

8 - 'व्याजोक्तिश्छद्मनोद्भिन्नवस्तरूपनिगूहनम्। का. प्र. 10/118

दूसरे लक्षण के अनुसार जहाँ निन्दा के व्याज से स्तुति अथवा स्तुति के व्याज से निन्दा की जाती है वहाँ लेश अलंकार होता है। आगे चल कर सूट, अप्पय्यंदीक्षित तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने दण्डी के इसी लेशस्वरूप को स्वीकार किया है। उनके अनुसार जहाँ दोष का गुणोभाव और गुण का दोषोभाव, उस प्रकार के कर्म के कारण, उपनिबद्ध किया जाता है वहाँ लेश अलंकार होता है। अर्थात्: इन सब का आशय लगभग एक ही है। यद्यपि अप्पय्य दीक्षित तथा पण्डितराज दोनों ही आचार्यों ने इसकी व्याजस्तुति से भिन्नता प्रतिपादित की है लेकिन इसमें निश्चितरूप से चमत्कृत व्याजस्तुति का ही है। अतः इसका उसी में अन्तर्भाव समीचीन है। पृथक् अलंकारता स्वीकार करना समीचीन नहीं।

इस प्रकार कुन्तक अपने पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत ग्यारह अलंकारों की अलंकारता का खण्डन कर उन्हें अलंकार्य कोटि में स्थापित करते हैं। केवल रसवदलंकार ही एक ऐसा अलंकार है जिसको कि स्वरूप भेद से पुनः उन्हो ने अलंकार कोटि में रखा है। उसका विवेचन रसवदलंकार के प्रसंग में किया जा चुका है। रसवदलंकार की ही भाँति वे दीपक और सहोक्ति अलंकारों के पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत स्वरूप का खण्डन कर उससे भिन्न स्वरूप प्रदान कर उन्हें अलंकार रूप में स्वीकार करते हैं। वह इस प्रकार है।

### (12) दीपक अलंकार

आचार्य भरत के अनुसार अनेकों अधिकरणों के अर्थ वाले शब्दों का एक वाक्य से संयुक्त रूप में सम्यक् प्रकाशक दीपक कहा जाता है। भरत का लक्षण अधिक स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। दीपक का एक दूसरा भी लक्षण दिया गया है जिसके अनुसार काव्य और नाटक में जो वस्तु विस्तृत, मधुर एवं समस्त गुणों से विभूषित होती है उसे दीपक कहते हैं। उन्हो ने इसका केवल एक ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। साथ ही इसका कोई विभाजन भी नहीं प्रस्तुत किया जैसा कि परवर्ती आचार्यों ने किया है। उनका उदाहरण है—

'सरासि हंसैः कुसुमैश्च वृक्षाः मत्तैर्दिवैरैश्च सरोरुहाणि ।  
गोष्ठीभिरुद्यानवनानि चैव तस्मिन् शून्यानि सदा क्रियन्ते ॥'

1- 'लेशमेके विदुर्निन्दा स्तुति वा लेशतः कृताम्'—काव्यादर्श, 2/268

2- सूट 0काव्या0, 7/100, कुवलयानन्द का, 138 तथा वृत्ति एवं रस गं, पृ0810-11

3- नानाधिकरणार्थानां शब्दानां सम्प्रदीपकम् ।  
एकवाक्येन संयुक्तं तद्दीपकमिहोच्यते ॥ (ना. शा. 16/53)

4- प्रसृतं मधुरञ्चापि गुणैः सर्वैरलंकृतम् । काव्ये यन्नाटके विप्रास्तद्दीपकमिति स्मृतम् ॥  
वही, 16/54

5- ना. शा. पृ0 325

इस उदाहरण से भरत के अभिमत के विषय में कि उन्हें केवल क्रियापद ही दीपक रूप में मान्य थे अथवा अन्य कर्ता आदि भी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। भरत के अनन्तर आचार्य भामह सामने आते हैं। उन्होने दीपक का कोई लक्षण नहीं दिया। केवल उसके तीन विभाग प्रस्तुत किए हैं - आदिदीपक, मध्यदीपक और अन्तदीपक तथा इनके तीन उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन उदाहरणों के विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि केवल क्रियापद ही दीपक होता है। आचार्य कुन्तक भामह द्वारा क्रियापद की ही दीपकता को स्वीकार करने का खण्डन करते हैं। इसके खण्डन में वे अधोलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं -

(1) प्रत्येक वाक्य में क्रियापद ही प्रकाशक होता है ऐसा स्वीकार कर लेने पर भामहाभिमत दीपकालंकार से व्यतिरिक्त स्थलों पर भी दीपक अलंकार स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि क्रियापद का वाक्य के साथ सम्बन्ध होने से सर्वत्र ही प्रकाशकत्व सिद्ध है।

(2) दूसरी बात क्रिया पद की प्रकाशकता से कोई शोभा तो काव्य में आ नहीं जाती। अतः उसका अलंकारत्व ही नहीं उपपन्न होता।

(3) साथ ही यदि केवल प्रकाशकता अर्थात् पदों के साथ सम्बन्ध होने के कारण क्रिया पद को दीपक स्वीकार किया जाता है तो अन्य पदों को भी दीपक स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि वाक्य में स्थित प्रत्येक पद एक दूसरे का प्रकाशक होता है क्योंकि उनमें परस्पर सम्बन्ध विद्यमान रहता है।

(4) यदि यह कहना चाहें कि क्रिया पद आदि, मध्य अथवा अन्त में व्यवस्थित होने पर अतिशय को प्राप्त कर लेता है अतः अलंकार हो जाता है तो यह भी कहना समीचीन नहीं क्योंकि केवल क्रियापद के ही आदि, मध्य अथवा अन्त में विद्यमान होने से वाक्यादि के स्वरूप में परस्पर कोई अतिरेक नहीं आ जाता।

(5) साथ ही जो वाक्य का आदि मध्य और अन्त क्रिया पद के प्रकार भेद का कारण बनता है वही उस वाक्यार्थ के वाचको में भी सम्भव है अतः पुनः दीपक का आनन्त्य सामने आ जाता है।<sup>2</sup>

1- आदिमध्यान्तविषय त्रिधा दीपकमिष्यते ।

एकस्यैव त्रयवस्थत्वादिति तद् भिद्यते त्रिधा ।।

अमूनि कुर्वन्ते त्वर्थमस्याख्यामर्थदीपनात् ।

त्रिभिर्निदर्शनैश्चेदं त्रिधा निर्दिश्यते यथा ।। -भामह, काव्या 2/25-26

तथा देखें वही, 2/27, 28 और 29

2- द्रष्टव्य, व. जो. पृ० 178

इन तर्कों के अतिरिक्त कुन्तक ने दो तर्क और भी प्रस्तुत किए हैं जो पाण्डुलिपि के दोषवश अधिक स्पष्ट नहीं हैं। वे इस प्रकार हैं —

(1) 'दीपकालंकारविहितवाक्यान्तर्वीर्तिनः क्रियापदस्यम्वादि व्यतिस्त्रितमेव (0स्यैव ?) काव्यान्तरव्यपदेशः । (2) यदि वा समानविभक्तानां बहूनां कारणानामेकक्रियापदं प्रकाशकं दीपकमिति युच्यते, तत्रापि काव्यच्छायातिशयकारितायाः किन्निबन्धनमिति वक्तव्यमेव ।' यहाँ दूसरे तर्क में 'विभक्तानां' के स्थान पर '0विभक्तीनां' और 'कारणानां' के स्थान पर 'कारकाणां' पाठ परिवर्तित कर देने पर अर्थ की कुछ संगति इस प्रकार हो जाती है कि- यदि समानविभक्त वाले बहुत से कारकों का प्रकाशक एक क्रियापद दीपक कहा जाता है तो भी तो यह बताना ही पड़ेगा कि काव्य के सौन्दर्यातिशय को उत्पन्न करने का हेतु क्या है ? लेकिन इस प्रश्न के उत्तर की ओर आचार्य भामह ने कोई निर्देश किया ही नहीं। अतः यह निश्चित स्वीकार करना पड़ेगा कि भामह का दीपकालंकारविवेचन अस्पष्ट है । इस प्रश्न का उत्तर उद्भट ने दिया है। इसीलिए कुन्तक उन्हें अभियुक्त तर कहते हैं । उद्भट के अनुसार काव्यसौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करने वाला तत्त्व प्रस्तुत और अप्रस्तुत की विधि के असमर्थ होने पर प्राप्त होने वाला प्रतीयमान सादृश्य होता है। इसी लिए उद्भट ने लक्षण दिया है —

'आदिमध्यान्तविषयाः प्राधान्येतरयोगिनः ।

अन्तर्गतोपमाश्रमा यत्र तद्दीपकं विदुः<sup>2</sup> ।।'

अर्थात् प्रस्तुत और अप्रस्तुत से सम्बन्ध रखने वाले वाक्य के आदि, मध्य अथवा अन्त में विद्यमान वे शर्म दीपक कहे जाते हैं जिनमें कि उपमा विद्यमान रहती है।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि क्रिया पद की दीपकता कुन्तक को अस्वीकार नहीं है किन्तु भामह के लक्षण की अस्पष्टता ही उन पर कुन्तक का प्रहार का कारण बनी । उद्भट से कुन्तक का वैमत्य इस रूप में है कि उद्भट केवल क्रिया पद को ही दीपक स्वीकार करते हैं जब कि कुन्तक क्रिया पद के साथ ही साथ कर्तृपदादि के निमित्त भूत बहुत से पदों को दीपक स्वीकार करते हैं<sup>3</sup> ।

1- व. जी. पृ० 178-179

2- का. सा. सं. 1/14

3- 'क्रियापदमेकमेव दीपकमिति तेषां तात्पर्यम् । अस्माकं पुनः कर्तृपदादि

निबन्धनानि दीपकानि बहूनि सम्भवन्तीति । -व. जी. पृ० 183

### कुन्तकाभिमत दीपक का स्वरूप :

कुन्तक का स्वयंकृत दीपकारविवेचन पाण्डुलिपि के अंत्यधिक दूषित होने के कारण अत्यन्त सुस्पष्ट ढंग से प्रतिपादित नहीं किया जा सका है। फिर भी जो कुछ स्वरूप स्पष्ट हो सका है उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। कुन्तक के अनुसार 'वर्णनीय पदार्थ के औचित्य मुक्त, अम्लान एवं सहृदयो के आनन्दजनक धर्म को प्रकाशित करती हुई वस्तु दीपकार होती है'। वह दीपक दो प्रकार का होता है -

(1) एक तो जहाँ पर बहुत से पदार्थों का केवल एक ही प्रकाशक होता है।

उसे केवलदीपक कहते हैं।

(2) और दूसरा जहाँ पर बहुत से पदार्थों के बहुत से प्रकाशक होते हैं। उसे पक्षितसंस्थ दीपक कहते हैं।

इस दूसरे दीपक प्रकार के वे पुनः तीन भेद करते हैं-<sup>5</sup> पहला भेद तो सही होता है जहाँ कि बहुत से पदार्थों के बहुत से प्रकाशक होते हैं।

दूसरा भेद दीपकदीपक होता है अर्थात् जो अन्य वस्तु को प्रकाशित करने के कारण दीपक होता है उसी कर्मभूत को जब दूसरा कर्तृभूत प्रकाशित करता है तो दीपक दीपक होता है।<sup>3</sup> जैसे -

'चारुतावपुरभूषयदासी तामनूननवयौवनयोगः ।

तम्पुर्नमकरकेतनलक्ष्मीस्ताम्मदो दयितसंगभूषः ॥,<sup>4</sup> इस श्लोक में दीपकदीपक है। क्योंकि कामिनियों के शरीर की प्रकाशक है चारुता अतः वह दीपक हुई और उस चास्ता को प्रकाशित करता है नवयौवन का संयोग। इसी प्रकार नवयौवन के संयोग की प्रकाशक है कर्मदेव की शोभा। अतः यहाँ उत्तर उत्तर पद पूर्व पूर्व पद के दीपक रूप में उपनिबद्ध होकर दीपकदीपक को प्रस्तुत करते हैं।

1- औचित्यावहमम्लानं तदिवदाह्लादकारणम्।

अशक्ति धर्ममर्थानां दीपयद्द्वस्तु दीपकम्।।- व. जी. पृ० 180

2- द्रष्टव्य वही, पृ० 180-181

3- वही, पृ० 182

4- शिशु वच. 10/33

तीसरा प्रकार है दीपितदीपक । अर्थात् जो कर्मभूत वस्तु किसी अन्य दीपक के द्वारा प्रकाशित हुई है वह कहलायेगी दीपित । लेकिन जब वही दीपित वस्तु ही अन्य किसी को कतरूप में प्रकाशित करेगी तो वही दीपितदीपक अलंकार होगा ।  
उदाहरणार्थ भामह का श्लोक -

'मदो जनयति प्रीतिं सानं गं मानभंगुरम् ।

म प्रियासंगमोत्कंठां साऽसह्यां मनसः शुचम् ॥<sup>2</sup> 'ग्रहण किया जा सकता है यहाँ प्रीति मद के द्वारा प्रकाशित अर्थात् दीपित है और प्रकाशक है अनंग का । उससे दीपित अनंग प्रकाशक है प्रियासंगमोत्कंठा का और वह प्रकाशक है असह्य मनःशोक की । अतः यहाँ दीपितदीपक है । स्पष्ट ही कुन्तक का यह पंक्तिस्थदीपक अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत मालादीपक के तुल्य है ।

पाण्डुलिपि की अत्यधिक भ्रष्टता के कारण दीपक का और अधिक स्वरूप स्पष्ट किया जा सकना असम्भव है ।

### (13) सहोक्ति अलंकार

आचार्य कुन्तक ने पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत सहोक्ति की अलंकारता का खण्डन कर उसका एक अपूर्व मौलिक लक्षण प्रस्तुत किया है । डा० डे ने केवल इतना ही निर्देश किया है कि कुन्तक भामह के सहोक्ति के लक्षण और उदाहरण उदाहरण उदाहरण का विवेचन कर उनका खण्डन कर देते हैं और उनके द्वारा अभिमत सहोक्ति की अलंकारता को अस्वीकृत कर देते हैं<sup>3</sup> । आचार्य हेमचन्द्र ने सहोक्ति की अलंकारता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि —

'कश्चित्तु — समासोक्तिः सहोक्तिश्च नालंकारतया मता ।

अलंकारान्तरत्वेन शोभाशून्यतया तथा ॥ इति सहोक्तिरलंकारो न भवतीति प्रतिपादयति<sup>4</sup> । 'निश्चित ही उक्त कारिका कुन्तक की ही है । यद्यपि डा० डे

1- व. जी. पृ० 182-183

2- भामह, काव्या० 2/27

3- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 210

4- काव्यानुशासनविवेक, पृ० 378



पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण इस कारिका को सम्पादित नहीं कर सके। आचार्य कुत्तक पहले समासोक्ति की अलंकारता का निराकरण कर साथ ही सहोक्ति की अलंकारता का निराकरण करते हैं। इतना ही नहीं, उन दोनों की अलंकारता का खण्डन करने में दिये गये तर्क 'अलंकारान्तरत्वेन शोभाशून्यतया' को डाँट डे उद्धृत भी करते हैं। अस्तु इस विवेचन से यह स्वीकार करने में तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता कि उक्त कारिका कुत्तक के वक्रोक्ति जीवित की ही है। आचार्य भामह के सहोक्ति लक्षण के अनुसार - जहाँ एक ही सम्बन्ध में होने वाली दो वस्तुओं से सम्बन्ध क्रियाओं का प्रतिपादन एक पद के द्वारा किया जाता है वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है<sup>1</sup>। आचार्य दण्डी के अनुसार गुणो एवं कर्मों के सहभाव का कथन सहोक्ति अलंकार होता है<sup>2</sup>। आचार्य उद्भट शब्दशः भामह के ही लक्षण को स्वीकार करते हैं<sup>3</sup>। आचार्य वामन का भी लक्षण शब्दशः भामह के लक्षण से गृहीत है<sup>4</sup>। इस प्रकार इन समस्त आचार्यों ने सहार्थक शब्द की सामर्थ्य सहोक्ति अलंकार का वैचित्र्य स्वीकार किया है। स्ट्ट ने यद्यपि बड़े घटाटोप के साथ सहोक्ति के अलंकारों के अन्तर्गत तथा एक प्रकार की सहोक्ति का औपम्यालंकार के अन्तर्गत निरूपण किया है लेकिन उनके समस्त विवेचन का आशय भामह आदि के आशय से लगभग अभिन्न ही है। सहोक्ति अलंकार कहलाने का कारण सहार्थक शब्द का प्रयोग ही है<sup>5</sup>। कुत्तक ने सम्भवतः सहोक्ति अलंकारता का खण्डन इसी आधार पर किया था कि उस अलंकार का अन्तर्भाव उपमा आदि अलंकारों में ही हो जाता है क्योंकि चमत्कार का कारण वहाँ औपम्य ही है सहार्थक शब्द का प्रयोग नहीं। भामह के सहोक्ति अलंकार के उदाहरण -

हिमपाताविलदिशो गाढालिङ्गनहेतवः ।

वृद्धिमायान्ति यामिन्यः कामिनी प्रीतिभिः सह ।।<sup>5</sup>

1- भामह, काव्या०, 3/39

2- काव्यादर्श, 2/35।

3- का. सा. से०, पृ० 72

4- का. सू. वृ. 4/3/28

5- भामह, काव्या०, 3/40

6- का. सू. वृ. 4/3/28

को उद्धृत कर कुन्तक ने कहा है कि यहाँ पर परस्पर राती और कामियों की प्रीतियों का सादृश्य सम्बन्ध ही मनोहारिता का कारण है अतः यहाँ उपमा ही मानना उचित है। इतना तो यहाँ स्वीकार ही करना पड़ेगा कि इन पूर्वाचार्यों ने ही नहीं बल्कि परवर्ती आचार्यों ने भी 'सहोमित अलंकार का नामकरण ~~सहोमित~~ सहार्थक शब्द के प्रयोग के कारण ही किया है। यहाँ तक कि कुन्तक का खण्डन करने वाले आचार्य हेमचन्द्र जी स्वयं कहते हैं--

'सहार्थबलाद् धर्मस्यान्वयः सहोमितः।'<sup>2</sup>

आचार्य हेमचन्द्र जी ने कुन्तक का खण्डन करते हुए कहा कि 'यदि आप यह कहते हैं कि सहोमित अलंकार में परस्पर सादृश्य सम्बन्ध ही मनोहारिता का कारण होता है अतः सहोमित प्रतीयमानोपमा के स्वरूप का अतिक्रमण न करके के कारण उपमा ही है, हाय ! तब तो रूपक, अपह्नुति और अप्रस्तुतप्रशंसा आदि का भी अलग से निरूपण नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहाँ भी उपमामानोपमेय भाव की प्रतीति होने के कारण केवल उपमा अलंकार ही स्वीकार किया जाना चाहिए अन्य अलंकार नहीं। और जैसा कि वामन ने कहा भी रखा है कि प्रति वस्तु इत्यादि उपमा के प्रयोज्य है। अथवा यदि यह कहो कि रूपक आदि में तत्त्व का आरोप आदि किया जाता है अतः उस वैशिष्ट्य के कारण रूपकादि व्यवहार होता है तो फिर सहोमित आदि ने कौन-सा अपराध कर रखा है कि उसे आप सहोमित नहीं कहना चाहते जब कि सहार्थक शब्द की सामर्थ्य से उपस्थित होने वाला सादृश्य सम्बन्ध रूप वैशिष्ट्य उसमें विद्यमान है।<sup>3</sup> वस्तुतः आचार्य जी यहाँ दुराग्रहवश ही सहोमित की अलंकारता का समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं अन्यथा रूपकादि अलंकारों के कारणभूत तत्त्व आरोपादि के साथ सहार्थक शब्दों के प्रयोग की तुलना कैसी ? इतना ही नहीं स्वयं आचार्य जी विनोमित की अलंकारता का निषेध करते हुए सहृदयों को दुहाई देकर कहते हैं कि सहृदय लोग ही बतावें कि क्या इस विनोमित अलंकार में कोई विनोमित कृत वैचित्र्य है। जो इसे अलंकार कहा जाय। सहोमित में तो सहार्थ के बल से साम्यसम्बन्ध की प्रतीति होती है अतः वहाँ वैचित्र्य निश्चित रूप से विद्यमान है।<sup>4</sup> पता नहीं वे इतना कहकर ही सहृदयों को सहोमित में वैचित्र्य की प्रतीति और विनोमित में वैचित्र्य-

1- व. जी. पृ० 210

2- काव्यानुशासन, 6/13

3- द्रष्टव्य काव्यानुशासनविवेक पृ० 378

4- 'xxx वदन्तु सहृदयाः यदि किमपि विनोमितकृतं वैचित्र्यमवभासते, सहोक्तौ स सहार्थ बलात् साम्यसमन्वयप्रतीतिर्युक्तमेव वैचित्र्यमिति।'

प्रतीति का अभाव स्वीकार करवाना चाहते हैं या और कुछ ? यदि किसी भी सहृदय को सहोक्ति में साम्यसम्बन्ध की प्रतीति होती है तो निश्चय ही वह प्रतीति उसे विनोक्ति में भी होगी। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि इन दोनों ही अलंकारों में चमत्कार सहायक अथवा विनार्थक शब्द के प्रयोग से नहीं बल्कि प्रतीयमान सादृश्य के कारण है। अतः इन दोनों की ही पृथक् अलंकारता स्वीकार करना समीचीन नहीं। अन्यथा हेमचन्द्र जी के ही शब्दों में शब्दमात्र के सम्बन्ध से अलंकारता की कल्पना करने पर हा, धिक् आदि उक्तियों में भी अलंकारता स्वीकार करनी पड़ेगी और फिर न जाने कितनी उक्तियाँ अलंकार बन कर सामने आ जायँगी। अतः सहोक्ति की अलंकारता को अस्वीकार करने में कुन्तक का ही पक्ष समर्थनीय है।

### कुन्तकाभिमत सहोक्ति का स्वरूप :

कुन्तक के अनुसार जहाँ प्रधान रूप से विवक्षित अर्थ की सिद्धि के लिए एक ही वाक्य से एक साथ ही अनेक अर्थों का कथन किया जाता है वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है। कहने का आशय यह कि जहाँ पर प्रस्तुत अर्थ की सिद्धि के लिए विच्छिन्नपूर्वक दूसरे वाक्य द्वारा कही जाने योग्य वस्तु का भी उसी वाक्य के द्वारा कथन कर दिया जाता है वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है।<sup>2</sup> इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने उत्तररामचरित से 'हे हस्त । दक्षिणभृतस्य शिशोर्दिवजस्य' आदि तथा किरातार्जुनीय से 'उच्यतां स वचनीय-<sup>3</sup>मशेषम्' इत्यादि तथा 'किं गतेन नहि युक्तमुपैतुम्' इत्यादि<sup>4</sup> युग्मक को और विक्रमोर्वशीय से 'सर्वीक्षतिभृतान्नाथ दृष्ट्वा सर्वगिसुन्दरी।'<sup>5</sup>

रामायणे वनोद्देशे मया विरहिता त्वया।। श्लोको को उद्धृत किया है। पूर्वोदाहृत दो श्लोकों में सहोक्ति का विश्लेषण उन्होंने किया कैसे, कुछ भी स्पष्ट नहीं। अन्तिम श्लोक के विषय में उन्होंने लिखा है - यहाँ पर प्रधानभूतविप्रलम्भशृंगाररस के परिपोषण को

1- 'किंच शब्दमात्रयोगेनालंकारत्वं कल्पने हा धिगाद्युक्तावध्यलंकारत्वं प्रसंगः प्राप्नोतीति।'

-काव्यानुशासनविवेक पृ० 402 .

2- यत्रैकेनैव वाक्येन वर्णनीयसिद्धये।

उक्तियुगपदर्थानां सा सहोक्तिः सताम्पता।- व. जी. पृ० 211

3- उ रा. च. 2/10

4- किराता 9/39-40

5- विक्रमोर्वशीय 4/ 51

सिद्धि के लिए दो वाक्यार्थों को एक साथ एक ही वाक्य से उपनिबद्ध किया गया है अतः सहोक्ति अलंकार है। यह उर्वशी की विरहव्यथा से व्याकुल पुरु रवा की उक्ति है। वे विरहावस्था में अत्यन्त पीड़ित हो उन्मत्त की भाँति जंगल के पशुपक्षियों, वृक्षों, लताओं एवं पर्वतों में अपनी प्रियतमा के विषय में पूछते हुए पर्वत से पूछते हुए, है कि ये पर्वतराज ! क्या मुझसे वियुक्त सर्वागसुन्दरी प्रियतमा को तुमने इस रमणीय वन प्रदेश में देखा है ? वस्तुतः राजा की ही उक्ति की प्रतिध्वनि कन्दरा से आती है जिसे उन्मादवश राजा समझते हैं कि यह पर्वत राज का उत्तर है और वह कह रहा है कि ये राजाधि राज, आपसे वियुक्त सर्वागसुन्दरी प्रियतमा को मैंने इस रमणीय वन प्रदेश में देखा है। राजा खुशी के मारे भूम उठते हैं। लेकिन जब चारों ओर सुनसान दिखाई पड़ता है और यह समझते हैं कि यह मेरे ही वाक्य की प्रतिध्वनि है तो वे मूर्च्छित हो जाते हैं। इस तरह विप्रलम्भशृंगार अपने चरमपरिणाम को प्राप्त हो जाता है। यहाँ कवि ने ऐसी वाक्यरचना प्रस्तुत की है जिससे कि एक साथ दोनों वाक्यार्थों का प्रतिपादन हो गया है। अतः सहोक्ति अलंकार है। निश्चित ही कोई भी सहृदय कुन्तक की इस सहोक्ति अलंकार की व्याख्या को अनुपयुक्त नहीं कह सकता।

कुन्तक ने श्लेष से इसका पार्थक्य सिद्ध करने के लिए एक पूर्वपक्ष प्रस्तुत कर उसका समाधान इस प्रकार किया है। पूर्वपक्षी की ओर से यह प्रश्न किया गया कि जब एक वाक्य से अनेक अर्थों की प्रतीति होती है तो क्या न मान लिया जाय ? इसका कुन्तक उत्तर देते हैं कि यह कहना समीचीन नहीं। क्योंकि श्लेष में दोनों वाक्यार्थ अथवा उनमें से एक वाक्यार्थ मुख्य होता है लेकिन सहोक्ति में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ दो अथवा बहुत से वाक्यार्थ सभी गौण रूप में सामने आते हैं और उनका पर्यवसान प्रधान अर्थ में होता है। साथ ही श्लेष में एक ही शब्द के द्वारा प्रदीपप्रकाश की तरह एक साथ ही दो अर्थों का अथवा दो शब्दार्थों का प्रकाशन होता है अतः वही शब्द सामान्य हो जाता है। लेकिन सहोक्ति में जैसे अपने अंगों के अभाव के कारण एक ही वाक्य के पुनः पुनः आवृत्त होने पर दूसरी वस्तु प्रकाशित होती है। अतः यहाँ आवृत्ति होने पर शब्द न्यायता को प्राप्त कर लेती है। अतः श्लेष से सहोक्ति का भेद है। यदि उक्त उदाहरण में कोई यह कना चाहे कि 'सर्वक्षितिभृतान्नाथ' इस वाक्य के एकदेश में श्लेष का अनुप्रवेश सम्भव है तो कोई बात नहीं उस वाक्य के एक देश में सम्भव होने वाला

श्लेष अंगभूत है और प्राधान्य तो सहोक्ति का ही है । यहाँ कोई यह शंका फिर कर सकता है कि जब अन्य अर्थ की प्रतीति आवृत्ति के कारण होती है तब तो अर्थान्वय में सहभाव का अभाव होने के कारण सहोक्ति हो ही नहीं सकती। तो इसका उत्तर यह है कि अलंकार सहोक्ति बताया गया है सहप्रतिपत्ति नहीं<sup>2</sup> अतः एक साथ कथन से ही प्रस्तुत का उत्कर्ष व्यक्त होता है एक साथ अर्थ प्रतीति होने से नहीं।<sup>1</sup>

इस प्रकार कुन्तक इन दो अलंकारों के प्राचीन स्वरूप को अमान्य ठहरा कर नवीन स्वरूप प्रदान करते हैं । इनके अतिरिक्त अनेकों अलंकारों की पृथक् अलंकारता का निराकरण कुन्तक कुछ अलंकारों में उनका अन्तर्भाव करते हुए कहते हैं । उनका विवेचन करने से पूर्व दो अलंकार और बचते हैं जिनका निराकरण कुन्तक ने किया है। वे हैं यथासंख्य और उपमारूपक। उन्हीं का विवेचन पहले प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### (14) यथासंख्य

कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्यों में भामह, दण्डो, उद्भट, रुद्रट ने यथासंख्य का प्रायः एक ही सा लक्षण प्रस्तुत किया है। यही तक कि भामह और उद्भट की परिभाषा तो शब्दशः एक ही है । इन सब के अनुसार - भिन्न धर्म वाले अनेक निर्दिष्ट पदार्थों का यथाक्रम अनुनिर्देश यथासंख्य अलंकार होता है<sup>2</sup>। वामन ने इसे क्रम कहा है<sup>3</sup>। इसका भामह द्वारा दिया गया उदाहरण इस प्रकार है -

पद्मेन्दु भृगुमार्तगुण्कोकिलकलापिनः • ।

वक्त्रकान्तीक्षणगतिवाणीवालैस्त्वया जितः ।<sup>4</sup>

यहाँ यथाक्रम पद्म को वक्त्र के द्वारा, चन्द्रमा को कान्ति के द्वारा, भ्रमर को नेत्र के द्वारा, चन्द्रमा को कान्ति के द्वारा, गज को गमन के द्वारा, पुंकोकिल को वाणी के द्वारा और मयूर को केशों के द्वारा जीतने का वर्णन किया गया है अतः यहाँ यथासंख्य अलंकार है। कुन्तक का कहना है कि इसमें किसी प्रकार का उक्तिवैचित्र्य नहीं है अतः इसके द्वारा कोई काव्य में कमनीयता नहीं आ पाती । अतः इसको अलंकार मानना समीचीन नहीं क्योंकि अलंकार तो रमणीयता को अथवा सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करने वाला उक्तिवैचित्र्य होता है<sup>5</sup>। हेमचन्द्र ने भी यथासंख्य को अलंकारता का निषेध किया

1- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 212

2- भूयसामुपदिष्टानामर्थानामसधर्मणाम्। क्रमशो योऽनुनिर्देशो यथासंख्य तदुच्यते। भामह काव्या

3- का. सू. वृ. 4/3/17 .

4- भामह काव्या 2/90

5- व. जी. पृ० 220

है उन्हो ने उसे भग्नप्रक्रमतादोष का अभाव मात्र कहा है । उसमें यथासंख्य कृत कोई वैचित्र्य नहीं होता जिससे कि उसे अलंकार कहा जा सके। यद्यपि कुन्तक के परवर्ती भी प्रायः सभी आचार्यों ने यथासंख्य को अलंकार रूप में वर्णित किया है किन्तु यदि मूकमता से विचार किया जाय तो कुन्तक और हेमचन्द्र का कथन ही अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है।

### (15) उपमारूपक

उपमारूपक अलंकार का पृथक् विवेचन करने वाले आचार्य भामह ही हैं। उनके अनुसार उपमान के साथ उपमेय का तद्भाव अर्थात् अभेद प्रतिपादित करते हुए जिस उपमा को प्रस्तुत किया जाता है उसे उपमारूपक अलंकार कहते हैं<sup>2</sup> जैसे - 'समस्त आकाश के विस्तार का मानदण्ड एवं सिद्धवनिताओं के मुख चन्द्र का अभिनवदर्पण भूत विष्णु का चरण सर्वोत्कृष्ट<sup>3</sup> से युक्त है।' इस वाक्य में उपमारूपकालंकार है। भामह के ये लक्षण और उदाहरण स्वयं ही अस्पष्ट हैं। यहाँकेवल रूपक अलंकार ही स्वीकार किया जा सकता है। कुन्तक ने भामह के इस अलंकार को अनुपपन्न बताया है। परन्तु उनके तर्क क्या रहे कुछ कह सकना कठिन है। सम्भव है कि उन्हो ने यही तर्क दिया हो कि इसका कोई स्वतंत्र स्वरूप ही नहीं है फिर भामह के उदाहरण से तो वह स्पष्ट ही रूपक प्रतीत होता है। आचार्य दण्डी ने उपमारूपक को रूपक का एक प्रकार निरूपित किया है। वे उपमान और उपमेय (गौण और मुख्य) के साधर्म्य का दर्शन होने पर उपमा रूपक कहते हैं<sup>4</sup> जैसे- मद् से स्तम्भ यह मुखचन्द्र उदयकालिक रत्निलमा से युक्त चन्द्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है<sup>5</sup>। इस वाक्य में उपमारूपक है। क्यों कि मुखचन्द्र की चन्द्रमा के साथ स्पर्धा दिखाकर साधर्म्य स्थापित किया गया है। दण्डी का यह रूपक प्रकार निश्चिन्त ही भामह के स्वतंत्र उपमारूपकालंकार की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। इन दो आचार्यों के अतिरिक्त उपमा-

1- काव्यानुशासन पृ० 402

2- भामह, काव्या० 3/35

3- समग्रगणनायाममानदण्डो रथांगिनः । पादो जयति सिद्धस्त्रीमुखेन्दुनवदर्पणैः १। भामह, काव्या० 3/36

4- काव्यादर्श, 2/88

5 - अयमालोहितच्छायो मदेन मुखचन्द्रमाः ।

सन्नद्धोदयारागस्य चन्द्रस्य प्रतिगर्जति ।। काव्यादर्श 2/89

रूपक का उल्लेख करने वाले तीसरे आचार्य वामन है । उन्हो ने उपमारूपक को संसृष्टि के एक भेद रूप में प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार एक अलंकार जब दूसरे अलंकार का निमित्त (योनि) होता है तो संसृष्टि होती है। अतः जहाँ रूपक उपमा से उत्पन्न होता है वही उपमा रूपक होता है। जैसे चतुर्दशलोक रूप लताओं के कन्दभूत कूर्ममूर्ति सर्वातिशायी है। इस वाक्य में पहले लोको की उपमा लताओं से दी गयी और फिर उसके कन्द का कूर्ममूर्ति पर आरोप किया गया। अतः उपमाजन्य रूपक होने के कारण उपमारूपक अलंकार हुआ। अपने लक्षण के अनुसार वामन के भी उपमारूपक रूप संसृष्टि का स्वरूप यथाकथंचित् समीचीन ही है। और यही कारण है कि कुन्तक ने एक स्वतंत्र अलंकार के रूप में उपमारूपक की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य भामह का ही खण्डन किया है। दण्डी अथवा वामन का नहीं। इस प्रकार उन अलंकारों का विवेचन समाप्त होता है जिनके लक्षणों को अनुपपन्न बताकर कुन्तक ने उनकी अलंकारता का निषेध किया था। अब उन अलंकारों का विवेचन किया जायगा जिनका कि अन्तर्भाव कुन्तक ने किसी विशिष्ट अलंकार में किया है। सर्वाधिक अलंकारों का अन्तर्भाव कुन्तक ने उपमा में किया है। अतः पहले उपमा का स्वरूप निरूपित कर उसमें अन्तर्भूत होने वाले अलंकारों को प्रस्तुत किया जायगा।

### (16) उपमालंकार

दुर्भाग्यवश पाण्डुलिपि के अत्यन्त अस्पष्ट होने के कारण कुन्तक का सम्पूर्ण उपमा-  
निष्ठा विवेचन सुस्पष्ट ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और न कुन्तक द्वारा स्वीकृत उसके भेद प्रमेदों का ही निरूपण किया जा सकता है। फिर भी जो स्वरूप डा० डे के निर्देशों एवं उनके द्वारा सम्पादित मूल के आधार पर स्पष्ट हो सका है वह प्रस्तुत किया जा रहा है। जहाँ पर प्रस्तुत पदार्थ का उसके विवक्षित किसी धर्म विशेष की मनोहरिमा की सिद्धि के लिए उस मनोहारित्व के अतिशय से सम्पन्न किसी अप्रस्तुत पदार्थ के साथ सादृश्य निरूपण किया जाता है वही उपमा अलंकार होता है। इस उपमा को प्रस्तुत करते हैं क्रियापद। क्रियापद से आशय यहाँ केवल वाच्यवाचक सामान्य से है न कि केवल आख्यात पद से। अतः जहाँ पर क्रिया गौण रूप में भी रहेगी वहाँ भी वह उपमा की वाचक होगी। लेकिन क्रियापद उस उपमा को तभी प्रस्तुत कर सकेंगे जब

1- द्रष्टव्य का सू. वृ. 4/3/30-32 तथा वृत्ति

स कूर्ममूर्तिर्जयति चतुर्दशलोकवल्लिकन्दः।

कि उसका प्रतिपादन वैदग्ध्यपूर्ण भंगिमा से किया जायगा, अन्यथा सहृदयाह्लादकारित्व ही नहीं होगा तो फिर अलंकारत्व कैसा ? क्रियापद के साथ ही इव आदि, तथा उसे प्रस्तुत करने में समर्थ कुछ शब्द विशेष कुछ प्रत्यय एवं बहुब्रीहि आदि समास भी उपमा के वाचक होते हैं। साथ ही उपमा में उपमान और उपमेय के साधारण धर्म का कथन आवश्यक होता है। और क्रिया पद तथा इवादिक इस उपमा को तभी प्रस्तुत कर पाते हैं जब कि उनका वाक्यार्थ में विद्यमान पदार्थों के साथ सम्बन्ध विद्यमान रहता है। वस्तुतः डा० डे ने उपमा का निरूपण करने वाली जिन्य कारिका एवं वृत्ति भाग को मुद्रित किया है उससे उपमा का अधिक स्पष्ट स्वरूप सामने नहीं आता। उक्त लक्षण उपमानामान्य अथवा पूर्णोपमा को प्रस्तुत करता है। उक्त विश्लेषण से कुन्तक के उपमाविषयक कुछ मन्तव्य इस प्रकार सामने आते हैं। (1) उपमा में उपमेय के किसी धर्मको रमणीयता का प्रतिपादन करने के लिए उस धर्मतिशय से युक्त गर्भी रूप उपमान के साथ उपमेय का सादृश्य स्थापित किया जाता है, केवल धर्म का ही सादृश्य नहीं है। (2) उपमा में वैदग्ध्यभंगी अर्थात् वक्रोक्ति का होना परमावश्यक है अन्यथा सहृदयाह्लादकारित्व का अभाव होने से वह अलंकार ही नहीं होगी? (3) उपमान और उपमेय के साधारण धर्म का प्रतिपादन आवश्यक होता है। (4) इस उपमा के वाचक मुख्य अथवा गौण उभयरूप क्रिया पद, इवादि शब्द बहुब्रीहि समास तथा कुछ प्रत्यय अथवा औपम्य के प्रतिपादन में समर्थ कुछ विशिष्ट शब्द हुआ करते हैं। (5) इस उपमा का विषय सम्पूर्ण वाक्यार्थ होता है जिसमें विद्यमान सभी पदार्थ एक दूसरे से परस्पर भलीभाँति सम्बद्ध होते हैं। इस प्रकार कुन्तक का यह लक्षण निश्चित ही उपमा अथवा पूर्णोपमा के स्वरूप का सुस्पष्ट एवं समीचीन ढंग से निरूपण करता है। इसके बाद जैसा कि डा० डे निर्देश करते हैं कुन्तक ने अमुख्यक्रियापद पदार्थोपमा, इवादिप्रतिपाद्यपदार्थोपमा, आख्यातपदप्रतिपाद्यपदार्थोपमा तथा वाक्योपमा आदि के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होने उपमा के लुप्तोपमादि प्रभेदों का निरूपण किया था अथवा नहीं

1-विवक्षितपरिस्पन्दमनोहारित्वसिद्धये ।

वस्तुनः केनचित् साम्यं तदुत्कर्षवतोपमा ।

तां साधारणधर्मैकतौ वाक्यार्थे वा तदन्वयात् ।

इवादिरेषि विच्छित्या यत्र वक्षित क्रियापदम् ।\*

तथा वृत्ति - व. जी. पृ० 197-198



कुछ पता नहीं चलता । इतना तो निश्चित ही स्वीकार करना पड़ेगा कि कुन्तक को 'प्रतीयमानोपमा' भी मान्य थी क्यों कि प्रतिवस्तूपमा का अन्तर्भाव प्रतीयमानोपमा में करते हुए इस बात का वे स्पष्ट निर्देश करते हैं —

'तदेवं प्रतिवस्तूपमायाः प्रतीयमानोपमायामन्तर्भावोपपत्तौ सत्याम्'

अब उन अलंकारों का विवेचन किया जायगा जिन्हें कि अन्य आचार्यों ने स्वतंत्र अलंकार के रूप में स्वीकार कर रखा है परन्तु उनका अन्तर्भाव कुन्तक उपमा में करते हैं । वे अलंकार हैं - 1- प्रतिवस्तूपमा 2- उपमेयोपमा 3- अनन्वय 4- तुल्ययोगिता 5- निदर्शना तथा 6- परिवृत्ति। अब इनका यथाक्रम विवेचन प्रस्तुत किया जायगा ।

### (17) प्रतिवस्तूपमा

कुन्तक प्रतिवस्तूपमा का अन्तर्भाव प्रतीयमाहोपमा में करते हैं । उनका कहना है कि प्रतिवस्तूपमा का अलग से लक्षण करना ही बेकार है । भामह के अनुसार 'जहाँ पर यथा तथा इव शब्दों के प्रयोग के विना भी समानवस्तुविन्यास के कारण गुणसाम्य की प्रतीति होती है वहाँ प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता है' <sup>2</sup> 'जैसे जिनकी सम्पत्ति समस्त सत्पुरुषों के लिए साधारण है ऐसे कितने गुणी है ? अथवा जो स्वादिष्ट एवं पके फलों से भु के हुए है वे मार्गस्थ वृक्ष ही कितने हैं ? इन दोनों वाक्यों में गुण साम्य की प्रतीति होने के कारण प्रतिवस्तूपमा अलंकार है । कुन्तक भामह के इस उद्धरण का विवेचन करते हुए कहते हैं कि यहाँ समान, विलसित से युक्त गुणी एवं मार्गवृक्ष दोनों का ही कवि विविक्षित विरलत्व रूप साम्य के अतिस्मित और कोई मनोहारिता का कारण नहीं दिखाई पड़ता अतः इसका प्रसिद्ध प्रतीयमानोपमा में ही अन्तर्भाव समीचीन है <sup>4</sup> । हेमचन्द्र ने भी प्रतिवस्तूपमा का अलग से निरूपण नहीं किया । 'ह्री, उन्ही ने उसका अन्तर्भाव उपमा में न कर के निदर्शना में स्वीकार किया है । निदर्शन अलंकार के प्रसंग में उनका स्पष्ट कथन है कि - 'कैश्चित् प्रतिवस्तूपमा, प्रकारद्वयेन निदर्शना च पृथग्लक्षिता, तथा न लक्ष्यते। <sup>5</sup> ××× निदर्शनलक्षणेनैव व्याप्तं वात् ।'

1- व.जी, पृ० 201

2- भामह, काव्या०, 2/34

3- 'कियन्तः सन्ति गुणिनः साधुसाधारणश्रियः ।

स्वादुपाकफलानम्राः कियन्तो वाऽध्वशाखिनः । । वही, 2/36

4- व.जी, पृ० 200

5- काव्यानुशासनविवेक; पृ० 354

(18) उपमेयोपमा

आचार्य भामह के अनुसार उपमेयोपमा अलंकार वही होता है जहाँ पर क्रम से उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सुगन्धयुक्त, नयनों को आनन्दित करने वाला मदिरामद से स्वताभ तुम्हारा मुख गण्डस कमल के समान है, और कमल तुम्हारे मुख के समान है। इस वाक्य में मुख और कमलको क्रम से उपमेयोपमानता का वर्णन होने से उपमेयोपमालंकार है। कुन्तक इसका भी उपमा में ही अन्तर्भाव करते हैं क्योंकि इसका लक्षण उपमा के लक्षण से अभिन्न है। उभयत्र उपमान और उपमेय का सादृश्य ही अलंकारता को प्रस्तुत करता है। अतः लक्षण के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर केवल भेद यही है कि उपमान और उपमेय का सादृश्य ही अलंकारता को प्रस्तुत करता है। अतः लक्षण के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर केवल भेद यही है कि उपमान और उपमेय क्रम से उपमेय और उपमान हो जाते हैं परन्तु इससे दोनों के लक्षणस्वरूप में भिन्नता तो नहीं आ जाती। उपमान और उपमेय के स्वरूप में भले भिन्नता हो। हेमचन्द्र भी उपमेयोपमा का अन्तर्भाव उपमा में ही करते हैं।<sup>3</sup>

(19) तुल्ययोगिता

आचार्य भामह के अनुसार जहाँ पर न्यून का भी विशिष्ट के साथ गुण साम्य प्रतिपादन करने की इच्छा से समान कार्यक्रिया के साथ सम्बन्ध वर्णित होता है वहाँ तुल्ययोगिता अलंकार होता है।<sup>4</sup> जैसे किसी राजा की चाटुकारिता में तत्पर किसी कवि की इस उक्ति में - कि हे राजन् । शेषनाग, हिमालय और आप तीनों ही महान्, गौरवशाली, एवं स्थिर हैं<sup>5</sup> क्योंकि आप तीनों ही विना मर्यादा का उल्लंघन किए इस चलती हुई पृथ्वी को धारण करते हैं। तुल्ययोगिता अलंकार विद्यमान है। क्योंकि न्यून राजा का विशिष्ट शेषनाग एवं हिमालय से गुणसाम्य प्रतिपादित करने की इच्छा से तीनों का चलती

1- भामह, काव्या 03/37-38

\*अम्भोजमिव क्वत्रन्ते त्वदास्यमिव पंकजम्।\*

2- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 20।

3- काव्यानुशासन, पृ० 347- 48

4- भामह, काव्या 03/27

5-शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः ।

यदलंघितमर्यादाश्चलन्ती विमृथ क्षितिम्।। भामह, काव्या 03/28

हुई पृथ्वी की धारण रूप क्रिया के साथ समान सम्बन्ध स्थापित किया गया है। आचार्य कुन्तक उपमेयोपमा की भांति ही इसकी भी पृथक् अलंकारत्वा का खण्डन करते हैं और कहते हैं कि इसमें भी दो भिन्न वस्तुओं में केवल साम्यातिरेक ही तो प्रस्तुत किया जाता है और वे दोनों मुख्य रूप से वर्णनीय वस्तु ही होते हैं। अतः इसका भी स्पष्ट रूप से उपमा में ही अन्तर्भाव हो जाता है — 'या च्चा भवत्युपमितिः स्फुटम्।' हेमचन्द्र भी तुल्ययोगिता अलंकार का निरूपण नहीं करते।

### (20) अनन्वय

आचार्य भामह के अनुसार 'जहाँ सादृश्य का अभाव प्रतिपादित करने की इच्छा से उसी की उसी के साथ उपमानोपमेयता वर्णित की जाती है वहाँ अनन्वय अलंकार होता है।<sup>2</sup> जैसे 'ताम्बूल की रक्षितमा के मण्डलवाला, स्फुरित होती हुई दन्तरश्मियों से युक्त नील कमल की कान्ति के तुल्य नयनों वाला तुम्हारा मुख तुम्हारे मुख के ही सदृश है।' इस वाक्य में किसी नायिका के मुख के सादृश्य का अभाव प्रतिपादित करने के लिए उसके मुख की तुलना उसी के मुख से दी गई है। कुन्तक इसकी भी पृथक् अलंकारता का निराकरण कर इसका अन्तर्भाव उपमा में ही करते हैं। उनका कहना है कि इस अलंकार में लक्षण तो उपमा का ही घटित होता है, अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें उपमान काल्पनिक होता है। अतः इन अलंकारों में विविधरूपता उन्नितवैचित्र्य के प्रभेदों की है न कि लक्षण के प्रभेदों की।<sup>4</sup> लक्षण तो एक ही है। उसमें विविधरूपता उन्नितवैचित्र्य की है। आचार्य हेमचन्द्र भी इसकी पृथक् अलंकारता अस्वीकार करते हैं और उपमा में ही इसका अन्तर्भाव करते हैं। उनका भी तर्क वही है जो कि कुन्तक का है अर्थात् यदि ऐसे वैचित्र्य के कारण पृथक् पृथक् लक्षण किया जायगा तब तो अतिप्रसंग उपस्थित हो जायगा क्योंकि इस प्रकार के तो सहस्रों कि वा अनन्त वैचित्र्य सम्भव है।<sup>5</sup>

1- व. जी. पृ० 201

2- भामह, का० या० 3/45

3- ताम्बूलरागवलर्य स्फुरद्दशनदीधिति। इन्दीवराभनयनं तवेव वदनं तव।। व. जी, 3/46

4- 'तदेवमभिधावैचित्र्यप्रकाराणामेवविधै वैश्वरूप्यम्, न पुनर्लक्षणभेदानाम्।' व. जी. पृ० 202

5- का० यानुशसन, पृ० 347-348 'आसी हि प्रथत्तलक्षणकरण(?) एवैविधवैचित्र्यसहस्रसम्भव-  
दतिप्रसंगः स्यादिति।'

(21) निदर्शना

आचार्य भामह के अनुसार विना यथा, इव और वति का प्रयोग किया ही जहाँ उनके विशिष्ट अर्थ (अर्थात् सादृश्य)का प्रदर्शन केवल क्रिया के द्वारा ही कर दिया जाता है वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। जैसे श्री सम्पन्न मनुष्यों को यह बताते हुए कि उदय पतन के लिए होता है, यह मन्दप्रभ सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। यहाँ पर सूर्य की विशिष्ट क्रिया के द्वारा ही उदयारूढ़ सूर्य और श्रीसम्पन्न व्यक्ति का पतन रूप सादृश्य यथा आदि के विना ही प्रतिपादित किया गया है। अतः निदर्शना अलंकार है। कुन्तक ने निदर्शना अलंकार की भी पृथक् अलंकारता का खण्डन कर उसका भी उपमा में ही अन्तर्भाव किया है, जैसा कि डा० डे निर्देश करते हैं। परन्तु कुन्तक ने किस प्रकार इसका अन्तर्भाव उपमा में किया यह ग्रन्थ से कुछ स्पष्ट नहीं होता। भामह के लक्षण में तो यथा, इव आदि शब्दों के प्रयोग से यह सिद्ध हो जाता है कि उन्हें दोनों में सादृश्य प्रतीति ही अभीष्ट है। अतः उनके द्वारा अभिमत निदर्शना का तो निश्चित ही प्रतीयमानोपमा में अन्तर्भाव हो सकता है। साथ ही दण्डी उद्भट्ट आदि के भी निदर्शना प्रकारों का अन्ततः पर्यवसान सादृश्यप्रतीति में ही होता है अतः उनका भी प्रतीयमानोपमा में ग्रहण किया जा सकता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं परिलक्षित होती।

(22) परिवृत्ति

आचार्य भामह के अनुसार 'जहाँ अन्य वस्तु के परित्याग से विशिष्ट वस्तु का ग्रहण वर्णित होता है और जिसमें अर्थान्तरन्यास विद्यमान रहता है वही परिवृत्ति अलंकार होता है<sup>3</sup>। जैसे- 'उस(राजा)ने याचको को धन देकर यशःश्री को प्राप्त किया। समस्त लोक का हित करने वाले सज्जनों का यह सुदृढ़ व्रत है।' इस वाक्य में धन के परित्याग से यशःश्री का ग्रहण वर्णित है साथ ही दूसरे वाक्य में अर्थान्तरन्यास भी है। अतः परिवृत्ति अलंकार है। आगे चल कर अन्य आचार्यों ने केवल विनिमय को ही परिवृत्ति स्वीकार किया और अर्थान्तरन्यास की संतता का बन्धन उससे हटा दिया।

1- भामह, काव्या०, 3/33

2- अयं मन्दद्युतिर्भास्वानस्तं प्रति धियासति।

उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्तरान्।। वही, 3/34

3- भामह, काव्या०, 3/41

4- 'प्रदाय वित्तमर्थिभ्यः स यशोधनमादित।

सतां विश्वजनीनिमिदमस्खलितं व्रतम् ।। वही, 3/42

कुन्तक ने विनिमय रूपापरिवृत्ति की अलंकारता का ही खण्डन किया है । उनका कहना है कि अलंकार गौण तथा अलंकार्य मुख्य होता है। परिवृत्ति में जिन पदार्थों का परिवर्तन होता है वे दोनों ही मुख्य होते हैं उनमें किसी के प्राधान्य का कोई निश्चित नियम नहीं होता अतः उनमें परस्पर अलंकार भाव ही ही नहीं सकता। अथवा जब अन्य रूपों का विरोध होने पर साम्य की सत्ता विद्यमान रहती है तो यही उपमा अलंकार ही उचित प्रतीत होता है। वस्तुतः पाण्डुलिपि के दूषित होने के कारण कुन्तक के तर्कों एवं विवेचन को स्पष्टतया प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । वस्तुतः वस्तु विनिमय में किसी भी प्रकार का चमत्कार न होने और केवल वस्तुस्वरूप का ही प्रतिपादन होने से उसे अलंकार कोटि में न रख कर अलंकार्य कोटि में ही रखना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। राजा ने याचकों को धन देकर यशः श्री को प्राप्त किया' यही तो वर्णनीय विषय है । अलंकार्य है । उसे अलंकार कैसे कहा जा सकता है । रही भामह द्वारा स्वीकृत अर्थालंकार-अर्थान्तरन्यास के सद्भाव की बात । उसके कारण निश्चित ही अर्थान्तरन्यास अलंकार स्वीकार किया जा सकता है परिवृत्ति नहीं ।

इस प्रकार कुन्तक ने जिन अलंकारों का अन्तर्भाव उपमा में किया था उनका अधिक से अधिक जितना स्पष्ट विवेचन कर सकना सम्भव था प्रस्तुत किया गया । उक्त अलंकारों की संख्या घटाने के विषय में किया गया कुन्तक का प्रयास निश्चित ही सराहनीय एवं समीचीन भी है। अन्यथा थोड़े थोड़े वैचित्र्य को लेकर अनन्त अलंकारों की कल्पना सम्भव हो सकती है । साथ ही वैसी कल्पना करने पर अलंकारों के स्वरूप में परस्पर स्पष्ट विभाजन की रेखा खींच सकना भी असम्भव हो जाना स्वाभाविक ही है । इसी अलंकार विस्तार के चक्कर में परवर्ती आलंकारिकों ने न जाने कितने ऐसे अलंकारों की कल्पना कर रखी है जिनमें कोई चास्त्व नहीं है । अतः ऐसा विस्तार उचित नहीं। अब दो अलंकार और शेष बचते हैं - विरोध और समासोपेत जिनका कि अन्तर्भाव कुन्तक ने सम्भवतः श्लेष में किया है।

### (23) श्लेष

यह बड़े दुःख की बात है कि आचार्य कुन्तक का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अलंकार श्लेष का विवेचन पाण्डुलिपि की अत्यधिक ग्राह्यता के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता

डा० डे ने केवल यही निर्देश किया है कि कुन्तक श्लेष का शब्दश्लेष, अर्थश्लेष एवं उभयश्लेष रूप त्रिविध विभाजन प्रस्तुत करने में सम्भवतः उद्भट्ट का अनुसरण करते हैं।<sup>1</sup>

### (24) विरोध

आचार्य कुन्तक ने विरोध का अन्तर्भाव श्लेष में किया है। उनके तर्कों का कोई पता नहीं चलता। वे श्लेष से विरोध को अभिन्न मानते<sup>2</sup> हैं। लेकिन कुन्तक का यह अन्तर्भाव कुछ अधिक समीचीन नहीं प्रतीत होता। क्योंकि भामह तथा उद्भट्ट ने जिस प्रकार से विरोध अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनके उदाहरणों में कहीं श्लेष की गन्ध तक नहीं है। उनके लक्षण के अनुसार किसी विशेष का प्रतिपादन करने के लिए जब गुण अथवा क्रिया के विरुद्ध अन्य क्रिया का कथन किया जाता है तो विरोध अलंकार होता है<sup>3</sup>। जैसे किसी राजा की चाटुकारिता करते हुए कवि की इस उक्ति में कि -  
'हे राजन् ! समीपस्थ उपवनो की छाया से शीतल भी यह भूमि अत्यन्त दूर देश में रहने वाले भी आपके शत्रुओं को सन्तप्त करती है।'<sup>4</sup> स्पष्ट ही शीतलता गुण का सन्तप्त करने रूप क्रिया से विरोध होने के कारण विरोध है। साथ ही इस वाक्य में चमत्कार भी इस विरोध के कारण विद्यमान है। अतः कोई भी सहृदय इसकी अलंकारता को नकार नहीं सकता। साथ ही किसी भी सहृदय को इसमें श्लेष का गन्ध भी पा सकना असम्भव ही है। अतः कुन्तक का कथन इन आचार्यों के लक्षणों एवं उदाहरणों को ध्यान में रखने पर अपने आप अपास्त हो जाता है। आचार्य वामन द्वारा स्वीकृत विरोध जिसे कि परवर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृत 'असंगति' अलंकार कहा जा सकता है वह भी श्लेष की परिधि से बाहर ही है<sup>5</sup>। उसका भी अन्तर्भाव यथाकथंचित् भामह आदि द्वारा स्वीकृत इसी विरोध में किया जा सकता है। इसी प्रकार दण्डी, रुद्रट्ट एवं परवर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृत विरोध का भी सर्वथा श्लेष में अन्तर्भाव करना समीचीन नहीं। यदि श्लेष में अन्तर्भाव करने का कथमपि आग्रह किया भी जा सकता है तो वहीं पर जहाँ कि विरोधश्लेषमूलक है। जैसे दण्डी के इस उदाहरण -

1- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 205

2- 'श्लेषेणाभिसम्भिन्नत्वात् -वही, पृ० 209

3- द्रष्टव्य भामह, काव्या० 3/25 तथा का० सू० पृ० 63

4- उपान्तरूढोपवनच्छायाशीतऽपि घूरसौ ।

विदूरदेशानपिवः सन्तापयति विद्विषः । भामह, काव्या० 3/26

5- द्रष्टव्य का० सू० वृ० 4/3/12 तथा वृत्ति एवं का. प्र० 10/124

\*कृष्णार्जुन स्वतापि दृष्टिः कर्णविलम्बिनो।

याति विश्वसनीयत्वं कस्यते कलभाषिणि<sup>1</sup> ।।<sup>०</sup> में विरोध न स्वीकार कर श्लेष को सत्ता स्वीकार की जा सकती है। यद्यपि चमत्कार यहाँ विरोध की प्रतीति होने में ही है। अतः प्राधान्य उसी का है।

### (25) समासोक्ति

समासोक्ति की अलंकारता का खण्डन कुन्तक ने इस आधार पर किया है कि उसमें दूसरे अलंकार के रूप में कोई शोभा नहीं होती।<sup>2</sup> आचार्य भामह के अनुसार जहाँ किसी (एक पदार्थ)के वर्णन करने पर उसके समान विशेषण वाले किसी अन्य पदार्थ की प्रतीति होती है वहाँ संक्षिप्तार्थता के कारण समासोक्ति अलंकार होता है।<sup>3</sup> भामह का उदाहरण है-

\*कन्धवानृजुर्व्यालः स्थिरोऽनेकमहाप्लः ।

जातस्तरु रयचोच्चैः पालितश्च<sup>4</sup> नमस्वता ।।

कुन्तक ने इसका खण्डन करते हुए कहा है कि यहाँ पर यदि तरु और महापुरुष दोनों को मुख्य माना जाता है तो महापुरुष के पक्ष में विशेषण तो है अतः विशेष्यविधायक पदान्तर को भी कहना चाहिए। अथवा यदि विशेषणों की अन्यथा अनुपपत्ति होने से विशेष्य की प्रतीयमान रूप में कल्पना की जाती है, तो ऐसी कल्पना का कुछ भी तत्त्व दिखायी नहीं देता। अतः स्पष्ट ही इसमें शोभाशून्यता है।<sup>5</sup> वैसे भामह द्वारा उदाहृत इस श्लोक में समासोक्ति के बजाय यदि अप्रस्तुत प्रशंसाअलंकार स्वीकार किया जाय तो अधिक अच्छा होगा। क्योंकि श्लिष्ट विशेषणोंके कारण अप्रस्तुत तरु के द्वारा प्रस्तुत महापुरुष की और अप्रस्तुतवायु के द्वारा प्रस्तुत किसी दुर्जन व्यक्ति के वृत्तान्त की प्रतीति स्पष्ट हो चमत्कारिणी प्रतीत होती है। यदि कोई यह तर्क प्रस्तुत करना चाहे कि समासोक्ति में प्रस्तुत व्यवहार से अप्रस्तुत व्यवहार की प्रतीति होती है जब कि

1- काव्यादर्श, 2/339

2- अलंकारान्तरत्वेन शोभाशून्यता व जी. पृ० 210

3- भामह, काव्यादर्श, 2/79

4-वही, 2/80

5- व. जी. पृ० 210

अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत व्यवहार से प्रस्तुत व्यवहार की तो यह तर्क ही उचित नहीं। क्यों कि भामह के समासोक्ति लक्षण में प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत का कोई ऐसा नियमन नहीं है। साथ ही दण्डी के लक्षण में भी कोई ऐसा नियमन नहीं<sup>1</sup>। यहाँ तक कि आचार्य वामन ने तो दोनों ही अलंकारों में उपमेय की ही प्रतीयमान<sup>2</sup> स्वीकार की है<sup>2</sup>। ऐसा नियमन केवल उद्भट<sup>3</sup> करते हैं। जैसा कि डा० डे निर्देश करते हैं, कुन्तक 'अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः'<sup>4</sup> आदि श्लोक को, जिसमें कि अभिनव गुप्त ने भामह के अनुसार समासोक्ति अलंकार बताया है, उद्धृत कर उसका विवेचन करते हैं<sup>5</sup> पर क्या ? इसका कोई निर्देश उन्होंने नहीं किया। लगता तो यह है कि कुन्तक ने वहाँ प्रतीयमान रूपक सिद्ध किया होगा। क्यों कि 'उपोढरागेण विलोलतारकम्'<sup>5</sup> आदि श्लोक को वे रूपक प्रकरण में उद्धृत करते हैं। यद्यपि डा० डे ने वहाँ यह निर्देश नहीं किया कि वह प्रतीयमानरूपक के उदाहरण रूप में है जब कि उसी के अनन्तर उद्धृत 'लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्'<sup>6</sup> के विषय में वे निर्देश करते हैं कि उसे कुन्तक ने प्रतीयमानरूपक के रूप में उद्धृत किया है<sup>6</sup>। अतः उद्भटादि आचार्यों द्वारा स्वीकृत शो समासोक्ति का श्लेष में तो नहीं परन्तु प्रतीयमान रूपक में निश्चित ही अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिए उसे पृथक् अलंकार के रूप में स्वीकार करना वस्तुतः समीचीन नहीं है।

इस प्रकार पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत इन समस्त अलंकारों का विवेचन समाप्त होता है जिनकी कि अलंकारता कुन्तक को मान्य नहीं थी। चाहे वे अलंकार्य रहे हो, अथवा वैचित्र्य से हीन रहे हो या कि पृथक् अलंकार के रूप में उल्लिखित होने योग्य न हो कर किसी में अन्तर्भूत हो गए हो। अब वे अलंकार शेष बचते हैं जिनकी कि अलंकारता कुन्तक को मान्य है, यह भले ही कि उनके स्वरूप में उन्होंने कुछ परिमार्जन किया हो। अब उन्हीं अलंकारों का विवेचन किया जायगा।

1- देखें काव्यादर्श 2/205

2- द्रष्टव्य का सू. वृ. 4/3/3-4 तथा वृत्ति

3- प्रकृतार्थनवाक्येन तत्समानैर्विशेषणैः।

अप्रस्तुतार्थकथनं समासोक्तिरुदाहृता।। का. सा. सू. पृ० 4।

4- उद्भट छन्द्या० पृ० 114-115 देखें लोचन पृ० 115

5- व. जी. पृ० 187

6- वही, पृ० 187



(26) रूपकालंकार

उपचारवक्रता का निरूपण करते हुए कुन्तक ने यह बताया था कि वह रूपकादि अलंकारों का मूल होती है<sup>1</sup>। इसमें यह बात सिद्ध हो जाती है कि रूपक का प्राण उपचारवक्रता है। इस लिए कुन्तक ने रूपक का लक्षण दिया कि जहाँ पर कोई वस्तु, उस सादृश्य को धारण करती हुई जो कि उपचार अर्थात् तन्त्र के अध्येष का एकमात्र प्राण होता है, अपने स्वरूप का अर्पण कर देती है। वही रूपक अलंकार होता है<sup>2</sup>। जैसा डा० डे निर्देश करते हैं इस में विद्यमान सादृश्य को प्रतीयमान होना चाहिए<sup>3</sup>। कुन्तक ने भामह का ही अनुसरण करते हुए इस रूपक के दो भेद किए हैं—(1) समस्त वस्तु विषयकरूपक और (2) एकदेशविवर्ति रूपक। समस्त वस्तु विषयकरूपक वह होता है जिसके द्वारा अपने सुन्दर स्वरूप के समर्पण से समस्त वाक्य में विद्यमान सारे के सारे पदार्थ अलंकार्य होने के कारण रूपान्तर को प्राप्त करा दिए जाते हैं<sup>4</sup>। जैसे— 'कोमल शरीर रूपी लता का वसन्तभूत, सुन्दर मुख रूपी चन्द्रमा का शुक्लपक्षभूत तथा कामदेव रूपी गज का मदस्वरूप यौवनारम्भ प्रतीतिशायी<sup>5</sup> है।' यहाँ पर समस्तवस्तु विषय रूपक है। एकदेश विवर्तिरूपक के विषय में कुन्तक ने पूर्वाचार्यों से अपना वैमत्य व्यक्त किया है। उन्होंने पूर्वाचार्यों के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन आचार्यों के अनुसार जो एकदेश से विघटित हो जाता है अथवा विशेष रूप से विद्यमान रहता है वह एकदेश विवर्तिरूपक होता है। कुन्तक इन दोनों ही मतों को अपुक्त बताते हैं। परन्तु<sup>6</sup> उन्हें एकदेशविवर्तिरूपक किस रूप में मान्य था यह ग्रन्थ से स्पष्ट नहीं होता। उन्होंने रूपक के विषय में कहा है कि यदि इस अलंकार को उत्प्रेक्षा अथवा सन्देह आदि अलंकारों का साहाय्य प्राप्त हो जाता है तो यह अपूर्व ही वक्रता को प्रस्तुत करता है<sup>7</sup>।

1- 'यन्मूला सरसोल्लेखा रूपकादिरलंकारः' - व. जी. 2/14

2- उपचारैकसर्वस्व (यत्र तत् ?) साम्यमुद्वहत्।

यदर्पयति रूपं स्त्री वस्तु तद्रूपकं विदुः । ११ वही, पृ० 185

3- वही, पृ० 185

4- समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति च। 'देखे वही पृ० 186

5- मृदुतनुलतावसन्तः सुन्दरवदनेन्दुबिम्बसितपक्षः ।

मन्मथमार्तगमदो जयत्यहो तस्मत्तारम्भः । 11-वही, पृ० 186

6- द्रष्टव्य वही, पृ० 186-187

7- नयन्ति कवयः कान्चिद् वक्रभावरहस्याम् ।

अलंकारान्तरोल्लेखसहाय्य प्रतिभावशात् ।। वही, पृ० 187 तथा वृत्ति

(27) अप्रस्तुतप्रशंसा

आचार्य कुन्तक के अनुसार 'जहाँ पर अप्रस्तुत भी पदार्थ अथवा असत्यभूत वाक्यार्थ उपचार के एकमात्र प्राणभूत सादृश्य का अथवा दूसरे निमित्तभावादि सम्बन्धों का आश्रयण कर वर्णनीय पदार्थ की शोभा को समुल्लसित करते हुए वर्णनीय विषय बन जाते हैं वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है।' इस लक्षण से अप्रस्तुतप्रशंसा को भी उपचारमूलकता सिद्ध हो जाती है। इसको ओर कुन्तक ने उपचारवृत्ता का विवेचन करते हुए भी निर्देश किया है -

'आदिग्रहणादप्रस्तुतप्रशंसाप्रकारस्य कस्यचिदन्यापदेशलक्षणस्योपचारवृत्तैव जीवितत्वेन लक्ष्यते ।'

कुन्तक के इस कथन से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है कि ~~जहाँ पर कुन्तक के इस कथन से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है कि~~ जहाँ पर सादृश्यनिबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा होती है उसी का प्राण उपचार है। ~~जहाँ~~ जहाँ निमित्तभावादि सम्बन्धों से अप्रस्तुतप्रशंसा होती है वहाँ नहीं। प्रस्तुत पदार्थ दो प्रकार का होता है पहला तो वह होता है जो कि वाक्य में अन्तर्भूत पद मात्र से सिद्ध होता है। और दूसरा वह होता है जिसका कार्य समस्त वाक्य में व्यापक रूप से विद्यमान रहता है और जिसका अपने विविध विलसितों से विशिष्ट प्राधान्य रहता है। इस अलंकार में कविजन इन दोनों ही प्रकारों के प्रस्तुतपदार्थों को प्रतीयमान ढंग से अपने हृदय में स्थापित कर उनकी शोभासम्पत्ति के लिए उससे भिन्न दूसरे अप्रस्तुत पदार्थ का वर्णन करते हैं जिसका कि प्रस्तुत पदार्थ से या तो सादृश्य सम्बन्ध रहता है अथवा निमित्तभावादि सम्बन्ध। उन्होंने ने सादृश्य के अतिरिक्त केवल निमित्तभावादि सम्बन्ध का ही उल्लेख किया है। साथ ही उसका जो एक उदाहरण उन्होंने ने -

'इन्दुर्लिप्त इव छजनेन जडिता इवृष्टिर्गुणीणाभिव' <sup>4</sup>

इत्यदि श्लोक को उद्धृत किया है उसे आगे चल कर स्य्यक तथा नरेन्द्र प्रभसूरि ने

1- अप्रस्तुतोपि विच्छित्तं प्रस्तुतस्यावतारयन् ।

यत्र तत्साम्यमाश्रित्य सम्बन्धान्तरमेव वा ॥

वाक्यार्थोऽसत्यभूतो वा प्राप्यते वर्णनीयताम्।

अप्रस्तुतप्रशंसेति कथितासावलकृतिः ॥ ४ वं जी पृ० 188

2- वही , पृ० 103

3- द्रष्टव्य वही, पृ० 188-189

4- बालरामायण 1/42

कार्यकारणभावसम्बन्ध से उपस्थित होने वाली अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण रूप में उद्धृत किया है । इतना ही नहीं, कुन्तक द्वारा प्रस्तुत पदार्थ का दिव्य स्वरूप निरूपण भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । उनके इस दिव्य निरूपण से समस्त पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत अप्रस्तुतप्रशंसा लक्षणों की संगति हो जाती है । यदि वे वाक्यान्तर्भूतप्रस्तुतपदार्थ की प्रशंसा का वर्णन न करते तो निश्चित ही वामन की अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण सर्वथा अमान्य सिद्ध होता क्योंकि वामन के अनुसार उपमेय अर्थात् प्रस्तुत के लिंगमात्र से कथन होने पर समान वस्तु का न्यास होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा होती है<sup>2</sup> । कुन्तक ने वामन द्वारा उद्धृत - 'लावण्यसिन्धुरपरैव हि काचनेयम्' इत्यादि श्लोक को ही इसके उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है । यहाँ पर जो अपर ही लावण्य सिन्धु का उपादान किया गया है उसी से रमणीय रूप प्रस्तुत पदार्थ के स्वरूप की प्रतीति होती है । यद्यपि आगे चल कर नरेन्द्र प्रभसूरि ने इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का खण्डन किया है तथा भेद में अभेद रूपा, अभेद में भेद रूपा अतिशयोक्ति और व्यतिरेक का विषय बताया है<sup>4</sup> । परन्तु सूरि जो का विवेचन समीचीन नहीं प्रतीत होता क्योंकि कुन्तक के किसी भी पूर्ववर्ती आचार्य को अथवा स्वयं कुन्तक को अतिशयोक्ति का ऐसा स्वरूप मान्य नहीं रहा । यदि उद्घाट ने भेद में अभेद अथवा अभेद में भेद रूपा अतिशयोक्ति की बात कही भी थी तो वहाँ किसी निमित्त का कथन आवश्यक था<sup>5</sup> । जब कि उक्त श्लोक में ऐसे किसी भी निमित्त का वर्णन नहीं है । साथ ही उसमें कुन्तक एवं वामन दोनों के ही अप्रस्तुतप्रशंसालक्षण पूर्णतया घटित भी हो जाते हैं । दुर्भाग्यवश कुन्तक ने जो असत्यभूत वाक्यार्थतात्पर्याप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण एवं विवेचन प्रस्तुत किया था वह उपलब्ध नहीं होता अतः उसके निश्चित

1- द्रष्टव्य अलं०स०पृ० 134 तथा अलं० महो० पृ० 283

2- उपमेयस्य किंचिल्लिंगमात्रेणोक्तौ समानवस्तुन्यासेऽप्रस्तुतप्रशंसा । वृत्ति का 0मू०वृ०4/3/4

3- उद्धृत का.सू.वृ. पृ० 57 तथा व.जी. पृ० 189

4- द्रष्टव्य अलं० महो० पृ० 287

5- निमित्ततो यत्तु वचो लोकातिक्रान्तगोचरम् ।

मन्यतेऽतिशयोक्तिं तामलंकारतया बुधाः ॥

भेदेऽन्यत्वमन्यत्र नानात्वं यत्र बध्यते ।

तया सम्भाव्यमानार्थनिबन्धेतिशयोक्तिगीः ॥

स्वरूप के विषय में कुछ कह सकना कठिन है । फिर भी ऐसा लगता है कि उसके अंतर्गत उन्हो ने अप्रस्तुतप्रशंसा के उस स्वरूप का विवेचन किया था जिसमें किसी अचेतनादि पदार्थों को सम्बोधित कर अप्रस्तुत रूप में वर्णन कर प्रस्तुत की प्रतीति कराई जाती है क्यो कि वैसे स्थलों पर अचेतनादिक के सम्बोधन के कारण वाक्यार्थ अनुपपन्न होता है । पण्डितराज जगन्नाथ ने ऐसे स्थलों पर प्रतीयमान से अभेद की कल्पना प्रस्तुत की है<sup>1</sup> । तथा नरेन्द्रप्रभ सूरि जो ने वाच्यार्थ का ही सम्भव, असम्भव और सम्भवासम्भव त्रिविध विभाजन कर असम्भव के अन्तर्गत इसका विवेचन किया है<sup>2</sup> । सम्भव है कि इन आचार्यों पर कुन्तक के विवेचन का प्रभाव रहा हो ।

### (28) पर्यायोक्त अलंकार

आचार्य कुन्तक के अनुसार जहाँ किसी दूसरे वाक्य द्वारा कही जाने योग्य वस्तु का उससे भिन्न वाक्य के द्वारा समर्थन या प्रतिपादन कराया जाता है जिससे कि वाक्य में अपूर्व सौन्दर्य आ जाता है वहाँ पर पर्यायोक्त अलंकार होता है<sup>3</sup> । पर्यायोक्त अलंकार का लगभग यही स्वरूप कुन्तक के पूर्ववर्ती एवं परवर्ती सभी आचार्यों को मान्य रहा है । केवल लक्षणों को शब्दावली का अन्तर रहा है, आशय प्रायः एकही रहे है । कुन्तक ने पर्यायवक्रता से इसका भेद निर्देश करते हुए कहा है कि पर्यायवक्रता में केवल पदार्थ ही वाच्यरूप से विषय होता है जब कि पर्यायोक्त अलंकार में वाक्यार्थ भी अंगरूप से विद्यमान रहता है<sup>4</sup> ।

### (29) व्याजस्तुति अलंकार

दुर्भाग्यवश इस अलंकार के केवल कुछ उदाहरण ही ग्रन्थों में मिलते है । इसके स्वरूप का कोई भी निरूपण उपलब्ध नहीं होता । कुन्तक के प्रायः सभी पूर्ववर्ती भामह, दण्डी, उद्भट, वामन, रुद्रट आदि आचार्यों ने मुख्यरूप से स्तुति के लिए प्रस्तुत की गई निन्दा का प्रतिपादन करने पर भी व्याजस्तुति अलंकार स्वीकार किया है<sup>5</sup> । परन्तु परवर्ती

1- अस्यांच वाच्यार्थः क्वचित् प्रतीयमानताटस्थेनैवावतिष्ठते ×× क्वचिच्च स्वगतविशेषणान्वय-योग्यतामासादयितुं प्रतीयमानाभेदमपेक्षते । -रसगंगाधर पृ० 64 ।

2- 'वाच्योऽप्यर्थस्त्रिधैवास्यां सम्भवासम्भवोभयैः । अलं० महो० 8/44

3- यद्वाक्यान्तरवक्तव्यं तदन्येन समर्थते ।

येनोपशोभानिष्पत्त्यै पर्यायोक्तिं तदुच्यते । -व. जो. पृ० 190

4- वही, पृ० 19 ।

5- दूराधिकगुणस्तोत्रव्यपदेशेन तुल्यताम् । किंचिद् विधित्तसौर्या निन्दा व्याजस्तुतिरसौ यथा ।

- भामह, काव्या० 3/3 ।

मम्मट रूयक आदि आचार्यों ने जहाँ प्रतिपादित की गई स्तुति से निन्दा की प्राधान्येन प्रतीति होती है वहाँ भी वयाजस्तुति अलंकार ही माना है । और वयाजस्तुति की व्याख्या- 'वयाजेन स्तुतिः— वयाज रूपा वा स्तुतिः' किया है। परन्तु कुन्तक ने वयाजस्तुति के जो उदाहरण दिए हैं उनसे यही प्रतीत होता है कि उन्हें पूर्वाचार्यों का ही अभिमत मान्य था । क्यों कि सभी उदाहरणों में निन्दा के द्वारा ही स्तुति की प्रतीति होती है<sup>2</sup> ।

### (30) उत्प्रेक्षा अलंकार

कुन्तक के अनुसार जहाँ वर्णनीय के उत्कर्षान्नेष को प्रतिपादित करने की इच्छा से सम्भावना कृत अनुमान के कारण, अथवा काल्पनिक सादृश्यवश या कि काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों ही सादृश्यों के कारण समुल्लिखित वाक्यार्थ से व्यतिरिक्त अर्थों की योजना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह योजना दो प्रकार से होती है—एक तो जहाँ पर प्रस्तुत के अतिशय को प्रतिपादित करने के लिए अप्रस्तुत के सदृश प्रस्तुत का सादृश्य बताया जाता है। और दूसरी जहाँ पर अप्रस्तुत रूप ही प्रस्तुत के स्वरूप को विस्तृत कर अप्रस्तुत का प्रस्तुत के स्वरूप पर समारोप किया जाता है । इस उत्प्रेक्षा के प्रकाशक इव इत्यादि शब्द होते हैं । और यदि इवादिक का वाचक रूप में प्रयोग नहीं होता तो ही प्रतीय-मानरूप में वाच्यवाचक सामर्थ्य से आक्षिप्त अपने अर्थों द्वारा उत्प्रेक्षा को प्रकाशित करते हैं<sup>3</sup>। निश्चित ही कारिका एवं वृत्ति भाग दोनों के अत्यन्त अस्पष्ट होने के कारण कुन्तक-अभिमत उत्प्रेक्षा अलंकार के स्वरूप एवं उसके प्रकारों का सुस्पष्ट निरूपण कर सकना बहुत कठिन है । वृत्ति में वे सम्भ्रान्तमानोत्प्रेक्षा<sup>4</sup>, काल्पनिकसादृश्योत्प्रेक्षा, वास्तविकसादृश्योत्प्रेक्षा और उभयोत्प्रेक्षा के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं<sup>4</sup> । तदनन्तर वे उत्प्रेक्षा के एक अन्य प्रकार का निरूपण करते हैं जो इस प्रकार है । जहाँ पर किसी क्रिया के विषय में क्रियारहित भी वस्तु को अपने स्वभाव की महिमा के अनुरूप कर्ता रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसका हेतु अनुभव करने वाले की वैसी प्रतीति होती है। वहाँ दूसरे प्रकार की उत्प्रेक्षा होती है । निष्क्रिय वस्तु पर कर्तृता का यह आरोप वर्णनीय के अत्यधिक उत्कर्ष को ही

1- वयाजस्तुतिर्मुखे निन्दा स्तुतिर्वा रूदिरन्यथा। का0प्र010/112 तथा वृत्ति

2- इष्टव्य, व. जी. पृ0 191

3- ,, ,, पृ0 192

4- ,, ,, पृ0 193-194

प्रतिपादित करने की इच्छा से किया जाता है। यहाँ भी उत्प्रेक्षा के प्रकाशक इवादि शब्द ही, अपने वाचक रूप में अथवा प्रतीय मान रूप में, होते हैं। साथ ही इसमें भी प्रस्तुत का या तो अप्रस्तुत से सादृश्य होता है अथवा प्रस्तुत ही अप्रस्तुत रूप होता है। इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने—

लिम्पतीव तमोऽगानि वर्षतीवज्जनं नमः<sup>2</sup>। आदि उद्धरणों को उद्धृत किया है। और अन्त में उत्प्रेक्षा के विषय में कहा है कि यह अन्य अलंकारों की सौन्दर्यातिशयसम्पत्ति का अपहरण कर स्वयं की अभिनव उल्लेख की जीवितभूत दिखाई देती है।<sup>3</sup>

### (31) अतिशयोक्ति

आचार्य कुन्तक का अतिशयोक्ति लक्षण प्रायः सभी उनके पूर्ववर्ती र्ष का परवर्ती आचार्यों के लक्षणों से विशिष्ट ही है। उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार वही माना है जहाँ पर वैदग्ध्य भंगिमा द्वारा वर्णनीय पदार्थ के सहृदयाह्लादकारी धर्मों का कोई लोकोत्तर उत्कर्ष प्रतिपादित किया जाता है<sup>4</sup>। क्योंकि कुन्तक ने काव्य में अभिमत अर्थ का प्रतिपादन करते हुए बताया था कि काव्य में वहीं अर्थ अर्थ होता है जो कि सहृदयों को आह्लादित करने वाला अपने स्वभाव अथवा धर्म से अत्यन्त रमणीय होता<sup>5</sup> है। अतः उस धर्म के अतिशय की पोषक उक्ति के विषय में आलंकारिकों का अत्यधिक समादर अवश्यम्भावी है। इनके लक्षण का कुछ साम्य दण्डी तथा वामन के लक्षणों से स्वीकार किया जा सकता है। ये भामह आदि की भाँति अतिशयोक्ति में न तो किसी निमित्त का उल्लेख करते हैं और न उद्भट एवं परवर्ती मम्मट आदि आचार्यों की भाँति भेद में अभेद अभेद में भेद इत्यादि तमाम प्रकारों की ही कल्पना प्रस्तुत करते हैं। डा० डे ने निर्देश किया

1- प्रतिभासान्तथा ओद्धुः स्वस्पन्दमहिभो चितम्।

वस्तुनो निद्रियस्यापि क्रियायां कर्तृतापणम् ॥ तथा वृत्तिवर्जी पृ० 194, 195

2- दण्डी द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण रूप में उद्धृत काव्यादर्श 2/226

3- व. जी. पृ० 195

4- यस्यामतिशयः कोऽपि विच्छिन्या प्रतिपाद्यते।

वर्णनीयस्य धर्मणां तद्बिहाह्लाददायिनाम् ॥ - वही, पृ० 195

5- 'अर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः' - वही 1/9

है कि कुन्तक ने अतिशयोक्ति के पाँच उद्धरण प्रस्तुत कर उनका विवेचन किया है परन्तु वह स्पष्ट नहीं। अतः इसमें कुछ अधिक कह सकना सम्भव नहीं।

(32) व्यतिरेक अलंकार

आचार्य कुन्तक के अनुसार, जहाँ पर वर्णनीय पदार्थ के उत्कर्ष की सिद्धि के लिए उपमान और उपमेय से दोनों में ही श्लेष के निमित्तभूत शब्द की वाच्यता तथा धर्म साम्य के विद्यमान रहने पर भी अन्यथा स्थिति के कारण उपमान का उपमेय से अथवा उपमेय का उपमान से व्यतिरेक या पृथक्करण प्रतिपादित किया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यह व्यतिरेक दो प्रकार का होता है। एक है शब्द जो कि कवि मार्ग में प्रसिद्ध है अर्थात् जिसका प्रतिपादन उसके समर्पण में समर्थ अभिधान द्वारा किया जाता है और दूसरा है प्रतीयमान जिसकी प्रतीति केवल वाक्यार्थ की सामर्थ्य से ही होती है स्पष्ट शब्दों में अथवा वाक्यरूप में जिसका प्रतिपादन नहीं होता। कुन्तक ने इनके जिन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है वे स्पष्ट नहीं हैं। प्रतीयमान व्यतिरेक के उदाहरण रूप में उन्होंने ने ध्वन्यालोक में उद्धृत --

'प्राप्तप्रतिरेष कस्मात् पुनरपि मयि तं मन्थरवेदं विदध्यात्।'

इत्यादि श्लोक को उद्धृत किया है। आचार्य आनन्दवर्धन ने इसमें रूपक ध्वनि का निरूपण किया है। कुन्तक ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है--

'तन्वाध्यारोषणात् प्रतीयमानतया रूपकमेव पूर्वसूरिभिराम्नातम्।'

डा० डे ने निर्देश किया है कि कुन्तक ने इस प्रकरण में आनन्दवर्धन की ध्वनिलक्षणकारिका-यत्रार्थः शब्दो वा आदि को उद्धृत कर प्रतीयमानता के अर्थ का विश्लेषण किया है।

1- 'सति तच्छब्दवाच्यत्वे धर्मसाम्येऽन्यथास्थितेः

व्यतिरेचनमन्यस्मात् प्रस्तुतोत्कर्ष सिद्धये।।- व. जी. पृ० 207

2- द्रष्टव्य, वही पृ० 207-208

3- ,, ध्वन्या० पृ० 261-262

4- व. जी. पृ० 208

5- ध्वन्या० 1/13

परन्तु दुर्भाग्यवश उस प्रकरण को वे सम्पादित नहीं कर सके अन्यथा कुन्तक के ध्वनि सिद्धान्त विषयक विचारों का निरूपण करने में अत्यधिक साहाय्य प्राप्त होता। कुन्तक ने व्यतिरेक अलंकार का एक अन्य प्रकार भी निरूपित किया है। उसके अनुसार जहाँ किसी एक वस्तु का किसी अतिशय के कारण उसके लोकप्रसिद्ध सर्वसाधारण व्यापार से व्यतिरेक दिखाया जाता है वहाँ भी व्यतिरेक अलंकार होता है।

### (33) दृष्टान्त अलंकार

आचार्य कुन्तक द्वारा किया गया दृष्टान्त अलंकार का विवेचन अत्यन्त संक्षिप्त है। उनके अनुसार जहाँ पर प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत के लिंग, संख्या, विभक्ति तथा स्वरूप साम्य से भिन्न केवल वस्तुसाम्य का आश्रयण कर प्रस्तुत के साथ ही अप्रस्तुत का प्रदर्शन किया जाता है वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है। यहाँ अवश्य यह है कि कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्यों में भामह दण्डी तथा वामन ने दृष्टान्त अलंकार का निरूपण नहीं किया। केवल आचार्य उद्भट ने सर्वप्रथम पृथक् अलंकार के रूप में निरूपित किया है। आगे चल कर हेमचन्द्र ने भी इस अलंकार का पृथक् निरूपण नहीं किया। वस्तुतः यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाय तो प्रतिवस्तूपमा, निदर्शना आदि अलंकारों की भाँति दृष्टान्त अलंकार का भी अन्तर्भाव प्रतीयमानोपमा में ही उचित है क्योंकि वहाँ चमत्कार प्रतीयमान सादृश्य के कारण ही है।

### (34) अर्थान्तरन्यास

कुन्तक के अनुसार जहाँ पर प्रधान वस्तु के तात्पर्य के सादृश्य के कारण प्रस्तुत वाक्यार्थ से भिन्न वाक्यार्थ का सहृदयाह्लादकारी ढंग से समर्पक रूप में विन्यास किया जाता है वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है। यहाँ दूसरा वाक्यार्थ प्रस्तुत वाक्यार्थ की

1- लोकप्रसिद्धसामान्यपरिस्थन्दाद् विशेषतः ।

व्यतिरेको यदेकस्य स परस्तदिवक्ष्या ॥ व. जी. पृ० 208

2- 'वस्तुसाम्यं समाश्रित्य यदन्यस्य प्रदर्शनम्।' तथा वृत्ति-वही, पृ० 213

3- इष्टस्यार्थस्य विस्पष्टप्रतिबिम्बनिदर्शनम्।

यथैवादिपदैः शून्यं बुधैर्दृष्टान्त उच्यते ।। का० सा० से० 6/8



उपपत्ति योजना करता है। कुन्तक ने अर्थान्तरन्यास का लक्षण पूर्ववर्ती भामह आदि आचार्यों के लक्षणों के अनुरूप ही किया। दण्डी तथा उद्भट आदि ने उसके अनेक भेदप्रभेद किये हैं। परन्तु कुन्तक ने वैसा नहीं किया। साथ ही उन्होंने प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत वाक्यों के सामान्य विशेषभाव का भी कोई निर्देश नहीं किया है जैसा कि परवर्ती मम्मट आदि आचार्यों ने किया है।

### (35) आक्षेपालंकार

कुन्तक द्वारा स्वीकृत आक्षेपालंकार का स्वरूप भी प्रायः उनके पूर्ववर्ती एवं परवर्ती सभी आचार्यों के समान ही है। जहाँ पर प्रस्तुत वस्तु के प्रकृष्ट सौन्दर्य का प्रतिपादन करने के लिए निषेध की विच्छति से उसी प्रस्तुत वस्तु का ही आक्षेप किया जाता है वहाँ आक्षेप अलंकार होता है। कुन्तक द्वारा दिया गया उद्घरण पढ़ने में नहीं आ सका।

### (36) विभावना

कुन्तक के अनुसार जहाँ पर सौन्दर्य की सिद्धि के लिए वर्णनीय पदार्थ का किसी विशेष रूप से उस विशेष के अपने कारण का परित्याग कर वर्णन किया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। कहने का आशय<sup>2</sup> यही है कि विना कारण के उसके कार्य का अथवा फल का वर्णन विभावना है। यही प्रायः विभावना के विषय में सभी आचार्यों का मत रहा है। विशेषोक्ति अलंकार का विवेचन करते हुए यह बताया गया है कि विशेषोक्ति की अलंकारता का कुन्तक ने झण्डन किया है। कुन्तक के तर्कों का तो विशेष ज्ञान नहीं। परन्तु भामह के उदाहरण को प्रस्तुत कर जिस स्वभाववर्णन की ओर कुन्तक ने निर्देश कर उसकी अलंकारता का निषेध किया था। उसी आधार पर स्वयं कुन्तक के विभावना अलंकार की अलंकारता का निषेध किया जा सकता है। कुन्तक का विभावना का उदाहरण है—

- 1- वाक्यार्थान्तरविन्यासो मुख्यतत्पर्यसाम्यतः ।  
ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यास यः समपकतयाहितः ।। व. जी. पृ० 213
- 2- निषेधच्छायाऽक्षेपः कान्तिप्रथयितुं पराम् ।  
आक्षेप इति स ज्ञेयः प्रस्तुतस्यैव वस्तुनः ।। वही, पृ० 214
- 3- वर्णनीयस्य केनापि विशेषेण विभावना ।  
स्वकारणपरित्यागपूर्वकं कान्तिसिद्धये । वही, 215

'असम्भृतम्भण्डनमंगयस्तेरनासवास्त्रं करणं मदस्य।

कामस्य पृथ्व्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात्परं साध वयः प्रपेदे।।'

इसमें भी तो पार्वती के सहज लोकोत्तर यौवन का ही वर्णन है। उसे अलंकार क्यों कहा जाय? यदि यह तर्क प्रस्तुत करें कि यही कारण के परित्याग से कार्य की स्थिति का वर्णन होने से चमत्कार है अतः इसका अलंकारत्व समीचीन है। तो वैसे ही विशेषोक्ति में भी कारण के होते हुए भी कार्य के न होने का वर्णन होने से चमत्कार होता है अतः उसका भी अलंकारत्व समीचीन है। वैसे आचार्य हेमचन्द्र ने विभावना और विशेषोक्ति दोनों ही की पृथक् अलंकारता का खण्डन किया है। उन्होने विरोध अलंकार को स्वीकार कर उसी विरोध में इन दोनों का अन्तर्भाव किया है।<sup>2</sup> विरोध अलंकार के प्रसंग में कुन्तक द्वारा विरोध अलंकार की अलंकारता के खण्डन की असमीचीनता का प्रतिपादन किया जा चुका है। वस्तुतः यहाँ पर हेमचन्द्र का ही मत सम्माननीय है। इन दोनों ही अलंकारों में वस्तुतः विरोध का ही चमत्कार है। अतः विभावना और विशेषोक्ति दोनों की ही पृथक् अलंकारता स्वीकार करना समीचीन नहीं। लेकिन यदि विभावना को पृथक् अलंकार स्वीकार किया जाता है तो विशेषोक्ति को पृथक् अलंकार न स्वीकार करना तो सर्वथा असमीचीन ही है।

### (37) ससन्देह

कुन्तक द्वारा स्वीकृत ससन्देह अलंकार का स्वरूप निश्चित ही अन्य आलंकारिकों द्वारा ही स्वीकृत ससन्देह के स्वरूप से विलक्षण है। उनके पूर्ववर्ती आचार्यों में भामह उद्भट तथा वामन ने उपमान और उपमेय के संशय को ससन्देह अलंकार स्वीकार किया है।<sup>3</sup> दण्डी ने कोई भी सन्देह नामक अलंकार पृथक् नहीं स्वीकार किया। उन्होने उक्त आचार्यों के ससन्देह का संशयोपमा में ही अन्तर्भाव किया है।<sup>4</sup> परवर्ती आचार्यों ने भी

1- कु0सं0 1/3।

2- एवं च विभावनाविशेषोक्तयसंगतिविषमाधिकव्याख्यातातद्गुणाः पृथगलंकारत्वेन न

वाच्याः । विरोध एवान्तर्भावात् । उक्तेर्वैचित्र्यमात्राद् भेदे च लक्षणकरणेऽलंकारान्त्यप्रसङ्गः ।

—काव्यानुशासन, पृ0 316 317

3- द्रष्टव्य भामह, काव्या0 3/43 का0सा0मं0 6/2 तथा का0मू0वृ0 4/3/1।

4- काव्यादर्श, 2/26

प्रायः भामह आदि के ही ससन्देह के स्वरूप को स्वीकार किया है। ही, उसके शुद्ध निश्चयगर्भ, निश्चयान्त आदि अनेक भेद प्रभेद स्वीकार किए हैं। आचार्य कुन्तक को केवल उपमान और उपमेय का ही संशय रूप सन्देह मान्य नहीं। उनके अनुसार जहाँ पर सम्भावनानुमान अथवा सादृश्य सम्बन्ध के कारण स्वरूपान्तर समारोप के द्वारा उत्प्रेक्षित पदार्थ का स्वरूप उत्प्रेक्षा के प्रदर्शक वाले दूसरे विषय के भी सम्भव होने से सन्देह को प्राप्त हो जाता है साथ ही वैचित्र्य का सम्पादन भी करता है वही ससन्देह अलंकार<sup>2</sup> होता है। अतः कुन्तक के लक्षण के अनुसार उत्प्रेक्षा का सन्देह के मूल में विद्यमान रहना अनिवार्य है। और सन्देह भी केवल उत्प्रेक्षित रूपों में ही होने पर अलंकारत्वेन मान्य है। अतः ससन्देह अलंकार का केवल एक ही प्रकार सम्भव है। इस प्रकार कुन्तक केवल उपमान और उपमेय के संशय में ससन्देह अलंकार नहीं मानते। उनके अनुसार 'यह तुम्हारा मुख है या कि कमल है कुछ निश्चय नहीं कर पाया ?' इस कथन में ससन्देह अलंकार नहीं हो सकता। क्योंकि यही कवि द्वारा उत्प्रेक्षित एक ही स्वरूप है और वह है केवल कमल। उनके अनुसार ससन्देह अलंकार तब कहा जायगा जब कथन इस ढंग से हो कि — 'तुम्हारे मुख को मैं कमल कहूँ या कि चन्द्रमा कहूँ कुछ समझ में नहीं आता।' यही कवि ने पहले नायिका के मुखको देख कर कमल की उत्प्रेक्षा की किन्तु तुरन्त उसे उत्प्रेक्षा का विषय भूत दूसरा चन्द्रमा भी दिखायी पड़ गया अतः दो उत्प्रेक्षित रूपों में संशय होने के कारण यही सन्देह अलंकार मान्य है। और इस तरह चूं कि कुन्तक को केवल उत्प्रेक्षित रूपों का अथवा उपमानों का ही संशय ससन्देह अलंकार के रूप में मान्य है अतः उसका केवल एक ही शुद्ध ससन्देह रूप सम्भव है अन्य निश्चयगर्भ अथवा निश्चयान्त नहीं। क्यों कि उनकी यही सम्भावना ही नहीं की जा सकती क्यों कि निश्चय से उपमान विषयक संशय नष्ट होता है और उपमेय का स्वरूप निर्धारित होता है। और ऐसा अन्य आचार्यों के मत में ही सम्भव है जो कि उपमान और उपमेय के संशय में ससन्देह मानते हैं। विश्वनाथ का तो स्पष्ट कथन है कि उपमेय में उपमान का संशय होने से ही यह अलंकार माना जाता है —

<sup>3</sup>  
'उपमेये उपमानसंशयस्यैवैतदलंकारविषयत्वात्।'

<sup>2</sup> द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 216

<sup>3</sup> सा 10 व० पृ० 310

<sup>1</sup> द्रष्टव्य सा. क. 90। 35-36 तथा वृत्ति

(38) अपह्नुति अलंकार

कुन्तक का अपह्नुति अलंकार का लक्षण लगभग सभी आचार्यों के अपह्नुति लक्षणों से अभिन्न है। अपह्नुति का मूल भी कुन्तक उत्प्रेया को ही स्वीकार करते हैं। जहाँ पर सम्भावना-नुमान अथवा सादृश्य के कारण वर्णनीय वस्तु के किसी दूसरे स्वरूप को ही प्रतिपादित करने के लिए वास्तविक स्वरूप का अपलाप कर दिया जाता है वही अपह्नुति अलंकार होता है।

(39) संसृष्टि तथा (40) संकर अलंकार

आचार्य कुन्तक ने संसृष्टि और संकर अलंकार भी स्वीकार किये हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश उनको लक्षणकारिकाओं एवं वृत्ति भाग का कुछ भी अंश पाण्डुलिपि की अत्यन्त भ्रष्टता के कारण पढ़ा नहीं जा सका। अतः कुन्तक को उनका कैसा स्वरूप मान्य रहा कुछ भी कह सकना असम्भव है। कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्यों में भामह तथा दण्डी ने तो केवल संसृष्टि अलंकार का ही निरूपण किया है, संकर का नहीं। उनके संसृष्टि में ही संकर का भी अन्तर्भाव हो जाता है। क्योंकि भामह के अनुसार अनेक रत्नों से रचित माला के समान बहुत से अलंकारों के संयोग से संसृष्टि अलंकार निष्पन्न होता है और दण्डी के अनुसार अलंकार संसृष्टि को दो ही गतियाँ सम्भव हैं एक या तो सभी अलंकारों की समकक्षता अथवा दूसरी विभिन्न अलंकारों की अंगीगिभाव में स्थिति। आचार्य वामन भी केवल एक ही संसृष्टि अलंकार मानते हैं परन्तु उनका लक्षण सर्वथा विलक्षण है। उनके अनुसार जब एक अलंकार दूसरे अलंकार की योनि (अर्थात् उसका उत्पादक) होता है तो संसृष्टि होता है। और इस संसृष्टि के दो भेद होते हैं एक उपमारूपक और दूसरा उत्प्रेक्षावयव। संसृष्टि और संकर दोनों ही अलंकारों

1- अन्यदर्शयितुं रूपं वर्णनीयस्य वस्तुनः ।

स्वरूपापह्नुतौ यस्यामसावपह्नुतिर्मता । व. जी. पृ० 217

2- वरा विभूषा संसृष्टिर्बहुवर्णयोगतः ।

रचिता रत्नमालेव सा चैव मुदिता यथा । । भामह, काव्या 03/49

3- अंगीगिभावस्थानं सर्वेषां समकक्षता ।

इत्यलंकारसंसृष्टेरक्षणीया द्वयी गतिः । । काव्यादर्श, 2/360

4- 'अलंकारस्यालंकारयोनिर्न संसृष्टिः । तद्भेदां वुषमारूपकोत्प्रेक्षावयवौ ।'

—का०सू०वृ० 4/3/30 तथा 31

का उल्लेख करने वाले प्रथम आचार्य है उद्भट। उन्ही ने संसृष्टि वही मानी है जहाँ दो अथवा बहुत से अलंकार निरपेक्ष भाव से स्थित रहते हैं। संसृष्टि का यही स्वरूप सभी परवर्ती आचार्यों को मान्य रहा। उद्भट ने संकर अलंकार के चार प्रकार निरूपित किए।

(1) सन्देह संकर— जहाँ पर अनेक अलंकारों का उल्लेख प्राप्त होता है जो कि एक साथ सम्भव नहीं हो सकते लेकिन किसी के भी ग्रहण अथवा त्याग का कोई साधक बाधक प्रमाण नहीं होता। सन्देह-अलंकार संकर का यही स्वरूप प्रायः सभी परवर्ती आलंकारिकों को मान्य हुआ। (2) शब्दार्थवर्त्यलंकार संकर— जहाँ एक ही वाक्य में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों प्रतिभासित होते हैं वहाँ दूसरे प्रकार का शब्दालंकार संकर होता है। परवर्ती आचार्यों के मत में यही संसृष्टि ही होगी। आचार्य स्यक का अत्यन्त स्पष्ट कथन है कि—

'शब्दार्थवर्त्यलंकारसंकरस्तु भट्टोद्भटप्रकाशितः संसृष्टावन्तर्भावित इति त्रिप्रकार एव संकर इह प्रदर्शितः।'<sup>3</sup>

(3) एकशब्दाभिधानसंकर— जहाँ वाक्य के एक अंश में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रवेश होता है वहाँ एकशब्दाभिधान संकर होता है। इसे परवर्ती आचार्यों ने एक वाचकानुप्रवेश संकर कहा है। परन्तु उसके स्वरूप के विषय में आचार्यों में वैमत्य है। उद्भट ने अभी अभी प्रतिपादित किये गये दोनों भेदों का लक्षण एक ही कारिका में इस प्रकार दिया है—

शब्दार्थवर्त्यलंकारा वाक्य एकत्र भासिनः ।

संकरो वैकवाक्यांशप्रवेशाद् वाऽभिधीयते।।<sup>4</sup>

1- अलंकृतीनां बह्वीनां द्वयोर्वाऽपि समाश्रयः ।

एकत्र निरपेक्षाणां मिथः संसृष्टिरुच्यते ।। का०सा०सं० 6/5

2- अनेकालंक्रियोल्लेखे समं तद्वृत्त्यसम्भवे ।

एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावे च संकरः ।। वही, 5/11

3- अलं०स०पृ० 25 5-56

4- का०सा०सं० 5/12

इससे यह स्पष्ट पारलोकित होता है कि उद्भट को एकशब्दाभिधानसंकर में शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों का ही संकर <sup>1</sup>अभिहित है। राजानक तिलक का भी यही अभिमत है। केवल प्रतोदरेन्दुराज अर्थालंकारों के एकपदानुप्रवेश की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जो कि सर्वथा असमीचीन है और उसका उचित ही खण्डन तिलक ने किया है।<sup>2</sup> आचार्य मम्मट वही एकवाचकानुप्रवेश संकर मानते हैं जहाँ एक ही पद में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों व्यवस्थित होते हैं।<sup>3</sup> तथा स्थिक, विश्वनाथ एवं अप्पयदीक्षित आदि ने शब्दालंकारों अथवा अर्थालंकारों में से किन्हीं भी दो अलंकारों के संकर को एकवाचकानुप्रवेश संकर के अन्तर्गत स्वीकार किया है।<sup>4</sup> आचार्य हेमचन्द्र ने केवल एक शब्दालंकारों का ही एकवाचकानुप्रवेशसंकर माना है। (4) अनुग्राह्यानुग्राह्यसंकर-जहाँ पर अनेक अलंकार स्वतंत्र रूप से विद्यमान न होकर परस्पर उपकार्योपकारकभाव से विद्यमान रहते हैं वही अनुग्राह्यसंकर होता है।<sup>6</sup> इसे परवर्ती आचार्यों ने अंगीगीभावसंकर भी कहा है। किन्तु आचार्य हेमचन्द्र एक ऐसे विलक्षण आलंकारिक हैं जो कि केवल चार प्रकार का संकर अलंकार ही मानते हैं।<sup>7</sup> संसृष्टि अलंकार नहीं। संसृष्टि अलंकार का अन्तर्भाव वे 'स्वातंत्र्यसंकर' में ही कर लेते हैं। संसृष्टि का हेमचन्द्र द्वारा संकर में ही अन्तर्भाव कर लेना असमीचीन नहीं है क्योंकि वह अलंकारों की संकीर्णता का ही रूप। अतः उसके पृथक् नामकरण की कोई आवश्यकता नहीं। हेमचन्द्र से पूर्व आचार्य रुद्र ने भी यद्यपि केवल संकर अलंकार ही स्वीकार किया था जिसमें कि संसृष्टि का भी अन्तर्भाव हो जाता था। परन्तु उनका संकर का विभाजन केवल

1- लघुवृत्ति, पृ० 70

2- तिलक, पृ० 47

3- स्फुट मेकत्रविषये शब्दार्थालंकारसंकरस्य व्यवस्थितं च - का० प्र० 10/14।

4- द्रष्टव्य, अलं० सं० पृ० 254-255, सा० द० पृ० 370 तथा कुवलयया० पृ० 199-201

5- 'एकीस्मिन् पदेऽर्थाच्छब्दालंकारयोः समावेश एकपद्यम्।'

-काव्यानुशासन पृ० 398 .

6- परस्परोपकारेण यत्रालंकारतयः स्थिताः ।

स्वातन्त्र्येणात्मलाभं नो लभन्ते सोऽपिसंकरः ।। का० सा० सं० 5/13

7- स्वातन्त्र्यागत्त्वसंशयैकपद्यैरेषामेकत्र स्थितिः संकरः । काव्यानुशासन 6/31

तथा वृत्ति में कहते हैं - परस्परं निरपेक्षत्वं स्वातंत्र्यम्।

तिलतण्डुलवत् तथा दुग्धजलवत् मिश्रित अलंकारो के कारण केवल दो ही रूपों में प्रति-  
पादित है। उनका कथन है कि—

योगवशादेतेषां तिलतण्डुलवच्च दुग्धजलवच्च ।

व्यक्तव्यक्तांशत्वात् संकर उत्पद्यते द्वेषा ॥<sup>1</sup>

अस्तु कुन्तक को इन दोनों का क्या स्वरूप मान्य था कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ,  
जैसा कि उन्होंने ने प्रथम उन्मेष में विचित्र मार्ग के स्वरूपनिरूपण के समय संसृष्टि और  
संकर का उल्लेख किया है उससे इतना अवश्य स्पष्ट होता है कि संसृष्टि विभिन्न  
अलंकारों के समप्रधानभाव से अवांस्थित होने पर ही होती है—

'न चापि संसृष्टिसम्भवः समप्रधानभावेनानवांस्थितेः'<sup>2</sup>

व्याख्ये—

इस प्रकार कुन्तक द्वारा किया गया अलंकारों का विवेचन समाप्त होता है। अलंकारों  
में वैचित्र्य और तद्विदाह्लादकारित्व का होना परमावश्यक है क्योंकि इनके बिना  
किसी भी अलंकार का अलंकारत्व सम्भव नहीं। अलंकारों के निरूपण में कविकौशल ही प्राणभूत  
है। इसी लिए सारे अलंकारों का अन्तर्भाव कुन्तक ने कवि कौशलरूपवाक्यवक्रता के अन्तर्गत  
किया है। बिना वक्रता के अलंकार कहाँ संभव है? वक्रोक्ति तो अलंकारों की प्राणभूता है।  
यह बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि कुन्तक द्वारा किया गया अलंकारों का समग्र  
विवेचन आज हमें उपलब्ध नहीं है। अन्यथा निश्चित रूप से अलंकार के ४ क्षेत्र में आचार्य  
कुन्तक का अत्यन्त म रूचपूर्ण योगदान आँका जा सकता। इन्होंने अलंकारों की बढ़ती  
हुई संख्या पर अंकुश लगाया। इनसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कितने ही ऐसे अलंकार स्वीकार  
कर रखे थे जिनमें कोई चारुत्व ही नहीं था। रस, स्वभावआदि की अलंकार्य रूप में आविष्कृत  
प्रतिष्ठा करने का श्रेय अवश्य ही कुन्तक को दिया जाना चाहिए। थोड़े से वैचित्र्य के  
आधार पर तमाम अलंकारों की कल्पना समीचीन नहीं थी, क्योंकि उससे निश्चित ही  
आनन्द्य आ जाता। इसी लिए कुन्तक ने जिन अलंकारों का थोड़े से वैचित्र्य के कारण  
पृथक् रूप में अलंकारत्व मान्य था उनका रण्डन जोरदार शब्दों में किया और कहा कि—

'तदेवमभिधावैचित्र्यप्रकाराणामेवैश्वरूप्यम् । न पुनर्लक्षणभेदानाम्'<sup>3</sup>

1- सू०काव्या० 10/25

2- व. जी. पृ० 59

3- वही पृ० 202

यही नहीं काफी संख्या में अलंकारों को स्वीकार करने वाले आचार्य पाण्डितराजजगन्नाथ भी अप्ययदीक्षित के प्रस्तुत अलंकार का खण्डन करते हुए कह जाते हैं कि—

'रतेन द्वयोः प्रस्तुतत्वे परिकरानामान्योऽलंकार इति कुवलयानन्दोपेक्षणीयम् किंचिद्वैलक्षण्यमात्रेणैवालंकारान्तरताकल्पनेवाग्भंगोनामानन्त्यादलंकारानन्त्यप्रसंग इत्यसकृदावेदितत्वात्।'

लेकिन यह बात अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी कि आचार्य जी यहाँ पर दोषदर्शन में ही ऐसा तर्क प्रस्तुत कर गए हैं जब कि अपने स्वयंकृतविवेचन में इसका तनिक भी ध्यान नहीं दिया। आचार्य कुन्तक ने बढ़ती हुई अलंकारों की संख्या पर जैसी रोक लगायी है उसमें वे पर्याप्त मात्रा में सफल भी हुए हैं। लेकिन यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे कहीं कहीं डगमगा भी गए हैं। विशिष्ट अलंकारों का विवेचन करने समय इस बात का स्थान स्थान पर निर्देश किया जा चुका है। डा० नगेन्द्र ने कुन्तक की अलंकार-व्यवस्था के विषय में लिखते हुए कहा है कि - 'अलंकारों की बढ़ती हुई संख्या को विवेक के आधार पर सीमित करने का संस्कृत काव्यशास्त्र में यह कदाचित् पहला और अन्तिम प्रयत्न था।' इस बात को कोई भी विद्वान अस्वीकार नहीं कर सकता कि अलंकारों की संख्या को नियमित करने का जितना पाण्डित्यपूर्ण एवं सहृदयता पूर्ण ढंग से किया गया प्रयास आचार्य कुन्तक का है वैसा अन्य किसी आचार्य का नहीं है। तथापि डा० साहब के उक्त कथन को अर्थवाद ही कहा जा सकता है। जहाँ तक प्रथम प्रयत्न की बात है आचार्य भामह ने कुन्तक से पहले ही हेतु, सूक्ष्म, लेश, स्वभावोक्ति तथा आशीः आदि अलंकारों की अलंकारता का निराकरण कर इस ओर प्रयास किया था हालांकि कुन्तक का जैसा आचार्यत्व भामह में नहीं है। इसी प्रकार जहाँ अन्तिम प्रयत्न की बात है, उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुन्तक के परवर्ती आचार्य हेमचन्द्र ने भी अलंकारों की बढ़ती हुई संख्या का बढ़ती पाण्डित्यपूर्ण ढंग से विरोध किया यह बात अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी कि आचार्य हेमचन्द्र कुन्तक प्रदर्शित मार्ग का ही अनुसरण

1- रसगंगा० पृ० 645-46

2- भा० का० भू० पृ० 342



करते हैं फिर भी उनके स्वतंत्र विवेक किंवा आचार्यत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ स्थलों पर, जहाँ कि कुन्तक विवेचन में डगमगा गए थे, आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी विवेकपूर्ण दृष्टि से उसका परिमार्जन किया। विरोध अलंकार को स्वीकार कर विभावना और विशेषोक्ति दोनों ही उसमें अन्तर्भाव का हेमचन्द्र का प्रयास निश्चित ही उनके विवेक को निखार देता है। हेमचन्द्र के बाद यद्यपि वाग्भट प्रथम ने 'वाग्भटलंकार' में केवल 36 अलंकारों का वर्णन कर शेष अलंकारों के विषय में कहा कि 'या तो उनमें चमत्कारिता नहीं है अथवा उनका उक्त अलंकारों में अन्तर्भाव हो जाता है'।<sup>1</sup> फिर भी उनका यह कथन अथवा अलंकारों की संख्या को सीमित करने का प्रयास बचकाना लगता है। कहीं आचार्य कुन्तक एवं हेमचन्द्र का आचार्यत्व से परिपूर्ण विवेचन और कहीं वाग्भट को बचकानी उक्ति ? यही स्थिति आचार्य केशवमिश्र की है। वे केवल चौदह ही अर्थालंकार स्वीकार कर शेष को अलंकार नहीं मानते।<sup>2</sup> अस्तु, डा० साहब के कथन में अतिशयोक्ति अवश्य है परन्तु पर्याप्त मात्रा में उनके कथन में वास्तविकता भी है।

1- अचमत्कारिता वा स्यादुक्तावन्तर्भाव एव च। -

अलङ्काराणां न्यासात्तन्निबन्धनम् ॥"

— वाग्भटलंकार ४।१४८

2- द्रष्टव्य, अलंकारशेखर, अर्थालंकार-विवेचन

षष्ठ अध्याय

वक्रोक्ति तथा अन्य सिद्धान्त

संस्कृत-साहित्य का स्वरूपानिरूपण विभिन्न आलंकारिकों ने विभिन्न ढंग से किया है। इस बात के प्रमाण है भरत के अनन्तर अन्य आचार्यों द्वारा विरचित अनेक साहित्यशास्त्र के ग्रन्थ । मुख्य रूप से काव्य के उपादेय तत्त्वों में रस, अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा औचित्य आदि का उपादान किया गया है। इन्हीं तत्त्वों का ही विभिन्न आचार्यों ने बहुधा प्रतिपादन किया है यह बात अवश्य रही है कि किसी ने अपने विवेचन में रस को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है तो किसी ने अलंकार को, किसी ने रीतियों अथवा गुणों को काव्य की आत्मा कहा तो किसी ने ध्वनि अथवा रस को। किसी ने वक्रोक्ति को जीवित कहा तो किसी ने औचित्य को। लेकिन प्राधान्य भले ही किसी आचार्य ने विवेचन करते हुए किसी एक तत्त्व का स्थापित किया हो किन्तु <sup>अन्य</sup> तत्त्वों की उपेक्षा किसी ने नहीं की। अगर भरत ने रस को सर्वाधिक महत्त्व दिया तो उन्होंने गुणों-अलंकारों तथा औचित्यादि की उपेक्षा नहीं की। यदि भामह ने वक्रोक्ति अथवा अलंकार को महत्त्व दिया तो उन्होंने काव्य में रस, गुण औचित्य आदि का विरोध नहीं किया। आचार्य वामन ने यदि रीति को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया तो अलंकारों रसों एवं औचित्यादि का परिहार नहीं किया। इसी प्रकार आनन्द ने यदि ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा तो औचित्य, गुण और अलंकारों का तिरस्कार नहीं किया। कुन्तक ने यदि वक्रोक्ति को काव्यजीवित माना तो रस, गुण, मार्ग, अलंकार तथा औचित्य किंवा ध्वनि को हेय नहीं बताया। इसी तरह औचित्य को काव्यजीवित कहने वाले आचार्य क्षेमेन्द्र ने रसों, अलंकारों एवं गुणों की अनुपादेयता नहीं प्रतिपादित की। अतः जैसा डा० गणेशत्रयम्बक देशपाण्डे ने अपने प्रबन्ध में सिद्ध किया है कि रस, रीति, अलंकार आदि विभिन्न सिद्धान्तों की परस्पर विरोधों के रूप में मान्यता उचित नहीं है, निश्चित ही उनका अभिमत समर्थनीय है। अलंकार के विभिन्न सिद्धान्तों का प्राधान्येन निरूपण अलंकार शास्त्र के विकास का प्रतिपादक है न कि विभिन्न सिद्धान्तों के परस्पर विरोध का। आचार्य कुन्तक का ग्रन्थ 'वक्रोक्ति जीवित' प्राधान्येन वक्रोक्तिसिद्धान्त का प्रतिपादक ग्रन्थ है। यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि

वक्रोक्तिसिद्धान्त के जिन बीज का रोपण आचार्य भामह ने किया था उससे उगे हुए वृक्ष का सम्यक् परिष्कार एवं पत्तवन कुन्तक के हाथों सम्पन्न हुआ है। अतः प्रकृत अध्याय में काव्य के विभिन्न तत्त्वों का वक्रोक्ति सिद्धान्त में क्या स्वरूप है ? उनका उसमें कैसा सम्बन्ध है ? इसका निरूपण किया जायगा।

### वक्रोक्ति का तथा रससिद्धान्त

सर्व प्रथम वक्रोक्ति का रस के साथ कैसा सम्बन्ध रहा ? अथवा वक्रोक्ति सिद्धान्त में रस का क्या स्थान है इसका विवेचन प्रस्तुत किया जायगा। जहाँ तक आचार्य भामह का प्रश्न है उन्होंने ने वक्रोक्ति को ही अलंकार कहा<sup>1</sup> और रस की स्थापना भी उसी अलंकार में की, रस को रसवदलंकार कह कर<sup>2</sup>। महाकाव्य को उन्होंने लोकस्वभाव और समस्त रसों से युक्त स्वीकार किया<sup>3</sup>। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि वक्रोक्ति सिद्धान्त का बीजारोपण करने वाले आचार्य भामह की दृष्टि में भी वक्रोक्ति का रस के साथ कोई विरोध नहीं है। विभिन्न सम्प्रदाय सम्बन्ध वाले विद्वानों की दृष्टि में आचार्य भरत ही रससम्प्रदाय के प्रवर्तक<sup>4</sup> है। हाँ, आचार्य भामह को उन्होंने ने अलंकार सम्प्रदाय का प्रवर्तक स्वीकार किया<sup>5</sup> है किन्तु जैसा कि द्वितीय अध्याय में निर्देश किया गया है यदि वक्रोक्तिसम्प्रदाय को अलंकारसम्प्रदाय से भिन्न स्वीकार किया जाता है तो भामह को वक्रोक्ति सम्प्रदाय का ही प्रवर्तक कहना समीचीन होगा। अस्तु, कुछ भी स्वीकार करें इतना तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि आचार्य भरत ने रस को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है और भामह ने वक्रोक्ति को। आचार्य भरत के अनुसार विना रस के किसी भी अर्थ का प्रवर्तन सम्भव नहीं-

'नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते।'<sup>6</sup>

1- 'वाचा वक्रार्थशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते।' तथा

'वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामूलकृतिः।' - भामह काव्या 05/66 तथा 2/36

2- 'रसवददर्शितस्य षट्शृंगारादिरसोदयम्' - भामह काव्या 03/6

3- युक्त लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक् वही 1/29

4- "So far as the extant literature goes, the earliest exponent of this (Rasa) School is the Nātyasāstra of Bharata."

5- "The foremost representatives of this school are Bhāramah and Udbhata." - M. S. P., P. 355.

and Udbhata." - Ibid. pp. 373-74

6- ना. शा. पृ 242

उस रस की निष्पत्ति विभावो, अनुभावो एवं व्यभिचारी भावो के संयोग से होती है। जिस प्रकार लोक में विविध व्यंजनों, ओषधियों एवं द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है उसी प्रकार विविध भावो के उपगम से काव्य अथवा नाट्य में रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार गुड्रादिक द्रव्यों दधि आदि व्यंजनों एवं इमली आदि ओषधियों से षाडवादि रस निष्पन्न होते हैं वैसे ही नाना भावो से संयुक्त भी स्थायिभाव रसता को प्राप्त करते हैं। यह रस आस्वादय होता है। जिस तरह विविध व्यंजनों से संस्कृत अन्न का भोग करते हुए सहृदयजन रसों का आस्वादन करते हैं और आनन्दादि को प्राप्त करते हैं उसी तरह वाचिक आंगिक एवं नाट्यिक अभिनयों से युक्त विविध भावाभिनयों से व्यंजित स्थायिभाव का सहृदय नाट्य में आस्वादन कर आनन्दादि प्राप्त करते हैं। वस्तुतः भरत का मुख्य विवेच्य विषय नाट्य है अतः वे नाट्यरसों की ही बात करते हैं। इस प्रकार यहाँ जो रसस्वरूप का विवेचन प्रस्तुत किया गया है वह आचार्य भरत के अनुसार ही है। वैसे भरत के इसरससूत्र—

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः'<sup>2</sup>

की विविध व्याख्याये विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिनमें मट्टोल्लट का उत्पत्तिवाद, मट्टशंकु का अनुमितिवाद, मट्टनायक का मुक्तिवाद और अभिनव-गुप्त का व्यक्तित्ववाद अधिक प्रसिद्ध है। इन मतों की विस्तृत व्याख्या स्वयं अभिनव ने अभिनवशास्त्र में प्रस्तुत की है<sup>3</sup>। तदनन्तर इनका संक्षिप्त एवं सारगर्भित विवेचन मम्मट के काव्यप्रकाश में किया है<sup>4</sup>। आगे चलकर पण्डितराज ने इन चार मतों के अतिरिक्त भी अन्य कई मतों का उल्लेख किया है<sup>5</sup>। किन्तु उस विवेचन के अपेक्षित न होने से उसे यहाँ नहीं प्रस्तुत किया जायगा। आचार्य भरत ने वाचिकाभिनय के प्रसंग में काव्य के विभूषण आदि 36 लक्षणों, उपमा, दीपक, रूपक और यमक चार अलंकारों, मूढार्थ अर्थान्तर आदि दस दोषों एवं श्लेष प्रसाद आदि दस गुणों का विवेचन

1- द्रष्टव्य वही, पृ० 282-289

2- ना. शा. पृ० 282

3- द्रष्टव्य अ. भा. पृ० 282-287

4- द्रष्टव्य का. प्र. पृ० 91-102

5- द्रष्टव्य रसगीगा पृ० 37-50

किया है । साथ ही इन सभी के रसाश्रित प्रयोग की व्यवस्था की है जो कि रस के प्राधान्य का सूचक है । लक्षणों के विषय में उनका कथना है कि -

'षट्-त्रिंशदेतानि तु लक्षणानि प्रोक्तानि वै भूषणसम्मितानि।

काव्येषु भावार्थगतानि तज्जैः सम्यक् प्रयोज्यानि यथाख्यन्तु।।'<sup>2</sup>

अलंकारादि के प्रमाण के विषय में रसाश्रय का विधान वे इस प्रकार करते हैं-

'एवमेते ह्यलंकारा गुणादोषाश्च कीर्तिताः ।

प्रयोगमेषांच पुनर्वक्ष्यामि रससंज्ञाम्॥।'<sup>3</sup>

इतना ही नहीं वे छन्दो , अक्षरो, षड्ज्, ऋषभ आदि स्वरो पाठ्य, काकु, विच्छेद, अभिनय, सन्धि, संछांगो एवं कैशिकी आदि वृत्तियों के भी रसाश्रित प्रयोग का प्रतिपादन करते हैं। यही नहीं नाट्य के जितने भी गति, दृष्टि, प्रवृत्ति इत्यादि तत्त्व हैं सभी के ही रसाश्रित प्रयोग का वे निरूपण करते हैं, यहाँ तक कि ऋषभ भाषा अथवा सम्बोधन के प्रयोग की व्यवस्था भी वे विभिन्न रसों के आश्रय से ही करते हैं। राजा अथवा कोई भी शूंगारस के प्रसंग में अपनी पत्नी को 'प्रिया' ही कहेगा -

'प्रियेति भार्या शूंगारे वाध्या गुरोरेणवा।'<sup>5</sup>

इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि आचार्य भरत की दृष्टि में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व रस ही है। इतना होते हुए भी भरत ने स्पष्ट शब्दों में रस को कही भी आत्मा के रूप में नहीं प्रतिपादित किया। जबकि इतिवृत्ति को वे शरीर रूप में स्पष्टतया उल्लिखित करते हैं।<sup>6</sup> जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है डा० कृष्णामूर्ति भरत के इसी कथन के आधार पर भरत द्वारा रस की आत्मरूप में प्रतिष्ठा का प्रतिपादन करते हैं। आगे चल कर भामह उद्देश्य तथा दण्डी ने रस का ग्रहण अलंकारों में किया।<sup>7</sup> वामन ने रसों का अन्तर्भाव गुणों में किया।<sup>8</sup> रुद्रट ऐसे

1- ना. शा. अध्याय 16

2- वही, 16/4

3- वही 16/113

~~4- वही 16/113~~

5- ना. शा. 17/93

6- इतिवृत्तन्तु काव्यस्य शरीरं परिकीर्तितम्'-ना०शा० 19/1

7- द्रष्टव्य भामह, काव्या० 3/6 काव्यादर्श 2/275 तथा का०सा०स० पृ० 52-54

8- का०सू०वृ० 3/1/14

प्रथम आलंकारिक है जिन्होंने काव्य रसों की गुणों एवं अलंकारों से पृथक् विवेचना की। उन्होंने ने भरत की ही भाँति वैदर्भी आदि रीतियों तथा<sup>1</sup> आदि वृत्तियों के भी रसाश्रित प्रयोग का प्रतिपादन किया। आनन्दवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा और रसादिध्वनि को ध्वनि का प्रधान भेद स्वीकार किया। 'प्रतीयमानस्य चान्यभेददर्शनेषु रसभावमुख्यैर्नैवोपलक्षणीप्राधान्यात्'<sup>2</sup> और इसी लिए आगे चलकर केवल रसादि ध्वनि का ही अभिनव ने आत्मरूप में प्रतिपादन किया।<sup>3</sup> उसी समय से रस को निश्चित रूप से काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठा हुई। राजशेखर ने स्पष्ट ही रस को काव्य की आत्मा<sup>4</sup> कहा। आगे चलकर प्रायः किसी भी आचार्य को इस विषय में विमति नहीं रही कि रस काव्य की आत्मा है। महिमभट्ट का स्पष्ट कथन है कि-<sup>5</sup>

'काव्यास्यात्मा ध्वनि रसादिरूपे न कस्यचिद् विमतिः।'<sup>5</sup>

अब प्रश्न सामने आता है कि वक्रोक्ति जीवित कार कुन्तक की दृष्टि में रस<sup>का</sup> क्या स्थान है? कुन्तक ने ग्रन्थ का नाम भले ही 'वक्रोक्तिजीवित' रखा है लेकिन कहीं भी ग्रन्थ में स्पष्ट शब्दों में वक्रोक्ति को काव्य का जीवित नहीं कहा। विश्वनाथ का यह कथन-

'एतेन 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' इति वक्रोक्तिजीवितकारोक्तमपि परास्तम्। वक्रोक्तेरलंकार-<sup>6</sup>रूपत्वात्।'

निश्चय ही उनकी वक्रोक्तिजीवित' एवं कुन्तकाभिमत 'वक्रोक्तिस्वरूप' दोनों की अनभिज्ञता का परिचायक है। 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' ऐसी कोई भी कारिका वक्रोक्ति जीवित में उपलब्ध नहीं होती। यदि किसी को यह आपत्ति हो कि यह कहना ठीक नहीं क्यों कि वक्रोक्तिजीवित स्वयं अपूर्ण एवं खण्डित रूप में प्राप्त होता है, उचित नहीं। क्यों कि यदि वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' कोई कारिका होती तो निश्चय ही रुच्यक के 'वक्रोक्तिजीवितकारः ×× वक्रोक्तिमेव प्राधान्यात् काव्यजीवितमुक्तवान्' कथन की व्याख्या में उनके टीकाकार जयरथ, जो कि निश्चय रूप से विश्वनाथ के पूर्ववर्ती है,

1- सू० काव्या० अ० 12-15

2- 'काव्यास्यात्मा ध्वनिः' तथा 'काव्यास्यात्मा स एवार्थस्तथा'- सू० 1/1 तथा 1/5  
और उसकी वृत्ति

3- 'तेन रस एव वस्तुतः आत्मा'- लोचन पृ० 85

4- काव्यपुरुष का वर्णन करते हुए वे कहते हैं- 'शब्दार्थो ते शरीरम् ×× रस आत्मा'  
- का० मी० पृ० 33

5- व्यक्तित्व० पृ० 105

6- सा० द० पृ० 16

7- अलं० स० पृ० 9

इसे उद्धृत करते। परन्तु उन्हो ने इसे नहीं उद्धृत किया। यही तक कि रुयक के उक्त कथन के समर्थन में जिस कारिका को उन्हो ने उद्धृत किया है वह वक्रोक्ति को केवल विचित्रकाव्य या मार्ग का जीवित प्रतिपादित करती है समग्र काव्य की नहीं -

'यदाह- 'विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवैचित्र्यं जीवितायते'<sup>1</sup>

यदि कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित कहा है<sup>भी</sup> ऐसा मान भी लिया जाय जैसा कि उनके ग्रन्थ के नाम के आधार पर कहा जा सकता है तो उसका आशय यह समझ बैठना कि काव्य की आत्मा एकमात्र वक्रोक्ति है, रस नहीं, उचित नहीं। वक्रोक्ति को यदि जीवित कहा गया है तो उसके सर्वाधिक महत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए, क्योंकि विना वक्रोक्ति के काव्यता सम्भव नहीं। कुन्तक के मत में रस को प्रस्तुत करने वाली वक्रोक्ति ही तो है विना वक्रोक्ति के रस सम्भव नहीं, अतः काव्य में वक्रोक्ति के इस महत्त्व की दृष्टि से कुन्तक ने उसे काव्य का जीवित यदि कहा भी तो वह समुचित ही है। फिर जीवित और आत्मा में भेद भी तो होता है जब उनका अपोद्धार बुद्धि से विवेचन किया जाता है। कुन्तक भी जब वक्रोक्ति का पृथक् विवेचन करते हैं तो अपोद्धार बुद्धि से ही अन्यथा काव्य रस और स्वभाव से उसका वस्तुतः पार्थक्य कहाँ ? तत्त्व तो अलंकार की काव्यता है। अपोद्धार बुद्धि से विवेचन करने पर शब्द और अर्थ रस और स्वभाव अलंकार्य है और वक्रोक्ति उनका एक मात्र अलंकार। इस लिये जब तत्त्वतः विना इस अलंकार के काव्यता ही सम्भव नहीं तो उसे काव्य का जीवित कहना ही कैसे असम्बोधन स्वीकार किया जा सकता है। कुन्तक ने यदि वक्रोक्ति को काव्य का जीवित कहा है तो यह भी तो कहा है कि जिस क्रिमी का भी काव्यत्व रसकत्व ही है। \*

'यस्य कस्यचित् काव्यत्वं रसवत्त्वमेव'<sup>2</sup> क्या इस कथन से यह नहीं सिद्ध

हो जाता कि काव्य की आत्मा रस ही है? वक्रोक्ति का उद्देश्य ही रस अथवा स्वभाव का चरम परिपोष है, अलंकारवैचित्र्य तो उसका स्वरूप ही है, अतः उसके विषय में क्या कहना ? वक्रोक्ति का विवेचन करने के पूर्व वे कहते ही यही है

कि- 'आयत्यांच तदात्वे च रमनिन्दसुन्दरम्।'<sup>3</sup>

येन सम्पद्यते काव्यं तदिदानीं विचार्यते।।

1- विमर्शिनी पृ09

2- व. जी. पृ0 162

3- वही, पृ0 6



क्या कोई यहाँ इस बात को अस्वीकार करने का दुःसाहस कर सकता है कि वक्रोक्ति अथवा वक्रविद्यापार का मुख्य उद्देश्य काव्य की रसनिखन्द से रमणीय बनाना ही है। यही नहीं वर्ण से लेकर प्रबन्ध तक की वक्रताओं में रस का समुचित सन्निवेश है।

(1) वर्णविन्यास वक्रता और रस - वर्णविन्यास वक्रता के विषय में उन्होंने कहा है कि वर्णों का विन्यास प्रस्तुत के औचित्य में शोभित होने वाला चाहिए और उस प्रस्तुतौचित्य शोभा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कही यदि परुष रस का प्रस्ताव है तो वही परुष ही वर्णों का विन्यास वक्रता को प्रस्तुत करेगा --

'प्रस्तुतौचित्य शोभित्वात् कुत्रचित् परुषरसप्रस्तावे तादृशानेवाभ्यनुजानानि।'

(2) पदवक्रता और रस:- कुन्तल ने पदवक्रता के पदपूर्वार्ध और पदपरार्ध मुख्यतः दो प्रकार निरूपित कर उनके अनेक भेद प्रभेद प्रतिपादित किए हैं उनका विवेचन चतुर्थ अध्याय में किया जा चुका है। पदपूर्वार्धवक्रता का एक प्रकार है विशेषण वक्रता। विशेषण के विषय में कुन्तल का कहना है कि उसको प्रस्तुत के औचित्य के अनुसार उपनिबद्ध करना चाहिए। वैसा होने पर वह सम्पूर्ण मत्काव्यो का जीवितभूत दिखायी देता है क्योंकि उसी में रस अपने परिपोष की पराकाष्ठा को पहुँचता है-

'यस्मादनेनैव रसः परापरिपोषपदवीभवत्यिते।'

इसी तरह लिंगवैचित्र्यवक्रता का निरूपण करते हुए अपने कथन 'नामैव स्त्रीति पेशलम्' की व्याख्या करते हुए कहते हैं- स्त्री यह नाम ही मनोहारो होता है क्योंकि दूसरी विच्छिन्ति से यह रसादि की योजना के अनुरूप होता है -

'स्त्रीत्यभिधानमेव हृदयहारि विच्छित्त्यन्तरेण रगादेयोननयोपत्त्वात्।'

पदपरार्ध अथवा प्रत्यय वक्रता के कारकवैचित्र्यविहित वक्रताप्रकार के विषय में वे कहते हैं कि जहाँ पर चेतनता का अध्यारोप करके अचेतन भी पदार्थ के चेतन की ही क्रियाओं के समावेश रूप कर्तृत्व आदि कारक को रसादि के परिपोष <sup>के लिए</sup> उपनिबद्ध

1- व. जी. पृ० 80

2- वही, पृ० 105

3- वही, पृ० 114

के लिए किया जाता है वहाँ कारक वैचित्र्यविहित प्रत्यय वक्रता होती है-

'कारकवैचित्र्यविहितः-यत्राचेतनस्यापि पदार्थस्य चेतनत्वाधारोणेन चेतनस्यैव क्रियासमावेशलक्षणं रसादिपरिपोषणार्थं कर्तृत्वादिकारकं निबध्यते।

इतना ही नहीं उपसर्ग और निपात पदों को तो वक्रता ही वाक्य के अद्वितीय प्राणभूत रसादिक के प्रकाशन से निहित है-

रसादिद्योतनं यस्याणुसर्गनिपातयोः ।

वाक्यैकजोवितत्वेन पापरा पदवक्रता ॥<sup>2</sup>

### (3) वस्तुवक्रता और रस

वस्तुवक्रता का विवेचन करते हुए कुन्तक ने यह प्रतिपादित किया है कि अलंकारों की भूयसी कल्पना रसादि प्रतीति में बाधक होती है अतः कविजन जहाँ रसादि को अथवा स्वभाव को प्राधान्येन प्रतीति कराते हैं वहाँ अधिक अलंकारों का विन्यास नहीं करते —

'रस-परिपोष-पेशलायाः प्रतीनेर्विभावानुभावव्यभिचार्योचित्यव्यतिरेकेण प्रकारान्तरेण प्रतिपत्तितः प्रस्तुतशोभा परिहारकरितामावहति।' इत्यादि<sup>3</sup>

यहो नहीं वर्णनीय वस्तु के स्वरूप का निरूपण करते हुए उनके द्वारा रसादि सम्पादन की कुन्तक ने भूरि भूरि प्रतिष्ठा को है। उन्होंने पहले वर्णनीय वस्तु के दो विभाग किए हैं- (1) जड और (2) चेतन । उनमें चेतन पदार्थों का पुनः मुख्य और गौण रूप से द्विविध विभाजन किया है। मुख्य चेतनों के अन्तर्गत मुर, असुर, सिद्ध, विधाधर गन्धर्व आदि तथा उनसे इतर गौण चेतनों में सिंह, पशु पक्षि आदि का ग्रहण किया है । जड पदार्थों में सलिल, तरु, कुसुम, समय आदि का निरूपण किया है। यह प्रतिपादित करते हुए कि ये त्रिविध पदार्थ किस रूप में कवियों के वर्णविषय बनते हैं वे कहते हैं कि- (1) मुख्य पदार्थों का तो अनायास रति आदि अर्पवा प्रसङ्गादि रसों के सम्यक् परिपोष से मनोहर स्वरूप ही

1- व. जी. पृ० 38

2- वही, 2/33

3- वही, पृ० 136

4- द्रष्टव्य वही 2/5-6 तथा वृत्ति

वर्णन का विषय होता है । इसका वे बड़े विस्तार के साथ, 'विक्रमोर्वशीय' से विप्रलम्भ शृंगार का ओर 'तापसवत्सराज' करुणरस का उदाहरण प्रस्तुत कर विवेचन करते हैं और अन्त में कहते हैं कि -

'एवं विप्रलम्भशृंगारकरुणयोः सौकुमार्यादुदाहरणप्रदर्शनं विहितम् ।  
रसान्तराणामपि स्वयमेवोत्प्रेक्षणीयम् ।'

तदनन्तर गौण चेतन भूत सिंहादि पदार्थों एवं तरु सलिल आदि जड पदार्थों के स्वरूप के विषय में वे कहते हैं कि उनका भी शृंगारादि रसों के उद्दीपन को सामर्थ्य के सन्निवेश से मनोहर स्वरूप ही ऋवियों का वर्ण्य विषय बनता है -

'रसोद्दीपनसामर्थ्यविनिबन्धनबन्धुरम् ।  
चेतनानाममुख्यानी ज्ञानानां चापि भूयसा ॥'

#### (4) वाक्यवक्रता और रस

कविकौशल रूप वाक्यवक्रता तो रस का जोवितभूत है ही विना उसके रस की सृष्टि ही नहीं हो सकती -

'रसस्वभावालंकाराणां सर्वेषां कविकौशलमेव जोवितम् ।' और यही कविकौशल ही वाक्यवक्रता है -

'कर्तुः निर्मातुः किमप्यलौकिकं यत् कौशलं नैपुण्यं तदेव वाक्यस्य  
वक्रत्वमित्यर्थः ।'

#### (5) प्रकरणवक्रता और रस

कुन्तक ने प्रकरणवक्रता के अनेक भेद प्रतिपादित किए हैं । उनका निरूपण चतुर्थ अध्याय में किया जा चुका है । उसके अनेक प्रकारों में कुन्तक ने सुस्पष्ट हो रस के महत्त्व की घोषणा की है । प्रथम प्रकरणवक्रताप्रकार का निरूपण करने के अनन्तर वे कहते हैं कि-

- 1- 'मुख्यमङ्गलद्वयपरिपोषमनोहरम्'- व. जो. 3/7
- 2- वही, पृ० 152
- 3- वही, 3/8
- 4- वही, पृ० 146
- 5- वही, पृ० 144

'एवमेषा महाकविप्रबन्धेषु प्रकरणवक्रता विच्छित्तः रसनिष्यन्दिनो सहृदयैः  
स्वयमुत्प्रेक्षणीया ।'

दूसरे प्रकार की वक्रता का आधार ही रस का चरम परिपोष है कवि इतिहासो-  
दाहृत कथा में जहाँ थोड़ा सा उत्पाद्य लावण्य प्रस्तुत कर ऐसी वक्रता को प्रस्तुत  
करता है जिससे कि वह प्रकरण चरम परिपोष को प्राप्त शृंगारादि रसों से परिपूर्ण  
होने के कारण प्रबन्ध का एकमात्र प्राण-सा लगता है। और उसी के अन्त में एक  
अन्तरश्लोक उद्धृत करते हैं कि —

निरन्तरस्सोद्गार गर्भसन्दर्भ निर्भराः ।

गिरः क्वीना जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः ।।

एक अन्य प्रकरण वक्रता का प्रकार उन्हो ने वहाँपर स्वीकार किया है जहाँ कि अनेको  
प्रकरणों में एक ही अभिषेय स्वरूप बार बार उपनिबद्ध होकर भी अविकल एवं अभिनव  
ढंग से उल्लसित शृंगारादि रसों एवं रूपकादि अलंकारों से देदीप्यमान, होने के कारण  
चमत्कार को उत्पन्न करता है।<sup>3</sup>

एक दूसरे प्रकार की प्रकरण वक्रता कुन्तक ने उस प्रकरण में मानो है जो अंगोरस  
के निष्यन्द को कसौटी सा दिखायी पड़ता है अर्थात् जैसी अंगोरस को निष्यत्ति उस  
प्रकरण से होती है वैसी उसके पूर्ववर्ती अथवा उत्तरवर्ती किसी अन्य प्रकरण से नहीं-

यन्नागिरसनिष्यन्दनिकषः कोऽपि लक्ष्यते।

पूर्वात्तरै रसम्याद्यः साकादेः काऽपि वक्रता।।<sup>4</sup>

इसी तरह 'पुष्प-दूषितक' प्रकरण में प्रकरणवक्रता के चरम प्रकार की संगति दिखाते  
हुए वे कहते हैं—

'एवमेषा . . . रसनिष्यन्दतत्पराणां तत्परिपाटिः कामपि कामनोयकसम्पद-  
मुद्भावयति।'<sup>5</sup>

1- व. जी. पृ० 224

2- वही पृ० 225

3- वही, 4/7-8

4- वही 4/10

5- वही पृ० 237

(6) प्रबन्धवक्रता और रस

प्रबन्धवक्रता के भी कुन्तक ने कई प्रकार निरूपित किए हैं। उसमें भी रस को समुचित महत्त्व प्रदान किया गया है। उसका पहला प्रकार ही रस पर आधारित है। जहाँ कवि इतिवृत्त में उपात्त रस की उपेक्षा कर अपने प्रबन्ध में नवीन रस को निष्पत्ति कौशल के साथ कराता है वही प्रबन्धवक्रता<sup>1</sup> होती है। उसका दूसरा प्रकार भी नोरसता का ही परिहार करने के लिए आदि से अन्त तक प्रारम्भ की गई कथा के मध्य में ही प्रबन्ध के समापन पर होती है।<sup>2</sup> तीसरा प्रकार भी आधिकारिक वस्तु का तिरोधान कर देने वाले कार्यान्तर में ही अविघ्न अंगोरस की सी निष्पत्ति करा ह देने में<sup>3</sup> होती है।

इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि कुन्तक की दृष्टि में रस का महत्त्व कम नहीं है। रस की समुचित व्यवस्था उनके सभी वक्रता प्रकारों में है। यहाँ तक कि अधिकतर वक्रताप्रकारों के निरूपण का आधार ही रस है। वस्तुतः वक्रता का वक्रत्व ही रस की सम्यक् निष्पत्ति कराने में है। अन्ततोगत्वा वक्रोक्ति है तो अलंकार ही। उसके द्वारा अलंकार्य है रस और वस्तुस्वभाव। विना समुचित अलंकार्य के अलंकार का क्या महत्त्व? वाक्यवक्रता का प्रतिपादन करते हुए कुन्तक ने यह अवश्य स्वीकार किया है कवि कौशल यद्यपि रस, स्वभाव और अलंकार तीनों का ही प्राण है फिर भी अलंकार को उसके विशेष अनुग्रह की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि वक्रोक्ति के द्वारा समस्त अलंकारों का ग्रहण कुन्तक ने<sup>4</sup> किया है— 'वक्रोक्तिः सकलालंकारसामान्यम्।'

आनन्दवर्द्धन की ही भाँति अलंकारों के विन्यास की समीक्षा कुन्तक भी प्रस्तुत करते हैं। कुन्तक का कहना है कि जहाँ कहीं कवि को वस्तु का स्वाभाविक सौन्दर्य प्रधानरूप से विवक्षित होता है वहाँ वह अधिक रूपकादि अलंकारों को योजना नहीं करता क्योंकि उसमें वस्तुस्वभाव को सुकुमारता अथवा रसादि के

1- द्रष्टव्य, वही 4/16-17

2- द्र0 वही 4/18-19

3- द्र0व. जो. 4/20-21

4- वही, पृ0 53

परिपोष के समाच्छादित<sup>1</sup> हो जाने का भय रहता है। इस प्रकार कुन्तक द्वारा स्वीकृत वक्रता प्रकारों में तो रस का ही महत्त्व असुष्ण है वही। इसके अतिरिक्त उन्होंने ने सुकुमारादि मार्गों एवं उनके माधुर्यादि गुणों में भी रसादि की समुचित व्यवस्था निरूपित की है। सुकुमार मार्ग के लिए आवश्यक है कि वह शृंगारादि रसों<sup>2</sup> एवं रत्यादि भावों के परामर्श को जानने वाले सहृदयों के लिए आह्लादकारी हो।<sup>3</sup> विचित्रमार्ग में भी पदार्थों का स्वभाव रस निर्भर अभिप्राय से युक्त होना चाहिए<sup>3</sup>। और जब इन दोनों ही मार्गों में रसादि की समुचित व्यवस्था है तो मध्यम मार्ग में तो वह स्वतः सिद्ध हो जाती है। यही नहीं काव्यलक्षण में शब्दार्थ साहित्य का होना परमावश्यक है लेकिन उस साहित्य को प्रस्तुत करने में आवश्यक है कि शब्द और अर्थ दोनों ही वृत्तयौचित्य से मनोहारी रसों का परिपोष स्पर्शा के साथ करें —

वृत्तयौचित्यमनोहारि रसानां परिपोषणम् ।

स्पर्शया विद्यते यत्र यथास्वमुभयोरीषि<sup>4</sup> ।।

काव्य के अर्थ को अपने सहृदयाह्लादकारी स्वभाव से सुन्दर होना चाहिए, और अर्थ की सहृदाह्लादसामर्थ्य उसी दशा में सम्भव है जब कि उसके द्वारा या तो वस्तु के स्वभाव की महत्ता अभिव्यक्त हो अथवा वह रसपरिपोष का अंग बने —

'तस्य च तदाह्लादसामर्थ्यं सम्भावयते येन काचिदेव स्वभावमहत्ता रसपरिपोषांगकत्वं<sup>5</sup> वा व्यक्तमासादयति।'

इसके अतिरिक्त काव्य की काव्यता का निर्णायक है तद्विदाह्लादकारित्वं । तद्विदव वे ही कहे जाते हैं जो कि काव्य के परामर्श अर्थात् रस की समझने वाले सरसहृदय सहृदय होते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि काव्य की आत्मा के रूप में कुन्तक को भी रस ही मान्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि कुन्तक को दृष्टि में रसादि का क्या स्वरूप था और कितने रस उन्हें मान्य थे ? यद्यपि कुन्तक ने इस विषय का कोई स्पष्ट विवेचन नहीं किया उसका कारण आनन्दवर्द्धन के साथ उनकी

1- इ०वही, पृ० 145-146

2- वही, 1/26

3- वही, 1/41

4- व.जी. पृ० 28

5- वही, पृ० 19

सहस्रं ही है । रसादिक को व्यंग्यता ही उन्हें भी मान्य है । रसादि को स्वशब्दास्यदत्ता का प्रतिपादन करने वाले आचार्य उद्भट को उन्होंने बड़ी मीठी चुटकी ली है । परिपुष्ट स्थायी ही रसत्व को प्राप्त करता है । उनका कहना है कि -

' यो रत्यादिः स्थायिभावस्तस्य परिपोषः शृंगारप्रभृतिरसत्वापादनम्-  
स्थाय्येव तु रसो भवेदिति न्यायात् । '

जहाँ तक रसों की संख्या का प्रश्न है आठ रस तो सभी आचार्यों ने स्वीकार किए ही हैं । नाट्यशास्त्र में आठ रसों का ही उल्लेख है—

' शृंगारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः ।  
बीभत्साद्भुतमौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः । । '

नाट्यशास्त्र की कुछ पुस्तकों में शान्त रस का भी उल्लेख मिलता है परन्तु वह प्रक्षिप्त ही प्रतीत होता है । क्यो कि षष्ठ अध्याय की समाप्ति पर भी केवल आठ ही रसों का उल्लेख मिलता है -

' रवमेते रसा त्रेयास्त्वष्टौ लक्षणलक्षिताः । '

आचार्य भामह रसों की संख्या के विषय में कोई उल्लेख नहीं करते । दण्डो केवल आठ ही रसों का प्रतिपादन रसवदलकार के प्रसंग में करते हैं । शान्त का कोई उल्लेख नहीं है —

इह त्वष्ट रसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम् ।

वामन का भी रसों की संख्या के विषय में कोई उल्लेख नहीं है । आचार्य उद्भट, जो कि नाट्यशास्त्र के टीकाकार भी थे, नव रसों का उल्लेख करते हैं । रुद्रट और आगे बढ़ते हैं, वे एक प्रेयान् रस जोड़कर दस रस स्वीकार करते हैं । किन्तु उसे

1- द्रष्टव्य , वही, पृ० 159

2- वही, पृ० 150

3- ना. शा. 6/16

4- वही

5- काव्यादर्श, 2/292

6- का. सा. सं. पृ० 52

7- सू० काव्या० 12/3

आगे चल कर किसी भी आचार्य ने स्वीकार नहीं किया । आनन्दवर्धन नब हो रस स्वीकार करते है । कुन्तक ने भी सम्भवतः उन्हो का अनुसरण किया है । शान्त रस के विषय में उनको सुस्पष्ट स्वीकृति है कि —

'रामायणमहाभारतयोश्च शान्तागित्वं पूर्वसूरिभिः<sup>1</sup> निरूपितम्।'

इसके अतिरिक्त रसों को संख्या एवं उनके स्वरूप के विषय में कुन्तक का कोई विवेचन नहीं है । और उसका कारण यही प्रतीत होता है कि वे पिष्टपेषण करना उचित नहीं समझते थे।

### वक्रोक्ति और अलंकार सिद्धान्त

रस, अलंकार आदि विभिन्न पृथक् सम्प्रदायों को स्वीकार करने वाले महाप्रहोपाश्याय काणे आदि अनेक विद्वानों का अभिमत है कि वक्रोक्ति सिद्धान्त वस्तुतः अलंकारसम्प्रदाय की ही एक शाखा है । उसको पृथक् सम्प्रदाय के रूप में स्थापना समीचीन नहीं<sup>2</sup> । म. म. काणे आदि ने अलंकार सम्प्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भामह को स्वीकार किया है । यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि यदि वक्रोक्ति सम्प्रदाय को अलंकारसम्प्रदाय से अलग स्वीकार किया जाता है तो भामह को वक्रोक्ति सम्प्रदाय का ही प्रवर्तक मानना समीचीन होगा क्यों कि उनके अनुसार अलंकारता वक्रोक्ति में ही निहित है, वक्रोक्ति ही तो अलंकार है। और इसीलिए उस वक्रोक्ति रूप अलंकार में न केवल यमकादि शब्दालंकारों अथवा उपमा आदि अर्थालंकारों का ही अन्तर्भाव है बल्कि रस, गुण, रीति आदि सभी तत्त्वों का अन्तर्भाव है। वस्तुतः भामह, उद्भट वामन आदि के अलंकार का स्वरूप बड़ा व्यापक है । आचार्य भामह वक्रोक्ति के साथ अलंकार शब्द का प्रयोग केवल अलंकार के व्यापक स्वरूप का ही विश्लेषण करने के लिए स्पष्ट ढंग से करते हैं । दण्डी का अलंकार भी परवर्ती आचार्यों के अलंकार की अपेक्षा व्यापक है । यद्यपि भामह, वामन, कुन्तक आदि की भांति

1- व. जी. पृ० 239

2- "The Vakrokti theory is really an offshoot of the Alankara School and need not be separately recognized."  
— M. S. P., p. 386.



उनका अलंकार ~~न~~ काव्यसौन्दर्य का प्रतिपादक नहीं है फिर भी उस सौन्दर्य के साधनभूत समग्र तत्त्वों का अन्तर्भाव उसमें हो जाता है। उनका स्पष्ट कथन है कि काव्यसौन्दर्य को करने वाले धर्म अलंकार कहे जाते हैं। 'काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते' यही स्पष्ट ही अलंकार शब्द का प्रयोग केवल यमक तथा उपमा आदि अलंकारों के लिए ही नहीं किया गया है बल्कि उसके गुण, प्रार्ग, रस, आदि सभी अन्य तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है। यही नहीं अन्य नाट्यादि शास्त्रों में जिनका वर्णन सन्ध्यगो, वृत्त्यगो एवं लक्षणों के रूप में किया गया है वे सभी दण्डों को अलंकार रूप में ही मान्य हैं।<sup>2</sup> लेकिन आचार्य भामह जब-

'वाचा वक्रार्थशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते।'<sup>3</sup>

या कि - 'वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति।'<sup>4</sup> आदि कहते हैं तो वहाँ अलंकृति से उनका आशय केवल यमक उपमा आदि अलंकारों से ही नहीं है, उसका प्रयोग काव्यसौन्दर्य के व्यापक अर्थ में है जो वक्रोक्ति रूप अथवा वक्रोक्ति के द्वारा ही सम्भव है इसलिए वक्रोक्ति रूप अलंकार में माधुर्यादि गुण तथा शृंगारादि रूप सभी अन्तर्भूत हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वामन का सौन्दर्य रूप अलंकार और दण्डों का सौन्दर्यसाधनभूत अलंकार एक नहीं है। एक साध्य है दूसरा साधन। अतः डा० देशपाण्डे<sup>5</sup> जो दोनों को एकरूप सिद्ध किया है वह कुछ असंगति उत्पन्न करता है। आचार्य वामन पहले आचार्य हैं जो अलंकार शब्द के व्यापक तथा संकीर्ण दोनों स्वरूपों का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यद्यपि दोनों ही अर्थों में भामह ने भी अलंकार शब्द का प्रयोग किया है लेकिन उनका विवेचन वामन कृत विवेचन जैसा नहीं है। वामन का भी काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य है और वह अलंकार है सौन्दर्य।<sup>6</sup>

1- काव्यादर्श, 2/1

2- द्रष्टव्य, वही 2/367

3- भामह, काव्या० 5/66

4- वही, 2/36

5- द्रष्टव्य भा०सा०शा० पृ० 7

6- का०सू०वृ० 1/1/1-2

यह है अलंकार शब्द का अत्यन्त व्यापक अर्थ । इसी अर्थ में अलंकार अथवा वक्रोक्ति सम्प्रदाय के आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग किया है। जहाँ वे अलंकार को ही काव्यता स्वीकार करते हैं । अथवा अलंकार को काव्य के स्वरूपाश्रयक तत्त्व के रूप में प्रतिपादित करते हैं। अलंकार शब्द का दूसरा अर्थ, जो संकोर्ण है, करण व्युत्पत्ति से प्राप्त होता है अर्थात् जिसमें अलंकृत किया जाना है वे यपक उपमा आदि अलंकार होते हैं। दण्डों का अलंकार लक्षण इसी रूप को प्रस्तुत करना है क्योंकि इसी कारण व्युत्पत्ति से उस काव्य शोभा को प्रस्तुत करने वाले सभी गुण, रस आदि तत्त्वों का अलंकार में अन्तर्भाव हो जाता है। वामन का कथन है —

'अलंकृतिरलंकारः । करणव्युत्पत्त्या पुनरलंकारशब्दोऽयमुपमादिषु वर्तते ।'

वामन के अनुसार यह व्यापक अलंकार अर्थात् काव्यशोभा अत्यन्त संकोर्ण उपमादि अलंकारों के तथा गुणों के ग्रहण से और दोषों के परित्याग से सम्भव <sup>2</sup>होती है। उनमें भी गुणों के बिना शोभा की निष्पत्ति ही हो नहीं सकती अतः वे <sup>3</sup>नित्य है और चूँकि रीति गुणात्मक पदसंघटना रूप ही है अतः वह काव्य को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित की गयी है क्योंकि काव्यता रीति अथवा गुणों के अभाव में सम्भव <sup>4</sup>नहीं। यही कारण है कि वामन को विद्वान लोग रीति सम्प्रदाय का प्रवर्तक आचार्य कहते हैं। रीतियों के प्रवर्तन की बात स्वयं आनन्दवर्धन ने भी कही है —

'अशक्नुवद्भिर्भूर्यकर्तुं रीतयः सम्प्रवर्तिताः ।'

अतः यदि वामन को रीतिसम्प्रदाय का आचार्य स्वीकार किया जाता है तो निश्चय ही भामह को वक्रोक्ति सम्प्रदाय का ही आचार्य स्वीकार करना मपीचीन होगा । क्योंकि जो अलंकार वामन की रीतियों के द्वारा सम्पन्न होता है वही अलंकार भामह को वक्रोक्ति के द्वारा सम्पन्न होता है । यदि ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता तो वामन को भी अलंकार सम्प्रदाय के अन्तर्गत ही मानना पड़ेगा क्योंकि उनके अनुसार

1- का०सू०वृ० 1/1/2 पर वृत्ति

2- वही 1/1/3

3- वही 3/1/1 तथा 3

4- द्रष्टव्य वही 1/2/6-8

5- ध्वन्या० 3/46

~~अलंकारसम्प्रदाय~~

भी काव्य की ग्राह्यता अलंकार के कारण है । वस्तुतः काव्य आदि का चरम लक्ष्य आनन्दोपलब्धि करना है और यह आनन्द को निष्पत्ति सौन्दर्य के द्वारा ही सम्भव है क्योंकि असुन्दर वस्तु से अरहलाद को निष्पत्ति नहीं हो सकती। भामह आदि ने मुख्यतया उसी अखण्ड सौन्दर्य का बोध कराने के लिए ही अलंकार शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु शास्त्र के अन्तर्गत अलंकार का विवेचन करने में ये आचार्य अलंकार और अलंकार्य का समुचित विभाग नहीं कर सके और इसी लिए उन्होंने रस, स्वभाव आदि अलंकार्यों को भी अलंकार रूप में वर्णित किया जिसका कि आगे चल कर आचार्य कुन्तक को प्रतिवाद करना पड़ा । कुन्तक को वक्रोक्ति निश्चित ही अलंकार रूप है अथवा उनके अनुसार भी केवल वक्रोक्ति ही अलंकार है जैसा कि वे स्पष्ट ही कहते हैं —

' तयोः दिवत् वसंख्याविशिष्टयोरप्यलंकृतिः पुनरेकैव, यथाद्वाप्यलंङ्कियेते।

कासौ — वक्रोक्तिरेव।'

आचार्य कुन्तक को यह वक्रोक्ति निश्चित रूप में भामह, दण्डी तथा वामन आदि आचार्यों द्वारा अधिमत अलंकार के व्यापक स्वरूप को प्रस्तुत करती है लेकिन अन्तर यह है कि जहाँ भामह आदि अलंकार्यों को भी उसी में समाविष्ट कर लेते हैं आचार्य कुन्तक अपोद्धारबुद्धि से शास्त्रविवेचन करते समय उसका वक्रोक्ति से पृथक् निरूपण करते हैं । तत्त्वतः तो कुन्तक को दृष्टि में भी काव्य में वक्रोक्ति रूप अलंकार तथा अलंकार्य में भेद सम्भव नहीं फिर भी तत्त्वज्ञ के निमित्त पहले अपोद्धार बुद्धि से उनका पृथक् विवेचन अनिवार्य होने से कल्पित प्रविभाग सम्भव है। अतः यह कहा जा सकता है कि कुन्तक की वक्रोक्ति का भी स्वरूप द्विविध है, एक का प्रतिपादन उन्होंने ने वक्रता नाम से किया है जो कि व्यापक सौन्दर्य का वाचक है और दूसरे का प्रतिपादन वक्रोक्ति नाम से जिसमें अलंकारों के गुणों का अन्तर्भाव है। व्यापक स्वरूप में अलंकार्य अलंकार का प्रविभाग असम्भव है जब कि अपोद्धारबुद्धि से विवेचित किए जाने वाले दूसरे स्वरूप में उनका कल्पित प्रविभाग सुस्पष्ट है। भामह, दण्डी-अस्मिन् तथा उद्भट आदि आचार्य इस प्रविभाग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं कर पाये। उन्होंने ने अलंकार्यभूत भी स्वभाव, रस आदि तत्त्वों को उपमा यमकादि अलंकारों की कोटि में ही वर्णित किया, इसीलिए परवर्ती आचार्यों को आलोचना के

भाजन बने । आचार्य वामन ने उनको अपेक्षा उस विभाग को स्पष्ट करने का अधिक प्रयास किया लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हो सके । यद्यपि साधारण उपमा आदि अलंकारों को अनित्य कह कर तथा असाधारण गुणों को नित्य कह कर स्व का 'कान्ति' गुण में और वस्तु स्वभाव का 'अर्थव्यक्ति' गुण में ग्रहण कर साधारण अलंकार कोटि से उसे ऊपर उठाया। परन्तु श्लेषादि गुणों के समक्ष ही उनकी स्थापना कर उनके समुचित अलंकार्य का प्रतिपादन नहीं कर सके। इसी लिए आनन्दवर्धन ने वामन आदि की दृष्टि में काव्यतत्त्व को अस्फुटस्फुरित बताया है । आचार्य कुन्तक ने इस काव्यतत्त्व को अत्यन्त स्पष्ट ढंग से विवेचित किया है अलंकार्य और अलंकार को समुचित व्यवस्था करने में वे पर्याप्त सफल भी हुए हैं। <sup>पिछले</sup> अध्याय में अलंकारों का विवेचन करते समय यह स्पष्ट किया जा चुका है। आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ आदि ने कुन्तक को वक्रोक्ति का जो अलंकार रूप में प्रतिपादन कर बड़ी ही सरलता से निराकरण कर दिया वह कुन्तक की वक्रोक्ति के स्वरूप के विषय में भ्रम होने के कारण ही। कुन्तक एवं भामह की वक्रोक्ति किंवा भामह, एवं वामन आदि के अलंकार साधारण उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों के तुल्य ही नहीं थे । यह स्पष्ट किया जा चुका है। कुन्तक से उन आलंकारिकों का केवल यही अन्तर था कि उन आलंकारिकों ने अलंकार के व्यापक और संकीर्ण स्वरूपों का सुस्पष्ट विवेचन नहीं किया साथ ही अलंकार्य और अलंकार के प्रविभाग को सम्यक् व्यवस्था भी नहीं कर सके। वस्तुतः कुन्तक की वक्रोक्ति और वक्रता में अन्तर है जो अन्तर सुन्दर उक्ति और सौन्दर्य में है। यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से इन दोनों में अमेद ही है। क्यों कि विना सौन्दर्य के कोई उक्ति सुन्दर नहीं हो सकती और न सुन्दर उक्ति के विना उक्ति सौन्दर्य ही आ सकता है । और इस दिशा में वामन का सौन्दर्य और कुन्तक की वक्रता एक रूप है। वस्तुतः सहृदयाहताद इसी सौन्दर्य अथवा वक्रता में ही निहित है। अतः यह सौन्दर्य ही अथवा वक्रता ही काव्य की आत्मा है जिसे स्वीकार करने में आचार्य अभिनवगुप्त को भी विमति नहीं है उन्होंने इसे पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत कर स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है—

'चारुत्वप्रतीतिर्हि काव्यस्यात्मा स्यात्' इति तदङ्गोक्तुर्म एव। नामि खल्वयं  
विवाद इति ।'

अतः कुन्तक जिसे वक्रता कहते हैं और भामह तथा दामन गिरमको अलंकार या  
सौन्दर्य कहते हैं वह कटककुण्डलस्थःनीय उपमादि अलंकारों के तुल्य नहीं ।  
हां, परवर्ती जयदेव आदि आलंकारिक निश्चित ही उपमा आदि अलंकारों पर अना-  
वश्यक बल देते हैं उनका अभिमत न प्राचीन भामह आदि आलंकारिकों के ही  
अनुरूप है और न आचार्य कुन्तक की वक्रोक्ति के अनुरूप ही । पद्य पर आक्षेप  
करते हुए जयदेव कह जाते हैं कि -

'अङ्गोऽस्तीति यः काव्यं शब्दार्थविनलकृतो २ ।'  
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥

निश्चित ही आचार्य जी को भावावेश में कहीं गई यह उक्ति बड़ी उथली एवं  
बचकानी प्रतीत होती है । यह कोई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक रपणोय रचना में  
अनुप्रास, यमक एवं उपमा आदि अलंकार रहे हों । ऐसा कथन काव्य के वास्तविक  
सौन्दर्य के परखने की क्षमता का अभाव अभिव्यक्त करना है। आचार्य कुन्तक जी कि  
वक्रता अथवा वक्रोक्ति को काव्य का प्राण मानते हैं उन्होंने ने भी उपमादि अलंकारों  
के अनुचित प्रयोग का निषेध किया है। वस्तुवक्रता का विवेचन करते हुए इस बात को  
पहले स्पष्ट किया जा चुका है । कवि को जहाँ कहीं वस्तुस्वभाव के सौन्दर्य का  
प्रतिपादन अथवा रसादि को सम्यक् निश्चित करना अभीष्ट होता है वहाँ वह उपमा  
रूपकादि वाच्य अलंकारों का अधिक प्रयोग नहीं करता क्योंकि उसमें वस्तुस्वभाव को  
सुकुमारता अथवा रसादि के परिपोषण के समाच्छादित हो जाने का भय रहता है ।<sup>3</sup>  
इस प्रकार वक्रोक्ति सिद्धान्त को चाहे अलंकार सम्प्रदाय से भिन्न स्वीकार किया जाय  
अथवा कि तद्रूप ही स्वीकार किया जाय उसमें कुन्तककृत पाण्डित्य एवं सहृदयतापूर्ण  
व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । वस्तुतः वक्रोक्ति का जैसा स्वरूप आचार्य  
भामह एवं कुन्तक ने प्रतिपादित किया है उसके अनुसार वक्रोक्ति सिद्धान्त को अलंकार  
सम्प्रदाय की एक शाखा मात्र कहना तो कदापि उचित नहीं । क्योंकि शाखा स्वीकार  
करने का अर्थ अलंकार सम्प्रदाय की वक्रोक्ति सिद्धान्त से व्यापकता स्वीकार करना होगा।

1- लोचन, पृ० 105

2- चन्द्रालोक 1/8

3- द्रष्टव्य व. जी. पृ० 145-146

जो सर्वथा असमोचन है। वस्तुतः दोनों को यथाकथंचित् एक रूप तो कहा जा सकता है और अलंकारसिद्धान्त का इसमें सम्यक् परिष्कार भी स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि भामह व कुन्तक को वक्रोक्ति एवं दण्डी तथा वामन आदि के अलंकार लगभग एक रूप हैं लेकिन वक्रोक्ति सिद्धान्त को एक शाखा कहना समोचन नहीं। वस्तुतः वक्रोक्ति सिद्धान्त ही सर्वव्यापक सिद्धान्त है। इसका प्रतिपादन आगे किया जायगा। लेकिन जयदेव आदि वाद के आलंकारिकों के अलंकारसिद्धान्त की एकरूपता तो न कुन्तक और भामह के वक्रोक्तिसिद्धान्त में ही स्थापित की जा सकती है और न आनन्द के पूर्ववर्ती अन्य दण्डी आदि आलंकारिकों के अलंकारसिद्धान्त से ही। वामन, आनन्द कुन्तक, अभिनव गुप्त, भम्मट आदि आचार्यों द्वारा काव्यतत्त्व की पर्याप्त काव्यसमीक्षा के अनन्तर जयदेव आदि का यमक उपमा आदि अलंकारों के प्रति काव्य में ऐसा आग्रह कि बिना उनके काव्यता हो ही नहीं सकती, एक दुराग्रहमात्र ही कहा जायगा। अस्तु इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुन्तक का वक्रोक्तिसिद्धान्त भामह के वक्रोक्तिसिद्धान्त या कि दण्डी, उद्भट-आदि प्राचीन आलंकारिकों के अलंकारसिद्धान्त को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। प्राचीन आलंकारिकों के काव्यतत्त्व विवेचन में जो कर्मियाँ थीं उनको उचित पूर्ति करता है एवं जो अलंकार्य तथा अलंकारविषयक असमोचन धारणाएँ थीं उनका सम्यक् परिष्कार कर प्रत्येक तत्त्व को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना है। वस्तुतः अलंकार शब्द का केवल उपमा, यमक आदि के लिए प्रयुक्त होने वाला करण व्युत्पत्तिक अत्यन्त संकीर्ण अर्थ इतना अधिक प्रधान हो उठा है कि पूर्वाचार्यों द्वारा पान्य अलंकार का भावव्युत्पत्तिक अर्थ अथवा करण व्युत्पत्तिक व्यापक अर्थ उसके आगे आच्छादित हो जाता है और इसी कारण से अलंकारसिद्धान्त के विषय में अनेकानेक भ्रान्तियाँ उपस्थित हो जाती हैं। इसी लिए सम्भवतः कुन्तक ने अलंकार शब्द का प्रयोग न कर वक्रोक्ति शब्द का उपादान किया है। और वक्रोक्ति को ही एक मात्र अलंकार माना है। और वैसे ही देखा जाय तो उपलब्ध आद्य आचार्य भामह स्वयं वक्रोक्ति को ही एक मात्र अलंकार मानते हैं। साथ ही आचार्य भामह द्वारा ऐसी स्वीकृति यह भी सिद्ध कर देती है उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी वक्रोक्ति को ही एकमात्र अलंकार रूप में मान्यता दी थी। भामह द्वारा 'वक्रोक्ति' शब्द का बिना किसी व्याख्या के ही किया गया प्रयोग इस बात का परम प्रमाण है।

### वक्रोक्ति एवं रीतिसिद्धान्त

विद्वानों ने रीति सम्प्रदाय का प्रवर्तक आचार्य वामन को स्वीकार किया है। वक्रोक्ति एवं अलंकार सिद्धान्त का विवेचन करते हुए यह दिखाया जा चुका है कि सूक्ष्मता से विचार करने पर वामन का रीतिसिद्धान्त अलंकारसिद्धान्त को ही नये ढंग से विवेचना करता है। <sup>चतुर्थ</sup> अध्याय में यह प्रतीति प्रतिपादित किया जा चुका है कि वामन से पूर्व भी रीतियों का विवेचन कुछ आचार्यों ने किया था जिनका कि आज हमें कोई ज्ञान नहीं है। उपलब्ध साहित्य के आधार पर वाचपन ने पूर्ववर्ती आचार्य भामह तथा दण्डी ने कृष्णः वैदर्भ और गौडोय काव्यो तथा वंशर्ष गौडोय मार्गी का उल्लेख किया है। वक्रोक्ति सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य भामह ऐसा भेद स्वीकार करने को मना-नुगतिरुत्तरा किंवा पूर्वता कहते हैं जब कि दूसरे वक्रोक्तिवादों आचार्य कुन्तक त्रिविध काव्यो अथवा मार्गी को बड़े ही विस्तार के साथ व्याख्या प्रस्तुत करने हैं। किसी को यह सन्देह हो सकता है कि या तो भामह के विचार अनुचित थे या फिर कुन्तक के विचार अनुचित हैं। परन्तु ऐसा सन्देह करने का कोई अवसर नहीं। वस्तुतः भामह के पूर्व यदि वैदर्भ और गौडोय का विभाजन काव्यस्वरूप के समुचित आधार को लेकर किया जाता तो वे कदापि उसको आलोचना न करते। लेकिन यह विभाजन उनको कटु आलोचना का भाजन इसलिए बनस कि इसका आधार प्रादेशिक था और प्रादेशिक सम्प्रदाय-<sup>ग्रहम् सर्वं उत्तम माना जाता था जब कि भृत्यन्त रमणीय भी गौडीय काव्य</sup>वाद इनने जोरी पर था कि रद्वी से रद्वी वैदर्भ काव्य को देय सर्व अग्राद्यय कहा जाता था। भामह ने ऐसे स्वरूप विभाजन के कारण इसकी आलोचना को और काव्य के कुछ विशिष्ट गुणों का निर्देश किया, जिससे कि दोनों ही प्रदेशों के रमणीय काव्य काव्य कहलाने के अधिकारो हो सके। इसी सम्प्रदायवाद <sup>के-रण</sup> का ही भाषण ने ~~सम्प्रदाय~~ साधारण कवि को कवि अथवा उसके काव्य को काव्य नहीं माना। उन्हो ने कवियों का विभाजन सत्कवि और कुकवि के रूप में करके सत्कवि के सत्काव्य अथवा सन्निबन्ध को अतुल्य कोर्ति का जनाह <sup>3</sup> माना। आचार्य दण्डी ने वैदर्भ और गौडोय मार्गी का अन्तर अत्यधिक स्पष्ट होने के कारण उनका पृथक् पृथक् निरूपण किया किन्तु विवेचन करने साथ

1- भामह, काव्या 1/32

2- वही 1/34-36

3- वही 1/6 तथा 12

सम्प्रदायवाद के शिकार हो भो बने रहे और वैदर्भी को अज्ञेयता गौडोय को हेय बताया ।  
 उनके अभिप्रेत श्लेषादि गुण वैदर्भी मार्ग के प्राण है जबकि गौडोय के उनका प्रायः  
 विपर्यय विख्यायो पड़ता है। साचार्य वापन ने रीतियों का त्रिविध विभाजन अवश्य किया  
 और रीति को काव्य को आत्मा भी कहा लेकिन गौडोया और पांचाली रीतियों के प्रति  
 उनका अस्वार्थ स्पष्ट रहा। क्या वापन के अनुसार काव्य ही आत्मा दोनों ही रीतियों  
 हो सक्तो है ? कदापि नहीं। केवल वैदर्भी रीति ही काव्य को आत्मा स्वीकार को  
 जा सक्तो है। क्यों कि वापन केवल उसी रीति को ग्राह्य बताया है। और अन्य दो रीतियों  
 के अभ्यास का भी निषेध किया है। यह वापन ही काव्यतत्त्व के विवेचन के प्रति अत्यधिक  
 जागरूकता का प्रमाण है। काव्य सौन्दर्य के कारण ग्राह्य होता है और क्या सौन्दर्य क्या  
 कभी मध्यम और अधम भी हो सकता है ? कभी नहीं। यही कारण है कि कुन्तक ने  
 रीतियों के प्रादेशिक आधार का खण्डन कर उनके तारतम्य का भी घोर प्रतिवाद किया है।  
 वस्तुतः कुन्तक ने जिस प्रकार से काव्य के अलंकारादि तत्त्वों को समुचित व्यवस्था अपने  
 सिद्धान्त में की है वैसे ही रीतियों अथवा मार्गों की भी समुचित व्यवस्था को ही साथ  
 ही रीतियों के विषय में जो भ्रान्त धारणाये थीं उनको दूर करने का प्रयास किया है।  
 वस्तुतः रीतियाँ अथवा मार्ग काव्य के स्वरूप ही होते हैं । दण्डी का वैदर्भी मार्ग वैदर्भी  
 काव्य का और गौडीय मार्ग गौडीय का ही प्रतिनिधित्व करते हैं । वापन को  
 वैदर्भी रीति वैदर्भी काव्य के, गौडीया गौडीय काव्य के और पांचाली पांचाल काव्य  
 के स्वरूप को ही प्रस्तुत करता है । इसी लिए भामह ने वैदर्भी या गौडोय मार्ग अथवा  
 रीति न कह कर वैदर्भी और गौडोय काव्य का ही उल्लेख किया है । काव्य के इन  
 मार्गों का निरूपण उनके गन्तव्यों को दृष्टि से किया गया है। और इस लिए कुन्तक के  
 सुकुमार , विचित्र अथवा उभयात्मक मार्ग ही सुकुमार , विचित्र एवं उभयात्मक काव्य हैं ?  
 कुन्तक का अत्यन्त ही सुस्पष्ट कथन है—

1- द्रष्टव्य, काव्यादर्श 1/40-100, विशेष रूप से 1/42 - 'इति वैदर्भीमार्गस्य  
 प्राणा दश गुणाः स्मृताः । रषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौडवर्त्मिन ।'  
 तथा 1/44, 46, 50, 54, 60, 72, 80 और 92

2- तासां पूर्वा ग्राह्या , गुण साकल्यात् ।'

'न पुनरितरे, स्तोकगुणत्वात् ।' का.सू.वृ. 1/2/15-16



'तदेवोते कवयः सकलकाव्यकरणकलापकाष्ठाधिरूढिरणोर्यं किमपि काव्यपरभन्ते,  
सुहृदारं विचित्रभुभयात्पुंशुच । त एव तत्प्रवर्तननिमित्तभूता मार्गा इत्युच्यन्ते।'<sup>1</sup>  
आचार्य वाग्मन का रीति विवेचन पाठक को स्वयं संशय में डाल देता है । एक  
और तो वे गुणों एवं अलंकारों से संस्कृत शब्द और अर्थ दोनों को काव्य<sup>2</sup> मानते हैं  
दूसरे ओर काव्यकी आत्मा विशिष्ट पद रचना रूप रीति को स्वीकार करते हैं<sup>3</sup> । जिसका  
स्पष्ट आशय यह हुआ काव्य को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठा केवल शब्द गुण को है  
कीमती पदरचना अथवा बन्ध के गुणों को वाग्मन ने शब्द गुण ही कहा है । लेकिन  
उनके इस विवेचन को कवजोरो स्वयं उनसे छिपी नहीं रह सकी। इसी लिए उन्होंने  
कवियों द्वारा ग्राह्य समग्रगुणों वैदर्भी रीति में अर्थ गुणों को सम्मत्त को भी आस्वादय  
बताया —

4  
'तस्यापर्थगुणसम्पदास्वादया।'

और यह प्रतिपादित किया कि अर्थ गुण सम्मत्त को उपचार से वैदर्भी कहा जाता है  
क्यों कि वह वैदर्भी रीति में स्थित होता है । —, 'सापीयपर्थगुणसम्पत् वैदर्भीत्युच्यते।  
तात्स्थादित्युपचार तो व्यवहार दर्शयति।'<sup>5</sup> आचार्य कुन्तक ने वाग्मनादिकृत रीतिविवेचन  
के इस ~~वेद~~ का भी परिहार किया। उन्होंने उसे पदरचना रूप न कह कर वाक्यरचना  
किंवा काव्यरचना रूप स्वीकार किया। डा० नगेन्द्र ने दोनों ही आचार्यों के रीतिस्वरूप को  
एकरूप सिद्ध करने का प्रयास किया है । वस्तुतः उन्होंने ने सत्य कोही आभास सप्रभ  
लिया है और एक सत्य को भ्रम घोषित किया है। उनका कहना है 'इस प्रकार दोनों  
आचार्यों के मत में रचना विधि ही रीति है । लक्षणों की शब्दावली से साधारणतः कुछ  
ऐसा आभास मिलता है कि कुन्तक के मार्ग का स्वरूप वाग्मनीया रीति को अगोक्षा अधिक  
व्यापक है- कुन्तक का मार्ग काव्यरचना की विधि है और वाग्मन को रीति केवल पदरचना  
है। परन्तु कुन्तक के सम्पूर्ण विवेचन को परोक्षा करने पर इस भ्रम का निराकरण हो  
जाता है और इसके प्रमाण ये हैं - (1) कुन्तक ने मार्गों का विवेचन बन्ध के प्रसंग  
में किया है- 'शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविद्यापरशालिनि बन्धे व्यवस्थितौ काव्यम् -'

1- व. जी. पृ० 47

2- 'काव्य' शब्दोऽर्थे गुणात्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तने। 'वाग्मसूत्र' पृ० ।

3- 'विशिष्टा पदरचना रीतिः' - वही, 1/2/7

4- वही, 1/2/20

5- वही, 1/2/22 की वृत्ति

यह कुन्तक का काव्यलक्षण है । काशः इसके 'शब्द' 'अर्थ' 'सहितौ' 'वक्र' 'विव्यापार' आदि को व्याख्या करने में उपरान्त बन्ध अर्थात् रचना के प्रसंग में ही मार्गी को विवेचना को गई है। (2) मार्गी के सप्त गुणों के निरूपण में बन्ध अर्थात् पदरचना के ही लक्ष्य का विवेचन है, रचना के व्यापक रूपों का जैसे प्रबन्ध-रचना प्रकरण-रचना आदि का कोई उल्लेख नहीं है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि बन्ध का अर्थ यहाँ प्रायः पदरचना ही है ।<sup>1</sup> वस्तुतः डा० साहब की इस असंगोवीन स्थापना<sup>का</sup> कारण और कुन्तक के बन्धरूप को एक रूप में समझ बैठना है । वाचन का बन्ध निश्चित ही पदरचना रूप है । शब्द गुणों का विवेचन करने हुए वाचन का स्पष्ट कथन है कि - 'बन्धः पदरचना । तस्य गुणा बन्धगुणा ओजः प्रभृ<sup>2</sup> तयः । लेकिन कुन्तक का बन्ध पदरचना रूप नहीं बल्कि वाक्यविन्यास रूप है—

'वाच्यावाचकसौभाग्यलावण्यापरिणेषकः ।

व्यापारशालो वाक्यस्य विन्यासो बन्ध उच्यते ।<sup>3</sup> ॥'

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वाचन के रीतिस्वरूप को संकोर्णता अथवा अनुपयुक्तता का परिहार कुन्तक के रीतिस्वरूप से हो जाता है । पदरचना द्वारा पद अथवा शब्द के गुणों का ही ग्रहण हो सकता है अर्थ गुणों का नहीं। और इसीलिए वाचन ने अधीगुण-सम्पत्ति को उपहार से वैदर्भी रीति मानना क्योंकि उसी स्थिति वैदर्भी काव्यों में अनिवार्य रूप से थी । वस्तुतः अर्थ सौन्दर्य के अभाव में पदसौन्दर्य किस काम का । उनमें अमोष्ट साहित्य ही कैसे ? और फिर साहित्य के अभाव में काव्यता कैसे ? इसी लिए कुन्तक ने बन्ध पदरचना को न कहकर वाक्यरचना को अथवा काव्यरचना को माना । वाक्य में पद पदार्थ सभी का अन्तर्भाव है । इसी लिए वाक्यवक्रता में ही कुन्तक ने सप्त अर्थलंकारों एवं वस्तुपुङ्गवता का भी अन्तर्भाव किया है । साथ ही उन्होंने ने उसी वाक्यविन्यास को बन्ध भी कहा है जिसने शब्द अर्थ दोनों के वाच्य और सौभाग्य गुणों का परिणेष हुआ रहता है । अतः निश्चित ही डा० साहब जिसे 'भ्रम' कहते हैं वही सत्य है और जिसकी प्रतिष्ठा 'सत्य' रूप में करते हैं वह भ्रम है । अपने मत के समर्थन में उनके द्वारा दिये गए दोनों ही तर्क अनुपयुक्त एवं शिथिल

1- भा. का. भू., भाग 2, पृ० 369

2- का. सू. वृ. 3/1/4 की वृत्ति

3- व. जो 1/22

है । उनका पहला तर्क कि मार्गों की विवेचना बन्ध अर्थात् रचना के प्रसंग में की गई है, वस्तुतः समीचीन नहीं। कुन्तक ने बन्ध का विवेचन काव्य के सामान्यलक्षण का विवेचन करते हुए किया है, जब कि मार्गों का स्वरूप निरूपण काव्य के विशेष लक्षण विषय प्रदर्शन के लिए किया गया है। साथ ही मार्गों का विवेचन बन्ध के प्रसंग में भी नहीं है, क्योंकि उसके अनन्तर काव्य लक्षणकारिका में प्रयुक्त 'तद्विदा-ह्लादकारिणव' का विवेचन है। कुन्तक के बन्धस्वरूप के स्पष्टीकरण से डा० साहब का दूसरा तर्क भी परास्त हो जाता है जिसके अनुसार बन्ध का अर्थ पदरचना ही है क्योंकि मार्गों के गुणों के निरूपण में कुन्तक ने केवल पदरचना के ही तत्त्वों का विवेचन किया है रचना के व्यापक रूपों का जैसे प्रबन्धरचना प्रकरणरचना आदि का उल्लेख नहीं किया। वस्तुतः स्वयं कुन्तक ने इस बात का बड़े सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया है कि मार्गों में गुणों की समुदाय धर्मता है केवल शब्दादि धर्मता नहीं।—

'मार्गेषु गुणानां समुदायधर्मता। यथा न केवलं शब्दादिधर्मत्वं तथा तल्लक्षण-  
व्याख्यानावसर एव प्रतिपादितम्।<sup>2</sup> सम्भवतः डा० साहब ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त कुन्तक ने सुकुमार मार्ग के लावण्य गुण की एवम् विचित्रमार्ग के माधुर्य एवं द्विविध प्रसाद गुणों की बन्धसौन्दर्य रूपता का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन भी किया<sup>3</sup> है, साथ ही लावण्य-गुण की व्याख्या करते हुए बन्ध की वाक्यविन्यासरूपता न कि पदरचनारूपता का स्पष्ट उल्लेख भी किया है- 'बन्धो वाक्यविन्यासस्तस्य सौन्दर्यं रामणीयकं लावण्यमभिधीयते लावण्यमित्युच्यते।<sup>4</sup> डा० साहब की यह बात कि कुन्तक ने मार्ग गुणों के निरूपण में रचना के व्यापक रूपों का जैसे प्रकरण रचना या प्रबन्ध रचना का उल्लेख ही नहीं किया' अत्यन्त उपहास्यदप्रतीत<sup>सा</sup> होती है। क्योंकि रीतियाँ अथवा मार्ग काव्यरचना के कारणभूत (काव्यकरणस्यकारणभूताः) हैं न कि प्रबन्धरचना या प्रकरण रचना के। डा० साहब के अनुसार तो फिर मुक्तकों को काव्य ही नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उसमें किसी प्रबन्ध या प्रकरण के गुण की उपलब्धि असम्भव है। यही कारण है कि कुन्तक ने प्रत्येक मार्ग के चास्-चार विशिष्ट गुण बताये गये हैं जिनका कि सम्बन्ध बन्ध अथवा वाक्यविन्यास से है और दो सामान्यगुण निरूपित किए हैं, सौभाग्य और औचित्य जो कि सर्वत्र पदों से लेकर प्रबन्धपर्यन्त विद्यमान रहते हैं—

1- द्रष्टव्य, वही व. जी. पृ० 44-45

2- वही, पृ० 71

3- द्रष्टव्य वही, पृ० 54, 66, तथा 67

4- वही, पृ० 54

'एतत् त्रिष्वपि मार्गेषु गुणद्वितयमुज्ज्वलम् ।

पदवाक्यप्रबन्धानां व्यापकत्वेन वर्तते ॥'

अस्तु । उक्त विवेचन से तथा <sup>वस्तु</sup> अध्याय में विस्तार से किए गए कुन्तक के मार्ग गुण विवेचन से यह सुस्पष्ट ही निष्कर्ष निकलता है कि कुन्तक ने पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीकृत रीतिसिद्धान्त की अनुचित किंवा संकीर्ण मान्यताओं का तिरस्कार कर उन्हें एक समीचीन एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया। डा० देशपाण्डे का अधोलिखित कथन यहाँ उल्लेखनीय है - 'इन दोनों पूर्वाचार्यों (दण्डी तथा वामन) के मतों का कुन्तक ने संकलन किया तथा उनके विचारों का अग्ररूपन दर्शाकर रीतियों की विवेचना सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम मार्ग की संज्ञाओं से और भी शास्त्रशुद्ध की एवं रीति कविस्वभाव की द्योतक किस प्रकार होती है यह दर्शाया<sup>2</sup> ।' रीतियों के देशविशेष के आधार पर किए गए विभाजन एवं नामकरण का खण्डन कर कविस्वभाव के आधार पर उनका त्रिविध विभाजन एवं नामकरण, उनकी उत्तमता, मध्यमता अथवा अधमता का खण्डन कर समान सौन्दर्य से युक्त रूप में प्रतिपादन, किसी में भी गुणों के आधिक्य अथवा न्यूनता रूप सम्बन्ध का तिरस्कार कर विशिष्ट स्वरूप वाले समान गुणों की स्थापना, निश्चित रूप से कुन्तक की सहृदयता एवं काव्यतन्त्र के सूक्ष्म पर्यवेक्षण की सामर्थ्य का परिचायक है। निश्चित रूप से कुन्तक के काल को संस्कृत रीति का अभ्युदयकाल कहना चाहिए। आगे चलकर जो आचार्यों ने कुन्तक के मार्ग विवेचन अथवा रीतिविवेचन को सम्यक् सम्मान नहीं दिया और वामन की ही रीतियों को ही प्रमाण माना, उसका कारण सिवाय मतानुगतिकता के और कुछ नहीं प्रतीत होता। रीतिसिद्धान्त निश्चित ही कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त के अंग रूप में सामने आता है। रीतियों के द्वारा काव्य में वक्रता की सिद्धि होती है। आचार्य वामन ने भी तो रीतियों अथवा गुणों के द्वारा ही काव्यसौन्दर्य की सिद्धि स्वीकार की थी। और यह बताया जा चुका है कि वामन का सौन्दर्य और कुन्तक की वक्रता लगभग एक रूप ही है। अन्तर केवल इतना है कि वामन उस सौन्दर्य का अधिक स्पष्ट विवेचन करने में असमर्थ रहे जब कि कुन्तक ने वक्रता का सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं अत्यन्त स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत किया।

1- व. जी. 1/57

2- भा. शा. शा., पृ० 21

वक्रोक्ति तथा औचित्य-सिद्धान्त

केवल औचित्य मात्र का स्वतंत्र ढंग से विवेचन आचार्य क्षेमेन्द्र ने अपने एक छोटे से ग्रन्थ 'औचित्यविचारचर्चा' में किया है। अतः कुछ विद्वान् क्षेमेन्द्र को औचित्य-सम्प्रदाय का संस्थापक आचार्य स्वीकार करते हैं। लेकिन उसे एक काव्य सम्प्रदाय स्वीकार करना निश्चित ही भ्रमपूर्ण है। क्षेमेन्द्र ने कहीं भी उसमें काव्य के स्वरूप का निरूपण नहीं किया। केवल औचित्य मात्र के निरूपण से ही किसी के सन्मुख काव्य स्वरूप की समुपस्थिति नहीं हो जाती। और फिर वे स्वयं ही कहते हैं कि औचित्य 'रससिद्ध काव्य' का जीवित है।<sup>1</sup> इससे स्पष्ट है कि काव्य के समग्र स्वरूप का नहीं बल्कि उसके 'जीवितमात्र' का विवेचन कर रहे हैं। ऐसा करने में उनका योगदान केवल यही कहा जा सकता है कि औचित्य के विभिन्न प्रकारों का उन्होंने उदाहरण सहित एकत्र विस्तृत निरूपण कर दिया है। अन्यथा उस औचित्य की महत्ता बहुत पहले से ही मान्य रही है। औचित्य की विपर्यय ही तो दोष होता है। और इस तरह औचित्य गुण को प्रस्तुत करता है और अनौचित्य दोष को आचार्य महिमभट्ट ने इसी लिए काव्य दोषों का विवेचन करते हुए 'दोष' शब्द का उपादान न कर अनौचित्य 'षड्' का ही उपादान किया है<sup>2</sup>—यदि किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने स्पष्ट शब्दों में औचित्य का स्वरूप निरूपण नहीं किया तो उसका यह मतलब कदापि नहीं है कि उसने औचित्य हीन को भी काव्य माना है। नाट्य या काव्य सर्वत्र दोषाभाव का प्रतिपादन किया गया है और निश्चित ही दोष औचित्य के परित्याग में निहित होता है। क्योंकि उचित का भाव ही तो औचित्य होता है। जो जिसके अनुरूप होता है वही उसके विषय में उचित है—

'उचितं ग्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्।

उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यमुच्यते ॥'<sup>3</sup>

1- औ० वि० च०, 5

2- द्रष्टव्य, व्यक्ति, पृ० 149

3- औ० वि० च०, 7

अतः जहाँ उस औचित्य का परित्याग किया नहीं गया कि दोष की समुपस्थिति अनिवार्य है। आद्याचार्य भरत ने यद्यपि 'औचित्य' शब्द का स्पष्ट प्रयोग तो नहीं किया लेकिन उन्हो ने नाट्य के प्रत्येक वृत्ति, प्रवृत्ति भाषण आदि तत्त्वों के उप-निबन्धन में औचित्य का निरूपण किया है। नाट्य में लोक धर्मी तथा नाट्यधर्मी द्विविध तत्त्व प्राप्त होते हैं। नाट्यधर्मी तत्त्वों का विधान तो शास्त्रसम्मत होता है किन्तु लोकधर्मी के लिए आचार्य भरत ने अनेकशः लोक को ही प्रमाण माना है। लोक ने जिसके विषय में जिसे उचित मान रखा है उसी प्रकार उसका निरूपण करना चाहिए। उनका अत्यन्त स्पष्ट कथन है —

'यादृशी यस्य यद्रूपं प्रकृत्या तस्य तादृशम्।

वयोवेशविधानेन कर्तव्यं प्रयुयुक्षणा ॥'

आचार्य क्षेमेन्द्र का —

'कण्ठे मेखलया नितम्बफल्के तारेण हारेण वा'

इत्यादि श्लोक आचार्य भरत

के अधोलिखित कथन का ही अनुवादमात्र है—

'अदेशजो हि वेषस्तु न शोभा जनयिष्यति।

मेखलोरसि बन्धे च हास्यायैवोपजायते ॥'

उस प्रकार

भरत ने यद्यपि औचित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया फिर भी औचित्य तत्त्व-चिन्तन की ओर स्पष्ट ही मार्ग निर्देश वृत्तियो, प्रवृत्तियो, भाषा, अभिनय, लक्षण, गुण, अलंकार आदि सभी के औचित्यानुकूल रसाश्रित प्रयोग का विधान प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार भरत के अनन्तर आचार्य भामह ने भी यद्यपि स्पष्ट रूप से औचित्य का प्रतिपादन नहीं किया फिर भी उनके दोषों के वर्णन में अनौचित्य का ही वर्णन है। वे दुष्ट एक पद का भी प्रयोग नहीं स्वीकार करते—

1- ना. शा. 13/70

2- ना. शा. 24/81 (काव्यमाला) (काव्य माला शिरीज)

3- औ. वि. च. (काव्यमाला-1) पृ० 7

4- ना. शा.

'सर्वथा पदम<sup>१</sup>घोर्कं न निगाद्यमवद्यवत् ।

विलक्ष्ण<sup>१</sup>वाहि काव्येन दुःसुतेनेव नि<sup>१</sup>च्यते ।'

इसी प्रकार जब वे दुस्त कुछ दोषों की किन्हीं सन्निवेशविशेष आदि विशेष परिस्थितियों में अदोषता का प्रतिपादन करते हैं तो निश्चित ही उसका नियामक औचित्य ही है? काव्य को अग्राम्य, न्याय्य, तथा अनाकुल होना चाहिए<sup>३</sup>। और काव्य में निश्चित ही ग्राम्यता, अन्यायता, और आकुलता औचित्य के परित्याग से आती है। आचार्य दण्डी भी यद्यपि औचित्य का शब्दतः उल्लेख नहीं करते फिर भी अनौचित्य रूप दोष की कथमपि काव्य में स्थिति स्वीकार नहीं करते—

'तदल्पमपि नोपेक्ष्य काव्ये दुष्ट कथंचन।

स्याद् वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणैकेन दुर्भगम्।<sup>४</sup>

वाणी कामधेनु होती है, कब ? जब उसका सम्यक् प्रयोग किया जाता है। यह 'सम्यक्-प्रयोग' निश्चित ही औचित्य का प्रतिपादक है। यदि वाणी वाणी का दुष्प्रयोग या अप-प्रयोग हुआ तो वही क्वता या प्रयोक्ता को बैल बना देती है।

गौर्गोः कामदुघा सम्यक् प्रयुक्ता स्पर्यते बुधैः

दुष्प्रयुक्ता पुनर्गात्वं प्रयोक्तुषः सैव शंसति ।।<sup>५</sup>

अग्राम्य अर्थ ही रसावह होता है। समस्त अलंकारों के होते हुए भी यदि ग्राम्यता अथवा अनौचित्य रहा तो अलंकारों का अलंकारत्व ही बेकार है वे रसानिष्पत्ति नहीं करा सकते—

कामं सर्वह्यलंकारो रसमर्थे निषिञ्चतु।

तथाऽप्यग्राम्यतैवेहं भारं वहति भूयसां।।<sup>६</sup>

1- भामह, काव्या० १/११

2- द्रष्टव्य, वही १/५४-५५

3- वही १/३५

4- काव्यादर्श, १/७ ✓ १/७,

5- वही १/६

6- काव्यादर्श १/६२ साथ ही देखें वही २/२९२

इसके अतिरिक्त दण्डी का काव्यदोषों का तृतीय परिच्छेद में किया गया वर्णन उनके औचित्य विषयक मन्तव्य को ही व्यक्त करता है। देश काल आदि, के विरोध रूप दोषों का वर्णन करते हुए उन्हों ने देशादिक के औचित्य का निरूपण तो किया ही रसादि विषयक औचित्य की ओर भी उन्हों ने स्पष्ट ही कलाविरोध के अन्तर्गत निदर्देश किया है।<sup>1</sup> लेकिन सह समग्र विरोध रूप दोष कवि कौशल के बल से कभी दोष गणना को त्याग कर गुणवीथी का अनुसरण भी करने लगता है<sup>2</sup>। स्पष्ट ही ऐसा कह कर वे आनन्द आदि के मार्गनिर्देशक बनते हैं। आनन्द का यह कथन कि —

'यत्तवेवीविधे विषये महाकवीनामप्यसमीक्ष्यकारिता लक्ष्ये दृश्यते स दोष एव, स तु शक्तिरिच्छतत्वात् तेषां न लक्ष्यते।'<sup>3</sup> उक्त कथन की ही पुष्टि करता है। आचार्य वामन भी औचित्य का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं करते परन्तु दोषादि की काव्य में त्याज्यता का निरूपण कर औचित्य को समर्थन देते हैं। काव्य को उपादेय बनाने वाला अलंकार या सौन्दर्य अलंकारों या गुणों के उपादान के साथ साथ दोषों के परित्याग से सम्पन्न होता है—'काव्यं ग्राह्य-मलंकारात्। सौन्दर्यमलंकारः। स दोषगुणालंकारानादानाभ्याम्।'<sup>4</sup> बल्कि यह भी कहना अनुचित न होगा कि वामन की दृष्टि में गुणों एवं अलंकारों के उपादान की अपेक्षा दोषों अथवा अनौचित्य का परित्याग कहीं अधिक अपेक्षित है इस लिए सूत्र में उसका सर्वप्रथम स्थ उपादान किया गया है। आचार्य रूद्रट पहले आचार्य हैं जो औचित्य का शब्दतः प्रयोग करने के साथ काव्य के क्षेत्र में औचित्य की प्रधानता का स्पष्ट मार्गनिर्देश करते हैं। काव्य की कारणभूता व्युत्पत्ति ही युक्तायुक्त अथवा उचित अनुचित की विवेक रूपा है। छन्द, व्याकरण, कला, लोकस्थिति तथा पद पदार्थ के विशिष्ट ज्ञान से उचित और अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति<sup>5</sup> है। पश्चात् आदि वृत्तियों का प्रयोग पात्रगत तथा अभिधेयगत औचित्य के अनुसार होना चाहिए। यमकादि अलंकारों का प्रयोग औचित्य का सम्यक् विचार

1- द्रष्टव्य, काव्यादर्श, 3/170

2- वही, 3/179

3- ध्वन्या०, पृ० 333

4- का०सू०वृ०, 1/1/1-3

5- रूद्र०काव्या०, 1/18

6- वही, 2/32



करने के अनन्तर ही करना चाहिए। क्यों कि यमकादि रस काव्यों में विशेषतः शृंगार और कस्य रस युक्त काव्यों में प्रयुक्त होकर रस भंग कर देते हैं अतः उनका प्रयोग औचित्य को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। उनका पदगत ग्राम्यदोष वक्ता और वस्तु विषयक अनौचित्य के कारण प्रस्तुत होता है। वक्ता प्रकृत्या अधम, मध्यम और उत्तम तीन प्रकार का होता है। किसी भी पद का प्रयोग इस प्रकृत्यौचित्य और वस्तुवौचित्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।<sup>2</sup> आचार्य रूट इस पदगत ग्राम्यता का विवेचन विस्तार से करते हैं उसमें सम्य और असम्य अर्थों के समुचित प्रयोग का निर्देश करते हैं। वे ध्वनि अर्थ को देने वाले पदों के औचित्यपूर्ण प्रयोग का प्रतिपादन करते हुए बताते हैं कि 'नूपुर आदि के लिए रणित जैसे पदों का, पक्षि आदि के लिए कूजित इत्यादि पदों का, सुरत के लिए मणित जैसे पदों का, तथा मेघादि के लिए गर्जित जैसे पदों का प्रयोग करना चाहिए।'<sup>3</sup> यदि इस नियम में भंग हुआ कि अनौचित्य को प्रस्तुत करते हुए पद ग्राम्यता दोष की प्रतीति कराने लगेंगे। इसी प्रकार अर्थ की ग्राम्यता का निरूपण करते हुए उन्होंने ने व्यवहार, आकार, वेष, वचन, देश, कुल, जाति, विद्या, वित्त, अवस्था, स्थान और पात्र विषयक अनौचित्य का निर्देश किया है।<sup>4</sup> रूट ने निदर्शनार्थ कुछ अनौचित्यों का इस प्रकार उल्लेख किया है— कन्याओं की प्रगल्भता, वेश्याओं की सहज मुग्धता, ग्राम्यजनो की विदग्धता तथा कुलीनों की धूर्तता का वर्णन अनुचित होने के कारण अर्थ के ग्राम्यता दोष को प्रस्तुत करता है।<sup>5</sup> अर्थ के विरस दोष के अन्तर्गत वे रसौचित्य का विवेचन करते हैं यह बात अवश्य है कि रसौचित्य का वे उतना सूक्ष्म विवेचन नहीं करते जितना कि आनन्द ने किया है। पर निश्चित ही आनन्द के मार्गनिर्देशक रूट ही रहे होंगे। अन्य रस के प्रसंग में अन्य रस का प्रसंगविस्मय प्रयोग रसविषयक अनौचित्य को प्रस्तुत करता है। इस रसविरोध परिहार के उपायों का निरूपण आगे चल कर प्रायः सभी आचार्यों ने किया है। इसी तरह सावसर भी रस का काव्य में निरन्तर अत्यधिक वृद्धि को पहुँचाया जाना अनौचित्य को

- 
- 1- द्रष्टव्य, रूट 0काव्या 0, 3/59 तथा नमिसाधु की व्याख्या  
 2- ,, ,, 6/17-18  
 3- ,, ,, 6/25-26  
 4- द्रष्टव्य, वही 11/9  
 5- द्रष्टव्य वही, 11/10

प्रस्तुत करता है<sup>1</sup>। वैदर्भी आदि रीतियों का रसों में प्रयोग औचित्य के अनुरूप ही होना चाहिए। जैसे वैदर्भी और पांचाली का प्रेयस्, कृष्ण, भयानक तथा अद्भुत रसों में प्रयोग होना चाहिए एवं लाटोया और गौडीया का रौद्र रस<sup>2</sup> में। इस प्रकार रसों, अलंकारों रीतियों तथा वृत्तियों के सम्यक् प्रयोग की बात कह कर अनेकशः रूद्र औचित्य का ही प्राधान्य प्रतिपादित करते हैं। और ठीक भी है, औचित्य के बिना काव्य क्या? कहीं भी सौन्दर्यानुभूति नहीं हो सकती। रूद्र के इस औचित्यविषयक विवेचन से स्पष्ट है कि क्षेमेन्द्र का औचित्य सिद्धान्त के निरूपण में वस्तुतः कोई भी मौलिक चिन्तन विषयक योगदान नहीं है। आचार्य रूद्र ने जिनका नामना निर्देश कर दिया था उसी का उन्होंने सोदाहरण विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर दिया। यही उनका योगदान है। रूद्र के बाद काव्य में औचित्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा आनन्दवर्धन ने की। यहाँ तक कि उनका 'अनौचित्याद् ऋते नान्यद् रसभंगस्य कारणम्'<sup>4</sup> 'यद् कथन उनके परवर्ती आचार्यों के लिए 'उपनिषद्वाक्य' सिद्ध हुआ। उन्होंने वर्ण से लेकर प्रबन्धपर्यन्त औचित्य का सम्यक् निरूपण किया। उनके औचित्य निरूपण की विस्तार से विवेचना यहाँ अपेक्षित नहीं है। अधिक क्या कहा जाय, छोटे मोटे कवियों की बात तो दूर, महाकवियों का मुख्य कर्म ही उन्होंने रसादि विषय के अनुसार शब्द और अर्थ के औचित्य पूर्ण प्रयोग को स्वीकार किया है—

'वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्।

रसादिविषयेणैतत् कर्म मुख्यं महाकवेः'<sup>5</sup>

उनके द्वारा ही औचित्य की काव्य के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में स्थापना कर देनेके अनन्तर किसी भी परवर्ती आचार्य को उसका विरोध करने का साहस नहीं हुआ।

उनके बाद राजशेखर ने रूद्र की ही भाँति काव्य की जननी व्युत्पत्ति को उचित और अनुचित की विवेकरूप प्रतिपादित किया। साथ ही काव्यपाक का कारण रसोचित शब्दार्थ की सुन्दर उक्ति को स्वीकार कर आनन्दवर्धन को समर्थन दिया। - 'तस्माद्रसोचितशब्दार्थ—

सूक्तिनिबन्धनः पाकः।' आचार्य कुन्तक ने अपने बहोक्ति-सिद्धान्त में औचित्य को महनीय

1- रूद्र, काव्या011/14

2- वही 15/20

4- ध्वन्या0 पृ0330

5- वही, 3/32

6- का0मी0, पृ075

7- वही, पृ094

प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखा। उनकी वक्रता यदि काव्य का जीवित है तो वक्रता का प्राण है औचित्य। विना औचित्य के वक्रता सम्भव नहीं। इसके पूर्व कि कुन्तक की प्रत्येक वक्रताओं में औचित्य का विवेचन किया जाय उनके द्वारा स्वीकृत औचित्य गुण पर विचार प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य कुन्तक ने सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम तीन काव्य मार्गों एवं उनके विशिष्ट गुणों का निरूपण करने के अनन्तर तीनों के ही दो साधारण गुणों का निर्देश किया है, उनमें से एक है औचित्य। यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि कुन्तक के ये तीन मार्ग काव्य के त्रिविध स्वरूप के ही प्रतिनिधि हैं। अतः समस्त मार्गों का साधारण गुण कहने का आशय यह हुआ कि समस्त काव्यों का साधारण गुण है। इस औचित्य का प्रत्येक काव्य में होना अनिवार्य है। कुन्तक के अनुसार जिस उक्ति वैचित्र्य के द्वारा वस्तु के स्वभाव का उत्कृष्ट स्पष्ट ढंग से परिपोष को प्राप्त करता है और जिसका प्राण उचित कथन होता है उसे औचित्य कहते हैं। क्यों कि औचित्य के अनुरूप ही अलंकार अर्थात् वक्रोक्ति का विन्यास सौन्दर्य का संवहन करता है। साथ ही जहाँ पर वक्ता या प्रमाता के शोभातिशयो स्वभाव के द्वारा अभिधेय वस्तु आच्छादित हो जाता है वहाँ भी औचित्य ही होता है।<sup>2</sup> इनकी विस्तृत व्याख्या मार्ग-गुणविवेचन के प्रसंग में की जा चुकी है। इस प्रकार जहाँ आनन्द ने औचित्य की दृष्टि से प्रधानता रस को प्रदान की थी और औचित्य का विवेचन प्रधानतया रसकी दृष्टि से किया था वहाँ कुन्तक ने सर्वोपरि प्राधान्य 'स्वभाव' को दिया। वस्तुतः कुन्तक के इस स्वभावोचित्य में ही रस, गुण अलंकार सभी का औचित्य निहित है। काव्य का वर्णविषय प्रधानतः किसी वस्तु का स्वभाव ही होता है। कवि का परमकर्तव्य उसी वस्तुस्वभाव की सम्यक् परिपुष्टि करना होता है। वही स्वभाव वर्णन सरस, समुष्ण और सलंकार हुआ करता है। अतः उसी के औचित्य में काव्य के समग्र तत्त्वों का औचित्य निहित है। उस प्रस्तुत वस्तु को ही प्रतीति कभी रसपरिपोष से पेशल होती है कभी अलंकारपरिपोष से। जब वस्तु स्वभाव की प्रतीति रसपरिपोष से पेशल होती है उस समय उसकी रमणीय ढंग से प्रतिपत्तित विभावो, अनुभावो एवं व्यभि-

1- व. जी. 1/53 तथा ४८

2- वही . 1/54

चारिभावो के औचित्य से व्यतिरेकत किसी अन्य प्रकार के द्वारा सम्भव नहीं। कुन्तक का अत्यन्त स्पष्ट कथन है -

'रसपरिपोषे शलायाः प्रतीतेर्विभावानुभावव्यभिचार्यौचित्यव्यतिरेकेण प्रकारान्तरेण प्रतिपत्तिः प्रस्तुतशोभापरिहारकारितामावहति।' **व. जी. पृ. 136**  
कुन्तक ने इस गुण की पद वाक्य तथा प्रबन्ध दोनों में उनके समस्त अवयवों में व्यापक रूप से विद्यमानता स्वीकार की है। वाक्य के एकदेश में भी औचित्य का विरह हुआ नहीं कि उस वाक्य की सन्दर्भिता सहृदयाह्लादकारिता समाप्त हो जाती है। वक्रता का परम रहस्य अथवा उसका प्राण ही उचित कथन होता है। कुन्तक का कथन है -

'स्वभावस्याहजसेन प्रकारेण परिपोषणमेववक्रतायाः परं रहस्यम्, उचिताभिधान जीवितत्वाद्।' <sup>3</sup>  
अगर कहीं प्रबन्ध के एक प्रकरण के एकदेश में भी औचित्य का विरह हो जाता है तो वह प्रबन्ध उसी प्रकार दूषित हो जाता है जैसे कि केवल एक कोने में जला हुआ पूरा का पूरा कपड़ा जला हुआ दूषित कहा जाता है। <sup>4</sup> आचार्य कुन्तक ने काव्य के इस अनौचित्य का सूक्ष्म विवेचन महाकवि कालिदास के प्रबन्धों में, 'रघुवंश' (13/59 तथा 2/54) एवं 'कुमारसम्भव' (3/7) में, ही किया है। और विवेचन के अनन्तर कहा भी है -  
'एतच्चैतस्यैव कवेः सहजसौकुमार्यमुद्रितसूक्तिपरिस्पन्दसौन्दर्यस्य पर्यालोच्यते, न पुनरन्येषामाहार्यमात्रकाव्यकरणकौशलश्लाघिनाम्।' <sup>5</sup>

इस प्रकार कुन्तक के काव्यसाधारण औचित्य गुण के विवेचन से काव्य में औचित्य की सर्वोपरि महत्ता की सिद्धि होती है। अब यह दिखया जायगा कि कुन्तक के प्रत्येक वक्रता प्रकार में औचित्य का क्या स्थान है? <sup>1</sup> वैसे सामान्य रूप से वस्तुस्वभाव के उत्कर्ष-युक्त-कथन - वैचित्र्य-प्रकार को औचित्य प्रतिपादित कर देने से उसकी स्वतः सर्वत्र काव्य में सत्ता सिद्ध हो जाती है क्योंकि काव्य का वर्णविषय मुख्यतः वस्तुस्वभाव ही होता है फिर भी कुन्तक ने प्रायः प्रत्येक वक्रता प्रकार में औचित्य का स्पष्ट उल्लेख किया है।

- 
- 1- व. जी. 1/57 तथा वृत्ति  
2- वही पृ० 76  
3- वही पृ० 76  
4- वही पृ० 76  
5- वही पृ० 77

(1) वर्णविन्यासवक्रता और औचित्य — वर्णविन्यास वक्रता को प्रस्तुत करने में उन्हीं वर्णों का विन्यास समर्थ होता है जो कि प्रस्तुत पदार्थ के औचित्य से सुशोभित होने वाले होते हैं। केवल सदृश वर्णों की आसक्ति मात्र से उपनिबद्ध किए जाने वाले प्रस्तुत पदार्थ के औचित्य को म्लान करने वाले वर्णों के विन्यास से वक्रता की सृष्टि नहीं होती। इसलिए कुन्तक ने स्पष्ट प्रतिपादित किया कि वर्णविन्यास अत्यन्त निर्बन्ध अर्थात् अत्यधिक आसक्तिवश विरचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रस्तुत औचित्य की हानि होती है जिससे कि शब्द और अर्थ का परस्परस्पर्धा रूप साहित्य सम्बन्ध नहीं हो पाता।<sup>1</sup> कुन्तक के यमक रूप वर्णविन्यास का वक्रत्व वही स्वीकार किया है जहाँ कि उसके विद्यमान रहने पर भी वस्तु के स्वभावोत्कर्ष की हानि नहीं होती। यही वस्तु का स्वभावोत्कर्ष ही औचित्य है — 'औचित्यं वस्तुनः स्वभावोत्कर्षः'।<sup>2</sup>

(2) पदपूर्वार्धवक्रता और औचित्य— (क) इसके एक प्रभेद 'विशेषणवक्रता' के विषय में कुन्तक कहते हैं कि प्रस्तुत के औचित्य का अनुसरण करने वाली यही विशेषणवक्रता समस्त सत्काव्यों की जीवितभूत परलक्षित होती है क्योंकि रस इसी से परेपोष की पराकाष्ठा पर पहुँचाया जाता है।<sup>3</sup>

(ख) पदमध्यवर्ति प्रत्यय वक्रता को तभी प्रस्तुत करता है जब कि वह अपने उत्कर्ष से प्रस्तुत पदार्थ के औचित्य की उपशोभा को समुल्लासित करता है।<sup>4</sup>

(ग) अव्ययीभाव प्रमुख वृत्तियाँ वक्रता को तभी प्रस्तुत करती हैं जब कि समुचित भित्ति पर उपनिबद्ध होनेके कारण उनका परिस्पन्दसौन्दर्य अभिव्यक्त हो उठता है।<sup>5</sup>

(घ) अनेकों लिंगों के सम्भव होने पर भी किसी विशिष्ट लिंग का प्रयोग वक्रता को उसी समय प्रस्तुत करता है जब कि वह वर्णविन्यय वर्णमान पदार्थ के औचित्य के अनुसार होता है।<sup>6</sup>

(ङ) क्रियाओं का वैचित्र्य प्रस्तुत पदार्थ के औचित्य से रमणीय होने पर ही पञ्चावध वक्रताओं को प्रस्तुत करने में समर्थ होता है।<sup>7</sup>

(3) पदपरार्धवक्रता और औचित्य— (क) इसके प्रथम प्रकार 'कालवैचित्र्य' वक्रता का ही आधार है वर्तमानादि कालों का वर्णमान पदार्थ के औचित्य का अन्तरंग होना। क्योंकि उसका अन्तरंग होने पर ही वह उसके उत्कर्ष को उत्पन्न कर सकता है।<sup>8</sup>

(ख) आत्मने पद अथवा परस्मैपद में से किसी एक का वर्णमानपदार्थ के औचित्य का

1- व. जी. पृ० 84  
2- वही, पृ० 87  
3- वही, पृ० 105

4- वही, पृ० 109  
5- वही, पृ० 111  
6- वही, पृ० 2/23 तथा वृत्ति

7- वही, 4/24-25 तथा वृत्ति  
8- वही 2/26

आश्रयण कर किया गया प्रयोग ही उपग्रहवक्रता को प्रस्तुत करता है।<sup>1</sup>

(4) वाक्यवक्रता और औचित्य- वाक्यवक्रता के अन्तर्गत मुख्य तथा कुन्तक ने वस्तुवक्रता और अलंकारवक्रता का निरूपण किया है। उनका स्पष्ट कथन है—

'वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिद्यते यः सहस्रधा।

यत्रालंकारवर्गोऽसौ सर्वोऽप्यन्तर्भविष्यति।।<sup>2</sup>

अलंकारों के विषय में उनका स्पष्ट कथन है कि रूपकादि अलंकारों की योजना सदैव वर्णनीय पदार्थ के औचित्य के अनुसार होनी चाहिए। और वह वर्णनीय वस्तु भी अपने अत्यन्त रमणीय स्वाभाविक धर्म से युक्त होनी चाहिए—'यस्मादत्यन्तरमणीयस्वाभाविकधर्मयुक्तं वस्तु परिग्रहणीयम्। तथाविधस्यतस्य यथायोगमौचित्यानुसारेण रूपकाद्यलंकारयोजनया भवितव्यम्।'<sup>3</sup>

कुन्तक ने तृतीय उन्मेष में काव्य की वर्णनीय वस्तु का जो विषय विभाग, प्रदर्शित किया है, उसका मुख्य आधार ही स्वभाव का औचित्य है। स्वभाव के औचित्य का आशय है प्रस्ताव का उपयोगी दोषराहित्य क्योंकि तद्विवाहलाद उसी से सम्भव होता है।<sup>4</sup>

(5) प्रकरणवक्रता तथा औचित्य- (क) कुन्तक की द्वितीय प्रकरणवक्रता जिसमें इतिवृत्त की कथा में परिवर्तन का निर्देश किया गया है मूलतः औचित्य पर आधारित है। कवि कथा में परिवर्तन औचित्य का परिहार करनेके लिए ही करता है। कुन्तक ने लक्षण कारिका 'उत्पाद्य लवलावण्यात्' की द्विधा व्याख्या करते हुए इसे अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है—  
'उत्पाद्य लवलावण्यादिति द्विधा व्याख्येयम्। क्वचिदसदेवोत्पाद्यमथवा आहृतम्, क्वचिदौचित्यत्यक्तं सदप्यन्यथा सम्पाद्य सहृदयहृदयाह्लादनाय।'<sup>5</sup>

(ख) तृतीय प्रकरणवक्रता का निरूपण करते हुए कुन्तक ने बताया कि वह प्रकरण कवि के अभिनववक्रतारहस्य को प्रस्तुत करता है, परन्तु किस कवि के जो वर्ण्यमान पदार्थ के औचित्य को रमणीय ढंग से प्रस्तुत करने में अत्यन्त कुशल होता है—'प्रस्तुतौचित्यचारु-रचनाविचक्षणस्येति यावत्।'<sup>6</sup>

(ग) चतुर्थ प्रकरणवक्रता भी वही होती है जहाँ सर्वथा अभिनव ढंग से उल्लिखित रसों एवं अलंकारों से शोभायमान एक पदार्थस्वरूप वर्ण्यमान के औचित्य की रमणीय रचना का विषय बनता हुआ बार बार उपनिबद्ध किया जाता है।<sup>7</sup>

(6) प्रबन्धवक्रता और औचित्य- प्रबन्धवक्रता के प्रकारों में यद्यपि कुन्तक ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में औचित्य का प्रतिपादन तो नहीं किया किन्तु उनके विवेचन से स्पष्ट है कि उन वक्रताओं का आधार औचित्य ही है। प्रथम वक्रता प्रकार का रसपरिवर्तन औचित्य पर

1- द्रष्टव्य, व. जी. 2/31

2- वही, 1/20

3- वही, पृ० 135

4- वही, पृ० 144

5- वही, पृ० 225

6- वही, पृ० 225

7- वही, 4/7-8 तथा वृत्ति

ही आधारित है । द्वितीय वक्रताप्रकार में निर्दिष्ट कथा का इतिवृत्त के एकदेश से ही समापन औचित्य का ही प्रतिपादन करता है। यहाँ तक कि उस कथासमापन करने वाले काँव के विषय में वे स्पष्ट ही कहते हैं कि वह औचित्य मार्ग के प्रभेदों में निपुण होता है—'सुकविः औचित्य पद्धतिप्रभेदचतुरः'।<sup>1</sup> इसी प्रकार कुन्तक के अन्यप्रबन्धवक्रता प्रकारों में औचित्य की कल्पना निर्दिष्ट है। कुन्तक ने प्रबन्धवक्रताका पंचमप्रकार वही स्वीकार किया है जहाँ पर काव्य-वस्तु के वैदग्ध्य की बात तो दूर रहती है केवल प्रबन्ध के प्रधान कथानक के चिह्नभूषण नाम के द्वारा भी कवि वक्रता को प्रस्तुत कर देता है । डा० नगेन्द्र आचार्य कुन्तक की इस प्रबन्धवक्रता<sup>में</sup> क्षेमेन्द्र के नामौचित्य का संकेत मानते हैं। वे कहते हैं 'और पंचम भेद में क्षेमेन्द्र के नामौचित्य का संकेत है'<sup>2</sup> निश्चित ही केवल नाम-साम्य के आधार पर डा० साहब द्वारा अनेकों स्थलों<sup>पर</sup> उद्धावित की गई यह साम्य-कल्पना उचित नहीं प्रतीत होती। क्या डा० साहब इस साम्य को स्थापित कर यह कहना चाहते हैं कि- हयग्रीववध, शिशुपालवध, पाण्डवाभ्युदय, रामानन्द और रामचरित आदि नाम अनुचित हैं ? केवल अभिज्ञान-शाकुन्तल, मुद्राराक्षस, प्रतिमानिरुद्ध, मायापुष्पक, कूटयारावण, छलितराम, पुष्पदूषितक, आदि नाम ही उचित हैं ? यदि ऐसा वे स्वीकार करते हैं तो निश्चित ही यह 'केवल उनका ही' अभिमत हो सकता है, आचार्य कुन्तक का नहीं। आचार्य कुन्तक 'अभिज्ञानशाकुन्तल' आदि प्रबन्धों का एक अतिरिक्त सौन्दर्य प्रस्तुत करते हैं, जो कि उनकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति का परिचायक है, न कि हयग्रीववध आदि प्रबन्धों में वे दोष या अनौचित्य दिखता चाहते हैं। इसी लिए कारिका में प्रयुक्त 'अपि' शब्द की वे वृत्ति में व्याख्या करते हैं कि - 'अपि शब्दो विस्मयमुद्द्योतयति'<sup>3</sup> अर्थात् समग्र प्रबन्ध का सौन्दर्य केवल उसके 'नाम' से भी व्यक्त किया जा सकता है, यह विस्मय का द्योतक नहीं तो और क्या है ? साथ ही यदि 'नामौचित्य' की प्रेरणा क्षेमेन्द्र को कुन्तक के इस प्रबन्ध-वक्रता-विवेचन से मिली होती तो निश्चित ही वे ऐसा कोई न कोई उदाहरण पक्ष अथवा विपक्ष का प्रस्तुत करते। अतः निश्चित<sup>ही</sup> विद्वानों द्वारा ऐसे साम्य-स्थापन पाठकों में भ्रान्त धारणा उत्पन्न करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुन्तक की वर्ण से लेकर प्रबन्धपर्यन्त प्राप्त होने वाली वक्रताओं का प्राण औचित्य है। बिना औचित्य के वक्रता ही ही नहीं

1- व. जी. पृ० 239

2- भा० का० भू० (भाग 2) पृ० 394

3- व. जी. : पृ० 243

सकती । काव्य का कौशल उन्हीं वक्रताप्रकारों को उत्तेजित करने में समर्थ होता है जो औचित्य गुण से सुशोभित होने वाले होते हैं —

'वक्रतायाः प्रकाराणामौचित्यगुणशालिनम् ।

एतदुत्तेजनायालं स्वस्यन्दमहतामपि ॥' ।

यही नहीं जिस काव्य का प्रयोजन ही व्यवहार करने वाली को नूतन औचित्य से युक्त व्यवहार व्यापार के सौन्दर्य की प्राप्ति कराना है उसमें अनौचित्य का समावेश कैसे। औचित्य ही उसका प्राण होता है। इस प्रकार निश्चित ही वक्रतासिद्धान्त औचित्य को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करता है क्योंकि जिस वक्रता को वह काव्य का जीवित स्वीकार करता है उस वक्रता का ही जीविभूत है औचित्य ।

---

1. व. जी. 3/23



### वक्रोक्ति एवं ध्वनि-सिद्धान्त

संस्कृत काव्यशास्त्र का सर्वप्रसिद्ध एवं प्रायः सर्वमान्य सिद्धान्त ध्वनिसिद्धान्त है। ध्वनिसिद्धान्त का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य ध्वनिकार एवं आनन्दवर्धन है। इस सिद्धान्त की प्रबलप्रतिष्ठा आगे चल कर आचार्य अभिनवगुप्त तथा मम्मट के द्वारा हुई। ध्वनिकार ने काव्य की आत्मा ध्वनि को स्वीकार किया है। ध्वनि की स्थापना करने के पूर्व उन्होने इसके तीन विरोधियों का उल्लेख किया है—

(1) अभाववादी - जो कि ध्वनि को या तो रमणीयता का हेतु ही नहीं मानते और यदि यथाकथंचित् मानते भी है तो उसका गुणो, अलंकारों रीतियों एवं वृत्तियों में ही अन्तर्भाव कर लेते हैं।<sup>3</sup>

(2) भक्तिवादी - जिनके अनुसार ध्वनि गुणवृत्ति अथवा लक्षण में अन्तर्भूत है। आनन्दवर्धन ने स्पष्ट निरूपण किया है कि यद्यपि किसी भी आचार्य ने स्पष्ट रूप से ध्वनि शब्द का उच्चारण कर न तो गुणवृत्ति को ही प्रकाशित किया है और न दूसरा ही कोई प्रकार बताया मन्त है फिर भी काव्यों में अमुख्य वृत्ति से व्यवहार दिखाते हुए ध्वनिमार्ग का कुछ स्पर्श किया अवश्य था लेकिन स्पष्ट रूप से लक्षित नहीं किया था अतः उन्हें भक्तिवादी कहा गया है।<sup>4</sup>

(3) अनिर्वचनीयतावादी - जो कि ध्वनि तत्त्व को अनिर्वचनीय केवल सहृदयहृदय संवेद्य मानते हैं।<sup>5</sup>

आचार्य आनन्दवर्धन ने वृत्ति में इन तीनों ही प्रकार के ध्वनिविरोधी आचार्यों में से किसीका भी नामोल्लेख नहीं किया। जैसा त्रिविध विभाजन ऊपर प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार पहले अभाववादी अभिधावादियों के अन्तर्गत आवेगें और दूसरे उनसे कुछ आगे बढ़े हुए लक्षणावादी हैं ही। वस्तुतः ध्वनिसिद्धान्त की महत्ता अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य वृत्तियों से भिन्न व्यंजना वृत्ति की स्थापना में है।

1- ध्वन्यालोक कारिका एवं वृत्ति के रचयिताओं की विभिन्नता अथवा एकता के

विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं है। इसी लिए दोनों का अलग अलग

उल्लेख किया जा रहा है। वैसे ध्वनिसिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला आद्य ग्रन्थ ध्वन्यालोक ही है जो ध्वनिकारिका और उस पर आनन्दवर्धन द्वारा लिखित वृत्ति का सम्मिलित नाम है।

2- ध्व 1/1 (2) द्रष्टव्य वही, पृ० 10-27

4- द्रष्टव्य वही, पृ० 31-32 (5) वही, पृ० 33

ध्वनिसिद्धान्त की स्थापना के पहले व्यंजना वृत्ति का कोई अस्तित्व नहीं था। यद्यपि व्यंग्य अथवा प्रतीयमान अर्थ ~~के~~ ध्वनिकार या आनन्दवर्धन के पूर्ववर्ती आचार्य अनाभिज्ञ<sup>1</sup> थे। इस विषय में पण्डितराज का कथन अत्यन्त ही समीचीन है। 'ध्वनिकारात् प्राचीनैर्भामहैर्द्भटप्रभृतिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभूतव्यंग्यादिशब्दा न प्रयुक्ता इत्येतावतैव तैर्ध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याहुः कानां वाचोयुक्तिरयुक्तैव। यतः समासोक्तिव्याजस्तुत्यप्रस्तुत-प्रशंसाद्यलंकारनिरूपणेन क्रियन्तोपि गुणीभूतव्यंग्यभेदास्तैरपि निरूपिताः। अपरश्च सर्वोऽपि व्यंग्य-प्रपंचः पर्यायोक्तकुक्षौ निक्षिप्तः। न ह्यनुभवसिद्धीर्थां बालेनाप्यपहनोतुं शक्यते। ध्वन्यादि-शब्दैः परं व्यवहारो न कृतः, न ह्येतावतानंगीकारो भवति।' यही नहीं स्वयं आनन्दवर्धन ने यह स्वीकार किया है कि रूपकादि की प्रतीयमानता का प्रतिपादन मट्ट उद्भट आदि ने कर रखा था। 'अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलंकारः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया बाहु-ल्येन प्रदर्शितस्तत्र भवद्भिर्मट्टोद्भटादिभिः<sup>2</sup>।' ध्वनिसिद्धान्त की स्थापना के अनन्तर भी जितने इसके विरोधी आचार्य हुए हैं उन्होंने प्रतीयमान अर्थ की सत्ता का अपलाप नहीं किया बल्कि ध्वनिवादियों की व्यंजना वृत्ति का तिरस्कार किया है और उसका अनुमान, अभिधा, लक्षणा अथवा तात्पर्य शक्ति में अन्तर्भाव करने का प्रयास किया है।

कुन्तक को ध्वनिविरोधी अभिधावादी अथवा भक्तिवादी कहने वाले आचार्यों एवं विद्वानों के अभिमतों तथा युक्तियों का निराकरण :—

प्रायः विद्वानों ने महिममट्ट तथा धनञ्जय आदि के साथ साथ आचार्य कुन्तक को भी ध्वनिविरोधी आचार्य कहा है। डा० देशपाण्डे का कथन है कि— 'ध्वनि के विरोधक भी केवल इतना ही कहते हैं कि व्यंजना व्यापार की स्वतंत्र सत्ता मानने का कोई प्रयोजन नहीं। व्यंजना का अन्तर्भाव अभिधा, लक्षण, तात्पर्य या अनुमान में ही होता है।' उन्होंने महिममट्ट आदि के साथ कुन्तक को भी ध्वनि-विरोधक के रूप में प्रस्तुत किया है— 'मुकुल, भट्टनायक, कुन्तक, धनञ्जय, महिममट्ट, भोज आदि ध्वनि के विरोधक इसी काल में हुए हैं।'<sup>4</sup> लेकिन डा० साहब ने कहीं भी इस बात का सुस्पष्ट उल्लेख नहीं किया कि कुन्तक अभिधावा

1- रसगंगाधर, पृ० 658-659

2- ध्वन्या० पृ० 258

3- भा० सा० शा०, पृ० 148\*

4- वही, पृ० 117

ये या कि लक्षणावादी अथवा तात्पर्यवादी। उन्हो ने यह अवश्य कहा है कि-  
 'कुन्तक ध्वनि को वक्रोक्ति का ही भेद मानते थे ×× वे ध्वनि को अर्थवक्रता का  
 ही एक भेद मानते है।' परन्तु इतने से ही कुन्तक को ध्वनि का विरोधक कहना  
 समीचीन नही प्रतीत होता जब तक कि उनकी वक्रोक्ति को अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य  
 या अनुमिति न सिद्ध कर दिया जाय। साथ ही केवल इस आधार को लेकर कि  
 'ध्वनि को कुन्तक ने वक्रोक्ति के एक भेद रूप<sup>में</sup> प्रस्तुत किया है अतः वे ध्वनिविरोधी  
 है ऐसा स्वीकार करने का आशय स्वयं ध्वनिवादियों को भी रस का विरोधी स्वीकार  
 करना होगा, क्योंकि ध्वनिवादी भी रसादि को ध्वनि के एक भेद रूप में ही प्रस्तुत  
 करते है। अतः यदि डा० साहब ध्वनिवादियों को रसविरोधी स्वीकार करनेके लिए तैयार  
 हो तो कुन्तक को भी ध्वनिविरोधी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। इसके अतिरिक्त  
 अन्य अनेक आधुनिक विद्वानों ने भी कुन्तक को ध्वनिविरोधी आचार्य ही स्वीकार किया  
 है। कुछ लोगों ने उन्हें भक्तिवादी स्वीकार किया है तो कुछ लोगों ने अभिधावादी।  
 कुन्तक को पूर्णतया भक्तिवादी स्वीकार करने वाले विद्वानों में प्रमुख है डा० हरिचन्द्र  
 शास्त्री<sup>2</sup>। उनका कहना है कि कुन्तक का वक्रोक्तिवाद ही भक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध  
 है। इसके विपरीत कुन्तक को अभिधावादी मानने वालों में प्रमुख है पं० बलदेव उपाध्याय  
 डा० नगेन्द्र तथा डा० भोलानाथ शंकर व्यास। उपाध्यायजी का कहना है कि -, कुन्तक  
 अभिधावादी आचार्य है परन्तु उनकी अभिधा शब्दों का शक्तिरूप आद्य एकदेशीय  
 व्यापार नहीं है, प्रत्युत उनकी अभिधा के भीतर लक्षणा तथा व्यंजना का समग्र  
 संसार विराजमान है।<sup>3</sup> डा० नगेन्द्र का कथन है- 'कुन्तक मूलतः अभिधावादी है-  
 उन्हो ने अपनी वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा ही माना है। परन्तु उन्हो ने लक्षणा और  
 व्यंजना की स्थिति का निरीक्षण नहीं किया। वास्तव में इन दोनों को उन्होने अभिधा

1- भा. सा. शा. पृ० 120

2- शास्त्री जी ने अपने इस मन्तव्य का प्रतिपादन 'Kalidasa et l' Art Poétique  
 de l'Inde (pp. 96-7) पर किया है। उनके विषय में डा० कृष्णामूर्ति का कथन द्रष्टव्य

है - "Dr. Harichand Sastri states that the system of Vakrokti  
 as propounded by Kuntaka, is also known as the system  
 of Bhakti." — Indian Culture, Vol. XV. P. 173.

3- भा. सा. शा. भाग, 2, पृ० 382 477

का ही विस्तार माना है, अभिधा के गर्भ में ही इन दोनों की स्थिति उन्हें मान्य है<sup>1</sup>। डा० व्यास का कथन है- 'तीसरे अभिधावादी कुन्तक है। कुन्तक स्पष्ट रूप से कहे भी लक्षणा का निषेध नहीं करते। किन्तु उनके अभिधावादी मत का संकेत वही टूटा जा सकता है जहाँ वे वक्रोक्ति को 'विचित्रा अभिधा' ही मानते हैं।'<sup>2</sup> अब विचार यह करना है कि ऊपर उद्धृत किए गए अनेक विद्वानों के मत कहीं तक समीचीन हैं। वस्तुतः कुन्तक को भक्तिवादी कहने वाली का आधार राजानक स्यक का यह कथन है कि कुन्तक ने उपचारवक्रता आदि के द्वारा समस्त ध्वनि प्रपंच को स्वीकार कर लिया है- 'उपचारवक्रतादिभिः समस्तो ध्वनिप्रपंचः स्वीकृतः'<sup>3</sup> राजानक स्यक द्वारा उपचारवक्रता के साथ प्रयुक्त 'आदि' शब्द क्या अर्थ रखता है? वह कितना व्यापक है? कुछ भी कह सकना कठिन है। उनके टीकाकार जयप्रथ ने इस 'आदि' शब्द की कोई व्याख्या प्रस्तुत करने का कष्ट नहीं उठाया। दूसरे टीकाकार समुद्रबन्ध ने 'आदि' के द्वारा 'विशेषणवक्रता' आदि का ग्रहण किया है।- 'आदि- शब्देन विशेषणवक्रतादयः गृह्यन्ते।'<sup>4</sup> परन्तु स्पष्ट ही इनकी व्याख्या में भी 'आदि' शब्द एक पहली ही बना हुआ है। उदाहरण देते समय समुद्रबन्ध ने विशेषणवक्रता के साथ ही 'संवृत्तिवक्रता' को भी उद्धृत किया है। कुन्तक के वक्रता विवेचन में भी उपचारवक्रता के अनन्तर क्रमशः विशेषण और संवृत्तिवक्रताओं का निरूपण है। अब यदि स्यक के कथन का यह आशय स्वीकार किया जाय कि उपचार वक्रता के बाद वर्णित सभी वक्रताओं में ध्वनिप्रपंच की स्वीकृति है तो भी उनके उक्त कथन की संगति नहीं बैठती क्योंकि उससे पहले 'रूढिवैचित्र्यवक्रता' और 'पर्यायवक्रता' का निरूपण है जिनमें ध्वनि के कुछ प्रभेदों का निश्चित ही अन्तर्भाव है। यही तक कि पर्यायवक्रता के तृतीय प्रकार का निरूपण करने के अनन्तर स्वयं कुन्तक का यह स्पष्ट कथन है कि 'यही शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्य पदध्वनि अथवा वाक्यध्वनि का विज्ञेय है।'—'एष एव च शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्यस्य पदध्वनेर्द्विषयः, बहुषु चैवविधेषु सत्सु वाक्यध्वनेर्वा।'<sup>5</sup> अतः राजानक स्यक का यह कथन स्वयं ही अनिश्चित एवं प्रमात्मक है।

1. भा. टी. अ. भाग 2, पृ. 382

1- ध्वनिसम्प्रदाय, भाग, 1, पृ० 135

2- अलं. स०, पृ० 10

3- समुद्रबन्ध, पृ० 9

4- व. जी. पृ० 95

5- विमर्शनी पृ० 9

राजानक जयरथ ने वक्रोक्तिजीवितकार'के मत की व्याख्या करने से पूर्व भूमिका रूप में कहा है कि 'जो अन्य लोगो ने ध्वनि को भक्ति में अन्तर्भूत किया है उसे दिखाने के लिए कहा वक्रोक्ति इत्यादि'। 'इदानी यदप्यन्येस्य भक्त्यन्तर्भूतत्वमुक्तं तदपि दशप्रियतुमाहवक्रोक्तीत्यादि। और अन्त में कहते हैं— तदित्ये लक्षणामूलवक्रोक्तिमध्यान्त—<sup>2</sup>र्भावात् ध्वनेरेव तत्त्वं प्रतिपादितम्।' स्पष्ट ही जयरथ का उक्त विवेचन कुन्तक को भक्तिवादी सिद्ध करने के प्रयास में उपहासास्पद हो उठा है। क्या उनके विवेचन से यह आशय नहीं ध्वनित होता कि ध्वनि का अन्तर्भाव केवल उपचार वक्रता में है ? निश्चित ही समुद्रबन्ध की व्याख्या यही इनकी व्याख्या की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण एवं उपयुक्त है। कुछ भी हो समुद्रबन्ध का प्रयास स्थक के कथन को अधिक सुस्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करने का है जब कि जयरथ की व्याख्या स्वयं उनके द्वारा प्रयुक्त 'आदि' शब्द को कोई महत्त्व नहीं प्रदान करती। और ग्रन्थकार के आशय को भी व्यक्त करने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध होती है। इसी राजानक जयरथ की ही व्याख्या का स्पष्ट प्रभाव विद्याधर पर पड़ा है जिससे कि विना वक्रोक्तिजीवित देखे और विना वक्रोक्तिसिद्धान्त के सम्बन्ध में कुछ विचार किए गतानुगतिकतावश आचार्य विद्याधर आँख मूंद कर एक ही वाक्य में कुन्तक के वक्रोक्तिसिद्धान्त का काम तमाम कर जाते हैं और वह कह उठते हैं कि—

'एतेन यत्र कुन्तकेन भक्तावन्तर्भावितो ध्वनिस्तदपि प्रत्याख्यातम्।'<sup>3</sup>

लेकिन उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कुन्तक के विषय में इन सारे के सारे आचार्यों एवं विद्वानों के कथन सर्वथा असमीचीन है। ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि ध्वनि कार की 'भाक्त-माहुस्तमन्ये'की व्याख्या में आनन्दवर्धन ने यह कहा है कि यद्यपि किसी भी आचार्य ने स्वरूप से ध्वनि शब्द का उच्चारण कर न तो गुणवृत्ति को ही प्रकाशित किया है और न दूसरा ही कोई प्रकार बताया है फिर भी काव्यों में अमुद्ध-वृत्ति से व्यवहार दिखाते हुए ध्वनि मार्ग का कुछ स्पर्श अवश्य किया था ही उसे

1- विमोर्शिनी, पृ० 9

2- वही, पृ० 10

3- एकावली, पृ० 51

स्पष्टरूप से लक्षित नहीं किया था अतः उन्हें भक्तिवादी कहा गया है। आनन्दवर्धन के इस कथन को व्याख्या करते हुए अभिनव ने अत्यन्त स्पष्ट ढंग से काव्य में अमुख्य वृत्ति से व्यवहार दिखाने वाले आचार्यों में भट्ट उद्भट तथा वामन का नामोल्लेख किया है—

'दर्शयतेति -भट्टोद्भटवामनादिना। भामहेनोक्तम्-शब्दाश्छन्दोऽभिधानार्थाः' इति। अभिधानस्य शब्दाद् भेदं व्याख्यातुं भट्टोद्भटो बभाषेशब्दानामभिधानमभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्चेति। वामनेऽपि 'सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः' इति।<sup>2</sup> इस प्रकार स्पष्ट ही अभिनव की दृष्टि में उद्भट और वामन भक्तिवादी हैं। आचार्य अभिनव के इस उद्धरण को प्रस्तुत कर देने के बाद विद्वानों के समक्ष यह स्पष्ट हो जाता है कि डा० भोला-शंकर व्यास के -'अभिनव गुप्त भी लोचन में भक्तवादियों (लक्षणावादियों) का उल्लेख करते हैं किन्तु किसी आचार्य का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं करते।<sup>3</sup> इस कथन में कहीं तक सार और सत्यता है ? द्वितीय अध्याय में कुन्तक का कालनिर्णय करते हुए जैसा कि सिद्ध किया जा चुका है आचार्य अभिनव आचार्य कुन्तक तथा उनके वक्रोक्तिसिद्धान्त से भलीभाँति परिचित थे। यदि कुन्तक उनकी दृष्टि में भक्तिवादी होते तो निश्चित ही वे अभिनव के आक्षेप के शिकार बनते। वस्तुतः कुन्तक को भक्तिवादी स्वीकार करना ही बहुत बड़ी भूल है। कुन्तक को भक्तिवादी तभी स्वीकार किया जा सकता है जब कि वे केवल उपचारवक्रता अथवा क्रियावैचित्र्यवक्रता के चतुर्थ प्रकार 'उपचार मनोज्ञता' के अन्तर्गत ही समग्र ध्वनि का अन्तर्भाव कर देते। क्योंकि कुन्तक ने उपचार मुख्यतः इन्हीं दो वक्रता प्रकारों में प्रदर्शित किया है। अथवा उपचारवक्रता के अतिरिक्त अन्य पर्यायवक्रता आदि प्रभेदों में ध्वनिप्रभेदों का अन्तर्भाव न करते। चूँकि ये दोनों ही बातें कुन्तक के ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होती अतः उन्हें भक्तिवादी कहना नितान्त भ्रमपूर्ण एवं असमीचीन है। डा० डे ने यद्यपि डा० हरिचन्द्र शास्त्री के मन्तव्य को अनुचित बताया है फिर भी अपने विवेचन में उन्होने कुन्तक को जिस ढंग से भक्तिवादी सिद्ध करने का प्रयास

1- 'यद्यपि च ध्वनिशब्दसंकीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्युगवृत्तिरन्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः तथापि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि न लक्षित इति परिकल्पयैवमुक्तम्' 'भक्तमाहुस्तमन्ये' इति।

2- लोचन, पृ० 32

3- ध्वनि सम्प्रदाय, भाग 1, पृ० 276

किया है उसका बड़े ही विवेकपूर्ण एवं तर्कसम्मत ढंग से डा० कृष्णामूर्ति ने खण्डन कर दिया है।<sup>2</sup> अतः यहाँ विष्णुप्रेषण उचित नहीं। जयरथ और विद्याधर के कथनों की आलोचना करते हुए म. म. काणे भी यह प्रतिपादित करते हैं कि कुन्तक को भक्तिवादी कहना ठीक नहीं।<sup>3</sup> इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि आचार्य कुन्तक ध्वनि के विरोधक भक्तिवादी नहीं हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक विद्वानों के इस भ्रम का मूल राजानक रूयक का भ्रमपूर्ण कथन एवं उस कथन की राजनक जयरथ द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपयुक्त एवं अवास्तविक व्याख्या तथा गतानुगतिका-वश उन्हीं का विद्याधर द्वारा किया गया अनुकरण है।

अब उन आधुनिक विद्वानों के अभिमत पर विचार करना है। जो कि कुन्तक को अभिधावादी स्वीकार करते हैं। इन विद्वानों के भ्रम का मूल स्वयं आचार्य कुन्तक का—

'वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा'<sup>4</sup>— कथन है। इन विद्वानों ने अभिधा का अर्थ यहाँ अभिधा शक्ति मान रखा है। जो उक्त कथन के प्रसंग को देखते हुए सर्वथा असमीचीन है। वस्तुतः अभिधा का आशय यहाँ अभिधा शक्ति नहीं है बल्कि उसका अर्थ है केवल 'कथन'। उसे कुन्तक ने 'उक्ति' के पर्याय रूप में प्रस्तुत किया है और 'उक्ति' का अर्थ यहाँ अभिधा शक्ति नहीं बल्कि 'कथन' या 'प्रतिपादन' है। 'वक्रोक्ति' में दो पदों का समास हुआ है— वक्रा - उक्तिः का। इसलिए 'वक्रोक्ति' पद की पदच्छेद पूर्ण व्याख्या करते हुए कुन्तक ने 'वक्रा' का पर्याय 'प्रसिद्ध कथन से व्यतिरेकी विचित्र ही' (प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैव) प्रस्तुत किया तथा उक्ति का पर्याय 'कथन' (या अभिधा) दिया। स्पष्ट ही यहाँ अभिधा का अर्थ अभिधा शक्ति नहीं बल्कि अभिधान या कथन है। इस प्रकार वक्रोक्ति का अर्थ हुआ 'प्रसिद्ध कथन से व्यतिरेकी विचित्र ही कथन'। और इसीलिए उसी प्रसंग में वे 'वैदग्ध्यमगोभणिति' में आये हुए 'मणिति' के भी पर्याय रूप में पुनः 'अभिधा' शब्द का ही प्रयोग करते हैं—

1- द्रष्टव्य, Introduction to V.J., p. Xliii

2- द्रष्टव्य, Indian Culture, Vol. XV pp. 174-176.

3- "But this is not accurate, as the discussion about the Vakrokti - School in the 2nd Part will show." - H.S.P., p. 233.

यद्यपि म. म. जी ने इस विषय में द्वितीय भाग में कोई स्पष्ट विवेचन नहीं किया।

4- व. जी. पृ० 22

वैदग्ध्यं विदग्धभावः कवि कर्मकौशलं तस्य भंगी विच्छित्तः तथा भणितिः विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते। इस प्रकार कुन्तक ने इस स्थल पर 'अभिधा' शब्द का प्रयोग भणिति अर्थात् उक्ति, अभिधान अथवा कथन के पर्याय रूप में किया है शब्द की वाचक शक्ति अभिधा के लिए नहीं। इसे कुन्तक और भी स्पष्ट कर देते हैं जब वे कहते हैं कि-  
 "यहाँ कहने का अभिप्राय यह है - कि अलग स्थित शब्द और अर्थ किसी भी व्यक्तिके व्यतिरिक्त अलंकार से युक्त किए जाते हैं लेकिन वक्रता वैचित्र्य से युक्त रूप इनका कथन ही इनका अलंकार होता है क्योंकि वही शोभातिशय को उत्पन्न करता है।"

'तदिदमत्र तात्पर्यं - यत् शब्दार्थौ पृथगवस्थितौ केनापि व्यतिस्कितेनालंकरणेन योज्येते, किन्तु वक्रतावैचित्र्ययोगितयाऽभिधानमेवानयोरलंकारः तस्यैव शोभातिशयकारित्वात्।' स्पष्ट ही कुन्तक ने यहाँ उक्ति, भणिति या अभिधा के स्थान पर ही अभिधान शब्द का प्रयोग किया है जो कि शब्द की वाचक शक्ति का बोधक नहीं है। यही नहीं कुन्तक ने अन्य स्थलो पर भी जहाँ अभिधा शब्द का प्रयोग किया है वह कथन, प्रतिपादन या उक्ति के अर्थ में ही है, अभिधा शक्ति के पर्याय रूप में नहीं। उदाहरणार्थ वाक्यवक्रता का स्वरूप-निरूपण करते हुए लक्षण-कारिका में प्रयुक्त 'तथाभिहितजीवितम्' पद, अर्थात् 'उस अनिर्वचनीय ढंग से कथन या प्रतिपादन ही जिसका प्राण है वैसा कविकौशल ही वाक्यवक्रता है, प्रयुक्त अभिहित के पर्याय रूप में वे अभिधा शब्द का प्रयोग करते हैं-

'तथा तेन प्रकारेण केनाप्यव्यपदेश्येन याभिहितः काऽप्यपूर्वैवाभिधा सेव जीवितं सर्वस्व यस्य तत्तथोक्तिम्।'<sup>3</sup>

निश्चित ही यहाँ पर भी 'अभिधा' का प्रयोग शब्दशक्ति के अर्थ में नहीं किया गया बल्कि केवल अभिहित अर्थात् <sup>उक्ति</sup> कथन के पर्याय रूप में किया गया है। इसी तरह अन्य स्थलो पर भी अभिधा शब्द का प्रयोग प्रायः उन्होंने कथन के अर्थ में ही किया है।<sup>4</sup>

अतः यह कहना भी कि कुन्तक अभिधावादी थे, समीचीन नहीं क्योंकि यह कथन निराधार सिद्ध होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कुन्तक ने अभिधावादी ध्वनि-विरोधको की कोटि में आते हैं न लक्षणावादी ध्वनिविरोधको की, तो फिर किस कोटि के

1- व. जी., पृ० 22

2- वही, पृ० 22-23

3- वही, पृ० 144

4- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 148 तथा पृ० 202



ध्वनिविरोधक है? इसका उत्तर यही है कि उन्हें ध्वनिविरोधी कहना ही समीचीन नहीं है। और यही कारण है कि विद्वानों को उन्हें ध्वनिविरोधिकों की उक्त कोटियों में रखना कठिनाई उपस्थित करता है। आचार्य कुन्तक वयंग्यार्थ और वयजना वृत्ति दोनों को स्वीकार करते हैं। इस विषय में पूर्णतया आनन्दवर्धन से सहमत है और यही कारण है कि उन्होंने ने घनञ्जय, महिमभट्ट आदि की तरह किसी तात्पर्य शक्ति अथवा अनुमिति में वयजना के अन्तर्भाव का प्रयत्न नहीं किया। उनकी वक्रोक्ति शब्दार्थ प्रकाशन की कोई शक्ति या वृत्ति नहीं है। उनकी वक्रोक्ति में अभिधा, लक्षणा तथा वयजना तीनों वृत्तियों अन्तर्भूत हैं। उनकी वक्रोक्ति अभिधा रूप भी है। लक्षणारूप भी है और वयजना रूप भी। क्योंकि अभिधा लक्षणा और वयजना तीनों ही कथन प्रकार अथवा उक्तिव्यापार ही तो हैं। अभिधेयार्थ का कथन अभिधा शक्ति के द्वारा, लक्ष्यार्थ का कथन लक्षणा शक्ति के द्वारा और वयंग्यार्थ का कथन वयजना शक्ति के द्वारा होता है। इन तीनों ही अर्थों का प्रतिपादन करने वाले शब्द क्रमशः वाचक, लक्षक और वयजक कहे जाते हैं। आचार्य कुन्तक को ये तीनों ही प्रकार के अर्थ तथा तीनों ही प्रकार के शब्द स्वीकार हैं। इस शंका का समाधान काव्य में शब्द और अर्थ के परमार्थ को बताते हुए पूर्वपक्ष को प्रस्तुत कर उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कर दिया है— कुन्तक ने कह दिया है कि जो वाचक होता है उसे शब्द कहते हैं तथा जो वाच्य या अभिधेय होता है उसे अर्थ कहते हैं। 'इस पर पूर्वपक्षी ने प्रश्न किया कि आपकी यह स्थापना समीचीन नहीं। क्योंकि द्योतक और वयजक भी शब्द होते हैं (द्योतक से आशय यही लक्षक शब्द से है) आपने उनका ग्रहण नहीं किया। उसका उत्तर कुन्तक देते हैं कि ऐसी शंका ठीक नहीं क्योंकि अर्थ प्रतीतिकारित्व सामान्य के कारण उपचार से वे दोनों भी वाचक ही होते हैं। अर्थात् जिस प्रकार से वाच्य अर्थ की प्रतीति वाचक शब्द कराता है उसी प्रकार द्योत्य अर्थ की प्रतीति द्योतक शब्द तथा वयंग्य अर्थ की प्रतीति वयजक शब्द कराता है। अतः अर्थप्रतीतिकारित्व रूप सामान्य के कारण उपचार से उन्हें भी वाचक ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येकत्वसामान्य के कारण द्योत्य और वयंग्य अर्थ को भी उपचार से वाच्यार्थ कहा जा सकता है या कि कहा गया है।'

1- 'यो वाचकः स शब्दः, यो वाच्यश्चाभिधेयः सोऽर्थ इति। ननु च द्योतकवयजकावपि शब्दोऽसम्भवतः, तदसंग्रहान्नाऽप्याप्तिः, यस्मादर्थप्रतीतिकारित्वसामान्यादुपचारात् तावपि वाचकावेव। सर्वं द्योत्यवयंग्ययोरर्थयोः प्रत्येकत्वसामान्यादुपचाराद् वाच्यत्वमेव।' व. जी. पृ० १५

डा० नगेन्द्र ने, भा०का०मू० (पृ०382) पर, उक्त उद्धरण को कुन्तक को अभिधा-  
वादी सिद्ध करते हुए उद्धृत किया है। सम्भवतः ऐसा करते समय डा० साहब यह  
मूल गये कि उपचार सदैव अवास्तविक ही होता है।— 'अतद्भावे तद्वदभिधानमुच्चारः ।'  
अतः डा० साहब द्वारा अपने अभिमत की सिद्धि के लिए दिया गया यह हेतु हेतु  
न होकर विस्मय हेतु वाभास सिद्ध होता है। वस्तुतः द्योतक और व्यञ्जक शब्द तो होते  
ही हैं उन्हें उपचार से वाचक कह दिया गया है। इसी प्रकार श्लोत्तक और व्यंग्य अर्थों  
की सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता, उन्हें यदि वाच्य कहा गया है तो  
उपचार से ही। द्योतक और व्यञ्जक शब्दों को उपचार से वाचक कह कर तथा द्योत्य  
एवं व्यंग्य अर्थों को उपचार से वाच्य कह कर कुन्तक ने इनकी सत्ता के विषय में  
अपनी स्वीकृति दी है। अब संक्षेप में 'वक्रोक्ति जीवित' से उन मुख्य मुख्य अन्य स्थलों  
को प्रस्तुत किया जायगा जिनसे कुन्तक द्वारा व्यंग्यार्थ एवं व्यञ्जना व्यापार की  
स्वीकृति की परिपुष्टि होती है अथवा इस विषय में आनन्दवर्धन के साथ उनकी  
सहमति प्रकाशित होती है।

(1) आचार्य कुन्तक ने ललनालावण्य के साम्य से काव्यो अथवा मार्गों में एक  
लावण्य गुण स्वीकार किया है जो कि बन्ध सौन्दर्य को प्रस्तुत करता है। इस पर पूर्व  
पक्षी प्रश्न करता है कि ध्वनिकार ने तो 'प्रतीयमान अर्थ' को ललनालावण्य के समान  
बताया है आप केवल बन्धसौन्दर्य को ही उसके समान कैसे निरूपित किए दे रहे हैं ?  
पूर्वपक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कुन्तक ध्वनिकार की कारिका 'प्रतीयमानं  
पुनरन्यदेव' की संगति सिद्ध करते हुए प्रतीयमान अर्थ को ललनालावण्य की कोटि से  
उठाकर ललना के सौभाग्य गुण की कोटि में स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि ललना  
लावण्य के साथ प्रतीयमान के दृष्टान्त से केवल प्रतीयमान के अस्तित्व को सिद्ध  
किया है गया है। अर्थात् जैसे प्रसिद्ध अवयवों से व्यतिरिक्त कामिनी का लावण्य

1- न्या०व० भाष्य, पृ०45

2- 'ननु च कैश्चित् प्रतीयमानं वस्तु ललनालावण्यं साम्याल्लावण्यमित्युत्पादितप्रतीति-  
'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव इत्यादि (ध्व०1/4) तत्कथं बन्धसौन्दर्यमात्रं लावण्यमित्य-  
मिधीयते ?'— व. जी. पृ० 56

होता है उसी प्रकार प्रसिद्ध वाच्य वाचक से भिन्न ही प्रतीयमान अर्थ भी होता है। पर इसका यह मतलब तो नहीं कि सकललोकलौचनसंवेद्य, ललनालावण्य और केवल सहृदयहृदयसंवेद्य प्रतीयमान अर्थ समान है। ×× प्रतीयमान अर्थ केवल काव्यपरमार्थ विदो के ही अनुभव का विषय होता है जैसे कामिनियों का कोई अनिर्वचनीय सौभाग्य केवल उनके उपभोग के योग्य नायकों के अनुभव का विषय होता है।<sup>1</sup> क्या कुन्तक के इस विवेचन से यह सिद्ध नहीं होता कि प्रतीयमान अर्थ का स्थान उनकी दृष्टि में बहुत ही ऊँचा है।

(2) विचित्रमार्ग का स्वरूपनिरूपणा करते हुए (व. जी. का. 1/3<sup>40</sup> में) कुन्तक बताते हैं कि उसमें वाच्य वाचक वृत्ति से व्यतिरिक्त किसी वाक्यार्थ की प्रतीयमानता उपनिबद्ध होती है। कारिका में प्रयुक्त 'काव्यार्थस्य' के विशेषण 'वाच्य वाचक - वृत्तित्थ्या व्यतिरिक्तस्य' की व्याख्या वृत्ति में वे इस प्रकार करते हैं- 'वाच्य वाचक - वृत्तियो अर्थात् शब्द और अर्थ की सक्थ शक्तियों से व्यतिरिक्त अर्थात् उससे अतिरिक्तवृत्तिवाले दूसरे व्यंग्यभूतकी अभिव्यक्ति की जाती है। यही वृत्ति 'शब्द के द्वारा शब्द और अर्थ की उनके प्रकाशन की सामर्थ्य का प्रतिपादन किया गया है।'<sup>2</sup> क्या यही शब्द और अर्थ की शक्ति से आशय अभिप्राय वृत्ति से नहीं है? और क्या उससे व्यतिरिक्त वृत्ति व्यंजना की जिसके द्वारा व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति की जाती है उसकी, स्वकृति नहीं है?

(3) 'पदपूर्वार्धवक्रता' के प्रथम प्रमेद 'रूढिवैचित्र्यवक्रता' का प्रतिपादन करने वाली कारिका में कुन्तक ने 'प्रतीयते' क्रिया पद का प्रयोग किया है। उसी पद के वैचित्र्य की व्याख्या करते हुए वृत्ति में वे कहते हैं— 'कि 'प्रतीयते' इस क्रियापद के वैचित्र्य का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के रूढिवैचित्र्यवक्रता के स्थलो पर शब्दों का वाचक रूप में व्यापार नहीं होता बल्कि अन्यवस्तु की तरह केवल प्रतीति

1- 'नैष दोषः, यस्मादनेन दृष्टान्तेन वाच्यवाचकलक्षणं प्रसिद्धावयवव्यतिरिक्तत्वेनास्तिवमात्रं साध्यते प्रतीयमानस्य। न पुनः सकललोकलौचनसंवेद्यस्य ललनालावण्यस्य सहृदयहृदयानामेव संवेद्यं सत् प्रतीयमानं समीकर्तुं पर्यते। ×× प्रतीयमानं पुनः काव्य परमार्थज्ञानामेवानुभवगोचरता प्रतिपद्यते। यथा कामिनीनां किमपि सौभाग्यं तदुपभोगोचितानां नायकानामेव संवेद्यतामर्हति।' व. जी. पृ० 56

2- 'वाच्यवाचकवृत्तित्थ्या शब्दार्थशक्तिसंभ्याम् व्यतिरिक्तस्य तदतिरिक्तवृत्तेरन्यस्य व्यंग्य-भूतस्याभिव्यक्तिः क्रियते। 'वृत्ति' शब्दोऽत्र शब्दार्थयोस्तत्प्रकाशनसामर्थ्यमभिपद्यते।'

कराने वाले के रूप में होता है, यह बात युक्तिसंगत प्राप्तावसर है फिर भी उसका यही विस्तार से प्रतिपादन नहीं किया जाता क्योंकि ध्वनिकार ने यही व्यंग्यव्यंजक भाव का भलीभाँति समर्थन कर रखा है अतः पिष्टपेषण से क्या लाभ?'

क्या कुन्तक की यह व्याख्या व्यंग्यव्यंजक भाव एवं व्यंजनावृत्ति आदि की सत्ता के विषय में ध्वनिकार के साथ उनकी पूर्ण सहमति को प्रस्तुत नहीं करती?

(4) पर्यायवक्रता के तृतीय प्रभेद का निरूपण करते हुए कुन्तक ने स्पष्टरूप से स्वीकार किया है कि 'यही शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्य पदध्वनि का विषय है।<sup>2</sup> उनके अनुसार 'जहाँ श्लिष्टता आदि रमणीय छायान्तर के स्पर्श से कोई पर्याय पद स्वयं अथवा अपने विशेषणभूत अन्य पद के द्वारा अभिधेय वस्तु को अलंकृत करने में समर्थ होता है वही तृतीय पर्यायवक्रता प्रकार होता है।<sup>3</sup> इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने अधोलिखित पद्य प्रस्तुत किया है-

इत्यं जडे जगति को नु बृहत्प्रमाण-

कर्णः करी ननुभवेद् ध्वनितस्य पात्रम्।

इत्यागतं भटति योऽलिनमुन्ममाथ

मातंग एव किमतः परमुच्यतेऽसौ।।<sup>4</sup>

इस उद्धरण की संगति प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि 'यहाँ पर 'मातंग'शब्द केवल प्रस्तुत गज रूप अर्थ में प्रवृत्त होता है।<sup>5</sup> कुन्तक के इस कथन का स्पष्ट आशय यही है कि शब्द की 'अभिधावृत्ति' यही प्राकरणिक गजरूप अर्थ को प्रस्तुत करती है। आगे वे कहते हैं कि 'मातंग शब्द शिष्ट' वृत्ति अर्थात् अभिधा से अतिरिक्त शेष वृत्ति (व्यंजना)के द्वारा अप्राकरणिक चाण्डाल रूप पदार्थ की प्रतीति उत्पन्न करता हुआ रूप-कालकार की छाया के संस्पर्श से 'गौर्वाहिक'वाले न्याय से सादृश्यमूलक

1- 'प्रतीयते इति क्रियापदवैचित्र्यस्यायमभिप्रायो षडेर्विधे विषयेशब्दानां वाचकत्वेन न व्यापारः, अपि तु वस्तुवन्तरवत्प्रतीतिकारित्वमात्रेणेति युक्तियुक्तमप्येतदिह नाति प्रतन्यते। यस्माद् ध्वनिकारेण व्यंग्यव्यंजकभावोऽत्र सुतरां समर्थितस्तत् किं पौनस्त्येन। 'व. जी. पृ० 89

2- 'एष एव च शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्यस्य पदध्वनेर्विषयः। वही, पृ० 95

3- द्रष्टव्य, वही, पृ० 94

4- उद्धृत, वही, पृ० 94

5- 'अत्र 'मातंगशब्दः प्रस्तुते वारणमात्रे प्रवर्तते। -वही, पृ० 95

उपचार से सम्भव होने से प्रस्तुत वस्तु के तत्त्व का अध्यारोप करता हुआ पर्यायवक्रता को पुष्ट करता है। क्यों कि ऐसे स्थलों पर प्रस्तुत का अप्रस्तुत के साथ सम्बन्धनिरूपण या तो रूपकालंकार के द्वारा या फिर उपमा अलंकार के द्वारा सम्भव होता है।

कुन्तक के उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऐसे स्थलों पर अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति अभिधा वृत्ति से नहीं बल्कि व्यंजना वृत्ति से होती है। साथ ही रूपक या उपमा अलंकार भी व्यंजना वृत्ति के द्वारा प्रतीत होता है और इसीलिए उसे प्रतीयमान अलंकार अथवा अलंकारध्वनि कहा जाता है। कुन्तक ने इस स्थल को स्पष्ट रूप से ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन द्वारा स्वीकृत शब्द शक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्य-पदध्वनि का विषय बताया है और कहा कि यदि ऐसे बहुत से पदों का प्रयोग होता है तो वाक्य-ध्वनि का विषय होता है और उसके बाद उन्होंने ने हर्ष-चरित के अधोलिखित दोनों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं-

(1) 'कुसुमसमययुगमुपसंहरन्तु फुल्लमल्लिकाधवलादृहासो वसजृम्भत ग्रीष्मामिधानो  
महाकालः ।'

(2) 'वृत्तेऽस्मिन् महाप्रलये धरणीधारणायधुना त्वं शेषः ।'

आचार्य आनन्दवर्धन ने इन दोनों ही उदाहरणों को क्रमशः 'ध्वन्यालोक पृ024। तथा 297 पर शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्य वाक्यध्वनि के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। यदि आचार्य कुन्तक ध्वनि के लिए विरोधी होते तो निश्चित अपनी पर्यायवक्रता को ध्वनि का विषय न कह कर वहाँ आचार्य आनन्दवर्धन का खण्डन करते। इतना ही नहीं इस स्थल पर आचार्य कुन्तक को अभिनवगुप्त, मम्मट आदि ध्वनि प्रस्थापक परमाचार्यों का मार्ग निर्देशक भी स्वीकार करना चाहिए। ध्वनिवादी आचार्यों का ही

1- 'श्लिष्टया वृत्त्या चाण्डाललक्षणस्याप्रस्तुतस्य वस्तुनः प्रतीतिमुत्पादयन्। रूपकालंकारच्छाया-  
संस्पर्शाद् गौर्वाहीक इत्यनेन न्यायेन सादृश्यनिबन्धनस्योपचारस्य सम्भवत्त्वं प्रस्तुतस्य  
वस्तुनस्तत्त्वमध्याक्षेपयन् पर्यायवक्रतां पुष्पाति। यस्मादेव विषये विषये प्रस्तुतस्याप्रस्तुतेन  
सम्बन्धोपनिबन्धो रूपकालंकारद्वारेण कदाचिदुपमामुखेन वा। यथा स एवायं स इवा  
मिति वा।'-व. जी. पृ095 आचार्य विश्वेश्वर ने 'श्लिष्टया' पाठकों को अशुद्ध बताकर  
'श्लिष्टया' पाठ दे रखा है। परन्तु उनका ही पाठ अशुद्ध है। क्यों कि श्लिष्ट नाम  
की कोई वृत्ति नहीं होती। आचार्य जी ने जो वृत्ति का यही व्यवहार अर्थ दिया  
है वह कुन्तक को अभिमत नहीं। यदि उन्हें व्यवहार जैसा अर्थ ही अभीष्ट होता  
तो वे निश्चित ही 'श्लेषच्छायाया' आदि कहते 'श्लिष्टया वृत्त्या' नहीं।  
2-इष्टव्य, व. जी. पृ0 95 3- हर्षचरित ॥ पृ072 4-वही, ७०॥

इस विषय में परस्पर वैमतस्य है कि ऐसे स्थलो पर दूसरा अप्राकरणिक अर्थ अभिधा शक्ति द्वारा आता है कि व्यंजना शक्ति के द्वारा। ऊपर यह दिखाया जा चुका है कि आचार्य कुन्तक के अनुसार दूसरा अप्राकरणिक अर्थ व्यंग्य ही होता है उसकी प्रतीति अभिधा से भिन्न व्यंजना वृत्ति ही कराती है। इसी मत की स्थापना आगे चल कर बड़े स्पष्ट ढंग से आचार्य अभिनव गुप्त मम्मट तथा विश्वनाथ आदि ने की है। अभिनवगुप्त ने इस मत के अतिरिक्त अन्य चार मतों का भी लोचन में उल्लेख किया है जोकि उन्हें मान्य नहीं है। उनका विवेचन यहाँ अप्रासंगिक होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुन्तक छभिऋणो ध्वनि-विरोधक नहीं बल्कि ध्वनिप्रस्थापक अभिनव गुप्त तथा मम्मट आदि परमाचार्यों के मार्गनिर्देशक भी थे।

(5) कुन्तक ने रूपक तथा अप्रस्तुतप्रशंसा दोनों ही अलंकारों का प्राण उपचारवक्रता को स्वीकार किया है-

'तेन रूपकादेरलंकरणकलापस्य सकलस्येवोपचारवक्रताजीवितमित्यर्थः। 'तथा 'आदि' ग्रहणादप्रस्तुतप्रशंसाप्रकारस्य कस्यचिदन्यापदेशलक्षणस्योपचारवक्रतेव जीवितत्वेन लक्ष्यते।'

परन्तु ऐसा स्वीकार करने पर प्रश्न उठता है कि फिर इन दोनों अलंकारों में भेद कैसे है? कुन्तक इसका उत्तर देते हैं कि उपचारवक्रता के समानरूप से दोनों अलंकारों के जीवित होने पर भी एक जगह रूपक में वाच्यता और दूसरी जगह अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रतीयमानता स्वरूप भेद का कारण है।<sup>3</sup> इससे भी कुन्तक द्वारा व्यंग्यार्थ की स्वीकृति परिपुष्ट होती है।

1- द्रष्टव्य, लोचन, पृ० 241-244

2- व.जी. पृ० 102 तथा 103

3- 'वाच्यत्वमेकत्र प्रतीयमानत्वमपरस्मिन् स्वरूपभेदस्यनिबन्धनम्।'

(6) वस्तुवक्रता का स्वरूप निरूपण कुन्तक ने इस प्रकार किया है-

'उदार स्वपरिस्पन्दसुन्दरत्वेन वर्णनम्।

वस्तुतो वक्रशब्देकगोचरत्वेन वक्रता।'

इस पर कम से कम कुन्तक को अभिधावादी मानने वाले विद्वान् कह सकते हैं कि यदि कुन्तक ने 'गोचरत्वेन'के स्थान पर 'वाच्यत्वेन'भी कहा होता तो अर्थ में अथवा वस्तुवक्रता के स्वरूप में कोई अन्तर न पड़ता। परन्तु आचार्य कुन्तक जैसे भविष्य में अपने को अभिधावादी सिद्ध करने वालों से सशक ही थे, इसी लिए वृत्ति में अपने अभिप्राय को स्पष्ट कर दिया कि हमने 'वाच्यत्वेन' इसीलिए नहीं कहा कि वस्तु का वर्णन व्यंग्यरूप से भी संभव होता है<sup>2</sup>। और निश्चित ही वह कुन्तक को अमान्य नहीं है। 'कुन्तक के अपने विषय में इतनी सफाई दे देने पर भी परमसहृदय विद्वान् समालोचक यदि उन्हें अभिधावादी या भक्तिवादी कहे तो इसका उत्तरदायित्व आचार्य कुन्तक पर है या कि इन परम सहृदयों पर ? निस्सन्देह अपने मत के विषय में इतना स्पष्ट कथन करने वाले आचार्य के प्रति इन सहृदय शिरोमणियों का सर्वथा अन्याय ही है।

(7) ये ही स्थल नहीं अनेकों स्थलों पर प्रतीयमान अर्थ की सत्ता का निरूपण कुन्तक ने किया है। कुन्तक द्वारा स्वीकृत अनेक प्रतीयमान अलंकार अलंकारध्वनियों के ही रूप हैं। कुन्तक ने व्यतिरेकालंकार को स्पष्ट शब्दों में शब्द और प्रतीयमान भेदों में विभक्त किया है- 'शब्दः प्रतीयमानो वा व्यतिरेकोऽभिधीयते।'<sup>3</sup> कुन्तक ने शब्द व्यतिरेक को कवि प्रवाह प्रसिद्ध बताया है और कहा है कि वह अपने समर्पण में समर्थ अभिधान के द्वारा अभिधीयमान होता है। जबकि प्रतीयमान व्यतिरेक केवल वाक्यार्थ की सामर्थ्य से ही अवबोध होता है<sup>4</sup>। प्रतीयमान के उदाहरण रूप में कुन्तक 'प्राप्तश्रीरेषकस्मात्' आदि श्लोक उद्धृत करते हैं जिसे आचार्य आनन्दवर्धन ने 'रूपकध्वनि'<sup>5</sup> के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया था। आचार्य कुन्तक

1- व. जी. पृ० 3/1

2- वाच्यत्वेनैति नोक्तं व्यंग्यत्वेनापि प्रतिपादनसम्भवात्। 'व. जी. पृ० 134

3- व. जी. पृ० 207

4- वही, पृ० 207-208

5- ध्वन्या०, पृ० 261-262

बड़ी ही श्रद्धा के साथ उसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं 'पूर्व विद्वानो ने अर्थात् आनन्दबर्धन ने प्रतीयमान ढंग से तत्त्व का अध्यारोप होने के कारण यहाँ प्रतीयमान रूपक अथवा रूपकध्वनि ही स्वीकार की है।- 'तत्त्वाध्यारोपात्<sup>१</sup> प्रतीयमानतया रूपकमेव पूर्वसूरिभिराम्नातम्।' जैसा कि डा० डे ने निर्देश किया है कुन्तक ने ध्वन्यालोक की (1।१।३कारिका) 'यत्रार्थः शब्दो वा' आदि को जिसमें कि ध्वनिकार द्वारा ध्वनि का स्वरूपनिरूपण किया गया है को इस स्थल पर उद्धृत किया था और प्रतीयमानता का विवेचन किया था मरन्तु दुर्भाग्यवश पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होनेके कारण वह स्थल पढ़ा ही नहीं जा सका, अन्यथा कुन्तक के ध्वनिविषयक अभिप्रायों को और भी प्रबलता के साथ प्रतिपादित किया जा सकता। यहाँ अवश्य यह है कि आचार्य अभिनव गुप्त भी ध्वन्यालोक के उक्त स्थल की व्याख्या करते हुए आनन्द के आगे कुन्तक के अभिमत की सर्वथा अवहेलना नहीं करते बल्कि दोनों की संगति प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं- 'यद्यपि चात्र व्यतिरेको भाति, तथापि स पूर्वावासुदेवस्वरूपात्-<sup>२</sup> नाद्युनात्।' कोई भी विद्वान सहृदय अभिनव की इस व्याख्या से स्पष्ट ही यह अनुमान कर सकता है कि उक्त स्थल पर अधिक समीचीन कुन्तक का ही मत है। किन्तु आनन्दबर्धन के मत की अवहेलना जब कुन्तक ने नहीं की तो उसकी असंगति आनन्द के ही अनुयायी उनके टीकाकार अभिनवगुप्त कैसे प्रतिपादित करते। वस्तुतः कवि का संरम्भ यहाँ वासुदेव के अद्यतन स्वरूप को प्रस्तुत करने में नहीं है बल्कि पूर्वस्वरूप को प्रस्तुत करने में है और तभी उक्ति का चमत्कार भी सम्भव है।

1-व. जी. पृ० 208

2- "Kuntaka cilēs Dhvanyaloka" 1.13 (the Dhvanikāra's definition of Dhvanikāvya) as discusses the meaning of Ratīyamānatā in this connexion."— V. J., P 208.

3- लोचन, पृ० 262



(8) इनके अतिरिक्त एक अन्य प्रमुख स्थल है जहाँ कि कुन्तक ने ध्वनिकार द्वारा स्वीकृत रसादिध्वनि, वस्तुध्वनि, और अलंकार-ध्वनि तीनों के ही विषय में अपनी स्वीकृति अथवा ध्वनिकार के साथ अपनी सहमति व्यक्त की है। दुर्भाग्य से डा० डे उस स्थल को अपने सारांश (Resume) में, पाण्डुलिपि के उस स्थल पर अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण उद्धृत नहीं कर सके। उसका केवल ग्रन्थ की भूमिका में निर्देश ही किया है। परन्तु डा० सैकरन् ने अपने प्रबन्ध में उस स्थल को उद्धृत किया है। वह इस प्रकार है—

न तु परिवृत्तेः अत्यन्ताभावोऽस्माभिरभिधीयते । वर्णनीयत्वादलंकृतिर्न भवती-  
त्यस्माकमभिप्रायः । न च प्रतीयमानतामात्रमलंकरणत्वसाधनम्, अलंकार्यवस्तुमात्रेऽपि तस्याः  
सम्भवात् । तथा चैतदेवोदाहरणम् । न च प्रतीयमानं तदलंकरणम् तद्विवादाह्लादकारित्वादिति  
युज्यते वक्तुम्, अलंकार्येऽपि तद्विवादाह्लादकारित्वदर्शनात्, वस्तुमात्रमलंकारा रसादयश्चेति  
त्रितयोपपत्तेश्च ।<sup>2</sup>

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि आचार्य कुन्तक ध्वनि के विरोधक नहीं है उन्हें व्यंग्य अर्थ, व्यंजकशब्द और व्यंजना व्यापार तीनों ही मान्य है। वे व्यंजना का अन्तर्भाव न अभिधा में करते हैं और न लक्षणा में। अतः उन समस्त आचार्यों एवं विद्वानों के अभिमत जो कि कुन्तक को ध्वनिविरोधी भक्तिवादियों या अभिधावादियों की कोटि में रखते हैं सर्वथा भ्रमात्मक एवं असमीचीन है।

कुन्तक की वक्रताओं एवं आनन्द की ध्वनियों को एक रूप कहने वाले आचार्यों एवं विद्वानों के अभिमतों का निराकरण :-

इस प्रकार अब तक कुन्तक के विषय में उस वर्ग के विद्वानों के मन्तव्यों का विवेचन एवं उनकी प्रामाणिकता का निराकरण किया गया जो कुन्तक को ध्वनिविरोधी भक्तिवादी या अभिधावादी कहते थे। अब आचार्यों एवं विद्वानों के उस वर्ग के मन्तव्यों का विवेचन करना है जो कि कुन्तक की वक्रता को ध्वनि का ही प्रतिरूप

1- द्रष्टव्य Introduction to V. J., P. XIV.

"In one passage, while discussing the figure Parivrtti:  
..... is not given in our Resume of Ch. III.

2- Some Aspects — P. 123 fn. 2.

सिद्ध करते हैं। ऐसा मानने वालों में प्रमुख आचार्य हैं महिम भद्र और आधुनिक प्रमुख विद्वान हैं डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय तथा डा० नगेन्द्र।<sup>१</sup> व्यक्तिविवेककार का कहना है कि जो कुन्तक सहृदयमानों 'वक्रकवि व्यापार से सुशोभित होने वाले एवं तद्विदाह्लादकारी बन्ध में व्यवस्थित साहित्ययुक्त शब्द और अर्थ काव्य होते हैं।' इत्यादि काव्यलक्षण के द्वारा शास्त्रादि में प्रसिद्ध शब्दों एवं अर्थों के उपनिबन्धन से व्यतिरेकी वैचित्र्यमात्रस्वरूप वाले वक्रत्व को काव्य का जीवित कहते हैं, वह भी समीचीन नहीं। क्यों कि शब्दों एवं अर्थों की प्रसिद्ध उपनिबन्धन से यह व्यतिरेकता या तो उनके औचित्य मात्र में पर्याप्त पर्यवसित होने वाली हो सकती है या फिर प्रसिद्ध अभिधेयार्थ से व्यतिरेकी प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति में पर्यवसित होने वाली हो सकती है। क्यों कि <sup>प्रसिद्ध-</sup>प्रस्थान से व्यतिरेकी शब्दों की एवं अर्थों के रचनावैचित्र्य का और कोई तीसरा प्रकार सम्भव ही नहीं है। इनमें से पहले पक्ष की तो शंका ही नहीं करनी चाहिए क्यों कि काव्यस्वरूप के निरूपण की सामर्थ्य से ही वह सिद्ध हो जाता है उसका अलग से उपादान व्यर्थ है। कवि का व्यापार विभावादि का उपनिबन्धन ही होता है उससे भिन्न नहीं। और वे विभावादिक जब शास्त्र के अनुरूप उपनिबद्ध किए जाते हैं तभी रसाभिव्यक्ति के कारण बनते हैं अन्यथा नहीं। फिर काव्य तो रसात्मक होता है उसमें अनौचित्य का संस्पर्श कहीं सम्भव है ? जिसके निराकरण के लिए पण्डितमन्य ने काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है।

और यदि द्वितीय पक्ष को स्वीकार किया जाता है तो फिर यह इस प्रकारान्तर से ध्वनि के ही लक्षण का प्रतिपादन करता है क्यों कि दोनों में वस्तु अभिन्न है। और इसीलिए कुन्तक ने इसके वे ही प्रमेद और वे ही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो ध्वनि के आनन्दवर्षन ने। और उसे हम अयुक्त बता ही चुके हैं और आगे बतायेगे भी। x x x वस्तुतः अर्थप्रकाशन में हमें शब्द का एक ही व्यापार केवल अभिधा अभीष्ट है। और अन्य जो सारा व्यापार है वह ~~वह~~ अर्थ का ही है। इसलिए यदि वह दूसरा

1- 'यत्पुनः - 'शब्दार्थौ सहितौ वक्रकवि व्यापारशालिनि ।  
बन्धे व्यवस्थितौ काव्ये तद्विदाह्लादकारिणि ।'

इत्यादि शास्त्रादि प्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धनव्यतिरेकि यद् वैचित्र्यं. तन्मात्रलक्षणं वक्रत्वं नाम काव्यस्य जीवितमिति सहृदयमानिनः केचिदाचक्षते तदप्यसमीचीनम्। यतः प्रसिद्धोपनिबन्धनव्यतिरेकत्वमिदं शब्दार्थयोरौचित्यमात्रपर्यवसायि स्यात्, प्रसिद्धाभिधेयार्थव्यति-

(प्रतीयमान)अर्थ वाच्यार्थ से भिन्न है तो वह वाच्य इस अर्थान्तर का लिंग बन जायगा। और इस प्रकार वक्रोक्ति का भी ध्वनि की तरह हमें अनुमान कर लेंगे। अतः वक्रोक्ति को मानना भी बेकार है। महिमभट्ट के इसी कथन को आधार बना कर डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने यह प्रतिपादित किया है कि ' अभिनवके अनन्तर कुन्तक ने ध्वनि की समस्या का हल वस्तुगत दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जिसका कि बड़ी ही योग्यता के साथ आनन्दवर्धन एवं उनके टीकाकारों ने आत्मगत दृष्टिकोण से विवेचन कर रखा था। महिमभट्ट ठीक ही इस बात का निर्देश करते हैं कि कुन्तक की वक्रोक्ति का लक्षण ध्वनि के लक्षण से अधिक कुछ नहीं। यह बात एक सहायक तथ्य से और भी प्रत्यक्ष हो जाती है कि कुन्तक वक्रोक्ति के ठीक वे ही भेदोपभेद प्रस्तुत करते हैं जो कि आनन्द<sup>ने</sup> ध्वनि के लिए है, साथ ही वे आनन्दवर्धन के उदाहरणों को वक्रोक्ति के विभिन्न प्रकारों के उदाहरण रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। '

(शेष) रेकि प्रतीयमानाभिः यत्तपरं वा स्यात्। प्रसिद्धप्रस्थानातिरेकिणः शब्दार्थानिबन्धन-  
वैचित्र्यस्य प्रकारान्तरासम्भवात्। तत्राद्यस्तावत्पक्षो न शकनीय एव, तस्य काव्य-  
स्वरूपानुरूपणसामर्थ्यासिद्धस्य पृथगुपादानवैयर्थ्यात्। विभावाद्युपांनबन्ध एवहि कवि-  
व्यापारो नापरः। ते च यथा शास्त्रमुपनिर्द्ध्यमाना रसाभिव्यक्तेर्निबन्धनभावं भजन्ते  
नान्यथा। रसात्मकं च काव्यमिति कुतस्तत्रानौचित्यसंशयः सम्भावयते, यन्निरासार्थमिति  
काव्यलक्षणमाचक्षीरन् विचक्षणम्मन्याः। द्वितीयपक्षपरिग्रहे पुनर्ध्वनेरेवेदं लक्षणमनया  
भङ्गाऽभिहितं भवति अभिन्नत्वाद् वस्तुनः। अत एव चास्य त एव प्रभेदास्तान्ये—  
वोदाहणानि तैस्त्वदर्शितानि। तच्चायुक्तमित्युक्तं, वक्ष्यते च। xxx

अत्रोच्यतेऽभिधासंज्ञः शब्दः स्यार्थं प्रकाशने।

व्यापार एक एवेष्टो यस्त्वन्योऽर्थस्य सोऽखिलः ११ ततश्च  
वाच्यादर्थान्तरं भिन्नं यदि तल्लिङ्गमस्य सः।

तन्नान्तरीयकतया निबन्धो ह्यस्य लक्षणम्॥

अभेदे बहुता न स्यादक्तेर्भागान्तराग्रहात्।

तेन ध्वनिवदेषाऽपि वक्रोक्तिरेनुमा न किम्॥—यत्तविवेक, पृ० 124-127

(1) "After Abhinava Kuntaka attempted, from the objective point of view, the problem of Dhvani, which had been ably dealt with by Ananda and his commentators from the subjective. In fact, Mahimabhatta points it out that Kuntaka's definition of Vakrokti is nothing more than that of Dhvani. It is made evident by an additional fact that he divides and subdivides the Vakrokti exactly as Ananda does the Dhvani, and cites the illustrations of Ananda as examples of different types of Vakrokti."

Comparative Aesthetics, Vol. I, P. 321.

इसी आधार पर डा० नगेन्द्र भी कहते हैं कि - 'वक्रोक्तिसम्प्रदाय का जन्म वास्तव में प्रत्युत्तर रूप में हुआ था। काव्यात्मवाद के विरुद्ध देहवादियों का यह अन्तिम विप्लव विद्रोह था। काव्य के जिन सौन्दर्य भेदों की आनन्दवर्धन ने ध्वनि के द्वारा आत्मपरक व्याख्या की थी उन सभी की कुन्तक ने अपनी अपूर्व मेधा के बल पर वक्रोक्ति के द्वारा वस्तुपरक विवेचना प्रस्तुत करने की चेष्टा की। इस प्रकार वक्रोक्ति प्रायः ध्वनि की वस्तुगत परिकल्पना ही प्रतीत होती है।'

इस प्रकार महिम भट्ट तथा डा० पाण्डेय ने तो केवल अपना सिद्धान्त अथवा अभिमत मात्र व्यक्त कर उसके समर्थन का कार्य अपने पाठकों पर छोड़ कर स्वयं कृत-कृत्य हो गए हैं। डा० नगेन्द्र ने अपने कथन रूप तथ्य की उद्घरणों द्वारा पुष्ट की है। अतः पहले उनके पुष्टीकरण पर विचार कर लेना आवश्यक है। इस लिए पहले उसी का विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ही उसे प्रस्तुत करने के पहले यह निर्देश कर देना आवश्यक है कि कुन्तक की वक्रोक्ति ध्वनि की वस्तुगत परिकल्पना तभी हो सकती है या मानी जानी चाहिए, जब कि वह ध्वनि के अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप का प्रतिपादन न करे लेकिन यदि उसके द्वारा प्रतिपाद्य विषय ध्वनि के क्षेत्र से बाहर भी सम्भव है तो उसे ध्वनि की वस्तुगत परिकल्पना कहना समीचीन नहीं। क्यों कि अभी यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि वक्रोक्ति का ध्वनि से कोई विरोध नहीं है उस सिद्धान्त में व्यञ्जक शब्द, व्यंग्यार्थ और व्यञ्जना-तीनों की ही मान्यता है। अतः इनके स्वरूपों का वक्रोक्ति में विद्यमान होना सुनिश्चित है। लेकिन उतने से ही वक्रोक्ति को ध्वनि-रूप ही मान लेना समीचीन नहीं क्यों कि उसमें ध्वनि अथवा व्यंग्य के साथ ही साथ लक्ष्यार्थ एवं वाच्यार्थ का भी समावेश है। अतः वक्रोक्ति से प्रतिपाद्य शब्दार्थों के वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य-तीन रूप सम्भव हैं केवल व्यंग्य ही नहीं। डा० नगेन्द्र जहाँ वक्रोक्ति और ध्वनि के स्वरूपगत साम्य का विश्लेषण करते हैं वहाँ वे यही भूल करते हैं। उनके विवेचन का पहला दोष तो यह है कि वे ध्वनि काव्यविशेष और प्रतीयमान अर्थ में अभेद स्थापित कर देते हैं। वाच्य से प्रतीयमान

1- भा०का०भू०, भाग 2, पृ० 375

2- डा० नगेन्द्र के इस विवेचन के लिए देखें भा०का०भू०, भाग 2, पृ० 375-76

भिन्न होता है इसे कुन्तक भी स्वीकार करते हैं। साथ ही वह असाधारण एवं केवल सहृदयहृदय संवेदय होता है यह भी कुन्तक मानते हैं। और जब वह असाधारण मान लिया गया तो उसकी कवि की लोकोत्तरप्रतिभाजन्यता भी सिद्ध हो जाती है। अब यहाँ अवश्य यह है कि यदि यही प्रतीयमान या व्यंग्य अर्थ ही ध्वनि है तो उसके लिए स्वयं आनन्द ने ही कहीं भी वाचक शब्द और वाच्य अर्थ की अपेक्षा अनिवार्य रूप से प्रधानता का निरूपण नहीं किया। वह प्रतीयमान अर्थ वाच्य की अपेक्षा गौण भी हो सकता है जैसा कि आनन्दवर्धन स्वयं ही कहते हैं कि - 'चास्त्वोत्कर्ष-<sup>2</sup> निबन्धना हि वाच्यव्यंग्ययोः प्राधान्यविवक्षा।' इस कथन से अत्यन्त स्पष्ट है कि व्यंग्यार्थ सदैव प्रधान ही नहीं होता। उसकी अपेक्षा वाच्यार्थ भी चास्त्वोत्कर्ष का प्रधानहेतु हो सकता है। और यदि उस काव्यविशेष को ध्वनि स्वीकार किया जाता है जहाँ कि प्रतीयमान अर्थ ही प्रधान होता है तथा शब्द अपने वाच्यार्थ और अर्थ स्वयं अपने स्वरूप को गौण बना कर उसी प्रतीयमान अर्थ की प्राधान्येन प्रतीति कराते हैं तो फिर काव्यविशेष और वक्रोक्ति अलंकार में स्वरूपगत साम्य देखना ही समीचीन नहीं है। क्योंकि दोनों के स्वरूपों में स्पष्ट ही महान् अन्तर है। यदि डा० साहब यह कहना चाहे कि इस बात को तो हमने स्वयं स्वीकार किया है कि 'यह सब (साम्य) होते हुए भी दोनों में मूल दृष्टि का भेद है - ध्वनि का वैचित्र्य अर्थरूप होने से आत्म परक है, उधर वक्रोक्ति का वैचित्र्य अभिधारूप अर्थात् उक्तिरूप होने के कारण मूलतः वस्तुपरक है-इसीलिए हमारी स्थापना है कि वक्रोक्ति प्रायः ध्वनि की वस्तुपरक परिकल्पना ही है।' तो इनके ऐसा कह देने से ही वक्रोक्ति का ध्वनि की वस्तुपरक परिकल्पना होना सिद्ध नहीं हो जाता है। क्योंकि ध्वनि में वाच्य के चास्त्वोत्कर्ष की कोई व्यवस्था नहीं, जब कि वक्रोक्ति में उसका समुचित स्थान है। अतः किसी भी दृष्टिकोण से वक्रोक्ति का स्वरूप ध्वनि के स्वरूप से व्यापक है। ध्वनि उसका एक अंग

1- द्रष्टव्य, व जी पृ० 56, 64 तथा 207-208 वैसे इसी अध्याय में पहले इसका सविस्तार प्रतिपादन किया जा चुका है।

2- ध्वन्या० पृ० 114

3- भा०का०भू०, भाग२, पृ० 376

होने के कारण उसी में अन्तर्भूत हो जाती है। अतः डा०साहब ने जो ध्वनि तथा वक्रोक्ति के स्वरूपगत साम्य का प्रतिपादन किया है उसका निराकरण हो जाता है। अब डा०साहब द्वारा प्रस्तुत किए गए ध्वनि एवं वक्रोक्ति के 'भेदप्रस्तारगत-साम्य'का विवेचन करना है। डा०साहब का कथन है कि-'स्वरूप ही की अपेक्षा ध्वनि तथा वक्रोक्ति के भेदप्रस्तार में और भी अधिक साम्य है। जिस प्रकार आनन्दवर्धन ने ध्वनि में काव्य के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवयव से लेकर व्यापक से व्यापक रूप का भी अन्तर्भाव कर उसको सर्वांग पूर्ण बनाने की चेष्टा की थी, वैसे ही कुन्तक ने बहुत कुछ उनकी पद्यति का ही अवलम्बन कर वक्रोक्ति में काव्य के सभी अवयवों का समावेश कर उसे भी सर्वव्यापक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार वक्रोक्ति और ध्वनि में स्पष्ट सहव्याप्ति है : ध्वनि का चमत्कार जैसे सुप्, तिङ्, वचन, कारक, कृत्, तदिद्यत, समास, उपसर्ग, निपात, काल, लिंग, रचना, अलंकार वस्तु तथा प्रबन्ध आदि में है वैसे ही वक्रोक्ति का विस्तार भी पदपूर्वार्द्ध और पदपरार्द्ध से लेकर प्रकरण तथा प्रबन्ध तक है। 'डा० साहब के इस कथन को सर्वथा असमीचीन नहीं कहा जा सकता। किन्तु इसके आगे डा०साहब कहते हैं कि- 'वास्तव में ध्वनि के आत्मपरक सौन्दर्यभेदों की कुन्तक ने वस्तुपरक व्याख्या करने का ही प्रयत्न किया है। इस लिए उनके विवेचन की रूपरेखा अथवा योजना बहुत कुछ वही है जो ध्वनिकार ने अपनी स्थापनाओं के लिए बनाई थी। 'डा० साहब की यह स्थापना सर्वथा समीचीन नहीं कही जा सकती क्योंकि कुन्तक की वक्रताओं में आनन्द का एकमात्र ध्वनियों का ही स्वरूप नहीं प्रतिपादित किया जा गया है। आनन्दवर्धन की ध्वनियाँ वही सम्भव है जहाँ पर कि वस्तु, अलंकार और रस व्यंग्य होने के साथसाथ चास्त्वोत्कर्ष के प्रधान हेतु ही और वाच्य अपने को गौण बनाकर उन्हें प्रधानतया करने में सहायक हो। लेकिन कुन्तक की वक्रता उक्त स्थलों पर तो होगी ही साथ ही जहाँ वस्तु, अलंकार और रस व्यंग्य होते हुए वाच्य की अपेक्षा गौण भी होगे और वाच्य ही चास्त्वोत्कर्ष का प्रधान कारण होगा वही भी विद्यमान रहेगी। इतना ही नहीं जहाँ पर वस्तु अथवा अलंकार केवल वाच्यरूप में ही चास्त्वोत्कर्ष के हेतु बन कर सहृदयाह्लाद को प्रस्तुत करने में समर्थ होंगे वहाँ भी कुन्तक की वक्रोक्ति अथवा वक्रता विद्यमान रहेगी। अस्तु, अब डा०साहब के अपने मन्तव्य के पुष्टीकरण में दिए गए तर्कों का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

1- भा०का०भू०, भाग, 2 पृ० 376-77

2- वही, पृ० 377

(क) वर्णविन्यास वक्रता और वर्णध्वनि

आचार्य आनन्दवर्धन ने वर्णध्वनि या वर्णों की व्यंजना का स्वरूपण किया<sup>1</sup>। निरूपण केवल प्रधान व्यंग्य रसादि के दृष्टिकोण से किया है। अतः उनकी वर्णध्वनि वही सम्भव है जहाँ उनके द्वारा रसादि प्रधान रूप से व्यक्त होते हैं। लेकिन कुन्तक की वर्णविन्यासवक्रता उक्त स्थल के अतिरिक्त उन स्थलों पर भी सम्भव होती है जहाँ कि वर्णों का विशिष्ट विन्यास प्रधानरूप से व्यंग्यवस्तु या व्यंग्य अलंकार अथवा वाच्य रूप से वर्णित वस्तु स्वभाव या अलंकार के चास्त्रवोत्कर्ष को प्रस्तुत करने में बाधक न होकर उनके स्वरूप को आच्छादित न करते हुए चास्त्रवोत्कर्ष चास्त्रवातिशय को प्रस्तुत करता है। यह है आनन्द की वर्णध्वनि और कुन्तक की वर्णवक्रता का वास्तविक स्वरूप भेद। केवल वर्णध्वनि या वर्णवक्रता नाम से ही दोनों को एक रूप कह देना जैसा कि डा० नगेन्द्र आदि कहते हैं भ्रान्ति के सिवा और कुछ नहीं है।

(ख) पदपूर्वादर्धवक्रता और ध्वनि साम्य

(1) पदपूर्वादर्धवक्रता और ध्वनि साम्य का निरूपण करते हुए डा० साहब ने कहा कि - 'पर्यायवक्रता पर्यायध्वनि' का रूपान्तर मात्र है<sup>2</sup>। इसमें 'पर्यायध्वनि' शब्द क्या उन्होंने ने स्वयं कुन्तक की पर्यायवक्रता को ध्वनि रूप सिद्ध करने के लिए नहीं गढ़ लिया? फिर परिभाषिक शब्दावली में जिसे उन्होंने 'शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्य पदध्वनि' कहा है<sup>3</sup> जिसको कि स्वयं कुन्तक ने स्वीकार किया था वह क्या पाँचों प्रकार की पर्यायवक्रता का प्रतिनिधित्व कर सकती है? वह तो केवल कुन्तक की पर्यायवक्रता के तृतीय प्रकार मात्र को प्रस्तुत करती है। अतः पर्यायवक्रता तद्रूप कैसे हो सकती है?

1- 'यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यंग्यो ध्वनिर्वर्णपदादिषु !

वाक्ये संघटनायांच स प्रबन्धेषु दीप्यते।। ध्वन्या० 3/2

2- वही, पृ० 377

3- भा०का०भू०, भाग, 2 पृ० 378

(2) डा०साहब ने उपचारवक्रता को लक्षणामूला ध्वनि के द्वितीय भेद अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य ध्वनि की समानार्थी बताया है<sup>1</sup>। निश्चित ही उपचारवक्रता के प्रथम भेद के विषय में डा०साहब का यह कथन समीचीन है। लेकिन उपचारवक्रता का द्वितीय प्रकार जिसमें उपचारवक्रता रूपकादि अलंकारी का मूल प्रतिपादित की गई है क्या डा०साहब किसी भी तरह उसका भी अन्तर्भाव उक्त ध्वनि या किसी भी ध्वनि में कर सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि वह प्रकार प्रतीयमान के ही चमत्कार को न प्रस्तुत कर वाच्यार्थ के चमत्कार को भी प्रस्तुत करता है। आचार्य कुन्तक रूपक एवं अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकारी का भेद बताते हुए इस बात को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि 'तथा चैतयोर्द्वयोरप्यलंकारयोस्तुल्येऽप्युपचारवक्रताजीवितत्वे वाच्यत्वमैकत्र प्रतीयमानत्वमपरस्मिन् स्वरूपभेदस्य निबन्धनम्'<sup>2</sup>। सम्भवतः डा०साहब ने इस ओर ध्यान नहीं दिया वह ठीक भी है क्योंकि उससे उनके तथ्य की सिद्धता होती नहीं।

(3) यद्यपि डा० नगेन्द्र यह स्वीकार करते हैं कि आनन्द ने लिंग ध्वनि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया फिर भी वे कहते हैं कि 'सुप्तिगवचन-सम्बन्धैः' आदि कारिका में तथैव उसकी वृत्ति में रसादि की व्यञ्जकता के आधार पर ध्वनियों के भेद उपलक्षण मात्र है। और आगे कहते हैं—कि 'आनन्दवर्धन ने लिंग प्रत्यय आदि सभी में ध्वनि के चमत्कार की व्यञ्जक क्षमता मानी है। इस प्रकार लिंग-वैचित्र्य-वक्रता लिंगध्वनि की पर्यायसिद्ध<sup>3</sup> होती है। पर डा० साहब के इस कथन से किसी न किसी तरह कुन्तक की वक्रताओं को ध्वनि रूप सिद्ध करने का दुराग्रह ही अभिव्यक्त होता है। सहृदयशिरोमणि आनन्दवर्धन जैसे आचार्य के लिए यह कहने का दुस्साहस तो कोई कर ही नहीं सकता कि लिंग की रसादिव्यञ्जकता उनकी दृष्टि में नहीं आ पाई होगी। सम्भव है कि विवेचन करते समय उस ओर उनका ध्यान न गया हो। लेकिन उनके बाद भी मम्मट आदि किसी भी आचार्य ने लिंगध्वनि का निरूपण नहीं किया अतः यह नाम

1- द्रष्टव्य, वही पृ० 1378

2- व. जी. पृ० 103

3- भा०का०भू० भाग, 2, पृ० 379



डा०साहब ने दुराग्रहवश ही स्वयं गढ़ लिया है। ही आचार्य अभिनव गुप्त निश्चित ही कुन्तक के लिंगवैचित्र्यवक्रताविवेचन से प्रभावित हुए थे। अतः उन्हो ने कुन्तक द्वारा निरूपित लिंगवक्रता की के द्वितीय प्रमेद का, जिसे कि स्वयं कुन्तक ने रसादि की योजना के योग्य बताया था, लगभग कुन्तक ही की शब्दावली में स्त्रीलिंग को सुकुमार रस का व्यंजक बताकर, लिंगध्वनि के रूप में निरूपण किया है यद्यपि उन्हो ने सुस्पष्ट शब्दों में लिंगध्वनि या लिंगव्यंजकता का उल्लेख नहीं किया। अभिनव का कथन है —

'अक्षयन्दनादिशब्दानां तदानीं शृंगारादिव्यंजकत्वाभावेऽपि व्यंजकत्वशक्तेर्यस्या दर्शनात् तदधिवाससुन्दरीभूतमर्थं प्रतिपादयितुं सामर्थ्यमस्ति। तथाहि- 'तदीतारं ताम्यति' इत्यत्र तट शब्दस्य पुस्तवनपुंसकत्वे अनादृत्य स्त्रीत्वमेवाश्रितं सहृदयैः 'स्त्रीति नामा-  
दि मथुरम्' इति कृत्वा।'

लेकिन कुन्तक द्वारा निरूपित लिंगवक्रता के अन्य दो भेदों का इस लिंगध्वनि को स्वीकार कर लेने पर भी उसमें कथमपि अन्तर्भाव नहीं हो सकता।

(4) इसी तरह डा०साहब कुन्तक की पदपूर्वादर्घगत विशेषण वक्रता तथा क्रिया-वैचित्र्यवक्रताओं को हठात् ध्वनि रूप सिद्ध करने के लिए अथप्रयास करते हैं। कारिका में प्रयुक्त 'च' शब्द के आधार पर वृत्तिकार ने निपात, उपसर्ग और कालादि की रसादि व्यंजकता का निरूपण किया<sup>2</sup>। अभिनव ने वृत्तिविवेचन के आधार पर लिंग की रसादिव्यंजकता का और भी निरूपण कर दिया। उसके बाद भी डा० साहब उसी 'च' के बल पर 'विशेषध्वनि' की कल्पना को भी संगत स्वीकार कर उसी में कुन्तक की विशेषणवक्रता का अन्तर्भाव कर देना<sup>3</sup> चाहते हैं। लेकिन ऐसा करते समय डा०साहब यह भूल जाते हैं कि विशेषण वैचित्र्य से केवल रस का ही परिपोष नहीं होता बल्कि व्यंग्य अथवा वाच्यवस्तु स्वभाव एवं अलंकारों में भी विशेषण की महिमा से लोकोत्तर सौन्दर्य आ जाता है, जब कि इसका अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कुन्तक ने उल्लेख भी किया है —

1- लोचन, पृ० 359- कुन्तक का कालविवेचन करते हुए द्वितीय अध्याय में इन दोनों के साम्य पर प्रकाश डाला जा चुका है।

2- 'च' शब्दान्निपातोपसर्गकालादिभिः प्रयुक्तैरिभ्यो यज्यमानो दृश्यते।'-ध्वन्या० पृ० 348

3- द्रष्टव्य, भा० का० भू०, भाग 2, पृ० 1379

'स्वमहिम्ना विधीयन्ते येन लोकोत्तरश्रियः ।

रस स्वभावालंकारास्तद् विधेयं विशेषणम् ॥'

इतना ही नहीं इससे भी बड़ी भूल डा० साहब तब कर जाते हैं जब वे विशेषणवक्रता को पर्यायवक्रता का ही एक रूप मानकर उसका अन्तर्भाव पर्यायध्वनि में कर देते हैं<sup>2</sup> । जब स्वयं पर्यायवक्रता का ही अन्तर्भाव पर्यायध्वनि में, जिसे कि डा० साहब ने पारिभाषिक शब्दावली में शब्दशक्तिमूलानुणनरूपव्यंग्य पदध्वनि कहा है, नहीं हो पाता तो विशेषणवक्रता के उसमें अन्तर्भाव की बात तो बहुत दूर है।

(5) क्रियावैचित्र्यवक्रता का ध्वनि में यथाकिंचित् अन्तर्भाव करते हुए डा० साहब ने कुन्तक द्वारा निरूपित उसके अन्तर्भाव तीन प्रकारों का ही उल्लेख किया है, उपचार मनोज्ञता का उपचावक्रता में, कर्मादि संवृति का संवृति वक्रता में और क्रियाविशेषणवक्रता का विशेषण वक्रता में अन्तर्भाव कर उन्हें क्रमशः अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि, अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि और पर्यायध्वनि में अन्तर्भाव किया है।<sup>3</sup> परन्तु क्रियावैचित्र्यवक्रता के प्रथम दो स्वतंत्र (1) कर्ता की अत्यन्त अन्तरंगता और (2) कर्त्रन्तरविचित्रता रूप प्रकारों का कोई नामोल्लेख भी नहीं किया। उनसे निश्चित ही वस्तु स्वभाव की महत्ता परिपुष्ट होती है।

(ग) पदपरार्द्धवक्रता और ध्वनि

(1) पदपरार्द्धवक्रता के प्रभेदों का ध्वनि में अन्तर्भाव करते समय डा० साहब रसादि के व्यंजकों का निरूपण करने वाली कारिका एवं वृत्ति में संगृहीत व्यंजकों के साथ कुन्तक की वक्रताओं के केवल नाम साम्य को ही ध्यान में रख कर प्रत्यय, काल, कारक, वचन, उपसर्ग तथा निपात की वक्रताओं का एक साथ तत्तत् ध्वनियों में अन्तर्भाव कर देते हैं।<sup>4</sup> किन्तु सभी के विषय में वह कथन समीचीन नहीं। निपात उपसर्ग एवं काल की वक्रताओं का तो उसमें अन्तर्भाव हो जाता है परन्तु अन्यवक्रताओं का अन्तर्भाव उचित नहीं। क्योंकि उनकी सत्ता केवल रसादि को ही प्रधानतया द्योतित करने में नहीं है बल्कि वस्तुस्वभाव आदि की महत्ता को परिपुष्ट करने में भी है।

1- व. जी. पृ० 105

2- द्रष्टव्य, भा०का०मू० भाग 2, पृ० 379

3- द्रष्टव्य, वही, पृ० 379

4- द्रष्टव्य, वही, पृ० 379

(2) इसके अतिरिक्त पदपरादर्श वक्रता के अन्तर्गत कुन्तक ने दो अन्य प्रकारों, उपग्रहवक्रता तथा पुरुषवक्रता का निरूपण किया है। न तो ध्वनिकार ने इनका कारिका में उल्लेख किया और न आनन्दवर्द्धन ने 'च' शब्द के बल पर इनका वृत्ति में ही स्पष्ट उल्लेख किया। अतः उसे पूरा करना पड़ा उनके प्रतिनिधि डा० नगेन्द्र को। पता नहीं 'च' की उदरदरी कितनी विशाल है कि सभी वक्रता प्रकार उसमें गर्भित सिद्ध हो जाते हैं। और, यदि ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाय तो उपग्रहवक्रता का तो कथमपि उसमें अन्तर्भाव हो भी सकता है लेकिन पुरुषवक्रता का तो अन्तर्भाव नहीं हो संभव है। क्यों कि उससे केवल रसादि की ही प्रधानरूप में व्यंजना नहीं होती।

#### (घ) वस्तुवक्रता और वस्तुध्वनि

वस्तुवक्रता और वस्तुध्वनि की विभिन्नता तो स्वयं डा० साहब ने ही स्वीकार कर ली है। स्वीकार क्यों न करते, कुन्तक ने जो यही स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन कर दिया था कि वस्तुस्वभाव का वर्णन व्यंग्यरूप में ही नहीं वाच्यरूप में भी हो सकता है<sup>2</sup> इससे उमर प्रतिपादित इस सिद्धान्त की ही परिपुष्टि होती है कि वक्रता ध्वनिरूप अथवा ध्वनि की ही वस्तुगत परिकल्पना न होकर उससे अधिक व्यापक है। ध्वनिवक्रता का एक अंगमात्र है। प्रतिरूप नहीं। ही डा० साहब ने कुन्तक के मत की अपेक्षा आनन्दवर्द्धन के मत की ही वस्तुतः मान्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि 'कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ वस्तुतः आनन्द का ही मत मान्य है क्यों कि मूल रूप में अनुभवगम्य होने से सौन्दर्य वाच्य न हो कर व्यंग्य ही हो सकता है'<sup>3</sup> परन्तु डा० साहब ऐसा कहते हुए यह भूल जाते हैं कि स्वयं आनन्दवर्द्धन ने ही व्यंग्य की अपेक्षा वाच्य की ही कहीं कहीं चारुवोत्कर्ष का प्रधान हेतु स्वीकार किया है। उनका स्पष्ट कथन है कि - चारुवोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यंग्ययोः प्राधान्यविवक्षा।'<sup>4</sup>

1- द्रष्टव्य, भा० का० मू०, भाग 2, पृ० 379

2- द्रष्टव्य, वही पृ० 380

3- वही, पृ० 380

4- ध्वन्या० पृ० 114

(ड०) वाक्यवक्रता और अलंकारध्वनि

वाक्यवक्रता और अलंकार ध्वनि के साम्य का विवेचन करते हुए स्वयं डा०साहब ने ही यह स्वीकार कर लिया है कि सम्पूर्ण वाक्यवक्रता अलंकारध्वनि के ही समरूप नहीं है। ही, उसमें प्रतीयमान अलंकार भेदों में अलंकारध्वनि का अन्तर्भाव है। उनके इस कथन से इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि वक्रोक्ति ध्वनि की अपेक्षा व्यापक है। ध्वनिरूप ही नहीं है, ध्वनि उसका एक अंगमात्र है।

(च) प्रबन्धवक्रता और प्रबन्धध्वनि

जैसा कि ऊपर प्रतिपादित किया जा चुका है आचार्य महिमशट्ट, डा०पाण्डेय, तथा डा० नगेन्द्र आदि विद्वानों ने जो वक्रोक्ति और ध्वनि को एक रूप मान लिया है वह केवल नाम साम्य के कारण ही। वस्तुतः इन विद्वानों ने दोनों के वास्तविक स्वरूप की ओर दृष्टिपात नहीं किया। इसीलिए जब डा०नगेन्द्र वक्रता और ध्वनि की समरूपता की सिद्धि करते हैं तो कुन्तक की प्रकरणवक्रता को बिल्कुल मुलादेते हैं क्योंकि ध्वनिवादियों ने नामतः किसी प्रकरण ध्वनि का निरूपण किया ही नहीं, जब कि प्रकरण वक्रता कुन्तक के प्रधान छः वक्रताभेदों में से एक है। लेकिन यदि डा०साहब ने उसका उल्लेख नहीं किया तो उसका यह मतलब नहीं है कि प्रकरण वक्रता में ध्वनि की सम्भावना ही नहीं है। वस्तुतः ध्वनिवादियों की प्रबन्धध्वनि में ही प्रकरणध्वनि भी अन्तर्भूत है। आनन्दवर्धन ने प्रबन्ध के द्वारा व्यंग्य दो ध्वनियों को स्वीकार किया है- एक रसादि को जिसका कि अत्यन्त विस्तार के साथ उन्होंने विवेचन किया है और दूसरे शब्द तथा अर्थशक्तिमूला-नुरणनरूपव्यंग्यध्वनि को। परन्तु आगे चल कर मम्मट तथा विश्वनाथ आदि ने रसादि के साथ केवल अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपव्यंग्यध्वनि की ही प्रबन्धव्यंग्यकता को स्वीकार किया। आचार्य कुन्तक ने सम्पूर्ण नाट्य या काव्यग्रन्थ को प्रबन्ध और उसके अंगभूत अनेक वाक्यों के समुदाय को प्रकरण कहा है। इन आनन्दवर्धन आदि आचार्यों ने ऐसा कोई स्पष्ट भेद प्रतिपादित नहीं किया, फलतः विद्वानों को यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि प्रबन्ध से उनका आशय क्या है? वैसे अर्थशक्तियुद्धप्रबन्ध-ध्वनि के उदाहरण रूप में आनन्दवर्धन मम्मट तथा विश्वनाथ आदि ने जो 'महाभारत' से 'गृध्रगोमायुसंवाद' आदि प्रकरण को उद्धृत किया है वह कुन्तक की शब्दावली में प्रबन्धध्वनि न होकर प्रकरणध्वनि ही होगी। क्योंकि वह संवाद सम्पूर्ण प्रबन्ध महाभारत का एक प्रकरण ही है। ध्वनिवादियों ने इन दोनों ही रूपों को एक में ही संकीर्ण कर भ्रम उत्पन्न कर दिया है। आचार्य मम्मट

जब - 'प्रबन्धेष्वर्थशक्तिभूः<sup>१</sup>' कहते हैं तो प्रबन्ध से उनका आशय क्या है ? कुछ स्पष्ट नहीं करते जब कि रसादि की व्यंजकता का विवेचन करते हुए वे साफ कहते हैं कि प्रबन्ध का अर्थ नाटकादि है - 'अपि शब्दात् प्रबन्धेषु नाटकादिषु<sup>२</sup>' परन्तु यह अर्थ उनके अर्थशक्त्युद्भव-ध्वनि के उदाहरण में घटित<sup>३</sup> नहीं होता। इसी तरह विश्वनाथ - 'प्रबन्धेषु मतोर्धैरर्थशक्त्युद्भवो ध्वनिः' की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रबन्ध का अर्थ क) महावाक्य है - 'प्रबन्धे महावाक्ये<sup>३</sup>' और उनके अनुसार अनेक वाक्यों का समूह महावाक्य होता है - 'वाक्योच्चयो महावाक्यम्<sup>४</sup>। अतः स्पष्ट ही उनके व्याख्यान से प्रकरण या प्रबन्ध किसी का भी स्वरूप<sup>२</sup> नहीं होता। दो तीन वाक्य भी प्रबन्ध कहे जा सकते हैं और पूरा ग्रन्थ भी। जब कि स्वयं विश्वनाथ रसादिध्वनि की प्रबन्धव्यंजकता का उदाहरण देते हुए 'महा-भारत', 'रामायण', 'मालतीमाधव' तथा 'रत्नावली' आदि सम्पूर्ण ग्रन्थों को उद्धृत करते हैं<sup>५</sup> स्वयं आचार्य अभिनवगुप्त 'ध्वन्यालोक' की कारिका (3/2) में आये 'प्रबन्ध' शब्द की व्याख्या करते हैं - 'संघटितवाक्यसमुदायः प्रबन्धः<sup>६</sup> किन्तु जहाँ पर ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन ने शब्द-शक्तिमूल तथा अर्थशक्तिमूलध्वनि की प्रबन्धव्यंजकता का निरूपण किया है वहाँ वे कारिका तथा वृत्तित की दूसरे ढंग से योजना करके स्वतंत्र रूप में उन दोनों ध्वनियों की व्यंग्य-रूपता का निश्चय करते हैं और उन्हें रसादिध्वनि के व्यंजक रूप में प्रतिपादित करते हैं। अतः उनके व्याख्यान से स्पष्ट ही यही प्रतीत होता है कि प्रबन्धव्यंजकता केवल रसादिध्वनि की ही हो सकती है, अन्य की नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन आचार्यों के कथन स्वयं प्रबन्ध-ध्वनि का निरूपण करते हुए भ्रमात्मक है। केवल काव्यप्रदीपकार ने प्रबन्ध के द्विवचन स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मम्मट के - 'प्रबन्धेष्वर्थशक्तिभूः' की व्याख्या करते हुए उन्हों ने बताया है कि 'अनेको संघटितवाक्यो का समुदाय प्रबन्ध होता है, और<sup>७</sup> ग्रन्थ-रूप तथा अवान्तर-प्रकरण-रूप होता है। अतः ध्वनिवादियों के उदाहरणों एवं प्रबन्धलक्षणों को देखते हुए कोई भी यह निश्चित रूप से कह सकता है कि इनकी अर्थशक्त्युद्भव-ध्वनि केवल प्रकरण रूप प्रबन्ध में तथा रसादिध्वनि प्रकरण के साथ साथ

1- काव्य प्र० 4/42 (2) वही पृ० 181 (3) सा० 404/10 तथा वृत्तित (5) वही 2/1 (5) सा. द. पृ० 147  
 2- प्रबन्धश्च संघटित-नानावाक्य-समुदायः। स च ग्रन्थरूपस्तदवन्तरप्रकरणरूपश्चेति<sup>६</sup> लोचन पृ० 302

सम्पूर्ण ग्रन्थरूप में प्रबन्ध में विद्यमान रहती है, यही ध्वनिवादियों का अभीष्ट है। परन्तु ऐसा भी स्वीकार कर लेना पूर्णतया युक्ति-युक्त नहीं। क्यों कि प्रबन्धों से रामादिवत् प्रवर्तितव्यम्, न रावणादिवत् 'ऐसी जिन विधिनिषेधरूप वस्तुओं की प्रतीति कराई जाती है वह निश्चित ही व्यंग्य होती है और अर्थशक्तिमूल होती है। अतः उसे संपूर्ण प्रबन्ध की 'वस्तुध्वनि' ही स्वीकार किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा स्वीकार करने पर एक सन्देह अनायास उत्पन्न हो जाता है कि प्रधान वहाँ 'वस्तुध्वनि' को माना जायगा या 'रसध्वनि' को अथवा दोनों को? ध्वनिवादियों ने इसका कोई स्पष्ट निरूपण नहीं किया। यहाँ तक कि प्रबन्ध की उक्त वस्तुध्वनि के सुस्पष्ट विवेचन तक का कोई कष्ट किसी भी ध्वनिवादी ने नहीं उठाया। केवल प्रबन्ध की 'रसध्वनि' के निरूपण में ही सब व्यग्र रहे। क्या इससे कवि के एक महान् प्रबन्धविषयक कौशल के चिन्तन की ओर ध्वनिवादियों की उपेक्षा भाव की सिद्धि नहीं होती। लेकिन कविकौशल का सूक्ष्माति-सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले आचार्य कुन्तक की दृष्टि सर्वप्रथम कवि के इसी प्रबन्धकौशल की ओर जाती है और इसीलिए वे प्रथम उन्मेष में ही जब कि वे केवल उद्देश्य मात्र से वक्रताप्रभेदों का निरूपण करते हैं, प्रबन्धवक्रता का स्वरूपनिरूपण इसी दृष्टि से करते हुए कहते हैं कि—

'प्रबन्धे वक्रभावो यथा- कुत्रचिन्महाकविविरचिते रामकथोपनिबन्धे नाटकादौ पंचविधवक्रतासामग्रीसमुदायसुन्दरे सहृदयहृदयहारि महापुरुषवर्णनमुपक्रमे प्रतिभासते परमार्थस्तु विधिनिषेधात्मक धर्मापदेशः पर्यवस्यति, रामवद्वर्तितव्यं न रावणवद्वेति।'<sup>1</sup>

वस्तुतः यही तो काव्य का परमार्थ परमप्रयोजन है। सरसता के कारण शास्त्रादि की अपेक्षा इसके माहात्म्य की ही तो सिद्धि होती है। अस्तु, जिस प्रकार ध्वनि की अपेक्षा वक्रता के अन्य प्रकारों की व्यापकता दिखाई गई थी उसी प्रकार कुन्तक की प्रकरण और प्रबन्धवक्रताएँ भी आनन्द आदि की प्रबन्धध्वनियों से व्यापक है। ही कुन्तक की वक्रताओं में इनका अन्तर्भाव अवश्य है विशेषतया उन प्रकारों में जिनका कि प्रधानतया रस से सम्बन्ध है उदाहरणार्थ (1) आनन्दवर्धन ने प्रबन्ध की रसव्ययकता के लिए जो रसादि की दृष्टि में मूलकथा में परिवर्तन का निर्देश किया है उसका निरूपण कुन्तक के द्वितीय प्रकरणवक्रताप्रकार में है। यहाँ तक कि दोनों ही आचार्यों के कथनों में अत्यन्त साम्य है। आनन्द का कथन है —

'न हि कवेरिति वृत्तमात्रनिर्वहणेन किञ्चित् प्रयोजनम्, इतिहासादेरेव तत्सिद्धये।'<sup>2</sup>

1. व. जी., पृ. 42-43

2. ध्वन्यां, पृ. 336.

और कुन्तक का कथन है-

निरन्तरसोद्गारगर्भसन्दर्भनिर्भराः ।

गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः ।<sup>1</sup>

(2) आनन्द ने जो केवल शास्त्रस्थिति के सम्पादन की ही इच्छा से नहीं बल्कि रसाभिव्यक्ति की अपेक्षा से सन्न्य-सन्न्यगादि की रचना का विधान किया है उसका निरूपण कुन्तक ने प्रकरणवक्रता के नवम प्रकार के अन्तर्गत किया है। और उसके अनुचित निरूपण निरूपण के उदाहरणरूप में दोनों ही आचार्यों ने वेणीसंहार के प्रतिमुखसन्न्यग युक्त द्वितीय अंक को प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त कुन्तक के प्रकरण एवं प्रबन्ध-वक्रता-प्रकारों को निश्चित ही ध्वनिसिद्धान्त में उचित स्थान नहीं दिया गया। और यह बात वक्रता की व्यापकता को ही सिद्ध करती है। न कि उसकी ध्वनिरूपता को। इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट ही सिद्ध हो जाता है कि वक्रता और ध्वनि एक ही रूप नहीं है। अतः महिममद, डा० पाण्डेय और डा० नगेन्द्र की स्थापनाएँ, कि दोनों एक रूप हैं, निर्मूल सिद्ध होती हैं।

कुन्तक के वक्रतासिद्धान्त की व्यापकता

अब इस प्रश्न का उत्तर काफी स्पष्ट हो जाता है कि जब कुन्तक का वक्रतासिद्धान्त ध्वनिविरोधी नहीं है तो उन्होंने ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना के अनन्तर वक्रतासिद्धान्त की स्थापना का प्रयास क्यों किया? वस्तुतः काव्य से घनिष्ठ सम्बन्ध दो व्यक्तियों का होता है — उसमें एक है सहृदय और दूसरा है कवि। काव्य का कर्ता है कवि और उसकी काव्यता का परीक्षक अथवा निर्णायक है सहृदय। आनन्दवर्द्धन ने ध्वनि का विवेचन करते समय प्राधान्य सहृदय को दिया और उस सहृदय की दृष्टि से काव्य का विवेचन करते हुए वे कवि के साथ निश्चित ही समुचित न्याय नहीं कर सके और यही कारण था कि उसके धोर विरोध में मनोरथ का कवि हृदय बिल्ला उठा —

\* यस्मिन्नास्ति न वस्तु किंचन मनः - ग्रंथादि सारलकृति' इत्यादि। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मनोरथ ने जो कहा वह ठीक कहा। मनोरथ का कथन तो वस्तुतः रोष एवं प्रतिशोध की भावना से कहा गया है, अतः वह निश्चित ही अधिक विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ध्वनिकार ने कहा कि 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः'<sup>2</sup> और ध्वनि का लक्षण उन्होंने दिया कि 'जहाँ पर शब्द अपने वाच्यार्थ को तथा अर्थ अपने स्वरूप को गौण बना कर व्यंग्यार्थ को प्रधानतया व्यक्त करते हैं वही ध्वनि होती है और इसीलिए उससे युक्त काव्यविशेष को 'ध्वनिकाव्य' कहते हैं।<sup>3</sup> यहाँ किसी को यह आपत्ति

1. अ. जी., पृ. 225.

3. वही, 1/13

2. ध्वन्या. 1/1

हो सकती है कि यह अर्थ अभिनवगुप्त के अनुसार नहीं है, किन्तु वह आपत्ति समीचीन नहीं। क्योंकि अभिनव गुप्त का एक अलग सिद्धान्त है और वे आनन्दवर्धन तथा ध्वनिकार की व्याख्या उसी अपने सिद्धान्त के दृष्टिकोण से करते हैं। इसी लिए अनेकी स्थलों पर ध्वनिकारिका एवं उसकी वृत्ति से उनका लोचन मेल नहीं खाता और अभिनव द्वारा की गई खीचातानी स्पष्ट ही परिलक्षित हो उठती है। शब्दार्थशक्तिमूलानुरणरूपव्यंग्यध्वनि की प्रबन्धव्यंजकता का निरूपण करते हुए यह दिखाया जा चुका है। अभिनव के अनुसार 'रसादिध्वनि' ही काव्य की आत्मा है 'वस्तुध्वनि' अथवा 'अलंकारध्वनि' नहीं। लेकिन ध्वनिकार अथवा आनन्दवर्धन का यह अभिमत नहीं। यदि ऐसा होता तो वे काव्यस्यात्मा 'रसः' या 'रसादिध्वनिः' ही कहते, केवल 'ध्वनि' न कहते। साथ ही 'ध्वनि' से उनका आशय एक मात्र व्यंग्य से नहीं है। बल्कि सर्वप्रधान व्यंग्य से है। व्यंग्य सर्वप्रधान ध्वनिकाव्य में ही होता है, इसी लिए उन्होंने सर्वत्र 'व्यंग्यप्रधाने हि ध्वनिः' यही निर्देश किया है, केवल व्यंग्यो ध्वनिः' नहीं। पर्यायोक्त आदि अलंकारों में इसी 'ध्वनि' के अन्तर्भाव आदि की बात की गयी है। केवल व्यंग्यार्थ के नहीं। इसी लिए पर्यायोक्त आदि में जब प्राधान्य व्यंग्य का होगा तो उनका ही ध्वनि में अन्तर्भाव सम्भव है ध्वनि का उनमें नहीं। - 'पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यंग्यत्वं तद्भवतु नाम तस्य ध्वनावन्तर्भावः । न तु ध्वनेस्तत्रान्तर्भावः ।' प्रतीयमान या व्यंग्यार्थ को तो अन्य अलंकारिकों ने भी स्वीकार कर रखा है। मले ही उसका बोध वे अभिधा, लक्षणा या तात्पर्य वृत्ति द्वारा कराते रहे हों। अतः ध्वनिकार या आनन्दवर्धन के सिद्धान्त की महत्ता ध्वनि की आत्मा रूप में प्रतिष्ठा तथा व्यंजनव्यापार की स्थापना में है। ध्वनि उनकी व्यंग्यरूप तो है ही। कोई भी अलंकार व्यंग्यरूप होने मात्र ध्वनि का विषय नहीं हो जाता बल्कि जब वह प्रधानरूप से भी विवक्षित होता है तब ध्वनि का विषय बनता है - 'व्यंग्यत्वेऽप्यलंकाराणां प्राधान्यविवक्षायामेव सत्यां ध्वनावन्तः पातः ।' जहाँ कहीं भी व्यंग्य वस्तु, अलंकार या रसादि अंगी अर्थात् प्रधान रूप में स्पष्टतया अवभासित होंगे वही ध्वनि होगी। इसी लिए अभिनव जब ध्वनि का अर्थ

1- ध्वन्या० पृ० 108 तथा 'तत्र व्यंजकत्वे यदा व्यंग्यप्रधान्यं तदा ध्वनिः' वही, पृ० 429 -

2- वही, पृ० 118

3- वही, पृ० 278-279



केवल व्यंग्य कर लेते हैं तो उन्हें इन पूर्वपक्षों का समाधान करना पड़ता है कि 'सिंहो वटुः' आदि में व्यंग्य रूप काव्यात्मा के रहते हुए भी काव्य नहीं होगा। अतः निश्चित ही ध्वनिकार या आनन्दवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है जिसके तीन रूप हैं - वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि और रसादिध्वनि। और इसीलिए काव्यता उन तीनों ही स्थलों पर होती है जहाँ रस या वस्तु अथवा अलंकार कोई भी प्रधानरूप से व्यंग्य होता है। और ऐसा काव्य निश्चित ही ध्वनिकाव्य है। जिसे 'मम्मट, हेमचन्द्र आदि ने उत्तम और पण्डितराज ने उत्तमोत्तम काव्य कहा है। जहाँ व्यंग्य प्रधान नहीं होगा वहाँ ध्वनि नहीं होगी और आनन्दवर्धन के अनुसार वहाँ काव्य भी नहीं होगा। आनन्दवर्धन का स्पष्ट कथन है कि 'इदानीन्तनानां तु न्याये काव्यनयव्यवस्थापने क्रियमाणे नास्ति ध्वनिव्यतिरिक्तः काव्यप्रकारः'।<sup>2</sup> यह सुस्पष्ट हो जाता है कि ये ध्वनिवादी सहृदय काव्यक्षेत्र में कितना कवियों के साथ अन्याय कर रहे थे? और कितने काव्य इनकी परम सहृदयता के आगे अकाव्य हुए जा रहे हैं? इसी कारण मनोरथ आदि कवियों ने अत्यन्त रुष्ट होकर इसकी निस्सारता प्रतिपादित की। इस प्रकार यह भी स्पष्ट हो जाता है ध्वनिकार के पहले जो ध्वनिवादी थे जिनके बीच ध्वनि काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित थी स्पष्ट ही आनन्द द्वारा प्रतिपादित गुणीभूतव्यंग्य और चित्रकाव्य को भी वे काव्य स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। आनन्दवर्धन ने उन पूर्वाचार्यों के मत का प्रतिपादन अवश्य किया परन्तु वे गुणीभूतव्यंग्य के सौन्दर्य का तिरस्कार न कर सके। इसी लिए निरूपण उसका भी बड़े विस्तार के साथ किया। और यह सोचकर कि कहीं कोई यह न कह दे कि जब यही ध्वनि ही नहीं है जो कि काव्य की आत्मा है, अतः यह काव्य कैसे होगा, डरते डरते पुनः उसकी ध्वनिरूपता का निरूपण कर देते हैं —

प्रकारेभ्यः गुणीभूतव्यंग्योऽपि ध्वनिरूपताम्।

यत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥' 3

लेकिन स्पष्ट ही उनके सिद्धान्त की सीकीर्षता यहाँ दृष्टिगोचर हो जाती है। यही कारण है कि आगे चलकर किसी भी स्वतंत्र ध्वनिवादी आचार्य ने 'काव्यस्यात्माध्वनिः' नहीं कहा।

1- लोचन, पृ० 59

2- दृष्टान्तः पृ० 497

3- " 3/40

मम्मट ने भी ध्वनि का प्रयोग 'व्यंग्यार्थ'के लिए नहीं किया बल्कि 'ध्वनिकाव्य'के लिए ही किया है—

'इदमुत्तममतिशायिनि व्यंग्ये वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः कथितः ।'<sup>1</sup>

विश्वनाथ ने भी काव्य को ही 'ध्वनि'कहा है—

'वाच्यातिशायिनि व्यंग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमम् ।'<sup>2</sup> यही नहीं उन्हो ने तो

'वाक्य रसात्मकं काव्यम्' कहकर 'काव्यस्यात्माध्वनिः' इसका खण्डन <sup>भी</sup> किया है ।<sup>3</sup>

व्यंग्यार्थ और ध्वनि को एक कर दिया है आचार्य हेमचन्द्र ने - 'मुख्याद् व्यतिरिक्तः

प्रतीयमानो व्यंग्योध्वनिः'<sup>4</sup> उन्हो ने अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत 'ध्वनिकाव्य'को केवल

उत्तम काव्य कहा है ध्वनिकाव्य नहीं। पण्डितराज ने भी 'ध्वनि'का प्रयोग 'उत्तमोत्तम'

काव्य <sup>के</sup> लिए ही किया है। इस प्रकार आगे चल कर स्वयं ध्वनिवादियों को ही 'ध्वनि

की काव्यात्मता' मान्य नहीं हुई। अतः यदि उन्हें ध्वनिविरोधी नहीं कहा जाता तो.

उसी 'ध्वनि की काव्यात्मता' मात्र का विरोध करने वाले आचार्य कुन्तक को ध्वनि-

विरोधी कहना कहाँ तक समीचीन है जब कि उन्हें निश्चित रूप से व्यंग्य और व्यंजना की

सत्ता मान्य है । उन्हो ने वक्रोक्तिसिद्धान्त की स्थापना इसी ध्वनि की रकांगिता

और अव्याप्ति के कारण की । उन्होंने काव्य की काव्यता का निर्णायक सहृदय को ही

प्रतिपाद्यत किया किन्तु काव्य का स्वरूप विवेचन काव्य के कर्ता कविके कौशल के दृष्टि

कोण से किया। यह समीचीन भी है। काव्य कवि का कर्म है। उसकी रमणीयता कवि कर्म

की रमणीयता है। अतः काव्य में प्रधानता निश्चित कवि के व्यापार की है। इसी लिए

कुन्तक कवि व्यापार की ही षड्विध वक्रताओं का निरूपण करते है। कवि का कौशल केवल

प्रधान रूप से व्यंग्य, रस, वस्तु और अलंकार, अर्थात् ध्वनि की ही योजना में नहीं अभिव्यक्त

होता। बल्कि प्रधान रूप से वाच्य वस्तु और अलंकार के भी सम्यक् निरूपण में अभिव्यक्त होता

है। किसी भी काव्य की काव्यता का निर्णायक सहृदय होता है लेकिन सहृदय को केवल

'ध्वनिकाव्य'से ही आनन्द नहीं मिलता। उसे वस्तु और अलंकार के ही वाच्यप्रधान चमत्कार

पूर्ण वर्णन में भी आनन्दोपलब्धि होती है। कवि व्यापार की वक्रता प्रधानरूप से व्यंग्य रस

वस्तु और अलंकार निरूपण के साथ साथ प्रधान रूप से वाच्य वस्तु और अलंकार के निरूपण

में भी निहित है। आनन्दवर्धन ने जिसे वस्तु कहा है उसे कुन्तक ने अधिकतर स्वभाव कहा

है। आनन्दवर्धन की भाँति ही रस को कुन्तक व्यंग्य ही स्वीकार करते है। वह स्वशब्द वाच्य

कभी हो ही नहीं सकता। रस की सर्वथा व्यंग्यता को ही स्वीकार करते हुए वे उद्भट के

विषय में बड़ी मोठी चुटकी लेते है और कहते है कि—

1- काव्य प्र०, 1/4

2- सा० द०, 4/1

3- द्रष्टव्य, वही, 17-18

4- काव्यानुशासन, पृ० 25 (काव्यमाला)

'तत्र स्वशब्दास्पदत्वं रसानामपरिगतपूर्वमस्माकम्।

द्वितीय उन्मेष की अन्तिम कारिका में प्रयुक्त 'सरसत्त्वसम्पदुचिता' की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं — 'अत्रैकत्र सरसत्त्वं स्वसमयसम्भविरसाद्व्येतत्वम्, अन्यत्र शृंगारादिव्ययजकत्वम्।'<sup>2</sup> इससे स्पष्ट है कि शृंगारीद व्यंग्य ही होते हैं। अब रही वस्तुस्वभाव की बात उसे दोनों ही आचार्यों ने व्यंग्य तथा वाच्य दोनों रूपों में स्वीकार किया है अन्तर यह है कि आनन्द के अनुसार वस्तुस्वभाव वर्णन काव्य तभी होगा जब कि वह प्रधान रूप से व्यंग्य ही होगा जब कि कुन्तक के अनुसार उसके साथ ही प्रधान रूप से वाच्य भी रमणीय वस्तु का वर्णन काव्य होगा। यही अन्तर दोनों आचार्यों के अलंकारस्वरूप में है। आनन्द के अनुसार प्रधान रूप से व्यंग्य अलंकार के निरूपण में ही काव्यता होगी जब कि कुन्तक के अनुसार प्रधानरूप से वाच्य भी सहृदयाह्लादकारी अलंकार के निरूपण में काव्यता होगी। कुन्तक का सुकुमार मार्ग प्रधानतया वस्तु स्वभाव और रसनिरूपण को प्रस्तुत करता है और विचित्रमार्ग प्राधान्येन अलंकारनिरूपण को। कवि का कौशल उभयत्र प्राणरूप में प्रतिष्ठित होता है। अन्तर यह है कि सुकुमार मार्ग में कवि का सहज कौशल प्रधान होता है और विचित्रमार्ग में आहार्यकौशल। और जैसा कि बताया जा चुका है कुन्तक किसी भी मार्ग की किसी से भी न्यूनता या आधिक्य नहीं स्वीकार करते। जितना रमणीय सुकुमार मार्ग है उतना ही रमणीय विचित्र मार्ग भी। कोई यहाँ यह कह सकते हैं कि कुन्तक का विवेचन तब तो नितान्त अशुद्ध एवं असहृदयतापूर्ण है, कहीं रस और स्वभाव की छटा ? और कहीं अलंकार का सौन्दर्य ? लेकिन उनका यह सोचना भ्रमपूर्ण होगा। वस्तुतः कुन्तक के अलंकार इतने सस्ते नहीं हैं उनका निबन्धन रस और स्वभाव के निबन्धन की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन है। क्योंकि अलंकार का अलंकारत्व अपने अलंकार्य की शोभा बढ़ाने में है। उसके द्वारा अलंकार्य है वस्तु स्वभाव और रस। यदि अलंकार इन दोनों के सौंदर्य को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा तो वह अलंकार ही नहीं होगा। और इसीलिए 'ननो नुन्नो ननुन्नेनो' आदि श्लोक कुन्तक की दृष्टि में काव्य नहीं हो सकते। इसी तरह पद्म बन्ध आदि चित्रकाव्य तथा दुष्कर यमकादि अलंकार नहीं कहे जा सकते। अतः कुन्तक ने यह स्वीकार करते हुए कि कविकौशल रस, स्वभाव तथा अलंकार सभी का प्राणा होता है फिर भी अलंकारों के लिए उसके विशेष अनुग्रह की आवश्यकता बतायी है —

'यद्यपि रसस्वभावालंकाराणां सर्वेषां कविकौशलमेव जीवितम् तथाऽप्यलंकारस्य विशेष-  
तस्तदनुग्रहं विना वर्णनाविषयवस्तुनोभूषणाभिधायित्वेनाभिमतस्य स्वरूपमात्रेण परिष्कृतो

1- व जी० पृ० 159

2- वही पृ० 133

यथार्थत्वेन निबद्धमानस्य तद्विदाह्लादविधानानुपपत्तेर्मनाङ्मात्रमपि न वैचित्र्यमु-  
त्प्रेक्षामहे प्रचुरप्रवाहपतितेतरपदार्थसामान्येन प्रतिभासनात्।<sup>I</sup> अलंकार के लिए परमावश्यक  
है कि वह सहृदयाह्लादकारी हो अन्यथा उसका अलंकारत्व ही सम्पन्न न होगा और  
शाकटिक(गाड़ीवान)के वाक्य की तरह ही वह अकार्य होगा। और यही कारण है कि  
कुन्तक का विचित्र मार्ग सरल नहीं, चलने में खड्गधारा पथ के समान है। अलंकार रचना  
में जरा सा चूके नहीं कि अकवि या कुकवि की श्रेणी में आ गए। विचित्र मार्ग में  
वस्तुओं का रसनिर्भर अभिप्राय से युक्त स्वभाव किसी लोकोत्तर हृदयहारो वैचित्र्य से  
उत्तेजित होता है। अलंकारका वैचित्र्य जिसका कि प्राण अतिशयोक्ति है उस मार्ग का  
जीवित होता है। उस मार्ग पर चलना इसी लिए अत्यन्त कठिन है। इसीलिए कुन्तक  
की वक्रोक्ति वक्रता को वहीं प्रस्तुत करती है जहाँ कि वह सहृदयाह्लादकारी होती  
है। जिस उक्ति में सहृदय को आह्लादित करने की क्षमता नहीं वह लोकोत्तर होती  
हुई भी वक्रोक्ति नहीं हो सकती। अतः यह स्पष्ट है कि कुन्तक की वक्रोक्ति ध्वनि की  
विरोधी नहीं होती हुयी भी उसकी अपेक्षा अधिक व्यापक है। उसमें काव्य के समस्त  
तत्त्वों का समुचित सन्निवेश है। ध्वनिवक्रता का एक रूप है। अथवा उसका एक अंग है।  
यदि उन्हो ने काव्य का निर्णायक ध्वनि को नहीं माना तो भी पण्डितराज का अधम  
अथवा अधमाधम काव्य कुन्तक की काव्य कोटि में नहीं आ सकता। साथ ही सहृदय-  
ह्लादकारी ध्वनिवादियों का गुणीभूत व्यंग्य काव्य या रमणीय अर्थचित्र काव्यता की कोटि  
से बाहर भी नहीं जा सकते। कुन्तक को काव्य के उत्तम, मध्यम, या अधम विभाजन  
अभीष्ट नहीं। काव्य की कसौटी है सहृदयाह्लाद। सहृदयाह्लाद की क्षमता जिस काव्य  
में है वही काव्य है, अतः वह उत्तम ही होगा वह मध्यम या अधम नहीं हो सकता।  
परन्तु कुन्तक का उत्तम काव्य केवल आनन्दवर्धन के ध्वनिकाव्य या कि मम्मट आदि के  
उत्तम काव्य और पण्डितराज के उत्तमोत्तम काव्य के स्वरूप वाला नहीं है। पण्डितराज  
का काव्य चतुर्थी विभाजन ही ध्वनि सिद्धान्त को अनुपपन्न सिद्ध कर देता है। यही  
नहीं ध्वनिसिद्धान्त की काव्यस्वरूप निरूपण की अक्षमता को स्वयं ध्वनिवादी मम्मट,  
विश्वनाथ, पण्डितराज, सूर्यक आदि आचार्यों का ध्वनिकाव्य की अपेक्षा अधमकाव्य रूप  
अलंकारों का सर्वांगिक विवेचन ही सिद्ध कर देता है ॥ सहृदयश्चाद्य वाच्य तथा प्रतीयमान

दोनों ही अर्थ काव्य की आत्मा है। आवश्यकता है दोनों के ही सहृदयश्लाघ्य होने की। क्यो कि वह प्रतीयमान या व्यंग्यार्थ भी काव्य की आत्मा नहीं हो सकता जो कि सहृदयश्लाघ्य नहीं है। इसे स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं है। चारुव का उत्कर्ष प्रस्तुत करने के कारण यदि प्रधान व्यंग्यार्थ आत्मा हो सकता है तो उसी चारुवोत्कर्ष को प्रस्तुत करने वाला प्रधान वाच्यार्थ उसकी कोटि से नीचे क्यो ढकेला जाता है ? ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि प्रधान वाच्यार्थ चारुवोत्कर्ष को नहीं प्रस्तुत करता क्यो कि आनन्द का यह कथन कि —

'चारुवोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यंग्ययोः प्राधान्यविवक्षा'<sup>1</sup>

इस बात के प्रति स्पष्ट स्वीकृति है कि वाच्य भी उस चारुवोत्कर्ष को प्रस्तुत कर सकता है जिसे कि व्यंग्यार्थ। अतः जहाँ प्रधान व्यंग्यार्थ चारुवोत्कर्ष को प्रस्तुत करे उसे उत्तम कहा जाय और जहाँ प्रधान वाच्य उसी चारुवोत्कर्ष को प्रस्तुत करे उसे मध्यम या अधम कहा जाय यह कही का न्याय है ? अतः काव्य की आत्मा केवल रस या केवल ध्वनि अथवा केवल व्यंग्य को स्वीकार करना समीचीन नहीं और यही कारण है कि स्वयं ध्वनिवादी ही काव्य की आत्मा को स्वीकार करने में एकमत नहीं है। अतः काव्य की आत्मा 'सहृदयाह्लाद' अथवा आनन्द है। उसकी अभिव्यक्ति तीन रूपों में होती है, रस वस्तु या स्वभाव और अलंकार रूप में क्यो कि सहृदय का आह्लाद रस, स्वभाव तथा अलंकार सभी के उत्कर्ष के सम्यक् परिपोष में निहित है केवल रस परिपोष में ही नहीं। कुन्तक का अत्यन्त स्पष्ट कथन है कि —

'भावस्वभावसौकुमार्यवर्णने, शृंगारादिरसस्वरूपसमुन्मीलने वा विविधविभूषणविन्यास-विच्छित्तविरचने च परःपरिपोषातिशयः तद्विदाह्लादकारितायाः कारणम्'<sup>2</sup> निश्चित ही इस सत्य को कोई भी सहृदय अस्वीकार नहीं कर सकता। इनमें रस सदैव व्यंग्य होता है, वस्तुस्वभाव या अलंकार कभी व्यंग्य होते हैं कभी वाच्य। ये तीनों अपने इन्ही रूपों से सौन्दर्य अथवा वक्रता की अभिव्यक्ति करते हैं या कि सहृदयाह्लाद को उत्पन्न करते हैं। अतः आनन्द की रस, स्वभाव और अलंकार तीन रूपों में अभिव्यक्ति होने के कारण ये तीनों ही काव्य की आत्मा कहे जा सकते हैं। इस लिए जो 'वक्रोक्तिसिद्धान्त' और 'रस-सिद्धान्त' का विवेचन करते समय कुन्तक की <sup>प्रति</sup> में भी रस की काव्यात्मकता का निरूपण किया गया है उसका इस कथन से पूर्ण पर विरोध सोचना समीचीन नहीं। और चूकि सौन्दर्य-भिव्यक्ति या वक्रता अथवा तद्विदाह्लादकारित्व को प्रस्तुत करने वाली एकमात्र 'वक्रोक्ति'

1 - ध्वन्या०, पृ० 114

2 - व. जी., पृ० 145

है अतः उसके असाधारण करणत्व को सूचित करने के लिए यदि कुन्तक ने उसे ही काव्य का जीवित कह दिया तो वह असमीचीन नहीं। क्यों कि उक्ति की वक्रता, उक्ति का सौन्दर्य, या वाणी का तद्विवाहलादकारित्व विना वक्रोक्ति के सम्भव नहीं, अतः प्राणभूता है, फिर तत्त्वतः तो उसका अलंकार्य से अलग अस्तित्व ही नहीं है अतः उसकी भी भिन्नता तो केवल अपोद्धार बुद्धि से कल्पित है। यही नहीं वक्रता और तद्विवाहलादकारित्व दोनों एक ही तत्त्व है। कुन्तक ने अनेको स्थलों पर इस बात की स्पष्ट स्वीकृति दी स्वीकृति देने है —

(1) यत्र विशेषणमाहात्म्यादेव तद्विवाहलादकारित्वलक्षणं वक्रत्वमभिव्यज्यते।<sup>1</sup>

(2) अत्र च तद्विवाहलादकारित्वमेव वक्रत्वम्।<sup>2</sup>

विना तद्विवाहलादकारिता के वक्रता ही ही नहीं सकती? विना तद्विवाहलादकारित्व के किसी की काव्यता सम्भव नहीं। अतः निश्चित ही 'तद्विवाहलाद'को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाना चाहिए। और इसे स्वीकार कर लेने पर वे सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं जो कि काव्य की आत्मा केवल रस या ध्वनि अथवा व्यंग्य आदि को मानने में समुपस्थित होती हैं। काव्य व्यवहार वही होगा जहाँ कि सहृदय को आनन्दानुभूति होगी।

उक्त विवेचन से इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कुन्तक का वक्रोक्तिसिद्धान्त निश्चित ही काव्य के अन्य सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक व्यापक और काव्यस्वरूप का समुचित विश्लेषण करने में समर्थ है। वह कवि तथा सहृदय दोनों के साथ पूर्ण न्याय करता है। किसी भी ओर वह अत्युक्तिवादी नहीं है। काव्य रचना में निश्चित ही कवि का प्राधान्य है। कवि व्यापार ही प्रधान है।<sup>1</sup> लेकिन साधारण कवि व्यापार काव्य नहीं प्रस्तुत कर सकता उसे असाधारण अथवा वक्र होना चाहिए। उस कवि व्यापार की वक्रता का निर्णायक है सहृदय। यदि काव्य रचना में सहृदयाह्लाद की क्षमता नहीं तो वही कुन्तक कवि व्यापार वक्रता मानने को ही तैयार नहीं। अतः सहृदय का प्राधान्य अपने स्थान पर और कवि का प्राधान्य अपने स्थान पर सुरक्षित है। एक आचार्य का कर्तव्य है कि वह ऐसा मानदण्ड प्रस्तुत करे जिससे किसी भी पक्ष पर आघात न हो। इसी लिए कुन्तक ने कवि व्यापार की वक्रताओं का काव्य के सूक्ष्म तम अवयव वर्ण से लेकर महत्तम स्वरूप प्रबन्ध तक अपनी तत्त्वग्राहिणी बुद्धि से सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। काव्यतत्त्वविवेचन में कुन्तक निश्चित ही आनन्दवर्धन से बहुत आगे है। इस बात के परम

1- व०जी० पृ० 33

2- वही, पृ० 42

प्रमाण है उनके सवृतिवक्रताविश्लेषण और प्रकरण तथा प्रबन्धवक्रता के सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन। प्रबन्ध का विवेचन करते समय आनन्द को दृष्टि केवल रसादिध्वनि तक ही सीमित रही, वह कवि के अन्य प्रबन्धकौशलों को देखने में असमर्थ रही। कुन्तक ने उनका सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन किया। सर्वनाम की व्यञ्जकता का जितना सूक्ष्म और <sup>प्रबन्धी-</sup>वैचित्रिक विश्लेषण कुन्तक ने प्रस्तुत किया है उसको कल्पना आनन्द के सर्वनाम-ध्वनि-विवेचन से शायद ही हो जा सके। यही नहीं वक्रता के प्रत्येक भेद-प्रभेद के विवेचन में जिस सूक्ष्मता के साथ कुन्तक ने प्रवेश किया है वह आनन्दकृत ध्वनि के विवेचन में दुर्लभ-प्राय ही है। अतः डा० कृष्णामूर्ति के इस कथन को निश्चित ही अर्थवाद नहीं कहा जा सकता है कि — 'कुन्तक जैसे स्वतंत्र लेखकों ने ध्वनि की नवीन व्याख्याएँ प्रस्तुत करने में आनन्दवर्धन को अपेक्षा कहीं अधिक मौलिकता दिखाई है।'

कुन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त के तिरस्कार के कारण एवं निष्कर्ष :

अब प्रश्न यह उठता है कि जब कुन्तक का 'वक्रोक्ति-सिद्धान्त' ऐसा था तो इसकी प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो पाई ? इसका एकमात्र कारण 'सम्प्रदायवाद' ही प्रतीत होता है। ध्वनिसिद्धान्तवादियों का एक संप्रदाय ही चल पड़ा था कि वे उसके आगे किसी अन्य सिद्धान्त को प्रतिष्ठित ही नहीं होने देना चाहते थे। इसी लिए अभिनव गुप्त तथा मम्मट आदि ध्वनिप्रस्थापक परमाचार्यों ने कुन्तक की वक्रोक्ति का कोई उल्लेख ही नहीं किया <sup>2</sup> बल्कि उसने प्रभावित होकर ध्वनिसिद्धान्त के स्वरूप में ही संशोधन किया। साथ ही अभिनव गुप्त तथा मम्मट जैसे ध्वनिवादी आचार्यों द्वारा कुन्तक की वक्रोक्ति का खण्डन न किया जाना ही इस बात का परम प्रमाण है कि कुन्तक ध्वनिविरोधी नहीं थे। यह कहना कि इन दोनों आचार्यों को कुन्तक का ज्ञान ही नहीं रहा होगा, उचित नहीं। अभिनव गुप्त, कुन्तक एवं उनके सिद्धान्त से भली-भाँति परिचित थे, यह प्रतिपादित किया जा चुका है। मम्मट भी निश्चित ही कुन्तक के 'वक्रोक्तिजीवित' ग्रन्थ से परिचित थे। इसके कुछ प्रमाण तो मम्मट द्वारा दिए गए उदाहरण हैं—

(1) मम्मट ने 'कल्लोलवेल्लित दृष्टपरुष प्रहारेः आदि श्लोक के तृतीय चरण 'किं कौस्तुभेन भवतो विहितो न नामः' के स्थान पर कुन्तक द्वारा दिए गए 'एकेन

"Independent writers like Kuntaka sought to exhibit greater originality than Anandvardhana by offering new explanations."

— Indian Culture, Vol. XV, p. 163.

न विहितो भवतः स नाम 'पाठान्तर' को यथातथ रूप में उद्धृत किया है।<sup>1</sup>

(2) इसी तरह '(तत्रा)यत्रानुल्लिखिताख्यमेव निखिलम्' आदि श्लोक के चतुर्थ चरण में कुन्तक द्वारा निर्दिष्ट 'छायामात्रमणीकृताश्मत्तुमणेस्तस्याश्मतैवोचितः' पाठान्तर को यथातथ रूप में उद्धृत किया है।<sup>2</sup>

(3) इसके अतिरिक्त 'सदामध्ये यासांमियममृतं निस्यन्दसुरमा

सरस्वत्युद्दामा वहति बहुमार्गा परिमलम्।।'

आदि श्लोक में प्रयुक्त 'बहुमार्गा' पद को व्याख्या करते हुए वे कहते हैं--

'अत्र यासां कविस्वीनां मध्ये सुकुमारविचित्रमध्यमात्कृत्रिमार्गा भरती चमत्कारं वहति इत्यादि स्पष्ट ही सुकुमार विचित्र और मध्यम मार्गों का उल्लेख उनके कुन्तक के ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजोवित' के ज्ञान का सूचक है।

अतः इन आचार्यों ने जो वक्रोक्तिसिद्धान्त का उल्लेख ही नहीं किया सम्भवतः उसका प्रधान कारण 'ध्वनिसम्प्रदाय' के प्रति इनकी अत्यधिक निष्ठा ही थी। 'वक्रोक्तिसिद्धान्त' ने इनके व्यंग्य और व्यंजना को समुचित स्थान दिया ही था, अतः इनके मुख्य 'व्यंजना सिद्धान्त' का विरोधी था ही नहीं कि उसका विरोध या खण्डन ये लोग करते। साथ ही वक्रोक्तिसिद्धान्त 'ध्वनिकार एवं आनन्दवर्धन के ध्वनिसिद्धान्त से निश्चित ही व्यापक एवं युक्तिपूर्ण था, अतः उसका साधारण ढंग से निराकरण भी करना आसान नहीं था। फलतः उसके विषय में मौन रहना ही इन आचार्यों ने उचित समझ होगा। कदाचित् विश्वनाथ और विद्याधर आदि की भाँति कुछ ऊटपटांग कह गए होते तो लोग इनके आचार्यत्व पर भी उँगली उठाने लगते। कुन्तक के 'वक्रोक्तिसिद्धान्त' की अथवा उनके ग्रन्थ वक्रोक्तिजोवित' की उपेक्षा का प्रधान कारण यही आचार्यों का 'सम्प्रदायवाद ही रहा होगा जिसे आधुनिक भाषा में 'दलबन्दी' कहा जाता है। 'वक्रोक्तिसिद्धान्त' को अभिनवगुप्त और मम्मट जैसा समर्थक न मिला यही उसका दुर्भाग्य था। अन्यथा काव्यस्वरूप एवं काव्य के तत्त्वों का जितनी सूक्ष्मता, सहृदयता एवं पाण्डित्य के साथ विवेचन कुन्तक ने प्रस्तुत किया है क्या वह किसी अन्य आचार्य के ग्रन्थ में मिलता है। साहित्य का जो स्वरूप कुन्तक ने निरूपित किया क्या कोई भी आचार्य वैसा कर सका है? स्वयं साहित्यदर्पण' प्रस्तुत करने वाले साहित्यार्णवकर्णधार, ध्वनिप्रस्थापनपरमाचार्य, महापात्र कविराज श्री विश्वनाथ ने भी कहीं अपने ग्रन्थ में 'साहित्य' के स्वरूपनिरूपण का कष्ट उठाया है? यही नहीं कुन्तक का काव्यलक्षण भी क्या अन्य आचार्यों के काव्यलक्षणों की अपेक्षा अव्याप्ति या अतिव्याप्ति

1- द्रष्टव्य, का० प्र० पृ० 340 तथा व० जी० पृ० 16

2- " " " " पृ० 338 " " " " पृ० 18

3- " " " " पृ० 327-328



के लसर्ग से मुक्त नहीं है ?सम्मत के काव्यलक्षण में 'अदोषी सगुणौ' आदि पदों के उपादान से जो अट्याप्ति आदि का निर्देश विश्वनाथ तथा पण्डितराज आदि आचार्यों ने किया है क्या वैसा निर्देश कुन्तक के काव्यलक्षण में किया जा सकता है ? उनके शब्द और अर्थ का स्वरूप ही ऐसा विशिष्ट है कि उसमें दोषादि की स्थिति ही सम्भव नहीं । इसलिए उनके लिए अदोषी, सारकारौ तथा सगुणौ आदि विशेषणों की आवश्यकता ही नहीं । इसी तरह परप्रतार्किक पण्डितराज जगन्नाथ के काव्यलक्षण 'रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' में जो अट्याप्ति है क्या उक्त भी सम्भावना कुन्तक के काव्यलक्षण में की जा सकती है ? पण्डितराज के लक्षण के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक एक शब्द भी काव्य हो सकता है, क्या यह काव्यलक्षण की अट्याप्ति नहीं है ? जब कि कुन्तक के अनुसार माहित्य रूप से बन्ध अथवा वाक्यविन्यास में व्यवस्थित शब्द और अर्थ ही काव्य होते हैं । और वह बन्ध भी साधारण नहीं बल्कि उसे कवि के वक्रव्यापार से सुशोभित एवं सहृदयों को आह्लादित करने की क्षमता से युक्त होना परम अनिवार्य है । अतः निश्चित ही कुन्तक का काव्यलक्षण अट्याप्ति और अट्याप्ति दोनों ही प्रकार के दोषों से निर्मुक्त है और सहृदयाह्लादकारो सत्काव्य के स्वरूप का निरूपण करने में पूर्णतया समर्थ है ।

अस्तु, उक्त समग्रविवेचन का निष्कर्ष यही है कि आचार्य कुन्तक न तो ध्वनि-विरोधी अभिधावादी थे और न भक्तिवादी । उन्हें न व्यंग्य की सत्ता अमान्य थी और न व्यंजना की । उन्होंने ने केवल प्रधानव्यंग्य रूप ध्वनि की ही काव्यात्मता का विरोध किया जो कि समीचीन भी था । ध्वनिसिद्धान्त स्वीकरी था । उसे केवल आत्मवादी सिद्धान्त कहा जा सकता है किन्तु कुन्तक का सिद्धान्त भामह आदि के सिद्धान्तों की भाँति निरा देहवादी नहीं था । उसे केवल देहवादी स्वीकार करना उसके साथ अन्याय करना है । उसमें देह और आत्मा दोनों का पूर्ण सामंजस्य है । यदि एक ओर काव्य में कविकौशल प्रधान है तो दूसरी ओर सहृदयाह्लाद भी प्रधान है । और इसीलिए यह कहना भी असमीचीन सिद्ध हो जाता है कि कुन्तक का वक्रोक्तिसिद्धान्त ध्वनिसिद्धान्त की वस्तुगत परिकल्पना मात्र है । उन्होंने व्यंग्यव्यंजक-भात्र या रसादि के स्वरूप का जो सविस्तर विश्लेषण नहीं किया उसका प्रधान कारण ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन के साथ उनकी सहमति है, उनके प्रति उपेक्षा भाव नहीं । अतः जहाँ काव्य के अन्य सभी सिद्धान्त

किसी न किसी दृष्टि से अपूर्ण थे कुन्तक ने पूर्ण-रूप में सभी सिद्धान्तों का परिष्कार कर समन्वित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी लिए वे किसी भी सिद्धान्त की पूर्ण अवहेलना नहीं करते, जैसा कि परवर्ती आचार्यों ने उनके सिद्धान्त के साथ किया। वे सभी सिद्धान्तों के सार का ग्रहणकर असार का परित्याग कर अनौचित्य का परिहार कर एक पूर्ण वक्रोक्तिसिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं। वे किसी भी सिद्धान्त के अन्धानुयायी नहीं हैं। साथ ही किसी भी सिद्धान्त के दुराग्रहो विरोधी भी नहीं हैं। यदि परवर्ती आचार्यों ने उनके सिद्धान्त का तिरस्कार किया तो उसका प्रधान कारण उनका निष्पक्ष न होना, अथवा कुन्तक के महान् व्यक्तित्व से द्वेष ही था। कुन्तक का व्यक्तित्व निश्चित ही अत्यन्त महान् था इसकी सिद्धि महिमभट्ट द्वारा आनन्द-वर्धन के सिद्धान्त के साथ ही साथ कुन्तक के सिद्धान्त के खण्डन से सिद्ध होती है। कुन्तक की सहृदयता का ही इतना बोलबाला था कि महिमभट्ट उसी पर आक्षेप करने के लिए उनके द्वारा स्वीकृत एक श्लोक में दोषोद्घोषणा करने के लिए पूरे बीस पृष्ठों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करते हैं जो कि उनके समग्र ग्रन्थ के सातवें हिस्से से कुछ अधिक ही है, और उसमें विधेयाधिमर्श दोष दिखाकर बड़े अहंकर के साथ कहते हैं -

'काव्यकाचनकषाश्ममानिना कुन्तकेन' निजकाव्यलक्ष्णि ।

यस्य सर्वनिरवदयतोदिता श्लोक रष स निदर्शितो मया। १ '1

मानो समस्त लोकों का आधिपत्य पा गए। क्या इससे कुन्तक के महान् व्यक्तित्व की सिद्धि नहीं होती। अगर कुन्तक की वक्रोक्ति केवल अभिधा ही होती तो स्वयं अभिधा को ही स्वीकार करने वाले आचार्य महिमभट्टको अनुमिति में उसके अन्तर्भाव करने की क्या आवश्यकता थी? इससे भी यही सिद्ध होता है कि कुन्तक ध्वनिविरोधी अभिधावादी नहीं थे। अतः आधुनिक पण्डित एवं सहृदयसमाज को किसी पूर्वाग्रह से ग्रहीत न होकर कुन्तक के वक्रोक्तिसिद्धान्त के परीक्षण की आवश्यकता है।

सप्तम अध्याय

कुन्तक के परवर्ती आचार्य और वक्रोक्ति-सिद्धान्त

\*

आचार्य अभिनवगुप्त और वक्रोक्तिसिद्धान्त

आचार्य कुन्तक का कालनिर्णय करते समय यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि अभिनव ने यद्यपि कुन्तक अथवा उनके ग्रन्थ का नामोल्लेख नहीं किया किन्तु वे परिचित दोनों से थे । यद्यपि अभिनव का साहित्यशास्त्र से सम्बन्धित एक भी स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं है, तथापि 'नाट्यशास्त्र' पर 'अभिनवभारती' और 'ध्वन्यालोक' पर 'लोचन' नाम की उनकी दो टीकाएँ स्वतंत्र-ग्रन्थ-तुल्य ही हैं। लोचन में इन्होंने कई स्थलों पर वक्रोक्ति शब्द की व्याख्या प्रस्तुत की है। आनन्द द्वारा उद्धृत कवि मनोरथ के 'यस्मिन्नस्ति न वस्तु' आदि श्लोक में प्रयुक्त वक्रोक्ति शब्द की व्याख्या उन्होंने 'उत्कृष्ट संघटना' के रूप में की है<sup>1</sup>। वह इसी बात का सूचक है कि वक्रोक्ति में संघटना, गुण, अलंकार सभी अन्तर्भूत हैं । और ऐसा सिद्धान्त स्पष्ट ही भामह और कुन्तक का है । आचार्य आनन्द के इस कथन की कि 'वाग्विकल्प अनन्त है अभिनव ने व्याख्या की है— 'वक्तीति वाक् शब्दः । उच्यते ज्ञाते वागर्थः । उच्यतेऽनयेति वागभिधाव्यापारः । तत्र शब्दार्थ-वैचित्र्य प्रकारोऽनन्तः । अभिधावैचित्र्यप्रकारोऽप्यसङ्ख्येयः<sup>2</sup> ।' अभिनव की यह व्याख्या स्पष्ट ही कुन्तक के अभिमत को प्रस्तुत करती है। बालप्रियाकार ने कहा भी है— 'अभिधावैचित्र्येति । एतत्तु कुन्तकादिमताभिप्रायेणोक्तम्<sup>3</sup> ।' इसी प्रकार भामह के 'सैषा सर्वैव वक्रोक्तिः' आदि में वक्रोक्ति की व्याख्या करते हुए वे कहने हैं— 'शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णन रूपेणावस्थानम्<sup>3</sup> ।' और ऐसी वक्रोक्ति की लोकोत्तीर्णता निश्चित ही कुन्तक ने प्रतिपादित कर रखी है— 'वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधान-व्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा ।' यही नहीं, कुन्तक का अनुसरण करते हुए वे स्पष्ट कहते हैं कि रसाभिधयक्ति काव्य में स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति के द्वारा ही होती है : लोकोत्तीर्णता वक्रोक्ति में ही निहित है —

'काव्येऽपि च लोकनाट्यधीर्भिस्थानीयेन स्वभावोक्तिवक्रोक्तिप्रकारद्वयेनालौकिकप्रसन्नमधु-  
रौजिस्विशब्दसमर्प्यमाणविभावादियोगादियमेव रसवार्ता<sup>4</sup> ।'

इस प्रकार अभिनव ने वक्रोक्तिसिद्धान्त को पर्याप्त ढंग से महत्त्व प्रदान किया । तथापि उनके ध्वनि-प्रस्थान से ~~प्र~~ भिन्नता तो उसमें थी ही। इसलिए उस सिद्धान्त को स्पष्टतया

1- द्रष्टव्य, लोचन, पृ० 247 27

2- द्रष्टव्य, वही, पृ० 25

3- लोचन, पृ० 467

4- लोचन, पृ० 186

वे स्वीकार कैसे कर लेते ? यही कारण था कि अभिनव-भारती में उन्हो ने वक्रोक्ति और भरत के लक्षण को एक रूप सिद्ध करने का प्रयास किया। उसी का विवेचन अब किया जायगा।

### लक्षण तथा वक्रोक्ति

जैसा कि प्रतिपादित किया जा चुका है अभिनव गुप्त द्वारा भरत के लक्षणों की की गई व्याख्या पूर्णतः कुत्तक से प्रभावित है। ~~यही~~ आचार्य भरत ने वाचिकाभिनयके प्रसंग में नाट्यशास्त्र के सोलहवें अध्याय में काव्य के लक्षणों, अलंकारों गुणों एवं दोषों का वर्णन किया है। इनमें से तो अलंकार, गुण और दोष अब तक प्रसिद्ध है किन्तु लक्षण अभिनव के समय से पूर्व ही अप्रसिद्ध हो चुके थे। आचार्य भरत ने 15 वें अध्याय की समाप्ति पर कहा है कि 'काव्यबन्धों को छत्तीस लक्षणों से युक्त करना चाहिए'। तदनन्तर 16 वें अध्याय के प्रारंभ में उन्हो ने विभूषण, अक्षरसंहति आदि छत्तीस लक्षणों का उद्देश्य-कीर्तन कर कहा है कि

'ये 36 लक्षण भूषण सदृश गिनाये गए हैं। काव्यमर्मज्ञों द्वारा काव्य में इनका रसादि की दृष्टि से सम्यक् प्रयोग करना चाहिए'।<sup>3</sup> इसके बाद भरत ने इन छत्तीस लक्षणों की केवल परिभाषा दे कर उपमा, दीपक रूपक और यमक चार अलंकारों का लक्षण-उदाहरण-सहित विवेचन कर कहा है कि अर्थव्यापार की अपेक्षा रखने वाले इन लक्षणों से काव्य को रचना करनी चाहिए—

रभिः अर्थक्रियापेक्षैः काव्यं कुर्यात्तु लक्षणैः<sup>4</sup> ।

इससे अधिक लक्षणों का भरत ने कुछ भी विवेचन नहीं किया, यही तक कि 'लक्षण' की सामान्य परिभाषा भी उन्हो ने नहीं दी। सिर्फ उन्हें भूषण-सम्पत्ति कह कर उनका सौन्दर्या-घायकत्व प्रतिपादित किया है। यही कारण है कि भरत के लक्षणों का स्वरूप सुस्पष्ट नहीं हो पाता और इसीलिए विभिन्न आचार्यों ने उनकी विविध व्याख्यायें प्रस्तुत की हैं। स्वयं अभिनव अपना मत देने से पूर्व दस पक्षों को प्रस्तुत करते हैं—

इदं तु दशपक्षी वस्तु<sup>5</sup> ।

उन दस पक्षों का विवेचन डा० राधवन ने 'हिस्ट्री ऑफ़ लक्षण' नामक निबन्ध में किया है।<sup>6</sup>

1- द्रष्टव्य, अभि० भा० (भाग 2) पृ० 294

2- 'काव्यबन्धास्तु कर्तव्याः षट्त्रिंशल्लक्षणान्विताः' ना० शा० 15/228

3- ना० शा० 16/4 (4) वही, 16/87

5- अभि० भा० (भाग 2) पृ० 297 (6) द्रष्टव्य, Same Concepts.

साथ ही प्रो० एस०पी० भट्टाचार्य ने भी डा० राघवन के विवेचन की कुछ न्यूनताओं की ओर निर्देश करते हुए <sup>इस विषय पर</sup> विवेचन किया है। किन्तु यहाँ पर उस विषय पर विचार करना समीचीन नहीं है। यहाँ केवल अभिनवगुप्त-कृत लक्षणों की व्याख्या पर विचार करना अभीष्ट है। वैसे डा० गणेश त्रयम्बक देशपाण्डे ने भी लक्षणों के विकास और उनके अलंकारादि रूप में परिवर्तन पर पाण्डित्यपूर्ण विवेचन किया है किन्तु जहाँ तक लक्षणों के स्वरूप आदि के विवेचन का प्रश्न है उन्हीं ने उसे अभिनव के शब्दों में ही सपभ्रया है<sup>2</sup>। अतः अभिनव के विवेचन की यथार्थता पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। 'अभिनवभारती' को यदि नाट्यशास्त्र की वृत्ति न कह कर स्वयं स्वतंत्र ग्रन्थ कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। अभिनव निश्चित ही अद्वितीय प्रतिभाशाली आचार्य थे। उनकी साहित्यशास्त्र सम्बन्धी अपनी मान्यताएँ थीं। अपनी उन्हीं मान्यताओं की सिद्धि के लिए उन्हीं ने विभिन्न स्थलों पर अत्यन्त ही सूक्ष्म-ज्ञान कर व्याख्या करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। भरत के गुणों का विवेचन करते हुए किस प्रकार उन्हीं ने उनमें आचार्य वामन के गुणों की व्याख्या करने का असम्भव प्रयास किया है यह डा० लाहिरी और डा० राघवन द्वारा स्पष्ट ही किया जा चुका है<sup>3</sup>। प्रकृत स्थल में भी अभिनव को लक्षण और वक्रोक्ति को एक सिद्धि करना अभीष्ट था और इसी लिए इस स्थल पर भी उनकी व्याख्या भरत के मन्तव्य को न स्पष्ट कर उन्हींके अभीष्ट की सिद्धि करती है। यह पहले स्पष्ट ही किया जा चुका है कि कुन्तक के अनुसार काव्य की सृष्टि कवि का वक्रव्यापार अथवा कवि की वक्र उक्ति ही करती है। और यही वस्तुतः कुन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त का मूल रहस्य है। साथ ही यह ध्रुव सत्य भी है। अतः कुन्तक के 'वक्रोक्तिसिद्धान्त' का सरलता से प्रत्याख्यान तब किया नहीं जा सकता था और 'ध्वन्यालोक' में ऐसा कोई अवसर भी नहीं था। यह अवसर भरत के लक्षणों में मिल गया तो क्यों कि लक्षण अप्रसिद्ध थे। अतः यदि लक्षणों को वक्रोक्ति अथवा कविव्यापार-रूप सिद्ध कर दिया गया तो कुन्तक का वक्रोक्तिसिद्धान्त स्वयं एक फिनारे लग जायगा। वस्तुतः अभिनव द्वारा

1- उपर्युक्त Poona Orientalist, Vol. 16, pp. 11-35 "The doctrine of Lakṣaṇa and a peep into its chequered history."

2- भा०सा०शा०द्रष्टव्य, पृ० 54-58

3 (क) "Abhinava's peculiar treatment of Bharata's Gunas would not very materially help the critical reader in the way of comprehending the original views of Bharata himself."  
— C. R. G. — P. 47

(ख) "The Abhinavabhāratī here is more a commentary on Vāmana's Guṇaprakaraṇa than on Bharata's  
Sū, Prā., P. 281.

लक्षणों को वक्रोक्ति अथवा कवि-व्यापार-रूप सिद्ध करने का यही एकमात्र रहस्य था। कहना न होगा कि इसमें अभिनव को अभीष्ट सफ़लता नहीं मिल पाई और उनको व्याख्या अनेकों स्थलों पर स्पष्ट नहीं हो सकी। आचार्य अभिनव का कथन है—

'बन्धो गुम्भे भणितिवक्रोक्तिः कवि-व्यापार इति द्वि पर्यायाः ।'

इस प्रकार बन्ध वक्रोक्ति और कवि-व्यापार पर्याय हुए। कुन्तक के अनुसार विचित्र ~~अथ~~ अभिधा या उक्ति ही वक्रोक्ति है। अतः अभिनव ने भी लक्षण को सामान्य परिभाषा दी ~~की~~ कि अभिधेय, अभिधान और अभिधा के रूप में संवेदित त्रिविध अभिधा व्यापार लक्षण है। अग्ने इस अभिमत के समर्थन में उन्होंने भट्टनायक और भामह के कथनों को उद्धृत किया है। भामह का कथन है —

सेषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते ।

वक्रोक्ति का आशय लोकोत्तर या अतिशय-युक्त कथन से है। सदृश्य यमालोचक यदि निष्पक्ष हो कर भामह के इस कथन और भरत के लक्षणों के भिन्न भिन्न स्वरूपों पर विचार करे तो स्पष्ट ही परिलक्षित होगा कि विना इस वक्रोक्ति के लक्षणों की विधि ही नहीं। लक्षण इस वक्रोक्ति के प्रकारमात्र सिद्ध होंगे। वस्तुतः विवेचन यहाँ अपोद्धार बुद्धि से करना है अतः सभी के स्वरूप को स्पष्ट रूप से अलग<sup>अलग</sup> करके देखना है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाना है कि लक्षण ही वक्रोक्ति रूप है तो क्या अलंकार और गुण वक्रोक्ति रूप नहीं है? उनके प्रस्तुत करने में क्या कवि का वक्र व्यापार नहीं निहित है? वस्तुतः कवि का वक्र व्यापार या लोकोत्तर कर्म ही तो काव्य है। और इस काव्य स्वरूप में लक्षण, गुण, अलंकार रस सभी समवेत है। उन्हें अलग अलग कर किसी एक को, केवल लक्षणों को, कवि व्यापार कहना कहीं तक समीचीन है? वस्तुतः कवि की वक्रोक्ति तो काव्य के समस्त सौन्दर्याधिक तत्त्वों की सामान्यभूता है और उस काव्यसौन्दर्य को प्रस्तुत करने वाले रस, अलंकार, लक्षण गुण सभी हैं। इसीलिए भामह जब वक्रोक्ति के विना किसी का अलंकारत्व नहीं स्वीकार करते तो वही अलंकार से आशय केवल उपमा आदि से ही नहीं है बल्कि काव्यशोभा को प्रस्तुत करने वाले सभी तत्त्वों से है। अर्थात् वक्रोक्ति के विना कोई भी तत्त्व सौन्दर्य को प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसी प्रकार जहाँ भट्टनायक ने कवि व्यापार-प्राधान्य की बात की है वहाँ उन्होंने ने प्रधानता कवि-व्यापार को न दे कर रसिक-व्यापार को दी है। अभिधा-व्यापार जो

1- अ०भा०पृ० 322

2- द्रष्टव्य, अ०भा०पृ० 297—'यस्तु त्रिविधोऽप्यभिधा-व्यापारः स लक्षणानां विषयः ।'

प्रधान न मान कर भोगव्यापार को प्रधान स्वीकार किया है। समुद्रबन्ध का स्पष्ट कथन है—

'इह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम्। तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन व्यापारमुखेन व्यंग्यमुखेन वेति त्रयः पक्षाः । ×× द्वितीयेऽपि भणितिवैचित्र्येण भोगीकृत्त्वेन वेति द्वैविध्यम्।' इस प्रकारकुन्तक और भामह का व्यापार भणिति-व्यापार या कवि-व्यापार है जब कि भट्टनायक का व्यापार भोगीकृत्त्व या रसिकव्यापार है। फिर स्वयं अभिनवने ही यही अग्ने सिद्धान्त के समर्थन में आभधा की प्रधानता कस्ते-हुए तो स्वीकार की किन्तु लोचन में इसी बात का प्रत्याख्यान करते हुए कहा है— 'व्यापारो हि योदे ध्वन्नात्मा रचनास्वभावस्तन्नापूर्वमुक्तम्। अथाभिधैव व्यापारस्तथाऽप्यस्याः प्राधान्यं नेत्यावेदितं <sup>2</sup> ग्क।' इस प्रकार स्वयं अभिनव भट्टनायक के उसी कथन की दो स्थानों पर दो प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत करते हैं क्यों कि उन भिन्न व्याख्याओं से ही उनके दो स्थानों पर प्रतिपादित गिन्न सिद्धान्तों की परिपुष्टि होती है। अस्तु, काव्य में वैचित्र्य की सृष्टि कवि-व्यापार के ही द्वारा होती है रसिक-व्यापार के द्वारा नहीं। अभिनव ने स्वयं अनेक स्थलों पर लक्षण को कवि-व्यापार कहा <sup>3</sup> है। दूसरी बात जैसे भामह कुन्तक आदि ने अंकारादि का वैचित्र्य कवि-व्यापार अथवा वक्रोक्ति-जन्य स्वीकार किया है उसी प्रकार <sup>अभिनवने</sup> लक्षण वक्रोक्ति और कवि-व्यापार की एक-रूपता का प्रतिपादन करते हुए अलंकारी का वैचित्र्यलक्षणकृत माना —

'उक्तं हि -अलंकाराणां वैचित्र्यं लक्षणकृतमेव।' <sup>4</sup>

किन्तु भरत के लक्षणों का स्वरूप देखने पर यह बात ठीक उल्टी प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ भरत ने प्रथम लक्षण 'भूषण' की परिभाषा इस प्रकार दी है—

'अलंकारैर्गुणैश्चैव बहुभिर्यदलंकृतम्। <sup>5</sup>  
भूषणैरेव विन्यस्तैस्तद्भूषणमिति स्मृतम्।।'

अब बतावे, जब यहाँ पर स्वयं भूषण लक्षण का स्वरूप ही अलंकारों और गुणों पर आधारित है तो भूषण लक्षण को अलंकार और गुणकृत स्वीकार करना समीचीन है या कि अंकारादि को भूषण-लक्षणकृत ? इसी प्रकार भरत ने गुणानुवाद लक्षण की परिभाषा दी—

1- समुद्रबन्ध, पृ० 4 । रुच्यक का कथन इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है—

'भट्टनायकेन तु व्यंग्यव्यापारस्य प्रौढोक्त्याऽप्युपगतस्य काव्याः शतं ब्रुवता न्यग्भावित-  
शब्दार्थस्वरूपस्यव्यापारस्यैव प्राधान्यमुक्तम्। तत्राप्यभिधाभावकत्वलक्षणव्यापारद्वयात् तीर्णौ  
रसचर्वणात् माभोगपरपर्यायो व्यापारः प्राधान्येन विश्रान्तिस्थानतयागीकृतः

2- लोचन, पृ० 87

(3) द्रष्टव्य, अ० भाट्ट (भाग 2) पृ० 211, 300, 301, 321 आदि

4- वही, पृ० 305

5- ना०शा० 16/5



'गुणानुवादो हीनानामुत्तमैरुपमाकृतः ।'

अब यहाँ गुणानुवाद लक्षण उपमाजन्य है या कि उपाया गुणानुवादजन्य? परन्तु अभिनव जी बलात् यहाँ लक्षणजन्य अलंकारवैचित्र्य मनवाना चाहते हैं-- 'ननूपमेयमलंकारः, किमतः, उक्तं ह्यलंकाराणां वैचित्र्यं लक्षणकृतमेव।'<sup>2</sup> इतना ही नहीं अभिनव की ज्यादाती और भी देखे। आचार्य भरत ने उपमा का लक्षण दिया--

'यत्किंचित् काव्यबन्धेषु सादृश्येनोपमीयते।

उपमा नाम सा ज्ञेया गुणाकृतिसमाश्रया ।।'<sup>3</sup>

इस कारिका में आये काव्यबन्ध का अर्थ अभिनव काव्यलक्षण करते हैं--

'काव्यबन्धेषु काव्यलक्षणेषु सस्त्वित्येन गौरिव गवय इति नायमलंकार इति दर्शितः ।

बन्धो गुम्फे फणितिवक्रोक्तिः कविव्यापार इति हि पर्यायाः ।'<sup>4</sup> अब यदि अभिनव के अनुसार काव्यबन्ध का अर्थ काव्यलक्षण मान लिया जाय तो भरत के 'काव्यबन्धास्तु कर्तव्याः षट्त्रिंशलक्षणान्विताः' कथन का क्या अर्थ होगा? इसी प्रकार भरत ने उपमा के पाँच भेदों का सोदाहरण निरूपण करने के अनन्तर कहा--

'उपमाया बुधैरेते ज्ञेया भेदाः समासतः ।

ये शेषा लक्षणैर्नोक्तास्ते ग्राह्याणोक्त्वा यतः ।।'<sup>5</sup>

कहीं कहीं (शेषा ये लक्षणे नोक्ताः) पाठ भी मिलता है। भरत का आशय उभयत्र स्पष्ट है कि इन पाँच भेदों को संक्षेप में हमने बता दिया है शेष जिन्हें लक्षण में अथवा लक्षण के द्वारा नहीं प्रतिपादित किया गया है उसे विद्वान लोक और काव्य से समझ ले। परन्तु अभिनव जी ने यहाँ दूसरा ही पाठ स्वीकार करते हुए 'लक्षणे' और 'नोक्ताः' दोनों पदों को एक मानकर 'लक्षणेन लक्षणद्वारेण उक्ताः' यत्र अर्थ किया है।<sup>6</sup> ऐसा करने में स्पष्ट ही उनकी ज्यादाती है। अतः डा० देविका पाण्डेय ने यहाँ अभिनव की व्याख्या पर ही जो अधिक और अनावश्यक बल दिया है वह समीचीन नहीं प्रतीत होता।<sup>7</sup> वस्तुतः अभिनव अथवा उनके उपाध्याय के इन मत को मानने में तो, कि लक्षणों के बल से अलंकारों में वैचित्र्य आता है, कोई आपत्ति है ही नहीं।<sup>8</sup> असमीचीनता तो इसी बात में है कि लक्षण, वक्रोक्ति और कविव्यापार पर्याय है। जब एक अलंकार के बल से दूसरे अलंकार में वैचित्र्य आता है तो लक्षण के बल से अलंकार-

1- ना०शा० 16/13

2- अभि०भा० (भाग 2) पृ० 305

3- ना०शा० 16/41

4- अ०भा० (भाग 2) पृ० 322

5- ना०शा० 16/52

6- अ०भा० (भाग 2) पृ० 324

7- द्रष्टव्य, भा०शा० पृ० 59

8- द्रष्टव्य, अ०भा० (भाग 2) पृ० 321

वैचित्र्य स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है? फिर लक्षण हैं भी अलंकार कोटि के ही। अलंकारों का कार्यकाव्यशोभा को बढ़ाना है तो लक्षण भी काव्य के भूषण-सम्बन्धित ही है। वे भी काव्यशोभा के पोषक हैं। वस्तुतः भरत द्वारा <sup>प्रतिपादित</sup> लक्षणों और अलंकारों के विभाजन की रेखा अत्यन्त अस्पष्ट और सूक्ष्म है। जैसा कि डा० देशपाण्डे ने प्रतिपादित किया है भरत ने लक्षणादि मीमांसा और निरुक्त से ग्रन्थ लिए होंगे। परन्तु काव्य में चूंकि इनका स्वरूप अलंकारों से विल्कुल अभिन्न रहा अतः ग्रन्थकारों ने अलंकारों को मंख्या बतौर इन लक्षणों का भी अन्तर्भाव उन्हीं अलंकारों में कर दिया। स्वयं भरत ही अलंकार और लक्षण दोनों के लिए एक स्थान पर केवल लक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है भरत 36 लक्षणों की भी अन्तर्भाव उन्हीं अलंकारों में कर लिखाना परिभाषा देकर सीधे उपमा आदि अलंकारों का लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उनका विवेचन समाप्त होने पर कहते हैं- 'रभिः अर्थक्रियापेक्षैः काव्यं कुर्यान्तु लक्षणैः'। निश्चित ही यही लक्षणों के द्वारा उपमा आदि अलंकारों का भी ग्रहण किया गया है। यही कारण है कि आगे चल कर लक्षणों का स्थान अलंकारों ने ले लिया। केवल नाट्य का ही विवेचन करने वाले आचार्य धनिक और धनंजय ने भी दशरूपक में लक्षणों का निरूपण नहीं किया। दशरूपक में कहा गया है-

लक्ष्म-सन्ध्यन्तरांगानि सारलंकारेषुतेषु च।।

इस पर अवलोक को व्याख्या है-- 'विभूषणञ्चाक्षरसंज्ञतिश्च शोभाऽभिमानौ गुणवैर्तनञ्च इत्येवमादीनि षट्त्रिंशत् काव्यलक्षणानि। सामभेदः प्रदानं च' इत्येवमादीनि सन्ध्यन्तराण्येक-<sup>2</sup>विंशति सम्यादिष्वलंकारेषु हर्षोत्साहादिष्वन्तर्भावान्न पृथगुक्तानि।'

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लक्षण भी अलंकारों की भांति वक्रोक्ति के प्रकार है। और अलंकारों की ही भांति काव्य के शोभाघायक है। केवल लक्षण ही वक्रोक्ति नहीं है। अतः अभिनव द्वारा वक्रोक्ति का लक्षणों में अन्तर्भाव करने का प्रयास समीचीन नहीं।

1- ना०शा० 16/87

2- दशरूपक 4/84 तथा अवलोक

आचार्य भोज तथा वक्रोक्ति सिद्धान्त

भोजराज के साहित्यशास्त्र से सम्बन्धित दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं—(1) सरस्वतीकण्ठाभरण और (2) शृंगारप्रकाश। इनमें से पहला ग्रन्थ तो पूर्णरूप में प्रकाशित है किन्तु दूसरा ग्रन्थ अभी तक समग्र रूप में मुद्रित नहीं है। अतः दूसरे ग्रन्थ से सम्बन्धित चर्चा का आधार मैसूर से प्रकाशित शृंगारप्रकाश (1-8 अध्याय) तथा डा० राघवन का शोध-ग्रन्थ है। जैसा कि डा० राघवन ने अपने ग्रन्थ में प्रतिपादित किया है— भोजराज का समय 1010 और 1062 ई०के बीच है। यह समय निश्चित ही भोजराज को कुन्तक का परवर्ती सिद्ध करता है। अतः डा० साहब की यह स्थापना कि दोनों आचार्य एक ही समय में दो भिन्न स्थानों पर लगभग एक ही उद्देश्य से अपने ग्रन्थों की रचना कर रहे थे, समीचीन नहीं प्रतीत होती। हाँ, यह बात अवश्य माननी होगी कि दूर देशों में स्थित होने के कारण सम्भवतः भोज ने विना कुन्तक के ग्रन्थ को देखे ही अपने ग्रन्थों की स्वतंत्ररूपसे रचना की थी, क्योंकि भोजराज के ग्रन्थों पर कुन्तक का स्पष्ट प्रभाव नहीं परिलक्षित होता। वैसे विचार-साम्य पर्याप्त मात्रा में है। जैसा कि डा० राघवन ने अपने ग्रन्थ में प्रदर्शित भी किया है। किन्तु दो विभिन्न व्यक्तियों के विचारों का इतना अधिक मिल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर भी सहृदयशिरोमणि आनन्दवर्धन ने तो प्रतिपादित ही किया है कि—

'संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेघसाम् ।

नैकरूपतया सर्वे ते मन्तव्या विपाश्चता ॥ 'अस्तु !

इतना तो अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि कुन्तक पर अत्यधिक प्रभाव आचार्य भामह एवं आनन्दवर्धन का है जब कि भोज पर आचार्य दण्डी एवं तात्पर्यवादियों का। वस्तुतः आचार्य भोजका ग्रन्थ अतः अधिक समालोचनात्मक नहीं कहा जा सकता। वे प्रायः अपने सभी प्रमुख पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का समन्वय प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। किसी भी पूर्ववर्ती के अभिमत का वे मुख्यतः तिरस्कार नहीं करना चाहते। यही कारण है कि जो समालोचकता कुन्तक में दिखाई पड़ती है वह भोज में नहीं। आचार्य भोज भामह, दण्डी, रूढट तथा वामन सभी के वक्रोक्ति-स्वरूप को किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि उनका वक्रोक्ति-विषयक मन्तव्य अधिक स्पष्ट नहीं हैं। आचार्य भामह के साथ ही में ही मिलानेके लिए वे कहते हैं— कि 'समस्त अलंकारों का साधारण लक्षण है काव्य-शोभा को उत्पन्न करना। और जब यह काव्य-शोभा कारिता अलंकारों में विद्यमान रहती है तो उन्हें वक्रोक्ति ही दी जाती है जैसा कि भामह ने कहा है कि वक्रता ही काव्य का परम अलंकार होती है—

'काव्यशोभाकारान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते।' इत्येतदपि सर्वालंकारसाधारणं लक्षणमनुसर्तव्यम्। अस्मिन् सति सर्वालंकारजातयो वक्रोक्तयभिधानवाच्या भवन्ति। तदुक्तम्— 'वक्रत्वमेव काव्यानां परा भूषेति भामहः' इस प्रकार भोजराज अपने इस कथन के द्वारा भामह के अभिमत को स्वीकृति देते हैं क्योंकि उनकी वक्रोक्ति में ही रसो, तथा गुणो आदि सभी का अन्तर्भाव है क्योंकि काव्यशोभाकारित्व सभी में निहित होता है। सरस्वतीकण्ठाभरण में भोज ने इसे अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है—

'तत्र 'अलंकारसंसृष्टेः' इतीयत्त्वेव वक्तव्ये नानालंकारग्रहणं गुणरसानामुपसंग्रहार्थम्। तेषामपि हि काव्यशोभाकरत्वेनालंकारत्वात्।' इत्यादि<sup>2</sup>।

लेकिन यह तो भामह के अभिमत की पुष्टि रही। दण्डी ने तो वाङ्मय को ही दो रूपों में विभक्त कर दिया है— एक स्वभावोक्ति, जिसमें आद्य अलंकार जाति या स्वभावोक्ति आता है और दूसरा है वक्रोक्ति, जिसमें उपमादिक तथा रसादिक अलंकार रूप में आते हैं। आचार्य भोज को उन्हें भी समर्थन देना था। उन्होंने ने वैसा किया भी परन्तु दण्डी के कथन में कुछ परिष्कार किया। जहाँ दण्डी ने वाङ्मय के दो विभाग किए थे वहाँ इन्होंने ने उसके तीन विभाग प्रस्तुत किए— (1) स्वभावोक्ति—जिसमें गुणों का प्राधान्य होता है ? (2) वक्रोक्ति— जिसमें उपमा आदि अलंकारों का प्राधान्य होता है। और (3) रसोक्ति—जिसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है—

'त्रिविधः खलु अलंकारवर्गः - वक्रोक्तिः, स्वभावोक्तिः, रसोक्तिरिति। तत्रोपमाद्यलंकारप्राधान्ये वक्रोक्तिः, सोऽपि गुणप्राधान्ये स्वभावोक्तिः, विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगान्तु रसोक्तिरिति।'<sup>3</sup>

इन तीनों में उन्होंने ने सर्वग्राहिणी 'रसोक्ति' को ही बताया है। यह उन पर आनन्दवर्धन का स्पष्ट प्रभाव है—

'वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्च वाङ्मयम्।

सर्वासु ग्राहिणी तासु रसोक्ति प्रतिजानते ।।' <sup>4</sup>

1- उद्धृत Sr. Pra. Pp. 121-122

2- स०क०, पृ० 703

3- उद्धृत, Sr. Pra. P. 122

4- स.क. 5/8

इस प्रकार भामह तथा दण्डी के वक्रोक्तिअलंकार विषयक मन्तव्यों का समर्थन कर देने के अनन्तर शेष बचते हैं दो मन्तव्य। एक आचार्य रूद्र का जिन्होंने वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार-विशेष के रूप में प्रस्तुत किया है, और दूसरा है आचार्य वामन का जिन्होंने वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार-विशेष के रूप में प्रस्तुत किया है। यही अवश्य यह है कि यद्यपि आगे चल कर आचार्य रुय्यक तथा अप्ययदीक्षित आदि ने भी वक्रोक्ति को अर्थालंकारों के मध्य ही परिगणित किया है परन्तु उसका स्वरूप वामनाभिमत न होकर आचार्य रूद्राभिमत ही है। जहाँ तक रूद्र की श्लेषवक्रोक्ति का प्रश्न है, उसका स्वरूप निरूपण भोजराज 'वाकोवाक्य' नामक शब्दालंकार के अन्तर्गत कर लेते हैं। उनके अनुसार जहाँ दो अथवा बहुत से वक्ताओं का उक्तिप्रयुक्तिमद्वाक्य उपनिबद्ध किया जाता है वहाँ वाकोवाक्य अलंकार होता है। इसके दो प्रकार हैं-जिनमें से पहला प्रकार ऋजुक्ति और दूसरा प्रकार वक्रोक्ति है। भोज ने वक्रोक्ति के निर्वर्युद्धा और अनिर्वर्युद्धा रूप से दो भेद किए हैं- उनमें से निर्वर्युद्धा के उदाहरण में उन्होंने रूद्र के श्लेषवक्रोक्ति के उदाहरण को ही प्रस्तुत किया है और दोनों का विवेचन करने के अनन्तर कहा है कि ये दोनों ही श्लेषवक्रोक्तियाँ हैं- 'ते इमे उभे अपि श्लेषवक्रोक्ती भवतः' । ही इन्होंने रूद्र की काकु-वक्रोक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया। सम्भवतः वह इन्हीं पर राजशेखर का प्रभाव है क्योंकि राजशेखर ने काकु को पाठधर्म बताकर उसकी अलंकारता ही समाप्त कर दी थी। जिसे आगे चलकर हेमचन्द्र आदि ने भी समर्थन दिया है। जहाँ तक आचार्य वामन की वक्रोक्ति का प्रश्न है उसे यद्यपि भोज ने उसी अलंकार विशेष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया फिर भी उसे यथाकथंचित मान्यता अवश्य दे दी है। वामन के अनुसार जहाँ सादृश्य के कारण लक्षणा होती है वहाँ वक्रोक्ति अर्थालंकार होता है। भोज ने भी लक्षणा का स्वरूप-निरूपण करते हुए उसे वक्रोक्ति का प्राण स्वीकार किया है। उनका कथन है—

'तदुक्तम्- अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते।  
सैषाविदग्धवक्रोक्तिर्जीविना वृत्तिरिष्यति ॥'<sup>3</sup>

इस उक्ति के साथ भोज की सहमति उन पर स्पष्ट रूप से वामन के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भोजराज का वक्रोक्तिविवेचन अधिक स्वच्छ नहीं है। उसमें उनके पूर्ववर्ती मतों का थोड़ा बहुत परिष्कार के साथ समाहार-मात्र है। शास्त्र और लोक की अपेक्षा काव्य में वैशिष्ट्य वक्रता के कारण ही 'आतां' है। शास्त्र और लोक में अवक्र वचन या उक्ति का प्रयोग होता है अतः वह केवल वचन या उक्ति ही होता है ।

1- स. क्र०, पृ० 297

2- सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः- का०सू०वृ० 4/3/8

3- शृ०प्र० पृ० 223

लेकिन काव्य में वही वचन या उक्ति वक्र होती है, अतः वक्रोक्ति या वक्रवचन की ही काव्यसंज्ञा होती है—

'यद्वक्रं वचःशास्त्रे लोके च वच एव तत् ।

वक्रं यदर्थवादादौ तस्य काव्यमिति स्मृतिः ।।'<sup>1</sup>

यहाँ कुन्तक और भोज का अभिमत एक है। कुन्तक के अनुसार भी विना वक्रोक्ति के काव्य ही नहीं सकता और भोज के अनुसार भी वक्रोक्ति ही काव्य है। भोजराज ने दृष्टान्त तथा प्रतिवसुक्ति आदि अलंकारों के ऋजु और वक्र दो दो प्रकार स्वीकार किए हैं। वक्रप्रकारों में स्पष्टरूप से वक्रोक्ति का उल्लेख है। अन्त में 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में रसालंकार-संकर का विवेचन करते हुए वे पुनः वक्रोक्ति को उपमादि तक सीमित निरूपित करते हैं। उनके अनुसार रसालंकार-संकर दो प्रकार का होता है एक रस-प्रधान और दूसरा अलंकार-प्रधान। उनमें जिसका वर्णन अनुभविता के द्वारा किया जाता है वह रस-प्रधान, और जिसका वर्णन उदासीन के द्वारा किया जाता है वह अलंकार-प्रधान होता है। उसमें जब वह वक्रोक्ति का अवलंबन करता है तो उपमादि और जब स्वभावोक्ति का अवलंबन करता है तो जाति का प्राधान्य होता है —

तयोर्योऽनुभवित्रैव वर्ण्यते स रस-प्रधानः । तत्र हि अलंकारवतो वाक्यस्य  
वागारम्भानुभावत्वं भवति । ×× य उदासीनेन वर्ण्यते सोऽलंकारप्रधानः । सहि  
रसभावादेः संकरप्रकारमभिधित्सुः स्वभावोक्तिं वक्रोक्तिं वावलम्बते । तत्र स्वभावोक्ति-  
पक्षे जातिः । ×× वक्रोक्तिपक्षे उपमादयः ।<sup>2</sup>

इस प्रकार भोजराज ने वक्रोक्ति का विवेचन प्रायः सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का संकलन करते हुए किया है। कुन्तक के ग्रन्थ का सम्भवतः उन्हें पता नहीं था। अतः कुन्तक से उनका विवेचन प्रभावित नहीं हुआ।

1- शृ०प्र०, पृ० 221

2- स० कं० 724, 727, 728

आचार्य महिमभट्ट एवं वक्रोक्ति सिद्धान्त

आचार्य महिमभट्ट के ग्रन्थ का प्रमुख उद्देश्य था ध्वनि का अनुमान में अन्तर्भाव करना —

'अनुमानेऽन्तर्भाव सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम् ।  
व्यक्तिविवेकं कुस्ते प्रणम्य महिमा परी वाचम् ॥'

किन्तु ध्वनिकार की ध्वनि के साथ ही साथ उस समय कुन्तक की वक्रोक्ति का भी बोलबाला था । अतः महिमभट्ट की धाक का तब तक जमना असम्भव था जब तक कि वे वक्रोक्ति का भी अनुमान में अन्तर्भाव न कर लेते । आखिरकार वक्रोक्ति को भी लगे हाथों उन्हों ने अनुमान में घसीट ही लिया —

'तेन ध्वनिवदेषाऽपि वक्रोक्तिरनुमान किम् ?'<sup>2</sup>

वस्तुतः महिमभट्ट का उद्देश्य किसी न किसी रूप में नाम कमाना था । और इसी लिए उन्हों ने जोरदार शब्दों में कुन्तक और ध्वनिकार का विरोध किया। इसे महिमभट्ट ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि— 'महती संस्तव एव गौरवाय'<sup>3</sup>।

और ग्रन्थ की समाप्ति पर तो उन्हों ने स्पष्ट ही कह दिया कि विद्वज्जन मेरा स्मरण अवश्य करेंगे, वह चाहे परिहास के लिए हो अथवा नवीन विषय के तत्त्वज्ञान द्वारा आत्मतोष के लिए<sup>4</sup>। यही कारण है कि अपने अभिमत का अविकल प्रतिपादन करनेके लिए उन्हों ने विभिन्न स्थलों पर ध्वनिकार आदि के नाम पर अपने विचारों को शोष कर उनके सिद्धान्तों में न्यूनता दिखाने का अपप्रयास किया है । स्वयं ने अपने 'व्याख्यान' में कहीं कहीं इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी किया है। उदाहरणार्थ- वे कहते हैं —

1- व्यक्ति 0 1/1

2- वही, 1/073

3- वही 1/3

4- 'अन्यैरनुलिखितपूर्वभिर्दं ब्रुवाणो  
नूनं स्मृतीर्विषयती विदुष्णामुपेयाम्।

हासिककारणगवेषणया नवार्थ-

तत्त्वावमर्शपरितोषसमीहया वा ॥'-वही, 3/38

'अतश्च 'अथैतद्दोषभयादित्यादिना'यो धूलिप्रक्षेपः कृतः 'स स्वमनोविक्रिया शकितपक्षदूषण-  
प्रपंचो निरूथान एव।'

आचार्य कुन्तक की वक्रोक्ति का निराकरण करते हुए आपने दो तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला तर्क तो यह है कि वक्रोक्ति औचित्य के सिवा और कुछ है ही नहीं और दूसरा तर्क यह है कि वह भंग्यतर से वर्णित ध्वनि का स्वरूप ही है। इनमें से दूसरे तर्क का निराकरण पिछले अध्याय में भलीभांति किया जा चुका है। यही पहले तर्क पर विचार किया जा रहा है।

आचार्य जी का कहना है कि वक्रोक्ति का पर्यवसान केवल शब्द और अर्थ के औचित्य में होता है और इस औचित्य के अभाव में काव्यता सम्भव ही नहीं, क्योंकि काव्य की आत्मा रस है और रस में अनौचित्य का संस्पर्श सम्भव नहीं। अतः काव्य-स्वरूप के निरूपण से ही इसकी सिद्धि हो जाती है। इसका अलग से प्रतिपादन करना व्यर्थ है। अपने इस कथन से आचार्य जी पता नहीं सहृदयों को किसकी 'अनुमिति' करना चाहते हैं? चूंकि 'काव्य-स्वरूप-निरूपण' के अतिरिक्त उन्होंने 'अनुमिति' का प्रतिपादन किया है अतः निश्चित ही उनकी अनुमिति में अनौचित्य का संस्पर्श विद्यमान है। इसके अतिरिक्त ध्वनिकार के काव्यस्यात्मा ध्वनिः 'कथन को संकीर्णता को दिखाते समय तो आचार्य जी को गुणीभूतव्यंग्य काव्य का भी अत्यधिक ध्यान रहा है, किन्तु कुन्तक की वक्रोक्ति का खण्डन करते समय ध्वनिकार के कथन से भी अधिक संकीर्ण काव्य की आत्मा रस है।' अपने इस कथन को प्रस्तुत करते समय सब कुछ भुला देना पड़ा। उस समय आचार्य जी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि रसानुमिति के अतिरिक्त भी काव्य में वस्तुनुमिति और अलंकारानुमिति होती है। काव्य को केवल रसात्मक कह देने पर वे काव्य हो सकेंगे या नहीं? क्या आत्मा का गुणीभाव भी सम्भव है? खैर, इस ओर ध्यान जाता तो खण्डन ही कैसे करते। अतः सब कुछ भुला देना ही श्रेयस्कर था। इतना ही नहीं, लगता है कि महिमभट्ट ने कुन्तक एवं ध्वनिकार की प्रतिष्ठा एवं उनके व्यक्तित्व से चिढ़ कर ही अपने ग्रन्थ की रचना की थी। तभी तो उन

1- व्यक्तित्व ० व्याख्यान' पृ० ८१

2- द्रष्टव्य, व्यक्तित्व ० पृ० १२५-१२६

3- द्रष्टव्य, वही, पृ० १४१-४२

एवं १/१९६-९८



आचार्यों द्वारा रमणीय काव्य के रूप में उदाहृत श्लोको अथवा स्वयं उनके द्वारा विरचित श्लोको में दोष दिखाने में इन्होंने सगर्व अपनी विद्वत्ता का प्रकाशन किया। आचार्य कुन्तक ने 'शब्द'की विवक्षितार्थकवाचकताका निरूपण करते हुए उसके एक उदाहरण के रूप में - 'संज्ञाः करिकीटमेषः' इत्यादि श्लोक को उद्धृत किया है। उन्होंने अपनी व्याख्या में उस पद्य की जिस रमणीयता का प्रतिपादन किया है, उसे कोई भी सहृदय नकार नहीं सकता। आचार्य महिमभट्ट का अत्यन्त सहृदयहृदय उस रमणीयता को आँकने में तो असमर्थ रहा परन्तु उसमें विद्यमान 'विधेयाविमर्श' दोष को दिखाने में अपनी सहृदय-धुरीणता का परिचय देने में आगे रहा। फलतः अपने सम्पूर्ण ग्रन्थ के 1/7 भाग में केवल इसी श्लोक को दूषित सिद्ध करने के प्रयास के अनन्तर आचार्य जी को —

'काव्यकाचनकषाश्ममानिना कुन्तकेन निजकाव्यलक्ष्मणि।

यस्य सर्वनिरवद्यतोदिता श्लोक स स निदर्शितो मया।' इत्यादि गर्वोक्ति करने का अवसर मिला, यद्यपि कुन्तक ने, इतने जोरदार ढंग से कौन कहे, धीरे से भी कही उस श्लोक की सर्वनिरवक्ष्यता का प्रतिपादन नहीं किया। यही नहीं, जैसा कि स्यक ने संकेत किया है, इन्होंने अपनी भीषण सहृदयता का परिचय अनेक अलंकारों के वर्णन में पुनस्त दोष दिखाने में दिया है। इस विषय में स्यक का विवेचन दर्शनीय है—

'उपमा रूपकेत्यादिना—अलंकारस्य कवयो यत्रालंकरणान्तरम् ।

असंतुष्टा निबध्नन्ति हारादेर्मणिबन्धवत् ॥ (व. जी. 1/35)

इतिवक्रोक्तिजीवितकृतोक्तमलंकारपृष्ठपातिनमलंकारं दूषयति। ×× सर्व विधे च प्रदेशे ग्रन्थकारो हेवाकितयैव दूषणमदात्। तथा च शब्दार्थयोर्विच्छित्तिरलंकारः । विच्छित्ति तश्च कविप्रतिभोल्लास-  
कविप्रतिभोल्लास-  
स्य चानन्त्यादनन्तवै न भजमाना परिच्छेत्तुं शक्यते ××× सर्वत्र कृतेषु रूपके उत्प्रेक्षा-  
दिनिबन्धः कमपि गुणमुत्कर्षयति न दोषमिति सहृदयैर्निपुणं निरूपणीयम्। न तु हेवाकस्य  
पश्चाल्लगनीयमित्यास्ती तावत्।'

1- द्रष्टव्य, व. जी. पृ० 18

2- व्यक्त 2/29

3- व्यक्त ० व्याख्यान ० पृ० 301-304

इस समग्र विवेचन का एकमात्र सारांश यही है कि महिमभट्ट का उद्देश्य कुन्तक एवं उनके वक्रोक्तिसिद्धान्त के महत्त्व अथवा तत्त्व का सही परीक्षण करना नहीं था बल्कि था एकमात्र कीचड़ उछालना। इसमें उन्हें कितनी सफलता मिली, इसका पर्याप्त विवेचन इस अध्याय में तथा इसके पिछले अध्याय में किया जा चुका है।

### आचार्य मम्मट एवं वक्रोक्ति सिद्धान्त

पिछले अध्याय में प्रतिपादित किया जा चुका है कि कुन्तक के परवर्ती ध्वनिवादी आचार्यों ने जानबूझ कर कुन्तक एवं उनके सिद्धान्त की उपेक्षा की है। उन आचार्यों में ध्वनिप्रस्थापन-परमाचार्य काव्यप्रकाशकार मम्मट सर्वप्रमुख हैं। शेष इनके परवर्ती ध्वनिवादी तो इनके पिछलग्गू ही ठहरे, उनकी क्या गणना की जाय। यह सिद्ध किया जा चुका है कि मम्मट कुन्तक के ग्रन्थ से भलीभाँति परिचित थे। कुन्तक का इन पर पर्याप्त प्रभाव भी है परन्तु यह इनकी महानता ही कही जा सकती है जो इन्होंने उनका नामोल्लेख तक नहीं किया और न ही उनके सिद्धान्त से अपना परिचय व्यक्त किया। मम्मट का 'लोकोत्तरवर्णना निपुणकविकर्म' रूप काव्य कुन्तक के 'वक्रकविव्यापार' रूप काव्य का अनुवाद मात्र है। मम्मट को काव्य-प्रयोजनों में 'व्यवहारविदे' के उद्भावन की प्रेरणा निश्चित रूप से कुन्तक से प्राप्त हुई है।<sup>2</sup> यही नहीं, 'काव्यामृतानन्द' को दृढ़तापूर्वक 'सकलप्रयोजनमौलिभूत' कहने वाले आद्य आचार्य कुन्तक ही हैं जिनका कि स्पष्ट रूप से मम्मट ने अनुकरण किया है।<sup>3</sup> और जैसा कि डा० डे ने 'वक्रोक्तिजीवित' की भूमिका में प्रतिपादित किया है, कुन्तक के परवर्ती आचार्यों ने कुन्तक के वक्रोक्तिसिद्धान्त को तो नहीं स्वीकार किया तथापि उनके अलंकार के स्वरूपविश्लेषण को निश्चित रूप से मान्यता प्रदान की है। इसका पर्याप्त विवेचन उन्होंने कर रखा है।<sup>4</sup> कुन्तक के अनुसार अलंकार में वैचित्र्य अथवा विच्छित्त और कविप्रतिभानिर्वर्तित्व

1- का० प्र०, पृ० 6

2- द्रष्टव्य, का० प्र० 1/2 तथा वृत्तित, एवं व. जी. 1/4

3- द्रष्टव्य व जी 1/5 तथा वृत्तित एवं का० प्र० पृ० 5-6

4- द्रष्टव्य Introduction to V.J. pp xlvii-lviii

का होना परमावश्यक है। इन दोनों के अभाव में कोई भी अलंकार अलंकार नहीं हो सकता। कवि का कौशल रस अथवा वस्तुस्वभाव के वर्णन में उतना नहीं अभिव्यक्त होता जितना कि अलंकारों के सम्यक् निरूपण में। क्योंकि विना कविकौशल के उसमें वैचित्र्य आ ही नहीं सकता। उनका कथन है—

'यद्यपि रसस्वभावलंकाराणां सर्वेषां कविकौशलमेव जीवितम्, तथाऽप्यलंकारस्य विशेषतस्तदनुग्रहं विना वर्णनाविषयवस्तुनोभूषणाभिधायित्वेनाभिमतस्य स्वरूपमात्रेण परिस्फुरतो यथास्मिन्नेन निबध्यमानस्य तद्विदाह्लादविधानानुपपत्तेर्मनाइन्द्रमात्रमपि नवैचित्र्यमुत्प्रेक्षामहे, प्रचुरप्रवाहपतितेतरपदार्थसामान्येन प्रतिभासनात्।'

शब्दश्लेषकी शब्दालंकारता का निरूपण करते हुए मम्मट अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में किसी अलंकार के अलंकारत्व के लिए वैचित्र्य के सद्भाव और कवि प्रतिभासंरम्भगोचरत्वका प्रतिपादन करते हैं —

'किंच वैचित्र्यमलंकारः 'इति य एव कविप्रतिभासंरम्भगोचरस्तत्रैव विचित्रता इति सैवालंकारभूमिः।'<sup>2</sup>

इतना ही नहीं अनेकों स्थलों पर उन्होंने अलंकार के अलंकारत्व के लिए वैचित्र्य का होना परमावश्यक बताया है। 'हेतु' की अलंकारता का खण्डन करते हुए वे कहते हैं —

'हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदतो हेतुः' इति हेत्वलंकारो न लक्षितः आयुर्धृतमित्यादि—  
रूपो ह्येष न भूषणता कदाचिदहीति वैचित्र्याभावात्।'<sup>3</sup>

इसके अतिरिक्त छंद के — 'भण तरुणि १' आदि युग्मक में अनुप्रास की विफलता का निरूपण करते हुए वे स्पष्ट रूप से कुन्तक का अनुवाद-मात्र प्रस्तुत करते हैं— 'अत्र वाचस्य विचिन्त्यमानं न किंचिदपि चारुवं प्रतीयते इत्यपुष्टार्थं तैवानुप्रासस्य वैफल्यम्।'<sup>4</sup>

1- व.जी. पृ० 146

2- का०प्र० पृ० 429

3- वही, पृ० 547.

4- द्रष्टव्य, का०प्र०, पृ० 890 तथा व.जी. पृ० 758

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मम्मट पर कुन्तक का पर्याप्त प्रभाव है। और उसके आधार पर इन्होंने 'ध्वनिसिद्धान्त' में पर्याप्त परिमार्जन भी करने का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में कुन्तक का अथवा उनकी वक्रताओं का नाम भी न लेना मम्मट जैसे आचार्य के लिए अशोभनीय ही कहा जायगा। अभिनव गुप्त ने तो कुन्तक का नाम न सही, 'अन्यैरपि सुबादिवक्रता' कह कर कम से कम कुन्तक के सिद्धान्त से अपना परिचय तो व्यक्त ही कर दिया था, पर मम्मट ऐसा भी नहीं कर सके। अस्तु, मम्मट ने कुन्तक द्वारा प्रतिपादित वक्रोक्ति सिद्धान्त या वक्रताओं को तो नहीं स्वीकार किया, परन्तु भामह के 'वक्रोक्तिसिद्धान्त' के आगे घुटना जरूर टोक दिया है क्योंकि यह कार्य इनके आद्याचार्य आनन्दवर्धन भी कर चुके थे, हालांकि जहाँ भामह ने वक्रोक्ति को समग्र काव्य के लिए आवश्यक बताया था, वहाँ इन आचार्यों ने उसे केवल 'उपमा' आदि अलंकारों तक ही सीमित रखा। भामह का अलंकार जिसकी अलंकारता का वक्रोक्ति के अभाव में उन्होंने निषेध किया था, वह इन आनन्दवर्धन मम्मट आदि आचार्यों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक था, यह स्पष्ट किया जा चुका है।

'विशेष' अलंकार का निरूपण करने के अनन्तर मम्मट कहते हैं —

'सर्वत्र सर्वविधविषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावृतिष्ठते, तां विना प्रायेणालंकारत्वायोगात्। अत एवोक्तम् - 'सैषा सर्वत्रवक्रोक्तिः' इत्यादि।'

इस प्रकार यहाँ इन्होंने यदि वक्रोक्ति का नामोच्चारण किया भी तो उसे अतिशयोक्ति के पर्याय रूप में। 'वक्रोक्ति अलंकार' के स्वरूपनिरूपण में इन्होंने पूर्णतया रूट का अनुसरण किया है। और उसको एक 'शब्दालंकारविशेष' के रूप में निरूपित कर कृतकृत्य हो गए हैं।

### आचार्य रुय्यक एवं वक्रोक्ति सिद्धान्त

आचार्य रुय्यक ने ध्वनिसिद्धान्त को मान्यता देते हुए भी आचार्य कुन्तक एवं उनके सिद्धान्त से अपना परिचय स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है। उन्होंने वक्रोक्तिजीवितकार का मत

प्रस्तुत करते हुए बताया है कि 'वक्रोक्तिजीवितकार ने तो वैदग्ध्यभंगीभणितिरूपनानाविध वक्रोक्ति को ही प्रधानतावश काव्य का जीवित कहा है। और काव्य में व्यापार को प्रधानता प्रतिपादित की है। अलंकार कथन-प्रकार के विशेषभूत ही है। तीन प्रकार के प्रतीयमान (रस, अलंकार और वस्तु)के विद्यमान रहने पर भी व्यापार रूप उक्ति ही कविसंरम्भ का विषय होती है। यहाँ तक तो स्थिक द्वारा प्रस्तुत की गई वक्रोक्ति-जीवितकार के सिद्धान्त की व्याख्या मान्य एवं समीचीन है। किन्तु इसी के आगे जो उन्हों ने यह कहा कि 'वक्रोक्ति जीवितकार ने सम्पूर्ण ध्वनिप्रपंच को उपचार-वक्रता आदि के द्वारा स्वोक्त कर लिया है, और उनका दर्शन है कि काव्य का जीवित केवल उक्तिवैचित्र्य होता है व्यंग्यार्थ<sup>2</sup> नहीं।' इसकी ग्रामकता एवं असमीचीनता का पिछले अध्याय में विस्तार के साथ प्रतिपादन किया जा चुका है। अलंकार के लिए विच्छित्तित अथवा वैचित्र्य का होना एवं उसका कविप्रतिभा से उत्थापित होना परमावश्यक है, इस बात का तो उन्हों ने अनेकशः प्रतिपादन किया है जो कि स्पष्ट रूप से कुत्तक की मान्यता है। भ्रान्तिमान् अलंकार के विषय में उनका कथन है कि 'सादृश्यहेतु काऽपि भ्रान्तिर्विच्छित्त्यर्थं कविप्रतिभोत्थापितैव गृह्यते यथोदाहृतम् न स्वसो-त्थापिता शुक्तिकारजतवत्।' इसी प्रकार आगे भी वे कहते हैं कि कविसमर्पित धर्म ही अलंकार होते हैं अन्य नहीं—'कविसमर्पितानां धर्माणां ह्यलंकारत्वात्।' इसके अतिरिक्त बहुत से उद्धरण डा० डे ने दे रखा है। अतः पिष्टपेषण की आवश्यकता नहीं। स्थिक ने अलंकार का यही स्वरूप अपने 'व्यक्तित्विवेक व्याख्यान' में भी प्रतिपादित किया है। उनका कहना है— 'चास्तु वै हि वैचित्र्यापरपर्यायं प्रकाशमानमलंकारः।' आगे चल कर महिमभट्ट के अभिमत का प्रतिवाद करते हुए वे कहते हैं—

1- 'वक्रोक्तिजीवितकारः पुनर्द्वैदग्ध्यभंगीभणितिस्वभावा बहुविधा वक्रोक्तिमेव प्राधान्यात् काव्य-जीवितमुक्तवान्। व्यापारस्य प्राधान्यञ्च काव्यस्य प्रतिपेदे। अभिधानप्रकारविशेषा एव चालंकाराः।

सत्यपि त्रिभेदे प्रतीयमाने व्यापाररूपा भणितिरिव कविसंरम्भगीचरः।' अलं० सं० पृ० 9-10

2- 'उपचारवक्रतादिभिः समस्तो ध्वनिप्रपंचः स्वीकृतः। केवलमुक्तिवैचित्र्यजीवितं काव्यं, न व्यंग्यार्थ-जीवितमिति तदीय दर्शनं व्यवस्थितम्।'—अलं० सं० पृ० 10 .

3- वही पृ० 58

4. तदी, पृ० 224

5- व्यक्तित्वः 0. व्याख्यान.

'तथा च शब्दार्थयोर्विच्छिन्नतरलंकारः । विच्छिन्नतश्च कविप्रतिभोल्लासस्यैवत् कविप्रति-  
भोल्लासस्य चानन्त्यादनन्तत्वं भजमाना न परिच्छेत्तुं शक्यते।' यहाँ भी स्य्यक की यह  
बात कुन्तक के समर्थन में कही गयी है। स्य्यक ने यद्यपि स्मट, मभ्मट आदि के 'वक्रोक्ति'  
नामक अलंकार-विशेष का प्रतिवाद नहीं किया, ही जहाँ इन आचार्यों ने उसे एक शब्दा-  
लंकार के रूप में वर्णित किया था वहाँ स्य्यक ने इसे अर्थालंकारों में परिगणित किया, परन्तु  
स्वरूप वही माना। लेकिन इतना होते हुए भी वक्रोक्ति के अलंकार-सामान्य वाले स्वरूप को  
उन्होंने दृष्टि से ओझल नहीं कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा- 'वक्रोक्तिशब्द-  
श्चालंकारसामान्यवचनोऽपि<sup>३</sup>हालंकारविशेषेऽसी<sup>२</sup>ज्ञितः ।' स्य्यक के इस कथन में प्रयुक्त 'अपि' शब्द  
इस बात का द्योतक है कि 'वक्रोक्ति' शब्द का प्रयोग मुख्यतः अलंकार-सामान्य के लिए  
ही होता था। वक्रोक्ति को यद्यपि भामह ने —

'वाचां वक्रार्थशब्दोक्तिरलंकाराय'<sup>३</sup> कल्पते।'

'वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृतिः'<sup>४</sup> ।'

एवं

'सैषां सर्वेषु वक्रोक्तिः . . . . . कोऽलंकारोऽनया विना'<sup>५</sup>, 'आदि के द्वारा अर्थालंकार-  
सामान्य के रूप में प्रतिपादित किया था, फिर भी स्पष्ट शब्दों में उसे अलंकार-सामान्य कहने  
वाले आद्य आचार्य कुन्तक ही हैं । सुकुमार मार्ग के प्रसाद गुण के विषय रूप में वक्रोक्ति  
का प्रतिपादन करते हुए वे वक्रोक्ति शब्द की व्याख्या करते हैं--

'वक्रोक्तिः सकलालंकारसामान्यम् ।'

स्य्यक यद्यपि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए 'स्वभावोक्ति' का अलंकार रूप  
में वर्णन करते हैं, तथापि स्वभावोक्ति अलंकार के स्वरूप का उनके द्वारा किया गया विवेचन  
पूर्णतया कुन्तक से प्रभावित है—

1- व्यक्तिविवेक व्याख्यान, पृ० 3०3

2- अलं०स० पृ०222

3- भामह, काव्या० 5/66

4- वही, 1/36

5- वही, 2/85

6- व जी. . पृ० 53

'इह वस्तुस्वभाववर्णनमात्रं नालंकारः । तत्त्वे सति सर्वं काव्यमलंकारेऽस्यात् । नहि तत्काव्यमस्ति यत्र न वस्तु स्वभाववर्णनम् । तदर्थं सूक्ष्मग्रहणम् । सूक्ष्मः कवित्वमात्रस्य गम्यः । अतएव तन्निर्मितो यो वस्तुस्वभावस्तस्य यथा वदन्यूनानतिस्वित्तवेन वर्णनं स्वभावोक्तिरलंकारः ।'

कहना न होगा कि स्यक का यह स्वभावोक्ति अलंकार सिद्ध करने का प्रयास दुराग्रह-मात्र है।

\*

### साहित्यमीमांसा और वक्रोक्तिसिद्धान्त

आचार्य स्यक ने 'अलंकारसर्वस्व' तथा 'व्यक्तिविवेकयाख्यान' दोनों ही ग्रन्थों में अपनी 'साहित्यमीमांसा' नामक कृति का उल्लेख किया है किन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध त्रिवेन्द्रम् से प्रकाशित के. साम्ब शिवश्रीद्वारा सन् १९३४ में सम्पादित 'साहित्य-मीमांसा' जिसका कि यही विवेचन किया जा रहा है वह स्यक की ही कृति है ; यह कह सकना अत्यन्त कठिन है। 'अलंकार सर्वस्व' वयंजना वृत्ति को स्वीकार करता है जब कि 'साहित्यमीमांसा' तात्पर्य वृत्ति का धूमधाम से प्रतिपादन करती है। अस्तु इस अग्रसंगिक भ्रमेले में यही पड़ना अपना उद्देश्य नहीं है। 'साहित्यमीमांसा' पर 'वक्रोक्तिजोवित' का प्रभूत प्रभाव है। इस ग्रन्थ का सम्पादन, कहना न होगा, इतने रद्दी ढंग से किया गया है कि ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों को सम्यक् रूप से समझ सकना अत्यन्त कठिन है। ग्रन्थकार की विशेषता यह है कि कहता वह प्रायः सब दूसरों की ही बात है परन्तु उस पर अपनी

1- अलं० स०, पृ० 223

2- (क) 'रषाऽपि समस्तोपमाप्रतिपादकविषयेऽपि हर्षचरितवार्तिके साहित्यमीमांसायांच तेषु तेषु प्रदेशेषु दाहृता इह तु ग्रन्थविस्तरभयान्नप्रपंचिता।' अलं० स० पृ० 77.

(ख) 'अस्य च विधेयाविमर्शस्यानन्तेतरप्रसिद्धलक्ष्यपातित्वेनास्माभिर्भाटकमीमांसायां साहित्यमीमांसायां च तेषु तेषु स्थानेषु प्रपंचः प्रदर्शित इति ग्रन्थविस्तरभयादित एवोपरम्यते।' - व्यक्तिवयाख्यान, पृ० 243

विचित्र मान्यताओं की अद्भुत छाप डाल देता है। शब्दार्थ-सम्बन्ध-रूप साहित्य को जहाँ भोजराज ने द्वादशधा माना था वहाँ यह उसे केवल अष्टधा ही मानता है। शेष चार दोषहान, गुणोपादान, अलंकार-योग और रसावियोग सम्बन्धों को यह साहित्य का परिष्कार-रूप मानता है। —

'दोषत्यागो गुणाधानमलंकारो रसान्वयः ।

इत्थं चतुर्धा क्लृप्ता साहित्यस्य परिष्कृतिः ॥'

बस अपनी इसी अपूर्व मान्यता के बल पर भोजराज के अभिमत को अनुचित ठहरा देता है। तदनन्तर कुन्तक के शब्दार्थसाहित्यविवेचन (व. जी. का० 1/16-17 तथा श्लोक 1/34-40) को यथातथ रूप में उद्धृत कर कहता है कि —

'रतन्मतमपि प्रायो मतमस्माकमश्नुते।

अभेदः ह्यापते तत्र किन्तु साहित्यकाव्ययोः ॥'

यद्यपि उद्धरण देते समय (व. जी. श्लोक 1/37-40) को वह गलत ढंग से उद्धृत करता है। कर्णों कि वे अन्तरश्लोक साहित्य के स्वरूप का निरूपण नहीं करते, बल्कि वक्रताओं की अवतरणिका के रूप में आये हैं। ग्रन्थकार कुन्तक के ही काव्यलक्षण को स्वीकार कर लेता है। और कुन्तक ने काव्य में जिस शब्द-स्वरूप को प्रतिपादित किया है उसे पूर्णतया उसी ढंग से अपने ग्रन्थ में उद्धृत करता है<sup>3</sup>। इसी प्रकार आगे चलकर वह काव्य के केवल दस-गुण मानता है, शेष भोजराज आदि द्वारा गिनाए गए प्रौढ़ि आदि गुणों का वक्रोक्ति आदि में अन्तर्भाव कर देता है —

'प्रौढ़िप्रेयोविस्ताराद्यान् यान् वदन्त्यपरे गुणान्।

वक्रोक्तिदिषु सर्वेषामन्तर्भावः प्रसिध्यति ॥'

1- सा० मी०, पृ० 2

2- वही, पृ० 15

3- द्रष्टव्य वही, पृ० 15-16

4- वही, पृ० 31



वह 'ऋजुति' को भी अलंकार मानने के पक्ष में है। लेकिन जिन्हो ने स्वभावोक्ति समेत समस्त अलंकारों को वक्रोक्ति कह रखा है उनसे उसका कोई विरोध नहीं है। ग्रन्थकार के अनुसार सूक्तियों के वैचित्र्य से रस अतिशायनशाली हो जाते हैं। और ये सूक्तियाँ ऋजुति तथा वक्रोक्ति भेद से दो प्रकार की होती हैं। इनकी व्रजुति ही भोजराज आदि की जाति है। अर्थात् यक्ति से उसका भेद दिखाते हुए ये भोजराज को उद्धृत भी करते हैं<sup>2</sup>। वक्रोक्ति को वे ऋजुति का विषय मानते हैं। उसके विषय में वे कहते हैं —

'प्रसिद्धा तत्र वक्रोक्तिः स्यादृजुविपर्ययात् (?)।

अन्यैव हि काव्यानि भिद्यन्ते काव्यवर्त्मनः (?)॥

स्वभावोक्तिरपि प्रायः स्यात् समाधिमती यदि।

वक्रामाहुरिमां केचिद् रसस्यैवामृतायनम्<sup>3</sup> ॥

इसके बाद ग्रन्थकार कुन्तक की स्वभावोक्ति खण्डन-परक-कारिकाओं (व. जी. 1/11-15) को उद्धृत करता है किन्तु उसके विषय में विना अपनी कोई राय कायम किए ही वह बीस प्रकार की वक्र उक्तियों का निरूपण करने लगता है। इससे कुन्तक के अभिमत की स्वीकृति ही व्यक्त होती है। उनकी बीस वक्रोक्तियाँ हैं— (1) अतिशयोक्ति (2) मीलितोक्ति (3) अकावगोर्भतोक्ति (4) समाधिकोक्ति (5) समासोक्ति (6) समाधिमती (7) साक्षोक्ति (8) अप्रस्तुतप्रशंसोक्ति (9) सङ्कोक्ति (10) लेशोक्ति (11) अर्थान्तरोक्ति (12) गुर्वोक्ति (13) लघ्वोक्ति (14) समोक्ति (15) चटितोक्ति (16) शुद्धोक्ति (17) सौख्योक्ति (18) छायोक्ति तथा (19) संवृति-उक्ति<sup>4</sup>। इनमें से तो अनेक वक्रोक्तियाँ अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अलंकारों के 'उक्ति' शब्द जोड़ कर बनाए गए नामान्तरमात्र हैं। जैसे मीलित, सूक्ष्म, भाषिक, आक्षेप, अप्रस्तुतप्रशंसा, लेश, अर्थान्तरन्यास, सम आदि में केवल 'उक्ति' जोड़ कर उन्हें 'वक्रोक्ति-प्रकार' बता दिया गया है। किन्तु ग्रन्थकार महोदय ने जो 'सूख्योक्ति' आदि कुछ नई उक्तियों का निर्माण किया, वह निस्संदेह नहीं। उसका परम उद्देश्य था अपने उपजीव्य आचार्य कुन्तक के विवेचन में सामो दिखाना। श्री—

1- इच्छय, सा०मी०पृ० 52-53

2- इच्छय, वही, पृ० 99

3- वही, पृ० 99

4- इच्छय, वही, पृ० 100

जो कुन्तक ने छः प्रकार की वक्रताओं का निरूपण किया था उसका अपनी उक्तियों में अन्तर्भाव करने के लिए, विशेष रूप से, उन्होने सूच्योक्ति को कल्पना की। क्योंकि उनकी समझ में, यही उनके अकाट्य तर्क की आधारशिला के रूप में सामने आती है। उनका कथन है—

'धनिवर्णपदार्थेषु वाक्ये प्रकरणे तथा ।

प्रबन्धेऽप्याहुराचार्याः केचिद् वक्रत्वमाहितम् ॥'<sup>1</sup>

यद्यपि आचार्य जी ने जो यही 'धनिवक्रता' की बात कही है वह कुन्तक के ग्रन्थ में नहीं प्राप्त होती। यह उनकी अपनी मनगढन्त कल्पना है। क्यों कि इसी 'धनिवक्रता' का ही तो अपनी 'सूच्योक्ति' में अन्तर्भाव कर उसी तरह सारी वक्रताओं का अपनी वक्र उक्तियों में अन्तर्भाव सिद्ध कर देते हैं—

'एतान्युक्तप्रकारेषु सम्भवन्तीति बुध्यताम्।

तथा हि धनिवक्रत्वं नाम सूच्योक्तिप्रकारः ।'<sup>2</sup>

क्या सब अन्तर्भाव किया है आचार्य जी ने अपनी वक्रोक्तियों में कुन्तक की वक्रताओं का ? यही नहीं, श्रीमान्जी का अगला तर्क और भी प्रबलतर है। वे कहते हैं— 'अन्यथा -' 'एद्दहमे-  
तत्तथणिजा<sup>3</sup>— 'इत्याद्यर्थमभिनयवक्रत्वमस्मि पृथगङ्गनेकरणीयं स्यात्। किंच वक्रोक्तिकारेणैतन्नो दिदष्ट', तथा हि, (इसके बाद व.जी. का 1/18-20) उद्धृत है जिनमें षड्विधवक्रताओं का उद्देश किया गया है) क्या दूर की कौड़ी खोज लार है आचार्यजी । 'अभिनयवक्रता' का उद्देश उन्होंने कही कर दिया कि आचार्य जी को वह इनकी 'सूच्योक्ति' में अन्तर्भाव करने के लिए मिल गई? फिर क्या अभिनय के द्वारा भी काव्य-रचना होती है कि उसे वर्ण, पद, वाक्य, प्रकरण और प्रबन्ध के साथ गिना जाय? अच्छा यदि आचार्य जी की दिवंगत आत्मा के सन्तोष के लिए उनकी इस अभिनय-वक्रता को मान भी लिया जाय, तो भी इसका अन्तर्भाव बड़ी ही सरलता से वाक्य-वक्रता में हो जायगा। क्यों कि कुन्तक ने कह ही रखा है कि—

'वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिद्यते यः सहस्रधा ॥

यत्रालंकारवर्गसौ सर्वोऽप्यन्तर्भविष्यति ॥'<sup>4</sup>

1- सा०मी०पृ० 115

2- वही, पृ० 116

3- एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्यामक्षिपत्राभ्याम्।

एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैर्दिवसैः । 'इति संस्कृतछाया ।

4- द्रष्टव्य, वही, पृ० 117

5- व.जी., पृ० 1/20

उक्त स्थल पर अन्य आचार्यों ने सूक्ष्म अलंकार मानहो रखा है। और स्वयं आचार्य जो को सूक्ष्मोक्ति भी यही होगी। अतः वाक्यवक्रता में इसके अन्तर्भाव में कोई कठिनाई नहीं है, हालांकि भामह कुन्तक आदि के अनुसार तो यहाँ वक्रोक्ति होगी ही नहीं।

आगे चल कर ग्रन्थकार ने कवियों के चार प्रकार निरूपित किए हैं—(1) सत्कवि (2) विदग्ध (3) अरोचकी (4) सत्कृष्णवहाराक। इनमें विदग्ध कवि 'वक्रोक्तिप्रधान' होना है—

'यो वक्रोक्तिप्रधानः स्यात् स विदग्ध इतीष्यते।'<sup>1</sup>

और इस कोटि के कवियों में उसने व्यास तथा बाणभट्ट आदि का नामोन्नेत्र किया है। यही नहीं, रसवदलंकार का खण्डन करते हुए भी वह रस की सर्वथा अलंकार्यता का ही प्रतिपादन करता है। उसके मत से वह किसी भी तरह अलंकार ही नहीं सकता। स्पष्टतया यह कुन्तक का प्रभाव है। उमर बीस वक्रोक्तियों में आए हुए अलंकारों के अतिरिक्त ग्रन्थकार ने केवल उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, विभावना, अपह्नुति, भ्रम, साम्य, संशय और संकर अलंकार निरूपित किए हैं। शेष 'स्मृति' आदि अलंकारों की अलंकारता का उन्होंने निराकरण इसी आधार पर किया है कि उनमें किसी अतिशय को<sup>या</sup> वैशिष्ट्य को प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं होती—

'स्मृत्यादेर्नालंकारता, अतिशयाधानहेतुत्वाभावादिर्निति।'<sup>3</sup>

कवियों को नागरिक जनो को किस प्रकार अपने काव्य में प्रस्तुत करना चाहिए, इसके विषय में ग्रन्थकार निर्देश करता है कि उनके वाक्य वक्रोक्ति में रमणीय होने चाहिए—

'वक्रोक्तिसुन्दरं वाक्यं चमत्कारि च वेष्टितम्।

भावहार्यभिर्दे सर्वं भवेन्नागरिके जने ।।' <sup>4</sup>

इस प्रकार 'साहित्यमीमांसा'कार की दृष्टि में काव्य में वक्रोक्ति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। फिर इन्होंने तो काव्य स्वरूप ही यथातथ कुन्तक का काव्यस्वरूप मान रखा है। इसमें अन्य वक्रकवि व्यापार से सुशोभित होना चाहिए। 'वक्रोक्ति' ही तो कवि को उक्ति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती है—

1- सा0मी0, पृ0 120

2- द्रष्टव्य, वही, पृ0 53

3- वही, 52

4- वही, पृ0 142

'गुणालंकारवर्गस्य तद्वत् काव्यावलम्बिनः ।

वक्रोक्तिविनिवेशेन कश्चिज्जायेत रम्यता ।

उक्तं हि— उपर्युपरि कव्युक्तिः कवेः स्फुरति यद्वशात् ।

भूषाः प्रयान्ति नवती लताइव मधुश्रिया ।।'

### आचार्य हेमचन्द्र और वक्रोक्तिसिद्धान्त

आचार्य हेमचन्द्र भी छनिवादी आचार्य है । इनके ग्रन्थ में छनि आदि का विवेचन पूर्णतया आनन्दवर्धन एवं मम्मट पर आधारित है । हाँ, छनियों के वर्गीकरण में इनको मौलिकता अवश्य है । ये आचार्य कुन्तक के ग्रन्थ से पूर्णतया परिचित थे । 'वक्रोक्तिजीवित' की विभिन्न कारिकाओं को इन्होंने अपनी 'विवेक' व्याख्या में उद्धृत किया है । वैसे कुन्तक के 'वक्रोक्तिसिद्धान्त' का इन्होंने, अन्य छनिवादियों को भाँति कोई उल्लेख नहीं किया । परन्तु अलंकारों के स्वरूप-निरूपण में ये पूर्णतया कुन्तक से प्रभावित हुए हैं । कुन्तक के अलंकारों का विवेचन करते समय स्थल स्थल पर इस बात का निर्देश किया जा चुका है । फिर भी कुछ मुख्य मुख्य बातों का निर्देश यहाँ किया जायगा । वैसे मम्मट को ही भाँति इन्होंने भी कुन्तक के वक्रकविव्यापार के पर्यायरूप में ही 'लोकोत्तर कविकर्म' को 'काव्य' कहा है— 'लोकोत्तरं कविकर्म काव्यम्' । इन्होंने आनन्द को समस्त प्रयोजनों का उद्देश्यभूत स्वीकार किया है । 'वक्रोक्ति' को इन्होंने रद्वट आदि की भाँति एक शब्दालंकारविशेष के रूप में ही प्रस्तुत किया है । परन्तु जहाँ रद्वट, मम्मट आदि ने श्लेषवक्रोक्ति के साथ काकु-वक्रोक्ति को भी उसका एक भेद स्वीकार किया था, वहाँ इन्होंने राजशेखर का अनुकरण करते हुए 'काकुवक्रोक्ति' के अलंकारत्व का निषेध किया है, और छनिकार का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए उसे भुषीभूत-उपम्य काव्य का एक भेद स्वीकार किया है । हाँ, जहाँ मम्मट

1- सा०मी०, पृ० 142

2- हेम०काव्यशास्त्र, पृ० 3

3- द्रष्टव्य, वही पृ० 3

4- द्रष्टव्य, हेम०काव्यशास्त्र, पृ० 333

आदि ने, किसी रूप में सही, गामह के वक्रोक्ति-सिद्धान्त को स्पष्ट स्वीकार किया था, हेमचन्द्र ने उसकी स्वीकृति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। जैसे अतिशयोक्ति के बिना अलंकारों की निष्पत्ति सम्भव नहीं, इस बात का ये प्रतिपादन करते हैं। सामान्य, मीलित, आदि अलंकारों की अलंकारता का निराकरण करते हुए वे कहते हैं —

'एवं विधे च सर्वत्र विषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते। तां विना प्रायेणालंकार-  
तवायोगदिति न सामान्यमीलितैकावलीनिदर्शनाविशेषाद्यलंकारोपन्यासः श्रेयान्।'

सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर आचार्य जी का यह कथन स्वयं ही 'वदतोऽप्याघात' दोष से दूषित सिद्ध होता है। कुन्तक की भाँति प्रत्येक अलंकारके लिए हृदय अर्थात् तद्वि-  
दाह्लादकारी होना और वैचित्र्यजनक होना इन्होंने भी आवश्यक माना है। उपमा का लक्षण इन्होंने दिया है—

'हृदयं साधर्म्यं मुपमा।' और इस सूत्र की वृत्ति में उन्होंने कहा— 'हृदयं सहृदय-  
हृदयाह्लादकारि। ××× हृदयग्रहणं प्रत्यलंकारमुपतिष्ठते।'

वैचित्र्य के सद्भाव का तो इन्होंने अनेकों अलंकारों के प्रसंग में प्रतिपादन किया है। निदर्शनार्थ 'उत्तर' की अलंकारता का खण्डन करते हुए ये कहते हैं —

'अन्यापोहाभावे प्रश्नोत्तरोक्तौ न वैचित्र्यं किंचिदिति नोत्तरं पृथग् लक्षितम्।'<sup>3</sup>  
इसी प्रकार हेतु की अलंकारता का निराकरण करते हुए कहते हैं—

'कारणमात्रन्तु न वैचित्र्यपात्रमिति न हेतुरलंकारान्तरम्।'

××इत्येवंपो ह्येष न भ्रूषणता कदाचिदर्थेति वैचित्र्याभावात्।'<sup>4</sup>

आचार्य कुन्तक ने विभिन्न अलंकारों की अलंकारता का खण्डन करते हुए तीन तर्क प्रस्तुत किए हैं —

(1) या तो वह वस्तु स्वभाव, अथवा वर्णनीय विषय होने के कारण काव्यशरीर रूप में अलंकार्य होता है।

1- द्रष्टव्य, हेम०, काव्यानुशासन, पृ० 371

2- वही, पृ० 339

3- वही, पृ० 288 (काव्यमाला)

4- वही, पृ० 397

(2) अथवा उसका किसी स्वीकृत अलंकार में अन्तर्भाव हो जाता है।

(3) या कि उसमें अलंकार कहलाने की क्षमता ही नहीं होती अर्थात् वह न सहृदय-ह्लादकारी होता है और न उसमें किसी प्रकार का वैचित्र्य हो होता है।

आचार्य हेमचन्द्र ने विभिन्न अलंकारों की अलंकारता का निरूपण करते हुए कुन्तक के इन्हीं तीन तर्कों को पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया है। भोजराज द्वारा प्रतिपादित जाति, गति आदि शब्दालंकारों एवं सम्भव प्रत्यक्ष आदि अर्थालंकारों की अलंकारता का मण्डन करते हुए ये अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहते हैं —

'x×x ये भोजराजेन प्रतिपादितः ते केचिदुक्तेः अन्तर्भवन्ति, केचिच्च कंचनापि चमत्कारं नावहन्ति, केचिच्च काव्यशरीरस्वभावा एवेति न सूत्रिताः।'

इस प्रकार कुन्तक के 'वक्रोक्तिसिद्धान्त' को मान्यता न देते हुए भी अलंकारों के वर्णन में हेमचन्द्र ने कुन्तक के अलंकारसिद्धान्त को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है। जहाँ इन दोनों आचार्यों का परस्पर विरोध रहा है, उसका निरूपण एवं उसकी समीचीनता अथवा असमीचीनता का विवेचन पहले किया जा चुका है। वैसे यहाँ एक रोचक बात यह अवश्य है कि कुन्तक द्वारा उद्धृत 'संस्मः करिकोट०' आदि श्लोक में जहाँ सहृदयधुरोगम्भन्य आचार्य महिमभट्ट ने अपनी 'क्रमेलकप्रवृत्ति' वश केवल दोष ही दोष का निरूपण किया था, वहाँ आचार्य हेमचन्द्र ने उनके व्याख्यान को किंचिन्मात्र भी महत्त्व न प्रदान करते हुए आचार्य कुन्तक की व्याख्या को लगभग यथातथ रूप में उद्धृत किया है, जो स्पष्ट रूप से महिमभट्ट की सहृदयता को चुनौती देता हुआ कुन्तक को सहृदयता का समर्थन करता है।<sup>2</sup>

### आचार्य नरेन्द्रप्रभसूरि और वक्रोक्ति-सिद्धान्त

सूरिजी का अलंकार शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ 'अलंकारमहोदीधि' है। इन्होंने अपने ग्रन्थ में प्रायः सभी अलंकारशास्त्रीय सिद्धान्तों का समन्वय प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये स्वयं भी कहते हैं—

1- विवेक, पृ० 405

2- द्रष्टव्य, वही, पृ० 173 (काव्यमाला)

७- अलंकारशास्त्र, पृ० ७७

'नास्ति प्राच्यैर्लकारकारैरविष्कृतं न यत् ।

कृतिस्तु तद्वचः सारमगृह्यसनादियम् ॥'

यहाँ इन पर केवल कुन्तक के वक्रोक्तिमिदधान्त प्रभाव का ही विवेचन किया जायगा।  
✓ आचार्य कुन्तक ने जिसे 'वक्रता' कहा है, उसके सूरि महोदय ने 'वैचित्र्य' संज्ञा से स्मरण किया है। आचार्य कुन्तक ने अपने ग्रन्थ की रचना यदि लोकोत्तर चमत्कार को उत्पन्न करने वाले वैचित्र्य की सिद्धि के लिए की थी, तो सूरिजी का ग्रन्थ भी वाच्यवाचक की लोकोत्तर चास्ता के कारणभूत रत्नों का आकर है—

वैच्यवाचकवैचित्र्यरत्नसम्भारनिर्भरः ।

✓ कीर्त्यते कृतिना सोऽयमर्त्तकासेमहोदधिः ॥'

×× वैचित्र्याणि लोकोत्तरचास्ताकारणानि ।'

काव्य कवि का लोकोत्तर कर्म अथवा व्यापार है— 'लोकोत्तरं कवि कर्म, कवि व्यापारः काव्यम् ।'

'काव्य सहृदयो को आह्लादित करने वाता, शब्द और अर्थ के वैचित्र्य का योग होता है।' इतना काव्य लक्षण तो कुन्तक से प्रभावित है, शेष विशेषण भाग मर्मट आदि ध्वनिवादियों से—

'काव्यं शब्दार्थवैचित्र्ययोगः सहृदयप्रियः ॥

यस्मिन्नदोषत्वगुणालंकृतिध्वनयः स्थिताः ॥'

अब यह सामान्य रूप से निरूपित कर देने पर कि शब्द और अर्थके वैचित्र्य का प्रयोग योग काव्य होता है। आवश्यक हो जाता है कि शब्दादि की वैचित्र्यचास्ता का विशेष निरूपण किया जाय। शब्द की वैचित्र्यचास्ता का निरूपण करते हुए सूरि जो शब्दों के हेरेपरे से पूर्णतया कुन्तक के ही शब्दस्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं—

'तैस्ततो यः स मुख्योऽर्थः शब्दोत्तस्याभिधायकः ××

किन्वेकार्थं प्रवृत्तेषु शब्देष्वन्येषु सत्स्वपि ।

अभीष्टार्थभिधायी यस्तस्य वैचित्र्यचास्ता ॥'

✓ \* अन्तरात् ३

2- अलं ३/१०/१२ तथा वृत्ति। साथ ही देखें व. जी. १/२

3- वही, ३/७

4- वही, ३/१२ वृत्ति भी देखें

5- वही, २/५-६। तुलना के लिए देखें व. जी. १/८-९

इतना ही नहीं, शब्दवैचित्र्य को प्रस्तुत करने वाले 'द्वयं गतं भेद्यनि' आदि तिन उदाहरणों को कुन्तक ने प्रस्तुत किया था, प्रायः वे ही उदाहरण मूरे महोदय ने भी दिए हैं।

इनका प्रकृतिवैचित्र्य कुन्तक को प्रकृतिवक्रता अथवा पद पूर्वादर्शिकता का रूपान्तर मात्र है। इनके सभी उदाहरण भी कुन्तक के उदाहरण हैं। अन्तर केवल इतना ही है जिसे कुन्तक ने प्रत्ययवक्रता, क्रियावैचित्र्यवक्रता, संवृत्तिवक्रता, निगवक्रता, संख्या-वक्रता, कारकवक्रता, पुरुषवक्रता, कालवक्रता, ~~प्रत्ययवक्रता~~ प्रत्ययविहित प्रत्ययवक्रता तथा उपचारवक्रता आदि नाम देखा था, उसे इन्होंने उपचारवैचित्र्य आदि कहकर अगनी नवीनता दिखाई है। उदाहरण प्रायः एक ही है। इसी वैचित्र्य के व्याघात को उन्होंने दोष कहा है और वैचित्र्य का अर्थ दिया है— 'सहृदयो को जानन्दिन क्त्वे वाला सौन्दर्यविशेष।' उनका कथन है—

'वैचित्र्यं व्याहृतिर्दोषः xx वैचित्र्यस्य सहृदयानीक्षः सौन्दर्यविशेषस्य।'<sup>2</sup>

वस्तुतः आचार्य जो का विवेचन बड़ा ही उद्यत है। उसमें गम्भीरता का सर्वथा अभाव है। केवल सारसंग्रह करते हुए भी ये उसे एक समन्वित ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। पहले तो इन्होंने काव्यलक्षण दिया कि शब्द और अर्थके वैचित्र्य का योग काव्य होता है परन्तु अलंकारों का विवेचन करते हुए मम्मट का अनुसरण करते हुए कह जाते हैं कि—  
'सन्तमिति वचनाच्च यत्र नास्ति रसस्तत्र शब्दार्थवैचित्र्यमात्रपर्यवमाप्तिनोऽलंकाराः।'<sup>3</sup>  
इसी प्रकार पहले गुणों के प्रसंग में ये कहते हैं कि—(गुणाः) नित्यवैचित्र्यकारिणः संज्ञा-  
तान् विनाहि सारलंकारस्यापि काव्यस्य काव्यत्ववहानिः।'<sup>4</sup> परन्तु आगे अलंकारों के प्रसंग में कह जाते हैं—

'निर्दोषोऽपि गुणाद्येपि शब्दो नालंकारो विना।

वैचित्र्यमश्नुते तादृक् तच्छब्दालंकारोर्बुवे।'<sup>5</sup>

- 1- द्रष्टव्य, अलं० महो० द्वितीय तरङ्ग;
- 2- वही, 5/1 तथा वृत्ति
- 3- वही, पृ० 189
- 4- वही, पृ० 187
- 5- वही 7/1



इन्होंने कुन्तक के तीनों मार्गों का अपने माधुर्यादि गुणों में अन्तर्भाव करने के लिए उनकी विशेष व्यञ्जिका रचनाओं की कल्पना कर के कैसा असम्भ्रत प्रयास किया था, इसका सम्यक् निरूपण कुन्तक के मार्गी एवं गुणों का विवेचन करते समय किया हो जा चुका है। इन्होंने भामह के वक्रोक्ति विषयक अभिमत को ध्वनिगादियों के ही शब्दों में स्वीकार किया। अतिशयोक्ति को इन्होंने समस्त अलंकारों को प्राणभूमि भूता प्रतिपादित किया। समर्थन में भामह के 'सैषा सर्व्वे' इत्यादि और दण्डों के 'अलंकारान्तराणामपि' इत्यादि कथनों को उद्धृत किया। सन्देह और भ्रान्तिमान् को अलंकार होने के लिए मम्मट, स्य्यक आदि की भाँति कविप्रतिभोत्थापित होना आवश्यक बताया। आचार्य कुन्तक द्वारा विवेचित 'केवलदीपक' नामक दीप्तालंकार के विशेष प्रकार को सोदाहरणव्याख्या इन्होंने किसी आचार्य के मत-धे के रूप में उद्धृत की है, परन्तु उसके विषय में अपना कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया, जिसका एकमात्र आशय यही है कि वह इन्हें स्वीकार्य है। अलंकारों को इन्होंने कविप्रवरों को लोकोत्तर भगीभाण-तियों के रूप में ही स्वीकार किया है जो स्पष्ट तथा कुन्तक की वक्रोक्ति की व्याख्या मात्र है। स्वभावोक्ति अलंकार के निरूपण में थोड़े हेर-फेर के साथ स्य्यक की ही शब्दावली को स्वीकार कर लिया है जिसके विषय में बताया जा चुका है कि वह सुधार कुन्तक की आलोचना से प्रभावित होकर किया गया है।

\*\*\*

1- द्रष्टव्य, अलंकारमहोदधि, पृ० 231.

2- देखें, वही पृ० 270-271।

3- द्रष्टव्य, वही पृ० 338 तथा व०जी० 1/10 तथा वृत्ति

आचार्य जयरथ का अलंकारशास्त्र से सम्बन्धित कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं है। इन्होंने रुय्यक के 'अलंकारसर्वस्व' पर 'विमर्शिनी' नामक व्याख्या प्रस्तुत की है जिसे एक प्रकार स्वतंत्र ग्रन्थ ही समझना चाहिए। स्थल स्थल पर इन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों का निरूपण किया है। यही कारण है कि पण्डितराज जगन्नाथ आदि ने 'विमर्शिनीकार' के रूप में इन्हें स्वतंत्र तया स्मरण किया है। पिछले अध्याय में यह तो भली-भाँति स्पष्ट हो चुका है कि विद्याधर आदि परवर्ती आचार्यों एवं कुछ आधुनिक विद्वानों को भ्रान्त धारणाओं का, कि कुन्तक भक्तिवादी थे, मूल राजानक रुय्यक के कथन की जयरथ द्वारा की गई व्याख्या ही है। यह कहना तो कदापि उचित न होगा कि जयरथ को कुन्तक के ग्रन्थ का ज्ञान नहीं था। क्यों कि 'वक्रोक्तिजीवित' की विभिन्न कारिकाओं को इन्होंने अपने मत के समर्थन में उद्धृत किया है। कुन्तक को भक्तिवादी सिद्ध करने में इन्होंने जो भ्रान्ति थी उसे पिछले अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है अतः उसका पुनः उल्लेख करना समीचीन नहीं। कुन्तक के अनुसार वक्रोक्ति को काव्यजीवित सिद्ध करने के लिए इन्होंने अधोलिखित त्रिंशत् उद्धृत किया है

'विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवैचित्र्यं जीवितायते।' किन्तु यत्र त्रिंशत् वक्रोक्तिवैचित्र्यं केवलं  
विचित्रपार्श्वं का ही जीवित सिद्ध करता है समग्र काव्य का नहीं क्योंकि कुन्तक ने इसे  
विचित्र मार्ग का स्वरूप-निरूपण करते हुए प्रस्तुत किया है। जयरथ ने अनेकों स्थलों पर  
कुन्तक का अनुसरण करते हुए अलंकारों के लिए चमत्कारी अथवा वैचित्र्यजनक होना और  
कविप्रतिभाप्रसूत होना अत्यावश्यक प्रतिपादित किया है। अलंकार में विच्छित्तितविशेष का होना  
परमावश्यक है। जयरथ ने अनेकों अलंकारों की अलंकारता के विषय में रुय्यक से अपना मतभेद  
व्यक्त किया है। वे काव्यलिंग की अलंकारता का खण्डन करते हुए यही पूर्वपक्ष प्रस्तुत करते हैं-

ननु हेतोर्वक्यपदार्थो भयोपनिबन्धे न कश्चिद् विच्छित्तितविशेषः प्रतीयत इति कथम-  
 स्यालंकारत्वमुक्तम्। ××कविप्रतिभात् मकस्यविच्छित्तितविशेषात् मकस्य अलंकारत्वेनोक्तत्वात्।<sup>2</sup>

यही नहीं, 'यथासङ्ख्य' की अलंकारता का निरूपण करने में तो स्पष्ट ही वे वक्रोक्तिजीवितकार के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हैं-

'न चास्यालंकारत्वं युक्तम्। दोषाभावमात्रं रूपत्वात्। ×× दोषाभावमात्रं च नालंकारत्वम्।  
 तस्यकविप्रतिभात् मकविच्छित्तितविशेषत्वेनोक्तत्वात्। ××एतच्च वक्रोक्तिजीवितकृता सप्रपंचमुक्तमित्य-

1- व. जी. 1/42 उद्धृत विमर्शिनी पृ० 9

2- विमर्शिनी पृ० 101

स्माभिरिह नायस्तम्।' इस प्रकार जयरथ ने अलंकारों के स्वरूप-निरूपण में आचार्य कुन्तक को मान्यताओं को ही मान्यता प्रदान किया है। यही कारण है कि अलंकारता की इस कमीटी पर जहाँ मुख्य के अलंकार अथवा अलंकारप्रकार खरे नहीं उतरे वहाँ उन्होंने ने उनके साथ अपनी अमरगति व्यक्त करते हुए उनका पूर्वाचार्यमतानुयायित्व प्रतिपादित किया है।

### विश्वनाथ एवं वक्रोक्तिसिद्धान्त

आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण में एक स्थान पर वक्रोक्ति-जोवितकार का स्मरण किया है—

'इतेन वक्रोक्तिः काव्यजोवितम्' इति वक्रोक्तिजोवितप्ररोक्तमृषि परास्तम्। वक्रोक्तेरलंकाररूपत्वात्<sup>2</sup>। लेकिन उनका यह कथन कुन्तक के 'वक्रोक्तिजोवित' और वक्रोक्तिस्वरूप में उनकी सर्वथा अनभिज्ञता का कि जिस प्रकार परिचायक है इसे भली भाँति 'वक्रोक्ति' तथा रस-सिद्धान्त' का विवेचन करते हुए प्रतिपादित किया जा चुका है। अतः विश्वनाथ पर कुन्तक अथवा उनके वक्रोक्ति-सिद्धान्त का साक्षात् प्रभाव तो देखना समीचीन ही नहीं है। परम्परया इन्होंने भी अलंकारों के स्वरूप के विषय में कुन्तक के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। इसके अनुसार भी अलंकारों में वैचित्र्य, चमत्कार अथवा विच्छित्त का होना, साथ ही उनका कवि-प्रतिभा-प्रसूत होना आवश्यक है। श्लेष की शब्दालंकारता का निरूपण करते हुए वे कहते हैं—

'विसदृशशब्दद्वयस्य बन्धे चैवंविधस्य वैचित्र्याभावाद्, वैचित्र्यस्यैव चालंकारत्वात्।' अनुप्रास में स्वरमात्र का सादृश्य अलंकार नहीं होता क्योंकि उसमें वैचित्र्य नहीं होता—

'स्वरमात्र सादृश्यं तु वैचित्र्याभावान्न गणितम्।'<sup>4</sup>

विनोक्ति अलंकार के प्रयोग में चमत्कार का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं—'अत्र परस्पर-विनोक्तिर्भग्या चमत्कारातिशयः।'<sup>5</sup> सन्देह और भ्रान्ति मान् तभी अलंकार हो सकते हैं जब वे कवि-प्रतिभा से उत्थापित होंगे। वे 'अनुकूल' अलंकार को पृथक् अलंकार इसलिए मानते हैं कि उसमें विशेष विच्छित्त होती है—

1- ~~वक्रोक्ति~~ विमर्शिनी पृ० 187-88

2- सा०द०, पृ० 16

3- वही, पृ०, 286

4- वही, पृ० 275.

5- वही, पृ० 336

'अस्य च विच्छित्तविशेषस्य सर्वालंकार विलक्षणत्वेन स्फुटत्वात् पृथगलंकारत्वेन न्यायम्।'<sup>1</sup>  
इसी प्रकार विच्छित्त विशेष होने के कारण ही वचनश्लेष का प्रत्ययश्लेष से भिन्न कथन किया गया है। इस प्रकार इन्होंने भी स्यक जद्यस्थ आदि का अनुसरण करते हुए अलंकारस्वरूप के विषय में परम्परया कुन्तक के सिद्धान्त को मान्यता दी है। अन्यथा वक्रोक्ति के काव्यजीवितत्व का खण्डन करने के बाद इन्होंने भी स्फुट मग्गट आदि का अनुसरण करते हुए श्लेष और काकु वक्रोक्ति भेदों से वक्रोक्ति का एक शब्दालंकार विशेष के रूप में ही प्रतिपादन किया है।<sup>2</sup>

### अप्यदीक्षित और वक्रोक्ति-सिद्धान्त

अप्यदीक्षित के अलंकारविवेचन से सम्बन्धित दो ग्रन्थ हैं—'कुवलयानन्द'<sup>3</sup> और 'चित्रमीमांसा'। इन्होंने भी स्यक की भाँति ही श्लेष और कुन्तक काकु वक्रोक्ति को अर्थालंकारों में परिगणित किया है।<sup>3</sup> अलंकारों के लिए इन्होंने भी आत्ताद जनक होना और विच्छित्तविशेष से युक्त होना आवश्यक स्वीकार किया है—

'सर्वोऽपि ह्यलंकारः कविसमयप्रसिद्धयुनरोधेन हृदयतया काव्यशोभाकार एवालंकारतां भजते। सहोक्ति अलंकार में सहभाव यदि लोगों को आनन्दित करने वाला नहीं है तो वह अलंकार ही नहीं हो सकता—'सहोक्तिः सहभावश्चेद् भासते जनरंजनः।' ×× जनरंजन इत्युक्तेः 'अनेन सादृर्ष विहराम्बुराशेः' इत्यादौ न सहोक्तिरलंकारः।'<sup>5</sup> द्वितीय प्रतीप-प्रकार का निरूपण उन्होंने इसलिये किया है कि पहले से भी विच्छित्त विशेषशाली होता है—

'द्वितीय प्रतीप पूर्वस्मादपि विच्छित्तविशेष शालि।'<sup>6</sup> यदि सहृदय-हृदय को आह्लादित करने की क्षमता है तो कल्पित उपमान वाली उपमा में अप्रसिद्धता भी कोई दोष नहीं है—  
'श्लिष्टसाधारणधर्मा यामन्यत्रापि सहृदयहृदयाह्लादिन्या कल्पितोपमानायामुपमायामप्रसिद्धत्वं न दोषः।'<sup>7</sup> उपमा में सादृश्य सहृदयहृदयाह्लादक होना चाहिए। फिर वही उपमा भणितभणिमा के भेद से अनेक अलंकार-रूपों को प्राप्त करती है—'सैवोक्तिभणोभेदेनानेकालंकारभाव भजते।'

1- सा०द०, पृ० 349

5- कुवलयानन्द, पृ० 66-67

2- द्रष्टव्य, वही 10/9

6- वही पृ० 12 . .

3- द्रष्टव्य, कुवलयानन्द, पृ० 175-76

7- चित्रमीमांसा, पृ० 35

4- चित्रमीमांसा, पृ० 6

यह 'भंगोभणिति' स्पष्ट ही कुन्तक को वक्रोक्ति को पर्यायरूपा है। कविप्रतिभा को भी उन्होंने पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया है— भ्रान्तिमान् का लक्षण प्रस्तुत करने के बाद उसकी वृत्ति में वे कहते हैं - 'विहितात् मनीत्यनेनारोग्यमाणानुभवस्य स्वारथिकं कविप्रतिभयाकल्पनं विवक्षितम्।' इसमें अधिक वक्रोक्तिसिद्धान्त से सम्बन्धित कोई अन्य विवेचन नहीं उपलब्ध होता।

### पण्डितराज और वक्रोक्तिसिद्धान्त

पण्डितराज का अलंकारग्रन्थ 'रसगंगाधर' अपूर्ण ही उपलब्ध होता है। उन्हीं स्पष्ट रूप से पण्डितराज द्वारा वक्रोक्ति का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। वह न अलंकारसामान्य के रूप में ही प्रतिपादित की गई है और न अलंकारविशेष के ही रूप में। पण्डितराज के कुन्तक के ग्रन्थ का ज्ञान था यह भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। ही परवर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृत कुन्तक के अलंकारसिद्धान्त को पण्डितराज ने भी स्पष्ट मान्यता दी है। इन्होंने ~~काव्य~~ का चमत्कारिता को काव्य का जीवितभूत स्वीकार किया है—

'काव्यजीवितं चमत्कारितं च अविशिष्टमेव।' इन्होंने 'रसप्रश्न' आदि का विवेचन इसीलिए नहीं किया कि उसमें चमत्कार नहीं होता— 'रसस्य तु स्थायिमूलकत्वात् प्रशम्भवे-  
रसम्भवः, सम्भवे वा न चमत्कारः इति स न विचार्यते।' अलंकारों के लिए इन्होंने भी कविप्रतिभाप्रसूत होना तथा चमत्कार अथवा विच्छित्तित या वैचित्र्य से युक्त होना आवश्यक स्वीकार किया है। उपमा का सादृश्य सुन्दर होना चाहिए। सौन्दर्य का अर्थ है चमत्कार-जनक होना और चमत्कार कहते हैं सहृदयहृदयसंवेद्य आनन्दविशेष को।— 'सौन्दर्यञ्च चमत्कृत्या-  
घायकत्वम्।' चमत्कृतिरानन्दविशेषः सहृदयहृदयप्रमाणकः।' उपमा आदि समस्त अलंकारों को अलंकारता का हेतु चमत्कार ही होता है— 'चमत्कारनिबन्धनो ह्यलंकारभाव उपमादोनाम्।'  
हृदयता समस्त अलंकारों का सामान्य लक्षण है। अपह्नुति अलंकार के अनेक भदों को वे अस्वीकार इसलिए कर देते हैं कि उनमें वैचित्र्य विशेषमावहन्तीत्यगणीनीयाः।' अलंकारों के विभाजन का हेतु विच्छित्तित की विलक्षणता ही होती है— 'विच्छित्तित्तैवलक्षण्यस्यैवालंकारविभाग-

1- चित्रमीमांसा, पृ० 64

2- रसगंगाधर, पृ० 11

3- वही, पृ० 165

4- वही, पृ०, 248

5- वही, पृ० 437

6- हृदयत्वं चालंकारसामान्यलक्षणगतं सकलालंकारसाधारणमेवेत्यसकृदुक्तम्। वही.

हेतुत्वात्।<sup>1</sup> काव्य में वे ही पदार्थ अलंकाराख्यद होते हैं जो केवल कविप्रतिभा में ही कल्पित होते हैं—'यतो बहिरसन्तः कविप्रतिभाभात्रकल्पिताअर्थाः काव्येऽनन्तरमनागदम्।<sup>\*</sup> और फिर विच्छित्त भी तो जन्यता-संस्पर्श में काव्य में रहने वाले कविप्रतिभा ही है अथवा कविप्रतिभाजन्य चमत्कारिता ही विच्छित्त है—'ननु केयं विच्छित्तितः ? उच्यते— अलंकाराणां परस्परविच्छेदस्य वैलक्षण्यस्य हेतुभूता जन्यतासंस्पर्शेण काव्यनिष्ठा कविप्रतिभा, तज्जन्यत्वप्रयुक्ताचमत्कारिता वा विच्छित्तितः।' पण्डितराज ने अलंकारता को कन्नौटो पर काव्यलिंग तथा यथासंख्य आदि की अलंकारता का निराकरण किया है। काव्यलिंग के विषय में वे कहते हैं — 'काव्यलिंगं नालंकारः। वैचित्र्यात् मनो विच्छित्तिताप्रशेषस्याभावात्। ए हि जन्यतासंस्पर्शेण कविप्रतिभाविशेषः, तन्निर्मितत्वप्रयुक्तस्वपत्कृतिविशेषावेत्युक्तम्। न चानयोरेक्य-तरस्याप्यत्र सम्भवः। हेतुहेतुमद्भावस्य वस्तुमिदृशत्वेन कविप्रतिभानिर्वर्तयत्वयोगात्।' इसी प्रकार यथासंख्य के विषय में उनका कथन है—'न ह्यस्मिन् लोकमिदृशे कविप्रतिभानिर्मित-त्वस्यालंकारताजीवातोर्लेशतोऽप्युपलब्धिरस्ति। येनालंकारव्यपदेशो मनागपि स्थाने स्यात्।' इन् प्रकार अलंकारों के विषय में कुन्तक का कविप्रतिभानिर्वर्तव और विच्छित्तितविशेषशालित्व रूप सिद्धान्त पण्डितराज को भी मान्य रहा।

### वक्रोक्तिसिद्धान्त तथा अन्य आचार्यों एवं कवि

इन प्रमुख आचार्यों के अतिरिक्त अन्य आचार्यों ने भी प्रायः इन्हीं आचार्यों का अनुगमन किया है। विद्याधर ने किस प्रकार से विना कुन्तक के ग्रन्थ को देखे उन्हें भक्तिवादो कहा था। इसका निरूपण किया ही जा चुका है? उन्हीं ने भी वक्रोक्ति को काकु और श्लेष भेदों ने मुख्यक की भाँति अलंकारविशेष के रूप में ही परिगणित किया है।<sup>4</sup> स्वभावोक्ति की व्याख्या में भी मुख्यक का ही अनुगमन किया है।<sup>5</sup> इनकी विशिष्टता यह रही है कि इन्हीं ने अलंकार को ही काव्यव्यवहार का प्रयोजक स्वीकार किया है। उन्हीं केवल काव्यशोभानिश्चय का हेतु

1- रसगंगाधर, पृ० 739.

2- वही, पृ० 746.

3- वही, पृ० 758.

4- एकावली, पृ० 326

5- वही, पृ० 328, 329

\* रसगंगाधर, पृ० 515

\* वही, पृ० 712

नही माना—तस्मादलंकार एव काव्ये व्यवहारः प्रयोजकः । <sup>1</sup> विद्यानाथ ने भी काकु और श्लेष द्विविध वक्रोक्ति अलंकारविशेष <sup>ही</sup> स्वीकार किया है। यद्यपि उस अलंकारविशेष के उनके विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्ति को वक्रता से सभी अलंकारों में मानते हैं— ××उक्तिवक्रत्वे कथंचित् सम्भवत्यपि सर्वे नैव लक्षणाभावात् सर्वालंकारेषु भिद्यते। <sup>2</sup> स्वभावोक्ति के लक्षण में इन्होंने भी चारु शब्द का प्रयोग किया है। <sup>3</sup> इन्होंने 'विदग्धभणिति' को काव्य के उक्ति नामक शब्दगुण के रूप में प्रस्तुत किया है— 'विदग्धभणितिर्या स्यादुक्तिं तां कवयो विदुः।' <sup>4</sup> अमृतानन्द योगी एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने ने कि वक्रोक्ति को तो एक अर्थालंकारविशेष के ही रूप में प्रस्तुत किया परन्तु उसका स्वरूप न वामन-सम्मत स्वीकार किया और न रूढ या स्थिक-मम्मन ही। उनके अनुसार 'जहाँ क्रोधवश प्रिय जैग कथन किया जाता है वही वक्रोक्ति अलंकार होता है—

'कोपात् प्रियवदुक्तिर्या वक्रोक्तिः कथ्यते यथा।

साधु दूति पुनः साधु कर्तव्य किमतः परम् ॥

यन्मदर्थं विभिन्नासि दन्तैरपि नखैरपि ॥' <sup>5</sup>

वाग्भटालंकार के रचयिता वाग्भट ने केवल श्लेष-वक्रोक्ति को ही स्वीकार किया है काकु-  
वक्रोक्ति नहीं। <sup>6</sup> विश्वेश्वर पंडित ने वक्रोक्ति जैसा कोई अलंकार प्रतिपादित नहीं किया।  
ही अलंकारों में चमत्कार अथवा विच्छित्तविशेष की सत्ता का उन्होंने ने अनेकशः प्रति-  
पादन किया है। सन्नोक्ति <sup>का</sup> अन्तर्भाव वे दोषक अथवा तुल्ययोगिता में करना उचित  
सम्भते हैं क्योंकि उसके अतिरिक्त विच्छित्तविशेष की प्राप्ति उसमें नहीं होती।  
×× न त्वर्तिरेकतत्त्वम् विच्छित्तविशेषानाधायकत्वात्। <sup>7</sup> परिवृत्ति अलंकार वे वही मानते  
हैं जहाँ कि चमत्कार होता है— 'यत्र चमत्कारस्तत्रैवेयम्।' <sup>8</sup> काव्यानुशासन के रचयिता

- 
- 1- रकावली, पृ० 147  
2- प्रतापरुद्र, पृ० 410  
3- द्रष्टव्य वही, पृ० 412  
4- वही पृ० 332  
5- अलंकारसंग्रह पृ० 57  
6- वाग्भटालंकार, 4/14  
7- अलंकार कोस्तुभ, पृ० 331  
8- वही, पृ० 334

वाग्भट ने कुत्तक का अनुसरण करते हुए 'सहृदय हृदय' ने चमत्कार को उत्पन्न करने वाले कवि के कर्म को काव्य कहा है। उपमा में सादृश्य का सहृदयहृदयहारी होना आवश्यक स्वीकार किया है।<sup>2</sup> किन्तु रूढादि का अनुसरण करने हुए <sup>उन्ही ने भी</sup> वाग्भट तथा श्लेष भेद से वक्रोक्ति को एक अलंकार-विशेष के रूप में ही प्रस्तुत किया है।<sup>3</sup> केशव मिश्र ने अलंकार का सामान्य लक्षण चमत्कारविशेष को उत्पन्न करना स्वीकार किया है- 'तत्र चमत्कारविशेषकारित्वमलंकारसामान्यलक्षणम्'<sup>4</sup>। इन्होंने श्लेष आदि का नाम तो नहीं लिया किन्तु 'अन्य अभिप्राय से कहे गए वाक्य की दूसरे से द्वारा अन्यार्थक योजना करने पर ही वक्रोक्ति अलंकार स्वीकार किया है।<sup>5</sup> सर्वेश्वर चार्य ने भी कहे गये वाक्यार्थ की दूसरे प्रकार की स्वीकृति को वक्रोक्ति अलंकार माना है।<sup>6</sup>

इस प्रकार कुत्तक के परवर्ती आचार्यों द्वारा उनके वक्रोक्ति सिद्धान्त को पूर्ण समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। केवल अलंकार के विषय में उनको मूलभूत मान्यताएँ स्वीकार की गयीं। कुछ गिने चुने आचार्यों ने ही काव्य के अन्य तत्वों के विश्लेषण में भी उनके सिद्धान्त को स्वीकार किया। उनका प्रतिपादन उगार किया जा चुका है।

उक्त आचार्यों के अतिरिक्त कुछ <sup>भी</sup> कवि ऐसे हैं जिन्होंने काव्य में वक्रोक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया है, अतः संक्षेप में उनका उल्लेख कर देना भी अनुरोधित न होगा। कवि राजशेखर और मनोरथ के विषय में तो उल्लेख करने किया ही जा चुका है। इनके अतिरिक्त कविराज ने अपने को सर्व वक्रोक्तिमार्गनिपुण कहने का दावा किया है—

'सुबन्धुर्बाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः ।

वक्रोक्तिमार्गनिपुणाश्चतुर्थो विद्यते न वा ।।'<sup>7</sup>

डा० डे ने इस बात का निश्चय करने में असमर्थता व्यक्त की है कि कविराज ने वही वक्रोक्ति का किस अर्थ में प्रयोग किया है।<sup>8</sup> इतना तो सुनिश्चित हो है कि

1- चतुरचेतश्चमत्कारकारि कवेः कर्म काव्यम् ।-काव्यानुशासन वृत्ति, पृ० 2

2- चमत्कारि साम्यमुपमा। चमत्कारिसहृदयहृदयहारी। वही, पृ० 33

3- द्रष्टव्य, वही पृ० 48

4- अलंकार-शेखर, पृ० 27

5- द्रष्टव्य, वही, पृ० 27

6- वक्रोक्तिरक्तवाक्यार्थस्वीकारोऽन्यादृशः स्मृतः ।-साहित्यसार, पृ० 27, का० 33।

7- राघवपाण्डवीय, 1/41

8- द्रष्टव्य, Introduction to V. J. P. XVI, p. 16.



इन्होंने ने <sup>कुन्तक</sup> छोट की काकु अथवा श्लेषवक्रोक्ति में अपने को निपुण नहीं बताया। वस्तुतः कविराज के परवर्ती कवि थे। अतः ये कुन्तक के ग्रन्थ से पूर्णतया परिचित थे। वक्रोक्ति-मार्ग से इनका आशय विचित्रमार्ग से है। इसमें किसी को भी संशय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं कुन्तक ने विचित्रमार्ग के लिए कहा है कि -

'विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवैचित्र्यं जीवितायते।'

साथ ही इस मार्ग के कवियों में बाणभट्ट का सुस्पष्ट सफुल्लोख भी किया है -

'तथैव च विचित्रवक्रवविजृम्भितं हर्षचरिते प्राचुर्येणभट्टबाणस्य विभाव्यते।' ही, छोट की वक्रोक्ति को आधार बनाकर कवि रत्नाकर ने अपनी 'वक्रोक्तिपंचाशिका' की सृष्टि अवश्य की है। वही स्पष्ट ही उनके सभी श्लोक छोट की श्लेषवक्रोक्ति को प्रस्तुत करते हैं। प्रसन्नराघव के रचयिता जसदेव ने तो कवियों की वक्रवाणी की प्रशंसा न करने वालों को मन्दमति तक कह डाला है -

निन्द्यन्ते यदि नाम. मन्दमतिभिर्वक्राः कवीनां गिरः

स्तूयन्ते न च नीरसैर्मृगदृशां वक्राः कटाक्षच्छटाः।

तद्वैदग्ध्यवतां सतामपि मनः किं नेहते वक्रतां,

घत्ते किं न हरः किरीटशिखरे वक्रां कलामन्दवीणम्।

विल्हण ने ध्वनि और वक्रोक्ति दोनों का समन्वय करते हुए उन्हीं के गर्मियों को अपने प्रबन्धों की अवधारणा का अधिकारी बताया है -

'रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति संक्रान्तवक्रोक्तिरहस्यमुद्राः।

तेऽस्मत्प्रबन्धानवधारयन्तु, कुर्वन्तु शेषाः शुक्वाक्यपाठम्।'

### उपसंहार

इस प्रकार समग्र प्रबन्ध के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वक्रोक्ति-सिद्धान्त की सम्यक् व्यवस्था एवं उसका स्वरूप-निरूपण आचार्य कुन्तक द्वारा

1- व. जी. 1/42

2- प्रसन्नराघव 1/20

3- विक्रमांकदेव चरित, 1/22

किया गया है । वह निश्चय ही अलंकारशास्त्र के अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा व्यापक और काव्य के समग्र तत्त्वों की समुचित व्याख्या प्रस्तुत करने वाला है। जैसा कि प्रतिपादित किया गया है कुन्तक के इस वक्रोक्ति सिद्धान्त का बीजारोपण आचार्य भामह द्वारा किया गया था। उसके बाद वक्रोक्ति के स्वरूप में आचार्य कुन्तक के काल तक पर्याप्त हेर फेर होता रहा। कुन्तक ने उसी प्राचीन सिद्धान्त को अपनाकर एवं अपने समय तक के सभी काव्यसिद्धान्तों का सम्यक् परोक्षण कर उसे एक सम्पूर्ण एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली। किन्तु 'ध्वनिसम्प्रदाय' उस समय इतना शक्तिशाली था कि उसके आगे यह जग न सका। इनके परवर्ती आचार्यों कुन्तक द्वारा इनके वक्रोक्तिसिद्धान्त को समर्थन न प्राप्त हो सका। साथ ही कुछ आचार्यों ने बड़े ही उथलेपन के साथ बिना इनके सिद्धान्त को भलीभाँति गम्भीरतापूर्वक समझे हुए, इनके तथा इनके सिद्धान्त के विषय में ऐसी मान्यताएँ स्थापित कर दी जो कि इनके सिद्धान्त के लिए सर्वथा फलक सिद्ध हुई। कुन्तक के परवर्ती ग्रन्थकारों ने अधिकतर मान्यता इनके अलंकारस्वरूप-निरूपण से सम्बन्धित सिद्धान्त को दिया। और इसीलिए कुन्तक का वक्रोक्तिसिद्धान्त एक व्यापक काव्य-सिद्धान्त न बन कर संकीर्ण अलंकारसिद्धान्त तक ही सीमित रह गया। वस्तुतः सहृदय समालोचकों के द्वारा निष्पक्ष हो कर और किसी पूर्वाग्रह से ग्रहीत न हो कर कुन्तक के वक्रोक्तिसिद्धान्त के परोक्षण की आवश्यकता है । प्रस्तुत शोधग्रन्थ इसी दिशा में एक स्वल्प प्रयास है ।

परिशिष्ट

प्रस्तुत ग्रन्थ में उद्धृत ग्रन्थों की अनुक्रमणिका

संस्कृत - ग्रन्थ

- (1) अभिज्ञानशाकुन्तल, कालिदास(अभि०शा०)हरिदास-संस्कृत-सीरीज़ वाराणसी 41, 1953
- (2) अभिनवभारती, अभिनव गुप्त(नौ०शा०व्याख्या)भाग 1 (1926)भाग 2 (1934)गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज़ (अ०भा०)
- (3) अमरकोश, अमर सिंह
- (4) अर्थशास्त्र, कौटिल्य, वाचस्पति गेरोल्ता, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी, 1962
- (5) अलंकारकौस्तुभ, विश्वेश्वर पण्डित, काव्यमाला 66, बम्बई 1898 सम्पादक म. म. पं०शिवदत्त
- (6) अलंकार महोदधि, नरेन्द्रप्रमसूरे, गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज़ बरोदा, 1942 (अलं० महो०)
- (7) अलंकार शेखर, केशव मिश्र, प्रकाशक माण्डुरंग जावजी, काव्यमाला 50, निर्णयसागर प्रेस, 1926
- (8) अलंकारसंग्रह, अमृतानन्दयोगी, दि अदायर लाइब्रेरी सीरीज़ नं०70, 1949 (अलं० सं०)
- (9) अलंकारसर्वस्व, स्य्यक, निर्णयसागर प्रेस, 1939 (अलं० सं०)
- (10) अविमारक, भास, सम्पादक टी. गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरीज़ 20, 1912
- (11) अष्टाध्यायी, पाणिनि
- (12) उज्ज्वलनीलमणि, श्री रूपगोस्वामी, काव्यमाला 95, 1913
- (13) उत्तररामचरित, भवभूति, सम्पादक जी. के. भट्ट, दि पाण्डुलर बुक स्टोर, टावररोड, सूरत, 1953 (ड-र)
- (14) एकावली, विद्याधर, सम्पादक कमलाशंकर त्रिवेदी, बाम्बे संस्कृत सीरीज़ नं०63, 1903
- (15) औचित्यविचारचर्चा, क्षेमेन्द्र, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी 1964 (औ. वि. च.)
- (16) कर्पूरमंजरी, राजशेखर, सम्पादक म. म. पुं०दुर्गाप्रसाद काव्यमाला 4, निर्णयसागर प्रेस बाम्बे 1900 (कर्पूर० मं०)
- (17) कामधेनु, गोपेन्द्र त्रिपुरहर (का०सू०वृ०व्याख्या)बनारस संस्कृतसीरीज़, 1908
- (18) काव्यप्रकाश, मम्मट, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि, 66, 1929 (का. प्र.)
- (19) काव्यप्रकाश प्रदीप, गोविन्द ठक्कर (का०प्र०व्याख्या)आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि, 66, 1929 (का. प्र. प्र.)
- (20) काव्यमीमांसा, राजशेखर, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, सं०1991 (का०मी०)
- (21) काव्यदर्पण, राजचूडामणि दीक्षित
- (22) काव्यादर्श, दण्डी, चेन्नपुर्था, वाबिल्ल रामस्वामि शास्त्रु 1958
- (23) काव्यलक्षण, दण्डी, सम्पादक प्रो०अनन्तलाल ठक्कर, मिथिला विद्यापीठ ग्रन्थमाला, दरभंगा 1957
- (24) काव्यादर्श टीका, जीवानन्द, चेन्नपुर्था, वाबिल्ल रामस्वामि शास्त्रु 1958 (जीवानन्द)

- (25) काव्यादर्श व्याख्या, प्रेमचन्द तर्क वागीश, एशियाटिक सोसाइटी आफ् बंगाल, कलकत्ता, 1863
- (26) (i) काव्यानुशासन, हेमचन्द्र, आर. सी. पारिख, श्री महावीर जैन विद्यालय ब्राह्म, 1938-  
(ii) काव्यमाला, 70, 1901
- (27) काव्यानुशासन, वाग्भट, काव्यमाला 43, 1915
- (28) काव्यालंकार, भामह, सी. सेकर राम शास्त्री, श्री बालमनोरमा प्रेस, मैलापोर, मद्रास 1956 (भामह, काव्याः)
- (29) काव्यालंकार, रुद्रट, निर्णयसागर प्रेस, 1928 (रुद्रकाव्याः)
- (30) काव्यालंकारसारसंग्रह, उद्भट, बनहट्टी संस्करण, भाण्ड्यकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना 1925  
(का. सा. सं.)
- (31) काव्यालंकारसारसंग्रहविवृति (का०सा०सा०व्याख्या) तिलक, ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट बरोदा, 1951 (तिलक)
- (32) काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, वामन, निर्णयसागर प्रेस बम्बई, 1953 (का०सू०वृ०)
- (33) काव्यालंकारव्याख्या, नमिसाधु, (रुद्रकाव्या०व्याख्या) निर्णयसागर प्रेस, 1928 (नमिसाधु)
- (34) काशिका, वामन जयादित्य, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिंस बनारस, 1952
- (35) किरातार्जुनीय, भारवि, सम्पादक म. म. पं० दुर्गाप्रसाद, निर्णयसागर प्रेस, बाम्बे, 1907 (किरातः)
- (36) कुमारसम्भव, कालिदास, सम्पादक वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री, पनसीकर, निर्णयसागर प्रेस, बाम्बे 1930  
(कु. सं.)
- (37) कुवलयानन्द, अप्पयदीक्षित, निर्णयसागर प्रेस, 1955 (कुवलयः)
- (38) गाथासप्तसती, हाल, काव्यमाला 21, पाण्डुरंग जावजी निर्णयसागर प्रेस, 1933 (गा. स.)
- (39) चन्द्रलोक, जयदेव, सम्पादक महादेव मंगाधर बाक्रे, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई 1914
- (40) चित्रमीमांसा, अप्पयदीक्षित, सम्पादक राम शास्त्री, काशी सं. १९४८
- (41) जयमंगला (भट्टिकाव्यटीका) सम्पादक यदुनाथ तर्क रत्न, मजुमदार सीरीज़ कलकत्ता, 1891
- (42) तर्कसंग्रह (त. सं.), अन्तर्महट्ट, रेमेसराज कृष्णदास मुम्बई 1861
- (43) त्रिवेणिका, आशाधर भट्ट, सरस्वती-भवन-टेक्स्, बनारस 14, 1925
- (44) दशकरूपक (सावलोक) घनिक, घनजय, चौखम्बा विद्याभवन 1955
- (45) छन्द्यालोक, आनन्दवर्धन, चौखम्बा संस्कृतसीरीज़, 1940 (छन्द्या०) (छन्दः)
- (46) नवसाहसिकाचरित, पद्म गुप्तपरिमल, सम्पादक पं० वामन शास्त्री इस्लामपुरकर, गवर्नमेन्ट  
सेन्ट्रल बुकडिपो, बाम्बे 1895
- (47) नाट्यशास्त्र, भरत, काव्यमाला नं० 42, 1943 (ना. शा.)
- (48) नाट्यशास्त्र, भरत (भाग 1) 1926 (भाग 2) 1934 मायकवाड ओरिएण्टल सीरीज़ (ना. शा.)
- (49) न्यायकोश, म. म. भीमाचार्य, जावजी दादाजी, निर्णयसागर प्रेस मुम्बई 1893 (न्या. को.)
- (50) न्यायदर्शन, गोतम, काशी संस्कृत सीरीज़ 1942 (न्या०द०)
- (51) न्यायदर्शनभाष्य, वात्स्यायन, काशी संस्कृत सीरीज़, 1942 (न्या०द०भा०)

- (52) प्रतापरुद्रयशोभूषण, विद्यानाथ, सम्पादक कमलाशंकर त्रिवेदी, बाग़्ने संस्कृत एण्ड प्राकृत सीरीज़ नं० LXV
- (53) प्रसन्नराधव, जयदेव, जोरबन्वा विद्याभवन, बनारस, 1956
- (54) बालप्रिया (ध्व०लोचनव्याख्या) श्री रामशास्त्रक, काशी संस्कृत सीरीज़ 1940
- (55) बालबोधिनी, वामन मलकीकर, (का०प्र० व्याख्या) भाण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना, 1950
- (56) बालभारत, राजशेखर, सम्पादक म. म. पं. दुर्गाप्रसाद, काव्यमाला 4, निर्णयसागर प्रेस बाम्बे 1900
- (57) बालरामायण, राजशेखर, सम्पादक गोविन्ददेव शास्त्री, बनारस, 1869.
- (58) मधुसूदनी, मधुसूदन मिश्र (का०मी० व्याख्या) चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ 1991 (का.मी.म.)
- (59) महानाटक, सम्पादक जीवानन्द, कलकत्ता 1878
- (60) महाभारत, वेदव्यास, कुम्भकोठाम् प्रकाशन.
- (61) मेघदूत, कालिदास, सम्पादक डा०सुशील कुमार डे, साहित्य एकेडमी, नई दिल्ली 1957
- (62) रघुवंश, कालिदास, सम्पादक वासुदेव शर्मा, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 1929 (रघुवंश)
- (63) रसगंगाधर, पं०राज जगन्नाथ, सम्पादक म. म. पं०गंगाधर शास्त्री, बनारस संस्कृत सीरीज़ 1903
- (64) राघवपाण्डवीय, कविराज, काव्यमाला 62, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 1897 (रसगंगाधर)
- (65) राजतरंगिणी, कल्हण, सम्पादक पं०दुर्गाप्रसाद, निर्णयसागरप्रेस, गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल बुक डिपो बाम्बे, 1892
- (66) रामायण, चाल्मीकि, प्रकाशित आर० नारायणस्वामी श्येर, मद्रास 1958  
रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना 1925
- (67) लघुवृत्ति, इन्द्रराज (का०सा०सं० व्याख्या) बनहट्टी संस्करण, भाण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च
- (68) लघुसिद्धान्त कौमुदी, प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1962  
इन्स्टीट्यूट पूना 1925
- (69) लोचन, अभिनव गुप्त, (ध्वन्या० व्याख्या) चौखम्बा संस्कृत सीरीज़ 1940
- (70) वक्रोक्तिजीवित, कुन्तक, डा०डे द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, 1961 (व.जी.) (V.J.)
- (71) वाक्यपदीय, भर्तृहरि (उद्धृत न्यायमोक्ष)
- (72) वाग्मटालंकार, वाग्मट, डा०सत्यव्रतसिंह, चौखम्बा. विद्याभवन, वाराणसी 1957
- (73) विक्रमांकदेवचरित, विल्हण, सम्पादक जार्ज व्हूलर, गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल बुक डिपो बाम्बे, 1875
- (74) विक्रमोर्वशीय, कालिदास, प्रकाशक सत्यभामाबाई पाण्डुरंग निर्णयसागर प्रेस, 1942
- (75) विद्यशालभजिका, राजशेखर, कलकत्ता ओरिएन्टल सीरीज़ नं०30, 1943 (निध.भं.)

- (76) विमर्शिनी, जयरथ (जल०स०व्याख्या) निर्णयसागर प्रेस, 1939
- (77) वृत्ति तवार्तिक, अप्ययदीक्षित, काव्यमाला 36
- (78) वैयाकरणभूषणसार, म. म. कौण्डभट्ट, श्री पं०वासुदेव शर्मा त्रिपाठी द्वारा सम्पादित  
श्रीसं. 1942 मार्ग शु० 10 अमर यंत्रालय, काशी
- (79) व्यक्तिविवेक, महिमभट्ट, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 1936 (व्यक्ति०)
- (80) व्यक्तिविवेक व्याख्यान, स्यक, काशी संस्कृतसीरीज, 121, 1936 (व्यक्ति० व्या०)
- (81) शब्दकल्पद्रुम, स्यारराजा राधाकान्तादेव बहरदुर, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, मोतीलाल बनारसीदास
- (82) शब्दशक्तिप्रकाशिका, म. म. जमदीश तर्कालंकार, प्रकाशकअतुल कृष्णदेव शर्मा, बनारस,  
ताराप्रिंटिंगवर्क्स, 1907 ( ११-११-७ )
- (83) शिशुपालवध, माथ, पं०दुर्गाप्रसाद द्वारा संशोधित, निर्णयसागर प्रेस, बाम्बे, 1888 (शिशुवध)
- (84) शृंगारप्रकाश, भोजदेव, सम्पादक जी. आस जोसीयर, मैसूर 1955-56 ( ७०-७० )
- (85) श्लोकवार्तिक ( ३१० काण्डे द्वारा M.S.P. में उद्धृत )
- (86) समुद्रबन्ध, (जल०स०व्याख्या) त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरीज 1915 टी. गणपति शास्त्री
- (87) सम्प्रदायप्रकाशिनी, श्री विद्याचक्रवर्ती (का०प्र०व्याख्या) सम्पादक के साम्बशिव शास्त्री,  
+ त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरीज, 1938 (सं. ७) त्रि 26 ( स. ७ )
- (88) सहृदयलीला, स्यक, काव्यमाला-5, 1908 पृ० (157-60)
- (89) साहित्यकौमुदी, विद्याभूषण, काव्यमाला, 63 , 1897 (सा०कौ०) सम्पादक म. म. पं०शिवदत्त
- (90) साहित्यदर्पण, विश्वनाथ, शालग्रामशास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस 1961 (सा. ६०)
- (91) साहित्यमीमांसा, सम्पादक के साम्बशिव शास्त्री, त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरीज नं० 114, 1934 (सा. ११)
- (92) साहित्यसार, श्री मदध्युतराय, सम्पादक वासुदेव शर्मा, निर्णयसागर प्रेस 1906 (सा. ११)
- (93) साहित्यसार, सर्वेश्वराचार्य, यूनीवर्सिटी मैनास्किण्ड्स लाइब्रेरी त्रिवेन्द्रम्, 1947 (सा. ११)
- (94) इन्द्रचरित, बाणभट्ट, बाम्बे संस्कृत सीरीज, 1909
- + (95क) सरस्वतीकण्ठामरण, भोजदेव, काव्यमाला 94, 1934 (स. ११)

हिन्दी - पुस्तकें

- (95) ध्वनिसम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त, (भाग 1) डा० भोलाशंकर व्यास, काशी-नागरी-  
प्रचारिणी-सभा, सं० 2013 (ध्वनिसम्प्रदाय०)
- (96) भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, भाग 2, डा० नान्द, ओरिएन्टल बुक डिपार्ट,  
दिल्ली, 1955 (भा. का. भू.)
- (97) भारतीय साहित्यशास्त्र, डा० गणेश त्र्यम्बक शिपाण्डे, पाप्युलर बुक डिपो, बम्बई -  
1960 (भा० सा० शा०)
- (98) भारतीय साहित्यशास्त्र, पं० बलदेव उपाध्याय (भा. सा. शा.)
- (99) हिन्दी विक्रोषितजीवित, सम्पादक डा० नगेन्द्र, आर. माराम एण्ड सेस, कश्मीरी गेट,  
दिल्ली, 1955 (हि० व० जी०)



ENGLISH BOOKS

- (1) Abhinavagupta, Dr. K.C. Pandey, Chowkhamba Sans. Series 1935.
- (2) Concepts of Riti and Guna in Sans. Poetics in their historical development, Dr. P.C. Lahiri, Dacca University of Dacca, 1937. (C.R.G.)
- (3) Comparative Aesthetics, Dr. K.C. Pandey, Chowkhamba, Sans. Series, Vol.I 1959, Vol.II, 1956.
- (4) History of Sanskrit Poetics, Dr. P.V. Kane, Motilal Banarasidas- Delhi- 1961. (A.S.P.)
- (5) Indian Culture Journal Indian Research Institute, Calcutta
- (6) Indian Historical Quarterly (I.H.Q.)
- (7) The Poona Orientalist, A quarterly Journal, Oriental Book Agency Poona.
- (8) History of Sanskrit Poetics, Dr. S.K. De, Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhyaya, 1960. (S.P.)
- (9) Some Aspects of Literary Criticism in Sanskrit, Dr. A. Sankaran, Published by the University of Madras, 1929. (Some Aspects)
- (10) Some Concepts of Alaṅkārasāstra, Dr. V. Raghavan, The Adyar Library Adyar, 1942. (Some Concepts) (S.C.A.S.)
- (11) Studies in Indology Vol.I, Dr. V.V. Mirashi, Published by The Vidarbha Sanshodhana Mandal, Nagpur, 1960.
- (12) Bhoja's Śṛṅgāra-Prakāśa, Dr. V. Raghavan, Karnatak Publishing House, Bombay, 1940 (Sr. Pra.)